

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 53 (2) के अनुसार 30 जून 2012 को
समाप्त वर्ष के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के कार्य के संबंध में केन्द्र सरकार को प्रस्तुत
केन्द्रीय निदेशक मंडल की रिपोर्ट



**भारतीय रिज़र्व बैंक की वार्षिक रिपोर्ट
2011-12**



भारतीय रिजर्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA

www.rbi.org.in

गवर्नर
GOVERNOR

प्रेषण-पत्र

संदर्भ सं. सवि. २०३ /०२.१६.००१/२०१२-१३

२३ अगस्त, २०१२

१ भाद्र, १९३४(शक)

वित्त सचिव
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
नई दिल्ली - ११० ००१

प्रिय महोदय,

भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, १९३४ की धारा ५३(२) के उपबंधों के अनुसार, मैं इस पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज सहर्ष प्रेषित कर रहा हूँ :

- (i) ३० जून २०१२ को समाप्त हुए वर्ष के लिए वार्षिक लेखाओं की एक प्रति, जिस पर मैंने, उप गवर्नरों ने और मुख्य महाप्रबंधक ने हस्ताक्षर किए हैं और जो रिजर्व बैंक के लेखा-परीक्षकों द्वारा प्रमाणित है; और
- (ii) ३० जून २०१२ को समाप्त हुए वर्ष के दौरान रिजर्व बैंक के कामकाज पर केन्द्रीय बोर्ड की वार्षिक रिपोर्ट की दो प्रतियाँ।

भवदीय

डी. सुब्बाराव

[डी. सुब्बाराव]

केंद्रीय बोर्ड / स्थानीय बोर्ड

<p style="text-align: center;">गवर्नर डॉ. सुब्बाराव</p> <p style="text-align: center;">उप गवर्नर के.सी.चक्रवर्ती सुबीर गोकर्ण आनंद सिन्हा एच.आर.खान</p> <p style="text-align: center;">भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 8 (1) (ख) के अंतर्गत नामित निदेशक अनिल काकोडकर किरण कर्णिक एम.वी.राजीव गौड़ा</p> <p style="text-align: center;">भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 8 (1) (ग) के अंतर्गत नामित निदेशक वाई.एच.मालेगाम अजीम प्रेमजी कुमार मंगलम बिड़ला दीपंकर गुप्ता नजीब जंग जी.एम.राव इला भट्ट इंदिरा राजारामन</p> <p style="text-align: center;">भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 8 (1) (घ) के अंतर्गत नामित निदेशक डॉ. के.मित्तल अरविंद मायाराम</p>	<p style="text-align: center;">स्थानीय बोर्डों के सदस्य</p> <p style="text-align: center;">पश्चिमी क्षेत्र किरण कर्णिक के. वेंकटेशन दत्तराज वी. सालगांवकर जयंतीलाल बी. पटेल</p> <p style="text-align: center;">पूर्वी क्षेत्र अनिला कुमारी शरीफ उज्ज्ञमां लश्कर</p> <p style="text-align: center;">उत्तरी क्षेत्र अनिल काकोडकर राम नाथ कमल किशोर गुप्ता मिहिर कुमार मोहत्रा ए. नवीन भंडारी</p> <p style="text-align: center;">दक्षिणी क्षेत्र एम.वी.राजीव गौड़ा एम. गोविंद राव के. सेल्वराज किरण पांडुरंग</p>
---	--

2011-12¹ वर्ष की स्थिति

14 अगस्त 2012 को

¹ केंद्रीय बोर्ड/ स्थानीय बोर्ड के निदेशकों/ सदस्यों में 2011-12 के दौरान हुए परिवर्तनों की विस्तृत जानकारी के लिए अनुबंध I देखें।

प्रधान अधिकारी

(14 अगस्त 2012 की स्थिति के अनुसार)

कार्यपालक निदेशक

केंद्रीय कार्यालय
केंद्रीय सरकारी कक्ष
ग्राहक सेवा विभाग
बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग
बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग
संचार विभाग
मुद्रा प्रबंध विभाग
आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग
व्यव और बजार नियंत्रण विभाग
बांध निवेश और परिचालन विभाग
सरकारी और बैंक लेखा विभाग
सचना प्रौद्योगिकी विभाग
गैर-बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग
भूमालन और निपटान प्रणाली विभाग
सांख्यिकी और सूचना प्रबंध विभाग
वित्तीय बाजार विभाग
वित्तीय स्थिरता इकाई
विदेशी मुद्रा विभाग
मानव संसाधन प्रबंध विभाग
निरीक्षण विभाग
आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग
विधि विभाग
मौद्रिक नीति विभाग
परिसर विभाग
राजभाषा विभाग
जोखिम प्रबंध विभाग
ग्रामीण आयोजना और ऋण विभाग
संचिव विभाग
शहरी बैंक विभाग

महाविद्यालय

कृषि बैंकिंग महाविद्यालय, पुणे
रिजर्व बैंक स्टाफ महाविद्यालय, चेन्नै

कार्यालय

चेन्नै
कोलकाता
मुंबई
नई दिल्ली

शाखाएं

अहमदाबाद
बैंगलुरु
भोपाल
भुवनेश्वर
चडीगढ़
गुवाहाटी
हैदराबाद
जयपुर
जम्मू
कानपुर
लखनऊ
नागपुर
पटना
तिरुवनंतपुरम्

अंगरेजी
बलापुर
देहरादून
गंगाटोक
कोच्चि
पण्जी
रायपुर
रांची
शिलांग
शिमला
श्रीनगर

वी.के.शर्मा
जी. गोपालकृष्ण
दीपक मोहनी
एस. करुणसामी
आर. गोंदी
पी. विजय भास्कर
बी. महापात्र
जी.पद्मानाभन
जसबीर सिंह

काजा सुधाकर, मुख्य सरकारी अधिकारी
सुमा वर्मा, मुख्य महाप्रबंधक
दीपक सिंहल, प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक
जी. जगन्मोहन राव, प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक
अल्पना किल्लावाला, प्रेस संपर्क अधिकारी (ग्रेड एफ)
बी. पी. विजयेन्द्र, मुख्य महाप्रबंधक
बी. एम. मिश्रा, प्रभारी अधिकारी
बी. श्रीनिवास, मुख्य महाप्रबंधक
एस. एस. देब, मुख्य महाप्रबंधक
ए.के. बेरा, प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक
ए.एस. रामशत्री, प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक
उमा सुब्रमण्यम, प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक
विजय चुगा, मुख्य महाप्रबंधक
ए.बी. चक्रवर्ती, प्रभारी अधिकारी
जी. महालिंगम, मुख्य महाप्रबंधक
आर.जी.वारियर, मुख्य महाप्रबंधक
सुजाता ई.प्रसाद, मुख्य महाप्रबंधक
संदीप घोष, प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक
यू.एस. पालीवाल, मुख्य महाप्रबंधक
कै.के. वोहरा, मुख्य महाप्रबंधक
जी.एस. हेगडे, प्रधान विधि परामर्शदाता
ए.के.आर.आवादा, मुख्य महाप्रबंधक
रमाकांत गुप्ता, उप महाप्रबंधक
एस. कृष्ण मोहन, मुख्य महाप्रबंधक
सी.डी. श्रीनिवासन, मुख्य महाप्रबंधक
ग्रेस ई. कोशी, मुख्य महाप्रबंधक और सचिव
ए.उद्याता, प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक

प्रधानाचार्य

मीना हमचंद्र
जे. सदाकुम्हला
क्षेत्रीय निदेशक
एस.एस. विश्वनाथन
बी.पी.कानूनो
जे. बी. भौरिया
चंदन सिन्हा

सुदर्शन सेन
उमा शंकर
पी.आर.रवि मोहन
वी. रामचंद्र राव
एम. के. सिंह
प्रवुष्म कुमार जेना
ए.एस.राव
दीपाली पंत जोशी
कै.के. सराफ
के.आर. दास
रवि एन. मिश्रा
फूलन कुमार

सलीम गंगाधरन

प्रभारी अधिकारी
ए.के.पाडेय, महाप्रबंधक
एस. भट्टाचार, महाप्रबंधक
आर. एल. दास, महाप्रबंधक
ई.ई.काठक, महाप्रबंधक
सी.वी.जॉर्ज, महाप्रबंधक
जयचंद्र, महाप्रबंधक
निर्मल चंद, महाप्रबंधक
एच.एन. पड़ा, महाप्रबंधक
पी. श्याम सुंदर, महाप्रबंधक
आर. गुरुमौर्ति, महाप्रबंधक
बी. एस. कटोच, उप महाप्रबंधक

भाग एक : अर्थव्यवस्था : समीक्षा और संभावनाएं

I.	मूल्यांकन और संभावनाएं	1
	वर्ष 2011-12 का आकलन.....	2
	वर्ष 2012-13 के लिए संभावनाएं.....	6
	भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए मध्यावधिक चुनौतियां.....	9
II.	आर्थिक समीक्षा	16
	वास्तविक अर्थव्यवस्था.....	16
	मूल्य स्थिति	31
	मुद्रा तथा कर्ज	43
	वित्तीय बाजार	48
	सरकारी वित्त	58
	बाह्य क्षेत्र	66
भाग दो : भारतीय रिजर्व बैंक की कार्यप्रणाली और परिचालन		
III.	मौद्रिक नीति का परिचालन	75
	मौद्रिक नीति परिचालन : संदर्भ तथा औचित्य	75
IV.	ऋण सुपुर्दगी और वित्तीय समावेशन	83
	ऋण सुपुर्दगी	83
	वित्तीय समावेशन	88
	वित्तीय साक्षरता प्रयास	91
V.	वित्तीय बाजारों का विकास और विनियमन	93
	सरकारी प्रतिभूति बाजार.....	93
	विदेशी मुद्रा बाजार	95
	डिरिवेटिव बाजार	99
VI.	विनियमन, पर्यवेक्षण और वित्तीय स्थिरता	100
	वित्तीय स्थिरता का आकलन	100
	बैंकिंग क्षेत्र का आकलन	101
	वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड द्वारा लिये गये प्रमुख निर्णय	104
	वाणिज्य बैंक	105
	ग्राहक सेवा.....	108
	भारतीय बैंकिंग कोड और मानक बोर्ड	110
	शहरी सहकारी बैंक.....	111
	ग्रामीण सहकारी संस्थाएं.....	113
	निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम	113
	गैर - बैंकिंग वित्तीय कंपनियां	114

VII.	लोक ऋण प्रबंधन	119
	केंद्र सरकार का ऋण प्रबंधन	119
	राज्य सरकारों का ऋण प्रबंधन	121
VIII	मुद्रा प्रबंधन.....	125
	संचलन में बैंक नोट	125
	संचलन में सिक्के	125
	मुद्रा परिचालन	127
	स्वच्छ नोट नीति	127
	जाली बैंक नोट	128
	सिक्यूरिटी प्रिंटिंग एवं वितरण पर व्यय	129
IX.	भुगतान और निपटान प्रणाली तथा सूचना प्रौद्योगिकी	130
	विजन दस्तावेज 2009-12	131
	भुगतान प्रणाली की निगरानी	135
	अन्य गतिविधियां	136
	सूचना प्रौद्योगिकी	137
X.	अधिशासन, मानव संसाधन विकास तथा संगठनात्मक प्रबंधन	140
	बेहतर अधिशासन के लिए उठाए गए कदम	140
	बेहतर संवाद स्थापित करने के लिए की गई पहल	142
	मानव संसाधन विकास के लिए उठाए गए कदम	144
	संगठनात्मक प्रबंधन संबंधी किए गए उपाय	146
XI.	रिज़र्व बैंक का 2011-12 का लेखा.....	152
	आय.....	152
	व्यय.....	153
	तुलनपत्र	156
	महत्त्वपूर्ण लेखांकन नीतियां और वर्ष 2011-12 के लेखे पर टिप्पणियां	164
अनुबंध I	: केंद्रीय बोर्ड/स्थानीय बोर्डों के निदेशकों / सदस्यों में परिवर्तन का विवरण	168
अनुबंध II	: अप्रैल 2011 से जून 2012 के दौरान गवर्नर और उप गवर्नरों द्वारा दिए गए भाषणों की सूची.....	169
अनुबंध III	: 1 जुलाई 2011 से 30 जून 2012 के दौरान विदेशी प्रतिनिधि मंडलों का भारतीय रिज़र्व बैंक में आगमन	172

परिशिष्ट सारणियों की सूची

1.	समष्टि आर्थिक और वित्तीय संकेतक	173
2.	वास्तविक सकल देशी उत्पाद की वृद्धि दरें और क्षेत्रीय संरचना (2004-05 के मूल्यों पर)	176
3.	सकल देशी बचत और निवेश	177
4.	परिवारिक क्षेत्र की वित्तीय बचत (सकल)	178
5.	कृषि उत्पादन.....	179
6.	खाद्यान्न की खरीद, उठाव और स्टॉक.....	180
7.	औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक का रज्जान	181
8.	थोक मूल्य सूचकांक में घट-बढ़	182
9.	आरक्षित मुद्राओं में घट-बढ़	183
10.	मुद्रा स्टॉक में घट-बढ़	184
11.	सकल बैंक ऋण का क्षेत्रवार नियोजन	185
12.	पूंजी बाजार - प्राथमिक और द्वितीयक बाजार	186
13.	भारत के डेरिवेटिव बाजार में टर्नओवर	187
14.	भारतीय रूपये की वास्तविक प्रभावी विनिमय दर (रीर) और सांकेतिक प्रभावी विनिमय दर (नीर)	188
15.	प्रमुख राजकोषीय संकेतक	189
16.	राज्य सरकारों के बजटीय परिचालन	190
17.	भारत के निर्याति तथा आयात	191
18.	भारत का समग्र भुगतान संतुलन	192
19.	भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश प्रवाह : देश-वार तथा उद्योग-वार	193
20.	भारत का विदेशी मुद्रा भंडार	194
21.	भारत का बाह्य ऋण	195

बॉक्स

II.1	संरचनागत परिवर्तन सूचकांक - विभिन्न देशों की स्थिति की तुलना	17
II.2	क्या उत्पादन अंतराल मुद्रास्फीति का प्रमुख सूचक है?	21
II.3	क्षमता का उपयोग : भारत में प्रचलित अवधारणा और मापन पद्धति	27
II.4	मौद्रिक नीति और विदेशी मांग का सेवा क्षेत्र की वृद्धि पर प्रभाव	30
II.5	कृषि में आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन: फॉर्म स्थल से खुदरा बाजार तक	35
II.6	कोयले की कम आपूर्ति और दमित मुद्रास्फीति से निपटने के लिए कोल नीति में बदलाव की आवश्यकता ..	36
II.7	मुद्रास्फीति पर रुपये के मूल्यहास का प्रभाव	39
II.8	वेतन - कीमत चक्र का जोखिम : भारत के अनुभवजन्य साक्ष्य क्या दर्शाते हैं	41
II.9	मुद्रा की मांग	45
II.10	मौद्रिक प्रभाव - अंतरण के ब्याज दर और ऋण चैनल	47

पृष्ठ सं.

II.11	यूरो क्षेत्र संकट - नीतिगत कार्रवाई का एक मूल्यांकन.....	49
II.12	वित्तीय स्थिति सूचकांक.....	51
II.13	सरकारी प्रतिभूति बाजार की ट्रेडिंग गतिविधियों पर खुले बाजार परिचालन का प्रभाव	55
II.14	लोक कर्ज की वहनीयता	60
II.15	भारत में विनिवेश नीति	62
II.16	भारत में राजकोषीय गुणक.....	62
II.17	राज्यों की आकस्मिक देयताओं का राजकोषीय प्रभाव	65
II.18	भारत में स्वर्ण की माँग का निर्धारक	68
III.1	आधार दर प्रणाली : एक मूल्यांकन.....	78
III.2	बचत बैंक जमाराशि की ब्याज दर पर से नियंत्रण समाप्त करना - औचित्य तथा असर	79
III.3	सीमांत स्थायी सुविधा और बैंक दर के बीच समन्वय	80
III.4	चलनिधि प्रबंधन परिचालन	80
IV.1	प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार संबंधी समिति	84
IV.2	इलेक्ट्रॉनिक बेनिफिट ट्रांसफर (ईबीटी) और इसकी वित्तीय समावेशन योजना के साथ एकरूपता	90
IV.3	रिजर्व बैंक का आउटरीच कार्यक्रम	91
V.1	सरकारी प्रतिभूति और ब्याज दर डेरिवेटिव बाजार में चलनिधि बढ़ाने संबंधी कार्य दल	94
VI.1	अनर्जक अस्तियां और ऋण चक्र	103
VI.2	भारत पर वोल्कर नियम का प्रभाव	106
VI.3	गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ - आधारभूत संरचना ऋण निधि	115
VI.4	एनबीएफसी माइक्रोफाइनैंस संस्थाएं.....	115
VI.5	गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) क्षेत्र संबंधी विभिन्न मुद्दों और चिंताओं पर कार्यदल समूह के सुझाव	117
VI.6	गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की गैर-वित्तीय गतिविधियाँ	118
VIII.1	सिक्कों की माँग	126
IX.1	घरेलू मुद्रा अंतरण.....	134
IX.2	भुगतान प्रणाली : सदेश भेजने के उभरते मानक	138
IX.3	डैस्कटॉप आभासीकरण (वर्चुअलाइजेशन)	139
चार्ट		
II.1	सकल देशी उत्पाद में वृद्धि.....	17
II.2	सकल देशी उत्पाद का व्यय पक्ष	19
II.3	पारिवारिक क्षेत्र की वित्तीय बचत की स्थिति	20
II.4	2009 और 2012 में दक्षिण-पश्चिम मानसून और कृषि की स्थिति की तुलना	22

विषय-वस्तु

पृष्ठ सं.

II.5	औद्योगिक वृद्धि (वर्ष-दर-वर्ष)	24
II.6	औद्योगिक वृद्धि - वर्गीकरण के अनुसार	25
II.7	बुनियादी संरचना उद्योग में वृद्धि	26
II.8	विनिर्माण और बिजली की वृद्धि का संबंध	26
II.9	सेवा क्षेत्र के सकल देशी उत्पाद में वृद्धि.....	28
II.10	भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा सड़क परियोजनाओं का कार्यान्वयन	29
II.11	रोजगार	31
II.12	मुद्रास्फीति की प्रवृत्ति और उतार-चढ़ाव	32
II.13	थोक मूल्य सूचकांक की प्रवृत्ति	33
II.14	मुद्रास्फीति में भारित योगदान (प्रतिशत में) : प्रमुख समूह	34
II.15	खाद्य मुद्रास्फीति की प्रवृत्ति	34
II.16	वैश्विक और घरेलू ईंधन की कीमतें	36
II.17	खाद्येतर विनिर्मित उत्पाद सूचकांक, मुद्रास्फीति और माह-दर-माह मौसमी समायोजित वार्षिकीकृत परिवर्तन	37
II.18	पण्य की वैश्विक कीमतों की प्रवृत्ति	38
II.19	वेतन और स्टाफ लागत की प्रवृत्ति	40
II.20	ग्रामीण मजदूर (सीपी-आरएल) और ग्रामीण वेतन के लिए सीपीआई में बढ़ोतरी	40
II.21	थोक मूल्य सूचकांक और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति.....	42
II.22	आरक्षित मुद्रा में वृद्धि	43
II.23	आरक्षित मुद्रा में संवृद्धि	44
II.24	मुद्रा गुणक	45
II.25	व्यापक मुद्रा और आरक्षित मुद्रा में संवृद्धि.....	46
II.26	खाद्येतर ऋण में वृद्धि	47
II.27	अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की समग्र जमाराशि तथा बैंक ऋण	51
II.28	वित्तीय बाजार में नीति दरों का संप्रेषण.....	53
II.29	घरेलू मुद्रा बाजार और सरकारी प्रतिभूति बाजार में गतिविधियां	54
II.30	प्रतिभूति बाजार में उतार-चढ़ाव	56
II.31	प्रमुख करेंसियों की तुलना में विनिमय दर में उतार-चढ़ाव	57
II.32	आवास बाजार में प्रवृत्ति	58
II.33	केंद्र सरकार के महत्वपूर्ण घाटा संकेतक	59
II.34	सामान्य सरकारी राजस्व में रुक्षान	61
II.35	विनिवेश प्राप्तियां - बजट बनाम वास्तविक	61
II.36	जीएफडी और वित्तीयन अंतर (एफजीपी) की तुलना.....	61
II.37	केंद्र सरकार की प्रमुख सब्सिडियां.....	64

पृष्ठ सं.

II.38	निर्यात और आयात	67
II.39	भुगतान संतुलन के प्रमुख घटकों की प्रवृत्ति.....	70
II.40	अदृश्य प्राप्तियों के प्रमुख घटकों की वृद्धि	70
II.41	पूँजी प्रवाह के प्रमुख घटकों की प्रवृत्ति (निवल)	71
II.42	बाह्य ऋण संकेतक.....	71
II.43	डॉलर की तुलना में प्रमुख ईडीई मुद्राओं में उतार-चढ़ाव.....	72
II.44	भारत में विनिमय दर का लचीलापन.....	73
III.1	मांग मुद्रा दर में उतार-चढ़ाव	77
VII.1	केंद्र सरकार की शेष नकद राशि	121
VIII.1	सिक्यूरिटी प्रिंटिंग की लागत (बिलियन रुपये में)	129

पाठ सारणियां

II.1	बचत और निवेश दर	19
II.2	भारत में उच्च मुद्रास्फीति के दौर : 1971 से 2012.....	33
II.3	डब्ल्यूपीआई और नई सीपीआई (संयुक्त) मुद्रास्फीति	42
III.1	प्रमुख नीति चरों में उतार-चढ़ाव.....	76
IV.1	अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार.....	83
IV.2	कृषि के लिए प्रत्यक्ष अग्रिमों की वसूली	85
IV.3	उधार देने वाली संस्थाओं को केंद्र सरकार द्वारा की गई प्रतिपूर्ति की राशि.....	85
IV.4	अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा अति लघु और लघु उद्यम क्षेत्र को ऋण	86
IV.5	भारत में वित्तीय समावेशन संबंधी प्रमुख सांख्यिकी - एक सर्वेक्षण	88
IV.6	वित्तीय समावेशन योजना में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की प्रगति (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)	89
VI.1	चुनिंदा वित्तीय संकेतक	102
VI.2	बैंक समूह-वार अनर्जक आस्तियों का अनुपात	102
VI.3	एएमएल/ केवाईसी/सीएफटी के उल्लंघन के विरुद्ध कार्रवाई	108
VI.4	31 मार्च 2012 तक विलयन/अभिग्रहण की वर्ष-वार प्रगति	112
VI.5	शहरी सहकारी बैंकों की विलयन/अभिग्रहण की राज्यवार प्रगति	112
VII.1	केंद्र सरकार द्वारा ली गई सकल और निवल उधार राशि.....	120
VII.2	केंद्र सरकार द्वारा बाजार से लिए गए ऋण - एक विवेचन	120
VII.3	भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों का निर्गम - परिपक्वता का स्वरूप	121
VII.4	राज्य सरकारों द्वारा बाजार से लिए गए उधार.....	122
VII.5	राज्य विकास संबंधी बकाया ऋणों और पॉवर बांडों की अवशिष्ट परिपक्वता अवधि का विवरण	122
VII.6	अर्थोपाय अग्रिम /ओवरड्राफ्ट का उपयोग और राज्य सरकारों का निवेश	122

विषय-वस्तु

पृष्ठ सं.

VII.7	राज्य सरकारों ने कितने दिन विशेष/सामान्य अर्थोपाय अग्रिम और ओवरड्राफ्ट लिए.....	123
VII.8	राज्य सरकारों/संघ-शासित क्षेत्रों द्वारा नीलामी खजाना बिलों और मध्यवर्ती खजाना बिलों में किए गए निवेश	123
VIII.1	संचलन में बैंक नोट	126
VIII.2	संचलन में सिक्के	126
VIII.3	करेंसी चेस्ट और छोटा सिक्का डिपो (दिसंबर 2011 के अंत में)	127
VIII.4	बैंक नोटों की मांग एवं आपूर्ति	127
VIII.5	सिक्कों की मांग एवं आपूर्ति	128
VIII.6	गंदे बैंक नोटों का निपटान एवं नए बैंक नोटों की आपूर्ति.....	128
VIII.7	पता लगाए गए जाली नोट	128
IX.1	भुगतान प्रणाली के सकेतक - वार्षिक कारोबार	130
X.1	रिजर्व बैंक प्रशिक्षण केंद्र - संचालित कार्यक्रम.....	145
X.2	भारत तथा विदेश में बाहरी प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षित अधिकारियों की संख्या	145
X.3	रिजर्व बैंक द्वारा भर्ती - 2011	146
X.4	श्रेणी-वार स्टाफ की वास्तविक संख्या.....	147
X.5	रिजर्व बैंक की कुल स्टाफ संख्या.....	148
X.6	रिजर्व बैंक की कार्यालय-वार स्टाफ सदस्यों की संख्या.....	148
XI.1	सकल आय	153
XI.2	विदेशी स्रोतों से अर्जन.....	153
XI.3	देशी स्रोतों से अर्जन	154
XI.4	व्यय.....	154
XI.5	सकल आय, व्यय और निवल प्रयोज्य आय की प्रवृत्तियां	155
XI.6	आकस्मिक तथा आस्ति विकास आरक्षित निधि और सरकार को अधिशेष का अंतरण.....	156
XI.7	मुद्रा और स्वर्ण पुनर्मूल्यन खाते (सीजीआरए), विदेशी मुद्रा समकरण खाते (ईईए)और निवेश पुनर्मूल्यन खाते (आईआरए)में शेष राशियां	158
XI.8	आकस्मिक आरक्षित निधि और आस्ति विकास आरक्षित निधि में शेष राशियां.....	158
XI.9	विदेशी मुद्रा आस्तियां और देशी आस्तियां	159
XI.10	विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि.....	159
XI.11	सहायक/अनुषंगी संस्थाओं के शेयरों में निवेश	160

संक्षेपाक्षर - सूची

एडी	- प्राधिकृत व्यापारी	सीसीपी	- केंद्रीय प्रतिपक्षकार
एडीएफ	- स्वचालित डेटा प्रवाह	सीटी	- जमा प्रमाणपत्र
एडीआर	- अमरीकी निक्षेपागार रसीद	सीडीएस	- ऋण चूक स्वैप
ई	- उन्नत अर्थव्यवस्था	सीएफटीसी	- पण्य वायदा ट्रेडिंग आयोग
ईपीएस	- आधार समर्थित भुगतान प्रणाली	सीजीटीएमएसई	- सूक्ष्म और लघु उद्यम ऋण गारंटी निधि न्यास
एआईसी	- अकाइके सूचना कसौटी	सीआईसी	- केंद्रीय सूचना आयोग
एएमएल / सीएफटी	- धनशोधन निवारण / आतंकवाद के वित्त-पोषण को रोकना	सीआईएल	- कोल इंडिया लिमिटेड
एएनबीसी	- समायोजित निवल बैंक ऋण	सीएनपी	- कार्ड प्रयुक्त नहीं
एपी	- आंध्र प्रदेश	सीओडी	- वाणिज्यिक परिचालन तिथि
एपीएमसी	- कृषि उत्पाद विपणन समिति	सीपी	- पंजीकरण प्रमाणपत्र
एआरएमएस	- लेखा परीक्षा और जोखिम प्रबंधन उप-समिति	सीपी	- वाणिज्यिक पत्र
एटीबीज	- नीलामी खजाना बिल	सीपीआई	- कार्ड प्रयुक्त
एटीएम	- स्वचालित टेलर मशीन	सीपीएस	- उपभोक्ता मूल्य सूचकांक
बीसी	- बिज़नेस कारेस्पांडेट	सीपीएसएस	- केन्द्रीयकृत भुगतान प्रणाली
बीसीबीएस	- बैंकिंग पर्यवेक्षण संबंधी बासल समिति	सीआरएसआर	- भुगतान और निपटान प्रणाली समिति
बीसीएम	- कारोबार निरंतरता प्रबंधन	सीआरसीएस	- जोखिम-भारित आस्तियों और पूंजी का अनुपात
बीसीपी	- कारोबार निरंतरता योजना	सीआरई	- सहकारी समितियों के केंद्रीय पंजीयक
बीसीपीज	- बासल मूल सिद्धांत	सीआरआर	- आरक्षित नकदी निधि अनुपात
बीसीएसबीआई	- भारतीय बैंकिंग कोड और मानक बोर्ड	सीएसएफ	- समेकित ऋण-शोधन निधि
बीई	- बजट अनुमान	सीएसओ	- केन्द्रीय सांख्यिकीय कार्यालय
बीएफएस	- वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड	सीएसपी	- ग्राहक सेवा स्थान
बीओपी	- भुगतान संतुलन	सीटीएस	- चेक ट्रैकेशन प्रणाली
बीपीएम	- भुगतान संतुलन नियमावली	सीयू	- क्षमता उपयोग
बीपीओ	- व्यवसाय प्रक्रिया आउटसोर्सिंग	सीडब्ल्यूसी	- केंद्रीय जल आयोग
बीपीआर	- बिज़नेस प्रोसेस रिइंजीनियरिंग	डीसीसीबी	- जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक
बीपीएस	- आधार अंक	डीडीए	- हीरा डॉलर खाता
बीएसई	- बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज	डीआईसीजीसी	- निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम
सीएबी	- कृषि बैंकिंग महाविद्यालय	डीआईएफ	- जमा बीमा निधि
सीएडी	- चालू खाता घाटा	डीएमटी	- प्रत्यक्ष धन अंतरण
सीएपीआईओएस	- केन्द्रीय सहायक जन सूचना अधिकारी	डीपी	- गतिशील प्रावधानीकरण
सीबीएलओ	- संपादिकीकृत उधार लेने और उधार देने संबंधी दायित्व	डीआर	- डिजेस्टर रिकवरी
सीबीएस	- कोर बैंकिंग समाधान	डीआरआई	- विभेदक ब्याज दर
सीबीएसई	- केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड	डीटीसी	- प्रत्यक्ष कर कोड
सीसीबी	- पूंजी संरक्षण बफर	डीवीपी	- सुपुर्दगी बनाम भुगतान
सीसीबी (अध्याय-X)	- केन्द्रीय बोर्ड समिति	ईबीटी	- इलेक्ट्रॉनिक बेनिफिट ट्रांसफर
सीसीआइएल	- भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड	ईसीबी	- यूरोपीय केन्द्रीय बैंक
		ईसीबीज	- बाह्य वाणिज्यिक उधार

संक्षेपाक्षर - सूची

ईसीसीएस	- द्रुतगामी चेक समाशोधन प्रणाली	जीएचजीज़	- ग्रीन हाउस गैस
ईसीएस	- इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा	जीएनपी	- सकल राष्ट्रीय उत्पाद
ईडीईज़	- उभरती और विकासशील अर्थव्यवस्थाएं	जीओआई	- भारत सरकार
ईईएफसी	- विदेशी मुद्रा अर्जक विदेशी मुद्रा	जीआरएफ	- गारंटी मोचन निधि
ईएफएसएफ	- यूरोपीय वित्तीय स्थिरता संबंधी सुविधा	जीआरएम	- शिकायत निवारण तंत्र
ईएफएसएम	- यूरोपीय वित्तीय स्थिरता प्रणाली	जी-सेक	- सरकारी प्रतिभूतियाँ
ईफटी	- इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण	जीएसटी	- माल और सेवा कर
ईकपी	- उद्यम ज्ञान पोर्टल	एचपी	- हॉटिक प्रेसकॉर्ट
ईएल	- अनुमानित हानि	एचटीएम	- परिपक्वता तक धारित
ईएमईज़	- उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाएं	एचवीसी	- उच्च मूल्य समाशोधन
ईआरपीटी	- विनिय दर पास-थू	आईएडीआई	- अंतरराष्ट्रीय जमा बीमाकर्ता संगठन
ईएसएम	- यूरोपीय स्थिरता तंत्र	आईएएस	- भारतीय लेखांकन मानक
ईटीएफ	- एक्सचेंज ट्रेडिंग फंड	आईबीए	- भारतीय बैंक संघ
ईयू	- यूरोपीय संघ	आईसीटी	- सूचना और संचार प्रौद्योगिकी
एफसी	- वित्तीय संगुट	आईडीएफ	- आधारभूत क्रण निधि
एफसीसीबी	- विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांड	आईडीआरबीटी	- बैंकिंग विकास और अनुसंधान संस्थान
एफसीआई	- वित्तीय स्थिति सूचकांक	आईएफआरएस	- अंतरराष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानक
एफडीआई	- विदेशी प्रत्यक्ष निवेश	आईजीआईडीआर	- इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान
एफईएमए	- विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम	आईआईबीएम	- भारतीय बैंक प्रबंध संस्थान
एफआईआईज़	- विदेशी संस्थागत निवेशक	आईआईपी	- औद्योगिक उत्पादन सूचकांक
एफआईएमएमडीए	- निर्धारित आय मुद्रा बाजार और डेरिविटिव संघ	आईएमडी	- भारतीय मौसम विभाग
एफआईपी	- वित्तीय समावेशन योजना	आईएमएफ	- अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष
एफआईआर	- प्रथम सूचना रिपोर्ट	आईएमओ	- तत्काल धनादेश
एफआईज़	- वित्तीय संस्थाएं	आईएनआर	- भारतीय रुपया
एफएलसी	- वित्तीय साक्षरता केंद्र	आईएनआरएस	- समन्वित प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन
एफएलसीसी	- वित्तीय साक्षरता और ऋण परामर्श केन्द्र	आईओएससीओ	- अंतरराष्ट्रीय प्रतिभूति आयोग संगठन
एफआरबीएम एक्ट	- राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंध अधिनियम	आईपी	- इंटरनेट प्रोटोकॉल
एफएसए	- ईधन आपूर्ति करार	आईपीएम	- समन्वित महामारी प्रबंधन
एफएसएपी	- वित्तीय क्षेत्र मूल्यांकन कार्यक्रम	आईपीओ	- आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव
एफएसबी	- वित्तीय स्थिरता बोर्ड	आईआरडी	- ब्याज दर डेरिविटिव
एफएसडीसी	- वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद	आईआरडीए	- बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण
जीएच	- गिल्ट खाताधारक	आईआरएफ	- ब्याज दर फ्यूचर्स
जीसीसीज़	- सामान्य क्रेडिट कार्ड	आईएस ऑडिटस्	- ब्याज दर स्वैप
जीडीपी	- सकल देशी उत्पाद	आईएसओ	- सूचना प्रौद्योगिकी
जीडीआर	- वैश्विक निक्षेपागार रसीद	आईटी	- अंतरराष्ट्रीय मानक संगठन
जीडीएस	- सकल देशी बचत	आईटीबी	- सूचना प्रौद्योगिकी
जीएफसीएफ	- सकल अचल पूँजी निर्माण	आईटीपी	- मध्यवर्ती खजाना बिल
जीएफटी	- सकल राजकोषीय घाटा		- भारत - अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष प्रशिक्षण कार्यक्रम

संक्षेपाक्षर - सूची

केसीसी	- किसान क्रेडिट कार्ड	एनएचएआई	- भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
केवाईसी	- अपने ग्राहक को जानिए	एनएचबी	- राष्ट्रीय आवास बैंक
एलएएफ	- चलनिधि समायोजन सुविधा	एनआईबीएम	- राष्ट्रीय बैंक प्रबंध संस्थान
एलसी	- साख-पत्र	एनआईएफ	- राष्ट्रीय निवेश निधि
एलडीएम	- अग्रणी जिला प्रबंधक	एनआईएम	- निवल व्याज मार्जिन
एलईआईएसए	- कम बाह्य इनपुट सक्षम कृषि	एनएमआईजेड	- राष्ट्रीय विनिर्माण निवेश क्षेत्र
एलआरएस	- उदारीकृत प्रेषण योजना	एनओसी	- अनापत्ति प्रमाणपत्र
एलटीआरओ	- दीर्घकालिक पुनर्वितीय क्रिया-कलाप	एनओएफ	- निवल स्वाधिकृत निधि
एमएएसआई	- प्रबंधन लेखा परीक्षा प्रणाली निरीक्षण	एनओओपीएल	- निवल ओवरनाइट ओपेन पोजीशन सीमा
एमईएफएस	- मध्यम कालिक व्यय ढांचा विवरण	एनपीए	- अनर्जक आस्तियां
एमएफआई	- माझकोफाइनैंस संस्था	एनपीसीआई	- भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम
एमएफज	- म्यूच्युअल फंड	एनआरआई	- अनिवासी भारतीय
एमएनआरईजीएस/ए	- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना/अधिनियम	एनएसएम	- नोट छंटाई मशीन
एमआईसीआर	- चुंबकीय स्याही चिह्न पहचान (माझकर)	ओबीसी	- अन्य पिछड़ा वर्ग
एमएनओज	- मोबाइल नेटवर्क परिचालक	ओडी	- ओवरड्राफ्ट
एमओयू	- समझौता ज्ञापन	ओईसीडी	- आर्थिक सहयोग और विकास संगठन
एमएरसई	- अति लघु और लघु उद्यम	ओएमओ	- खुला बाजार परिचालन
एमएसएफ	- सीमांत स्थायी सुविधा	ओपीईसी	- पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन
एमएसएमई	- अति लघु, लघु और मझोले उद्यम	ओआरएफएस	- ऑनलाइन रिटर्न फाइलिंग प्रणाली
एमटी	- मिलियन टन	ओटीसी	- ओवर दि काउंटर
नाबार्ड	- राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक	पीएसीएस	- प्राथमिक कृषि ऋण समितियाँ
एनएएम	- संपूर्ण मूल्य मानदंड	पीडी	- प्राथमिक व्यापारी
एनबीएफसीज	- गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां	पीडीओ	- लोक ऋण कार्यालय
एनबीएफसीज-एनडी-एसआई	- जमा न लेने वाली प्रणाली गत रूप से महत्वपूर्ण गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां	पीएफआरडीए	- पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण
एनसीईआर	- राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद	पीआईओज	- भारतीय मूल के व्यक्ति
एनसीडी	- अपरवर्तनीय डिबोनेर	पीओएल	- पेट्रोलियम, तेल और लुब्रिकेंट
एनसीईआरटी	- राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद	पीओएस	- बिक्री केंद्र
एनडीए	- निवल घरेलू आस्तियां	पीपीआई	- पूर्वदत्त भुगतान लिखत
एनडीएफ	- अपूरणीय वायदा	पीपीपी	- सरकारी और निजी क्षेत्र की भागीदारी
एनडीएस-ओएम	- वार्तातीय लेन-देन प्रणाली-ऑर्डर मैचिंग प्रणाली	पीआरएन	- उत्पादन भारित वर्षा सूचकांक
एनडीटीएल	- निवल मांग और मीयादी देयताएं	पीएसबी	- सरकारी क्षेत्र के बैंक
एनईसीएस	- राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवाएं	पीएसएलसीज	- प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार प्रमाणपत्र
एनईएफटी	- राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण	पीएसएस एकट.	- भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम
एनईआर	- उत्तर-पूर्व क्षेत्र	पीएसयू	- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक
एनएफए	- निवल विदेशी आस्तियां	पी2पी	- व्यक्ति से व्यक्ति
एनजीओ	- गैर-सरकारी संगठन	क्यूएफआईज	- पात्र विदेशी निवेशक
एनजीआरटीजीएस	- अगली पीढ़ी आरटीजीएस	आरएडी	- अनुसंधान और विकास
		आरबीआई	- भारतीय रिजर्व बैंक

संक्षेपाक्षर - सूची

आरबीआईए	- जोखिम आधारित आंतरिक लेखा परीक्षा	एसएलआर	- सांविधिक चलनिधि अनुपात
आरबीएससी	- रिजर्व बैंक स्टाफ महाविद्यालय	एसपीडीयूज़	- राज्य विद्युत वितरण उपयोगिताएं
आरसीएस	- सहकारी समितियों के पंजीयक	एसटीसीबी	- राज्य सहकारी बैंक
आरई	- संशोधित अनुमान	एसटीसीआरसी	- अल्पावधिक सहकारी ग्रामीण ऋण
आरईसीएस	- क्षेत्रीय इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा	एसडब्ल्यूआईएफटी	- विश्वव्यापी अंतर बैंक वित्तीय दूरसंचार समिती
आरईआर	- वास्तविक प्रभावी विनिमय दर	टीएजी	- तकनीकी परामर्शदात्री समूह
आरएफसी	- निवासी विदेशी मुद्रा	टी-बिल	- खजाना बिल
आरआईडीएफ	- ग्रामीण आधारभूत विकास निधि	टीसीओ	- स्वामित्व की कुल लागत
आरएमडी	- जोखिम प्रबंधन विभाग	टीएचएफसी	- तेरहवां वित्त आयोग
आरओए	- आस्तियों पर प्रतिलाभ	टीपीडीएस	- लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली
आरओई	- इक्विटी पर प्रतिलाभ	टीआरज	- व्यापार रिपोजिटरी
आरआरबी	- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	यूसीबीज़	- शहरी सहकारी बैंक
आरटीजीएस	- तत्काल सकल निपटान प्रणाली	यूएसडी	- अमरीकी डालर
आरटीआई	- सूचना का अधिकार	यूएसएसडी	- अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा
एस एंड पी	- स्टैंडर्ड एण्ड पुअर्स	वीए-पीटी	- दुर्बलता मूल्यांकन - प्रवेश परीक्षण
एसएएआरसी	- दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन	वीएआर	- वेक्टर आटो रिग्रेसन
एससी	- अनुसूचित जाति	वीसी	- वीडिओ कॉन्फ्रेसिंग
एससीबीज़	- अनुसूचित वाणिज्य बैंक	वीडीआई	- वर्चुअल डेस्कटॉप इंटरफेस
एससीआई	- संरचनात्मक परिवर्तन सूचकांक	डब्ल्यूएडीआर	- भारित औसत छूट दर
एसटीएस	- विशेष व्यवस्था योजना	डब्ल्यूएईआईआर	- भारित औसत प्रभावी ब्याज दर
एसईबीआई	- भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड	डब्ल्यूएलए	- ह्लाइट लेबल एटीएम
एसईसी	- प्रतिभूति और विनिमय आयोग	डब्ल्यूएमए	- अर्थोपाय अग्रिम
एसएफएमएस	- स्ट्रक्चर्ड फाइनेंशियल मैसेजिंग सोलूशन	डब्ल्यूपीआई	- थोक मूल्य सूचकांक
एसजीएल	- सहायक सामान्य बही खाता	डब्ल्यूपीआर	- कार्य सहभागिता दर
एसएचजी	- स्वयं सहायता समूह	एक्सएमएल	- एक्सटेंसिबिल मार्क-अप लैंग्वेज
एसआईडीबीआई	- भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक	जेडटीसी	- आंचलिक प्रशिक्षण केंद्र
एसएलबीसी	- राज्य स्तरीय बैंकर समिति		

**यह रिपोर्ट इंटरनेट URL : www.rbi.org.in
पर भी देखी जा सकती है**

भारतीय रिज़र्व बैंक की कार्यप्रणाली की वार्षिक रिपोर्ट

1 जुलाई 2011 से 30 जून 2012 तक*

भाग एक : अर्थव्यवस्था - समीक्षा और संभावनाएं

I

मूल्यांकन और संभावनाएं

वर्ष 2011-12 में वृद्धि में कमी आने के साथ-साथ मुद्रास्फीति भी कम हुई। वर्ष 2012-13 में, वृद्धि के पिछले वर्ष के स्तर के आस-पास ही रहने की संभावना है। लेकिन कम मानसून के कारण पैदा हुए जोखिमों के चलते मुद्रास्फीति के वर्तमान 7 प्रतिशत के आस-पास बने रहने की संभावना है। साथ ही दोहरे घाटे के जोखिम बढ़ गए हैं जिससे समष्टि-आर्थिक स्थिरता के संबंध में चिंताएं बढ़ गई हैं। मुद्रास्फीति को बिना बढ़ाए, वृद्धि के लिए प्रत्यक्ष वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए राजकोषीय और मौद्रिक सहायता प्रदान करने की गुंजाइश के सीमित होने के कारण खर्चों की प्राथमिकता बदलने की रणनीति जरूरी है जिससे, सब्सिडी में कमी लाकर और निजी निवेश बढ़ाने के लिए पूँजी खर्च बढ़ाकर, सरकार के राजस्व व्यय को कम किया जा सके। मध्यम अवधि में, वस्तु और सेवा कर का कार्यान्वयन, तथा इन्फ्रास्ट्रक्चर में निवेश में बाधा डालने वाले मुद्दों का समाधान करना, संकट के बाद की अवधि में दुष्प्रभावित भारत की वृद्धि की संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण हो गए हैं। रिज़र्व बैंक मध्यम अवधि में वृद्धि की निरंतरता बढ़ाने के लिए मूल्यस्थिरता पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। लेकिन इसकी वित्तीय नीति के मानवीय चेहरे को, प्रभावी वित्तीय समावेशन पर अधिक जोर देकर, सुदृढ़ किया जा सकता है।

I.1 दो वर्षों के अपेक्षाकृत अच्छे कार्यानिष्पादन के बाद वर्ष 2011-12 में वृद्धि में कमी आ गई और यह देश की अर्थव्यवस्था की क्षमता से नीचे गिर गई। वृद्धि में यह कमी घरेलू और वैश्विक कारणों का मिला-जुला परिणाम थी। वैश्विक समष्टि-आर्थिक और वित्तीय अनिश्चितता, कमज़ोर बाव्य मांग, बढ़ी हुई कीमतों, बढ़ते हुए दोहरे घाटे और गिरते हुए निवेश ने मिल-जुल कर वृद्धि पर प्रतिकूल प्रभाव डाला। संरचनात्मक बाधाओं, नीतिगत अनिश्चितता, मुद्रास्फीति की निरंतरता और बढ़ती हुई ब्याज दरों के कारण निवेश के वातावरण में गिरावट आई।

I.2 व्यापक राजकोषीय और चालू खाता घाटे के बीच दो वर्षों की उच्च मुद्रास्फीति के परिणामस्वरूप लोक-कल्याण पर विपरीत प्रभाव पड़ा होगा। इसका बचत और निवेश, विशेष रूप से वित्तीय आस्तियों में घरेलू बचत पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। मुद्रास्फीति ने बचाई गई राशि का मूल्य कम करके भावी खपत बास्केट में परिवर्तन ला दिया तथा इस प्रकार वर्तमान उपभोग को अधिक आकर्षक बना

दिया। बचतकर्ताओं की नकदी-धारिता और नियत आय वाले उत्पादों के वास्तविक मूल्य में गिरावट आ जाती है।

I.3 मुद्रास्फीति का सर्वाधिक गंभीर परिणाम निर्धनों पर, सामाजिक सुरक्षा का अभाव झेल रहे लोगों पर और पेंशनभोगियों पर वितरण संबंधी दुष्प्रभाव के रूप में पड़ता है। निर्धन परिवार वर्तमान कीमतों पर अपनी खपत का वर्तमान स्तर बनाए रखने में असमर्थ होते हैं और इसलिए मुद्रास्फीति की स्थिति में उनकी हालत पहले से खराब हो जाती है। 2011-12 के दौरान वृद्धि भी मंद हो गयी थी जिसका आंशिक कारण उच्च मुद्रास्फीति थी। इसने जन सामान्य के कल्याण को और कम कर दिया क्योंकि पहले इसका विपरीत प्रभाव रोजगार और आय पर पड़ा और दूसरे, कम वृद्धि के कारण निर्धनों को मिलने वाले कुछ लाभ और कम हो गए।

I.4 कल्याणकारी कार्यों तथा धारणीय विकास पर उच्च मुद्रास्फीति के प्रतिकूल प्रभावों को दृष्टिगत रखते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक ने उच्च मुद्रास्फीति का मुकाबला मौद्रिक नीति को कठोर

* भारतीय रिज़र्व बैंक का लेखा वर्ष जुलाई-जून है, लेकिन कई चरों से संबंधित आंकड़े वित्त वर्ष अर्थात् अप्रैल-मार्च के आधार पर उपलब्ध हैं। अतः ऐसे आंकड़ों का विश्लेषण वित्त वर्ष के आधार पर किया गया है। संबंधित आंकड़े उपलब्ध होने पर, मध्य अगस्त तक उपलब्ध सूचना के आधार पर, उन्हें मार्च 2012 के बाद भी अद्यतन किया गया है। विश्लेषण के प्रयोजन से तथा नीतियों का तुलनात्मक महत्व दर्शनी के लिए रिपोर्ट में आवश्यकतानुसार पिछले वर्षों तथा भावी अवधि के संदर्भ भी दिये गए हैं।

बनाकर किया। मौद्रिक नीति के कठोर बनाए जाने तथा अनेक अन्य कारणों ने वृद्धि को कम करके पिछले 9 वर्षों के न्यूनतम स्तर पर ला दिया। वर्ष के परवर्ती भाग में मुद्रास्फीति में गिरावट तो आई, लेकिन वृद्धि में कमी आने और दोहरे घाटे में वृद्धि होने के कारण समष्टि-आर्थिक जोखिम बढ़ गये। इससे समष्टि आर्थिक प्रबंधन के लिए कठिन चुनौतियाँ पैदा हो गई। पहला, वृद्धि की दृष्टि से भारत का कार्यनिष्ठादन भारत जैसी अर्थव्यवस्था वाले अधिकांश देशों से बेहतर रहा, लेकिन इसकी क्षमता और वास्तविक वृद्धि में कमी आई। दूसरा, उपर्युक्त कारणों से निवेश में मंदी बढ़कर और गंभीर हो गई। तीसरा, राजकोषीय गिरावट के कारण ब्याज दरों पर कुछ दबाव बढ़ा तथा निजी निवेशकों ने अपने निवेश वापस ले लिये। चौथा, विशेषतः चालू खाता घाटा बढ़ने से, जिसका आंशिक कारण सकल माँग पर भारी सरकारी खर्च का प्रभाव था, बाह्य क्षेत्र की सुदृढ़ता कमज़ोर हुई। पाँचवां, मुद्रास्फीति के दबे होने और रुपये के मूल्यहास के अपूर्ण प्रभाव के कारण, मुद्रास्फीति में आई कमी के कारण बहुत सीमित सहूलियत की स्थिति पैदा हुई।

I.5 निरंतर बनी हुई मुद्रास्फीति और बढ़ते हुए दोहरे घाटों के कारण वर्ष 2011-12 में रिजर्व बैंक द्वारा उठाये जाने वाले प्रतिचक्रीय उपायों पर दुष्प्रभाव पड़ा। अक्टूबर 2011 तक मौद्रिक नीति को कठोर बनाये जाने के बाद, रिजर्व बैंक ने नीति दरों में वृद्धि करना रोक दिया क्योंकि वृद्धि के लिए जोखिम बढ़ गये। वर्ष 2011-12 की चौथी तिमाही में चलनिधि की स्थिति के अत्यंत खराब हो जाने और इस आकलन के कारण कि मुद्रास्फीति कम होकर अनुमानित स्तर के भीतर आ जायेगी, रिजर्व बैंक ने बैंकिंग प्रणाली में मुद्रा और चलनिधि में वृद्धि करने का काम शुरू किया। रिजर्व बैंक ने समष्टि-आर्थिक परिवेश में गिरावट के बीच, नीति दरों को कम करने के लिए अप्रैल 2012 में अन्य उपलब्ध उपायों का प्रयोग किया।

I.6 आगे चलकर दोहरे घाटे को कम करने को प्राथमिकता दी जानी चाहिए ताकि संभाव्य वृद्धि को सहारा दिया जा सके, भले ही इसका आशय अल्पावधि में रिकवरी की गति का मंद होना हो। एक स्थिर समष्टि-आर्थिक परिवेश, बचत को बढ़ावा देने के लिए पूरक समष्टि और व्यष्टि आर्थिक नीतियाँ, निवेश और समावेशी वृद्धि, मध्यम अवधि में निरंतर आधार पर 8-8.5 प्रतिशत की दर पर वृद्धि भारत की क्षमता को वापस लाने में सहायक हो सकते हैं।

वर्ष 2011-12 का आकलन

I.7 वर्ष 2011-12 में प्रत्येक परवर्ती तिमाही में वृद्धि में कमी आई। दूसरी ओर औसत मुद्रास्फीति उच्च स्तर पर बनी रही लेकिन वर्ष के अंतिम चार महीनों में यह कम हो गई। वृद्धि-मुद्रास्फीति के

सहसंबंध के परिप्रेक्ष्य में मौद्रिक और राजकोषीय-दोनों नीतियों की भूमिका तथा आस्तियों की गुणवत्ता की वृद्धि में कमी आने में उनके प्रभावों का आकलन नीचे दिया गया है।

वृद्धि में कमी लाने में मौद्रिक और गैर-मौद्रिक कारकों की भूमिका

I.8 वर्ष 2009-10 और 2010-11 में 8.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करने के बाद वर्ष 2011-12 में वृद्धि गिरकर 6.5 प्रतिशत पर आ गई। वर्ष 2011-12 की चौथी तिमाही में 5.3 प्रतिशत की वृद्धि 29 तिमाहियों में सबसे कम थी। प्रारंभिक संकेतों के अनुसार वर्ष 2012-13 की पहली तिमाही में गतिविधियों का स्तर धीमा रहा तथा औद्योगिक वृद्धि में रुकावट आ गई, निवेश संबंधी गतिविधियां मंद रहीं और खपत में कमी आई।

I.9 रिजर्व बैंक ने मार्च 2010 और अक्टूबर 2011 के बीच तेरह बार नीति दरों बढ़ाकर, परिचालनात्मक नीति दरों 3.25 प्रतिशत से 525 आधार अंक बढ़ाकर 8.5 प्रतिशत करके पिछले दो वर्षों में मौद्रिक नीति को धीरे-धीरे कठोर बनाया था। इसने प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात भी दो बार बढ़ाया तथा इसमें 100 आधार अंकों की वृद्धि करके इसे 5 प्रतिशत से निवल माँग और समय देयताओं का 6 प्रतिशत कर दिया। इन उपायों के कारण एक धारणा यह बनी कि वृद्धि में कमी आने का सर्वप्रमुख कारण रिजर्व बैंक द्वारा मौद्रिक नीति में कठोरता लाया जाना है। इस परिप्रेक्ष्य में दो महत्वपूर्ण बातों पर विचार किया जाना चाहिए। पहला, प्रारंभिक दौर की वृद्धि ज्यादातर, संकट-चालित अधिक उदार रुझान से हटकर नीति के सामान्य बनाये जाने के स्वरूप की थी। ऐसे सामान्यीकरण का वृद्धि पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा होगा। दूसरा, नीति दर के वर्तमान स्तर पर भी बैंकों की उधार देने की वास्तविक प्रभावी दरों संकट से पहले के उनके स्तर की तुलना में अपेक्षाकृत कम हैं। यह इस बात को उजागर करता है कि पिछली कुछ तिमाहियों में वृद्धि में आई तेज गिरावट का कारण केवल नीति दरों नहीं हो सकती।

I.10 आधारभूत सांख्यिकीय विवरणियों से प्राप्त लेखास्तरीय आंकड़ों का प्रयोग करके अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की भारित औसत उधार दर की गणना करने के लिए रिजर्व बैंक द्वारा किये गए एक अध्ययन से यह संकेत मिलता है कि मौद्रिक कठोरीकरण की प्रतिक्रियास्वरूप, वर्ष 2011-12 में इस प्रभावी उधार दर में वृद्धि हुई। प्रारंभिक आंकड़ों से संकेत मिलता है कि भारित औसत उधार दर बढ़ाकर 12.7 प्रतिशत हो गई जो संकट से पहले की अवधि के 12.4 प्रतिशत के औसत से थोड़ी अधिक थी। मुद्रा में निर्विष्ट दरों, वर्ष 2011-12 में बढ़ने से पहले, संकट के बाद की अवधि में नीचे

गिर गई थीं। वास्तविक (मुद्रास्फीति घटाकर) भारित औसत उधार दर भी थोड़ा बढ़कर वर्ष 2011-12 में लगभग 3.8 प्रतिशत हो गई थी लेकिन यह संकट से पहले की 2003-04 से 2007-08 तक की अवधि के 7.0 प्रतिशत के औसत से कम ही रही जबकि निवेश में भारी वृद्धि हुई थी। मुद्रास्फीति की गणना के लिए यदि थोक मूल्य सूचकांक की जगह सकल घरेलू उत्पाद को कम करके आंकने वाले कारकों का प्रयोग किया जाए तो संकट से बाद की अवधि में वास्तविक वृद्धि दरों में कमी और भी ज्यादा होगी। वस्तुस्थिति यह है कि वास्तविक उधार दरों में वर्ष 2003-04 से निरंतर कमी आई। इस अवधि में, प्रारंभ में निवेश में भारी वृद्धि हुई लेकिन वास्तविक दरों में कमी आते रहने के बावजूद निवेश थम गया।

I.11 निवेश संबंधी निर्णयों में ब्याज दरें विभिन्न कारकों में से केवल एक हैं। हर हालत में, ये निर्णय पिछले कई चक्रों के दौरान ब्याज दर की स्थिति पर निर्भर करते हैं। ब्याजदरों में वर्ष 2011-12 में वृद्धि हुई और उनका निवेश पर प्रभाव पड़ा होगा लेकिन निवेश में मंदी आने के ये स्पष्टतः मूल कारण नहीं हैं। इससे पहले निवेश में कमी वर्ष 2010-11 की दूसरी छमाही में शुरू हुई थी जिसके कारण वैश्वक अनिश्चितताओं, ढाँचागत कठिनाइयों, सुधार समर्थक नीति की गति में कमी, अनवरत मुद्रास्फीति और बढ़ती हुई कारोबारी अनिश्चितताओं से जुड़े हुए थे।

I.12 भारतीय अर्थव्यवस्था में वर्ष 2011-12 की चार तिमाहियों में वृद्धि में कमी आ गई थी तथा यह 2010-11 की चौथी तिमाही के 9.2 प्रतिशत से गिरकर वर्ष 2011-12 की चौथी तिमाही में 5.3 प्रतिशत पर आ गई। 3.8 प्रतिशत अंकों की इस भारी गिरावट ने रिजर्व बैंक को नीति संबंधी अपने रुझान में परिवर्तन लाने के लिए प्रेरित किया तथा रिजर्व बैंक ने सावधानीपूर्वक विचार किया और बाद में, समय से पहले ही, अप्रैल 2012 में रिपो रेट में 50 आधार अंकों की कटौती की।

I.13 मौद्रिक नीति का निर्माण कई बातों पर आधारित होता है जिनमें से मुद्रास्फीति (वह गति जिसपर सामान्य कीमत स्तर में परिवर्तन आता है) और वृद्धि (वह गति जिससे राष्ट्रीय उत्पादन बढ़ते हैं) - दो प्रमुख बातें हैं। वर्ष 2011-12 के प्रारंभिक सभी आठ महीनों में हेडलाइन मुद्रास्फीति 9-10 प्रतिशत के आस-पास थी जो रिजर्व बैंक के उद्दिष्ट 4-5 प्रतिशत के स्तर से बहुत अधिक थी। इस प्रकार मुद्रास्फीति अंतराल (मुद्रास्फीति का वास्तविक स्तर - उसका अभीष्ट स्तर) उत्पादन अंतराल (वास्तविक उत्पादन-संभावित उत्पादन) से बहुत अधिक था। ये अंतराल मशीनी तौर पर नीति दर

का परिवेश निर्धारित नहीं कर सकते लेकिन मौद्रिक नीति के उपायों के सावधानीपूर्वक निर्धारण में ये अत्यंत महत्वपूर्ण कारक हैं। समय से पहले नीति दरों में कमी लाये जाने से मुद्रास्फीति बढ़ने का खतरा पैदा हो गया होगा जिससे मध्यम अवधि में वृद्धि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा होगा।

I.14 इस प्रिप्रेक्ष्य में यह समझना महत्वपूर्ण है कि मौद्रिक नीति क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती। पहला, मौद्रिक नीति मुद्रास्फीति पर जबरदस्त दीर्घावधि प्रभाव डाल सकती है, लेकिन जब वृद्धि संभावित क्षमता से कम या अधिक हो तो वृद्धि को संभावित क्षमता की ओर बढ़ाने में सहायक होकर यह उत्पादन को बहुत सीमित मात्रा तक ही प्रभावित कर सकती है। महत्वपूर्ण बात यह है कि मौद्रिक नीति उत्पादन के स्तरों में स्थायी या दीर्घावधि परिवर्तन नहीं ला सकती क्योंकि ऐसे परिवर्तन, मुख्यतः मौद्रिक नीति के मितव्ययिता और निवेश संबंधी प्रभावों की सहायता से, प्रौद्योगिकी, उत्पादकता संबंधी परिवर्तनों तथा राजकोषीय नीति द्वारा चालित होते हैं।

I.15 दूसरा, उच्च और निरंतर बनी रहने वाली मुद्रास्फीति के प्रतिकूल कल्याणकारी परिणाम बहुत बड़े होते हैं। मंदी के चलते बेरोजगारी जरूर बढ़ती है तथा आमदनी और खपत में कमी आती है, खासकर उन लोगों के मामले में जिनकी नौकरी चली जाती है। भारत जैसे देश में उत्पादन में कमी और नौकरियों में कमी लाने वाले कारोबारी चक्रों के उतार-चढ़ाव असंगठित क्षेत्र की तुलना में संगठित क्षेत्र में ज्यादा प्रखरता से दिखाई देते हैं तथा कृषि-उत्पादन पर अपेक्षाकृत कम असर डालते हैं। लेकिन मुद्रास्फीति में वृद्धि से प्रत्येक क्षेत्र में अलग-अलग मात्रा में खपत में कमी आती है। यह पश्चात्यानी कर की तरह काम करती है और गरीबों पर सबसे ज्यादा असर डालती है क्योंकि गरीब व्यवहारतः मुद्रास्फीति के प्रभावों से अरक्षित होते हैं।

I.16 अप्रैल 2012 में नीति की घोषणा के समय से वृद्धि की संभावना अपेक्षाकृत कमजोर पड़ गई है लेकिन मुद्रास्फीति का दायरा थोड़ा बढ़ गया था। कोर मुद्रास्फीति का दबाव कम रहा लेकिन उसमें वृद्धि में आई कमी के अनुरूप गिरावट नहीं हुई है। दूसरी ओर खाद्यान्न मुद्रास्फीति संबंधी दबाव फिर से उभरकर सामने आये हैं और अब तक के असंतोषजनक मानसून के बाद पैदा हुए सूखे के कारण वे और गंभीर हो जायेंगे। परिणामतः वृद्धि-मुद्रास्फीति के उभरते सहसंबंधों को दृष्टिगत रखते हुए मौद्रिक नीति का निर्धारण अत्यंत सावधानीपूर्वक करने की जरूरत होगी।

वृद्धि को बनाये रखने और मुद्रास्फीति को कम करने के लिए राजकोषीय सुदृढ़ीकरण जरूरी है

I.17 वर्ष 2002-03 से 2007-08 तक की अवधि में राजकोषीय सुदृढ़ीकरण के शानदार दौर के बाद राजकोषीय स्थिति में स्पष्ट गिरावट आई है। सकल राजकोषीय घाटा / सकल घरेलू उत्पाद अनुपात, जो वर्ष 2002-03 के 5.9 प्रतिशत से गिरकर वर्ष 2007-08 में 2.5 प्रतिशत हो गया था, लगभग उसी स्तर पर वापस आ गया है। राजस्व और प्राथमिक घाटों में सुधार की स्थिति निश्चित रूप से उलटी हो गई है। भारत का राजकोषीय घाटा, संरचनात्मक और चक्रीय - दोनों दृष्टियों से बढ़ गया है। बाह्य मोर्चे पर, भुगतान संतुलन पक्ष में, वर्ष 2008-09 से वर्ष 2011-12 के दौरान चालू खाता घाटा औसतन 3.0 प्रतिशत के आसपास बना रहा जबकि इसके पहले 2002-03 से 2007-08 के दौरान चालू खाता घाटे में औसतन थोड़ा अधिशेष बना हुआ था। यह गिरावट, आंशिक रूप से, अपेक्षाकृत बड़े राजकोषीय घाटों की सकेतक है।

I.18 बड़े चालू खाता घाटे के साथ बड़े राजकोषीय घाटे का होना समष्टि-आर्थिक गिरावट का सूचक है। इससे वैश्विक निवेशकों की नजरों में भारत के आकर्षण में अपेक्षाकृत कमी भी आई है और इसके कारण कुछ विदेशी रेटिंग एजेंसियों ने, सरकारी रेटिंग में संभावित कमी की दृष्टि से, भारत को सर्कक्ता सूची में डाल रखा है। इस पृष्ठभूमि में, लंबित सब्सिडी सुधार और कर सुधार को भारत में प्राथमिकता देने की जरूरत है ताकि राजकोषीय स्थिति में ढांचागत सुदृढ़ता आये और चक्रीय गिरावटों को झेलने की बेहतर संभावना बन सके।

I.19 भारत के राजकोषीय घाटे में गिरावट के दो प्रमुख कारण हैं। पहला, सब्सिडी पर जो खर्च वर्ष 2005-06 में सकल घरेलू उत्पाद का 1.3 प्रतिशत था वह 2011-12 में बढ़कर सकल घरेलू उत्पाद का 2.4 प्रतिशत हो गया है। राजस्व संबंधी जटिलताओं के कारण सब्सिडियों के लिए लाभकारी तरीके से वित्त की व्यवस्था करना असंभव हो गया है। दूसरा, कर/सकल घरेलू उत्पाद अनुपात के कम होने, गैर-कर राजस्व संग्रहण के कम होने तथा विनिवेश का काम लक्ष्य से बहुत कम रहने के कारण, सरकार द्वारा संसाधन-संग्रहण अपर्याप्त रहा है। इसके अलावा, वर्ष 2008 के वित्तीय संकट के बाद की अवधि में करों में कटौती करके राजकोषीय सहायता उपलब्ध कराये जाने का काम बहुत लंबे समय तक पूरा नहीं किया जा सका और उसे केवल आंशिक रूप से ही वापस लिया गया। भारत में राजस्व घाटा बढ़ने के पीछे ढांचागत और चक्रीय आयाम भी सक्रिय हैं। कर-सुधारों को रोक रखे जाने से, वैश्विक वित्तीय संकट से पहले

हासिल किये गए अनेक लाभों की स्थिति के पर्याप्त विपरीत हो जाने के बाद, राजकोषीय सुदृढ़ीकरण का काम सही रास्ते पर ले आ पाना कठिन हो गया है।

I.20 कर सुधार एजेंडा के अंग के रूप में भारत सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में डायरेक्ट टैक्स कोड तथा माल और सेवा कर की व्यवस्था लागू करने का विचार किया था। लेकिन इन सुधारों को लागू करने में वितंब हो गया है और वर्ष 2012-13 के संघीय बजट के अंग के रूप में भी इन्हें लागू नहीं किया जा सका है। नई कर व्यवस्था अपनाने के लिए व्यवस्थित संक्रमण को सुगम बनाने के लिए, इन सुधारों के अंग के रूप में अनुद्यात कुछ कर-उपायों को पहले ही लागू कर दिये जाने के बाद भी राजकोषीय सुदृढ़ीकरण का काम पिछड़ गया है।

I.21 तेरहवें वित्त आयोग के लिए, नैशनल कौन्सिल फॉर अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च द्वारा किये गए एक अध्ययन के अनुसार व्यापक माल और सेवा कर व्यवस्था के कार्यान्वयन से भारत के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 0.9-1.7 प्रतिशत की वृद्धि होगी। इस परिप्रेक्ष्य में “निगेटिव लिस्ट” सेवाकर व्यवस्था अपनाना एक सकारात्मक कदम है, लेकिन माल और सेवा कर व्यवस्था लागू करने के चरणों में लगने वाले समय को न्यूनतम स्तर पर रखने की जरूरत है ताकि कराधान की प्रपाती स्थिति से बचा जा सके और केंद्र तथा राज्यों के लिए, बिना किसी व्यवधान के, माल और सेवा कर व्यवस्था लागू किये जाने से अप्रत्यक्ष करों का एक उचित इनपुट-आउटपुट नेटवर्क स्थापित हो सके।

I.22 कर सुधारों के अंतर्गत, जीएएआर (जनरल ऐन्टी एवॉयडेन्स रूल) जैसे उपायों के बारे में एक स्पष्ट नीति शामिल किये जाने की जरूरत है जिसने निवेशकों के विश्वास पर दुष्प्रभाव डाला है। इस परिप्रेक्ष्य में एक समिति जीएएआर के बारे में हाल में निर्गत किये गए अस्थायी दिशानिर्देशों की छानबीन कर रही है। इससे संबंधित सभी पक्षों के साथ विस्तृत विचार-विमर्श के बाद इन दिशानिर्देशों को अंतिम रूप दिये जाने की उम्मीद है। अंतरराष्ट्रीय पूंजी प्रवाहों के कराधान में, और अधिक स्पष्टता लाये जाने से वर्तमान चालू खाता घाटे का वित्तपोषण करना सुकर होगा।

I.23 यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि, समग्र वृद्धि से संबंधित उपायों के वित्तपोषण के लिए राजकोषीय गुंजाइश बनाये रखने के दृष्टि से, संसाधनों के संग्रहण के प्रयासों को समर्थन प्रदान करने के लिए इन कानूनों को शीघ्र लागू किया जाए। ऐसे कर सुधार सकारात्मक कदम हैं और इनसे केंद्र और राज्यों की राजकोषीय स्थिति में सुधार आयेगा।

आस्तियों की गुणवत्ता बनाये रखना वित्तीय स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है

I.24 बैंकों की आस्तियों की गुणवत्ता में गिरावट, रिजर्व बैंक के अंदर और बाहर भी, वर्ष 2011-12 में एक चिंता का कारण बनी रही। किसी भी आर्थिक मंदी के दौरान आस्तियों की गुणवत्ता पर प्रभाव पड़ता है और भारत भी इसका अपवाद नहीं था। वर्ष 2011-12 में आस्तियों की गुणवत्ता में गिरावट, सरकारी क्षेत्र के बैंकों के मामले में विशेष रूप से महत्वपूर्ण रही। सरकारी क्षेत्र के बैंकों की सकल अनर्जक आस्तियां, वर्ष 2010-11 के अंत के 2.3 प्रतिशत से बढ़कर, वर्ष 2011-12 के अंत में उनके कुल अग्रिमों का 3.2 प्रतिशत हो गई। निवल मालियत की वृद्धि से उनका अनुपात उसी अवधि में 1.0 प्रतिशत से बढ़कर 1.5 प्रतिशत हो गया। पूर्ववर्ती प्रवृत्तियों से या विभिन्न देशों से तुलना करने पर यद्यपि अनर्जक आस्तियों का यह स्तर अभी भी कम है, फिर भी सरकारी क्षेत्र के बैंकों में पुनर्गठित मानक अग्रिम, वर्ष 2011-12 के अंत तक बढ़कर कुल अग्रिमों का 5.7 प्रतिशत हो गए जबकि एक वर्ष पहले यह प्रतिशत 4.2 था।

I.25 चूक का अनुपात बढ़ा और रिकवरी में कमी आई जो उड्डयन और बिजली जैसे कुछ क्षेत्रों में दबाव बढ़ने के सूचक हैं। समष्टि-आर्थिक स्थिति में गिरावट के चलते आस्तियों की गुणवत्ता पर दबाव बढ़ गया। इनमें से कुछ परिवर्तन अनर्जक आस्तियों के उस चक्र के सूचक हैं जो सामान्यतः आर्थिक चक्र के अनुरूप रहता है लेकिन, प्रबंधन और औद्योगिक संबंध के मुद्दों सहित, क्षेत्र-विशेष से जुड़े मुद्दों का समाधान करने की भी जरूरत है। वर्ष के दौरान ऋणों के पुनर्गठन में पर्याप्त वृद्धि हुई है। कई फर्मों ने कारपोरेट ऋण पुनर्गठन की प्रक्रिया अपनाई। वर्ष 2011-12 की चौथी तिमाही में पुनर्गठन में पर्याप्त वृद्धि हुई जिससे पुनर्गठित ऋणों की मात्रा, वर्ष 2011-12 के अंत में, अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की ऋण बही के लगभग 5 प्रतिशत के स्तर पर पहुंच गई जो एक वर्ष पहले के 3.9 प्रतिशत से अधिक है। उड्डयन, राज्य बिजली बोर्डों, वस्त्र, दूरसंचार, जहाजारनी, बिजली और इस्पात उन क्षेत्रों में शामिल हैं जिन्होंने दबाव महसूस करने की रिपोर्ट दी जिसके चलते पुनर्गठन करने पड़े।

I.26 तथापि, बढ़ती हुई अनर्जक आस्तियां और ऋणों का पुनर्गठन प्रणालीगत मुद्दे नहीं हैं। बैंकों के तुलन-पत्रों की गुणवत्ता में संभवतः कुछ कमी आई हो, लेकिन वे पहले के कारोबारी चक्रों में उतार-चढ़ाव के अनुरूप हैं। तुलन-पत्र कमज़ोरी के शिकार नहीं हुए। वर्ष 2011-12 के अंत में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी का अनुपात 14.1 प्रतिशत था

जो 9.0 प्रतिशत के निर्धारित मानदंडों से बहुत अधिक था और एक वर्ष पहले के 14.2 प्रतिशत से थोड़ा-सा कम था। लेकिन जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में कोर पूंजी का अनुपात वर्ष 2010-11 के 10.3 प्रतिशत के स्तर से बढ़कर वर्ष 2011-12 के अंत में 10.3 प्रतिशत पर पहुंच गया।

I.27 बैंकों की स्थिति पर विभिन्न प्रतिकूल समष्टि-आर्थिक आघातों के प्रभाव के अध्ययन के लिए की गयी अनेक तनाव-जांचों ने दर्शाया कि तनाव की स्थिति में भी बैंकिंग प्रणाली आघात-सहनीय बनी रही। उदाहरण के लिए, यदि वृद्धि के 6 प्रतिशत से नीचे आ जाने के कारण 2012-13 के दौरान समष्टि-तनाव निर्मित होते हैं, मुद्रास्फीति 9 प्रतिशत से ऊपर बनी रहती है और 2012-13 में जीएफडी/जीडीपी अनुपात बढ़कर 6.5 प्रतिशत हो जाता है तो अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का सकल एनपीए अनुपात कुल मिलाकर पिछले वर्ष के अंत के 2.9 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष के अंत में 3.7-4.1 के दायरे में आने की संभावना होगी। उनका सीआरएआर 14.1 प्रतिशत से कम होकर 12.5 प्रतिशत होने की संभावना है। बैंकिंग स्थिरता के अनेक उपायों के माध्यम से बैंकिंग प्रणाली की स्थिरता के आकलन ने दर्शाया कि बैंकों के बीच समस्या के समय दूसरों पर निर्भरता में हाल के वर्षों में वृद्धि हुई है, फिर भी यह 2008-09 के वैश्विक वित्तीय संकट के दौरान देखे गए स्तर से काफी कम थी। पहले इसे जून 2012 की वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट में दर्शाया गया था और यह वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद (एफएसडीसी) की उप समिति के सामूहिक आकलन के अनुरूप है।

I.28 पुनर्गठन की बढ़ती घटनाओं को ध्यान में रखते हुए और प्राप्त अनुभवों के आधार पर, दिशानिर्देशों की समीक्षा के लिए रिजर्व बैंक ने एक कार्यदल (अध्यक्ष: श्री बी. महापात्र) का गठन किया था। इस दल ने ऋणों और अग्रिमों के पुनर्गठन के बाद आस्ति वर्गीकरण, प्रावधानीकरण और पूंजी पर्याप्तता संबंधी विनियामक छूट धीरे-धीरे दो वर्ष की अवधि में समाप्त करने की सिफारिश की है। इसने ऋणों का पुनर्गठन करने पर प्रावधानीकरण संबंधी अपेक्षा दो वर्षों की अवधि में चरणबद्ध रूप में वर्तमान 2 प्रतिशत से बढ़ाकर 5 प्रतिशत करने की सिफारिश की है और साथ ही पुनर्गठित सभी नये ऋणों पर प्रावधानीकरण संबंधी अपेक्षा 5 प्रतिशत करने की सिफारिश की है। इसने यह भी सुझाव दिया है कि प्रवर्तकों का अंशदान पुनर्निर्धारित खाते के उचित मूल्य में कमी के न्यूनतम 15 प्रतिशत या पुनर्निर्धारित ऋण के 2 प्रतिशत, जो भी अधिक हो, होना चाहिए। सीडीआर प्रणाली के तहत बड़े एक्सपोजरों के पुनर्गठन के मामले में प्रवर्तकों के त्याग की अपेक्षाकृत अधिक राशि का सिद्धांत लागू करने से उधार देने के अनुशासन में प्रोत्साहन-अनुकूल प्रणाली लागू करने में मदद

मिलेगी। विनियामक व्यवस्था में अंतिम परिवर्तन अगस्त 2012 में, और अधिक परामर्शी प्रक्रिया के बाद किया जायेगा, लेकिन रिजर्व बैंक का स्पष्ट इरादा आस्तियों के वर्गीकरण के संबंध में एक ऐसी व्यवस्था लागू करने का है जिससे आर्थिक मंदी के समय बैंकिंग क्षेत्र में कमजोरियां न बढ़ने पायें। वर्ष 2011-12 के दौरान आस्ति गुणवत्ता में गिरावट का आंशिक कारण चक्रीय गिरावट थी, वहाँ क्रेडिट राइटिंग के अपर्याप्त मानकों और दुर्बल ऋण व्यवस्था की भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका रही। बैंकों के लिए यह आवश्यक है कि वे चूंकों से बचने के लिए अपनी प्रणाली को उन्नत करें और ऋण मंजूर करने के बाद उसकी वसूली प्रक्रिया में सुधार लाएं।

वर्ष 2012-13 के लिए संभावनाएं

वर्ष 2012-13 के लिए वृद्धि की संभावनाएं

I.29 वर्ष 2012-13 के लिए वृद्धि की संभावना कमजोर बनी हुई है क्योंकि वैश्विक और घरेलू समष्टि-आर्थिक कारकों की जिस युति ने पिछले वर्ष वृद्धि में कमी लाने का काम किया था वह अभी भी बनी हुई है तथा उसके समाधान के कोई लक्षण दिखाई नहीं दे रहे हैं। वैश्विक स्तर पर सरकारी और बैंक ऋणों में अस्थिरता के कारण वित्तीय बाजारों पर दबाव अभी भी बना हुआ है। वैश्विक व्यापार की संभावना में गिरावट आई है क्योंकि उभरते बाजारों में वृद्धि में कमी आ रही है और साथ ही यूरो क्षेत्र में मंदी अपनी जड़ें जमा रही है तथा अमेरिका में भी वृद्धि में कमी आ रही है।

I.30 देशी मार्चे पर, समष्टि-आर्थिक स्थिति में निकट भविष्य में सुधार होने की संभावना नहीं है क्योंकि नीतिगत अवरोध, संरचनात्मक और चक्रीय समस्याओं ने संयुक्त रूप से अर्थव्यवस्था में मंदी लायी है। वृद्धि कम हो रही है जबकि मुद्रास्फीति अभीष्ट स्तर से ऊपर बनी हुई है। किंतु सरकार ने अगस्त 2012 में आश्वासन दिया है कि समष्टि-आर्थिक दुर्बलता दूर करने के लिए अनेक कदम उठाए जाएंगे। इनमें निम्न बातें शामिल होंगी: राजकोषीय सुदृढ़ीकरण के पथ पर लौटना, स्पष्ट और स्थिर कर व्यवस्था लागू करना, विदेशी निवेश सहित बचत और निवेश को प्रोत्साहन देना और मुद्रास्फीति कम करने के लिए आपूर्ति पक्षीय उपाय करने की दिशा में कार्य करना। राजकोषीय सुदृढ़ीकरण के अनेक प्रमुख निर्णय, जैसे कि नियंत्रित ईंधन-मूल्यों में वृद्धि, अन्य सब्सिडियों को समाप्त करना और माल तथा सेवा कर शुरू करना, विलंबित हुए हैं। अतः समस्याओं को अधिक गंभीर बनने से रोकने के लिए निर्धारित कार्य

शीघ्र करने की आवश्यकता है। उक्त निर्णय लागू होने पर इस वर्ष के उत्तरार्ध में वृद्धि क्रमिक रूप से बढ़ सकती है और वृद्धि की प्रवृत्ति अगले वर्ष तक पुनः स्थापित हो सकती है। वर्तमान स्थिति से संतुष्ट रहने की कोई गुंजाइश नहीं है क्योंकि 2012-13 में राजकोषीय गिरावट रहने और चालू खाता घाटा अभीष्ट स्तर से अधिक रहने की संभावना है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में अस्थिरता की स्थिति के कारण दोहरे घाटे से समष्टि जोखिमों की मात्रा अधिक है जिसपर तुरंत ध्यान देने की आवश्यकता है।

I.31 वृद्धि में बाधा डालने वाले ढांचागत कारणों का समाधान अभी तक नहीं हो पाया है। विनियामक और पर्यावरण ढांचे में संशोधन के अभाव में खनन गतिविधियां अवरुद्ध पड़ी हुई हैं। कानूनी और पर्यावरण संबंधी प्रावधानों को लागू करने के प्रयासों के परिणामस्वरूप बीच की अवधि में वृद्धि पर दुष्प्रभाव पड़ा होगा, लेकिन अंततोगत्वा, उचित मुनाफे की कमाई सुनिश्चित करते हुए, कारोबार के लिए इन्सेटिव हेतु संगत ढांचा, जिसके अंतर्गत धोखाधड़ी के लिए दंड दिया जा सके और नैतिकतापूर्ण कार्यों को बढ़ावा दिया जा सके, ही निवेश के लिए अच्छा परिवेश उपलब्ध करा सकता है। कुछ इसी तरह की समस्याएं दूरसंचार के क्षेत्र में भी बनी हुई हैं। बिजली के क्षेत्र में नये निवेशों में कमी आ रही है, क्योंकि कोल लिकेज और कीमत निर्धारण के मुद्दे का अभी भी संतोषजनक समाधान नहीं हो पाया है तथा राज्य बिजली बोर्डों के घाटे काफी बड़े हैं। सड़क परियोजनाओं को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है जिनमें भूमि-अधिग्रहण की समस्या और अधिक लिवरेज प्राप्त सड़क-विकासकों के लिए वित्त संबंधी बाधा शामिल है। इसके कारण, 2011-12 में सड़क दुरुस्ती की परियोजनाओं संबंधी रेकार्ड कार्यों के बाद 2012-13 की पहली तिमाही में सड़क दुरुस्ती संबंधी कार्य लगभग बंद ही हो गए हैं। बैंकों के लिए उधार देने की व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए इन मामलों को शीघ्र सुलझाने की आवश्यकता है।

I.32 अब तक मानसून की असंतोषजनक प्रगति के कारण वर्ष 2012-13 में वृद्धि के लिए नई अनिश्चितताएं पैदा हो गई हैं जिससे इस वर्ष खाद्यान्तों के उत्पादन में काफी कमी हो सकती है। यद्यपि, हाल में वर्षा की स्थिति में सुधार हुआ है, तथापि 15 अगस्त 2012 तक हुई वर्षा के संचित स्तर में 15 प्रतिशत की गिरावट दर्ज हुई। रिजर्व बैंक के उत्पादन भारित वर्षा सूचकांक (पीआरएन) ने 20 प्रतिशत की अपेक्षाकृत अधिक गिरावट दर्शाई है। वर्षा के स्थान-मूलक अध्ययन से यह पता चला कि मोटे अनाजों

और दलहनों के उत्पादन में काफी अधिक कमी आ सकती है और इससे अन्य फसलें बुरी तरह प्रभावित हो सकती हैं। देश में इस वर्ष सूखा की स्थिति 2009 में आए सूखा से कम गंभीर है, फिर भी वर्षा के अपर्याप्त स्तर ने 2012-13 में कृषि क्षेत्र की संभावनाओं पर पानी फेर दिया है। 2009-10 में रबी फसलों की अभूतपूर्व उपज हासिल हुई, किंतु इस वर्ष रबी की संभावनाओं में अनिश्चितता बनी हुई है। ये फसलें सितंबर महीने में होने वाली वर्षा पर काफी निर्भर रहती हैं, जिससे मिट्टी की नमी के स्तर और जलाशयों में जल के स्तर का निर्धारण होता है।

I.33 लगातार दूसरे वर्ष वृद्धि के क्षमता से नीचे रहने की संभावना है। रिजर्व बैंक ने 31 जुलाई 2012 को मौद्रिक नीति की पहली तिमाही समीक्षा में वर्ष 2012-13 के लिए वृद्धि संबंधी अनुमान 7.3 प्रतिशत से घटाकर 6.5 प्रतिशत कर दिया। वृद्धि में कमी आने का संशोधित अनुमान, मुख्यतः 2012-13 की पहली तिमाही में सूखा के चलते कृषि उत्पादन पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव और औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में गिरावट आने का सूचक है। भारत की अर्थव्यवस्था का वैश्वक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण बढ़ने के कारण, वैश्विक वृद्धि तथा व्यापार की मात्रा में आने वाली कमी का भारत के उद्योग और सेवा क्षेत्र की वृद्धि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इसके अलावा कमज़ोर वृद्धि का प्रभाव विलंब से प्रकट होने के कारण सेवा क्षेत्र की वृद्धि पर भी दुष्प्रभाव पड़ने की संभावना है।

I.34 इसलिए मुख्य प्रश्न है - रिकवरी को प्रोत्साहन कैसे मिल सकता है? वैश्वक परिस्थितियों में सुधार के लक्षणों के अभाव में समायोजन का बोझ घरेलू नीतियों पर पड़ेगा। कारोबारी विश्वास पर प्रभाव डालने वाले ढांचागत व्यवधानों का तत्काल समाधान जरूरी है। यह खनन और इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्रों के मामले में विशेष रूप से सही है। घरेलू वृद्धि के लिए प्रत्यक्ष वित्तीय प्रोत्साहन उपलब्ध कराने की सीमित राजकोषीय और मौद्रिक गुंजाइश के चलते खर्चों की प्राथमिकता बदलने की नीति की ओर अग्रसर होने की जरूरत है जो सक्षिदियों में कटौती करके सरकार के राजस्व खर्च में कमी ला सके, और इस प्रकार बचे हुए संसाधनों का प्रयोग सरकारी पूँजी खर्च को बढ़ाने के लिए कर सके। ऐसे कदम से मौद्रिक नीति के लिए भी कुछ सुगमता होगी लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि कम ब्याज दरों अकेले ही निवेश चक्र में बहुत अधिक सुधार नहीं ला सकतीं। इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं को तेज़ी से पूरा करने और लंबित पड़े विनियामक मुद्दों को अंतिम रूप दे दिये जाने से निवेश बढ़ाने में मदद मिलेगी।

सरकार ने हाल में, कोर सेक्टर की उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए (विशेष रूप से खनन क्षेत्र की) कुछ कदम उठायें हैं। फिर भी प्रमुख उद्योगों का कार्यनिष्ठादन बढ़ाने तथा औद्योगिक वृद्धि के पुनर्जीवन को आगे ले जाने के लिए बहुत कुछ किया जाना जरूरी है।

वर्ष 2012-13 के लिए मुद्रास्फीति संबंधी संभावना

I.35 वर्ष 2012-13 के लिए मुद्रास्फीति संबंधी संभावना, पिछले वर्ष की तुलना में बेहतर बनी हुई है, यद्यपि मुद्रास्फीति के उत्तर-चढ़ाव की सीमा में ज्यादा परिवर्तन नहीं आ सकता। हेडलाइन मुद्रास्फीति वर्ष 2012 के अप्रैल से जुलाई के दौरान औसतन 7.3 प्रतिशत के आस-पास रही जो 2011-12 के 8.9 प्रतिशत के औसत से कम थी। हेडलाइन मुद्रास्फीति, दिसंबर 2011 में थोड़ा गिरने के बाद, न तो ज्यादा बढ़ी है और न ही ज्यादा गिरी है। कोर मुद्रास्फीति के लिए रिजर्व बैंक की प्रॉक्सी खाद्यान्न-भिन्न विनिर्माण मुद्रास्फीति, वर्ष 2011-12 की पहली तीन तिमाहियों में औसतन 7.8 प्रतिशत के आस-पास बनी रही लेकिन अंतिम तिमाही में उसमें काफी गिरावट आई और वह 5.9 प्रतिशत हो गई। इसमें बाद में और गिरावट आई और यह वर्ष 2012-13 की पहली तिमाही में औसतन 5.1 प्रतिशत के आस-पास बनी रही, यद्यपि जुलाई 2012 में इसमें थोड़ी वृद्धि दिखी और यह 2000 के दशक के औसत से अभी भी ऊपर बनी हुई है। मुद्रास्फीति का लगातार बना रहना अभी भी चिंता का विषय है लेकिन हाल की अवधि में इसमें कमी आने से थोड़ी राहत हुई है।

I.36 रिजर्व बैंक ने मौद्रिक नीति की पहली तिमाही समीक्षा में 31 जुलाई 2012 को, मुद्रास्फीति के लिए पैदा हुए जोखिमों को ध्यान में रखते हुए, मार्च 2013 में हेडलाइन मुद्रास्फीति के आधारभूत पूर्वानुमान को 6.5 प्रतिशत की जगह संशोधित करके 7.0 प्रतिशत कर दिया। पहले किया गया पूर्वानुमान यह मानकर किया गया था कि मानसून सामान्य रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके अलावा गैर-खाद्यान्न विनिर्मित उत्पाद मुद्रास्फीति में कमी, वृद्धि में आई कमी के अनुरूप नहीं रही। वृद्धि में कमी आने के बीच, मुद्रास्फीति का बना रहना नीति संबंधी बड़ी चुनौती बनकर उभरा है।

I.37 चूंकि मुद्रास्फीति संबंधी जोखिम विद्यमान हैं, इसलिए मुद्रास्फीति को नियंत्रित रखना मौद्रिक नीति के लिए आधार स्तंभ बना हुआ है। ऐसा मुख्यतः असंतोषजनक मानसून, बढ़ती लागत के बीच न्यूनतम समर्थन मूल्यों में संशोधन करके भारी वृद्धि किया जाना (खरीफ के लिए औसतन 26 प्रतिशत) और वर्ष 2012-13

की पहली तिमाही में विनिमय दर में कमी आने के कारण है। अद्यतन मूल्यांकन के अनुसार दलहनों के मूल्यों में बढ़ोतरी होने की आशंका है। कुछ मूल्यों में बढ़ोतरी प्रकट हो चुकी है। म्यांमार को छोड़कर सारे विश्व में दलहनी फसलों की उपज में भारी कमी आई और इनके आयात की संभावनाएं कम दिखाई पड़ रही हैं। खाद्य तेलों के मामले में भी कुछ हद तक दबाव बढ़ सकता है लेकिन सोयाबीन फसल की उपज काफी सीमा तक मूँगफली के उत्पादन में आई गिरावट की भरपाई कर सकती है। वर्ष 2012-13 की पहली तिमाही में वस्तुओं की कीमतें कम हो गई थीं लेकिन इसके बावजूद वैश्विक पण्य मूल्यों संबंधी जोखिम विद्यमान हैं। अमेरिका के कुछ भागों, यूरेशिया और ऑस्ट्रेलिया में सूखे की स्थिति जारी रहने के कारण विश्व बाजार में खाद्यान्नों की कीमतों पर दबाव बढ़ सकता है। घरेलू मुद्रास्फीति पर वैश्विक पण्य मूल्यों में आई गिरावट का प्रभाव, रुपये के मूल्यहास से, आंशिक रूप से ही समायोजित हो पाया है।

I.38 अन्य जोखिम ऊर्जा, विशेषत: डीजल, बिजली, कोयला, और उर्वरकों के मूल्यों में मुद्रास्फीति के दबे रहने से पैदा हुए हैं जिनका समायोजन करके उनकी कीमतें बढ़ाये जाने की जरूरत है। इस प्रकार मुद्रास्फीति के पथ पर, नियंत्रित मूल्यों के संशोधनों के समय और मात्रा का प्रभाव पड़ेगा, यद्यपि इस बात पर जोर दिया जाना चाहिए कि मध्यावधि मुद्रास्फीति पर विस्तारवादी राजकोषीय नीति के पड़ने वाले दबावों को कम करने के लिए ऐसे समायोजन जरूरी हो गए हैं। मजदूरी / वेतन और प्रोटीन संबंधी मुद्रास्फीति के ढांचागत स्वरूप से पैदा हुए निरंतर दबाव, वृद्धि में कमी आने के बावजूद, मुद्रास्फीति को उच्च स्तर पर बनाये रख सकते हैं।

I.39 इस प्रकार वर्ष 2012-13 में मुद्रास्फीति के बढ़ने के जोखिम विद्यमान रहने के साथ-साथ अस्थायी और स्थायी आपूर्ति आघातों के बीच अंतर करना जरूरी है। प्रोटीन संबंधी खाद्यान्नों, तेल और कुछ वस्तुओं से पैदा हुई मुद्रास्फीति में दिखाई देने वाले ढांचागत आघातों को आपूर्ति पक्ष की ओर से उपयुक्त अल्पावधि और मध्यावधि कदम उठाकर नियंत्रित करने की आवश्यकता है। फिर भी, विभिन्न कारणों के बावजूद, यदि निरंतर बनी हुई मुद्रास्फीति को नियंत्रित न रखा जाए तो मुद्रास्फीति संबंधी प्रत्याशाएं अस्त-व्यस्त हो सकती हैं तथा अंततोगत्वा उच्च मुद्रास्फीति ही सामान्य स्वरूप की बन सकती है, जैसाकि वर्ष 2010-11 की चौथी तिमाही में हुआ था। इसके अलावा, बढ़ती हुई ग्रामीण मजदूरी से पैदा हुए मांग संबंधी दबावों और कारपोरेट स्टाफ पर बढ़ती हुई लागत को भी

ध्यान में रखा जाना चाहिए। ऐसी स्थिति में मुद्रास्फीति संबंधी दबावों के पुनः उभरने को रोकने के लिए वर्ष 2012-13 में मुद्रास्फीति पर कड़ी नजर रखने की जरूरत होगी।

समष्टि वित्तीय स्थिरता के लिए होने वाले जोखिमों को नियंत्रित करने हेतु दोहरे घाटे को रोकने की जरूरत

I.40 वर्ष 2010-11 में दोहरे घाटे का बढ़ना समष्टि-आर्थिक कमजोरी का सबसे बड़ा कारण था। वर्तमान आकलन से संकेत मिलता है कि, पर्याप्त नीतिगत उपायों के अभाव में और कारोबारी चक्र की स्थितियों में कोई सुधार न होने के कारण, वर्ष 2012-13 में ये घाटे बने रह सकते हैं।

I.41 वृद्धि के नीचे के स्तर पर रहने के कारण बजट संबंधी लक्ष्यों के लिए जोखिम बना हुआ है। प्राप्ति पक्ष में, यदि वृद्धि कम स्तर पर बनी रहे तो अप्रत्यक्ष कर राजस्व में गिरावट संभव है। कारपोरेट क्षेत्र की आमदनी में गिरावट आने के साथ, सरकारी क्षेत्र की इकाइयों से प्राप्त होने वाली आमदनी से मिलने वाला गैर-कर राजस्व भी लक्ष्य से कम रह सकता है। वर्तमान बाजार परिस्थितियों में निवेश के लक्ष्य को पूरा करना कठिन होगा। अधिक महत्वपूर्ण यह भी है कि पेट्रोलियम सब्सिडी के कम प्रावधान से, खर्च संबंधी अत्यधिक वृद्धि के कारण राजकोषीय स्थिति पर दबाव पड़ना संभावित है। परिणामतः, राजकोषीय क्षेत्र में कुछ गिरावटों से बच पाना मुश्किल होगा। वस्तुतः: आकलनों से यह संकेत मिलता है कि यदि इंधन के नियंत्रित मूल्यों में संशोधन न किया जाए तो यह गिरावट, कच्चे तेल की वर्तमान कीमतों के स्तर पर (केवल इसी कारण, सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 0.4 प्रतिशत) बहुत बड़ी हो सकती है। संघीय बजट में घोषित की गई वर्ष 2012-13 की राजकोषीय नीति का लक्ष्य, पूँजी परिव्यय बढ़ाकर और प्रमुख घाटों को कम करके वृद्धि को पुनर्जीवित करना है। तथापि घाटों को और बढ़ाये बिना, पूँजी खर्च में और अधिक बढ़ोत्तरी करने की ओर अग्रसर होना आवश्यक है ताकि निवेश चक्र में तेजी लाने में निजी ऋण सहायक हो सकें।

I.42 घाटों को नियंत्रित रखना महत्वपूर्ण है क्योंकि बजट संबंधी आंकड़ों से अभी भी यह संकेत मिलता है कि राजकोषीय नीति तैयार करने का काम कठिन है। नियम-आधारित सुदृढ़ीकरण, जिसका उद्देश्य वर्ष 2012-13 (संशोधित अनुमान) में राजस्व घाटा - सकल घरेलू उत्पाद अनुपात में एक प्रतिशत अंक का और सकल राजकोषीय घाटा - सकल घरेलू उत्पाद अनुपात में 0.8 प्रतिशत अंक का सुधार करना है, पर ध्यान दिया जाना अप्रत्यक्ष कर ढांचे में विस्तार करके तथा उसे तर्कसंगत बनाकर राजस्व में वृद्धि करने पर

निर्भर करता है। सरकार ने वर्ष 2012-13 में सब्सिडी पर होने वाले खर्च की अधिकतम सीमा सकल घरेलू उत्पाद के 2 प्रतिशत से कम रखने का इरादा घोषित किया है, लेकिन इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नीति संबंधी ठोस कार्रवाई करना अविलंब जरूरी होगा।

1.43 यदि नियंत्रित इंधन मूल्यों में वृद्धि किये जाने में और विलंब होता है तो सब्सिडी पर किये जाने वाले खर्च को नियंत्रित रखने के उपायों पर अमल करना चुनौती भरा काम होगा। परिणामतः सरकार पर पड़ने वाले सब्सिडी के बोझ से सरकारी निवेशों में उस समय भारी कमी आ सकती है जब सरकारी और निजी - दोनों तरह के निवेशों को पुनर्जीवित करना अत्यंत आवश्यक है। इसके अलावा, घरेलू कीमतों पर अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल के मूल्यों का प्रभाव पड़ने के अभाव में, सकल मांग में बहुत जरूरी समायोजन कर पाना मुश्किल होगा। तब इसके प्रभाव से मुद्रास्फीति और चालू खाता घाटे की मात्रा बढ़ सकती है।

1.44 सरकार ने यह आश्वासन दिया है कि वित्तीय समेकन के लिए शीघ्र ही कदम उठाए जाएंगे। उसने तीन प्रतिष्ठित वित्तीय विशेषज्ञों से कुछ सप्ताहों के भीतर इसके लिए योजना तैयार करने में सहायता देने का आग्रह किया है। उसने विभिन्न आयवर्ग के लोगों पर राजकोषीय सुधार की वजह से आने वाले बोझ में हिस्सेदारी करके राजस्व और व्यय पक्षों में समायोजन करने का भी आश्वासन दिया है। कराधान की अपेक्षाकृत और स्पष्ट एवं स्थिर कर पद्धति तैयार करने का कार्य प्रगति पर है, जिसमें कर प्रशासन के अनुकूल तत्व निहित हैं। इस पद्धति के अंतर्गत विवाद के निपटान का एक समुचित तंत्र भी शामिल होगा। जीएएआर के कानूनी प्रावधानों और दिशा-निर्देशों की नए सिरे से जांच की जा रही है तथा सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र और विकास केंद्रों के कराधान की भी समीक्षा की जा रही है। इन कदमों से वित्तीय व्यवस्था में सुधार लाने में सहायता तो मिलेगी, किंतु कर सुधार के एक अंश के रूप में माल और सेवा कर (जीएसटी) एवं प्रत्यक्ष कर कोड (डीटीसी) पर राजनीतिक एकमत बनना तथा वित्तीय व्यवस्था को सुदृढ़ स्थिति में लाने के लिए सब्सिडी में कटौती करना बेहद जरूरी है।

1.45 वर्ष 2011-12 में चालू खाता घाटा बढ़कर अलाभकर स्तर पर पहुंच गया था क्योंकि यह सकल घरेलू उत्पाद के 4.2 प्रतिशत के अब तक के सर्वाधिक स्तर पर पहुंच गया। मुख्यतः तेल और सोने के भारी आयातों के कारण ऐसा हुआ। वैश्विक व्यापार की मात्रा में अनुमानित कमी के कारण वर्ष 2012-13 में निर्यातों में वृद्धि अपेक्षाकृत कम रहने की संभावना है, लेकिन आयात की प्रवृत्ति विनियम दर के प्रभाव तथा घरेलू अर्थव्यवस्था में वृद्धि की गति

और अंतरराष्ट्रीय पण्य मूल्यों (खासकर तेल) की प्रवृत्ति पर निर्भर करेगी। इसके अलावा, सोने का आयात नियंत्रित रखने के लिए उठाये गए कदमों का व्यापार शेष पर सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।

1.46 यद्यपि वर्ष 2012-13 की पहली तिमाही में पण्य व्यापार शेष में कमी आई, लेकिन वर्ष 2012-13 की पहली तिमाही में सेवाओं के व्यापार की प्रवृत्तियां अस्त-व्यस्त रहीं। वर्ष 2012-13 की पहली तिमाही से संबंधित प्रारंभिक आकलनों से संकेत मिलता है कि सेवाओं का निर्यात 33.4 बिलियन अमेरिकी डालर का था या उसमें मात्र 2 प्रतिशत की वर्षानुवर्ष कमी आई। सेवाओं का आयात 20.5 बिलियन अमेरिकी डालर का था जिसमें 16 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। निवल दृष्टि से, वर्ष 2012-13 की पहली तिमाही में सेवाओं का निर्यात लगभग 12.9 बिलियन अमेरिकी डालर का था जिसमें, वर्ष 2011-12 की पहली तिमाही की तुलना में, लगभग 22 प्रतिशत की कमी आई थी। यह इस बात का सूचक है कि वर्ष 2012-13 में चालू खाता घाटा संबंधी जोखिम बने हुए हैं। सॉफ्टवेयर निर्यातों में कमी आने की संभावना है क्योंकि वैश्विक सूचना प्रौद्योगिकी खर्च के अपेक्षाकृत कम रहने की संभावना है। बड़े सॉफ्टवेयर निर्यातकों ने, वर्ष के दौरान प्राप्त होने वाले संभावित राजस्व में भारी कमी पहले ही कर दी है। कुल मिलाकर, यदि वैश्विक आर्थिक परिस्थितियों तथा घरेलू नीति उपायों में भारी सुधार नहीं होता है तो चालू खाता घाटा - सकल घरेलू उत्पाद अनुपात में महत्वपूर्ण सुधार नहीं हो सकता।

1.47 वृद्धि में कमी आने के साथ ही, चालू खाता घाटे का अभीष्ट स्तर अब सकल घरेलू उत्पाद के 2.5 प्रतिशत के आस-पास आंका जा रहा है। आगामी कुछ वर्षों में भारत की वृद्धि की निरंतरता को और छिन्न-भिन्न करने वाले बाहरी आघातों की संभावनाओं को कम करने के लिए चालू खाता घाटे के वित्तपोषण पर केवल ध्यान देना ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि चालू खाता घाटे की मात्रा को कम करके उसे नियंत्रण में लाना भी जरूरी है, अन्यथा चालू खाता घाटे के संबंध में घरेलू और बाह्य - दोनों तरह की घटनाओं से जोखिम पैदा हो सकते हैं। हाल की अवधि में कर्ज के अंतर्वाहों में हुए सुधार के चलते चालू खाता घाटे की स्थिति बेहतर हुई। किंतु इससे कर्ज इस स्तर पर बनाए रखने में आने वाली दीर्घावधिक लागतों और पुनर्वित्तीयन से पैदा होने वाले जोखिम के बढ़ने की आशंका है। अतः कर्ज से इतर अंतर्वाहों, विशेष रूप से विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के रूप में अंतर्वाहों को बढ़ावा देना जरूरी है। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के शुरू किए जाने के बहुत से लाभ और हानि हो सकती हैं, तथापि, जोखिमों के संतुलन की दृष्टि से इस प्रकार के अंतर्वाहों को बढ़ाना आवश्यक है। उपयुक्त विनियम और परिस्थिति तैयार करके विदेशी निवेशों में आने वाली कमी को रोका जा सकता है, जिससे लाभ की मात्रा में वृद्धि की जा

सके। इस कदम को वैश्वीकरण और उससे प्राप्त होने वाले लाभों की प्रबंध-प्रक्रिया के रूप में देखा जाए तो श्रेयस्कर होगा। भारत पहले के किसी भी समय की तुलना में अधिक खुली अर्थव्यवस्था बन चुका है। प्रायः यह महसूस नहीं किया जाता कि भारत का निर्यात और आयात, जिसमें सेवाओं का व्यापार भी शामिल है, इस समय सकल घरेलू उत्पाद के 55 प्रतिशत से अधिक का है। यह अमेरिका के संबंधित संकेतक से बहुत ज्यादा अधिक है।

भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए मध्यावधिक चुनौतियां

इन्फ्रास्ट्रक्चर संबंधी निवेशों को पुनरुज्जीवित करके भारत की वृद्धि की गाथा को सुरक्षित रखना

1.48 निकट अतीत में भारत की वृद्धि की गाथा मुख्यतः इन्फ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में भारी निवेशों द्वारा चालित रही है। इस क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की मात्रा बहुत बड़ी नहीं रही है लेकिन पिछले 10 वर्षों में सरकारी और निजी (दोनों) क्षेत्रों में भारी निवेशों ने भारत को चीन के बाद, विश्व की सबसे तेजी से विकसित होने वाली अर्थव्यवस्थाओं में दूसरे स्थान पर ला खड़ा किया है। फिर भी, पिछले एक-दो वर्षों में इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र भी अवरुद्ध होने के मुश्किल पड़ाव पर पहुंच गया है।

1.49 नए निवेशों में गिरावट दर्ज हुई है और वर्तमान निवेशों में दीर्घावधिक जेस्टेशनों का जोखिम निहित है और आपूर्ति की कमी से मौजूदा परियोजनाओं की संभावनाएं बाधित हो रही हैं। रिजर्व बैंक को बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा प्रस्तुत जानकारी से यह पता चला है कि 2012-13 में बड़े फर्मों द्वारा नई परियोजनाओं पर किए गए कुल नियत निवेश में 46 प्रतिशत की गिरावट आई और वह ₹2.1 ट्रिलियन हो गया, जबकि वह पिछले वर्ष ₹3.9 ट्रिलियन था। इस गिरावट में बुनियादी संरचना और धातु क्षेत्रों का सर्वाधिक योगदान रहा। प्रमुख रूप से बिजली और दूरसंचार क्षेत्रों की वजह से बुनियादी संरचना के क्षेत्र में अनुध्यात निवेशों में 52 प्रतिशत की गिरावट हुई और वह ₹1.0 ट्रिलियन हो गया, किंतु पिछले वर्ष यह ₹2.2 ट्रिलियन था। दूरसंचार क्षेत्र में किए गए निवेश की मात्रा पूरी तरह कम हो गई, वहीं, सड़क, पत्तनों और हवाई अड्डों में किए गए निवेश में काफी गिरावट आई। बड़ी परियोजनाओं में किए गए परिकल्पित नियत कार्पोरेट निवेश का लगभग आधे से भी अधिक हिस्सा 2008-09 से संबंधित बुनियादी संरचना से प्राप्त हो रहा है। 2010-11 में इसका हिस्सा 54.8 प्रतिशत था, जबकि 2011-12 में इसमें गिरावट आई और इसका हिस्सा 48.6 प्रतिशत हो गया। इससे अर्थव्यवस्था पर दुष्प्रभाव पड़ता है। पाई का आकार कम होने

की वजह से पूंजीगत माल तैयार करने वाली फर्मों की आदेश-बही में गिरावट दर्ज हुई। विदेशी फर्मों द्वारा किफायती निर्यात प्राप्त कर लिए जाने के चलते पाई में इनके हिस्से में भी कमी हुई।

1.50 इसके अलावा, सार्वजनिक क्षेत्र को भारी हानि की वजह से बिजली क्षेत्र में निवेश की परिस्थिति खराब हो गई। यद्यपि कई राज्य विद्युत् बोर्डों ने पिछले दो वर्ष में बिजली की दरों में वृद्धि की है और राज्य विद्युत् बोर्डों की वित्तीय स्थिति में सुधार लाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं, तथापि देश के कई भागों के सूखे की चपेट में आने से 2012-13 में इन बोर्डों के लाभ में काफी गिरावट आई। इस क्षेत्र में बड़ी मात्रा में बैंक वित्त अवरुद्ध हो रहा है, जिससे बड़े पैमाने पर बैंक ऋणों का पुनर्गठन करने की जरूरत पड़ सकती है या ये ऋण अनर्जक आस्तियों के वर्ग में भी चले जा सकते हैं। 47 अनुसूचित वाणिज्य बैंकों से ऋणों के क्षेत्रवार अभिनियोजन के संबंध में प्राप्त आँकड़ों के अनुसार बिजली क्षेत्र में बैंकों का ₹3.3 ट्रिलियन का एक्सपोज़र है जो खाद्यान्न-भिन्न कुल ऋण के 95 प्रतिशत के बराबर है।

1.51 कोयले के कम उत्पादन और आपूर्ति के अभाव के चलते बुनियादी क्षेत्र में कई अड़चनें पैदा हो गई हैं। 11वीं पंचवर्षीय योजना में नए सिरे से लगभग 54 गीगा-वॉट की विद्युत् क्षमता तैयार की गई और अल्ट्रा मेगा बिजली परियोजनाओं के आंशिक योगदान से 12वीं पंचवर्षीय योजना में 60-75 गीगा-वॉट क्षमता की बिजली के अतिरिक्त उत्पादन की योजना बनाई जा सकती है। इस नई क्षमता के बहुत बड़े भाग के सामने कोयला लिंकेज की समस्या खड़ी है। कोयले के अभाव में इनमें किए गए निवेश जोखिमग्रस्त हैं (बॉक्स II.6 भी देखें)। नई क्षमता के एक बहुत बड़े हिस्से का कोई बिजली क्रय करार ही नहीं किया गया है। इसके अलावा, कोयले की किल्लत की स्थिति में ईंधन आपूर्ति करारों के अभाव में बड़े पैमाने पर बिजली की क्षमता प्रभावित हो सकती है। वर्तमान दुर्दशा बिजली और कोयला क्षेत्रों के बीच पर्याप्त आयोजना और समन्वय के न रहने की वजह से पैदा हुई है। कोयला परियोजनाओं को धीमी गति से अमल में लाए जाने से स्थिति और खराब हुई। कोयला और बिजली क्षेत्रों को प्रभावित करने वाले मुद्दों को हल करने के लिए अब कई कदम उठाए जा रहे हैं। पिछले एक वर्ष में बहुत सी वितरण कंपनियों ने बिजली की दूरों में बढ़ोतरी की है। हालाँकि दरों में उस सीमा तक संशोधन नहीं किया गया, जिस सीमा तक आवश्यक है, फिर भी विनियामकों के सक्रिय रहने की वजह से इससे बिजली क्षेत्र को कुछ सकारात्मक बल मिलने की संभावना है। ईंधन आपूर्ति करारों और कोयले के मूल्य-निर्धारण पूलिंग-तंत्र में अनुध्यात संशोधन किए जाने से भी इस

कार्य में सहायता मिलेगी, लेकिन प्रस्तावित नए ईंधन आपूर्ति करारों से जुड़े सभी बकाया मुद्दों का अविलंब समाधान जरूरी है। निजी क्षेत्र द्वारा उन्हें प्राप्त खनन अधिकारों के अंतर्गत किए गए उत्पादन की मात्रा काफी कम रही, इससे भी कमी की स्थिति और खराब हो गई। इसलिए खनन संबंधी अधिकारों का प्रयोग न किए जाने पर कठोर दंड लगाए जाने की जरूरत है। अनुमोदन प्राप्त करने में विलंब, पुनर्वास, तथा कानून और व्यवस्था संबंधी समस्याओं के कारण कोयले के उत्पादन संबंधी पूर्वानुमान 11वीं पंचवर्षीय योजना के लिए घटाकर कम करना पड़ा। यद्यपि, भारत में कोयले का बड़ा भंडार है लेकिन इसकी मांग इसकी घरेलू उपलब्धता से बहुत अधिक बढ़ती जा रही है। इसलिए कोयले के ब्लॉकों की नीलामी के मुद्दे का तेजी से समाधान करने की जरूरत है ताकि अर्थव्यवस्था की जरूरतों के अनुसार ग्रीन ग्रोथ संबंधी लक्ष्यों को पूरा करने के प्रयास किये जा सकें।

I.52 यह कितनी असामान्य बात है कि भारत, जिसके कोयला भंडार की प्रमाणित क्षमता 114 बिलियन टन की है, को लगभग 70 मिलियन टन कोयले का आयात करना पड़ता है। भारत के खनन क्षेत्र में एक बड़ा निवेश किया जाना आवश्यक है। इस संदर्भ में, इस क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को आकर्षित करने के उपाय सहायक होंगे। पर्यावरण और विकास की आवश्यकता के बीच सतर्कतापूर्वक संतुलन स्थापित करना जरूरी है। पारदर्शी ढांचे के अंतर्गत त्वरित समयबद्ध निर्णय लेने की आवश्यकता है, न कि बहुत तेजी से अनुमोदन प्रदान करना। अस्थायी अनुमोदनों से अक्सर कोई मदद नहीं मिलती है, और जहां जरूरी हो वहां आसानी से निगरानी की ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिससे परियोजनाओं को अल्प समय में पूरा किया जा सकता हो। कारोबार कर सकना आसान बनाने के लिए, सिंगापुर में प्रयोग में लाए जा रहे मॉडलों जैसा कोई मॉडल अपनाने की आवश्यकता है जहां पर कई एजेंसियां / मंत्रालय निवेश परियोजनाओं का निस्तारण-निर्णय शीघ्रतापूर्वक लेने के लिए एक साथ बैठते हैं। ऐसे अनुमोदनों की जिम्मेदारी साफ तौर पर नौकरशाही की होती है। कारोबार क्षेत्र को भी अपनी रणनीति बदलने की आवश्यकता है जिसका उद्देश्य प्रतियोगी वातावरण में कारोबार करके कानूनी और पर्यावरणीय ढांचे के अंतर्गत सामान्य लाभ कमाना होना चाहिए, न कि नियमों और कमज़ोर विनियमों का लाभ उठाने की कोशिश करना ताकि लोग उनकी ईमानदारी पर ही संदेह करने लगें।

I.53 विद्युत क्षेत्र में पूँजीगत व्यय में गिरावट के अलावा, 2012-13 के निवेश में सड़क क्षेत्र में निजी-सार्वजनिक सहभागिता में कम होती रुचि का जोखिम भी है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

ने 2011-12 के दौरान रिकार्ड स्तर पर सड़क निविदाएं जारी कीं जिसमें 6,491 कि.मी. लंबी सड़क की संविदाएं दी गई जो पिछले वर्ष की तुलना में 28 प्रतिशत अधिक हैं (चार्ट II.10 भी देखें)। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण परियोजनाओं पर अनुमानित व्यय भी 33 प्रतिशत अर्थात् ₹362 बिलियन था। लेकिन 2012-13 की पहली तिमाही के दौरान सड़क निविदा गतिविधियों को तगड़ा झटका लगा है।

I.54 भूमि अधिग्रहण में कठिनाइयों के कारण तथा कानूनी, प्रक्रिया संबंधी और पर्यावरण संबंधी अनुमोदनों की समस्याओं के चलते सड़क परियोजनाओं की गति धीमी हो गई। बिल्कुल हाल में, वित्तीय उपलब्धता एक नई समस्या बनकर सामने आई है। वित्तीय परिस्थितियाँ और जटिल हो गई हैं क्योंकि सड़क निर्माण फर्में पहले ही लीवरेज्ड हैं तथा वे नयी इक्विटी के अभाव में और अधिक ऋण जुटाने में असमर्थ हैं। वर्तमान बाजार दशाओं में ये फर्में नई इक्विटी जुटाने में असमर्थ हैं। 2012-13 की पहली तिमाही के दौरान सड़क क्षेत्र को दिए गए उधारों में गिरावट का पता चलता है। 2012-13 के दौरान योजनाबद्ध निवेश का एक काफी बड़ा हिस्सा प्रतिकूल स्थिति में भी मूर्त रूप लेगा क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अभियांत्रिकी, खरीद, निर्माण संविदाओं के आधार पर 3,000 कि.मी. के सड़क निर्माण की निविदाएं देने की योजना बना रहा है जिसके अंतर्गत बिल्डर निर्माण सामग्री की खरीद करता है, निर्माण का काम करता है तथा सामानों की लागत का उसे भुगतान किया जाता है। फिर भी, सड़क निवेश के निजी-सार्वजनिक सहभागिता मोड़ की प्रथानता बनाये रखने की आवश्यकता है।

I.55 वर्ष 2011-12 के दौरान इन्फ्रास्ट्रक्चर के वित्तपोषण के मामले में अप्रैल 2012 की स्थिति के अनुसार इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र को दिया गया कुल बकाया बैंक ऋण 6.2 ट्रिलियन रुपए था। फिर भी इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र को बैंकों द्वारा दिये जाने वाले ऋण की मात्रा में कमी आई है। बैंक ऋण के क्षेत्रवार सकल नियोजन संबंधी आंकड़ों से ज्ञात होता है कि वर्ष 2011-12 में इसकी वर्षानुवर्ष वृद्धि घटकर 14 प्रतिशत पर आ गई है जबकि 2010-11 में यह वृद्धि 38 प्रतिशत थी।

I.56 समष्टि-आर्थिक दृष्टि से, भारत इस समय ऊर्जा की भारी कमी के दौर से गुजर रहा है जिससे इसकी वृद्धि की प्रक्रिया अवरुद्ध हो रही है। 12वीं योजना के दौरान भारत की लगभग 40 प्रतिशत ऊर्जा संबंधी जरूरतों को आयात के जरिए पूरा किया जाना होगा। अतः अत्यंत महत्वपूर्ण उप-क्षेत्रों (जैसे - पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और कोयला) में घरेलू उत्पादन बढ़ाने की भी जरूरत है। ऊर्जा के

क्षेत्र में कीमत निर्धारण पर से नियंत्रण हटाने की दिशा में आगे बढ़ना भी उतना ही महत्वपूर्ण है ताकि मांग को युक्तियुक्त किया जा सके और उसमें कमी भी लाई जा सके तथा ऊर्जा की दक्षता में सुधार भी लाया जा सके। इसके अलावा, मांग और आपूर्ति के बीच के अंतराल को कम करने तथा भारतीय अर्थव्यवस्था में ऊर्जा की पर्याप्तता सुनिश्चित करने की दिशा में काम करने के लिए ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों को विकसित करना होगा।

I.57 12वीं योजना के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र हेतु एक ट्रिलियन अमेरिकी डालर के निवेश की अनुमानित आवश्यकता, सरकारी क्षेत्र में सीमित राजकोषीय सुविधा की उपलब्धता की दृष्टि से एक बहुत बड़ी चुनौती है। 12वीं योजना के दृष्टिकोण-पत्र में यह अनुध्यात है कि इन्फ्रास्ट्रक्चर की निवेश आवश्यकताओं को निजी क्षेत्र की निधि की सहायता से पूरा करना होगा। लेकिन कुछ प्रमुख क्षेत्रों (जैसे रेलवे, सिंचाई, जल आपूर्ति और स्वच्छता, बंदरगाह और विद्युत वितरण) में एक बड़ी चिंता की बात निजी क्षेत्र की भागीदारी में कमी है। पारदर्शी और विश्वसनीय विनियामक व्यवस्था तैयार करके, निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए एक अनुकूल वातावरण सृजित करना भी जरूरी है। इस संबंध में विनियामक, वित्तपोषण, और प्रोत्साहन ढांचे (कराधान और ऋण - दोनों) तथा परियोजनाओं के कार्यान्वयन से जुड़े व्यवधानों और कमजोरियों की पहचान करने और उन्हें दूर करने की भी जरूरत है जिनके चलते निजी क्षेत्र इनमें भागीदारी करने और निवेश करने से बचता रहा है।

बासेल III के जरिए बैंकिंग क्षेत्र को सुदृढ़ बनाना

I.58 वर्ष 2011-12 के दौरान रिजर्व बैंक ने बासेल III की व्यवस्थाओं को लागू करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए जिनका उद्देश्य बैंकिंग को और सुदृढ़ बनाना, और बैंकों का लचीलापन तथा बैंकिंग क्षेत्र की सुदृढ़ता को और बढ़ाना है। भारत में बासेल III ढांचा नये वैश्विक मानकों के अनुरूप होगा। दस देशों के केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों के एक समूह द्वारा वर्ष 1974 में सर्वप्रथम स्थापित बैंकिंग पर्यवेक्षण बासेल समिति वर्ष 1988 से ऐसे मानक उपलब्ध करा रही है जब बासेल I समझौते पर हस्ताक्षर किये गए थे। वर्ष 2004 में एक नये समझौते बासेल II के बारे में सुझाव प्राप्त हुए जिसका उद्देश्य पूंजी संबंधी मानदंडों को जोखिम के प्रति अधिक संवेदनशील बनाना था।

I.59 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट से सबक लेते हुए, बासल समिति ने फर्म-विशिष्ट और व्यापक प्रणालीगत जोखिम - दोनों के निराकरण के लिए बासल III ढांचे के माध्यम से व्यापक सुधार पैकेज शुरू किये हैं। बासल III मुख्यतः अलग-अलग बैंकों के स्तर पर

बासल II द्वारा शुरू किये गये विनियामक ढांचे को बढ़ाता है। इसने प्रणालीगत जोखिम को कम करने के लिए एक समष्टि विवेकपूर्ण आवरण भी बनाया है। ये मानदंड पूंजी की गुणवत्ता और मात्रा बढ़ाने, चलनिधि जोखिम प्रबंधन, अनुचक्रीयता से जुड़े मुद्दों के मूल्यांकन के तरीकों और प्रणालीगत दृष्टि से महत्वपूर्ण बैंकों से लेन-देन करने से संबंधित हैं। इसमें समाधान-तंत्र, क्षतिपूर्ति के तौर-तरीके, दबाव परीक्षण, पारदर्शिता बढ़ाने के लिए प्रकटन और ओटीसी डेरिवेटिव को केन्द्रीय समाशोधन और निपटान-तंत्र आदि में ले जाकर डेरिवेटिव बाजार में प्रणालीगत जोखिमों को घटाना शामिल है। रिजर्व बैंक ने बासेल III पूंजी विनियमन के संबंध में सर्वप्रथम दिसंबर 2011 में ड्राफ्ट के रूप में, और बाद में मई 2012 में अंतिम रूप में दिशानिर्देश जारी किए। भारत में बैंकों को इन दिशानिर्देशों का कार्यान्वयन 1 जनवरी 2013 से शुरू करना है और यह कार्यान्वयन 31 मार्च 2018 तक चरणबद्ध तरीके से पूरा करना है।

I.60 इन दिशानिर्देशों में, न्यूनतम पूंजी संबंधी अपेक्षा बासेल समिति द्वारा निर्धारित मानदंडों से एक प्रतिशत अधिक रखी गई है। इसके अलावा, कुछ नियम, बासेल समिति द्वारा सुझाए गए नियमों से भी कड़े रखे गए हैं।

I.61 विवेकपूर्ण उपाय के रूप में रिजर्व बैंक ने बासेल-।/बासेल-।। के पूंजी पर्याप्तता मानदंडों के अंतर्गत बासेल समिति द्वारा निर्धारित 8 प्रतिशत पूंजी की तुलना में 1 प्रतिशत अधिक पूंजी की अपेक्षा निर्धारित की है। उच्चतर अपेक्षा के निर्धारण ने समय बीतने के साथ-साथ भारतीय बैंकिंग प्रणाली को बहुत लाभ पहुंचाया है। पूंजी अपेक्षा का उच्चतर निर्धारण मुख्यतः इसलिए किया गया है क्योंकि बासेल समिति के मानदंड केवल न्यूनतम पूंजी के संबंध में निर्धारित किए गए हैं। उच्चतर मानदंड, पूंजी आबंटन प्रक्रिया में संभावित कमियों और बैंकों में मॉडल जोखिमों को कवर करते हैं। यह उल्लेखनीय है कि इन्हीं कारणों से अनेक अन्य क्षेत्रों ने बासेल समिति द्वारा निर्धारित न्यूनतम पूंजी की तुलना में अतिरिक्त पूंजी की अपेक्षाओं का अन्य क्षेत्रों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों ने इसे “रेटिंग सकारात्मक” उपाय माना है तथा इससे बैंकों को बाजारों में अधिक सुगमतापूर्वक निधि प्राप्त करने में मदद मिलेगी। उच्चतर पूंजी निर्धारण से बैंकों पर अतिरिक्त दबाव पड़ने की संभावना नहीं है क्योंकि दुनिया के अनेक अन्य बैंक निर्धारित की गई न्यूनतम पूंजी से अधिक पूंजी पर्याप्तता के स्तर पर हमेशा काम करते रहे हैं।

I.62 मोटे आकलनों से सकेत मिलता है कि, 31 मार्च 2018 तक बासेल-।।। मानदंडों का पूरी तरह कार्यान्वयन करने के लिए

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को, गैर-इक्विटी पूँजी के रूप में ₹2.65-2.75 ट्रिलियन के अलावा, अपने आंतरिक संसाधनों के अधिक होने के बावजूद, ₹1.4-1.5 ट्रिलियन की सामान्य इक्विटी की जरूरत पड़ेगी। इसी प्रकार निजी क्षेत्र के बड़े बैंकों को, गैर-इक्विटी पूँजी के रूप में ₹500-600 बिलियन के अलावा, अपने आंतरिक संसाधनों के अधिक होने के बावजूद, ₹200-250 बिलियन की सामान्य इक्विटी की जरूरत पड़ेगी। ये अनुमान सभी बैंकों की जोखिम भारित आस्तियों में 20 प्रतिशत प्रति बैंक प्रति वर्ष की एक-समान वृद्धि और प्रत्येक बैंक के अपने आंतरिक संग्रहणों (जोखिम भारित आस्तियों के 1%-1.2% के रेंज में) में एक समान वृद्धि के संतुलित अनुमान पर आधारित हैं। इस बात का उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि यदि बासेल-111 द्वारा निर्धारित पूँजी अनुपातों को लागू नहीं किया गया होता तो बैंकों को बासेल-111 द्वारा निर्धारित पूँजी अनुपातों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त पूँजी की आवश्यकता पड़ती। इसलिए सरकारी क्षेत्र के बैंकों के मामले में बासेल-111 के अंतर्गत अधिक पूँजी अनुपात संबंधी अपेक्षाओं के कारण ₹750-800 बिलियन की अतिरिक्त इक्विटी की आवश्यकता होगी।

I.63 कुछ तर्क-वितर्क होते रहे कि क्या विनियामक को सरकारी क्षेत्र के बैंकों के प्रति अपेक्षाकृत अधिक उदार होना चाहिए, विशेषतः इस बात को दृष्टिगत रखते हुए कि वे सरकार से वित्त की सुविधा / सहायता प्राप्त करते हैं और सरकार ऐसे बैंकों की मुख्य स्वामी और हितधारक है। तथापि विनियामक दृष्टि से, विवेकपूर्ण मानकों के आधार को छोड़कर उक्त आधार पर काम करना वित्तीय प्रणाली के लिए न केवल हानिकारक होगा, बल्कि ऐसा करना नैतिकता के अनुरूप नहीं होगा। किसी बैंक के स्वामित्व का पैटर्न चाहे कैसा भी हो, रिजर्व बैंक सभी बैंकों के लिए एक समान अवसर उपलब्ध कराने के प्रति वचनबद्ध है।

I.64 बासेल III का कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण होगा लेकिन उसे किया जा सकेगा। इस संदर्भ में, श्री जैम कारुआना, महाप्रबंधक, बैंक फॉर इंटरनैशनल सेटलमेंट्स का कथन प्रासंगिक है। नवंबर 2011 में कैफरल/बैंक फॉर इंटरनैशनल सेटलमेंट्स सम्मेलन में अपने भाषण में उन्होंने कहा था कि विश्व स्तर पर बैंकों ने अपने ऋण स्प्रेड को प्रभावित किए बिना तथा ऋण देने की शर्तों को कठोर बनाए बिना, निर्धारित समय से पहले ही पूँजी अनुपात में सुधार कर लिया है।

वित्तीय समावेशन ने रिजर्व बैंक की नीतियों को मानवीय चेहरे की ओर अग्रसर किया

I.65 बाजार अर्थव्यवस्था का प्राधान्य बढ़ने के साथ ही जनता का ध्यान रिजर्व बैंक की नीतियों की ओर इस दृष्टि से ज्यादा आकृष्ट

हुआ है कि इसकी नीतियां अर्थव्यवस्था में ब्याज दरों और विनियम दरों तथा बैंकिंग उद्योग के कार्यानिष्ठादान को किस तरह प्रभावित कर रही हैं। लोग इस बात को पूरी तरह स्वीकार नहीं करते कि रिजर्व बैंक, कई प्रकार की सेवाएं देने वाला केन्द्रीय बैंक है तथा दीर्घावधिक वृद्धि को समर्थन देने और जनसाधारण के कल्याण में वृद्धि करने की दृष्टि से बहुत ही व्यापक क्षेत्रों से जुड़े दायित्वों का निर्वाह कर रहा है। मुद्रास्फीति पर नियंत्रण के लक्ष्य का अनुसरण करने के अलावा (जिससे गरीबों को सबसे अधिक मदद मिलती है) रिजर्व बैंक का मानवीय चेहरा ग्रामीण ऋण और बैंकों तथा गैर-बैंक वित्तीय संस्थाओं के विनियमन, विदेशी मुद्रा विनियमन, मुद्रा प्रबंध, भुगतान और निपटान प्रणाली के क्षेत्रों से जुड़ी नीतियों में परिलक्षित होता है।

I.66 बैंकों की ऋण संबंधी नीतियों को मानवीय चेहरा प्रदान करने के लिए, रिजर्व बैंक ने, बैंकों की ऋण देने वाली नीतियों के अभिन्न अंग के रूप में, निर्देशित ऋणदान मार्ग को समर्थन प्रदान किया है। ऐसा मुख्यतः इस निर्देश के माध्यम से होता है कि बैंक अपने कुल ऋणों का कम-से-कम 40 प्रतिशत भाग प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को देना सुनिश्चित करें। विदेशी बैंकों के लिए इससे संबंधित अपेक्षा 32 प्रतिशत की थी जिसे बढ़ाकर अब 40 प्रतिशत कर दिया गया है। नई अपेक्षाओं को आगामी 5 वर्षों में पूरा किया जाना है। प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को दिये जाने वाले ऋणों से अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ है नहीं तो ये क्षेत्र सूचना की विषमता की स्थिति के विद्यमान रहने के कारण बैंक ऋण बाजार से अचूते रह गए होते।

I.67 वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए कड़ी नीतियां बनाने के प्रबल समर्थक तथा निंदक रिजर्व बैंक की यह कहकर आलोचना करते हैं कि निर्देशित ऋणदान से संसाधनों का गलत आबंटन होता है। व्यवहारतः रिजर्व बैंक ने सामाजिक क्षमता और दक्षता के बीच एक संतुलन सुनिश्चित करने का प्रयास किया है ताकि वित्तीय समावेशन का काम आगे बढ़ सके, लेकिन साथ ही बैंकों का वित्तीय स्वास्थ्य खराब न हो और ऋण देने की उनकी क्षमता बनी रहे।

I.68 बैंकिंग क्षेत्र के मानवीय चेहरे का प्रतिनिधित्व, वित्तीय समावेशन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बैंकिंग क्षेत्र द्वारा की गई प्रगति से बढ़कर, कोई दूसरी बात नहीं करती। वित्तीय समावेशन समिति (अध्यक्षः डॉ. सी. रंगराजन), 2008 की रिपोर्ट के बाद, भारतीय बैंकिंग क्षेत्र के लिए वित्तीय समावेशन को औपचारिक एजेंडा के रूप में अपनाया गया था। उस रिपोर्ट में यह बताया गया था कि 51 प्रतिशत कृषक परिवार, संस्थागत या गैर-संस्थागत स्रोतों से, ऋण नहीं ले पाये। इसके अलावा, बैंकों की शाखाओं के विस्तृत

नेटवर्क के बावजूद कुल कृषक परिवारों में से केवल 27 प्रतिशत परिवारों पर ही औपचारिक स्त्रोतों का कर्ज बाकी था (जिसमें से एक तिहाई परिवार अनौपचारिक स्त्रोतों से भी कर्ज लेते हैं)। देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र के 4.1 प्रतिशत, पूर्वी क्षेत्र के 18.2 प्रतिशत और मध्य क्षेत्र के 22.4 प्रतिशत कृषक परिवार ही औपचारिक संस्थाओं से ऋण ले पाये थे।

I.69 अस्ली डेमिरग्यूक-कुंट और लिओरा क्लैपर द्वारा विश्व बैंक की ओर से किये गए अध्ययन की अप्रैल 2012 की रिपोर्ट से, पूरे विश्व में और उससे भी ज्यादा भारत में, वित्तीय समावेशन की निराशाजनक स्थिति स्पष्ट होती है। 148 देशों में किये गए सर्वेक्षण से लिये गए आंकड़ों के आधार पर तैयार किये गए वैश्विक वित्तीय समावेशन संबंधी नये डेटाबेस के विश्लेषण से यह ज्ञात होता है कि विश्व की केवल आधी जनसंख्या के खाते औपचारिक वित्तीय संस्थाओं में हैं और केवल 9 प्रतिशत लोगों ने किसी बैंक, क्रेडिट यूनियन या माइक्रोफाइनेंस संस्था से पिछले एक वर्ष में नये ऋण लिये हैं। इस अध्ययन से यह भी प्रकट हुआ है कि वित्तीय समावेशन के मानदंडों के मामले में भारत का कार्यनिष्ठादान वैश्विक औसत से खराब रहा है। भारत में केवल 35 प्रतिशत लोगों के औपचारिक खाते हैं जबकि विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में यह औसत 41 प्रतिशत है। क्रेडिट कार्डों, बकाया मार्टीगेज, स्वास्थ्य बीमा, वयस्कों द्वारा लिये गए नये ऋणों और मोबाइल बैंकिंग के क्षेत्र में भी भारत का कार्यनिष्ठादान बहुत खराब रहा है।

I.70 हाल के वर्षों में भारतीय बैंकिंग के एजेंडे में वित्तीय समावेशन को उच्च प्राथमिकता दिये जाने के मामले में रिजर्व बैंक ने कई कदम उठाये हैं। रिजर्व बैंक ने बैंकों से नो-फ्रिल खाते प्रदान करने की अपेक्षा की, बिजनेस फैसिलिटेटर और बिजनेस कॉरेस्पांडेंट मॉडलों की सहायता से भारतीय बैंकिंग का आउटरीच बढ़ाने का प्रयास किया और 2000 से अधिक की आबादी वाले सभी 74,414 गांवों को औपचारिक बैंकिंग सुविधा प्रदान करने का लक्ष्य निश्चित किया। जून 2012 में इस प्रक्रिया को और बेहतर बनाया गया तथा सभी बैंकों से कहा गया कि वे 2000 से कम की आबादी वाले बैंक सुविधा-रहित सभी गांवों को बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करने के लिए एक योजना तैयार करें। इसके बावजूद, रिजर्व बैंक के अपने आकलन के अनुसार वित्तीय समावेशन अभी भी बड़े पैमाने पर अपूर्ण एजेंडा ही रह गया है। बैंकिंग संबंधी आंकड़ों के विश्लेषण, मूल्यांकन संबंधी अध्ययनों और आउटरीच गतिविधियों के स्वतंत्र आकलन से भी यही ज्ञात होता है। नवीनतम आंकड़ों से सकेत मिलता है कि 1,10,000 से अधिक बिजनेस कॉरेस्पांडेंट काम में लगाये गए हैं

लेकिन बैंक सुविधा-रहित गांवों की संख्या को दृष्टिगत रखते हुए इन कॉरेस्पांडेंट्स की संख्या बड़ी नहीं है।

I.71 रिजर्व बैंक ने 2006 के बाद से वित्तीय उत्पादों और सेवाओं को घर-घर पहुंचाने के लिए बिजनेस कॉरेस्पांडेंट्स (बीसी) के माध्यम से आईसीटी आधारित एजेंट बैंक मॉडल अपनाया था। बिजनेस कॉरेस्पांडेंट के रूप में शामिल किए जाने के लिए पात्र व्यक्तियों / संस्थाओं की सूची समय-समय पर बढ़ायी जा रही है। लाभ कमाने का उद्देश्य रखने वाली कंपनियों को भी बिजनेस कॉरेस्पांडेंट के रूप में काम करने की अनुमति दी गई है। बिजनेस कॉरेस्पांडेंट मॉडल वित्तीय समावेशन की आवश्यकताओं को काफी हद तक पूरा करने में प्रभावी नहीं रहा है। केवल इस मॉडल के द्वारा वित्तीय समावेशन के उद्देश्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। यह मॉडल वे सेवाएं नहीं प्रदान कर सकता और ग्राहकों में वह विश्वास नहीं पैदा कर सकता जो ईट-गारे से निर्मित बैंक शाखाएं कर सकती हैं। इसके अलावा, अधिकांश बिजनेस कॉरेस्पांडेंटों को टेक्नालॉजी के प्रयोग की पर्याप्त ट्रेनिंग नहीं दी जा सकी है, उन्हें बैंकों के उत्पादों और प्रक्रिया की जानकारी नहीं है तथा उन्होंने ग्राहक सेवा संस्कृति को हृदयंगम नहीं किया है। वित्तीय समावेशन को मुख्य धारा में शामिल किए जाने की आवश्यकता है। गरीबों तक बैंकिंग सुविधाएं पहुंचाने के लिए बैंकों को कम लागत वाली सेवाएं प्रदान करने, छोटे ग्राहकों के लेनदेन का संचालन करने तथा 2-3 किलोमीटर की उचित दूरी पर 8-10 बिजनेस कॉरेस्पांडेंटों को समर्थन प्रदान करने के लिए साधारण ढाँचे वाली तथा सरल संरचनायुक्त शाखाएं खोलने की जरूरत है। इससे नकदी के प्रबंधन, प्रलेखन, और ग्राहकों की शिकायतों के निवारण में दक्षता बढ़ेगी।

I.72 नवंबर 2005 में रिजर्व बैंक द्वारा निर्देश दिये जाने के बाद बैंकों ने नो-फ्रिल खातों को वित्तीय समावेशन के एक महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में स्वीकार किया है। ऐसे खातों को शून्य या बहुत कम न्यूनतम शेष राशि के साथ खोला जाता है और इनमें क्रेडिट रैशनिंग से प्रभावी ढंग से निपटने और अल्पसुविधाप्राप्त आबादी के एक बड़े वर्ग के लिए बहुत जरूरी वित्त प्रदान करने की क्षमता है। ऐसे खातों को प्रोत्साहित करने के लिए रिजर्व बैंक ने अगस्त 2012 में बैंकों से कहा कि पुराने नाम से जुड़े लांच्छन को दूर करने और उसे बुनियादी बैंकिंग सेवाओं में एकीकृत करने के लिए वे इसका नाम बदलकर ‘बेसिक सेविंग्स बैंक डिपोजिट अकाउंट’ कर दें। विभिन्न बैंकों में बुनियादी बैंकिंग सेवाओं में एकरूपता लाने के लिए भी रिजर्व बैंक ने विशेष दिशा-निर्देश जारी किए। रिजर्व बैंक ने किसी भी विशेष न्यूनतम शेष राशि की आवश्यकता को समाप्त कर

दिया है और बैंकों से कहा है कि वे ऐसे ग्राहकों को जमा और निकासी सेवाएं बैंक की शाखाओं एवं एटीएम - दोनों के माध्यम से उपलब्ध करायें।

I.73 बैंकों में खोले गए नो-फ्रिल खातों की संख्या मार्च 2012 तक 103 मिलियन हो गई थी। लेकिन ऐसे खातों में से तीन-चौथाई खाते निष्क्रिय हैं। इससे यह सवाल पैदा होता है क्या केवल आपूर्ति पक्ष द्वारा काम किया जाना ही वित्तीय समावेशन के लिए पर्याप्त है? वित्तीय समावेशन को कारगर बनाने के लिए, यह आवश्यक है कि बैंक या सेवा प्रदाता के दृष्टिकोण का त्याग कर ग्राहक-केन्द्रित दृष्टिकोण अपनाया जाय। अतः वित्तीय समावेशन के लक्ष्यों के कार्यान्वयन हेतु प्रभावी रणनीति बनाने के लिए और अधिक कार्य अपेक्षित हैं। बैंकों के लिए मध्यम अवधि की रणनीति को माइक्रोफाइनेंस संस्थाओं या किसी अन्य के माध्यम से स्वयं सहायता समूहों को बैंक द्वारा दी जाने वाली वित्तीय सहायता पहुँचाने जैसी गतिविधियों को अपनाते हुए बहुमुखी दृष्टिकोण के साथ कायम रखना होगा। बैंकों द्वारा नियुक्त बिजनेस कॉरेस्पोडेंट वित्तीय समावेशन का एक अभिन्न अंग साबित हो सकता है तथा बैंकों को इन अभिकर्ताओं में विश्वास जगाने में मदद करनी चाहिए तथा इन्हें अच्छे पारिश्रमिक देना चाहिए। ये एजेंट

बैंकिंग व्यवस्था का विकल्प तो नहीं बन सकते लेकिन उसके पूरक के रूप में कार्य कर सकते हैं। साथ ही, बैंकों को प्रौद्योगिकी युक्त डिलीवरी मॉडलों को सक्रिय रूप से प्राप्त करने एवं विकसित करने की जरूरत है। ऐसा करते समय उन्हें ऐसी प्रौद्योगिकी अपनाने की जरूरत है जो सामाजिक स्तरोन्ययन और ग्राहकों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार प्रौद्योगिकी के कस्टमाइजेशन को सपोर्ट करती हो। बिजनेस कॉरेस्पोडेंट तथा स्वयं सहायता समूह ग्राहक-केन्द्रित दृष्टिकोण विकसित करने में मुख्य भूमिका निभा सकते हैं।

I.74 वित्तीय समावेशन का कार्य एक बहुत बड़ा कार्य है। इसे हमारी रणनीति के महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में शामिल अन्य स्तरों को आउटसोर्स नहीं किया जा सकता, वे स्तर भले ही बहुत महत्वपूर्ण हों। इन स्तरों को हमें बैंकिंग की मुख्यधारा में समाहित करना होगा। बैंकों के मध्यावधिक और दीर्घावधिक हित में भी ऐसा करना लाभकर होगा क्योंकि वित्तीय समावेशन बैंकों की लाभप्रदता पर अल्पावधि में दबाव डाल सकता है लेकिन समय बीतने के साथ इससे बैंकिंग के कारोबार के आकार और मात्रा में वृद्धि हो सकती है। इससे बैंकों का राजस्व बढ़ सकता है और यह कारोबार की दृष्टि से लाभप्रद हो सकता है।

1 जुलाई 2011 से 30 जून 2012 तक

भाग एक : अर्थव्यवस्था : समीक्षा और संभावनाएं

II

आर्थिक समीक्षा

वर्ष 2011-12 में भारतीय अर्थव्यवस्था में मंद वृद्धि, उच्च मुद्रास्फीति तथा राजकोषीय और चालू खाते का अंतराल बढ़ता गया। खनन, विनिर्माण और निर्माण क्षेत्र ने नौ वर्ष की अवधि में अर्थव्यवस्था की गति को सर्वाधिक प्रभावित कर मंद कर दिया। देशी और विदेशी मांग में आई गिरावट की वजह से गति धीमी हो गई। और करने की बात है कि वृद्धि की गति धीमी होने के बावजूद वर्ष की बहुत बड़ी अवधि में मुद्रास्फीति ऊँचे स्तर पर बनी रही। इस स्थिति से निपटने के लिए रिजर्व बैंक ने अक्टूबर 2011 तक कड़ाई का रुख अपनाया और यही स्थिति अप्रैल 2012 तक बनी रही जब वह कुछ नरमी बरतने लगा। धीमी गति से हुई वृद्धि, उच्च मुद्रास्फीति और दोहरे घाटे के बढ़ने के साथ-साथ यूरो क्षेत्र के गहराते संकट की स्थिति में समूचे विश्व के सुरक्षात्मक रवैया अपनाने के चलते इस वर्ष वित्तीय बाजारों और विनियम दर पर दबाव पड़ा।

II.1.1 भारतीय अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्थाओं में से है, जो संकट के बाद तेजी से वृद्धि हासिल करने लगीं। किंतु 2011-12 की चारों तिमाहियों में आर्थिक कार्यकलापों की गति लगातार धीमी होती गई। इसकी वजह से अर्थव्यवस्था अपनी क्षमता के अनुरूप ऐसे स्तर की वृद्धि हासिल नहीं कर पाई, जहाँ अर्थव्यवस्था किसी समष्टि-आर्थिक असंतुलन पैदा किए बिना उत्पादन की अधिकतम मात्रा को हासिल कर सके। ‘बिजली, गैस और जल-आपूर्ति’ तथा ‘सामुदायिक, सामाजिक और निजी सेवाओं’ को छोड़कर अर्थव्यवस्था के सभी उप-क्षेत्र अवरुद्ध हो गए।

II.1.2 वृद्धि के धीमा होने के कई कारण रहे। इनमें से एक कारण था लगातार दो वर्ष की अवधि में मुद्रास्फीति का अभीष्ट स्तर से काफी अधिक रहना। लगातार बढ़ती मुद्रास्फीति के चलते मौद्रिक नीति को सख्त करना पड़ा। हाल के अनुसंधान से यह ज्ञात हुआ है कि वास्तविक ब्याज (उधार) दरों से सकल देशी उत्पाद में होने वाली वृद्धि के एक-तिहाई अंश का ही पता चलता है। मार्च 2012 की स्थिति के अनुसार वास्तविक भारित औसत उधार दरें, जो निवेश कार्यकलापों से प्रतिलोम संबंध रखती हैं, 2003-04 और 2007-08 की संकट से पहले की अवधि, जब निवेश का कार्यकलाप काफी ज़ोरों पर था, में प्रचलित दरों से कम रहीं।

II.1.3 इससे पता चलता है कि गैर-मौद्रिक कारकों ने उक्त घटनाक्रम में काफी बड़ी भूमिका निभाई और इन कारकों ने वृद्धि


की गति को उस सीमा तक धीमा कर दिया जिसकी मौद्रिक नीति को सख्त बनाते समय कल्पना भी नहीं की जा सकती। यूरो क्षेत्र में आई मंदी और आम तौर पर व्याप्त अनिश्चितता ने विदेशी मांग पर असर डाला। आर्थिक सुधार को लेकर राजनीतिक एकमत न होने की स्थिति में राष्ट्र के स्तर पर नीति में व्याप्त अनिश्चितता, गवर्नेंस और भ्रष्टाचार के मुद्दों ने निवेश के माहौल को ही प्रभावित किया। बुनियादी संरचना, यथा- दूरसंचार, सड़क और बिजली आदि क्षेत्रों से संबंधित प्रमुख निवेश कारकों में संरचनागत अड़चनें पैदा होने की वजह से अवस्फीतिजन्य लागतें बढ़ने लगीं। उच्च मुद्रास्फीति ने कुल मांग और कारोबार क्षेत्र के प्रति विश्वास को डगमगा दिया।

II. वास्तविक अर्थव्यवस्था

वृद्धि में पिछले दो वर्ष में हुई काफी तेजी के बाद 2011-12 में गिरावट आई

II.1.4 वैश्विक वित्तीय संकट से शीघ्रता से निपटने और लगातार पिछले दो वर्ष में 8.4 प्रतिशत की तेज वृद्धि हासिल करने के बाद 2011-12 में सकल देशी उत्पाद 6.5 प्रतिशत के स्तर पर पहुंच गया, जो पिछले नौ वर्ष में दर्ज सबसे अधिक गिरावट है (परिशिष्ट सारणी 1)। यह गिरावट अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में देखी गई,

चार्ट II.1: सकल देशी उत्पाद में वृद्धि



किंतु औद्योगिक क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित हुआ (परिशिष्ट सारणी 2 और चार्ट II.1क)।

II.1.5 आधारभूत प्रभाव के चलते कृषि क्षेत्र की वृद्धि में गिरावट आई, जिसके परिणामस्वरूप सकल देशी उत्पाद में इस क्षेत्र का योगदान आधा हो गया (चार्ट II.1 ख)। उद्योग के मामले में ‘बिजली, गैस और जल आपूर्ति’ में तो वृद्धि हुई, जबकि विनिर्माण क्षेत्र तथा खनन और उत्खनन के उत्पादन की मात्रा में काफी गिरावट

दर्ज हुई। आर्थिक वृद्धि में औद्योगिक क्षेत्र के भारित प्रतिशत का योगदान गिरकर एकल अंक पर पहुँच गया, जो पिछले दस वर्ष की सबसे खराब स्थिति है। प्रमुख रूप से ‘निर्माण’ और ‘व्यापार, होटल, परिवहन एवं संचार’ क्षेत्रों का निष्पादन कम होने के चलते सेवा क्षेत्र की वृद्धि की गति धीमी हुई। इस धीमेपन के बावजूद सेवा क्षेत्र का प्रबल रहना वृद्धि के पथ पर और भारत के संरचनागत परिवर्तन की प्रक्रिया की एक अनूठी विशेषता है। (बॉक्स II.1)

बॉक्स II.1 संरचनागत परिवर्तन सूचकांक - विभिन्न देशों की स्थिति की तुलना

अर्थव्यवस्था का संरचनागत रूपांतरण आर्थिक विकास का परिणाम या उसके लिए एक पूर्वपिक्षा माना जाता है। आम तौर पर विभिन्न देशों में सकल देशी उत्पाद में कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी के घटने के साथ-साथ उद्योग और सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी के बढ़ने के रूप में संरचनागत परिवर्तन, जो कि कालांतर में उनकी वास्तविक आय में होने वाली बढ़ातरी से बदलता है, पाया जाता है। किंतु बीसवीं शताब्दी के मध्य अधिकांश देशों, चाहे उनकी आरंभिक स्थिति कुछ भी हो, में उद्योग क्षेत्र की हिस्सेदारी के घटने की प्रवृत्ति ऑर्डे-U आकार के पथ पर चलती रही। परिणामस्वरूप, हाल की अवधि में कई देशों में औद्योगिक क्षेत्र की हिस्सेदारी दो शाताब्दियों के पहले के स्तर के करीब पहुँच गई है। कृषि और सेवा क्षेत्रों की हिस्सेदारी में बड़े पैमाने पर कोई बदलाव नहीं आया।

विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं में मांग और पूर्ति - दोनों पक्षों में संरचनागत परिवर्तन में अंतर्निहित कारक सक्रिय रहे। मांग की आय लोच सेवा क्षेत्र में सर्वाधिक थी, उसके बाद क्रमानुसार औद्योगिक उत्पादों और कृषिजन्य माल में अधिक रही। सकल देशी उत्पाद में हुई उत्तरोत्तर वृद्धि की वजह से कृषिजन्य उत्पादों की मांग कम हो जाती है तथा औद्योगिक माल और सेवाओं की मांग बढ़ जाती है। आपूर्ति पक्ष के अंतर्गत उत्पादन (भूमि) के नियत कारक की वजह से कृषिजन्य उत्पादों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा और इसके परिणामस्वरूप ह्रासमान सीमांत प्रतिलाभ विधि समय से पहले ही अमल में आ जाती है जिसके चलते सकल देशी उत्पाद में उनका योगदान कम हो जाता है। इसके विपरीत, औद्योगिक और सेवा क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर पूंजी और प्रौद्योगिकी के उपयोग की वजह से कालांतर में इन क्षेत्रों में उत्पादन की मात्रा बढ़ जाती है।

संरचनागत परिवर्तन सूचकांक

संरचनागत परिवर्तन सूचकांकों का प्रयोग करके अर्थव्यवस्थाओं में हुए संरचनागत परिवर्तन की मात्रा मापी जा सकती है। निरपेक्ष मूल्य मानदंड भी ऐसा ही एक संरचनागत परिवर्तन सूचकांक (नीचे दर्शाया गया है) है, जिसे मिश्ली सूचकांक या स्टोक्कोव सूचकांक (कॉर्टुक और सिंह, 2010) के नाम से भी जाना जाता है :

$$\text{संरचनागत परिवर्तन सूचकांक} = \frac{1}{2} \sum |x_{i,t} - x_{i,t-k}| \quad \text{जहाँ } x_{i,t} \text{ और } x_{i,t-k} \text{ क्रमशः समय (t) और (t-k) पर } i^{\text{वां}} \text{ क्षेत्र की योजित कुल मूल्य की हिस्सेदारी के द्योतक हैं।}$$

संरचनागत परिवर्तन सूचकांक शून्य और 100 के बीच रहता है। यदि शून्य हो तो वह संरचनागत परिवर्तन न होने का सकेत है, जबकि 100 पर हो तो संरचना के संपूर्ण कायापलट का द्योतक है। संरचनागत परिवर्तन सूचकांक तीन महत्वपूर्ण कारकों के प्रति संवेदनशील रहते हैं, यथा- विभिन्न क्षेत्रों के वर्गीकरण का स्तर (जितना व्यापक होगा, सूचकांक उसके अनुरूप बढ़ेगा), विश्लेषण की समय-अवधि (चूंकि संरचनागत परिवर्तन सूचकांक दो काल-खंडों में क्षेत्रवार हिस्सेदारी की तुलना करता है), उत्पादन के मूल्य का मापन (वर्तमान मूल्यों के अंतर्गत निश्चित काल-खंड में मूल्य और मात्रा दोनों में होने वाले परिवर्तनों को शामिल किया जाता है)।

(जारी....)

विभिन्न देशों की स्थिति

परिवर्तनशील संरचनागत सहसंबंधों की स्थिति के मापन हेतु 1990 से 2009 की अवधि में चुनिंदा उन्नत और उभरते बाजार/विकासशील देशों के संरचनागत परिवर्तन सूचकांक का वार्षिक आकलन, सकल देशी उत्पाद संबंधी आंकड़ों का प्रयोग करते हुए किया जाता है (सारणी 1)।

सारणी 1 : विभिन्न देशों में हुए संरचनागत परिवर्तन का तुलनात्मक विवरण

देश	1990-92 से 2007-09 तक की अवधि में औसत शेयर में पाया गया अंतर (प्रतिशत अंक में)			संरचनागत परिवर्तन सूचकांक
	कृषि	उद्योग	सेवा	
1	2	3	4	5
आस्ट्रेलिया	-1.6	-9.7	11.4	11.4
ब्राजील	-2.0	-10.8	12.8	12.8
चीन	-13.9	4.8	9.1	13.9
फ्रांस	-1.7	-6.7	8.5	8.5
जर्मनी	-0.5	-7.5	8.0	8.0
भारत*	-11.4	1.8	9.6	11.4
जापान	-0.9	-10.5	11.4	11.4
कोरिया	-5.4	-5.0	10.5	10.5
रूस	-8.3	-10.9	19.2	19.2
श्रीलंका	-13.7	3.9	9.8	13.7
दक्षिण अफ्रीका	-1.1	-6.6	7.7	7.7
युके	-1.0	-10.1	11.1	11.1
यूरेस्प	-0.8	-5.7	6.6	6.6

*: उद्योग क्षेत्र के अंतर्गत विनिर्माण क्षेत्र भी शामिल है।

नोट : उपादान लागत पर योजित सकल मूल्य के आंकड़े चालू अमरीकी डॉलर में दर्शाए गए हैं।

स्रोत: विश्व बैंक विकास संकेतकों के आंकड़े के आधार पर अनुमानित।

सारणी 1 से संरचनागत परिवर्तन सूचकांक और विभिन्न देशों के विकास स्तर का कोई सुस्पष्ट ढांचा सापेक्ष नहीं आया है। पिश्चित काल-खंड में भारत में हुए संरचनागत परिवर्तन का परिमाण कठिन प्रतिशत देशों, यथा- आस्ट्रेलिया, जापान और यूके के बराबर था, जबकि कुछ हद तक कोरिया के करीब रहा। ब्राजील, चीन और श्रीलंका जैसे देशों के संरचनागत परिवर्तन सूचकांक से भारत के सूचकांक से अपेक्षाकृत अधिक रहे। रूस का संरचनागत परिवर्तन अन्य सभी अर्थव्यवस्थाओं से काफी अधिक रहा।

केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के आंकड़े और उसी कार्य-विधि से यह पता चला कि सुधार-पूर्व (1968-71 से 1987-90 तक) और सुधारोत्तर (1990-92 से 2009-11 तक) अवधियों में भारत में संरचनागत परिवर्तन की विस्तार-सीमा में कोई बढ़ा अंतर नहीं रहा। उक्त अवधियों में संरचनागत परिवर्तन सूचकांक क्रमशः 13.6 और 13.2 रहा।

संदर्भ :

कॉर्टुक, ओ. और निर्विकार सिंह (2011), “भारत में संरचनागत परिवर्तन और वृद्धि”, इकोनॉमिक लेटर्स, मार्च।

कुजनेट्ज, एस (1971), “इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ नेशन्स : टोटल आउटपुट एंड प्रोडक्शन स्ट्रक्चर”, कैंब्रिज, हारवर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।

पपोला, टी.एस. (2005), “इमर्जिंग स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी : इम्प्लिकेशन्स ऑफ ग्रोइंग इंटर-सेक्टोरल इम्बैलेसेस”, राष्ट्रपति का अभिभाषण, भारतीय अर्थिक संघ का 88वां सम्मेलन, दिसंबर।

प्रोडेक्टिविटी कमीशन (1998), “ऐस्पेक्ट्स ऑफ स्ट्रक्चरल चेंज इन ऑस्ट्रेलिया”, रिसर्च रिपोर्ट, गवर्नमेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया।

निवेश में आई गिरावट¹ ने मांग की गति धीमी कर दी

II.1.6 (निजी क्षेत्र और सरकार दोनों द्वारा) खपत में गिरावट, निवेश और विदेशी (निवल निर्यात) आदि मांगों में व्यापक कमी आने की वजह से वर्ष 2010-11 में बाजार मूल्यों की दृष्टि से सकल देशी उत्पाद की वृद्धि दर 9.6 प्रतिशत रही, जबकि 2011-12 में भारी गिरावट दर्ज कर वह 6.9 प्रतिशत हो गई (चार्ट II.2क)।


II.1.7 वर्ष 2011-12 की चौथी तिमाही से संबंधित व्यय-पक्ष के अंतर्गत देशी उत्पाद के आंकड़ों से यह पता चलता है कि वृद्धि 5.6 प्रतिशत दर्ज हुई और निवेश की स्थिति में धीरे-धीरे सुधार हुआ है। किंतु व्यय-पक्ष के अंतर्गत सकल देशी उत्पाद के आंकड़े अपनी त्रुटियों के लिए मशहूर हैं। ये कमियां इन आंकड़ों के विसंगति-युक्त व्यापक और अस्थिर ढांचे से भी मालूम पड़ती हैं। वर्ष 2011-12 में समग्र वृद्धि में ‘सांख्यिकीय विसंगति’ (अर्थात् आपूर्ति पक्ष के अंतर्गत सकल घरेलू उत्पाद संबंधी प्राक्कलनों, और निवल परोक्ष

करों के समायोजन के बाद, व्यय पक्ष के घटकों के प्राक्कलनों के योग का अंतर) का योगदान तेजी से बढ़कर लगभग 42 प्रतिशत हो गया। इसका समग्र वृद्धि में योगदान सकल नियत पूंजी निर्माण के योगदान से भी काफी ज्यादा रहा (चार्ट II.2ख)।

II.1.8 व्यय पक्ष के अंतर्गत सकल देशी उत्पाद की बड़ी और अस्थिरकारी विसंगतियों के साथ-साथ कुल मांग के विभिन्न घटकों में भी बहुत से अविश्वसनीय आंकड़े रहे। उदाहरणार्थ, चौथी तिमाही में विदेशी मांग के संबंध में निवल नियर्तों को घटाकर दर्शाए गए आंकड़े धनात्मक बताये गए हैं, जो त्रुटिपूर्ण हैं, जबकि इसके विपरीत, उक्त तिमाही में अभूतपूर्व चालू खाता घाटा होने के संबंध में रिजर्व बैंक द्वारा आंकड़ा जारी किया गया है। इसके अलावा, निवेश की गति में आए धीमापन को उजागर करने वाले काफी सारे अनुपूरक प्रमाण मौजूद हैं। कार्पोरेट परियोजनाओं, जिन्हें वित्तीय सहायता की मंजूरी दी गई, के विभिन्न चरणों के संबंध में प्राप्त सूचना से यह पता चलता है कि 2010-11 की दूसरी तिमाही में कार्पोरेट नियत

¹व्यय पक्ष के अंतर्गत सकल देशी उत्पाद के आंकड़ों की सर्वविदित कमियों के बावजूद उसका प्रयोग कुल मांग के संघटकों के लिए परोक्ष आंकड़े के रूप में किया जा रहा है।

चार्ट II.2: सकल देशी उत्पाद का व्यय पक्ष



नियोजित निवेश में भारी गिरावट आई और 2011-12 में इसमें और अधिक गिरावट आई। उस समय की घटनाएं इस बात के पूरक का काम करती हैं।

II.1.9 पूँजीगत माल के उत्पादन में भी काफी कमी आई लेकिन इसका आंशिक कारण अन्य माल की जगह पूँजीगत माल का आयात किया जाना था। अतः निवेश की मात्रा में देशी मांग के अन्य घटकों की तुलना में काफी गिरावट आई। वैश्विक अनिश्चितता ने निवेश की परिस्थिति को और बिगाड़ दिया। इस अनिश्चितता ने निवल निर्यात सरणी के माध्यम से वृद्धि की गति को धीमा कर दिया।

बचत और निवेश की घटती दरें संभावित वृद्धि को प्रभावित कर सकती हैं

II.1.10 वर्ष 2008-09 से सार्वजनिक क्षेत्र की बचत दर काफी घटने की वजह से औसत बचत दर में गिरावट आई, जिसकी भरपाई निजी क्षेत्र की बचत से नहीं हो पाई (परिशिष्ट सारणी 3 और सारणी II.1)। वैश्विक मंदी के बाद वाली अवधि में सार्वजनिक क्षेत्र की औसत बचत दर में आई गिरावट के चलते राजकोषीय प्रोत्साहन

के उपायों के प्रभावों और गैर-विभागीय उद्यमों के योगदान में आई कमी दिखाई पड़ती है। संकट के बाद वाली अवधि में औसत निवेश दर में भी कमी दर्ज हुई है।


II.1.11 प्रारंभिक प्राक्कलनों में यह पता चला है कि बाजार के सकल देशी उत्पाद में पारिवारिक क्षेत्र की निवल वित्तीय बचत 2011-12 के मौजूदा बाजार मूल्यों की दृष्टि से 7.8 प्रतिशत हो गई, जबकि यह 2010-11 में यह 9.3 प्रतिशत और 2009-10 में 12.2 प्रतिशत रही (चार्ट II.3 और परिशिष्ट सारणी 4)। आलोच्य वर्ष के दौरान पारिवारिक क्षेत्र की वित्तीय बचत दर में आई गिरावट से लघु बचतों में हुई अत्यधिक कमी और पारिवारिक क्षेत्र द्वारा बैंकों में रखी गई बचत राशियां तथा चलनिधि व जीवन निधियां काफी घटने का प्रभाव पता चलता है। इसी दौरान, 2011-12 में लगभग 9 प्रतिशत की उच्च औसत दर पर मुद्रास्फीति बने रहने की वजह से भी वित्तीय बचत पर और असर पड़ा, क्योंकि पारिवारिक क्षेत्र अपने दैनिक जीवन/जीवन शैली में खर्च का दबाव पड़ने से बचत करने में असमर्थ रहा।

सारणी II.1 : बचत और निवेश दर

(सकल देशी उत्पाद में प्रतिशत)

	बचत							निवेश			
	पारिवारिक क्षेत्र			निजी कंपनी	सार्वजनिक क्षेत्र	कुल	पारिवारिक क्षेत्र	निजी कंपनी	सार्वजनिक क्षेत्र	कुल*	
	वित्तीय (निवल)	भौतिक	उप योग								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2005-06 से 2007-08 तक	11.6	11.4	23.0	8.3	3.7	35.0	11.4	15.1	8.4	34.9	
2008-09 से 2010-11 तक	11.0	12.9	23.9	7.8	0.9	32.7	12.9	12.0	9.1	34.1	
परिवर्तन	-0.6	1.5	0.9	-0.4	-2.7	-2.2	1.5	-3.1	0.8	-0.9	

*: मूल्यवान वस्तुओं में किए गए निवेश को छोड़कर



II.1.12 इसके अलावा, मुद्रास्फीति के ऊँचे स्तर पर बने रहने की वजह से बैंक जमा-राशि की वास्तविक जमा दरें अपेक्षाकृत कम रहने तथा शेयर बाजार के वैश्विक घटनाक्रमों से बुरी तरह प्रभावित रहने के चलते पारिवारिक क्षेत्र ने (सोने जैसी) मूल्यवान वस्तुओं में निवेश करना पसंद किया। वैश्विक संकट की अवधि के बाद बाजार के प्रचलित मूल्यों की दृष्टि से 2008-09 में सकल देशी उत्पाद में मूल्यवान वस्तुओं का प्रतिशत 1.3 रहा, जबकि यह 2011-12 में बढ़कर 2.8 हो गया; उक्त अवधि में निवेश (सकल पूँजी निर्माण) में मूल्यवान वस्तुओं की हिस्सेदारी क्रमिक रूप से 3.7 प्रतिशत से बढ़कर 7.9 प्रतिशत हो गई। पारिवारिक क्षेत्र ने सोने जैसी मूल्यवान वस्तुओं में निवेश करना पसंद किया, संभवतः 2011-12 में इसकी वजह से आवास जैसी भौतिक आस्तियों में किए गए निवेश की गति प्रभावित हो गई।

II.1.13 बचत दरों, विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र की बचत दरों में गिरावट की प्रवृत्ति को बदलना ज़रूरी है ताकि बारहवीं योजना अवधि में उच्च वृद्धि दर को साकार करने के लिए पर्याप्त मात्रा में संसाधनों को जुटाया जा सके।

II.1.14 सकल नियत पूँजी निर्माण (निवेश) की दर लगातार घटती रही है, जो 2007-08 में 32.9 प्रतिशत रही और 2010-11 में 30.4 प्रतिशत हो गई। मौद्रिक और गैर-मौद्रिक (दोनों) कारकों की वजह से निजी कार्पोरेट क्षेत्र के संपूर्ण नियत निवेश

में गिरावट आई। 2011-12 में प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्तावों (आईपीओ) के माध्यम से जुटाई गई पूँजी की वृद्धि दर में मंद गति से हुई बढ़ोत्तरी से निवेश प्रभावित हुआ। 2000-01 से 2011-12 तक की अवधि में सकल देशी उत्पाद और नियत निवेश में सह-संबंध के रूप में प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्तावों (आईपीओ) का अनुपात 0.71 है।

II.1.15 निवेश दर लगातार घटने से उत्पादन की अनुमानित मात्रा प्रभावित हो सकती है। संरचनागत अड़चनों और उच्च मुद्रास्फीति के चलते पिछले दो वर्ष में उत्पाद की अनुमानित मात्रा में कमी आई। वर्तमान मूल्यांकन के अनुसार उत्पादन की अनुमानित वृद्धि 7.5 प्रतिशत है, जबकि इसमें हासिल दर काफी कम है, जिसके चलते उत्पादन में ऋणात्मक अंतर पैदा हो गया। चूंकि उत्पाद के अंतर और मुद्रास्फीति के बीच धनात्मक और हल्का संबंध है, अतः 2009-10 और 2010-11 के दौरान धनात्मक उत्पादन अंतर की वजह से मुद्रास्फीति कम न होने की संभावना है (बॉक्स II.2)।

उच्च आधार स्तर पर पहुँचने के बाद कृषि की वृद्धि दर में कमी आई

II.1.16 वर्ष 2010-11 में अच्छा निष्पादन दर्ज करने के चलते 2011-12 में कृषि क्षेत्र में वृद्धि अपने प्रवृत्ति-स्तर के आस-पास रही (परिशिष्ट सारणी 5)। 2011 में दक्षिण-पश्चिम मानसून का स्तर सामान्य रहा, किंतु उत्तर-पूर्व मानसून में 48 प्रतिशत की गिरावट आई। इसके बावजूद कृषि क्षेत्र में प्रवृत्ति-स्तर की वृद्धि कायम रही। 2011-12 के चौथे अग्रिम प्राक्कलन के अनुसार आम तौर पर खाद्यान्नों, विशेष रूप से धान और गेहूँ का उत्पादन अब तक के सर्वाधिक स्तर पर रहने की संभावना है।

II.1.17 तथापि, संचयी वर्षा (16 अगस्त 2012 तक) दीर्घावधि औसत से 16 प्रतिशत कम रहने को देखते हुए 2012-13 में पूरे देश में दक्षिण-पश्चिम मानसून की वर्षा कम रहने की संभावना है। रिजर्व बैंक के उत्पादन-भारित वर्षा सूचकांक के अनुसार मापित वर्षा की कमी का सूचकांक इससे भी अधिक अर्थात् 21 प्रतिशत है। दक्षिण-पश्चिम भारत में, पंजाब और हरियाणा में छिटपुट वर्षा के साथ, वर्षा की कमी सबसे अधिक अर्थात् दीर्घावधि से 25 प्रतिशत कम रहने की संभावना है। समग्र रूप में गुजरात, पश्चिमी राजस्थान, महाराष्ट्र के भाग तथा कर्नाटक में देश के 47 प्रतिशत भाग में छिटपुट/ कम वर्षा हुई।

बॉक्स II.2


क्या उत्पादन अंतराल मुद्रास्फीति का प्रमुख सूचक है?

उत्पादन अंतराल से अभिप्रेत है वास्तविक और अनुमानित उत्पादन का अंतर, जहाँ अनुमानित उत्पादन का तात्पर्य उत्पादन के ऐसे अधिकतम संभाव्य स्तर से है, जो स्थिर और निचले स्तर की मुद्रास्फीति के अनुरूप हो। बहुप्रचलित फ़िलिप्स वलय ढांचे में धनात्मक (ऋणात्मक) उत्पादन अंतर, जो अत्यधिक कुल मांग (आपूर्ति) का संकेत है, के परिणामस्वरूप मुद्रास्फीति दर बढ़ (घट) जाती है। मुद्रास्फीति पर उत्पादन अंतराल का प्रभाव तात्कालिक हो सकता है या कालांतर में पड़ सकता है। किंतु मुद्रास्फीति को और कुछ कारक भी प्रभावित कर सकते हैं, जैसे- विलंबित मुद्रास्फीति, विनियम दर और परोक्ष कर दर।

इस स्थिति के अलावा, उत्पादन अंतराल, जो कि ‘स्पीड लिमिट’ कहलाता है, में परिवर्तन होने से भी मुद्रास्फीति प्रभावित हो सकती है। इससे यह पता चलता है कि जब मांग में बढ़ोतरी की गति उत्पादन की नई निर्माण-क्षमता से भी तेज़ रहती है तो आपूर्ति में अस्थायी अड़चनें पैदा हो जाती हैं, भले ही उत्पादन अंतराल का स्तर ऋणात्मक क्यों न हो। अनुभवमूलक अध्ययनों से भारत के उत्पादन अंतराल/वृद्धि और मुद्रास्फीति के संबंध में असमिति/अरैखिकता होने के संबंध में प्रमाण मिला है (मोहन्ती और उनके सहयोगी, 2011)।

उपर्युक्त के परिप्रेक्ष्य में 2000-01 की पहली तिमाही से 2011-12 की चौथी तिमाही की अवधि में तिमाही की अवधि में भारत में उत्पादन अंतराल (एच-पी फ़िल्टर पर आधारित अनुमानित उत्पादन) और थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति की प्रवृत्तियों का अध्ययन किया गया (चार्ट)। यह पाया गया कि उत्पादन अंतराल ग्रैंजर ने एक दौर में थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति पैदा कर दी, जो इस बात की पुष्टि करता है कि उत्पादन अंतराल में प्रमुख संकेतक होने के गुण विद्यमान हैं।

2000-01 की पहली तिमाही से 2011-12 की चौथी तिमाही की अवधि में थोक मूल्य सूचकांक वाली मुद्रास्फीति दर, उत्पादन अंतराल और एक डमी चर (अवधि-विशेष के आउटलायरों से संबंधित) पर आधारित साधारण रैखिक रेगेशन सांख्यिकी की दृष्टि से महत्वपूर्ण गुणांक साबित हुए हैं (सारणी)। दो काल-खंडों में रहने वाली मुद्रास्फीति काफी महत्व रखती है। मुद्रास्फीति के पहले दौर में धनात्मक संकेत का तात्पर्य मुद्रास्फीतिकारी प्रत्याशाओं या वास्तविक मूल्य के कम म होने जैसे कारणों से मुद्रास्फीति का बने रहना है, जबकि दूसरे दौर का ऋणात्मक संकेत मुद्रास्फीति क्रम के माध्य-स्थिति में वापस आने या स्थिर रहने का सूचक है। पहले और तीसरे दौरों में उत्पादन अंतराल धनात्मक और महत्वपूर्ण हो गया। परिणामस्वरूप, उत्पादन अंतराल में एक प्रतिशत अंक की बढ़ोतरी होने से पहली और तीसरी तिमाहियों के



सारणी : प्राक्कलन के परिणाम

स्पष्टकारी चर	अनुमानित	पी-मूल्य गुणांक
स्थिरांक	1.96	0.00
मुद्रास्फीति (-1)	1.15	0.00
मुद्रास्फीति (-2)	-0.50	0.00
उत्पादन अंतराल (-1)	0.20	0.07
उत्पादन अंतराल (-3)	0.29	0.01
डमी चर	2.90	0.00
समायोजित आर-वर्गांकित	0.82	
लैगरेंज मल्टीप्लायर टेस्ट (लैग 3)	0.86	
प्रायिकता (एफ-सांख्यिकीय)	0.00	

बाद थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति में क्रमशः 0.2 और 0.3 प्रतिशत अंक की वृद्धि हो गई। साधारण रैखिक प्रवृत्ति ने गति सीमा निर्धारित करने का कोई प्रभाव नहीं पाया।

द्विंचरी वीएआर मॉडल, जिसमें उत्पादन अंतराल और थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति दर (अर्थात हेडलाइन और कोर) शामिल है, की सामान्यीकृत प्रभाव प्रतिक्रियात्मक गतिविधि से यह पता चलता है कि उत्पादन अंतराल पर एक बार मानक विचलन का प्रभाव पड़ जाने पर हेडलाइन और कोर - दोनों मुद्रास्फीति बढ़ जाती है, जो तीन तिमाही के बाद उच्चतम स्तर पर पहुंच जाती है और उसका प्रभाव 6-8 तिमाही या लगभग दो वर्ष के बाद घटना शुरू होता है।

हाल की अवधि में वृद्धि में काफी गिरावट आई है, ऐसी स्थिति में इन परिणामों से यह संकेत मिलता है कि मुद्रास्फीति, विशेष रूप से कोर मुद्रास्फीति में अगले दौर में कमी आ सकती है। किंतु इसकी गति और व्यापकता मुद्रास्फीति के कुछ निर्धारक तत्त्वों पर निर्भर करती है, जैसे- खाद्य वस्तुओं की आपूर्ति बाधित होना, विश्व स्तर पर पण्य-वस्तुओं के मूल्यों में उतार-चढ़ाव और विनियम दर का प्रभाव अंतरण तथा समग्र राजकोषीय स्थिति। वर्तमान में इनमें से कई दबावकारी तत्त्व संक्रिय हैं, जिससे आंशिक रूप में यह पता चलता है कि वृद्धि दर में गिरावट आने के बावजूद मुद्रास्फीति उच्च स्तर पर बनी रह रही है।

संदर्भ :

बाघली एम, क्रिस्टोफ केन और हेनरी फ्रेसी (2006), “इस द इन्फ्लेशन-आउटपुट नेक्सस असिम्मेट्रिक इन द यूरो एरिया?”, बैंक वे डी फ्रांस वर्किंग पेपर सं.140, अप्रैल

द्वेयर ए, केथरीन लैम और अंद्रु गुर्नी (2010), “इन्फ्लेशन एंड द आउटपुट गैप इन द यूके”, एचएम ट्रेजरी इकोनॉमिक वर्किंग पेपर सं.6, मार्च

मीयर ए (2010), “स्टिल माइंडिंग द गैप्स - इन्फ्लेशन डाइनेमिक्स डियूरिंग एपिसोड्स ऑफ परिस्थितियों लार्ज आउटपुट गैप्स”, आईएमएफ वर्किंग पेपर डब्ल्यूपी/10/189, अगस्त

मोहन्ती डी, ए.बी. चक्रवर्ती, अभिमान दास और जॉड्स जॉन (2011), “इन्फ्लेशन थ्रेशोल्ड इन इंडिया : ऐन एम्पिरिकल इन्वेस्टिगेशन”, रिजर्व बैंक वर्किंग पेपर्स, अक्टूबर

॥1.1.18 इसने 2012-13 में खरीफ की बुवाई को प्रभावित किया। देश की इस अवधि की सामान्य स्थिति की तुलना में 17 अगस्त 2012 तक चावल तथा खाद्येतर वस्तुओं जैसे गना, कपास तथा जूट और मेस्ता की बुवाई का क्षेत्र सामान्य से अधिक है। मोटे अनाज तथा दालों की बुवाई का क्षेत्र सामान्य क्षेत्र की तुलना में क्रमशः 16 प्रतिशत तथा 12 प्रतिशत कम रहने को देखते हुए सामान्य से कुल विचलन 4 प्रतिशत है। अगस्त 2012 में मानसून की स्थिति में कुछ सुधार के होने के बावजूद मोटे अनाज तथा दलहन की बुवाई क्षेत्र में अंतर के बने रहने की संभावना है। इससे 2012-13 में कृषि उत्पादन पर प्रतीकूल प्रभाव पड़ सकता है। तथापि, अब तक (16 अगस्त 2012) के सूखे की स्थिति वर्ष 2009-10 से बेहतर लग रही है (चार्ट ॥1.4)।

॥1.1.19 भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) ने बताया है कि मौसम के उत्तरार्द्ध में एल निनो की स्थिति पैदा होने की संभावनादर 65 प्रतिशत है। वर्षा के कम रहने से केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) के अधीनस्थ 84 जलाशयों का जल स्तर प्रभावित हुआ है। यदि सितंबर महीने में होने वाली वर्षा पर्याप्त नहीं रहती है तो उससे मृदा की नमी और जलाशयों के जल स्तर प्रभावित हो सकते हैं। परिणामस्वरूप रबी उपज जोखिमग्रस्त हो सकती है।

॥1.1.20 यद्यपि, भारत में हाल के वर्षों में वर्षा पर कृषि उत्पादन की निर्भरता कम हुई है, तथापि, अब भी वह वर्षा पर ही अवलंबित है। देश के भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 16 प्रतिशत भाग सूखे की चपेट में आने की आशंका है। इस क्षेत्र के अंतर्गत शुष्क, अर्ध-शुष्क और अर्ध-नम क्षेत्र शामिल हैं। कुल पैदावार क्षेत्र में वर्षा-पूरित कृषि का हिस्सा लगभग 56 प्रतिशत है। इसी प्रकार 77 प्रतिशत का दलहन



क्षेत्र, 66 प्रतिशत का तिलहन क्षेत्र और 45 प्रतिशत का अनाज क्षेत्र वर्षा पर निर्भर रहता है। वर्षा पर कृषि की निर्भरता का पता इस बात से लगता है कि 2008-09 और 2009-10 में खरीफ उत्पादन में कमी हुई जब दक्षिण-पश्चिम मानसून में भारी गिरावट आई। हाल की अवधि में उत्तर-पूर्व मानसून में कमी आने से तिलहन, दलहन और धान जैसी रबी फसलों का उत्पादन बुरी तरह से प्रभावित हुआ। इसके विपरीत, 2010-11 में अधिकांश खरीफ और रबी फसलों के उत्पादन में काफी वृद्धि हुई जब ग्रीष्मकालीन व शीतकालीन वर्षा की मात्रा सामान्य स्तर से अधिक रही।

॥1.1.21 सरकार ने आकस्मिकता योजनाएं तैयार की हैं, जिनके अंतर्गत सभी बीजों, पशु चारे, बिजली और डीजल की उपलब्धता को सुनिश्चित करना, एमजीएनआरईजीए के तहत अतिरिक्त मजदूरी का आबंटन तथा राष्ट्रीय आपदा राहत कोष के अंतर्गत पर्याप्त निधि उपलब्ध कराना आदि शामिल हैं। साप्ताहिक अंतराल पर इस स्थिति की समीक्षा करने के लिए एक अंतर-मंत्रालयीन समूह का गठन किया गया है। पशु चारे, अल्पावधिक दलहनों का उत्पादन तथा तोरिया, ज्वार और चने जैसी रबी फसलों के समय से पहले रोपण के लिए नमी के संरक्षण आदि के लिए आकस्मिकता योजनाएं अमल की जा रही हैं।

खाद्य सुरक्षा की चुनौतियों का समना करने के लिए ज़रूरी है नीति/परिचालन में और परिवर्तन

॥1.1.22 वर्तमान में भारत में खाद्यान्न स्टॉक का स्तर काफी अधिक है (जुलाई 2012 में 76.2 मिलियन टन), जिससे चालू वर्ष में मौसम से पैदा होने वाले आघात से कुछ हद तक सुरक्षा मिल रही है (परिशिष्ट सारणी 6)। इसके बावजूद दलहनों, मूँगफली और

चार्ट ॥4: 2009 और 2012 में दक्षिण-पश्चिम मानसून और कृषि की स्थिति की तुलना



मोटे अनाजों की उपलब्धता बाधित हो सकती है। मई-जून 2012 के दौरान यूएस, चीन और रूस जैसे देश अत्यंत सूखे और गरमी की चपेट में आने से वहाँ फसलों का उत्पादन प्रभावित हो गया। अतः देश में अनाज की कमी को आयात द्वारा आसानी से पूरा करना शायद संभव नहीं हो पाएगा।

II.1.23 अभूतपूर्व स्तर पर खाद्यान्न स्टॉक होने के बावजूद खाद्य सुरक्षा चिंता की बात बनी हुई है। (प्रस्तावित खाद्य सुरक्षा विधेयक 2011 के अंतर्गत) हकदारी बढ़ने की संभावना के चलते खाद्यान्नों के संबंध में खाद्य सुरक्षा और भंडारण क्षमता के अभावजन्य मुद्दे काफी बढ़ गए हैं। तथापि, बदलती भोजन शैली के मद्देनजर प्रोटीन-प्रधान वस्तुओं, तरकारियों और फलों की आपूर्ति को बढ़ाने पर जोर देना जरूरी है, क्योंकि इन वस्तुओं की मांग-आपूर्ति के अंतरालों से मूल्यजन्य दबाव बढ़ने/घटने की आशंका रहती है।

II.1.24 हाल के वर्षों में खाद्यान्नों और दलहनों जैसी खाद्य वस्तुओं की प्रति व्यक्ति उपलब्धता के स्तर में गिरावट आई है। 1990 के दशक की तुलना में 2000 के दशक में उपभोग की वस्तुओं के विविधीकरण के बावजूद खाद्यान्नों और बागबानी फसलों के उत्पादन की गति धीमी हुई है। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय द्वारा किए गए 2009-10 के उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण से यह पुष्टि हुई है कि फल, तरकारी, दूध, अंडे, माँस और मछली जैसे उच्च मूल्य वाले खाद्य पदार्थों में किए जाने वाले खर्च बढ़ने की वजह से उपभोग की वस्तुओं में अनाजों की बड़ी हिस्सेदारी घट गई। आय में बढ़ोतरी होने से इन खाद्य पदार्थों की मांग में तेजी आएगी जिसके परिणामस्वरूप समस्त खाद्य और पोषण सुरक्षा के मामले में देश की तैयारी पर असर पड़ सकता है। अतः जनसंख्या की वृद्धि दर के स्तर से खाद्यान्नों सहित कृषि उत्पादन की वृद्धि दर को बढ़ाना दीर्घकालीन खाद्य सुरक्षा हासिल करने के लिए काफी महत्वपूर्ण है। हमारा देश दलहनों और तिलहनों जैसी वस्तुओं के लिए काफी हद तक आयात पर निर्भर करता है। योजना आयोग द्वारा गठित 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012-17) से संबंधित कार्य समूह के अनुसार 2016-17 तक दलहनों और तिलहनों की मांग राष्ट्रीय स्तर पर होनी वाली आपूर्ति से क्रमशः 1-4 मिलियन टन और 18-26 मिलियन टन तक बढ़ने की संभावना है।

II.1.25 मौजूदा लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत वितरण और सुपुर्दगी व्यवस्था कारगर नहीं है और उसमें काफी ढिलाई है। साथ ही, विद्यमान भंडारण सुविधाओं का उनकी क्षमता

से भी अधिक उपयोग किया जा चुका है, जिसके चलते बर्बादी होती है, अतः खाद्यान्न प्रबंधन प्रणालियों की समूची शृंखला में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत कवरेज और पात्रता को पूरी तरह दुरुस्त करना जरूरी है। इसके अलावा, भंडारण क्षमता बढ़ाने और बर्बादी को कम करने के साथ-साथ नकदी अंतरण, खाद्यान्न कूपन प्रणाली और लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के डिजिटलाजेशन की संभावनाओं का पता लगाने जैसे उपायों से, इस क्षेत्र की समस्याओं को काफी हद तक दूर करने में मदद मिलेगी।

प्रौद्योगिकी का विकास और प्रोटीन में निवेश - कृषि की उच्चतर वृद्धि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण

II.1.26 कृषि क्षेत्र में आपूर्ति संबंधी अड़चनों को दूर करने के लिए प्रौद्योगिकी की उन्नति, विशेष रूप से शुष्क क्षेत्र खेती में प्रौद्योगिकी-साधित उपाय करना तथा तरकारियों, फलों, अंडों, मछली, माँस और दूध की आपूर्ति में वृद्धि करना बेहद जरूरी है ताकि मुद्रास्फीति को काबू में रखा जा सके। 12वीं पंचवर्षीय योजना के अनुसार आगामी वर्षों में कृषि क्षेत्र में 4 प्रतिशत की वृद्धि करना न केवल अर्थव्यवस्था की समग्र वृद्धि को बनाए रखने के लिए नितांत आवश्यक है, अपितु समान रूप से वृद्धि को हासिल करने के लिए भी जरूरी है। इसके लिए उत्पादकता के मौजूदा स्तर में भी काफी बढ़ोतरी करना जरूरी होगा। इसे साकार करने के लिए प्रौद्योगिकी का विकास करना आवश्यक है जिसके समक्ष भूमि व जल की सीमित उपलब्धता, अत्यंत विकसित यांत्रिकीकरण, सिंचाई सुविधाओं, बिजली के अभाव और निष्क्रिय संचार व विस्तार सेवाओं आदि के अभाव जैसे बहुत से अवरोध हैं।

II.1.27 जैव-प्रौद्योगिकी, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष अनुप्रयोग और नैनो प्रौद्योगिकी जैसी उन्नत प्रौद्योगिकी पद्धतियों तथा लो एक्स्टर्नल इनपुट स्टेनबल एग्रीकल्चर (एलईआईएसए) तकनीकों सहित जैव खेती जैसी उन्नत प्रौद्योगिकी के साथ-साथ इंटिग्रेटेड नैचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट (आईएनआरएम) एवं इंटिग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट (आईपीएम) तकनीकों को बढ़ावा देकर, पारिस्थितिक विपत्तियां पैदा किए बिना, सतत रूप से उत्पादकता हासिल की जा सकती है। प्राकृतिक संसाधनों का सातत्य सुनिश्चित करने, सार्वजनिक निवेश की कार्य-क्षमता को बढ़ाने तथा कृषि को उच्च मूल्य फसलों और पशुधन की ओर विविधीकृत करने में भी प्रौद्योगिकी का योगदान मिल सकता है।

II.1.28 वैश्वक औसत के अनुरूप उपज हासिल कर उत्पादकता अंतराल की भरपाई करने से और राष्ट्रीय स्तर पर राज्यों/क्षेत्रों के बीच के अंतरालों को दूर करने से उच्च स्तर पर उत्पादन हासिल करने में मदद मिल सकती है। पूर्वी क्षेत्र में हरित क्रांति के लक्ष्य को व्यापक बनाने के लिए अभियान की आक्रामक स्थिति पैदा कर अपेक्षित परिणामों को हासिल किया गया है, जो इस दिशा में किया गया सार्थक प्रयास है। 2011-12 के दौरान पश्चिम बंगाल, बिहार और झारखण्ड में धान की उपज, उत्पादन और बुआई-क्षेत्र में काफी बढ़ोतरी दर्ज हुई है। पश्चिम बंगाल सारे देश में धान का सर्वाधिक उत्पादन करने वाले राज्य के रूप में उभर रहा है। दलहनों और तिलहनों के संबंध में उठाए गए कदमों से भी अच्छे परिणाम निकल रहे हैं।

II.1.29 प्रोटीन युक्त खाद्य वस्तुओं की आपूर्ति की स्थिति में सुधार लाने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी के प्रचार-प्रसार के साथ-साथ मुर्गीपालन, मछली पालन और डेरी फार्मिंग में बड़े निवेश किया जाना जरूरी है। हालाँकि मुर्गीपालन के उत्पादन में तेजी से वृद्धि हुई है, लेकिन इसकी मांग में भी बढ़ोतरी हुई है। अतः संकर पक्षियों और अंडे देने वाली मुर्गियों के पालन को बढ़ावा देने के साथ-साथ उन्नत खाद्य अंतरण पद्धति, मुर्गी संबंधी टीकाओं और दवाइयों, पशुपालन सेवाओं तथा मुर्गीपालन संबंधी उपकरणों आदि में निवेश को प्रोत्साहित करना जरूरी है। विशिष्ट रोगाणु मुक्त (एसपीएफ) अंडा उत्पादन पद्धति को बढ़ावा देना जरूरी है। तालाब, टंकियों और जलाशय सहित गहरे समुद्र, तटीय और अंतर्देशी स्तर पर मछली पालन में भी काफी अधिक निवेश करना आवश्यक है। ट्यून प्रसंस्करण और मछली शुष्कन केंद्रों में सरकारी नीति के समर्थन में निजी निवेश को साकार करना जरूरी है।

निवेश के घटते स्तर और मांग में कमी आने के बीच औद्योगिक वृद्धि में कमी


II.1.30 वर्ष 2011-12 में 2.9 प्रतिशत की औद्योगिक वृद्धि दर्ज हुई जबकि पिछले वर्ष 8.2 प्रतिशत की वृद्धि हासिल हुई थी (परिशिष्ट सारणी 7)। 2011-12 के पूर्वार्द्ध में एक ओर औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में 5.1 प्रतिशत की मामूली वृद्धि हुई तो दूसरी ओर वर्ष के उत्तरार्द्ध में यह 0.9 प्रतिशत पर आ गई। देशी विदेशी - दोनों स्तरों पर मांग में बढ़ोतरी, ब्याज दरों के बढ़ने, खपत, विशेष रूप से ब्याज दर से प्रभावित होने वाली पण्य-वस्तुओं पर किए गए व्यय में गिरावट, कारोबारी विश्वास घटने और वैश्विक स्तर पर आर्थिक अनिश्चितता की वजह से धीमी गति से वृद्धि हुई।

II.1.31 पूंजीगत माल के उत्पादन में अस्थिरता के चलते औद्योगिक वृद्धि की गति धीमी हुई। 2011-12 में रिजर्व बैंक द्वारा छोटा करके निर्मित किए गए औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में 4.8 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। इस सूचकांक का निष्पादन समग्र औद्योगिक उत्पादन से बेहतर रहा। इस छोटे औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में (कुल 399 मदों में से) कतिपय ऐसी मदों को समाविष्ट नहीं किया गया है जो सर्वोच्च 2 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करने वाली थीं तथा जिनका भारांक कुल औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में 96.0 प्रतिशत था। किंतु 2011-12 की तिमाहियों में क्रमिक रूप से छोटे औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में उल्लेखनीय वृद्धि हुई (चार्ट 11.5)। मुख्य रूप से पूंजीगत माल के उत्पादन में 20 प्रतिशत की कमी आने की वजह से 2012-13 की पहली तिमाही में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में 0.1 की गिरावट दर्ज हुई। 2011-12 की चौथी तिमाही में छोटे औद्योगिक उत्पादन सूचकांक और औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, जिसमें पूंजीगत माल शामिल नहीं है, की वृद्धि दर बेहतर रही।

II.1.32 वर्ष 2011-12 में बिजली को छोड़कर अन्य सभी उप-क्षेत्रों पर औद्योगिक उत्पादन में आई गिरावट का प्रभाव दिखाई पड़ा। विनिर्माण क्षेत्र के अंतर्गत 6 उप-क्षेत्रों के उत्पादन स्तर में कमी आई, जबकि 6 उप-क्षेत्रों में 10.0 प्रतिशत से भी अधिक वृद्धि हुई। 2011-12 में खनन उप-क्षेत्र में 2.0 प्रतिशत की गिरावट आई। मुख्य रूप से कोयला खनन को प्रभावित करने वाले विनियामक

चार्ट II.5: औद्योगिक वृद्धि

(वर्ष-दर-वर्ष)



और पर्यावरण-संबंधी मुद्दों तथा कृष्णा-गोदावरी बेसिन से प्राकृतिक गैस के कम उत्पादन के चलते खनन उप-क्षेत्र में गिरावट दर्ज हुई। तथापि, 2011-12 में मामूली स्तर पर दक्षिण-पश्चिम वर्षा से अधिक मात्रा में उत्पन्न पनबिजली के सहारे बिजली क्षेत्र का कार्य-निष्पादन बेहतर रहा, जिसमें 8.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई (चार्ट II.6क)।

II.1.33 आलोच्य वर्ष में निवेश की स्थिति अच्छी नहीं रही जिसके चलते पूँजीगत और मध्यवर्ती माल की वृद्धि में गिरावट आई। आम तौर पर देश में प्रयुक्त पूँजीगत माल में निर्यातित पूँजीगत माल का प्राधान्य है और अनुभवमूलक परीक्षणों में यह पुष्टि हुई कि निर्यातित वस्तुएं पूँजीगत माल के उत्पादन में एक महत्वपूर्ण कड़ी हैं। 2011-12 में पूँजीगत माल के उत्पादन में कमी होने के बावजूद बड़े पैमाने पर निर्यात दर्ज हुआ है। यह पूँजीगत माल के उत्पादन में प्राप्त होने वाले लाभ के अपेक्षाकृत घटने का संकेत हो सकता है। ब्याज दर संवेदनशीलता के चलते टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं की वृद्धि दर कम रही (चार्ट II.6ख)। 2011-12 में औद्योगिक वृद्धि में बुनियादी माल² का 75 प्रतिशत का योगदान रहा।

राष्ट्रीय औद्योगिक वृद्धि को प्रभावित करने वाले वैश्विक कारक

II.1.34 जैसा कि पहले बताया जा चुका है, मुख्य रूप से औद्योगिक क्षेत्र के खराब कार्य-निष्पादन के चलते 2011-12 में अर्थव्यवस्था की समग्र वृद्धि में गिरावट दर्ज हुई। इसके पीछे अंतरराष्ट्रीय व राष्ट्रीय स्तर के कई कारक हो सकते हैं। 2010-11 की शुरुआत से अब तक चल रही मंदी का दौर ऐसी स्थिति में पैदा हुआ है जब



यूएस और यूरोपीय देशों की आर्थिक परिस्थिति खराब होने लगी है। 2008-09 में औद्योगिक वृद्धि की गति कम करने में वैश्विक कारकों का भी कुछ हद तक योगदान रहा, जैसे- यूरो क्षेत्र का वित्तीय संकट, अन्य औद्योगिकृत देशों में मंद वृद्धि और कच्चे तेल की ऊँची कीमतें आदि। इसी अवधि में मलेशिया, दक्षिण कोरिया और ब्राजील जैसी उभरती अर्थव्यवस्थाओं का कार्य-निष्पादन भी खराब रहा।

II.1.35 मौद्रिक नीति और वैश्विक वृद्धि के प्रभाव पर किए गए एक अनुभवमूलक मूल्यांकन से यह पता चला कि आधार अवधि में उद्योग क्षेत्र की वास्तविक भारित औसत उधार दर में एक प्रतिशत अंक की वृद्धि होने पर एक वर्ष की अवधि में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में औसतन 0.6 प्रतिशत अंक की गिरावट आती है, जबकि आधार अवधि में वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में एक प्रतिशत अंक की बढ़ोतरी होने से इतनी ही अवधि में देशी औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में औसत रूप से 0.7 प्रतिशत अंक की वृद्धि होती है। इन प्राक्कलनों से यह स्पष्ट होता है कि मौद्रिक नीति संबंधी उपायों और वैश्विक वृद्धि के सहसंबंधों से देशी उद्योग की वृद्धि दर प्रभावित होती है।

औद्योगिक वृद्धि के पुनरुज्जीवन के लिए प्रमुख उद्योगों के सामने आने वाली अड़चनों को दूर करना

II.1.36 वर्ष 2011-12 में कोयला और प्राकृतिक गैस जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में आई संरचनागत अड़चनों की वजह से औद्योगिक क्षेत्र का समग्र कार्य-निष्पादन बाधित हो गया। वर्ष 2011-12 में

चार्ट II.6: औद्योगिक वृद्धि -वर्गीकरण के अनुसार




²बुनियादी माल के अंतर्गत ऐसी कच्ची सामग्री/उत्पाद शामिल हैं जिनका प्रयोग विनिर्माण और कृषि क्षेत्र में नई मदों के उत्पादन की मात्रा बढ़ाने में किया जाता है। ऐसे माल/उत्पादों को मध्यवर्ती माल कहा जाता है जिनका या तो अपूर्ण रूप से उत्पादन किया जाता है या जो उत्पादन को पूरा करने में निविष्टि के रूप में काम आते हैं।

प्राकृतिक गैस के उत्पादन की मात्रा में कमी आने तथा कोयला, उर्वरक और कच्चे तेल के उत्पादनों के घटने से प्रमुख उद्योगों की वृद्धि दर 4.4 प्रतिशत पर पहुंच गई जबकि पिछले वर्ष इसमें 6.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी (चार्ट 11.7)। अप्रैल-मई 2012 में उर्वरकों, प्राकृतिक गैस और कच्चे तेल उद्योग के उत्पादन में कमी आई तथा इस्पात, रिफाइनरी उत्पादों और बिजली के उत्पादन की वृद्धि दर में गिरावट आई।

11.1.37 विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि प्रमुख उद्योगों, विशेष रूप से बिजली, जिसका औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में 10.3 प्रतिशत का भारांक है, से प्राप्त होने वाली निविष्टियों पर काफी हद तक निर्भर रहती है। बिजली की उपलब्धता पर विनिर्माण क्षेत्र की निर्भरता के विषय में किए गए एक अनुभवमूलक मूल्यांकन से यह पता चला है कि बिजली में वार्षिक रूप से एक प्रतिशत अंक की बढ़ोतरी होने से विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि दर में 0.4 प्रतिशत अंक की वृद्धि होती है। यह बात विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि दरों और बिजली के सूचकांकों में होने वाले समान उतार-चढ़ाव के रूप में स्पष्ट हुई है (चार्ट 11.8)। तथापि, जून 2010 से इन दोनों में कुछ अंतर दिखाई पड़ा है। विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि की गति काफी कम होने के बावजूद अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों में पेट्रोलियम उत्पादों, खास तौर पर डीजल के स्थान पर बिजली का प्रयोग किए जाने की वजह से बिजली की वृद्धि लगातार बढ़ती रही। डीजल की खपत में आई गिरावट से यह बात सामने आई। बिजली का उत्पादन बढ़ने से देश में बिजली


चार्ट 11.8: विनिर्माण और बिजली की वृद्धि का संबंध



की कमी में कुछ सुधार हुआ है। 2009-10 में देश में बिजली की कमी 10.1 प्रतिशत थी और 2011-12 में यह 8.5 प्रतिशत हो गई, जबकि पारिवारिक क्षेत्र की बिजली की मांग में बढ़ोतरी होती रही है।

11.1.38 हालके वर्षों में राष्ट्रीय स्तर पर प्रमुख औद्योगिक निविष्टियों की मांग और आपूर्ति का अंतराल बढ़ता रहा है। कोयले के मामले में 2007-08 में मांग और आपूर्ति का अंतराल 50 मिलियन टन था, जबकि 2011-12 में यह बढ़कर 114 मिलियन टन हो गया। यह अनुमान लगाया गया है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना (2016-17) के अंतिम वर्ष में 185 मिलियन टन का अंतराल होगा। उत्पादन की गति बढ़ाने की दृष्टि से शुरू की गई कैपिटल माइनिंग की नीति से इस क्षेत्र को वांछित सहायता नहीं मिली। तथापि, हाल में सरकार द्वारा बिजली संयंत्रों को पर्याप्त मात्रा में कायले की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए किए गए उपायों से कोयला उत्पादन बढ़ाने में मदद मिली। नवंबर-मार्च 2011-12 में कोयले उत्पादन की औसत वृद्धि 8.5 प्रतिशत थी, जो अप्रैल-अक्टूबर 2011-12 में (-)5.6 प्रतिशत रही और अप्रैल-जून 2012 में 6.4 प्रतिशत पर पहुंच गई। यदि कोयले के नियांता की अनुमति और विदेशों में कोयले की परिसंपत्तियों का अभिग्रहण जैसे उपाय किए जाएं तो इसकी मांग-आपूर्ति के अंतराल को समाप्त किया जा सकता है। बिजली संयंत्रों में आपूर्ति की कमी को तत्काल दूर करने के लिए नियांता कोयले

चार्ट 11.7: बुनियादी संरचना उद्योग में वृद्धि



के निर्बाध नौवहन, पत्तन में उत्तराई और उसका परिवहन सुनिश्चित करना अत्यंत आवश्यक है।

II.1.39 सरकार ने हाल के समय में प्रमुख क्षेत्र का उत्पादन बढ़ाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। अन्वेषण और खनन कार्यों में निजी क्षेत्र की भागीदारी शुरू करने से अभीष्ट परिणाम प्राप्त हुए हैं। 2012-13 के केंद्रीय बजट में प्राकृतिक गैस, तरलीकृत प्राकृतिक गैस, भाष के कायले और बिजली के उत्पादन में प्रयुक्त यूरेनियम कास्टेट्रेट जैसे ईंधनों पर लिए जाने वाले सीमा-शुल्क से पूरी छूट दी गई है। आवश्यक बुनियादी संरचना के विकास को सुसाध्य बनाने के लिए उर्वरक उद्योग, तेल और गैस भंडारण तथा पाइपलाइन

सुविधाओं से संबंधित उद्योगों को पूंजीगत निवेश उपलब्ध कराया गया है ताकि सरकार-निजी सहभागिता (पीपीपी) की योजना को समर्थन प्रदान किया जा सके।

II.1.40 औद्योगिक क्षेत्र, विशेष रूप से विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि को बढ़ाने वाला एक प्रमुख कारक है और यह रोजगार का एक स्रोत भी है। हालाँकि इस क्षेत्र की क्षमता के प्रयोग की कोई औपचारिक अनुमान-व्यवस्था उपलब्ध नहीं है और सकल देशी उत्पाद में इसका काफी कम हिस्सा है, अतः कारोबारी परिवेश और अपेक्षित बुनियादी संरचना उपलब्ध कराने से इस क्षेत्र में क्षमता के उपयोग को काफी हद तक सुधारा जा सकता है (बॉक्स 11.3)।

बॉक्स II.3 क्षमता का उपयोग : भारत में प्रचलित अवधारणा और मापन पद्धति

यदि क्षमता के उपयोग का ठीक-ठीक आकलन किया जाए तो उससे अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति के प्रारंभिक दबावों का विश्वसनीय संकेत मिल सकता है। क्षमता के उपयोग के वास्तविक मूल्यांकन के अंतर्गत अर्थव्यवस्था में मांगजन्य दबाव को इस प्रकार समाहित करता है कि यदि बाजार में मांग बढ़ती तो क्षमता का उपयोग बढ़ता है और यदि मांग घटती है तो क्षमता के उपयोग में कमी आती है।

अवधारणा और प्रबंधन

क्षमता के उपयोग से अभिप्रेत है निश्चित काल-खंड में उपयोग में लाई जाने वाली कुल उत्पादक क्षमता का प्रतिशत। कारोबार चक्रों और नीतिगत परिवर्तनों को दर्शाने की वजह से क्षमता का उपयोग एक महत्वपूर्ण संकेतक है। निवेश दर, श्रमिक उत्पादकता और मुद्रास्फीति में होने वाले परिवर्तनों को संष्ट करने में क्षमता के उपयोग के मापन पर काफी निर्भर किया जाता है।

क्षमता के उपयोग के मापन का कोई विशेष तरीका उपलब्ध नहीं है। अर्थव्यवस्था, उद्योग या फर्म के संबंध में क्षमता के उपयोग के मापन में कई सर्वेक्षण पद्धतियों या उत्पादन संबंधी आंकड़ों का प्रयोग किया जाता है। क्षमता के उपयोग के मापन में एक महत्वपूर्ण पद्धति है वार्टन पद्धति, जिसमें क्षमता का तात्पर्य है प्रत्येक कारोबार चक्र में प्राप्त उच्चतम उत्पादन स्तर। इस पद्धति में यह माना जाता है कि उत्पादन में प्रकट होने वाले सभी अन्यावधिक उच्चतम स्तर 100 प्रतिशत क्षमता के उपयोग को दर्शाते हैं। परिचालनगत दरों संबंधी आर्थिक सर्वेक्षण क्षमता के उपयोग का पता लगाने की एक वैकल्पिक पद्धति है। किंतु इन सर्वेक्षणों में क्षमता की कोई विशेष परिभाषा नहीं है, अतः आम तौर पर ऐसे सर्वेक्षणों में आत्मनिष्ठ मापन किया जाता है। उत्पादन कार्यों के अनुरूप संभाव्य उत्पादन का मूल्यांकन करना भी क्षमता के उपयोग के मापन की एक और पद्धति है जिसमें यह दर्शाया जाता है कि पूंजी और श्रम निविष्टि का पूरी तरह से उपयोग कर अभीष्ट स्तर पर उत्पादन हासिल किया जा सकता है। क्षमता के उपयोग के मापन में उत्पादन-उमुख पद्धति एक ऐसी भी पद्धति है जहाँ निश्चित स्तर की तुलना में संभाव्य अधिकतम उत्पादन (अर्थात् क्षमताजन्य उत्पादन) का मूल्यांकन किया जाता है।

भारत में क्षमता के उपयोग का मापन : मौजूदा पद्धतियाँ


भारत में क्षमता के उपयोग के आकलन के लिए कोई एकल अधिकृत मूल्यांकन पद्धति उपलब्ध नहीं है। वर्तमान में केंद्रीय संस्थानों द्वारा अपनी मासिक 'बुनियादी संरचना क्षेत्र के कार्य-निष्पादन संबंधी सार रिपोर्ट' में प्रमुख बुनियादी

उद्योगों में क्षमता के उपयोग संबंधी कठिपय मूल्यांकन प्रस्तुत किए हैं। रिजर्व बैंक ने अपने 'क्रायादेश पुस्तक, स्टॉक और क्षमता उपयोग सर्वेक्षण' में भारतीय विनिर्माण क्षेत्र में क्षमता के उपयोग के स्तर का मूल्यांकन उपलब्ध कराया है। क्षमता के उपयोग के स्तर का परिकलन चुनिंदा कार्य-पद्धति के अनुसार कंपनियों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले आंकड़ों से किया जाता है। यह सर्वेक्षण विनिर्माण क्षेत्र में मौजूद 2,500 ऐसी सर्वेजनिक व निजी क्षेत्र की लिमिटेड कंपनियों के बीच किया गया, जिनका आकार अपेक्षित स्तर का हो/उद्योग क्षेत्र में जिनकी प्रतिष्ठा हो। प्रत्येक दौर में एक समान स्वरूप की कंपनियों के समह के संबंध में क्षमता के उपयोग में होने वाले उत्तर-चढ़ावों का अध्ययन करने के लिए प्रवृत्तिमूलक विश्लेषण किया गया ताकि संदर्भधीन तिमाहियों से संबंधित आंकड़ों की तुलना कारगर हो। 2011-12 की चौथी तिमाही के संबंध में किए गए सर्वेक्षण के 17वें दौर के परिणामों को जुलाई 2012 में जनसाधारण की सूचनार्थी उपलब्ध कराया गया।

भारतीय बाणिज्य और उद्योग परिसंघ के तिमाही 'बिज़नेस कॉन्फिडेन्स सर्वें' और 'सर्वे ऑन इंडियन मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर' में औद्योगिक क्षेत्र में क्षमता के उपयोग का मूल्यांकन प्रस्तुत किया गया है। राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद ने भी अपने तिमाही 'बिज़नेस एक्सपेक्टेशन सर्वे' में भारतीय उद्योगों में क्षमता के उपयोग की जानकारी उपलब्ध कराई है।

भारतीय संदर्भ में क्षमता के उपयोग की अधिकांश मूल्यांकन पद्धतियाँ सर्वेक्षण पद्धतियों पर आधारित हैं। ये पद्धतियाँ अन्य देशों में प्रचलित प्रथा के अनुरूप हैं। किंतु भारतीय उद्योग क्षेत्र में क्षमता के उपयोग के मापन के लिए वार्टन पद्धति का प्रयोग करने की चेष्टा की गई। अर्थव्यवस्था में मांगजन्य दबावों की पहचान में कामयाब होने की वजह से वार्टन पद्धति से, अन्य प्रथागत समय क्रम पद्धतियों की तुलना में, कई लाभ प्राप्त होते हैं। क्षमता के उपयोग की उच्च दरों से यह पता चलता है कि अर्थव्यवस्था में मांगजन्य दबाव बढ़ गए हैं और इससे मुद्रास्फीति में बढ़ोत्तरी होगी। भारतीय विनिर्माण क्षेत्र में वार्टन विचार-धारा पद्धति का प्रयोग करते हुए प्रचलित क्षमता की उपयोग दर मुद्रास्फीतिकारी दबाव की प्रमुख सचक के रूप में काम करती है, जो सैद्धांतिक प्रत्याशा के अनुरूप होती है। विनिर्माण उत्पादों में क्षमता के उपयोग के एकल काल-खंड के संदर्भ में मुद्रास्फीति का 0.54 अंक का महत्वपूर्ण धनात्मक सहसंबंध होता है (चार्ट 1)। इसके अलावा, क्षमता के उपयोग के संबंध में वार्टन पद्धति और

(जारी...)




क्रायादेश पुस्तक, स्टॉक और क्षमता उपयोग सर्वेक्षण के माध्यम से मोटे तौर पर प्राक्कलित प्रवृत्ति समान है (चार्ट 2)।

व्यवहार में, क्षमता के उपयोग के मूल्यांकन में सर्वेक्षण पद्धतियों को कठिपय कारणों से समयक्रम पद्धतियों, जिसमें कई सारी क्रियाएँ हैं, के स्थान पर प्राथमिकता दी जाती है। कारण ये हैं- उपयोग में लाई जाने वाली वैकल्पिक पद्धतियों से प्राप्त होने वाले भिन्न-भिन्न प्रकार के मूल्यांकन, ऐसी धारणा बना जाना कि औद्योगिक क्षेत्र को उपलब्ध सारा पूंजीगत स्टॉक का पूरा-पूरा लाभ उठाया जाता है जबकि हकीकत इसके विपरीत है, एक वर्ष के अल्पावधिक काल-खंड में हासिल उत्पादन के उच्चतम स्तर का चयन किया जाना, अंतिम विनिर्देशन की समस्या और प्रत्येक फर्म के उत्पादन की गतिविधियों का सही स्वरूप विनिर्दिष्ट करने में आने वाली कठिनाइयां आदि। समयक्रम पद्धति के अंतर्गत आधार वर्ष का संशोधन तय करने, तथा अंत में अनन्तिम अंकड़ों की परिवर्तनशीलता निर्धारित करने में पैदा होने वाली परेशानियां। उदाहरणार्थ, आधार वर्ष को 1993-94


II.1.41 चीन और कुछ पूर्व एशियाई देशों की अर्थव्यवस्थाओं में सकल देशी उत्पाद में विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी 30-40 प्रतिशत के बीच रही। भारत में सुधार के बाद की अवधि में विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी 14-16 प्रतिशत के आसपास थी। आशा की जाती है कि राष्ट्रीय विनिर्माण नीति से विनिर्माण क्षेत्र को काफी सहायता मिलेगी। इस नीति का उद्देश्य है मौजूदा स्थिति में सुधार करते हुए और 100 मिलियन नौकरियों का सृजन करके प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देते हुए 2022 तक सकल देशी उत्पाद में विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी को बढ़ाकर 25 प्रतिशत करना।

सेवा क्षेत्र की वृद्धि में कुछ कमी

II.1.42 हाल के वर्षों में भारत की वृद्धि में सेवा क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान रहा है, जिसने वैश्विक आर्थिक संकट की अवधि में खराब स्थिति का अच्छी तरह से सामना किया। किंतु हाल के समय में सेवा क्षेत्र में गिरावट दिखाई दे रही है। 2011-12 में इस क्षेत्र की वृद्धि दर 8.5 प्रतिशत पर पहुंच गई, जबकि पिछले वर्ष 9.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई थी (चार्ट II.9)। निर्माण क्षेत्र में आई गिरावट



से 2004-05 में परिवर्तित करने से नए क्रम के अंतर्गत औद्योगिक उत्पादन सूचकांक लगभग +/ - 11 प्रतिशत तक का अंतर आ जाता है। अतः क्षमता के उपयोग से संबंधित पद्धति ऐसी हो जिसमें क्षमता/संभावित उत्पादन की विभिन्न अवधारणाओं की उपयुक्तता पर ध्यान केंद्रित करने वाले विभिन्न तत्त्वों, मौजूदा अंकड़ों में पाई जाने वाली खामियों का मूल्यांकन, और विभिन्न उपयोगों की प्रत्येक विभाग में क्षमता के अंतर्गत आधार पर क्षमता का उपयोग का मापन



प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज हुई थी। मांग के घटने और औद्योगिक क्षेत्र के साथ अंतर-संबंध ढीला होने के चलते सेवा क्षेत्र में गिरावट आई।

II.1.43 निर्माण उद्योग में लाभ का उच्च मार्जिन बनाए रखने के कारण आवास निर्माण से संबंधित सामग्री के मूल्यों में बढ़ोतरी होती रही, जिसके परिणामस्वरूप निर्माण कार्यकलापों में फिलाई आई। 2011-12 में सड़क निर्माण संबंधी निविदाएं बड़ी मात्रा में दी गई, जिससे आगामी वर्षों में निर्माण कार्यकलाप को सहायता मिल सकती है। किंतु बाद में सड़क परियोजनाओं के समक्ष नई-नई अड़चनें पैदा हुई, जिनकी वजह से 2012-13 की पहली तिमाही में दी गई निविदाओं की संख्या में काफी गिरावट आई (चार्ट II.10)।

II.1.44 औद्योगिक कार्यकलापों से घनिष्ठ संबंध रखने की वजह से 2001-12 की अवधि में 'व्यापार, होटल, परिवहन और संचार' क्षेत्रों की वृद्धि की गति भी धीमी रही। परिवहन क्षेत्र में आई मंदी के प्रभाव से व्यापारिक मोटर वाहनों के उत्पादन में भी कमी हुई। नए सेल फ़ोन कनेक्शनों की संख्या में कमी आने की वजह से दूरसंचार उद्योग बुरी तरह प्रभावित हुआ। इसके पीछे आंशिक रूप से दो कारण रहे, यथा- विनियामक दंड लगाया जाना और इस क्षेत्र की असाधारण वृद्धि का दौर समाप्त होने के बाद मंदी आना।

II.1.45 चूंकि व्यापार और परिवहन जैसे उप क्षेत्र औद्योगिक उत्पादन पर अवलंबित रहते हैं, अतः सेवा क्षेत्र की स्थिति मुख्य रूप से औद्योगिक वृद्धि पर निर्भर करती है। इस क्षेत्र की वृद्धि की संभावना वैश्विक आर्थिक परिस्थिति पर निर्भर रहती है (बॉक्स II.4)। उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में आर्थिक स्थिति खराब रहने से भारतीय सेवा क्षेत्र का निर्यात प्रभावित हो सकता है।


हाल के वर्षों में रोजगार में संरचनागत परिवर्तन दिखाई पड़ा

II.1.46 आम तौर पर जब अर्थव्यवस्थाओं में वृद्धि होने लगती है तो रोजगार क्षेत्र का स्वरूप कृषि क्षेत्र से विनिर्माण क्षेत्र और उसके बाद सेवा क्षेत्र का रूप धारण करता है। इस परिप्रेक्ष्य में भारत में रोजगार की संरचना में बदलाव की गति धीमी रही है। 2009-10 में कुल कार्यबल में कृषि क्षेत्र में रोजगार प्राप्त करने वालों की हिस्सेदारी 53.2 प्रतिशत से अधिक रही, जिसका सकल देशी उत्पाद में लगभग 14.7 का योगदान है। सकल देशी उत्पाद में उद्योग और सेवा क्षेत्र का योगदान क्रमशः 20.2 प्रतिशत और 65.1 प्रतिशत है। कुल श्रम बल में इन क्षेत्रों में कार्यरत लोगों का हिस्सा क्रमशः 11.9 प्रतिशत और 35.0 प्रतिशत है।


II.1.47 हाल के वर्षों में रोजगार के संदर्भ में कृषि और विनिर्माण क्षेत्र में बदलाव आया है। अब निर्माण, परिवहन और संचार को प्राथमिकता दी जा रही है (चार्ट II.11)। निर्माण क्षेत्र में 2004-05 से 2009-10 तक की अवधि में रोजगार की दर में 62 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है, आलोच्य अवधि में इस क्षेत्र में सर्वाधिक रोजगार के अवसरों का सृजन हुआ है। जहाँ तक रोजगार के स्वरूप का संबंध है, इस अवधि में समग्र रोजगार में अनियत श्रम की वजह से सर्वाधिक वृद्धि हुई, जिससे यह पता चलता है कि इस प्रकार पैदा किए गए रोजगार के अवसर स्थायी स्वरूप के नहीं हो सकते हैं।

II.1.48 वर्ष 2004-05 में युवा वर्ग और महिलाओं को प्राप्त रोजगार की संख्या में कमी आई। इस अवधि में 15 से 19 वर्ष के आयु-वर्ग के पुरुषों को प्राप्त रोजगार की दर में 12 प्रतिशत की कमी आई। शैक्षिक संस्थाओं में स्थान प्राप्ति की दर में हुई बढ़ोतरी इसका

चार्ट II.10: भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा सड़क परियोजनाओं का कार्यान्वयन



स्रोत : भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण



बॉक्स II.4

मौद्रिक नीति और विदेशी मांग का सेवा क्षेत्र की वृद्धि पर प्रभाव

वर्ष 1980 के दशक से भारत की वृद्धि के पीछे सेवा क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान रहा है। 1980 के दशक के उत्तरार्द्ध में सेवा क्षेत्र के लगभग सभी घटकों की वृद्धि दरें बढ़ने लगीं और 2005-08 की अवधि में इनमें अभूतपूर्व वृद्धि हुई (सारणी)। सेवा क्षेत्र के अंतर्गत विशेष रूप से संचार और बैंकिंग व बीमा की वजह से काफी विस्तार हुआ। वैश्विक वित्तीय संकट शुरू होने के बावजूद कितिपय उप-क्षेत्रों, विशेषकर 'संचार' क्षेत्र की वृद्धि दरें लगातार बढ़ती रहीं। इससे क्षेत्र सेवा क्षेत्र की आधात सहनीयता का पता चलता है। सेवा क्षेत्र की संरचना से यह मालूम पड़ता है कि इसमें 'व्यापार' क्षेत्र का प्राधन्य है, जिसकी 24 प्रतिशत की हिस्सेदारी है। इसी प्रकार, उपर्युक्त वर्षों में 'बैंकिंग व बीमा' तथा 'संचार' - दोनों क्षेत्रों की हिस्सेदारी में काफी बढ़ोतरी दर्ज हुई है। 'रियल एस्टेट, आवास के स्वामित्व और व्यापार सेवाओं' जिनमें आईटी सेवाएं और 'निर्माण' शामिल हैं, की हिस्सेदारी भी अधिक रही, किंतु संकट के बाद की अवधि में इनमें मामूली गिरावट आई।

सेवा क्षेत्र को न केवल संरचनागत सुधार संबंधी उपायों की शुरुआत के बाद उदारीकरण से और प्रति-व्यक्ति आय में काफी बढ़ोतरी होने से लाभ प्राप्त हुआ, बल्कि इसके औद्योगिक क्षेत्र के साथ अंतर्निहित संबंध होने से भी इसे काफी फायदा हुआ है। विशेष रूप से व्यापार, दूरसंचार, बैंकिंग व कारोबारी सेवा (जिसमें आईटी सेवाएं शामिल हैं) आदि क्षेत्र अत्यधिक लाभान्वित हुए हैं। निर्माण और रियल एस्टेट क्षेत्रों की अपेक्षाकृत अधिक वृद्धि से द्रुत गति से होने वाला शहरीकरण उजागर होता है।

विभिन्न कारकों के प्रभाव को सामने लाने के लिए 1980-81 से 2010-11 तक की अवधि से संबंधित वार्षिक अंकड़ों के आधार पर सेवा क्षेत्र की वृद्धि के एक रैखिक रेग्रेशन का प्रयोग किया गया। 1991-92 में किए गए संरचनागत सुधारों की शुरुआत का उल्लेख करने के लिए डमी चर अंक (डीआरईएफ) अंतर्विष्ट किए गए, साथ ही कितिपय वर्षों के आउटलायर (डीवाईआरएस) भी शामिल किए गए। मांग दर (सीआर) {मौद्रिक नीति के रुख के संक्षिप्त सूचक के रूप में} थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति (आईएनएफ), औद्योगिक क्षेत्र की वृद्धि (आईएनडी) और विश्व जीडीपी (डब्ल्यूजी) के

अंकों का व्याख्यात्मक चर अंक के रूप में प्रयोग किया गया। इस प्राक्कलन के परिणाम निम्नानुसार रहे :

$$\begin{aligned} \text{SER} &= 7.23 - 0.20 \text{ CR} (-1) - 0.18 \text{ INF} + 0.12 \text{ IND} + 0.41 \\ \text{WG}(-1) &+ 1.93 \text{ DREF} + 2.29 \text{ DYRS} \end{aligned}$$

$$\text{समायोजित R वर्गीकृत} = 0.81 \quad \text{डीडब्ल्यू} = 1.84$$

औद्योगिक क्षेत्र की वृद्धि (IND) को छोड़कर सभी गुणांकों का 1 प्रतिशत भी सांख्यिकीय दृष्टि काफी महत्वपूर्ण है, जबकि IND के गुणांक का 5 प्रतिशत पर महत्वपूर्ण है। इन गुणांकों से प्रत्याशित सकेत मिलते हैं। इन परिणामों से यह भी पता चला कि मांग दरों में एक प्रतिशत अंक की बढ़ोतरी होने से आगे के काल-खंड में सेवा क्षेत्र की वृद्धि में लगभग 0.2 प्रतिशत की गिरावट आ जाती है। इससे निधि की लागत में होने वाली बढ़ोतरी का प्रभाव स्पष्ट होता है। सेवा क्षेत्र की वृद्धि पर मुद्रास्फीति दर में एक प्रतिशत अंक की बढ़ोतरी का प्रभाव भी लगभग इसी प्रकार का है, किंतु यह प्रभाव समय-सापेक्ष होता है। औद्योगिक क्षेत्र की जबरदस्त वृद्धि से सेवा क्षेत्र को काफी सहारा मिलता है। दूसरी ओर, सेवा क्षेत्र की वृद्धि में विश्व की कम जीडीपी वृद्धि महत्वपूर्ण कारक है, जिसका 0.41 का गुणांक होता है।

संदर्भ :

बंगा आर और विश्वनाथ गोलदर (2004), ‘‘कान्द्रिब्यूशन ऑफ सर्विसेज दू आउटपुट ग्रोथ एंड प्रोडेक्टिविटी इन इंडियन मैन्यूफैक्चरिंग : प्री एंड पोस्ट रिफार्म्स’’ आईसीआरआईआर वर्किंग पेपर, नं.139, जुलाई।

ऐशनग्रीन बी और पूनम गुप्ता (2011), ‘‘द सर्विस सेक्टर ऐज इंडियाज रोड दू इकोनॉमिक ग्रोथ’’ एनबीईआर वर्किंग पेपर, नं.16757, फरवरी।

गोर्डन जे और पूनम गुप्ता (2004), ‘‘अंडरस्टैडिंग इंडियाज सर्विसेज रिवोल्यूशन’’ आईएमएफ वर्किंग पेपर, डब्ल्यूपी/04/171, सितंबर।

कौर, जी., संजीव बरदलै और राज राजेश (2009), ‘‘एन एमिरिकल इनवेस्टिगेशन ऑफ द इंटर-सेक्टोरल लिंकेजस इन इंडिया’’, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ़जनल पेपर, खंड 30, सं.1, समर


सारणी 1: सेवा क्षेत्र की संवृद्धि

(प्रतिशत)

	वृद्धि दरें					सेवा क्षेत्र में हिस्सेदारी							
	1980-83	1988-91	2005-08	2008-11	2	3	4	5	6	7	8	9	
1					3.9	8.6	11.3	6.8	16.2	13.8	12.9	12.2	
निर्माण					5.6	6.4	10.7	8.0	24.4	23.5	24.2	23.3	
व्यापार					7.2	8.9	14.9	2.4	1.9	1.9	2.6	2.3	
होटल और रेस्तरां					4.6	2.5	9.5	8.0	3.0	2.5	1.6	1.5	
रेल					6.7	6.2	9.0	7.0	8.6	8.7	9.1	8.5	
अन्य साधनों द्वारा परिवहन					2.0	1.3	6.3	10.3	0.3	0.2	0.1	0.1	
भंडारण					6.5	6.1	24.0	28.0	0.8	0.7	3.4	5.3	
संचार					6.9	11.9	17.7	13.3	5.5	7.7	10.7	12.2	
बैंकिंग और बीमा					6.4	8.2	9.5	8.4	13.5	15.5	14.5	14.2	
रियल एस्टेट, आवासों का स्वामित्व और कारोबारी सेवाएं					4.9	5.2	4.6	13.1	12.3	13.1	8.6	9.2	
लोक प्रशासन और रक्षा					3.4	7.0	6.3	7.3	15.4	14.3	12.2	11.2	
अन्य सेवाएं					5.3	7.2	10.5	9.5	45.4*	49.0*	62.1*	64.9*	
सेवा क्षेत्र													

*: सकल देशी उत्पाद में सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी। स्रोत : केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय।

चार्ट II.11: रोजगार



प्रमुख कारण रही। 2004-05 में शैक्षिक संस्थाओं में पढ़ाई को अपने प्रमुख कार्यकलाप के रूप में मानने वाले 15-19 वर्ष के आयु-वर्ग के पुरुषों का हिस्सा 51 प्रतिशत था, जबकि 2009-10 में यह बढ़कर 63 प्रतिशत हो गया। जहाँ तक महिलाओं का सवाल है, सभी आयु-वर्गों की महिलाओं में कार्य सहभागिता दर (डब्ल्यूपीआर) में आई गिरावट से कुल श्रम बल में इनकी सहभागिता में आई गिरावट का पता चला। इसके परिणामस्वरूप, घरेलू कार्यों से संबद्ध महिलाओं के अनुपात में बढ़ोतरी हुई जो 2004-05 के 31.6 प्रतिशत की तुलना में 2009-10 में बढ़कर 37.8 प्रतिशत हो गया।

II.1.49 हाल के समय में रोजगार में हुई कम वृद्धि और वास्तविक मजदूरी में हुई बढ़ोतरी की भी महत्ता रही। कार्य सहभागिता दर में आई गिरावट के चलते श्रमिक बाजार में मांग बढ़ गई, जिसके परिणामस्वरूप आंशिक रूप से वास्तविक मजदूरी में बढ़ोतरी हुई। इसके अलावा, एमजीएनआरईजीए की शुरुआत से 2004-05 से लोक निर्माण कार्यों में आठ-गुना वृद्धि दर्ज हुई। साथ ही, लोक निर्माण कार्यों हेतु दी जाने वाली मजदूरी में हुई बढ़ोतरी से भी वास्तविक मजदूरी में वृद्धि हुई। तथापि, 2009-10 में ग्रामीण रोजगार के कुल श्रम दिनों में लोक निर्माण कार्यों की 2 प्रतिशत से भी कम हिस्सेदारी रही। इसके अलावा, लोक निर्माण कार्यों में मिलने वाली मजदूरी गैर-सार्वजनिक क्षेत्र के निर्माण कार्यों और नियमित/वेतनभोगी कर्मचारियों को प्राप्त होने वाली मजदूरी से कम रही।

II.1.50 समग्र रूप से 2011-12 में चक्रीय और संरचनागत कारकों की वजह से वृद्धि में तेज गिरावट आई। 2010-11 में अच्छी रिकवरी के बाद वैश्विक कारकों और उच्च मुद्रास्फीति के चलते चक्रीय गिरावट आने लगी। अर्थव्यवस्था में रहने वाली

संरचनागत अड़चनों की वजह से और गिरावट आई। चूंकि अब तक इन संरचनागत अड़चनों को दूर नहीं किया गया है, अतः निकट भविष्य में वृद्धि दर में मामूली बढ़ोतरी हो सकती है। विशेष रूप से बुनियादी संरचना, खनन और धातु आदि क्षेत्रों में काफी चिंताजनक अड़चनें हैं। इन अड़चनों को दूर करने पर धीरे-धीरे निवेश की मांग में सुधार हो सकता है।

II.2 मूल्य स्थिति

मुद्रास्फीति लगातार दूसरे वर्ष भी उच्च स्तरों पर बनी रही

II.2.1 2009-10 की अंतिम तिमाही से शुरू हुआ उच्च मुद्रास्फीति का दौर बना रहा और पिछले लगातार दो वर्षों में उसने सामान्य रूप ले लिया। मुद्रास्फीति 2011-12 के पहले आठ महीनों में लगातार 9 प्रतिशत से अधिक के उच्च स्तर पर बनी रही और दिसंबर 2011 में इसमें कुछ गिरावट देखी गई। तब से यह 6.9 - 7.7 प्रतिशत के दायरे में बनी हुई है। खाद्येतर विनिर्माण उत्पादन मुद्रास्फीति लगातार 23 महीनों तक 5 प्रतिशत के ऊपर बनी रही, निवेश मांग में उल्लेखनीय गिरावट और संवृद्धि में भी कमजोरी के कारण मुद्रास्फीति नवम्बर 2011 के 8.4 प्रतिशत के उच्चतम स्तर से गिरकर मार्च 2012 तक 5 प्रतिशत के नीचे पहुँच गयी। हालांकि, निविष्टि की लागतों में निरंतर वृद्धि के कारण खाद्येतर विनिर्मित उत्पादों की मुद्रास्फीति में गिरावट नहीं आयी, यद्यपि कंपनियों की आय में कमी आने के दबाव से मूल्य निर्धारण की उनकी क्षमता में गिरावट आयी। संवृद्धि में गिरावट में मौद्रिक कठोरता के कारण कीमत निर्धारण क्षमता में कमी के साथ-साथ अनुकूल आधारभूत प्रभाव और खाद्य विशेषकर

सब्जियों की कीमतों में अस्थायी गिरावट के कारण मुद्रास्फीति में गिरावट आयी।

II.2.2 गिरावट के बावजूद, मुद्रास्फीति उच्च स्तरों पर बनी रही जिसमें जुलाई 2012 में हेडलाइन थोक मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति 6.9 प्रतिशत रही और नए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) के अनुसार खुदरा मूल्य सूचकांक दो अंकों पर बनी रही। मुद्रास्फीति उस सीमा के ऊपर बनी रही जहां संवृद्धि - मुद्रास्फीति के बीच तालमेल काम करना बंद कर देता है और मुद्रास्फीति की उच्च दर संवृद्धि और संवृद्धि की धारणीयता (2010-11 के वार्षिक रिपोर्ट का बॉक्स II.4 देखें) पर प्रतिकूल असर डालना शुरू कर देती है।

II.2.3 वर्ष के दौरान रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति संबंधी विभिन्न उपाय मुद्रास्फीति के कारकों के आकलन, विशेषकर मुद्रास्फीति के अन्य निर्धारकों की तुलना में समग्र मांग की बदलती भूमिका और समय के साथ बदलते जोखिम संबंधी विविध कारकों पर आधारित थे। उच्च और सतत बनी रहने वाली व्यापक मुद्रास्फीति के कारण अक्टूबर 2011 तक मौद्रिक नीति निरंतर कठोर बनी रही। तत्पश्चात, संवृद्धि के समक्ष आ रहे जोखिम और मुद्रास्फीति में आयी गिरावट के कारण मौद्रिक नीति के संचालन, रुक्णान और दिशानिर्देश में भारांक के संतुलन में बदलाव (विस्तृत जानकारी के लिए अध्याय III देखें) आवश्यक हो गया।



संवृद्धि की दर में कमी आने के बावजूद कीमत दबाव का व्यापकीकरण

II.2.4 हाल के वर्षों में मुद्रास्फीति के स्वरूप की निरंतरता को पिछले कुछ वर्षों के दौरान उत्तर-चढ़ाव के साथ (जैसे कि वर्ष के

दौरान मासिक मुद्रास्फीति में घट-बढ़ के सहगुणांक द्वारा मापा जाता है) मुद्रास्फीति के औसत दर की प्रवृत्तियों से आंका जा सकता है। वर्ष 2010-11 और 2011-12 के दौरान मुद्रास्फीति की औसत दर में उल्लेखनीय वृद्धि हुई जबकि मुद्रास्फीति के तीव्र उत्तर-चढ़ाव में काफी कमी (चार्ट II.12क) आयी। उच्च स्तर पर कम उत्तर-चढ़ाव का होना व्यापक सतत उच्च मुद्रास्फीति की ओर संकेत करने के साथ-साथ मुद्रास्फीति की उत्तरोत्तर वृद्धि पर लगाम लगाने में कठोर मौद्रिक नीति के प्रभाव को भी दर्शाता है। साथ ही, थोक मूल्य सूचकांक के विभिन्न पण्य समूहों में मुद्रास्फीति यह संकेत देती है कि 2009-10 की दूसरी छमाही से अधिकांश समयों में इसकी परिवर्तनीयता में आयी गिरावट मूल्य दबावों की व्यापकता (चार्ट II.12ख) की ओर संकेत करती है। बढ़ रही परिवर्तनीयता के कारण अक्टूबर 2011-जनवरी 2012 के दौरान समग्र मुद्रास्फीति में गिरावट आयी क्योंकि मुद्रास्फीति की कमी में केवल कुछ मदों का योगदान रहा। जनवरी 2012 से परिवर्तनीयता में आयी कमी यह संकेत देती है कि मुद्रास्फीति में गिरावट का असर अनेक पण्यों पर पड़ा।

II.2.5 भारत में 1970 के दशक से उच्च और सतत मुद्रास्फीति के सात प्रसंग आए जहां हेडलाइन थोक मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति लगातार छः महीनों से अधिक समय तक 8 प्रतिशत से ऊपर बनी रही (सारणी II.2)। प्रत्येक प्रसंग में उच्च मुद्रास्फीति अधिकांशतः लगभग 2-3 वर्षों तक बनी रही। इन उच्च मुद्रास्फीति के प्रसंगों में तेल में कीमतों में बढ़ोत्तरी, सूखा और मुद्रा का अवमूल्यन जैसे विभिन्न

चार्ट II.12: मुद्रास्फीति की प्रवृत्ति और उत्तर-चढ़ाव



*सापेक्ष मूल्य परिवर्तनीयता के सूचकांक को $RPV = \sqrt{\sum_{i=1}^n w_i (\pi_i - \bar{\pi})^2}$ द्वारा मापा जाता है। (जहां π_i पण्य समूह i के लिए मुद्रास्फीति है, w_i मुद्रास्फीति की समग्र दर है और $\bar{\pi}$ समग्र थोक मूल्य सूचकांक में पण्य समूह i का भागक है)

सारणी II.2: भारत में उच्च मुद्रास्फीति के दौर : 1971 से 2012

अवधि	औसत मुद्रास्फीति		महीनों की संख्या
	डब्ल्यूपीआई	सीपीआई-डब्ल्यूपीआई	
1	2	3	4
जुलाई-1972-अप्रैल-1975	19.3	19.4	34
मई-1979-दिसंबर-1981	15.7	11.1	32
अगस्त-1987-जुलाई-1988	8.8	9.6	12
फरवरी-1990-दिसंबर-1992	11.3	11.7	35
सितंबर-1993-नवंबर-1995	10.0	9.9	27
मई-2008-नवंबर-2008	10.2	9.1	7
जनवरी-2010-नवंबर-2011	9.6	10.7	23

कारण रहें हालांकि जब भी मुद्रास्फीति उच्च स्तरों पर होती है तब मुद्रास्फीति की प्रवृत्ति एक समान होती है।



II.2.6 वर्तमान उच्च मुद्रास्फीति का यह दौर 1990 के मध्य से अब तक का सबसे लम्बे समय तक बने रहने वाला दौर है। मौद्रिक नीति के लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि संवृद्धि में कमी के बावजूद मुद्रास्फीति लगातार क्यों बनी हुई है, इस पर ध्यान देना होगा कि मुद्रास्फीति के सभी तीन प्रमुख कारक अर्थात् खाद्य, ईंधन और मूल वस्तुएं उच्च एवं सतत मुद्रास्फीति में उल्लेखनीय योगदान दे रही हैं। सब्जी जैसे कुछ खाद्य पदार्थों की कीमतों में घट-बढ़ से खाद्य मुद्रास्फीति में सामान्य तौर पर अत्यधिक उतार-चढ़ाव देखा गया, हालांकि खाद्य मुद्रास्फीति का प्रमुख कारण प्रोटीन युक्त वस्तुएं रही हैं जिनकी कीमतें तीव्र गति से बढ़ना जारी है। आहार संबंधी आदतों में बुनियादी बदलाव और परिश्रमिक में बढ़ोत्तरी से निविष्टि लागत में बढ़ोत्तरी के कारण प्रोटीन मुद्रास्फीति बढ़ गई।

II.2.7 नियंत्रित मूल्य व्यवस्था के कारण ईंधन मुद्रास्फीति दमित रहने के बावजूद ईंधन की कीमतों में बढ़ोत्तरी के कारण ईंधन मुद्रास्फीति दो वर्षों से ज्यादा समय से दो अंकों में बनी रही (परिशिष्ट सारणी 8)। हालांकि, ईंधन मुद्रास्फीति जुलाई 2012 में कम होकर 6.0 प्रतिशत हो गयी क्योंकि नियंत्रित ईंधन उत्पादों की घरेलू कीमतें पिछले एक वर्ष के दौरान बढ़ाई नहीं गयी। कच्चे माल और ईंधन की कीमतों के साथ-साथ स्टाफ लागत में बढ़ोत्तरी के कारण निविष्टि लागत बढ़ गयी जिसका प्रभाव मूल मुद्रास्फीति पर साफ-साफ दिख रहा था। इस प्रकार, मांग दबाव के अलावा, लागत दबाव का भी प्रभाव मूल मुद्रास्फीति पर दिखा।


II.2.8 वर्ष के अंतिम भाग में बढ़ोत्तरी की दर में कमी आने के बावजूद वर्ष 2011-12 के दौरान थोक मूल्य सूचकांक में निरंतर वृद्धि देखी गयी (चार्ट II.13)। वर्ष के आरंभ में थोक मूल्य सूचकांक में बढ़ोत्तरी के अनेक कारण थे जिनमें खाद्य मूल्य में बढ़ोत्तरी, ईंधन के नियंत्रित मूल्य में संशोधन के साथ-साथ मजबूत मांग और कीमत निर्धारण क्षमता के साथ उच्च निविष्टि लागत के कारण आ रहे उल्लेखनीय दबावों से विनिर्मित उत्पादों की कीमतों में बढ़ोत्तरी शामिल है। वर्ष 2011-12 के दौरान संवृद्धि में कमी के कारण मूल मुद्रास्फीति पर दबाव के घटने की संभावना थी। किंतु रूपये के अवमूल्यन और वैश्विक पण्यों की उच्च कीमतों की वजह से उत्पन्न दबाव मूल मुद्रास्फीति की गिरावट में बाधा बनी।

II.2.9 मुद्रास्फीति में गिरावट का दौर खाद्य पदार्थों की कीमतों में कमी के कारण आया जो कीमतों में मौसमी गिरावट के बाद उसमें आयी तीव्र उछाल के कारण फरवरी 2012 में दुबारा बढ़ गयी। संवृद्धि की दर में कमी के बावजूद मुद्रास्फीति में खाद्येतर विनिर्मित उत्पादों

चार्ट II.13: थोक मूल्य सूचकांक की प्रवृत्ति



चार्ट II.14: मुद्रास्फीति में भारित योगदान (प्रतिशत में): प्रमुख समूह



का योगदान अधिक रहा (चार्ट II.14)। किंतु कुछ पेट्रो-उत्पादों, कोयला और बिजली के नियंत्रित मूल्य से मुद्रास्फीति दमित रहने के बावजूद समग्र मुद्रास्फीति में ईंधन समूह की भूमिका उल्लेखनीय रही।


वर्ष के दौरान खाद्य मुद्रास्फीति में गिरावट के बाद बढ़ोत्तरी

II.2.10 वर्ष 2011 के दौरान भारत में दक्षिण-पश्चिम मानसून सामान्य रहा जिसके प्रभाव से चुनिंदा खाद्य पदार्थों विशेषकर अनाज और दलहन की कीमतें कुछ कम रही जिसके कारण वर्ष के दौरान औसत मुद्रास्फीति 3.6 प्रतिशत के सामान्य स्तरों पर रही। किंतु अनाजेतर वस्तुओं के कारण खाद्य मुद्रास्फीति ऊंचे स्तर (चार्ट II.15) पर बनी रही जिनपर अल्पावधि में मौसम का उतना अधिक असर नहीं होता। कुछ साक्ष्य मौजूद हैं कि प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोत्तरी और आहार संबंधी तरीकों में परिवर्तन के कारण प्रोटीन युक्त वस्तुओं की मांग बढ़ी है। मजदूरी में उल्लेखनीय बढ़ोत्तरी के कारण हाल के वर्षों

में निविष्टि लागत दबाव भी अधिक बना रहा। कभी-कभार की मौसमी गिरावटों को छोड़ दें तो कमजोर आपूर्ति उपायों के साथ-साथ निविष्टि लागत दबावों ने खाद्य मुद्रास्फीति को ऊच्च स्तर पर बनाए रखा। नवम्बर 2011-जनवरी 2012 के बीच प्राथमिक खाद्य मुद्रास्फीति में तेजी से गिरावट देखी गयी जो 10 प्रतिशत के ऊंचे स्तर से नकारात्मक स्तर तक पहुंच गयी। यह सब्जियों की कीमतों में मौसमी गिरावट और अनुकूल आधारभूत प्रभाव को दर्शाती है। किंतु, बाद में कीमतों में भारी उछाल आया और अप्रैल 2012 तक मुद्रास्फीति दुबारा दो अंकों में चली गयी। अक्टूबर 2011 से प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थों की कीमतें लागतार ऊंची बनी रहीं।

II.2.11 खाद्य मुद्रास्फीति के प्रबंधन के लिए आपूर्ति को बढ़ाने के उपाय करने की आवश्यकता होती है क्योंकि खाद्य मुद्रास्फीति पर नियंत्रण के लिए मौद्रिक नीति के माध्यम से मांग प्रबंधन की अपनी सीमा है और इससे संवृद्धि प्रभावित होती है। ऊच्च औसत स्तरों पर

चार्ट II.15: खाद्य मुद्रास्फीति की प्रवृत्ति



खाद्य मुद्रास्फीति में न केवल अत्यधिक उतार-चढ़ाव देखा गया, परंतु थोक और खुदरा स्तरों पर भी मूल्य के बीच के अंतर में भी बढ़ोत्तरी हो रही है। यह आपूर्ति शृंखला में व्यवधानों की भूमिका की

ओर इशारा करती है। इस संबंध में प्रभावी नीतिगत हस्तक्षेपों के लिए संस्थागत अनेक कारकों को ध्यान में रखना होगा (बॉक्स II.5)।

बॉक्स II.5 कृषि में आपूर्ति शृंखला प्रबंधन : फार्म स्थल से खुदरा बाजार तक

पण्यों, विशेषकर कृषि उत्पादों, की कीमतों में बहुत ज्यादा उतार-चढ़ाव को स्पष्ट करने के लिए आपूर्ति शृंखला प्रबंधन के परिप्रेक्ष्य में विकसित रिटेल स्प्रैड की संकल्पना का प्रयोग पारंपरिक तौर पर बाजार की दक्षता को आंकने में किया जाता रहा है। एक प्रभावी विपणन प्रणाली विपणन सेवाओं की लागत को कम कर देती है और ग्राहक द्वारा किसी उत्पाद के लिए दिए गए मूल्य का अधिकांश हिस्सा उत्पादक के पास पहुंचता है। भारत में विभिन्न व्यष्टि-स्तरीय अध्ययनों में यह पाया गया है कि बहुत सारे कृषि पण्यों (जिसके मूल्य में फार्म से निकलने के बाद बहुत कम बढ़ोत्तरी होती है) के अंतिम मूल्य में उत्पादकों का हिस्सा बहुत अधिक नहीं होता। हालांकि ये अध्ययन विभिन्न समयों में और विभिन्न पण्यों के लिए किए गए थे, इनके परिणामों को सभी के ऊपर लागू नहीं किया जा सकता। किंतु, ये विभिन्न पण्यों की आपूर्ति शृंखला प्रबंधन में व्यापान अदक्षता की पर्याप्त स्पष्ट तस्वीर पेश करते हैं। ये अदक्षताएं उच्च खाद्य मुद्रास्फीति जिसमें प्रोटीन से संबंधित वस्तुएं प्रमुख हैं, में परिलक्षित हुईं। बढ़ती हुई आय और जनसांख्यिकीय परिवर्तनों के कारण आयी मांग को पूरा करने में आपूर्ति शृंखला को परेशानी हो रही है (गोकर्ण, 2011)।

विभिन्न पण्यों के लिए विपणन चैनल प्रत्येक पण्य के मामले में भिन्न है और वे किसान से अंतिम उपभोक्ता तक उत्पाद को पहुंचाने में शामिल बाजार के विभिन्न लोगों पर निर्भर करते हैं। बाजार के चैनल की शृंखला बाजार के आकार, पण्यों की प्रकृति और उपभोक्ता स्तर पर मांग की प्रवृत्ति पर निर्भर करती है। व्यष्टि स्तर के अध्ययन में पहचाने गए इन चैनलों को निम्नानुसार वर्गीकृत किया जा सकता है : (i) उत्पादक-उपभोक्ता, (ii) उत्पादक-खुदरा व्यापारी-उपभोक्ता, (iii) उत्पादक-थोक व्यापारी-खुदरा व्यापारी-उपभोक्ता, (iv) उत्पादक-कमीशन एजेंट-थोक व्यापारी-खुदरा व्यापारी-उपभोक्ता और (v) उत्पादक-गांव के व्यापारी-थोक व्यापारी-खुदरा व्यापारी-उपभोक्ता। बालाप्पा और हूगार (2003) ने जैसा कि लिखा है कि हालांकि चैनल I और II धीरे-धीरे उभर रहे हैं परंतु अन्य चैनल पूरी तरह स्थापित हो चुके हैं और किसान उनमें से छोटे आपूर्ति शृंखला चैनलों को तरजीह दे रहे हैं। गुप्ता और शर्मा (2009) ने यह पाया कि किसान केवल चैनल की बाजार संबंधी दक्षता (जो उपभोक्ता द्वारा प्रदत्त मूल्य में उत्पादक को अधिकतम हिस्सा प्रदान करती है) से ही निर्देशित नहीं होते हैं बल्कि वे अपने उत्पादों के विपणन के लिए चैनलों का सहारा लेते हैं क्योंकि ये चैनल अत्यधिक आपूर्ति को खपाने की क्षमता के साथ खुदरा बाजार में भी पहुंच रखते हैं। अंततः, बिचौलिये विभिन्न पण्यों की मूल्य शृंखला में परिवहन जैसी सेवाओं प्रदान कर इसके आर्थिक पक्ष में वृद्धि कर देते हैं (सारस्वत, 2009)।

आपूर्ति शृंखला वातावरण के तीन प्रमुख चुनौतियाँ हैं : 1) विनियमित बाजारों तक पहुंच में सुधार लाना, 2) कृषि उत्पाद विपणन समिति (एपीएमसी) अधिनियम में उपयुक्त संशोधनों के माध्यम से अधिक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना और 3) देशव्यापी साझा बाजार के निर्माण को सुविधाजनक बनाना। ‘कृषि विपणन ढांचे पर गठित कार्यदल की रिपोर्ट और ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के लिए आंतरिक और बाह्य व्यापार के लिए आवश्यक नीति’ में यह उल्लिखित है कि विनियमित बाजार के लिए आदर्श घनत्व 15,000 से 18,000 हेक्टेयर होता है लेकिन इनमें राज्यवार अंतर है और यह पश्चिम बंगाल में

13,580 हेक्टेयर और मध्य प्रदेश में 37,050 हेक्टेयर है। मंडी के गवर्नेंस (आर्थिक सर्वेक्षण, 2011-12) और एकाधिकार की प्रवृत्ति (मुद्रास्फीति पर अंतर-मंत्रालयी समझ) के संबंध में सामने आ रही चिंताओं को दर करने के लिए कृषि उत्पाद विपणन समिति (एपीएमसी) अधिनियम में संशोधन करने संबंधी सुझाव भी दिए गए। विभिन्न राज्यों में और विभिन्न पण्यों के लिए प्रवेश कर/चुंगी कर और बिक्री कर की विभिन्न दरें कृषि उत्पादों के लिए अखिल भारतीय साझा बाजार के निर्माण में बाधा पहुंचा रही हैं। इसके अलावा, विभिन्न राज्यों में आवश्यक सामग्री अधिनियम के अधीन वस्तुओं के आवाजाही पर प्रतिबंध हैं।

आपूर्ति शृंखला को मजबूत करने के विभिन्न नीतिगत दस्तावेजों में दिए गए सुझावों को निम्नानुसार वर्गीकृत किया जा सकता है : 1) किसानों की क्षमताओं को बढ़ाना, 2) बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, और 3) वैधानिक विकल्प। किसानों को विभिन्न समूहों- उत्पादक समूह, सहकारी, स्वयं सहायता समूह, उत्पादक कंपनी- में अपने आपको संगठित करने के लिए केंद्र प्रेरित कर आपूर्ति शृंखला को सरल और कारगर बनाने के साथ-साथ और अधिक समतावादी बना सकते हैं। समस्त कृषि-वर्धित शृंखला, जैसे शीतगृह शृंखला का निर्माण, ग्रामीण गोदाम, कृषि विपणन के लिए नई बुनियादी सुविधाएं, और वर्तमान बाजारों का आधुनिकीकरण में निवेश को कर-अवकाश और उपयुक्त छूट लाभ प्रदान कर प्रोत्साहित कर सकते हैं। मुद्रास्फीति पर अंतर-मंत्रालयी समूह द्वारा दिए गए सुझाव को ध्यान में रखते हुए नाशवान वस्तुओं को कृषि उत्पाद विपणन समिति अधिनियम से बाहर करते हुए छोटे व्यापारियों और किसानों को नाशवान वस्तुओं के मुक्त व्यापार की अनुमति दी जानी चाहिए कि छोटे व्यापारी जहां सस्ता हो वहां खरीद सकें और किसान जहां महंगा हो वहां बेच सकें। इसी तरह, मुद्रास्फीति प्रबंधन के दीर्घावधि परिप्रेक्ष्य में कृषि उत्पाद बाजार समितियों का नियमित चुनाव संपन्न कराकर मंडी के संचालन में सुधार करने के साथ-साथ सरकार और निजी क्षेत्र की भागीदारी के साथ वर्तमान विनियमित बाजार की कार्यप्रणाली में और अधिक दक्षता लाना अति महत्वपूर्ण है।

संदर्भ

बलाप्पा, एस.आर. और एल.बी. हूगार(2003), ‘ऐन इकोनॉमिक इवैल्यूएशन ऑफ ओनियन प्रोडक्शन एंड इट्स मार्केटिंग सिस्टम इन कर्नाटक’, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, खंड XLVI-सं. 2, जुलाई सितम्बर.

गोकर्ण, सुबीर(2011), “स्ट्राईक ए बैलेंस बिटवीन ग्रोथ एंड इनफ्लेशन इन इंडिया” बुक्रिंग इंस्टिट्यूट में प्रस्तुतिकरण, 27 जून 2011.


गुप्ता, एम. और के.डी.शर्मा (2009), ‘प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग ऑफ जिंजर इन हिमाचल प्रदेश,’ एग्रीकल्चरल सिचुएशन इन इंडिया, खंड LXVI (13) 681-686.

सारस्वत एस.पी.(2009),‘अंडरस्टैंडिंग द ऐप्ल मार्केटिंग सिस्टम ऑफ हिमाचल प्रदेश विथ रिफरेंस टू रिफरेंस टू किआरी विलेज ऑफ शिमला’ एग्रीकल्चरल सिचुएशन इन इंडिया, खंड LXVI (4), जुलाई, 187-190.

नियंत्रित कीमत निर्धारण के माध्यम से जारी रही ईंधन की दमित मुद्रास्फीति

II.2.12 तेल की वैश्विक कीमतों (भारतीय बास्केट) में निरंतर वृद्धि से वर्ष 2011-12 के दौरान मूल्यों पर दबाव जारी रहा। कच्चे तेल की वैश्विक कीमतें वर्ष 2011-12 के दौरान लगभग 31 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी के साथ औसतन 112 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल पहुंच गयी जो कि वर्ष 2010-11 के दौरान औसतन 85 अमेरिकी डालर प्रति बैरल थीं। किंतु घरेलू खनिज तेल की कीमतों में लगभग 17 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई, यह बढ़ोत्तरी तुलनात्मक रूप से कम रही (चार्ट II.16)। नियंत्रणमुक्त उत्पादों की कीमतों में उत्पादों की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में बढ़ोत्तरी की तर्ज पर वृद्धि हुयी जबकि तेल के नियंत्रित मूल्य में जून 2011 में परिवर्तन किया गया। इधन के नियंत्रित मूल्यों में परिवर्तन के बावजूद ऊर्जा क्षेत्र में दमित मुद्रास्फीति उल्लेखनीय रही। इसके परिणामस्वरूप, वर्ष 2011-12 में 1.38 ट्रिलियन रुपये की कम वसूली हुई जिसमें से अधिकांश कम वसूली (लगभग 59 प्रतिशत) डीजल के कारण हुई थी। इन कारणों से तेल विपणन कंपनियों को अधिक सब्सिडी देना अपरिहार्य हो गया जिससे मुद्रास्फीति पर राजकोषीय दबाव में बढ़ोत्तरी हुयी।

II.2.13 कोयले की कीमतों के परिवर्तन के कारण समग्र मुद्रास्फीति पर अत्यधिक दबाव पड़ा क्योंकि कोयला ईंधन समूह की एक प्रमुख मद है। जनवरी 2012 में, नॉन-कोकिंग कोयले की कीमतें 33




प्रतिशत बढ़ीं जिसके कारण समग्र थोक मूल्य सूचकांक में 0.34 प्रतिशत की प्रत्यक्ष वृद्धि हुई। बिजली उत्पादन के साथ-साथ अनेक उद्योगों में कोयले का प्रयोग होता है, इसलिए कोयले की कीमतों में परिवर्तन का असर व्यापक मुद्रस्फीति पर पड़ता है। कोयला क्षेत्र की वर्तमान प्रवृत्ति सकेत करती है कि इस क्षेत्र के मुद्दों को सुलझाने की आवश्यकता है (बॉक्स II.16)। पहले भी, निविष्टि लागत में बढ़ोत्तरी की तुलना में बिजली की कीमतों में बहुत कम बढ़ोत्तरी है

बॉक्स ॥.6

कोयले की कम आपूर्ति और दमित मद्रास्फीति से निपटने के लिए कोल नीति में बदलाव की आवश्यकता

कोयला विश्व के सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा स्रोतों में से एक है, पूरे विश्व में बिजली के कुल उत्पादन में से 42 प्रतिशत बिजली का उत्पादन कोयले के माध्यम से होता है और वैश्विक प्राथमिक ऊर्जा की जरूरतों की 30 प्रतिशत पूर्ति कोयला करता है। भारत में, देश की दो तिहायी बिजली का उत्पादन कोयले पर निर्भर करता है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) के आकलन के अनुसार 1 अप्रैल 2011 को भारत में उपलब्ध लगभग 286 बिलियन टन कोयले के भंडार में से वर्तमान में 114 बिलियन टन (कुल भंडार का लगभग 40 प्रतिशत) भंडार खनन के लिए उपलब्ध है। 2011-12 के लगभग 540 मिलियन टन वार्षिक के उत्पादन के वर्तमान स्तर को यदि बनाया रखा जाए तो देश के कोयले का भंडार 100 वर्षों से अधिक समय तक बना रहेगा।

विश्व के तीसरे बड़े कोयला उत्पादक होने के बावजूद, भारत बड़ी मात्रा में कोयले का आयात करता है क्योंकि घरेलू उत्पादन बिजली संयंत्रों, स्टील मिलों और सिमेंट उत्पादकों (चार्ट 1) के बड़ी और बढ़ती हुई जरूरतों को पूरा करने में असमर्थ है।



कोयला मंत्रालय के अनुसार, मांग और घरेलू आपूर्ति के बीच का अंतर 2006-07 के लगभग 43.4 मिलियन टन से बढ़कर 2011-12 में 161 मिलियन टन हो गया। कोयला मंत्रालय के संशोधित आकलनों के अनुसार, 12वीं पंचवर्षीय (जारी....)

योजना के अंतिम वर्ष (2016-17) में मांग बढ़कर 980 मिलियन टन होने की संभावना है परंतु देश में कोयले की उपलब्धता 795 मिलियन टन ही होने का अनुमान है। अतः मांग और घरेलू उपलब्धता के बीच का अंतर 185 मिलियन टन संभावना है इस अंतर को कोयले के आयात के माध्यम से भरने की आवश्यकता होगी।

कोयले की कमी विभिन्न बिजली संयंत्रों के बिजली उत्पादन को प्रभावित कर रही है। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के अनुसार, कोयले की कमी के कारण बिजली उत्पादन संस्थाओं ने 2011-12 (फरवरी 2012 तक) में 8.7 बिलियन यूनिट, 2010-11 में 8.4 बिलियन यूनिट और 2009-10 में 14.5 बिलियन यूनिट की उत्पादन हानि रिपोर्ट की है। कोयला मंत्रालय के अनुसार, कोयले की कमी के कारण कोयले के आयात में उल्लेखनीय बढ़ोत्तरी हुई जो 2006-07 के 43.1 मिलियन टन से बढ़कर 2011-12 में 98.9 मिलियन टन हो गया। घरेलू असंतुलन के लिए पट्टेलियम उत्पादों के निर्यात मूल्य के प्रतिकूल प्रभाव को देखते हुए आयात पर अधिक निर्भरता से घरेलू और अंतरराष्ट्रीय कीमतों के बीच एकरूपता आवश्यक है। कोयले की अंतरराष्ट्रीय कीमतों कोयले की घरेलू कीमतों से उस समय भी अधिक थी जब गुणवत्ता से समझौता किया गया था और कोयले की घरेलू कीमतों को 2000 में पूरी तरह से अविनियमित करने के बाद भी कुछ समय तक इसमें विपथन बना रहा। घरेलू आपूर्ति का 80 प्रतिशत कोयला उपलब्ध कराने वाला कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) बाजार की कीमतों के आधार पर कोयले की कीमतें आवधिक रूप से तय करता है। इस प्रकार, आयात पर अधिक निर्भरता और कोयले के बढ़े हुए अंतरराष्ट्रीय मूल्य मिलकर मुद्रास्फीति, संवृद्धि, राजकोषीय घाटा और चालू खाता घाटा जैसे मुख्य व्यष्टि संकेतकों को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं जैसा कि तेल के आयात के मामले में देखा गया है हालांकि इसका प्रभाव कम या अधिक हो सकता है।


जिसके कारण सरकारी विद्युत बोर्ड का वित्त भी बुरी तरह प्रभावित हुआ है।

वर्ष के अंतिम भाग में प्रमुख घटकों पर मुद्रास्फीतिकारक दबाव कम हुए


II.2.14 खाद्येतर विनिर्मित उत्पाद मुद्रास्फीति फरवरी-दिसंबर 2011 के दौरान 7 प्रतिशत या इसके अधिक रही जिसमें मार्च 2012 तक उल्लेखनीय कमी आने के कारण यह 5 प्रतिशत तक आ गयी। वर्ष के प्रारंभिक चरण में इस खंड में उच्च मुद्रास्फीति का कारण इनपुट लागत दबावों में तीव्र वृद्धि हुई जिन्हें फर्म मांग में तेजी के कारण अंतरित कर सकीं। संवृद्धि में कमी आने पर फर्म की मूल्य निर्धारण क्षमता में कमी आयी जिसके कारण वर्ष के दूसरे भाग में दीर्घकालिक आधार पर इस श्रेणी में मुद्रास्फीति की गति में कमी आयी। 2012-13 की पहली तिमाही में खाद्येतर विनिर्मित उत्पाद मुद्रास्फीति जुलाई 2012 में 5.4 प्रतिशत तक पहुंचने के पहले 5.0 प्रतिशत थी (चार्ट II.17)।

कोयले की घरेलू कीमतों को अंतरराष्ट्रीय कीमतों की तर्ज पर लाने के लिए जनवरी 2012 में कोयले के मूल्य निर्धारण फार्मूले में संशोधन पर विचार किया गया था। हालांकि इस विचार को आगे नहीं बढ़ाया गया क्योंकि नए मूल्य निर्धारण फार्मूले के कारण कोयले की कुल कीमत में बहुत अधिक बढ़ोत्तरी होती जो बिजली उत्पादन और स्टील और सिमेंट उद्योग के निविष्ट लागत को बढ़ा सकती थी और अर्थव्यवस्था में स्फीतिकारक दबाव बढ़ जाते। कोयले की नई वितरण नीति (एनसीडीपी) के अनुसार, कोयले की आपूर्ति विशेष शर्तों और निबंधनों के तहत विक्रेता (कोयला कंपनियां) और ग्राहक के बीच कानूनी तौर पर लागू किए जा सकने वाले समझौते के अधीन होती है। उपभोक्ताओं के विभिन्न श्रेणियों के लिए ईंधन आपूर्ति समझौते (एफएसए) के विभिन्न मॉडल उपलब्ध हैं। सरकार ने हाल ही में निर्णय लिया कि कोल इंडिया लिमिटेड उन बिजली संयंत्रों के साथ ईंधन आपूर्ति समझौता करेगी जिन्होंने वितरण कंपनियों (डीआईएससीओएमएस) के साथ दीर्घवधि बिजली खरीद समझौता किया है और जो चालू हो गए हैं या 31 मार्च 2015 के पहले चालू होने वाले हैं। इस संदर्भ में, कोल इंडिया लिमिटेड ने नए ईंधन आपूर्ति समझौते के तहत वार्षिक अनुबंध करार का 80 प्रतिशत कोयले की आपूर्ति का आश्वासन दिया है और आपूर्ति की मात्रा में कमी होने पर सीआईएज 0.01 प्रतिशत का दंड भरेगा और यह समझौता ईंधन आपूर्ति समझौते पर हस्ताक्षर होने के तीन वर्ष बाद लागू होगा। बिजली क्षेत्र को ये शर्तें स्वीकार्य नहीं हैं। इन परिप्रेक्ष्य में, कोयले की कमी के कारण बिजली क्षेत्र की नई कंपनियों के समक्ष जोखिम हैं। कोयले की आपूर्ति में इस अंतर को उच्च मूल्य पर आयात किए गए कोयले से भरना होगा! ऐसे में कोयले की समग्र कीमतें में बढ़ोत्तरी करनी पड़ेगी। ईंधन आपूर्ति समझौते के मामले में भी घरेलू कोयले की कीमतें आने वाले वर्षों में ऊपर जा सकती हैं क्योंकि ईंधन आपूर्ति समझौते के अनुसार कोयले की आपूर्ति अधिसूचित कीमतों पर की जाती है जिनमें समय-समय पर संशोधन किया जा सकता है।

चार्ट II.17: खाद्येतर विनिर्मित उत्पाद सूचकांक, मुद्रास्फीति और माह-दर-माह मौसमी समायोजित वार्षिकीकृत परिवर्तन



चार्ट II.18: पण्य की वैश्विक कीमतों की प्रवृत्ति



पण्यों की वैश्विक कीमतें सामान्यतः कम रही, किंतु वर्ष के दूसरे भाग में इनमें थोड़ी तेजी आयी

II.2.15 वर्ष 2011-12 के दौरान घरेलू मुद्रास्फीति की तुलना में पण्यों की वैश्विक कीमतों में प्रतिकूल प्रवृत्ति देखी गयी। यूरो क्षेत्र में गहराते ऋण की समस्या, वैश्विक संवृद्धि के प्रति जोखिम, मध्य पूर्व में भू-राजनैतिक तनाव में कमी और कृषि पण्यों सहित मुख्य पण्यों की आपूर्ति संभावनाओं में सुधार के कारण पण्यों की कीमतों में वर्ष के अधिकांश समय में कम होने की प्रवृत्ति देखी गई (चार्ट II.18)। 2011-12 के अंतिम तिमाही में ईरान में भू-राजनैतिक तनाव और अमेरिका की संवृद्धि संभावनाओं में सुधार के कारण पण्यों, विशेषकर कच्चे तेल की कीमतों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। मार्च 2012 में पण्यों की कीमतों में उल्लेखनीय कमी आयी, परंतु वैश्विक बाजार में चलनिधि की अधिक उपलब्धता के साथ-साथ मुख्य पण्यों की मांग-आपूर्ति में बढ़ते अंतर के कारण पण्यों की कीमतों में बढ़ोत्तरी की संभावनाएं बन रही है। ऊर्जा की कीमतों में हाल में हुए बदलाव के साथ-साथ अमेरिका में सूखे, यूरोप में प्रतिकूल मौसम के कारण खाद्य की वैश्विक कीमतों में बढ़ोत्तरी में इसे देखी जा सकती है और अन्य प्रमुख उत्पादकों का आपूर्ति पर असर पड़ा है।

विनिमय दर में उत्तर-चढ़ाव ने मुद्रास्फीति को प्रभावित किया

II.2.16 पण्य की कीमतों की प्रवृत्ति के अलावा, विनिमय दर में उत्तर-चढ़ाव ने भी समग्र मुद्रास्फीति की दिशा को प्रभावित किया। पण्य की कीमतों में परिवर्तन की दिशा और परिमाण के आधार पर अगस्त 2011 से रुपये में मूल्यहास के पास-थ्रू ने पण्य की कीमतों

के प्रभाव में या तो वृद्धि की या इसमें बढ़ोत्तरी की। भारत के मामले में अनुभवजन्य अनुमान यह संकेत देते हैं कि पास-थ्रू में समय के साथ कमी आयी है (बॉक्स II.7)। हालांकि, अगस्त 2011 से रुपए में मूल्यहास के परिमाण को देखते हुए कहा जा सकता है कि विनिमय दर मुद्रास्फीति का एक स्रोत बन चुका है।

मुद्रास्फीति के कम होने में बढ़ता हुआ राजकोषीय अंतर रुकावट डाल सकता है

II.2.17 हालांकि, सरकार ने वर्ष 2011-12 के दौरान राजकोषीय समेकन के लिए एक दिशा तय की है परंतु मुख्य घाटा संकेतों पर तय लक्ष्यों से पीछे रहने के कारण यह मुद्रास्फीति प्रबंधन के लिए प्रमुख मुद्दा बनकर उभरा है। संवृद्धि में कमी और विशेषकर ईंधन और खाद्य सब्सिडी के कारण राजस्व उगाही में कमी ने घाटे को बढ़ाया (विस्तृत जानकारी के लिए खंड II.5 : सरकारी वित्त देखें)। नियन्त्रित मूल्य के संदर्भ में राजकोषीय हस्तक्षेप के कारण मुद्रास्फीति अल्पावधि में कम रही, हालांकि लक्ष्य से अधिक व्यय के कारण समग्र मांग में वृद्धि हुई है और इससे मूल्य स्थिरता को मध्यावधि में खतरा है।

मुद्रास्फीति पर वेतन का उल्लेखनीय दबाव रहा

II.2.18 उच्च मुद्रास्फीति मुद्रास्फीति प्रत्याशाओं पर अपना प्रभाव डालकर वेतन तय करने के तरीकों को प्रभावित कर सकती है जिसके कारण मजदूरी-मूल्य चक्र का निर्माण हो सकता है। हाल के अनुभवजन्य साक्ष्य संकेत देते हैं कि ग्रामीण और विनिर्माण दोनों क्षेत्रों में मुद्रास्फीति की तुलना में मजदूरी में तीव्र गति से वृद्धि हुई

बॉक्स II.7

मुद्रास्फीति पर रुपये के मूल्यहास का प्रभाव

विनिमय दर पास-थू (ईआरपीटी) आयातक और निर्यातक देशों के बीच विनिमय दर में एक प्रतिशत परिवर्तन के कारण स्थानीय मुद्रा आयात मूल्य में हुए बदलावों के प्रतिशत को दर्शाता है। विनिमय दर के मूल्यहास का घरेलू उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति में पास-थू समय के साथ अनेक देशों में कम हुआ प्रतीत होता है जो आंशिक तौर पर मौद्रिक नीति के फ्रेमवर्क को मुद्रास्फीति केंद्रित बनाने तथा मुद्रास्फीति प्रत्याशाओं पर अंकुश लगाने में मौद्रिक नीति की सफलता को दर्शाता है (मिशकिन, 2008)। जब मुद्रास्फीति के प्रति मौद्रिक नीति की प्रतिबद्धता मजबूत और विश्वसनीय होती है और मुद्रास्फीति प्रत्याशाओं पर अच्छी तरह से अंकुश लगाया जाता है, तब मुद्रास्फीति प्रत्याशाओं और मुद्रास्फीति प्रवृत्तियों पर आधातों का असर- चाहे वह समग्र मांग, ऊर्जा मूल्यों या विनिमय दर से हो- कम होता है।

किंतु, मुद्रास्फीति प्रत्याशाओं पर अंकुश लगाने में मौद्रिक नीति की भूमिका पास-थू के अनेक निर्धारकों में से एक है। पास-थू के अन्य निर्धारकों में निम्न बातें शामिल हैं : (क) मुद्रास्फीति की निरंतरता, (ख) बाजार के रुख के अनुसार कीमत निर्धारण, (ग) आयातक देश में मांग की कीमत लोच, (घ) अंतिम खुदरा मूल्य में स्थानीय वितरण और विपणन लगात का हिस्सा, (ङ) देश का आकार, (च) खुलेपन की सीमा, (छ) विनिमय दर में उतार-चढ़ाव और विनिमय दर आधातों की निरंतरता, और सबसे महत्वपूर्ण (ज) विनिमय दर में मूल्यहास के समय घरेलू मांग की स्थिति।

बाजार की दिशा के अनुसार कीमतों का निर्धारण यह संकेत करता है कि विश्व के बाकी भागों से निर्यातक आयातक देश में मुद्रा में मूल्यहास के प्रभाव को आंशिक तौर पर वहन कर रहे हैं। यदि आयात स्थानापन वस्तुओं के घरेलू निर्माता अपनी कीमतें अपरिवर्तित रखते हैं तो पास-थू कमजोर भी हो सकता है। भिन्न-भिन्न प्रणवार विश्लेषण यह संकेत देते हैं कि सोने और तेल जैसी कुछ वस्तुओं के लिए मांग की कीमत में लचीलापन कम हो सकता है, जिसके कारण ऐसे वस्तुओं के लिए पास-थू अधिक हो सकता है। हालांकि, कभी-कभी आयातित वस्तुओं के कीमत निर्धारण में राजकोषीय नीति के हस्तक्षेप को दर्शाने वाली दिमत मुद्रास्फीति के कारण पास-थू कम रह सकता है। बाजार के खुलेपन में बढ़ोत्तरी के साथ, उच्च आयात की मात्रा भी पास-थू को बढ़ा सकती है। यदि यह महसूस किया जाता है कि मूल्यहास कम समय के लिए और अस्थायी होगा, पास-थू अधिक नहीं हो सकता। वास्तविक प्रभावी विनिमय दर(आरईआर) के व्यवहार के संदर्भ में विनिमय दर का गलत संरेखण अक्सर प्रमुख संकेतक के तौर पर कार्य करती है कि मूल्यहास के बारे में बाजार की धारणा कैसी है। पास-थू के महत्वपूर्ण निर्धारक मांग की घरेलू परिस्थितियां होती हैं जो मूल्य निर्धारण क्षमता का एक संकेतक है। मूल्य लोच वाली वस्तुओं में कमजोर घरेलू मांग फर्मों की कीमती निर्धारण क्षमता को उल्लेखनीय ढंग से सीमाबद्ध कर देती है। परिणामस्वरूप शेष विश्व से निर्यातक और मूल्यहास वाले देश के आयातक दोनों फर्मों को अपने लाभ मार्जिन को समायोजित करना पड़ सकता है जिसके परिणामस्वरूप पास-थू कम हो सकता है।

है (चार्ट II.19)। विभिन्न राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों में वेतन-मूल्य के संबंधों में उल्लेखनीय अंतर है जो समस्त वेतन-मुद्रास्फीति-सिद्धांतों को आगे ले जाने में राज्य विशेष की भूमिका की ओर संकेत करती

भारत में, समय के साथ मौद्रिक नीति ने नीति के प्रति बहु-उद्देशीय और बहु-संकेतक होने के बावजूद मुद्रास्फीति उद्देश्यों के प्रति उच्च प्रतिबद्धता को स्थापित किया है। हालांकि, लगातार होने वाले आपूर्ति आधातों के कारण, उच्च स्तर पर भी हाल के वर्षों में मुद्रास्फीति में दृढ़ता देखी गयी। विनिमय दर में बड़ी मात्रा में गलत संरेखण सामान्य तौर पर देखा नहीं जा रहा है, और विनिमय दरों में उतार-चढ़ाव को रोकने के लिए रिजर्व बैंक के प्रयासों से स्थिरता सुनिश्चित हुई है। हालांकि, सकल घरेलू उत्पाद में आयात के हिस्से के तौर पर भारत के खुलेपन में वृद्धि हुई है परंतु राजकोषीय स्थिति में सुधार के लिए बाजार आधारित कीमत निर्धारण की महत्ता के बावजूद पट्रोलियम उत्पादों में दिमत मुद्रास्फीति जारी है।

भारत में विनिमय दर पास-थू पर अनुभवजन्य साक्ष्य में यह पाया गया है कि अपूर्ण पास-थू के जर्बदस्त साक्ष्य मौजूद है इसके बावजूद पास-थू की मात्रा पर विविध साक्ष्य भी हैं। खुन्दकपम (2007) ने पाया कि 1991 के सुधारों के बाद घरेलू कीमतों में विनिमय दर पास-थू में गिरावट का कोई स्पष्ट संकेत नहीं है। इसके आगे, पास-थू में मूल्यवृद्धि और मूल्यहास और विनिमय दर के परिवर्तनों के आकार के बीच असमिति थी। भद्राचार्या और अन्य (2008) ने यह पाया कि विनिमय दर में एक प्रतिशत के परिवर्तन के कारण दीर्घावधि में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में 0.04-0.17 प्रतिशत और थोक मूल्य सूचकांक में 0.29 प्रतिशत का परिवर्तन आता है। मल्लिक और मर्कुएस (2008) ने पाया कि 1990 के दशक में पास-थू अपर्याप्त रही लेकिन प्रशुल्क दर पास-थू (टीआरपीटी) से अधिक रही।

हाल के वर्षों में, विनिमय दर पास-थू संभवतः पेट्रोलियम उत्पादों में उल्लेखनीय दिमत मुद्रास्फीति के कारण कम रहा है। यह भी संभव है कि शेष विश्व से निर्यातकों ने भारत के बाजार में अपने हिस्से को बनाये रखने के लिए संभवतः प्रभाव के कुछ हिस्से का बहन किया होगा जिसके कारण संभवतः कम पास-थू हुआ। मंद वैश्वक मांग की परिस्थितियों को देखते हुए शेष विश्व के निर्यातकों द्वारा बाजार के रुख के अनुसार कीमत निर्धारण के कारण मुद्रास्फीति पर अनुमानित पास-थू में कमी आ सकती है।

संदर्भ


खुन्दकपम, जीवन कुमार (2007), “इकोनॉमिक रिफार्म एंड एक्सचेंज रेट पास-थू ट्रॉडेमेस्टिक प्राइसेज इन इंडिया”, बीआईएस वर्किंग पेपर सं. 225.

भद्राचार्या, रुद्राणी, इला पट्टुनायक और अजय शाह (2008), “एक्सचेंज रेट पास-थू इन इंडिया”, http://macrofinance.nifip.org.in/PDF/BPS2008_erpt.pdf पर उपलब्ध।

मल्लिक, शुशांत और हेलेना मर्कुएस (2008), “पास-थू ऑफ एक्सचेंज रेट एंड टैरिफ इंटू इंपोर्ट प्राइसेज ऑफ इंडिया : करेंसी डिप्रिसिएशन वर्सेंज इंपोर्ट लिबरलाइजेशन”, रिव्यू ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, 16(4): 765-782.

है(चार्ट II.20)। वास्तविक वेतन में बढ़ोत्तरी संकेत देती है कि श्रमजीवी जनसंख्या के लिए मुद्रास्फीति हमेशा परेशानी नहीं लाती, विशेषकर जब वेतन में बढ़ोत्तरी उत्पादन के वृद्धि से ज्यादा हो।

चार्ट II.19: वेतन और स्टाफ लागत की प्रवृत्ति




महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस) के लागू होने के बाद वेतन की ओर से मुद्रास्फीति पर दबाव स्पष्ट तौर पर देखा जा सकता है क्योंकि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम वेतन तय की गयी है जो मुद्रास्फीति के साथ बढ़ती जाती है (बॉक्स II.8)।

नया उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संकेत देता है कि 'खाद्य से इतर तेल से इतर श्रेणी में' में मुद्रास्फीति अधिक है और अधिकांश दबाव सेवा क्षेत्रों पर दिखायी दे रहा है

II.2.19 हालांकि रिजर्व बैंक मौद्रिक नीति के संचालन के लिए थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर मुद्रास्फीति दृष्टिकोण को प्रस्तृत करने

की व्यवस्था को चालू रखे हुए है वहीं मुद्रास्फीति का आकलन हमेशा थोक मूल्य सूचकांक और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के विभिन्न उपायों पर किया जाता रहा है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर अन्य देशों की निर्भरता की अपेक्षा थोक मूल्य सूचकांक पर अत्यधिक निर्भरता बेहतर आंकड़ों की उपलब्धता को दर्शाते हैं जो थोड़े अंतराल पर आंकड़ों की उपलब्धता (साप्ताहिक श्रृंखला के बंद होने तक), पण्यों के विस्तृत समूह और अद्यतन आधार वर्ष के कारण हैं। नजदीक के आधार वर्ष (वर्ष 2010=100) वाले उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर जनवरी 2012 से मुद्रास्फीति संख्या उपलब्ध हो गयी है। हालांकि, नई श्रृंखला में थोक मूल्य सूचकांक और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के अन्य उपायों में तुलनात्मक तौर पर स्तर और समग्र प्रवृत्ति के संदर्भ में उल्लेखनीय अंतर पाया गया है (चार्ट II.21)। हालांकि विभिन्न

चार्ट II.20: ग्रामीण मजदूर (सीपी-आरएल) और ग्रामीण वेतन के लिए सीपीआई में बढ़ोतरी *



बॉक्स II.8

वेतन-कीमत चक्र का जोखिम : भारत के अनुभवजन्य साक्ष्य क्या दर्शाते हैं

वेतन के निरंतर दबावों के कारण होने वाली लागत-प्रेरित मुद्रास्फीति हमेशा ही मुद्रास्फीति का मुख्य सैद्धांतिक निर्धारक बनी रही, हालांकि समय-समय पर मुद्रास्फीति के स्वतंत्र निर्धारक के तौर पर वेतन के दबावों औचित्य की कड़ी अनुभवजन्य जांच की गयी। वेतन में बढ़ोत्तरी के कारण हुई मुद्रास्फीति तब होती है जब साकेतिक वेतन दर वृद्धि श्रम उत्पादकता और फर्मों की वृद्धि से अधिक हो जाती है तो वे अपने लाभ मार्जिन में कमी करने के बजाय उच्च वेतन लागत की भरपाई के लिए कीमतों में वृद्धि कर देते हैं। जैसे ही कर्मचारी ज्यादा मजदूरी पाते हैं तो वे वस्तुओं और सेवाओं की मांग बढ़ा देते हैं और मुद्रास्फीति बढ़ जाती है और कुछ समय बाद वे और अधिक वेतन की मांग करते हैं। इसके कारण वेतन-कीमत चक्र का निर्माण होता है।

पारंपरिक विवेक यह बताता है कि श्रम बाजार के कार्यकलाप मुद्रास्फीति के प्रमुख सकेतक हो सकते हैं। बेरोजगारी की स्वाभाविक दर की तुलना में बेरोजगारी दर में कमी अर्थव्यवस्था में ओवरहिटिंग का सकेत है और जिसके कारण उच्च वेतन मुद्रास्फीति और हेडलाइन मुद्रास्फीति हो सकती है। इस प्रकार वेतन-कीमत मुद्रास्फीति का सामान्य निर्धारक श्रम बाजार की परिस्थितियां हैं। इसलिए वेतन मुद्रास्फीति और कीमत मुद्रास्फीति एक तरह के उतार-चढ़ाव का प्रदर्शन करते हैं और उनमें दो-दिशायुक्त कारण-कार्य-संबंध भी हो सकता है; किंतु सकारात्मक आऊटपुट-अंतर और श्रम बाजार की कठिन परिस्थितियों से अलग वेतन-कीमत चक्र को बनाए रखना कठिन हो सकता है।

अनुभवजन्य साक्ष्य यह संकेत देते हैं कि बेरोजगारी की दर ऊंची होने के बावजूद वेतन में बढ़ोत्तरी हुई है, इसका तात्पर्य यह है कि वेतन मुद्रास्फीति बेरोजगारी की प्रवृत्तियों पर कम प्रतिक्रिया दिखाती है। ऐसे भी प्रसंग रहे हैं जहां संवृद्धि में ज्यादा सुधार न होने के बावजूद बेरोजगारी में कमी आयी है (बेनर्के की हाल की पहली) और उच्च संवृद्धि के बावजूद रोजगार का सुजन अपर्याप्त मात्रा में हुआ है (भारत में रोजगार-रहित संवृद्धि के संबंध में चिंताएं)। इसके अलावा, उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में अधिक बेरोजगारी के साथ-साथ कभी-कभी रोजगार के लिए धेष्ठित रिक्तियों में भी वृद्धि हुई है, जो बेवरिज वक्र (जो बेरोजगारी दर और रिक्त दर के बीच संबंधों को दर्शाता है) में ऊर्ध्वागमी परिवर्तन का सकेत देती है। प्रायः यह खुली रिक्तियों के लिए कुशलता की आवश्यकता और बेरोजगारों के पास उपलब्ध कुशलता के बीच अंतर को दर्शाता है। इसलिए जब कुशलता के लिए ज्यादा प्रीमियम देना पड़ता है तो अधिक बेरोजगारी होने के बावजूद वेतन में बढ़ोत्तरी हो सकती है। जब तक कुशलता अंतर बना रहेगा, वेतन में बढ़ोत्तरी जारी रहेगी। मजदूरी के कारण मुद्रास्फीति का एक अन्य प्रमुख कारक वेतन इंडेक्शेसन भी हो सकता है, और इस मामले में वेतन में बढ़ोत्तरी मुद्रास्फीति का स्वतंत्र निर्धारक हो सकता है।

कभी-कभी, एक देश मुद्रास्फीति पर लगाम लगाने के लिए कठिन विकल्प चुनने के बजाय आम आदमी के लिए उच्च मुद्रास्फीति की लागत की सीमा में रखने के लिए वेतन इंडेक्शेसन जैसे आसान विकल्प का चुनाव कर सकता है। किंतु इस प्रक्रिया में अर्थव्यवस्था के समाने अन्य जोखिमें आ सकती है। ऐसा पहला जोखिम है “..... इंडेक्शेसन के कारण नीतिनिर्धारकों की मुद्रास्फीति से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है” (बॉल और सच्चेति, 1989)। जैसा कि ओकुन (1971) ने रेखांकित किया है कि वेतन इंडेक्शेसन “से यह माना जाए कि सरकार ने मुद्रास्फीति के प्रति अपने सहिष्णुता स्तर को बढ़ा दिया है..... इस बात की अपेक्षा करना तर्कसंगत होगा कि सरकार जितने प्रभावी तरीके से मुद्रास्फीति की सामाजिक लागतों (इंडेक्शेसन के माध्यम से) को कम कर सकती है, वह उतनी ही अधिक मुद्रास्फीति को स्वीकार करेगी”। दूसरे, वेतन इंडेक्शेसन वेतन रिजिडिटी के नियंत्रण को बढ़ा देती है और विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादकता की प्रवृत्ति के सापेक्ष वेतन का अपेक्षित समायोजन नहीं होने के

कारण संसाधनों का गलत आबंटन हो सकता है। किसी अवस्फीति नीति योजना में, मजदूरी का सांकेतिक अध्योगामी रिजिडिटी बहुत बड़ा अवरोध है जो वेतन इंडेक्शेसन के साथ और ज्यादा बढ़ सकता है। वेतन की वास्तविक वृद्धि दर को उत्पादकता वृद्धि की दर से नीचे रखना दीघाविधि संवृद्धि और बाद्य प्रतिस्पर्धा देने के लिए आवश्यक है। मिहल्जेक और सम्पेना (2010) ने यह पाया है कि कुशल श्रमिकों की कमी और सार्वजनिक क्षेत्र की वेतन नीतियां वे दो कारक हैं जिसके कारण उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं में वास्तविक वेतन उत्पादकता से आगे जा सकती है।

भारत में, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांगरटी योजना के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में वेतन में वृद्धि की दर मुद्रास्फीति की अपेक्षा तेजी से बढ़ी। ग्रामीण अंचलों में वृद्धि संवृद्धि 4 प्रतिशत के लक्ष्य के नीचे बनी रही, लेकिन वास्तविक वेतन अधिक दर से बढ़ी। शहरी क्षेत्रों में हाल के वर्षों में कमजोर आऊटपुट संवृद्धि के बावजूद वेतन में वार्षिक बढ़ोत्तरी तेज रही। कुल मानव-श्रम को रोजगार देने के संदर्भ में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांगरटी योजना का कवरेज इतना महत्वपूर्ण नहीं होगा जो आय अंतरण के कारण उत्पन्न होने वाले मांग दबावों से मुद्रास्फीति पर दबाव बना सके। किंतु, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांगरटी योजना के कारण मुद्रास्फीतिकारक जोखिम समाने आ रहे हैं जो समग्र वेतन ढांचे पर दबाव डाल रहा है और वेतन इंडेक्शेसन के कारण हर वर्ष वेतन में बढ़ोत्तरी भी कर रहा है। भारत में सामने आ रहे वेतन-कीमत चक्र के जोखिम ग्रामीण मजदूरी पर उपलब्ध सीमित आंकड़ों और औद्योगिक क्षेत्र के वेतन संबंधी आंकड़ों का प्रयोग कर अनुभवजन्य अध्ययन किया जा सकता है। ग्रामीण अकुशल श्रमिकों के लिए मासिक वेतन और उपभोक्ता ग्रामीण श्रमिकों का मुद्रास्फीति (श्रमिक ब्यूरों से उपलब्ध) पर आधारित अनुभवजन्य आकलन सकेत करते हैं कि वेतन मुद्रास्फीति और मूल्य मुद्रास्फीति (सारणी 1) के बीच के दो-दिशायुक्त कारण-कार्य-सिद्धांत का तात्पर्य यह है कि वेतन-कीमत चक्र का साक्ष्य मौजूद है।

सारणी 1: ग्रामीण भारत में वेतन और मुद्रास्फीति के बीच कार्यत्मक संबंध

नमूना : मई 2001 से फरवरी 2012

शून्य परिकल्पना:

एफ- सांख्यिकीय संभाव्यता

मूल्य में परिवर्तन में गैंगर कारण-कार्य वेतन परिवर्तन नहीं	5.77	0.004
वेतन में परिवर्तन में गैंगर कारण-कार्य मूल्य परिवर्तन नहीं	2.88	0.060


संगठित विनिर्माण क्षेत्र में, प्रति कर्मचारी औसत वेतन 2000-01 से 2005-06 के दौरान 3.9 प्रतिशत वार्षिक के मामूली दर से बढ़ी जो 2006-07 से 2009-10 के दौरान बढ़कर 9.3 प्रतिशत हो गई। वेतन-कीमत चक्र पर उपलब्ध साक्ष्य आंशिक तौर पर मुद्रास्फीति के उतार-चढ़ाव को दर्शाते हैं और बतलाते हैं कि संवृद्धि की गति में चक्रीय कमी के कारण मुद्रास्फीति में कमी क्यों नहीं आती है।

संदर्भ

बॉल, लारेंस और स्टीफन जी. सच्चेति (1989), “वेज इंडेक्शेसन एंड टाइम-कंसिस्टेंट मॉनिटरी पॉलिसी,” एनबीईआर वर्किंग पेपर 2948, नेशनल ब्यूरो ऑफ इकोनोमिक रिसर्च।

मिहल्जेक, दुब्रव्को और श्वेता सक्सेना (2010), “वेजेज, प्रोडविटिविटी एंड ‘स्ट्रक्चरल’ इनफ्लेशन इन इमर्जिंग मार्केट इकोनामिस”, बीआईएस वर्किंग पेपर नं. 49, बीआईएस।

ओकुन, आर्थर एम. (1971), “द मिरेज ऑफ स्टिडी इनफ्लेशन” ब्रुकिंग पेपर ऑन इकोनोमिक्स एक्टिविटी, खंड 2, 485-98.



सूचकांक के क्वरेज, भार और मूल्य उद्धरण में भिन्नता के कारण कुछ अंतर की अपेक्षा की गई थी। कम हो रही संवृद्धि के बातावरण में ऊपर जा रही मुद्रास्फीति की दिशा से यह सवाल उठ रहा है कि क्या खुदरा स्तर पर कीमतों में गिरावट थोक स्तर की तुलना में धीमी गति से आ रही है। अधिक उतार-चढ़ाव वाले घटकों को निकालकर यदि मांग स्थिति की तुलना में मूल्य स्थिति के व्यवहार का आकलन करने पर यह पाया गया कि ‘खाद्य से इतर एवं तेल से इतर’ उपभोक्ता मूल्य सूचकांक - अखिल भारतीय मुद्रास्फीति थोक मूल्य सूचकांक के ‘खाद्य से इतर और तेल से इतर’ मुद्रास्फीति से अधिक रही (सारणी II.3)। सेवाओं और किराए के साथ-साथ खुदरा स्तर पर उद्धृत की जा रही कीमतों इस विचलन की व्याख्या करती हैं। उच्च

सारणी II.3: डब्ल्यूपीआई और नए सीपीआई (संयुक्त) मुद्रास्फीति

खाद्य	ईंधन		खाद्य और ईंधन को छोड़कर		समग्र			
	डब्ल्यूपी नया सीपी आई	डब्ल्यूपी नया सीपी आई	डब्ल्यूपी आई	नया सीपी आई	डब्ल्यूपी नया सीपी आई	डब्ल्यूपी नया सीपी आई		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
भार	24.3	47.6	14.9	9.5	60.8	42.9	100	100
जन-12	1.5	3.9	17.0	13.0	7.5	10.6	7.2	7.5
फर-12	5.9	6.7	15.1	12.8	6.3	10.4	7.6	8.8
मार्च-12	8.7	8.1	12.8	11.8	5.8	10.2	7.7	9.4
अप्रै-12	9.1	10.1	12.1	11.2	5.4	10.2	7.5	10.3
मई-12	9.0	10.5	11.5	10.7	5.7	10.1	7.5	10.4
जून-12	9.0	10.8	10.3	10.3	5.6	9.1	7.3	10.0

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति सकेत करती है कि उपभोक्ता कल्याण की दृष्टि से मुद्रास्फीति की लागत थोक मूल्य सूचकांक की प्रवृत्ति में परिलक्षित मुद्रास्फीति की लागत से अधिक है। जब तक नए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की लम्बी अवधि के आंकड़े प्राप्त नहीं हो जाते तब तक समष्टि अर्थिक के प्रमुख अन्य परिवर्तियों के संबंध में इसके व्यवहार का आकलन नहीं किया जा सकता है। ऐसे समय तक, मौद्रिक नीति उद्देश्यों के लिए नए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के सूचना भंडार का संपूर्ण आकलन कठिन है, लेकिन नए सूचकांक को खुदरा स्तर पर मूल्य की प्रवृत्ति के लिए अतिरिक्त साक्ष्य के तौर पर देखा जा रहा है।

वर्ष 2012-13 में मुद्रास्फीतिकारक दबाव के बने रहने की संभावना है।

II.2.20 भविष्य में, संवृद्धि में कमी के कारण मांग दबाव में कमी के बावजूद अपर्याप्त मानसून और न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोत्तरी के कारण मुद्रास्फीति के समक्ष जोखिम बना हुआ है। 15 अगस्त 2012 तक मानसून में दीर्घावधि औसत से 15 प्रतिशत की कमी रही। रिजर्व बैंक के उत्पादन भारित सूचकांक ने मानसून में 20 प्रतिशत की कमी दर्शायी है। जुलाई के अंतिम भाग में बुआई में उल्लेखनीय तेजी आई लेकिन मोटे अनाज, दलहल और कुछ तिलहन विशेषकर मूँगफली की बुआई में कमी बनी हुई है। बुआई में कमी कीमतों पर दबाव डाल सकती है। अमेरिका, यूरेशिया और आस्ट्रेलिया के कई हिस्से की सूखे के कारण खाद्य की वैश्विक कीमतों पर पहले ही दबाव बढ़ रहा है, आयात के माध्यम से मांग-आपूर्ति अंतर को कम करने की अपनी सीमा है। इस स्थिति में बड़ी मात्रा में भंडार किए गए खाद्य के पिछले और वर्तमान स्टॉक बड़े काम आ सकते हैं। हालांकि इसके प्रभावी वितरण और प्रयोग को सुनिश्चित करने के लिए सघन प्रयास की आवश्यकता होगी।

II.2.21 खाद्य मुद्रास्फीति में बढ़ोत्तरी की संभावना को देखते हुए मूल्य दबावों के प्रभाव-विस्तार और इसके व्यापकीकरण को रोकना वर्तमान संदर्भ में महत्वपूर्ण है। यद्यपि 2012-13 की पहली तिमाही के दौरान मूल मुद्रास्फीतिकारक दबाव नहीं के बराबर रहा, फिर भी इसका जोखिम बना रहा। वास्तविक वेतन और खाद्य पदार्थों की कीमतों के आधात का प्रभाव मूल मुद्रास्फीति पर पड़ सकता है। 2012-13 की पहली तिमाही के दौरान धातु और ऊर्जा के वैश्विक मूल्यों में गिरावट ने कुछ राहत प्रदान की लेकिन रूपये के अवमूल्यन और वैश्विक ऊर्जा और खाद्य पदार्थों की कीमतों में हाल की बढ़ोत्तरी से इस लाभ का प्रभाव अंशिक तौर पर कम हो गया। इस परिप्रेक्ष्य में संवृद्धि में कमी के बावजूद लगातार मुद्रास्फीति का बना रहना मौद्रिक नीति के लिए एक प्रमुख चुनौती बन कर उभरा है।

II.3 मुद्रा और ऋण

II.3.1 वर्ष 2011-12 में मौद्रिक और ऋण की स्थितियों में दो स्पष्ट विशेषताएं देखी जा सकती हैं। वर्ष के पहले भाग में मौद्रिक नीति कठोर थी। निवल मांग और मीयादी देयताओं से 1 प्रतिशत की सामान्य कमी को बनाए रखने की नीतिगत उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए चलनिधि की मात्रा बरकरार रही जिससे मौद्रिक नीति के प्रभाव का अंतरण अत्यधिक प्रभावी तरीके से होता है। मौद्रिक नीति का लक्ष्य मुद्रास्फीति को रोकना है और चलनिधि की अधिक मात्रा को इस दिशा में रोड़ा माना जाता है क्योंकि यह अधिक मांग के माध्यम से कीमतों पर प्रभाव डाल सकती है। वर्ष के दूसरे भाग में रिजर्व बैंक ने चल रही कठोर मौद्रिक नीति को विराम दिया। हालांकि, कुछ अप्रत्याशित कारणों से चलनिधि की कमी में बढ़ोत्तरी हुई। रिजर्व बैंक ने रुपये के विनियम दर में उत्तर-चढ़ाव को रोकने के लिए पहले डॉलरों की बिक्री की। दूसरे, सरकार के नकदी-शेष राशि में अचानक वृद्धि के कारण अस्थायी असंतुलन आ गया जो लंबे समय तब बनी रही। तीसरे, वर्ष की पहली तीन तिमाहियों में ऋण और जमाराशियों में हुई वृद्धि के बीच कम हुआ अंतर चौथी तिमाही में समग्र जमाराशियों में तीव्र गिरावट और ऋण में आए अचानक उछाल के कारण दुबारा बढ़ गया।


II.3.2 हेडलाइन मुद्रास्फीति वर्ष 2009 के अधिकांश समय में कम रहने के बाद अगले दो वर्ष 2010 और 2011 में औसतन लगभग 9.5 प्रतिशत रही। इस चुनौती से निबटने के लिए रिजर्व बैंक ने फरवरी 2010 से अक्टूबर 2011 तक मुद्रास्फीतिरोधी रुख अपनाते हुए विभिन्न चरणों में परिचालन नीतिगत रेपो दरों में कुल 525 आधार अंकों तथा आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) में कुल 100 आधार अंकों की बढ़ोत्तरी की। नीतियों में कठोरता लाना आवश्यक था क्योंकि मुद्रास्फीति जोखिम संवृद्धि के प्रति जोखिम से अधिक हो गयी थी और यह संवृद्धि पर प्रतिकूल असर डालती। मौद्रिक नीति कार्रवाई के कारण जैसे ही घरेलू मांग में कुछ हद तक कमी आयी, हेडलाइन मुद्रास्फीति में गिरावट देखी गयी। भविष्य के आकलनों को ध्यान में रखते हुए जब यह पाया गया कि संवृद्धि में मंदी अपेक्षाओं से अधिक है तब रिजर्व बैंक ने 2011-12 की तीसरी तिमाही में मौद्रिक नीति को अपरिवर्तित रखने का संकेत दिया। खुले बाजार परिचालन के तहत एकमुश्त खरीद कर के चलनिधि की मात्रा बढ़ाई गयी। तत्पश्चात, रिजर्व बैंक ने संवृद्धि में हो रही कमी को ध्यान में रखते हुए अप्रैल 2012

में नीतिगत दरों में कटौती की। अगस्त 2012 में, रिजर्व बैंक ने उत्पाद क्षेत्रों के लिए ऋण उपलब्धता आसान बनाने के लिए चलनिधि उपलब्ध कराने की दृष्टि से सांविधिक चलनिधि अनुपात में 1 प्रतिशत अंक की कटौती की।

निवल घरेलू आस्तियों (एनडीए) में हुई बढ़ोत्तरी निवल विदेशी आस्तियों (एनएफए) में आयी कमी से प्रति संतुलित हो गयी; वर्ष 2011-12 के दौरान आरक्षित मुद्रा में वृद्धि की गति धीमी रही।

II.3.3 चलनिधि के स्वतंत्र कारकों से आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए 2011-12 के दौरान आरक्षित मुद्रा में घट-बढ़ में रिजर्व बैंक के चलनिधि प्रबंधन के प्रतिसंतुलन परिचालनों को दर्शाते हैं (चार्ट II.22 और परिशिष्ट सारणी 9)। वर्ष के दौरान, स्वतंत्र कारकों जैसे कि सरकार के नकदी-शेष, रिजर्व बैंक के विदेशी मुद्रा परिचालन और जनता के पास इकट्ठा मुद्रा के परिणामस्वरूप बैंकिंग प्रणाली से चलनिधि बाहर निकली। रिजर्व बैंक द्वारा बढ़ स्तर के खुले बाजार परिचालन के माध्यम से 1.3 ट्रिलियन रुपये की सरकारी प्रतिभूति की एकमुश्त खरीद और दैनिक चलनिधि समायोजन सुविधा के संचालन किए जाने के परिणामस्वरूप निवल घरेलू आस्ति में बढ़ोत्तरी हुई। विदेशी मुद्रा बाजार में रिजर्व बैंक द्वारा हस्तक्षेप किए जाने के कारण निवल विदेशी आस्ति में गिरावट से आरक्षित मुद्रा संवृद्धि में कमी आयी। आरक्षित मुद्रा में यह कमी चौथी तिमाही में आरक्षित नकदी निधि अनुपात में कटौती के कारण और अधिक बढ़ गयी क्योंकि पहले चरण में रिजर्व बैंक के पास रखी जाने वाली

चार्ट II.22: आरक्षित मुद्रा में वृद्धि



जमाराशियों में 795 बिलियन रुपये की कमी आयी। 2011-12 के दौरान आरक्षित नकदी निधि अनुपात में समायोजन के बाद भी आरक्षित मुद्रा की संवृद्धि में कमी आयी।

II.3.4 आरक्षित मुद्रा का सबसे बड़ा हिस्सा संचलन में गयी मुद्रा होती है जिसमें आर्थिक कार्यकलाप और मुद्रास्फीति के आयी कमी के कारण 2011-12 में गिरावट आयी। जमाराशियों पर मिलने वाले ब्याज दरों में संचयी वृद्धि होने के कारण अप्रयुक्त राशि को रखने संबंधी अवसर लागत में बढ़ोत्तरी हो गयी जिससे नकद राशियां रखने की प्रवृत्ति घरेलू बचत में बदल गयी।


II.3.5 सरकार के बढ़े हुए व्यय के कारण वर्ष 2011-12 के पहले भाग में चलनिधि की कमी रिजर्व बैंक के प्रत्याशित स्तर के भीतर रही। सरकार ने अकसर अर्थोंपाय अग्रिम के साथ-साथ कभी-कभी ओवरड्राफ्ट का सहारा भी लिया। फलस्वरूप, वर्ष के पहले भाग में विवेकाधीन दीर्घकालिक चलनिधि को प्रणाली में लाने की आवश्यकता नहीं हुई।

II.3.6 नवंबर 2011 से आरक्षित मुद्रा (आरक्षित नकदी निधि अनुपात के साथ समायोजित) की वृद्धि में गिरावट चलनिधि के स्वतंत्र और नीतिगत कारकों में प्रतिसंतुलित उतार-चढ़ाव को दर्शाते हैं। रिजर्व बैंक ने चलनिधि के संरचनात्मक कारकों- पिछली तिमाही की तुलना में विदेशी मुद्रा बिक्री और मुद्रा की बढ़ी हुई मांग- से होने वाली चुनौती से निपटने के लिए खुले बाजार परिचालन के माध्यम से बिक्री और आरक्षित नकदी निधि अनुपात में कटौती कर चलनिधि का अंतर्वेशन किया। स्वायत चलनिधि की अस्थायी समस्या -सरकार के नकदी शेष में वृद्धि- को चलनिधि समायोजन सुविधा/सीमांत स्थायी सुविधा के तहत एक दिवसीय चलनिधि का प्रावधान करके दूर किया गया। सरकार के नकदी शेष में मौसमी गिरावट, जमाराशियों और ऋण वितरण के वृद्धि की गति के अंतर कम होने, चलनिधि समायोजन सुविधा/ सीमांत स्थायी सुविधा के माध्यम से रिजर्व बैंक के सक्रिय प्रबंधन के कारण 2012-13 के दौरान अब तक चलनिधि समायोजन सुविधा के तहत चलनिधि घाटे में कमी आयी। रिजर्व बैंक के चलनिधि प्रबंधन परिचालनों पर अध्याय III में विस्तृत चर्चा की गई है।

व्यवहारवादी और नीतिगत कारकों के परिणामस्वरूप उच्च मुद्रा गुणक सामने आए

II.3.7 वर्ष 2011-12 में आरक्षित मुद्रा में गिरावट मुख्य तौर पर मुद्रा की मांग में कमी के कारण आयी। मुद्रा गुणक का मूल्य दो व्यवहारवादी अनुपातों - मुद्रा-जमा अनुपात और आरक्षित-जमा

चार्ट II.23: मुद्रा गुणक




अनुपात पर निर्भर करता है। 2011-12 की पहली तीन तिमाहियों में मौद्रिक स्थितियों की कठोरता पर कार्रवाई करने में बैंकों और घरेलू क्षेत्र की प्रतिक्रिया से मुद्रा गुणकों के मूल्य में बढ़ोत्तरी हुई (चार्ट II.23)। वर्ष 2011-12 के दौरान, जनवरी 2012 में आरक्षित निधि नकदी अनुपात में 50 आधार अंकों की कटौती के कारण 24 फरवरी 2012 को समाप्त पखवाड़े में मुद्रा गुणक उच्चतम स्तर तक चला गया, जिसके कारण बैंकों द्वारा रिजर्व बैंक के पास रखी जाने वाली निधियों में कटौती हुयी। 10 मार्च 2012 से शुरू हो रहे पखवाड़े से आरक्षित निधि नकदी अनुपात में 75 आधार अंकों की दूसरी कटौती के कारण हाल में मुद्रा गुणक में और अधिक बढ़ोत्तरी हुई।

II.3.8 किंतु, मुद्रा गुणक में बढ़ोत्तरी आरक्षित मुद्रा में तीव्र गिरावट को प्रति-संतुलित नहीं कर पायी और मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि पिछले वर्ष की 16.1 प्रतिशत की तुलना में घटकर मार्च 2012 के अंत तक 13.1 प्रतिशत हो गयी (चार्ट II.24)। मुद्रा आपूर्ति की वृद्धि में थोड़ी तेजी आयी जो 27 जुलाई 2012 को 13.5 प्रतिशत पहुंच गयी लेकिन यह रिजर्व बैंक के 15 प्रतिशत की सांकेतिक सीमा रेखा के थोड़ी नीचे रही।

व्यापक मुद्रा की वृद्धि में तेजी बनी हुई है, लेकिन चौथी तिमाही में जमाराशि संवृद्धि में गिरावट के कारण इसमें नरमी आयी

II.3.9 मुद्रा, संवृद्धि और मूल्य के बीच सामंजस्य मुद्रा की मांग की स्थिरता पर निर्भर करती है। अनुभवजन्य आंकड़े यह संकेत देते हैं

चार्ट II.24: व्यापक मुद्रा और आरक्षित मुद्रा में संवृद्धि (वर्ष-दर-वर्ष; प्रतिशत)



कि भारत में मुद्रा की मांग दीर्घावधि और मध्यावधि में स्थिर रही है (बॉक्स II.9)।


II.3.10 वर्ष 2011-12 की तीसरी तिमाही में व्यापक मुद्रा (एम३) में बढ़ोत्तरी की दर वर्ष के अंत तक आनुमानिक दर से 15.5 प्रतिशत अधिक रही जिसमें अस्थायी और संरचनात्मक चलनिधि की कमी की दूर करने के लिए अपर्याप्त मात्रा में चलनिधि के निर्माण और अंशतः धीमी संवृद्धि और मुद्रास्फीति के कारण जनवरी 2012 के मध्य से तीव्र गिरावट आयी। व्यापक मुद्रा के सभी घटकों में 2011-12 के दौरान गिरावट देखी गयी (परिशिष्ट सारणी 10)। पहली तीन तिमाहियों में मीयादी जमाराशियों में तीव्र वृद्धि देखी गयी क्योंकि रिजर्व बैंक की मुद्रास्फीति निवारक मौद्रिक नीति से निपटने में मीयादी जमाराशियों पर मिलने वाली ब्याज के कारण नकदी पास रखने या मांग जमाराशियों की अवसर लागत में बढ़ोत्तरी हुई। घरेलू वित्तीय बचत के अन्य घटकों जैसे छोटी

बॉक्स II.9 मुद्रा की मांग

मौद्रिक नीति के संचालन के लिए सूचना परिवर्ती घटक के तौर पर मुद्रा का महत्व उसके निर्धारक के संदर्भ में उसकी मांग की स्थिरता पर निर्भर करता है। भारत द्वारा 1998 में ‘फीडबैक के साथ मौद्रिक लक्ष्य’ बनाने का प्रयोग छोड़ देने के बावजूद, जहां व्यापक मुद्रा (एम३) को मौद्रिक नीति के मध्यवर्ती लक्ष्य के तौर पर प्रयोग किया जाता था, मौद्रिक नीति के निरूपण में सामान्य तौर पर मौद्रिक समुच्चय और विशेष तौर पर मौद्रिक समूहों और व्यापक मुद्रा अभी भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

संवृद्धि और मुद्रास्फीति पर अपने पूर्वानुमानों के समनुरूप, रिजर्व बैंक प्रत्येक वित्तीय वर्ष की शुरुआत में वित्तीय वर्ष की व्यापक मुद्रा (एम३) वृद्धि के आकलन के लिए व्यापक मुद्रा की वृद्धि पर अपने पूर्वानुमान देता है। संवृद्धि - मुद्रास्फीति सिद्धांतों के कार्यान्वयन में किसी भी प्रकार के बदलाव के फलस्वरूप मौद्रिक पूर्वानुमानों में भी बदलाव आता है। यह मुद्रा के स्थिर मांग का अनुमान करता है। व्यापक मुद्रा के प्रारंभिक पूर्वानुमान और अंतिम परिणाम के बीच किसी भी प्रकार का अंतर न केवल संवृद्धि और मुद्रास्फीति - मुद्रा की मांग के संबंध में निकटवर्ती निर्धारक - के पूर्वानुमान की सटीकता पर बल्कि मुद्रा मांग कार्यप्रणाली की स्थिरता पर भी निर्भर करता है। मुद्रा, मूल्य और आय के बीच दो दिशायुक्त अनौपचारिक संबंध है जिसे ‘फीडबैक के साथ मौद्रिक लक्ष्य बनाने’ के दृष्टिकोण में देखा गया।

मुद्रा मांग कार्यप्रणाली की स्थिरता को अब दुबारा परखने के लिए कौन से कारक कार्य कर रहे हैं, क्या सांकेतिक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि की तर्ज पर हाल के वर्षों में मुद्रा की वृद्धि में गिरावट इसका कारण है (चार्ट 1)। क्या इसका तात्पर्य यह है कि वित्तीय अमध्यस्थीकरण के कारण मुद्रा की मांग में अस्थिरता आयी है जिसने मुद्रा लक्ष्यों को अपनाने वाले अनेक देशों को इसे छोड़ने के लिए बाध्य किया? या क्या यह घरेलू वित्तीय बचत में गिरावट का परिणाम है क्योंकि घरेलू इकाइयों ने अपने पोर्टफॉलियो को पुनः संतुलित करने के लिए आस्तियों की



खरीद में ज्यादा रुचि ली परंतु जरूरत पर इन्हें सरलता से नकदी में नहीं बदला जा सकता है लेकिन ये ज्यादा प्रतिफल दर प्रदान करती है। इन मद्दों की वजह से भारत में मुद्रा की मांग पर पुग़: गौर करना आवश्यक हो गया है।

सैद्धांतिक तौर पर, मुद्रा की मांग मुख्य रूप से आय और मुद्रा रखने की अवसर लागत पर निर्भर करती है। जैसे ही वास्तविक आय बढ़ती है, वैसे ही बड़ी संख्या में हो रहे लेने-देने को वित्त प्रदान करने के लिए मुद्रा की मांग बढ़ती है। इसके अतिरिक्त, वैकल्पिक आस्तियों पर उच्च वास्तविक प्रतिफल दर मुद्रा रखने की अवसर लागत को बढ़ा देती है, जिसके फलस्वरूप मुद्रा की ‘कल्पनिक’ मांग में कमी आ जाती है।

नए वित्तीय लिखितों को लागू करके किए गए वित्तीय नवोन्मेष से भी मुद्रा की मांग पर असर पड़ता है। इसके अतिरिक्त, पूँजी खाते को उदार बनाने के उपाय

(जारी....)

के तौर पर 1994 में चालू खाते की पूर्ण परिवर्तनशीलता के कारण मुद्रा की मांग पर विनिमय दर और ब्याज की विदेशी दर का प्रभाव पड़ने की आशंका है। भारतीय संदर्भ में मुख्यधारा के संबंधित साहित्य व्यापक मुद्रा को वास्तविक आय और मूल्य स्तर (उदाहरण, मोहंटी और मित्रा (1999), रामचंद्रन (2004)) या वास्तविक आय और अल्पावधि सांकेतिक ब्याज दर (उदाहरण, राव और सिंह (2000)) के तौर पर परिभाषित करता है। अनुभवजन्य संबंधित साहित्य में मुद्रा मांग की स्थिरता पर लम्बी बहस हुई है और जिसपर मॉडल के ब्यौरे और विचार किए गए समय अवधि पर आधारित मिश्रित साक्ष्य प्राप्त हुए हैं।

मुद्रा की मांग के लिए 1970-71 से 2011-12 की अवधि के अनुभवजन्य जांच के अध्ययन से यह पता चलता है कि मुद्रा शेष, वास्तविक आय और मूल्य स्तर के बीच लम्बे समय तक बने रहने वाली सह-समन्वयी संबंधी है। मुद्रा मांग को वर्ष के व्यापक मुद्रा के औसत के तौर पर परिभाषित किया जाता है, वास्तविक आय को स्थिर बाजार मूल्यों पर सकल देशी उत्पाद के संदर्भ में मापा जाता है। मूल्य स्तर को थोक मूल्य सूचकांक का प्रयोग कर निकाला जाता है। ये सभी परिवर्ती सहज लॉग रूप में हैं। तदनुसार, दीर्घावधि मुद्रा मांग के लिए आकलन नीचे दिया जा रहा है:

$$\text{व्यापक मुद्रा (एम)} = 9.62 + 1.30 \text{ जीडीपी} + 0.98 \text{ डब्ल्यूपीआर} \dots \dots \dots (1)$$

(0.33405) (0.24515)

जहां कोष्ठक में दिए गए अंक आकलन की मानक त्रुटि को दर्शाते हैं।

बचत राशियां और म्युचुअल फंड का विकल्प बनने के कारण भी मीयादी जमाराशियों में तीव्र वृद्धि देखी गयी। किंतु, 2011-12 की चौथी तिमाही के दौरान चलनिधि की कमी के कारण मीयादी जमाराशियों की वृद्धि में गिरावट आयी तथा आधारभूत प्रभाव के कारण गिरावट और अधिक बढ़ गयी। कर्ज संबंधी लिखतों और चलनिधि समायोजन सुविधा जैसे वैकल्पिक माध्यमों से उधार लेकर से बैंकों ने अपनी जमाराशियों में बढ़ोत्तरी की।

II.3.11 स्रोत पक्ष में, व्यापक मुद्रा में कमी का मुख्य कारण वाणिज्यिक ऋण में बढ़ोत्तरी है। इसके अलावा, रिजर्व बैंक के विदेशी मुद्रा परिचालनों के कारण भी व्यापक मुद्रा की वृद्धि में कमी आयी। हालांकि, बैंकिंग प्रणाली से सरकार को दिए जाने वाले ऋण में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। यह बाजार के बड़े उधार कार्यक्रमों में वाणिज्य बैंकों की सहभागिता को दर्शाती है।

संवृद्धि में मंदी के कारण ऋण में गिरावट

II.3.12 रिजर्व बैंक ने खाद्योत्तर ऋण के पूर्वानुमान को मई 2001 के 19 प्रतिशत से घटाकर जुलाई 2011 में 18 प्रतिशत करते हुए अंततः जनवरी 2012 में 16 प्रतिशत कर दिया। व्यापक मुद्रा में वृद्धि रिजर्व बैंक के सांकेतिक पूर्वानुमान से अधिक होने के बावजूद ऋण की वृद्धि में क्रमिक रूप से आयी गिरावट से यह

5 प्रतिशत के स्तर पर गुणांक महत्वपूर्ण है। मुद्रा मांग की आय लोच 1.3 अनुमानित है, जबकि मूल्य के स्तर पर एक प्रतिशत की बढ़ोत्तरी मुद्रा की दीर्घावधि मांग को लगभग उसी अनुपात में बढ़ा देती है। मानक जांच इन परिणामों की सटीकता की ओर संकेत करती है। उदाहरण के लिए, अन्य व्याख्यात्मक परिवर्ती घटक, वित्तीय नवोन्मेष के लिए परोक्षी, निधीयन के लिए वैकल्पिक स्रोत इत्यादि उपर्युक्त ब्यौरों में उल्लेखनीय दीर्घावधि संबंधों को नहीं दर्शाते हैं।

कुल मिलाकर अनुभवजन्य विश्लेषण से यह संकेत मिलता है कि विचाराधीन अवधि में भारत में मुद्रा की मांग (उक्त समीकरण 1) सामान्यतः स्थिर रही।

संदर्भ :


मोहंटी, डी., ऐड ए.के. मित्रा (1999), ‘एक्सपीरिएंस विथ मॉनेटरी टार्गेटिंग इन इंडिया’ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, 34 : 16-23.

रामचंद्रन, एम (2004) ‘इू ब्राड मनी, आऊटपुट, एंड प्राइस स्टैंड फॉर ए स्टेबल रिलेशनशिप इन इंडिया’ जनल ऑफ पालिसी मॉडलिंग 26 : 983-1001.

राव, बी.बी. एंड रूप सिंह (2006), ‘डिमांड फॉर मनी इन इंडिया : 1953-2003’ एप्लाइड इकोनॉमिक्स, 38(11), 1319-1326.

रिजर्व अपेक्षित सीमा रेखा के नीचे चला गया, इसको देखते हुए खाद्योत्तर ऋण के पूर्वानुमान में कटौती की गयी (चार्ट II.25)। ऋण में गिरावट धीमी हो रही संवृद्धि और बैंकों द्वारा कम जोखिम उठाने की प्रवृत्ति को दर्शाते हैं जिसके परिणामस्वरूप सरकारी प्रतिभूतियों

चार्ट II.25: खाद्योत्तर ऋण में वृद्धि (वर्ष-दर-वर्ष, प्रतिशत)



बॉक्स II.10

मौद्रिक प्रभाव-अंतरण के ब्याज दर और ऋण चैनल

मौद्रिक प्रभाव-अंतरण उस कार्यप्रणाली के बारे में बताता है जिसके द्वारा मौद्रिक नीति के बदलाव मुद्रास्फीति और संवृद्धि को प्रभावित करने के अंतिम उद्देश्यों को प्राप्त करती है। भारतीय मामले में ब्याज दर और ऋण चैनल विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं। ब्याज दर चैनल यह बताता है कि मुद्रा आपूर्ति में बदलाव ब्याज दरों में परिवर्तन के माध्यम से निवेश, समग्र मांग, मुद्रास्फीति और आऊटपुट पर कैसे असर डालता है। संकुचनकारी मौद्रिक नीति उधार की वास्तविक दर को बढ़ा देती है जिससे पूँजी की लागत में बढ़ोत्तरी हो जाती है। इसके कारण निवेश खर्च, और साथ ही, समग्र मांग में गिरावट आती है और इससे संवृद्धि में कमी आती है और मुद्रास्फीति में गिरावट आती है।

मौद्रिक प्रभाव-अंतरण के ऋण चैनल दो व्यापक चैनलों के माध्यम से कार्य करते हैं- तुलनपत्र चैनल और बैंक द्वारा उधार देने संबंधी चैनल। तुलनपत्र चैनल बाह्य वित्त प्रीमियम अर्थात् (ईक्विटी और कर्ज) और आंतरिक (प्रतिधारित उपार्जन) बाह्य स्रोतों से जुटाइ गई निधियों की लागत के बीच के अंतर पर असर डालकर अपना कार्य करती है। जैसा कि ऋण बाजार में त्रुटि और सूचना की विषमता होती है, बाह्य निधीयन प्रीमियम में उस समय वृद्धि की प्रवृत्ति होती है जब केंद्रीय बैंक अल्पवाधि ब्याज दर में बढ़ोत्तरी करता है। यह निवल नकदी प्रवाह पर असर डालती है और यह प्रभाव किसी फर्म की निवल मालियत या कवरेज अनुपात जैसे वित्तीय अनुपात पर निर्भर करता है। उधारकर्ता के तुलनपत्र में चक्रीय उतार-चढ़ाव “वित्तीय उत्प्रेरक” के माध्यम से कारोबारी चक्र में प्रसार लाता है (बनकि, गर्टलर एंड गिलक्रिस्ट, 1996)।

बैंक का उधार देने संबंधी चैनल मौद्रिक नीति के अनुसार कार्य करते हुए बैंक ऋण की आपूर्ति की प्रभावित करता है। जैसे ही बाह्य वित्त प्रीमियम में बढ़ोत्तरी होती है, बैंक की वित्त निधियों के स्रोत में कमी आ जाती है। केंद्रीय बैंक द्वारा आधारभूत मुद्रा में कमी करते ही सूचनागत समस्याओं को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले बैंकों की खुदरा जमाराशियां कम होनी शुरू हो जाती हैं। चूंकि बैंक अन्य स्रोतों जैसे कि जमा प्रमाणपत्र या पूँजी जुटाकर इसकी

पूरी तरह भरपाई नहीं कर सकते, इसलिए वे बैंक ऋण के वितरण में कमी करने के लिए बाध्य हो जाते हैं।

भारत में इन चैनलों के परिचालन संबंधी उल्लेखनीय नए साक्ष्य हैं। मोहंती ने तिमाही ढांचागत वेक्टर मॉडल का प्रयोग कर यह दर्शाया है कि हाल के वर्षों में भारत में नीतिगत दरों में बढ़ोत्तरी करने से आऊटपुट की वृद्धि पर दो तिमाही के पश्चात नकारात्मक प्रभाव और तीन तिमाहियों के पश्चात मुद्रास्फीति पर हल्का प्रभाव पड़ता है और इन सबका प्रभाव 8-10 तिमाहियों तक बना रहता है। खुद्रक्षम (2011) ने पाया कि नीति के कारण मुद्रा आपूर्ति में प्रसार और संकुचन के प्रभाव से बैंक अपने ऋण संविधान में समारूपन करते हैं। चलनिधि समायोजन सुविधा लागू करने के बाद के समय में यदि नीतिगत दरों में 100 आधार अंकों की वृद्धि की जाती है तो यह पाया गया है कि ऋण में साकेतिक संदर्भ में 2.8 प्रतिशत और वास्तविक संदर्भ में 2.2 प्रतिशत की कमी आयी। भारत में बहु साकेतक दृष्टिकोण के फ्रेमवर्क के अधीन मौद्रिक नीति में नीतिगत निर्णय लेते समय ब्याज दर वातावरण और ऋण बाजार की गतिविधियों को ध्यान में रखा जाता है। जमाराशियों की ऐसे अवरुद्धता से बैंक की निधियों की लागत इतनी तेजी से नहीं बदलती कि उन्हें उधार दर में परिवर्तन करना पड़े।


संदर्भ:

बनकि, बी., मार्क गर्टलर और सिमॉन गिलक्रिस्ट(1996), “द फाइनेंसियल एक्सिलेटर एंड द फ्लाइट टू क्वालिटी”, रिव्यू ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, 78(1):1-15

खुद्रक्षम, जे.के.(2011), ‘क्रेडिट चैनल ऑफ मॉनीटरी ट्रांसमिशन इन इंडिया : हाऊ इफेक्टिव एंड लॉग आर द लैम्स’, आरबीआई वर्किंग पेपर नं.20/2011, नवम्बर ।

मोहंती, दीपक(2012), “एविडेंस ऑफ इंट्रेस्ट रेट चैनल ऑफ मॉनीटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन इन इंडियाटट, आरबीआई वर्किंग पेपर नं. 6/2012, मई ।

चार्ट II.26: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की समग्र जमाराशियां और बैंक ऋण



में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के निवेश में तेजी आयी। हालांकि, इस तथ्य के पर्याप्त सबूत मौजूद हैं कि भारत में, ब्याज दर चैनल और ऋण चैनल हाल के वर्षों में प्रभावी तरीके से काम कर रहा है (बॉक्स II.10)।

II.3.13 जमाराशियों की वृद्धि में तेजी के साथ-साथ ऋण में गिरावट के कारण 2011-12 की पहली तीन तिमाहियों में ऋण और जमाराशियों की वृद्धि के बीच का अंतर कम हो गया (चार्ट II.26)। दिसंबर 2011 में यह अंतर नकारात्मक भी हो गया। वर्ष 2011-12 के चौथी तिमाही में जमाराशियों की वृद्धि की तीव्र गिरावट और मार्च 2012 में ऋण वितरण में तेजी के कारण इस अंतर में और अधिक बढ़ोत्तरी हुयी। कम ब्याज दर वाली जमाराशियों में वृद्धि और ऋण वितरण में तेजी की यह प्रवृत्ति 2012-13 की पहली तिमाही में भी बनी रही, इस कारण जमाराशियों और ऋण के बीच का अंतर बना रहा। जमाराशियों

की वृद्धि कमजोर पड़ने पर वाणिज्य बैंकों ने जमाराशियों से इतर स्रोतों - उधार, चलनिधि सुविधा के माध्यम सहित - पर अपनी निर्भरता बढ़ा दी। वर्ष 2011-12 की चौथी तिमाही में आरक्षित नकदी निधि अनुपात में कटौती के कारण बैंक के उधार देने वाले स्रोतों में वृद्धि हुई। बकाया जमा-ऋण अनुपात मार्च 2011 के अंत के 74.5 प्रतिशत से बढ़कर मार्च 2012 के अंत तक 76.7 प्रतिशत हो जाना इस प्रवृत्ति को दर्शाते हैं। वृद्धिशील जमा-ऋण अनुपात 2011-12 के दौरान 95.5 प्रतिशत (पिछले वर्ष के दौरान 97.5 प्रतिशत) के उच्च स्तर पर बना रहा क्योंकि बैंकों ने ऋण प्रदान करने के लिए चलनिधि समायोजन सुविधा का उपयोग किया। वर्ष 2012-13 की पहली तिमाही में बकाया के साथ-साथ वृद्धिशील जमा ऋण अनुपातों में कमी आयी।

ऋण की वृद्धि पर बढ़ती हुई अनर्जक आस्तियां प्रतिकूल असर डाल रही है

II.3.14 संवृद्धि में कमी आने के परिप्रेक्ष्य में बैंक ऋण प्रदान करने में जोखिम उठाने से बचते रहे। सभी बैंकों समूहों के ऋण वितरण में 2011-12 के दौरान गिरावट आयी जो सरकारी क्षेत्र के बैंकों के मामले में 16.3 प्रतिशत और निजी क्षेत्र के बैंकों के मामले में 19.7 प्रतिशत रही। पिछले वर्ष के दौरान यह आंकड़ा क्रमशः 21.0 प्रतिशत और 24.7 प्रतिशत था। चूंकि वाणिज्य बैंकों द्वारा प्रदान किए गए बकाया ऋण में सरकारी क्षेत्र के बैंकों का हिस्सा 75 प्रतिशत है, वाणिज्य बैंकों की ऋण में वृद्धि की दर पिछले वर्ष के 21.5 प्रतिशत से घटकर 17.0 प्रतिशत हो गयी। बढ़ते हुए अनर्जक आस्तियों और कॉर्पोरेट के तुलन पर में अधिक लिवरेज के कारण बैंक ऋण प्रदान करने में जोखिम उठाने से बचते रहे।

II.3.15 कृषि के छोड़कर, 2011-12 के दौरान सभी क्षेत्रों को दिए जाने वाले खाद्येतर ऋण में गिरावट आयी। विशेषकर सेवा क्षेत्र और व्यक्तिगत ऋण के मामले में यह गिरावट तीव्र रही और प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र और उद्योग के मामले में यह गिरावट कम रही। हालांकि, उद्योग के बीच मञ्जूले उद्योगों के लिए ऋण प्रवाह में तेज गिरावट देखी गई। वर्ष 2012-13 के दौरान, अगस्त 2012 के मध्य में ऋण वृद्धि 16.9 प्रतिशत रही जो रिजर्व बैंक द्वारा दिए गए संकेतों के अनुसार है।

II.3.16 वर्ष 2012-13 में अब तक, चलनिधि और मौद्रिक स्थितियों में उल्लेखनीय सुधार आया है जो 2011-12 की चौथी तिमाही में आरक्षित नकदी निधि अनुपात में 125 आधार अंकों की कटौती, नीतिगत दरों में 50 आधार अंकों की कटौती और खुले

बाजार के परिचालन माध्यम से 800 बिलियन रुपये से अधिक के चलनिधि अंतर्वेशन और बकाया निर्यात ऋण की सीमा को 15 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत किए जाने से निर्यात ऋण पुनर्वित्त के माध्यम से 100 बिलियन रुपये के चलनिधि अंतर्वेशन के विलम्बित प्रभाव को दर्शाता है। चलनिधि के लगातार अंतर्वेशन से मौद्रिक और समग्र ऋणराशियों में क्रमिक रूप से तेजी आ रही है। अगस्त 2012 से सांविधिक चलनिधि अनुपात में 100 आधार अंकों की कटौती से चलनिधि में और अधिक बढ़ोतरी की संभावना है और जो बैंकों को ऋण और अग्रिम में बढ़ोतरी के लिए प्रेरित करेगा।

IV. वित्तीय बाजार

यूरो क्षेत्र के कर्ज संकट ने बाजार को अस्थिर बनाए रखा

II.4.1 यूरो क्षेत्र में वर्तमान सरकारी कर्ज संकट से होनेवाली अनिश्चितताओं, कई उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के संभावना-स्तर में डाउनग्रेडिंग और अन्य कारकों के साथ-साथ बैंक पुनर्पूजीकरण की चिंताओं के बीच यूरो क्षेत्र में बैंकों की स्थिरता के मुद्दे, ऐसे कारक थे जिनके कारण 2011-12 के दौरान अधिकांश समय अंतरराष्ट्रीय वित्तीय बाजार अस्थिर बना रहा। विभिन्न देशों, विशेषकर यूरो क्षेत्र के बैंकों द्वारा एक-दूसरे के सरकारी कर्ज धारण किए जाने के कारण भी सरकारी कर्ज संकट से बैंकिंग क्षेत्र में दबाव बना रहा। कर्ज के ऊंचे स्तर और क्षीण राजकोषीय गुंजाइश के चलते यूरो क्षेत्र की सरकारों के लिए जनता के पैसे से बैंकों को पुनः पूँजीकृत करने में मुश्किलें आई। कई उन्नत अर्थव्यवस्थाओं, विशेषकर यूरो क्षेत्र की अर्थव्यवस्थाओं में धीमी या नकारात्मक वृद्धि दर देखे जाने के चलते आर्थिक वृद्धि से जुड़ी चिंताएं सामने आईं। यद्यपि कुछ उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में अधिक चलनिधि उपलब्ध कराने के प्रयोजन से नीतिगत उपाय किए गए, तथापि निजी मांग कमजोर बनी रही जो यह दर्शाता है कि पारिवारिक क्षेत्र द्वारा डीलिवरेजिंग की गई और साथ ही साथ बैंकों द्वारा कम उधार दिए गए।

II.4.2 अगस्त 2011 में दीर्घावधि अमेरिकी सरकारी कर्ज के स्तर को डाउनग्रेड किए जाने के बाद बाजार में अधिक अस्थिरता देखी गई। इक्विटी बाजार में तेज बिकवाली देखी गई और निवेशक निवेश हेतु ऐसी आस्तियों की ओर जाने लगे जिसके बारे में सुरक्षित होने की धारणा थी। फेडरल रिजर्व ने धीमी वृद्धि और अधिक बेराजगारी को देखते हुए अमेरिकी अर्थव्यवस्था की सहायता के लिए 'ऑपरेशन ट्रिव्स्ट' शुरू किया। यूरो क्षेत्र में हुई गतिविधियों के मद्देनजर नीति निर्माताओं के लिए आवश्यक था कि वे वित्तीय बाजार में गिरावट के से बचने के लिए तेजी से कार्रवाई करें। यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने

कार्रवाई करते हुए दो दीर्घावधि पुनर्वित्त परिचालन (एलटीआरओ) के जरिए 1 ट्रिलियन से अधिक यूरो डाला। यूरोपीय वित्तीय स्थिरता सुविधा (ईएफएसएफ) ने भी अपने संसाधनों को बढ़ाकर 780 बिलियन यूरो कर लिया। चूक की तुरंत संभावना को देखते हुए

अधिक मार्जिन के साथ एक बांड स्वैप शुरू किया गया ताकि ग्रीस अपने दायित्व पूरे कर सके। यूरो क्षेत्र में संकट से निपटने के लिए किए गए कई नीतिगत उपायों का वैश्विक वित्तीय बाजार पर असर हुआ (बॉक्स II.11)।

बॉक्स II.11 यूरो क्षेत्र संकट - नीतिगत कार्रवाई का एक मूल्यांकन

यूरो क्षेत्र में अधिक राजकोषीय घाटा, प्रचुर सार्वजनिक कर्ज तथा बैंकिंग क्षेत्र की समस्याओं के चलते एक गहरा, संरचनागत और बहुआयामी संकट सामने आया और प्रतिस्पर्धा की स्थिति निरंतर खत्म होने से चालू खाता संतुलन की स्थिति धीरे-धीरे खराब होती गई। 2009 में यूरो क्षेत्र के आस-पास से शुरू हुए, सरकारी कर्ज संकट ने हाल ही में फ्रांस और अस्ट्रिया जैसी यूरोपीय क्षेत्र की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं को निगल लिया है जिन्हें 2012 में एए रेटिंग स्तर से डाउनग्रेड कर दिया गया था। इस संकट से ग्रीस यूरो क्षेत्र से बाहर होने की कगार पर आ गया है और इसका परिणामी प्रभाव स्पैन तथा पुर्तगाल में बैंकिंग संकट के रूप में हुआ है। चूंकि यूरो देशों में एकल करेंसी है, इसलिए प्रभावित अर्थव्यवस्थाओं में नीति की लेकर दुविधा बनी रही क्योंकि उनके पास स्थिरीकरण उपायों के रूप में विनिमय दर और मौद्रिक नीति का प्रयोग करने की स्वंतत्रता नहीं थी।

नीतिगत उपाय

संकट को खत्म करने के लिए किए गए नीतिगत उपाय मुख्यतया चार प्रकार के थे : (i) क्षेत्रीय वित्तीय व्यवस्थाएं और संसाधनों के लिए यूरो-अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का संयुक्त प्रवधान, (ii) यूरोपियन सेंट्रल बैंक द्वारा उपलब्ध कराई गई अतिरिक्त चलनिधि सुविधा, (iii) यूरोपीय बैंकिंग प्रणाली को पुनः पूँजीकृत करने तथा विवेकपूर्ण मानदंडों को मजबूत करने के लिए किए गए उपाय और (iv) विकृत राजकोषीय प्रणाली को ठीक करने के लिए संरचनागत उपाय।

इस क्षेत्र में मई 2010 में यूरोपीय वित्तीय स्थिरीकरण प्रक्रिया (ईएफएसएम), अगस्त 2010 में यूरोपीय वित्तीय स्थिरता सुविधा (ईएफएसएफ) और यूरोपीय स्थिरीकरण प्रक्रिया (ईएसएम), जिसका परिचालन किया जा रहा है परंतु इसे अभी तक बैंकिंग लाइसेंस नहीं दिया गया है, जैसी नई संस्थाओं के गठन के जरिए वित्तीय व्यवस्थाएं शुरू की गई हैं। एक ओर ईएफएसएम के तहत यूरोपीय संघ बजट के अनुमोदन से यूरोपीय आयोग द्वारा जुटायी गयी निधियां शामिल हैं, वहीं दूसरी ओर ईएफएसएफ जैसी संस्थाओं को अधिकार दिया गया कि वे बाजार में यूरो क्षेत्र के 17 सदस्य राष्ट्रों द्वारा गारंटीकृत बांड और अन्य कर्ज लिखत जारी कर निधियां जुटा सकती हैं। इन संस्थाओं ने अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ मिलकर ग्रीस, आयरलैंड, पुर्तगाल और इटली के राहत पैकेज में निधि सहायता दी।

यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने प्रतिभूति बाजार कार्यक्रम के जरिए सरकारी कर्ज बाजार को स्थिर करने का प्रयास किया और इस कार्यक्रम में प्रभावित देशों की सार्वजनिक और निजी - दोनों ऋणों की स्टेरलाइज़ेट खरीद शामिल थी। दिसंबर 2011 में, यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने यूरो क्षेत्र के बैंकों के लिए तीन साल तक दो विशेष दीर्घकालिक पुनर्वित्त परिचालन (एलटीआरओ) के जरिए यूरो मूल्यवर्ग निधीयन उपलब्ध कराने का वचन दिया ताकि बैंक अगले कुछ वर्षों में बाड़ के परिपक्व होने से उत्पन्न निधीयन की संभाव्य आवश्यकताओं को पूरा कर सकें।

यूरोपीय बैंकों द्वारा बड़ी मात्रा में सरकारी कर्ज धारण किए जाने से यह संभावना उत्पन्न हुई कि इस संकट का प्रभाव-विस्तार वित्तीय क्षेत्र में हो सकता है,

इसलिए बैंकिंग प्रणाली में विश्वास बढ़ाने के प्रयास किए गए। प्रमुख उपायों में बैंकों को स्ट्रेस टेस्ट के लिए प्रोत्साहित करना तथा उनका पारदर्शी विवरण प्रस्तुत करना और 65 प्रमुख बैंकों को पुनः पूँजीकृत करना शामिल था। इन प्रमुख बैंकों की जोखिम भारित आस्ति की तुलना में उनके कोर टीयर I पूँजी को जून 2012 के अंत तक 9 प्रतिशत तक बढ़ाकर उन्हें फिर से पूँजीकृत किया जाना शामिल था।

मध्यम अवधि के नीतिगत उपायों के आलोक में यूरोपीय नेताओं ने अक्सर दोहराया कि वे राजकोषीय मितव्ययिता उपायों को लागू करने के प्रति वचनबद्ध हैं। दिसंबर 2011 में ब्रूसेल्स शिखर सम्मेलन में यूरोपीय सदस्य सहमत हुए कि सामान्य सरकारी बजट या तो संतुलित होना चाहिए या अधिशेष की स्थिति में होना चाहिए। इसके अलावा, यूरो क्षेत्र से बाहर की संस्थाओं ने कई उपायों के जरिए अपनी सहायता उपलब्ध कराई जैसे 2010 और फिर 2011 में केंद्रीय बैंक द्वारा आकस्मिक स्वैप लाइन प्रावधान उपलब्ध कराना और नरम एवं गैर-परंपरागत मौद्रिक नीति उपायों की घोषणा करना।

इसके अतिरिक्त, हाल में (जून 2012) विभिन्न दांचागत उपाय किए जा रहे हैं। इनका उद्देश्य नेटवर्क उद्योगों में प्रतियोगिता बढ़ाने, डिजिटल अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन देने, हरित अर्थव्यवस्था की संभावनाओं का दोहन करने, सर्विस प्रोवाइडरों पर लगाए गए अर्तिक नियंत्रणों को समाप्त करने तथा कारोबार शुरू करने हेतु आसान माहौल बनाने सहित 'वृद्धि' तथा रोजगार के लिए सहयोग पर यूरोपीय परिषद का वह निर्णय शामिल है जिसका लक्ष्य वृद्धि की घरेलू संभावना को बढ़ाकर तत्काल निवेश के लिए 120 बिलियन यूरो जुटाना है।

एक विचार यह भी है कि, यद्यपि इस बात की संभावना नहीं है, ग्रीस जैसे संकटग्रस्त देशों के यूरोपीय यूनियन से अलग हो जाने पर प्रभावित देशों को मध्यावधि में अधिक नीतिगत आसानी होगी।

मूल्यांकन

यूरो क्षेत्र में प्रभावित अर्थव्यवस्थाओं को बेल-आउट करने और चलनिधि मुहैया करने जैसे किए गए नीतिगत उपाय कर्ज संकट से निपटने में प्रभावी नहीं हो पाए। इन अर्थव्यवस्थाओं में राजकोषीय वहनीयता और दिवालिएपन की चिंता अभी भी बनी हुई है। उदाहरण के लिए जून 2012 में स्पेन की आर्थिक स्थिति खराब हुई जिसके चलते उसके बैंकों को बचाव पैकेज के रूप में सहायता देनी पड़ी। ऐसा प्रतीत होता है कि ये उपाय दांचागत मुद्रों का समाधान करने के बजाय संकट से तत्कालिक तौर पर बचने के उद्देश्य से किए गये थे।

चूंकि एकल करेंसी वाली अर्थव्यवस्थाओं में विनिमय दर को व्यवस्थित करने का विकल्प नहीं होता है, इसलिए राजकोषीय सुदृढ़ीकरण के जरिए ही आवश्यक व्यवस्था हो सकती है। तब भी, वर्तमान राजकोषीय मितव्ययिता उपायों से निकट समय में रिकवरी के प्रभावित होने की संभावना कम ही है। राजकोषीय सुदृढ़ीकरण और अल्प अवधि में होने वाली वृद्धि के बीच स्पष्ट क्षणिक चयन मजबूत सामूहिक प्रयास से ही संभव है ताकि एक राजकोषीय संघ स्थापित हो (जारी...)

पाए। इसके अलावा, घरेलू बचत को प्रोत्साहित करने और स्वदेशी सरकारी बांड बाजार विकासित करने के प्रयास किए जाने चाहिए ताकि लोक कर्ज के वित्तीय हेतु विदेशी पूंजी का सहारा कम लेना पड़े।

दूसरा, क्षेत्रीय स्तर पर की गई व्यवस्थाओं में सीमित रोधी-क्षमता होती है, और इसलिए निधि जुटाने में बहुस्तरीय वित्तीय सहायता की जरूरत हो सकती है। लेकिन इसका सीधा असर अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा निधि जुटाने के प्रयास पर होगा। चूंकि 2010 के कोटा सुधार की पुष्टि एक लंबी प्रक्रिया है, इसलिए अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष को उधारीकृत निधियों का सहारा लेना पड़ सकता है जिससे कोटा और उधारीकृत निधियों के बीच के अनुपात का संतुलन बिगड़ सकता है और इससे गवर्नेंस पर भी बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। निम्न आय वाले देशों से जुटायी गयी निधियों से न केवल वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता को अधिक खतरा हो सकता है बल्कि संकट को दूर से देख रहे ऐसे देशों पर भी दबाव पड़ सकता है जो अनिश्चित समष्टि-आर्थिक स्थिति का सामना कर रहे हैं।

तीसरा, इस क्षेत्र में चलनिधि के बढ़े हुए प्रावधान से वैश्विक स्तर पर चलनिधि बढ़ सकती है जिसके परिणामस्वरूप वैश्विक स्तर पर मुद्रास्फीति बढ़ सकती है और उभरती विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में मौद्रिक नीति संबंधी चुनौतियां बढ़ जाएंगी। यदि वैश्विक स्तर पर बड़ी हुई चलनिधि पण्ड बाजार में आ जाती है तब वस्तुओं, विशेषकर तेल के दाम बढ़ जाएंगे और परिणामस्वरूप तेल आयात करने वाली भारत जैसी अर्थव्यवस्थाओं में चालू खाता धाटा बढ़ जाएगा। यूरोपीय बैंकिंग प्रणाली में विवेकपूर्ण मानदंड कड़े करने से डीलिवरेजिंग हो सकती है जिससे उभरती विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में विनियम दर अस्थिरता के बढ़ जाने का खतरा है।

इस पृष्ठभूमि में, यह चर्चा बनी हुई है कि क्या यूरो क्षेत्र में संकट से निपटने हेतु किए गए उपाय पर्याप्त रहे हैं। एक तर्क यह है कि इस संकट से निपटने में इयू-ईसीबी तथा आईएमएफ के ‘‘ट्रायोका’’ में विलंब हुआ। ब्रुकिंग इंस्टीट्यूशन के फेलो डगलस जे. इलियट ने अपने कथन में तर्क दिया कि यूरो संकट यूरोप को एक गहरी मंदी में डाल सकता है और अमेरिका में कम-से-कम थोड़ी मंदी तो छा ही जाएगी। ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने तर्क दिया कि यूरो क्षेत्र में मितव्ययिता का अर्थगणित असफल हो सकता है। कुछ दसरे लोग यह तर्क देते हैं कि एकल मुद्रा मूल रूप से व्यवहार्य नहीं होती है और करवातों के ऐसे अव्यवहार्य बैल आउट में चले जाते हैं। अब समस्या यह है कि क्या ऐसे क्षेत्र में दूसरी अर्थव्यवस्थाओं को सुरक्षित रखा जा सकता है और तेजी से फैले इस संक्रमण

को किस प्रकार रोका जाए। ब्रायन (2012) चेतावनी देते हैं कि यदि नुकसान को आपस में बांट लेने पर सहमति नहीं होती है, तब इस अस्त-व्यस्त चूंक की परिणति संगठन से जबरन बाहर निकलने के रूप में हो सकती है जिसका विश्व के अन्य देशों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है।

ब्रुती और सॉर (2011) ने पाया कि ग्रीक सरकारी कर्ज में निवेश और ग्रीक बैंकों द्वारा लिए गए कर्ज से यूरो क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण संप्रेषण चैनल निर्मित होता है और कुल मिलाकर, यूरो-संकट के संप्रेषण में सरकारी कर्ज के जरिए होने वाली वित्तीय अंतरसंबद्धता का हिस्सा दो तिहाई था। इसके अतिरिक्त, यदि ग्रीस यूनियन से अलग हो जाता है तो अन्य देशों के यूरो क्षेत्र से अलग हो जाने की संभावना काफी बढ़ जाती है क्योंकि उनकी स्थिति भी उतनी ही खराब है। ग्रीस चाहे डिफाल्ट करे या न करे पुर्तगाल तथा आयरलैंड को अपने सरकारी ऋण का पुनर्गठन करना पड़ सकता है। सरकारी ऋण की दृष्टि से खराब होने पर भी कुछ बेहतर स्थिति वाले इटली तथा स्पेन जैसे देशों को अंतिम ऋणदाता के रूप में समर्थन देकर बचाने की जरूरत है ताकि वे डिफाल्ट करने से बच सकें। इसका जर्मन तथा फ्रांस के बैंकों के तुलन-पत्रों पर दूरगामी प्रभाव पड़ेगा क्योंकि उनके पास ग्रीस के ऋण पत्रों का अधिकांश हिस्सा है। सुब्बाराव (2012) ने यूरोपियन सेंट्रल बैंक सहित अन्य केंद्रीय बैंकों द्वारा एक ही साथ मूल्य स्थिरता, वित्तीय स्थिरता और सरकारी कर्ज वहनीयता के बीच सामंजस्य बिठाने में तीन स्तर पर होने वाली दुविधा की ओर सकेत दिया। तीन स्तर पर पर होने वाली यह नई दुविधा वैश्विक संकट के बाद उत्पन्न हुई है।

संदर्भ

ब्रायन और पेडर, (2012) ‘‘द यूरो क्राइसिस: ऑर्डर्ली डिफॉल्ट और यूरो एक्जिट’’, द इन्स्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल एंड यूरोपियन अफेर्स, रिपोर्ट नं. 8।

ब्रुती, फिलिप और फिलिप सौर (2011), ‘‘ट्रांसमिशन ऑफ सॉवरेन रिस्क इन ए यूरो क्राइसिस,’’ दिसंबर, रिव्स नेशनल बैंक स्टडी सेंटर, गोरजेंशी वर्किंग पेपर नं. 12.01।

दुव्वरी सुब्बाराव (आगामी), ‘‘मूल्य स्थिरता, वित्तीय स्थिरता और सरकारी कर्ज वहनीयता के नए ट्राइलेमा से उत्पन्न नीतिगत चुनौतियां’’, उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं में समष्टि अर्थशास्त्र और वित्त।


अमेरिकी कांग्रेस (2011), ‘‘वाट द यूरो क्राइसिस मीन्स फॉर टैक्सपेयर्स एंड यूएस इकॉनॉमी’’, संकटग्रस्त आस्ति पुनर्गठन कार्यक्रम (टीएआरपी), वित्तीय सेवाएं और सार्वजनिक एवं मिजी बेलआउट प्रोग्राम पर सदन की उप समिति के समक्ष डगलस इलियट का परिसाक्ष्य, 15 दिसंबर 2011।

II.4.3 2012 के शुरू में, उन्नत अर्थव्यवस्थाओं द्वारा दीर्घावधि पुनर्वित्त परिचालन और अन्य नीतिगत कार्रवाईयां किए जाने के चलते जो चलनिधि जुटी, उसके कारण वैश्विक वित्तीय बाजार, विशेषकर इक्विटी बाजार में तेजी का रु ख देखा गया। तथापि, इस आशंका के बाद यूरो क्षेत्र सरकारी कर्ज संकट की चिंताएं पुनः प्रकट हुई कि ग्रीस और फ्रांस के नेतृत्व में परिवर्तन से मितव्ययिता-आधारित बेलआउट प्लान पर पुनर्विचार हो सकता है जिससे कारण वित्तीय बाजार पर दबाव पड़ सकता है। (चार्ट II.27)। जून-अगस्त 2012 के दौरान, बैंकों और सरकारों के बीच दुष्यक्र को खत्म करने के प्रयोजन से यूरोपीय परिषद द्वारा किए गए कई

उपायों के बावजूद स्पेन के बांड प्रतिफल ऊंचे स्तर पर बने रहे। इसके अलावा, हाल की गतिविधियों जैसे लिबॉर में हेर-फेर के किए गए प्रयासों से उजागर हुई बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र की कमजोरियों ने और भी अनिश्चितता बढ़ाई। यूके सरकार की फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी के अगस्त 2012 के डिस्कशन पेपर ‘‘व्हेटली रिव्यु ऑफ लिबॉर’’ में अन्य बातों के साथ-साथ लिबॉर के सख्त प्रबंधन हेतु आवश्यक सुधारों का उल्लेख किया है और संबंधित पार्टियों से फीडबैक का अनुरोध भी किया है।

II.4.4 भारतीय वित्तीय बाजार (विशेषकर इक्विटी और करेंसी बाजार) पर घरेलू वृद्धि तथा मुद्रास्फीति से जुड़ी चिंताओं और

चार्ट II.27 : वैश्विक वित्तीय बाज़ारों की गतिविधियों के संकेतक



मुद्रास्फीति-रोधी मौद्रिक नीति तथा अभिशासन संबंधी मुद्दों के अलावा वैश्विक उथल-पुथल का काफी अधिक प्रभाव देखा गया। वैश्विक और घरेलू अर्थव्यवस्था से उत्पन्न आघात शीघ्र ही वित्तीय

बाजार में दिखाई देने लगे। आंतरिक रूप से (इन-हाउस) तैयार किया गया एक वित्तीय स्थिति सूचकांक वित्तीय चरों (वैरिएबल्स) से जुड़ी जानकारी बताता है (बॉक्स II.12)।

बॉक्स II.12 वित्तीय स्थिति सूचकांक

वास्तविक अर्थव्यवस्था के बारे में वित्तीय चरों से मिलने वाले संकेतों पर काफी साहित्य मौजूद है। अर्थशास्त्रियों और विश्लेषकों ने अक्सर अर्थव्यवस्था की भावी दिशा के लिए अलग-अलग वित्तीय कीमतों को अग्रणी संकेतक के रूप में प्रयोग किया है। अर्थव्यवस्था की दिशा तय करने में ब्याज-दर और ब्याज-दर स्प्रेड का प्रयोग उपयोगी माना जाता है (बर्नान्के, 1990)। प्रतिफल वक्र का आकार, अर्थात् ब्याज-दरों की मीयादी संरचना से भविष्य में अर्थव्यवस्था की स्थिति के बारे में बाजार प्रतिभागियों की संभावनाओं की जानकारी मिलती है। प्रतिफल वक्र में एक वर्ष से अधिक समय के लिए मुद्रास्फीति की भावी गति की स्थिति के बारे में काफी जानकारी प्राप्त होती है।

इसी प्रकार, तीन महीने के वाणिज्यिक पत्र (सीपी) और तीन महीने के खजाना बिलों (टी-बिल) के बीच का स्प्रेड कार्पोरेट से जुड़े ऋण चूक जोखिम को दर्शाता है (यदि चलनिधि स्प्रेड को नजरअंदाज कर दिया जाए)। स्टॉक और वैटर्सन (1989) ने पाया कि वाणिज्यिक पत्र और खजाना बिलों, 10 वर्षीय और 1 वर्षीय सरकारी बांडों के बीच स्प्रेड, आवास निर्माण, टिकाऊ वस्तु उद्योग में विनिर्माताओं के अपूर्ण आर्डर और अंशकालिक काम में वृद्धि, व्यापार चक्र के अच्छे भावी संकेतक हैं।


अलग-अलग वित्तीय आस्तियों में हुई गतिविधियों का अलग-अलग अध्ययन हालांकि बहुत उपयोगी नहीं है क्योंकि हर एक मान से अर्थव्यवस्था के केवल एक ही पहलू की जानकारी मिल पाती है और अन्य पहलुओं के बारे में अपेक्षित जानकारी उजागर नहीं हो पाती है। महत्वपूर्ण वित्तीय चरों का एक सूचकांक बनाकर इस समस्या का हल निकाला जा सकता है। इस प्रकार के सूचकांक को सामान्यतया वित्तीय स्थिति सूचकांक (एफसीआई) कहते हैं और यह चालू वित्तीय चरों की मदद से अर्थव्यवस्था की भावी स्थिति की जानकारी का सारांश प्रस्तुत करता है (हैटजियस और अन्य, 2010)। वास्तव में, वित्तीय स्थिति सूचकांक वित्तीय बाजार के विभिन्न, कभी-कभी विरोधाभासी संकेतों के संश्लेषण का विश्लेषण करता है।

बैंक ऑफ कनाडा की मॉनेटरी कंडीशंस इंडेक्स, मैक्रोइकॉनॉमिक एडवाइजर मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कंडीशंस इंडेक्स (एमएफसीआई), ब्लूबर्ग फाइनेंशियल कंडीशंस इंडेक्स (बीबीएफसीआई), गोल्डमैन सैक्स फाइनेंशियल कंडीशंस इंडेक्स (जीएसएफसीआई), फेडरल रिजर्व ऑफ कनास स्टी फाइनेंशियल स्ट्रेस इंडेक्स (केसीएफसीआई), आर्थिक सहयोग और विकास संगठन एफसीआई और भारत में मौद्रिक स्थिति सूचकांक (कनन और अन्य 2006) जैसे सूचकांक अलग-अलग समय पर निर्मित हुए। साहित्य से जानकारी लेते हुए, भारत में वित्तीय स्थिति सूचकांक जनवरी 2004 और मार्च 2012 की मध्य अवधि के मासिक डेटा को लेकर एक प्रधान घटक विश्लेषण के जरिए निर्मित किया गया है। वैसे तो ये सूचकांक मुद्रा बाजार, बांड बाजार, विदेशी मुद्रा बाजार और शेयर बाजार के लिए तैयार किए गए हैं लेकिन साथ ही एक समग्र वित्तीय स्थिति सूचकांक भी तैयार किया गया है जिसमें सभी क्षेत्र शामिल हैं (सारणी 1)।

सारणी 1 : वित्तीय स्थिति सूचकांक के घटक

मांग स्प्रेड (मांग दर - प्रभावी नीति दर)	मुद्रा बाजार वित्तीय स्थिति सूचकांक	कुल वित्तीय स्थिति सूचकांक
सीबीएलओ स्प्रेड (प्रभावी नीति दर - सीबीएलओ दर)		
बाजार रिपो स्प्रेड (प्रभावी नीति दर - बाजार रिपो दर)		
अल्पावधि स्प्रेड (तीन महीने के वाणिज्यिक पत्र - 3 महीने के खजाना बिल)		
10 वर्षीय सरकारी प्रतिभूति प्रतिफल	बांड बाजार वित्तीय स्थिति सूचकांक	
दीर्घावधि स्प्रेड (10 वर्षीय एएर कंपनी बांड - 10 वर्षीय सरकारी प्रतिभूति मध्यावधि स्प्रेड (5 वर्षीय एएर कंपनी बांड - 5 वर्षीय सरकारी प्रतिभूति विविध दर	विदेशी मुद्रा बाजार वित्तीय स्थिति सूचकांक	
3 महीने की अंतर्निहित अस्थिरता		
विदेशी मुद्रा सीमेंट्स		
एस एंड पी सीएनएक्स निपटी मासिक विवरणी	शेयर बाजार वित्तीय स्थिति सूचकांक	
एस एंड पी सीएनएक्स निपटी का पीई अनुपात		
एस एंड पी सीएनएक्स निपटी मौद्रिक पूँजीकरण - जीडीपी अनुपात		

(जारी...)



यह सूचकांक इस प्रकार तैयार किया गया है कि उच्च मान निभावपरक वित्तीय स्थिति दर्शाता है, जबकि निम्न मान कठोर वित्तीय स्थिति दर्शाता है। चार्ट 1 में यह देखा जा सकता है कि वैश्विक वित्तीय संकट के महेनजर वित्तीय स्थिति सुचकांक दबावग्रस्त वित्तीय स्थिति प्रतिबिंबित करता है।

स्पष्टत: यह सूचकांक अक्टूबर 2008 में लेहमन ब्रदर्स के ढहने के बाद दबावग्रस्त वित्तीय स्थिति प्रतिविर्भावित करता है। सकल देशी उत्पाद, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक और मुद्रास्फीति जैसे आर्थिक चरों का पूर्वानुमान करने या इनकी व्याख्या करने के संर्थक में वित्तीय स्थिति सूचकांक की ऊपरीता

सरानीय है। जोड़ीपी वृद्धि दर तथा औद्योगिक उत्पादन सूचकांक वृद्धि दर और वित्तीय स्थिति सूचकांक के बीच अंतरसंबंद्धता क्रमशः 0.43 और 0.60 है जो सांख्यिकी की दृष्टि से काफी अधिक है। वित्तीय स्थिति में रिकवरी काफी हद तक औद्योगिक उत्पादन सूचकांक और जोड़ीपी वृद्धि दरों के अनुरूप रही है (चार्ट 2)। तब भी, कुल वित्तीय स्थिति सूचकांक और आर्थिक चरों के बीच लिंक स्थापित करने हेतु और अधिक अनुसंधान की आवश्यकता है।

संदर्भ :



बेन एस बर्नांके (1990), “ऑन द प्रिडिक्टिव पावर ऑफ इन्टरेस्ट रेट्स एंड इंटरेस्ट रेट स्प्रेड”। न्यू इंग्लैण्ड इकॉनॉमिक रिव्यू, नवंबर/दिसंबर, पृष्ठ : 51-68।

जे. हैटजियस, पी. हूपर, एफ. मिशकिन, के.शियॉनहॉल्टज और एम.वैटसन (2010), “फाइनेशियल कंडीशंस इन्डेक्स: ए फ्रेश लुक आफ्टर द फाइनेशियल क्राइसिस”, नेशनल ब्यूरो ऑफ इकॉनॉमिक रिसर्च वर्किंग पेपर नं. 16150, कैब्रिज, जलाई।

आर.कन्नन, सिद्धार्थ सान्याल और विनोद बिहारी भोई (2006), “मॉनेटरी कन्डीशंस इंडेक्स फॉर इंडिया”, भारतीय रिजर्व बैंक के ऑफिजल पेपर्स, भाग 27, नं.3, विंटर।

जे. स्टॉक और एम.वैटसन (1989), ‘न्यू इंडेक्सेस ऑफ क्वायन्सिडेंट एंड लीडिंग इकॉनॉमिक इंडीकेटर्स’, ओ बालचंद्र और एस फिशर (संपादक), एनबीईआर मैक्रोइकॉनॉमिक्स एन्युअल (कैंबिज,एमए: एमआईटी), 352-94।

चार्ट 2 : वित्तीय स्थिति सुचकांक, सकल देशी उत्पाद और औद्योगिक उत्पादन सुचकांक में रुझान



वर्ष के अधिकांश समय चलनिधि की तंग स्थिति में मौद्रिक संचरण तेजी से हआ


II.4.5 रिजर्व बैंक के मौद्रिक नीति रु ज्ञान में धीरे-धीरे परिवर्तन देखा गया और इसका मुख्य फोकस मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने तथा मुद्रास्फीति प्रत्याशाओं को रोकने (मई-अक्टूबर 2011 के दौरान) से हटकर मुद्रास्फीतिकारी दबाव को उचित महत्व देते हुए क्रमशः विकास हेतु सहायक रुख़ की ओर जाने लगा। नीतिगत रुख़ के अनुरूप 2011-12 में चलनिधि की स्थिति में कमी बनी रही, जबकि वर्ष के परवर्ती भाग में नवंबर 2011 की शुरूआत से चलनिधि की स्थिति में कमी बैंकों की निवल मांग और सावधि

देयताओं (एनडीटीएल) के एक प्रतिशत +/- के घोषित स्वीकार्य स्तर से अधिक देखी गई (चार्ट II.28क)।

मुद्रा बाजार दरें बढ़ीं जो मौद्रिक नीति के असर और चलनिधि में संरचनागत कमी को प्रतिबिंबित करता है

II.4.6 2011-12 की पहली छमाही में मांग मुद्रा दर सामान्यतया रिपो दर के आस-पास रही, जबकि चलनिधि में कमी की स्थिति लगभग रिजर्व बैंक की सहनशील सीमा के अंदर बनी हुई थी। तथापि, दूसरी छमाही में चलनिधि की तंग स्थिति के कारण मांग दर अधिकांशतः रिपो दर के ऊपर ही बनी रही (यद्यपि यह सीमांत स्थायी सुविधा दर के नीचे थी)। इस रुझान से अलग हटते हुए, वर्ष

चार्ट II.28: वित्तीय बाजार में नीति दरों का संप्रेषण



के अंत में बैंकों द्वारा अपने तुलन-पत्र (और रिजर्व की फ्रेंटलोडिंग) को मजबूत करने के लिए निधि जुटाने की आपाधापी के कारण 30 मार्च 2012 को मांग मुद्रा दर तेजी से सीधांत स्थायी सुविधा दर से अधिक हो गई। मुद्रा बाजार के संपार्श्विक क्षेत्र में दरों मांग दर के साथ-साथ बनी रही, लेकिन वर्ष के दौरान सामान्यतया इससे नीचे रहीं (चार्ट II.28 ख)। मौद्रिक नीति वक्तव्य 2012-13 के तहत की गई घोषणा (17 अप्रैल 2012) में नीतिगत दर में कमी और चलनिधि की स्थिति आरामदायक रहने के कारण वर्ष 2012-13 में अब तक मुद्रा बाजार दरों में गिरावट हुई है।

II.4.7 वित्तीय बाजार में मौद्रिक नीति उपायों के प्रभावों के संचरण की गति तथ्य करती है कि नीति कार्रवाइयां कितनी प्रभावी हैं। जैसा कि मौद्रिक नीति की परिचालन प्रक्रिया के बारे में गठित कार्यदल (अध्यक्ष: श्री दीपक मोहंती) द्वारा उल्लेख किया गया कि समूचे वित्तीय बाजार में मौद्रिक नीति के संचरण की गति अन्य स्थितियों की तुलना में अल्प चलनिधि स्थिति में अधिक तेज थी। वित्तीय बाजार और मौद्रिक नीति के संचरण के बीच अंतरसंबद्धता पर किए गए आंतरिक प्रायोगिक विश्लेषण से भी इस निष्कर्ष की पुनः पुष्टि होती है। वर्ष 2005-11 के दौरान भारत के वित्तीय बाजार में मौद्रिक नीति के संचरण में एकरूपता नहीं देखी गयी और यहां मौद्रिक नीति का संचरण तब अधिक तेज और निरंतर होता है जब अन्य स्थिति के मुकाबले मौद्रिक प्रणाली अल्प चलनिधि स्थिति में होती है।

बैंक जमा में बढ़ोत्तरी और ऊंची उधार दर भी मौद्रिक नीति का बेहतर संचरण दर्शाती है।

II.4.8 2011-12 के दौरान, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों ने अपने मोडल जमा दर में 82 आधार अंक और मोडल आधार दर में 125 आधार अंक की वृद्धि की। सरकारी क्षेत्र के पांच बड़े बैंकों की भी


औसत भारित उधार दरों मार्च 2011 के 10.98 प्रतिशत से बढ़कर सितंबर 2011 में 12.80 प्रतिशत हो गई और अप्रैल 2012 में इसी स्तर के आस-पास बनी रहीं, तथापि जून 2012 में यह गिरकर 12.58 प्रतिशत हो गई। यह इस बात का संकेत है कि बैंक उधार दरों मौटे तौर पर नीतिगत दर संकेतों के अनुरूप बनी रहीं।

संपार्श्विक मुद्रा बाजार में गिरावट आयी

II.4.9 2011-12 में संपार्श्विक उधार और ऋणदायी बाध्यता (सीबीएलओ) और बाजार रिपो क्षेत्र में लेन-देन की मात्रा में पिछले वर्ष तक तुलना में गिरावट आयी (चार्ट II.29)। संपार्श्विक क्षेत्र में बैंक और प्राथमिक व्यापारी बड़े उधारकर्ता थे, जबकि इस क्षेत्र में म्यूच्युअल फंड और बैंक प्रमुख उधारदाता थे।

II.4.10 वर्ष 2011-12 के दौरान जमा प्रमाणपत्र और वाणिज्यिक पत्र के औसत पाक्षिक निर्गमन में वृद्धि हुई। पट्टादायी एवं वित्त तथा विनिर्माण कंपनियां वाणिज्यिक पत्रों की प्रमुख निर्गमकर्ता थीं। जारी किए गए कुल जमा प्रमाणपत्रों पर प्रभावी ब्याज-दर मार्च 2011 अंत के 9.96 प्रतिशत की तुलना में मार्च 2012 अंत में बढ़कर 11.13 प्रतिशत हो गई। मार्च 2012 के दौरान जमा प्रमाणपत्र दरों तेजी से बढ़ीं और यह प्रतिबिंबित करता है कि चलनिधि की स्थिति तंग बनी हुई थी और आस्ति प्रबंधन कंपनियों को मार्क-टू-मार्केट आधार पर सही मूल्य-निर्धारण करने के प्रति जवाबदेह बनाए जाने के बाद म्यूच्युअल फंड बैंक जमा प्रमाणपत्रों को रोलओवर करने से कठराते रहे। वाणिज्यिक पत्र पर भारित औसत बट्टा दर (डब्ल्यूएडीआर) मार्च 2011 के अंत के 10.4 प्रतिशत से बढ़कर मार्च 2012 के अंत में 12.2 प्रतिशत हो गया। एक ओर, 2012-13 में अब तक (मध्य जुलाई 2012 तक) वाणिज्यिक पत्र के औसत पाक्षिक निर्गमन में वृद्धि हुई है, वहीं दूसरी ओर जमा प्रमाणपत्रों के

चार्ट II.29: घेरलू मुद्रा बाजार और सरकारी प्रतिभूति बाजार में गतिविधियां



औसत पाक्षिक निर्गमन में गिरावट आयी। मध्य जुलाई 2012 में कुल जमा प्रमाणपत्रों के डब्ल्यूएडीआईआर और कुल वाणिज्यिक पत्रों के डब्ल्यूएडीआर (वार्षिक मान) प्रतिशत हो गए।

सरकार द्वारा अधिक बाजार उथारियों के बावजूद सरकारी प्रतिभूतियों पर प्रतिफल दायरे में रहा

II.4.11 2011-12 की पहली छमाही की शुरुआती अवधि में कच्चे तेल सहित वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोत्तरी, मुद्रास्फीति से जुड़ी चिंताओं और सरकार के राजकोषीय घाटे के कारण सरकारी प्रतिभूतियों पर प्रतिफल सामान्यतया अधिक बने रहे। प्रतिफल में हुई वृद्धि से प्रतिबिंबित हुआ कि मई 2011 में नीतिगत दरों में 50 आधार अंक की वृद्धि संचरित हुई। पहली छमाही के परवर्ती भाग में चलनिधि की तंग स्थिति, मुद्रास्फीति की लगातार बढ़ी हुई चिंता, नीतिगत दरों में तीन चरणों में कुल 100 आधार अंक की वृद्धि और आईआईपी के कमजोर आंकड़ों तथा एसएंडपी द्वारा अमेरिका की क्रेडिट रेटिंग डाउनग्रेड किए जाने के बाद सुरक्षित आस्तियों की ओर उन्मुख होने के चलते वृद्धि से जुड़ी चिंताओं के मद्देनजर सरकारी प्रतिभूतियों पर प्रतिफल दायरे में रहे (चार्ट II.29घ)।

II.4.12 रिजर्व बैंक द्वारा नीतिगत दरों में 25 आधार अंक की वृद्धि किए जाने के बाद 2011-12 की दूसरी छमाही की शुरुआती अवधि में प्रतिफल में वृद्धि जारी रही। तथापि, सरकारी प्रतिभूतियों में विदेशी संस्थागत निवेशकों की निवेश सीमा में वृद्धि, खाद्य मुद्रास्फीति में नरमी और मध्य-तिमाही मौद्रिक नीति समीक्षा (दिसंबर 2011) में दरों में वृद्धि की प्रक्रिया रोके जाने के कारण नवंबर 2011 के मध्य से प्रतिफल में कमी हुई। रिजर्व बैंक द्वारा खुले बाजार परिचालन के जरिए की गई खरीद से भी सरकारी प्रतिभूतियों पर प्रतिफल में कमी हुई (बॉक्स II.13)। तथापि, चलनिधि की वर्तमान तंग स्थिति और केंद्रीय बजट में की गई घोषणा के अनुसार 2012-13 में सरकार के बढ़े हुए उधार कार्यक्रम की चिंताओं के कारण 2011-12 की चौथी तिमाही के अंत में प्रतिफल में वृद्धि हुई।

II.4.13 अप्रैल 2012 के दौरान नीतिगत दरों में कटौती, मुद्रास्फीति में नरमी और मंद औद्योगिक गतिविधियों एवं निर्यात के कारण सरकारी प्रतिभूतियों के प्रतिफल में कमी हुई। तथापि, अप्रैल 2012 अंत में एसएंडपी द्वारा भारत की दीर्घावधि रेटिंग संभावना डाउनग्रेड कर निर्गेटिव किए जाने के बाद प्रतिफल में तेज वृद्धि हुई।

बॉक्स II.13



सरकारी प्रतिभूति बाजार की ट्रेडिंग गतिविधियों पर खुले बाजार परिचालन का प्रभाव

2011-12 के उत्तरार्ध में कई कारकों (अस्थायी एवं संरचनागत दोनों) के कारण निवल चलनिधि की स्थिति में तंगी बनी रही। 2011-12 की तीसरी तिमाही से प्रणाली में चलनिधि की तंग स्थिति बनी हुई थी और इससे निपटने के लिए उपाय के रूप में रिजर्व बैंक ने नीलामी और तयशुदा लेन-देन प्रणाली-आईर मैचिंग मार्ग के जरिए खुले बाजार परिचालन किए। नवंबर 2011 में खुले बाजार परिचालन शुरू होने से लेकर 2011-12 के दौरान रिजर्व बैंक ने प्रणाली में 1.35 ट्रिलियन रुपए की निवल दीर्घावधिक चलनिधि अंतर्वेशित की है (चार्ट 1)। खुले बाजार परिचालन और आरक्षित नकदी निधि अनुपात में कटौती से काफी हद तक चलनिधि की स्थिति में सुधार हुआ।

खुले बाजार परिचालन के जरिए खरीद का उद्देश्य चलनिधि प्रबंधन है। तथापि, रिजर्व बैंक के खुले बाजार परिचालन के जरिए की गई खरीद से सरकारी प्रतिभूतियों की वर्तमान मांग तेज होती है, प्रतिफल नीचे आ जाता है और ट्रेडिंग की मात्रा बढ़ जाती है, तदनुसार सरकारी प्रतिभूति बाजार में चलनिधि बढ़ जाती है (चार्ट 2)। यदि प्रतिफल पर कोई प्रभाव पड़ता है तो यह सरकारी प्रतिभूति

बाजार में मांग-आपूर्ति गणित के कारण होता है और इसे मौद्रिक नीति के किसी सकेत के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए।

चूंकि खुले बाजार परिचालन नीलामी का उद्देश्य टिकाऊ प्रकृति की चलनिधि अंतर्वेशित करना होता है, इसलिए रिजर्व बैंक को अर्ध-नकदी/गैर-नकदी प्रतिभूतियों के बेहतर मिश्रण की पहचान करनी होती है। अर्ध-नकदी/गैर-नकदी प्रतिभूतियों को शामिल करने का तर्क यह है कि द्वितीयक बाजार में उनकी खरीद/बिक्री बढ़ाई जा सके, नकदी चलनिधि का चुनाव खुले बाजार परिचालन को सफल बनाने के प्रयोजन से किया जाता है। नकदी प्रतिभूतियां अक्सर वे प्रतिभूतियां होती हैं जिनमें मूल्य जोखिम सबसे कम होता है और इस प्रकार नीलामी में इनके सफल होने की संभावना सबसे अधिक होती है, तथापि इस व्यवस्था का डाउनसाइड यह है कि इससे ट्रेड होने योग्य नकदी प्रतिभूतियों की मात्रा कम हो सकती है और यदि आपूर्ति की स्थिति खुले बाजार परिचालन के जरिए हुई खरीद के आनुपातिक नहीं रहती है तो इससे द्वितीयक बाजार की चलनिधि पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है।




2012-13 के दौरान (13 अगस्त तक), रिजर्व बैंक ने खुले बाजार परिचालन नीलामी खरीद के जरिए 591 बिलियन रुपए की टिकाऊ प्रकृति की चलनिधि और अनोनिमस ट्रेडिंग प्लेटफार्म पर प्रतिभूतियों की खरीद के जरिए लगभग 222 बिलियन रुपए डाले। रिजर्व बैंक द्वारा मौद्रिक नीति, 2012-13 की पहली तिमाही समीक्षा (31 जुलाई 2012) में एसएलआर में एक प्रतिशत की कटौती कर इसे 24 से 23 प्रतिशत किए जाने के बाद सरकारी प्रतिभूतियों के प्रतिफल में वृद्धि हुई।

II.4.14 सरकारी प्रतिभूति बाजार में लेन-देन की दैनिक औसत मात्रा, जो 2010-11 के दौरान 105 बिलियन रुपए थी, वर्ष 2011-12 में बढ़कर लगभग 130 बिलियन रुपए हो गई। 2012-13 की पहली तिमाही में दैनिक औसत मात्रा 183 बिलियन रुपए रही। लेन-देन की मात्रा सामान्यतया 10 वर्षीय प्रतिफल में होने वाले उत्तर-चढ़ाव के विपर्यय की स्थिति में रही।

इक्विटी बाजार सूचकांक विदेशी संस्थागत अंतर्प्रवाह और समष्टिआर्थिक गतिविधियां प्रतिबिंबित करता है

II.4.15 वैश्विक बाजार की तर्ज पर 2011-12 के अधिकांश समय भारतीय इक्विटी कीमतों में गिरावट का रुक्कान जारी रहा। तीन तिमाहियों तक कमजोर रहने के बाद, भारतीय इक्विटी बाजार में विदेशी संस्थागत निवेशकों से मिली नई सहायता, मुद्रास्फीति में कमी और वैश्विक इक्विटी बाजार में तेजी के रुख के चलते चौथी तिमाही में तेज रिकवरी देखी गई। कुल मिलाकर, वैश्विक गतिविधियों, समष्टि आर्थिक सकेतकों के कमजोर बने रहने और रुपए में गिरावट के कारण भारतीय इक्विटी बाजार कमजोर बना रहा (परिशिष्ट सारणी सं.12)। वर्ष 2011-12 के दौरान, दो महत्वपूर्ण इक्विटी सूचकांकों - बीएसई सेंसेक्स और एसएंडपी सीएनएक्स निफ्टी - में क्रमशः 10.5 प्रतिशत और 9.2 प्रतिशत की गिरावट आयी (चार्ट II.30)।

चार्ट II.30: इक्विटी बाजार में उत्तर-चढ़ाव



II.4.16 वर्ष 2012-13 के दौरान, विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा किए गए बहिर्वाह, धीमी घरेलू वृद्धि की चिंता, भारत की प्रमुख सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियों के राजस्व में कमजोर संभावनाएं और यूरो क्षेत्र की नई अनिश्चितताओं के कारण भारतीय इक्विटी बाजार कमजोरी के साथ शुरू हुए। भारत की दीर्घावधि रेटिंग संभावना के स्थिर से डाउनग्रेड होकर नकारात्मक होने, पूर्वव्यापी कर तथा एंटी-एवॉयडेंस रूल्स (जीएएआर) से जुड़ी चिंताओं और रुपए के लुढ़कने के कारण निवेश उत्साह प्रभावित हुआ। तथापि, जून 2012 के उत्तराधि में, इक्विटी बाजार में विदेशी संस्थागत निवेशकों के निवेश में तेजी होने, सरकार द्वारा पूर्वव्यापी कर एवं जीएएआर पर दिए गए स्पष्टीकरण और इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में निवेश तेज करने के सरकार के निर्णय के कारण बाजार में सुधार देखा गया। उन्नत अर्थव्यवस्थाओं द्वारा वृद्धि को बढ़ावा देने वाली नीतिगत कार्रवाइयों और यूरोपीय काउंसिल द्वारा यूरो क्षेत्र की सरकारों और बैंकों को मदद देने के निर्णय से भी बाजार का उत्साह बढ़ने में मदद मिली।

II.4.17 इसके बावजूद, 2012-13 में, बीएसई सेंसेक्स और एसएंडपी सीएनएक्स निफ्टी में वर्ष-दर-वर्ष आधार पर क्रमशः 7.5 प्रतिशत और 6.5 प्रतिशत की गिरावट हुई और विदेशी संस्थागत

निवेशकों तथा म्यूच्युअल फंडों ने 2012-13 की पहली तिमाही में क्रमशः 6.6 बिलियन रुपए और 6.4 बिलियन रुपए के शेयर बेचे हैं। तथापि, 2012-13 की दूसरी तिमाही में अब तक, (13 अगस्त 2012) विदेशी संस्थागत निवेशकों ने 136.0 बिलियन रुपए के शेयर खरीदे हैं जबकि म्यूच्युअल फंडों ने 28.9 बिलियन रुपए के शेयर बेचे हैं। इसके अनुरूप बीएसई सेंसेक्स और एसएंडपी सीएनएक्स निफ्टी में क्रमशः 4.7 प्रतिशत और 5.4 प्रतिशत की रिकवरी हुई है।

II.4.18 वर्ष के दौरान भारतीय इक्विटी डेरिवेटिव क्षेत्र के टर्नओवर में काफी वृद्धि हुई। डेरिवेटिव के कुल टर्नओवर में इंडेक्स ऑप्शन क्षेत्र का हिस्सा सबसे अधिक रहा। (चार्ट II.30घ, परिशिष्ट सारणी सं.13)

सुस्त प्राथमिक बाजार मोटे तौर पर दबा हुआ उत्साह प्रतिबिंबित करता है

II.4.19 घरेलू पूंजी बाजार के प्राथमिक क्षेत्र में 2011-12 में पिछले वर्ष की तुलना में निधि की उगाही काफी कम रही (65.8 प्रतिशत)। द्वितीयक बाजार की सुस्त स्थिति और सूचीबद्ध होने के

बाद आईपीओ के खराब प्रदर्शन से निवेशकों और प्रमोटरों का उत्साह प्रभावित हुआ। अक्टूबर-जनवरी 2012 के दौरान जब निवेशकों की जोखिम लेने की भूख कम थी, तब प्रतिष्ठान सार्वजनिक निर्गम के जरिए निधि जुटाने से दूर ही रहे। प्राथमिक बाजार में कोई सार्वजनिक निर्गम नहीं हुआ। तथापि, फरवरी-जून 2012 के दौरान, प्राथमिक बाजार में कम निर्गमन हुए जो धीमी रिकवरी प्रतिबिंबित करता है। कुल मिलाकर, वर्ष के दौरान अब तक प्राथमिक बाजार के उत्साह में सुस्ती बनी रही।

II.4.20 किसी नई परियोजना में, इक्विटी पूँजी कुल पूँजी का एक आवश्यक घटक होता है। सुस्त आईपीओ बाजार में जनता से इक्विटी पूँजी जुटाना काफी मुश्किल होता है। इसके अलावा, इक्विटी पूँजी की अनुपस्थिति में ऐसे प्रतिष्ठानों के लिए कर्ज जुटाना मुश्किल है जो पहले से ही काफी अधिक लीवरेज स्थिति में रहते हैं। इस प्रकार, आईपीओ बाजार की सुस्ती से भी समग्र मंद निवेश प्रभावित हुआ होगा।

II.4.21 2011-12 के दौरान, यूरो क्षेत्र में कर्ज संकट के जारी रहने के चलते यूरोपीय बैंकिंग प्रणाली में चलनिधि की अनिश्चित स्थिति के कारण बाह्य स्तर पर यूरो निर्गम के जरिए जुटायी गई निधि भी काफी कम थी।

घरेलू और वैश्विक स्तर पर चिंता के कारण विनियम दर अस्थिर रही


II.4.22 अगस्त-दिसंबर 2011 के दौरान वैश्विक अनिश्चितताओं के चलते पूँजी अंतर्वाह में कमी के कारण करेंसी बाजार में दबाव बने रहे। तथापि, 2011-12 की चौथी तिमाही में पूँजी अंतर्वाह में तेजी और डॉलर की आपूर्ति सुधारने तथा सट्टाबाजारी रोकने के प्रयोजन से किए गए नीतिगत उपायों के प्रभाव के कारण स्थिति में कुछ सुधार हुआ (चार्ट II.31)। वर्ष 2011-12 के दौरान अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपये में लगभग 13 प्रतिशत की सांकेतिक गिरावट के चलते 6, 30 और 36 करेंसी वाले भारित वास्तविक प्रभावी विनियम दर (आरईआर) में 7-8 प्रतिशत के दायरे में गिरावट हुई (परिशिष्ट सारणी सं.14)।

II.4.23 2011-12 की पहली छमाही के दौरान, करेंसी फ्यूचर्स के टर्नओवर में वृद्धि का रुख देखा गया, लेकिन इसके बाद यह दायरे में रहा।

आवास मूल्यों में तेजी बनी रही

II.4.24 बंधक-दरों में वृद्धि के बावजूद समूचे राष्ट्रीय स्तर पर आवास मूल्यों में तेजी बनी रही। रिजर्व बैंक का आवास मूल्य


चार्ट II.31 : प्रमुख करेसियों की तुलना में विनियम दर में उत्तर-चंडाल



सूचकांक जो नौ शहरों के संबंधित राज्य सरकारों के पंजीकरण प्राधिकारियों से जुटाए गए आवासीय संपत्ति मूल्य पर आधारित है, उसमें अखिल भारतीय स्तर पर और चेन्नै को छोड़कर सभी संबंधित घटक शहरों के स्तर पर वर्ष 2011-12 के दौरान (चारों तिमाहियों का औसत) वृद्धि हुई। यद्यपि 2011-12 (चारों तिमाहियों का औसत) के दौरान आवासीय लेन-देन मात्रा सूचकांक में अखिल भारतीय स्तर पर गिरावट आयी है, तब भी लखनऊ, कोलकाता, चेन्नै, जयपुर और कानपुर में इसमें काफी तेजी देखी गई। (चार्ट II.32)।

II.4.25 पिछले दो वर्षों से आवास मूल्य मुद्रास्फीति कई तिमाहियों से 16-25 प्रतिशत दायरे में बनी हुई है। सोने की कीमतें 14-40 प्रतिशत से भी अधिक तेज गति से बढ़ी हैं। इन दो बाजारों से बचतकर्ताओं को न केवल मुद्रास्फीति का सामना करने में प्रभावी सुरक्षित तरीका उपलब्ध हो पाया है बल्कि उन्हें ऊंची मुद्रास्फीति के बीच बेहतर वास्तविक रिटर्न अर्जित करने का अवसर मिला है। तथापि यह देखते हुए कि आवास और सोने की कीमतें मुद्रास्फीति से आगे चल रही हैं, जोखिमों को रोकने की जरूरत है। अप्रैल 2012 में रिजर्व बैंक ने ऐसे एनबीएफसी को मिलने वाले बैंक कर्ज के संबंध में विवेकपूर्ण उपाय किए जो एनबीएफसी सोने की जमानत पर उधार देने का कारोबार करते हैं। यद्यपि, आवासीय और वाणिज्यिक रीयल इस्टेट क्षेत्र को मिलने वाले ऋण में कमी

चार्ट II.32: आवास बाजार में प्रवृत्ति



टिप्पणी : 1. अधिल भारतीय सूचकांक शहरी सूचकांकों का एक भारित औसत है जिसमें जन संख्या अनुपात को भार के रूप में लिया गया है।
2. चेन्नै सूचकांक आवासीय और वाणिज्यिक संपर्कों पर आधारित है।

हुई है, तब भी एक कड़ी निगरानी आवश्यक है क्योंकि आवासीय मूल्य मुद्रास्फीति कम नहीं हुई है। रिजर्व बैंक समष्टि-विवेकपूर्ण दृष्टिकोण से आगामी आस्ति मूल्यों पर निगरानी रखेगा।

II.5 सरकारी वित्त

2011-12 में राजकोषीय स्थिति लक्ष्य के अनुरूप नहीं रही और इससे समष्टि-अर्थव्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई।


II.5.1 वर्ष 2011-12 में केंद्रीय वित्त में काफी अधिक गिरावट देखी गई क्योंकि कर राजस्व में कमी और व्यय में वृद्धि के कारण महत्वपूर्ण घाटा संकेतक बजट अनुमान से काफी अधिक रहे (परिशिष्ट सारणी 15)। इससे राजकोषीय सुदृढ़ीकरण प्रक्रिया को धक्का लगा और अर्थव्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई। वर्तमान संकेत यह है कि यदि तुरंत निवारक उपाय नहीं किए गए तो 2012-13 में पुनः राजकोषीय लक्ष्य हासिल करने में चूक हो सकती है।

II.5.2 घरेलू और बाह्य दोनों स्तरों पर कई कारकों के कारण घाटा संकेतक बढ़ते गए। कच्चे तेल की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में तेजी, पेट्रोलियम उत्पादों पर अप्रत्यक्ष करों में कटौती, आर्थिक वृद्धि में आशा से अधिक गिरावट के चलते राजस्व में कमी और विनिवेश में अनुमान से कम प्राप्तियां होने के कारण 2011-12 में वित्तीय लक्ष्य हासिल करने में चूक हुई। परिणामस्वरूप, 2011-12 में, सकल देशी उत्पाद (जीडीपी) की तुलना में सकल राजकोषीय घाटा (जीएफडी) अनुपात 4.6 प्रतिशत के बजटीय स्तर से बढ़कर 5.8 प्रतिशत हो गया, तथापि योजनागत व्यय में हुई कुछ कटौती से राजकोषीय स्थिति की बिगड़ती गति थोड़ी थम गई।

2012-13 के लिए बजट रस्तान और मध्यम अवधि का रोडमैप आगे वित्तीय सुदृढ़ीकरण दर्शाता है लेकिन आशंकाएं अभी भी बनी हुई हैं।

II.5.3 2012-13 के केंद्रीय बजट में वित्तीय सुदृढ़ीकरण के लिए एक रोडमैप तैयार किया गया है। इस रोडमैप में 2012-13 की शुरुआत से जीएफडी-जीडीपी अनुपात को काफी कम करना और अगले दो वर्षों में रोलिंग लक्ष्य के तहत राजस्व घाटा-जीडीपी अनुपात तथा जीएफडी-जीडीपी अनुपात को आगे और कम करते हुए इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाना शामिल है। 2012-13 के दौरान (ब.अ.) आरडी-जीडीपी अनुपात में 0.9 प्रतिशत और जीएफडी-जीडीपी अनुपात में 0.7 प्रतिशत कमी की परिकल्पना से अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र को अधिक ऋण मिलने की गुंजाइश बढ़ेगी। राजस्व बढ़ाकर (विशेषकर अप्रत्यक्ष कर और स्पेक्ट्रम नीलामी प्राप्ति के जरिए कर से इतर राजस्व जैसे उपाय) और व्यय में नियंत्रण करके जैसे सब्सिडी पर होनेवाले व्यय को जीडीपी के 2 प्रतिशत से नीचे रखकर इसे हासिल किया जाना है। सेवा कर का दायरा बढ़ाने, और संकट के समय विभिन्न अप्रत्यक्ष करों में की गई कटौती को आंशिक रूप से वापस लेने के कारण केंद्र सरकार की कर प्राप्तियां बढ़ सकती हैं। विशेषकर कर में जैसी बढ़ोत्तरी सोची गई थी, यदि उसके अनुरूप प्राप्ति न हो पाए और सब्सिडी पर अधिकतम सीमा का पालन न हो पाए तो 2012-13 में राजकोषीय लक्ष्य प्राप्त करना संदेहास्पद बना रहेगा। केंद्रीय बजट के मध्यम अवधि के राजकोषीय रोडमैप में यह परिकल्पना की गई कि राजकोषीय स्थिति को दुरुस्त करने की रफ्तार तेरहवें वित्त आयोग द्वारा तय किए गए लक्ष्य की तुलना में धीमी रहेगी (चार्ट II.33)। 2012-13 की पहली तिमाही के दौरान, केंद्र सरकार का

चार्ट II.33: केंद्र सरकार के महत्वपूर्ण घाटा संकेतक



राजकोषीय घाटा पूरे वर्ष के लिए तय किए गए बजट अनुमान के एक तिहाई से अधिक था।

II.5.4 राजकोषीय जवाबदेही और बजट प्रबंध अधिनियम 2003 में संशोधन जिसमें, अन्य बातों के साथ - साथ, “मध्यम अवधि व्यय ढांचा विवरण” शामिल है, 2012-13 में वित्तीय सुदृढ़ीकरण की दिशा में किया गया एक महत्वपूर्ण प्रयास है। संशोधित राजकोषीय जवाबदेही और बजट प्रबंध अधिनियम के अनुसार, सरकार 2014-15 तक प्रभावी तरीके से राजस्व घाटे (पूँजीगत आस्ति के सृजन में राजस्व व्यय से मिलने वाले अनुदान को छोड़कर) को खत्म करने का प्रयास करेगी और इसप्रकार राजस्व खाते में घाटे के संरचनागत घटकों के करेक्शन को टार्गेट करेगी। “मध्यम अवधि व्यय ढांचा विवरणटट लोक व्यय प्रबंधन की गुणवत्ता में सुधार लाने के प्रयोजन से एक रणनीति के तहत व्यय संकेतकों के लिए तीन-वर्षीय रोलिंग लक्ष्य तय करेगा।

II.5.5 2011-12 के दौरान केंद्र के राजकोषीय असंतुलन बढ़ने के बावजूद, सांकेतिक जीडीपी की वृद्धि दर ऊंची रहने के कारण, इसका कर्ज-जीडीपी अनुपात 2010-11 के 52.8 प्रतिशत से घटकर 2011-12 में 51.9 प्रतिशत हो गया (सं.अ.)। केंद्र सरकार के घाटे के वित्तीयन में उपयोग न की गई राशि (उदाहरण के लिए, राष्ट्रीय लघु बचत निधि के वे घटक जिनका राज्य सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश किया जाता है और बाजार स्थिरीकरण योजना के तहत सृजित की गई देयताएं) को छोड़कर, जीडीपी की तुलना में केंद्र सरकार की

बकाया देयताओं का अनुपात 2011-12 में जीडीपी के 45.7 प्रतिशत से थोड़ा गिरकर 2012-13 में जीडीपी के 45.5 प्रतिशत रहने का अनुमान है (सं.अ.)।

II.5.6 रोलिंग लक्ष्य में किए गए पूर्वानुमान के अनुसार, 2014-15 तक बकाया देयता-जीडीपी अनुपात तेरहवें वित्त आयोग द्वारा तय किए गए 44.8 प्रतिशत के स्तर से कम रहने की संभावना है। तथापि, लंबी अवधि में केंद्र सरकार के कर्ज की वहनीयता के आकलन के लिए विभिन्न तरीकों का प्रयोग कर व्यापक विश्लेषण करने की आवश्यकता है (बॉक्स II.14)।

कर-जीडीपी अनुपात को संकट से पहले के स्तर पर लाने के लिए कर सुधारों को तेजी से कार्यान्वित करना

II.5.7 2012-13 के दौरान, सरकार ने मानक उत्पाद कर दर को 10 प्रतिशत से 12 प्रतिशत करने के फैसले को वापस लेकर, सेवा कर का दायरा बढ़ाकर और सीमा शुल्क दरों को युक्तिसंगत बनाकर कर-जीडीपी अनुपात में 2011-12 (सं.अ.) के मुकाबले 0.5 प्रतिशत अंक वृद्धि करने का प्रयास किया और यह अनुपात बढ़कर 10.6 प्रतिशत हो गया। सकल कर राजस्व में बजटीय वृद्धि (19.5 प्रतिशत) संकट से पहले वित्तीय सुदृढ़ीकरण के दौर (2004-05 से 2007-08) में रिकार्ड की गई औसत वृद्धि (23.6 प्रतिशत) से कम रही और इससे आर्थिक स्थिति में वर्तमान गिरावट परिलक्षित होती है। यद्यपि, प्रत्यक्ष कर प्राप्तियों जैसे कॉर्पोरेशन कर और आयकर में बजटीय वृद्धि परंपरा के अनुरूप रही है लेकिन केंद्रीय उत्पाद और सीमा शुल्कों से मिलने वाली प्राप्तियां संकट से पहले के रुद्धानों से काफी अधिक हैं। यह स्थिति औद्योगिक गतिविधियों और अंतरराष्ट्रीय व्यापार में निरंतर गिरावट होने से उत्पन्न होनेवाली अधोगामी जोखिम के अधीन है।

II.5.8 सेवा कर भी 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 12 प्रतिशत कर दिया गया। सेवा कर का दायरा बढ़ाना और निगेटिव सूची में शामिल सेवाओं को छोड़कर अन्य सभी सेवाओं को इसके दायरे में लाना सही दिशा में उठाया गया एक कदम है लेकिन इसे सावधानीपूर्वक लागू करने की जरूरत है। केंद्रीय उत्पाद कर और सेवा कर को सरल बनाने के लिए भी उपाय किए गए और इन उपायों में दोनों करों के लिए एकल सरलीकृत पंजीकरण फार्म तथा एकल रिटर्न की सुविधा की शुरुआत शामिल थी। माल एवं सेवा कर (जीएसटी) नेटवर्क को शुरू करने हेतु कदम उठाए जा रहे हैं और जब कभी जीएसटी लागू होगा उसमें यह एक ‘राष्ट्रीय सूचना उपयोगिता’ के रूप में कार्य

बॉक्स II.14 लोक कर्ज की वहनीयता

परंपरागत रूप से, राजकोषीय वहनीयता का मूल्यांकन सकेतक विश्लेषण के संदर्भ में किया गया है। कर्ज की वहनीयता के मूल्यांकन के लिए मानक तरीका यह है कि जीड़ीपी की तुलना में सरकारी कर्ज के अनुपात पर फोकस किया जाए। कोई कर्ज तब वहनीय माना जाएगा जब कर्ज-जीड़ीपी अनुपात स्थिर हो या कुछ समय से कम हो रहा हो, जबकि इस अनुपात में निरंतर वृद्धि को अवहनीय माना जाता है। कर्ज-जीड़ीपी अनुपात का मूल्यांकन कर्ज के वास्तविक ब्याज दर, अर्थव्यवस्था की वास्तविक वृद्धि दर, सरकारी बजट के 'प्राथमिक संतुलन' (अधिशेष या घाटे में ब्याज-भुगतान को घटाकर) और पहले की अवधि के कर्ज अनुपात पर निर्भर करती है। विश्लेषक इस संबंध का प्रयोग प्राथमिक अधिशेष का पता करने के लिए भी करते हैं ताकि भविष्य में कर्ज को स्थिर या कम किया जा सके।

कर्ज की वहनीयता से जुड़े मुद्रे पर कई अध्ययनों में अभिमत दिए गए हैं और एक विशेष प्रश्न उठाया गया है - ‘‘क्या कर्ज संचित करने की ऐसी कोई सीमा है जिसके बाद कर्ज का बोझ पूंजी संचयन और वृद्धि को काफी प्रभावित करने लगता है? कर्ज वहनीयता फ्रेमवर्क सबसे पहले डॉमर (1944) द्वारा विकसित किया गया था और इस फ्रेमवर्क ने यह प्रतिपादित किया कि आय में बढ़ोत्तरी की दर ब्याज-दर से अधिक होना वहनीयता के लिए एक आवश्यक शर्त है। डॉमर ने बताया कि जीड़ीपी की तुलना में समग्र घाटा का स्थिर अनुपात यह सुनिश्चित करता है कि कर्ज-जीड़ीपी अनुपात और ब्याज-जीड़ीपी अनुपात - दोनों एक निश्चित मान पर एक जैसे हो जाए। 1980 के दशक में सार्वजनिक क्षेत्र के विकास के साथ ही वहनीयता की चर्चा में एक नया मोड़ आया। डॉमर के अनुसार लोक वित्त वहनीयता की मूल्यांकन प्रक्रिया में स्थिर घाटे की स्थिति में कर दर प्रभावों की जांच करना पर्याप्त नहीं रह गया था। यह आवश्यक हो गया कि वर्तमान नीतियों के कारण भविष्य में होने वाले घाटे के रुख का आकलन किया जाए। ब्लैन्शर्ड और अन्य (1990) ने वहनीयता के लिए दो आवश्यक शर्तें प्रस्तावित कीं : (क) कर्ज-सकल राष्ट्रीय उत्पाद अनुपात का अंतः: अपने प्रारंभिक स्तर पर लौटना, (ख) प्राथमिक घाटा-सकल राष्ट्रीय उत्पाद अनुपात का वर्तमान डिस्काउंटेड मान कर्ज-सकल राष्ट्रीय उत्पाद के वर्तमान स्तर के ऋणात्मक के बराबर हो जाए।

लोक वित्त की 'वहनीयता का मूल्यांकन करने के प्रयोगिक अध्ययन में इन सभी शर्तों (डॉमर तथा ब्लैन्शर्ड और अन्य) का प्रयोग किया गया है। लोक वित्त की वहनीयता का स्तर अलग-अलग देशों में उनकी कई आर्थिक और राजनीतिक विशेषताओं पर निर्भर करते हुए अलग-अलग होता है। आम तौर पर उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में यह औद्योगिकीकृत देशों में अधिक होता है। औद्योगिकीकृत अर्थव्यवस्था में ऐतिहासिक रूप से यह देखा गया है कि अपेक्षाकृत अधिक प्राथमिक अधिशेष संचित कर लेने की अपनी बड़ी क्षमता के कारण वे विपरीत परिस्थितियों में भी अपने कर्ज को वहनीय स्तर तक रख पाते हैं जबकि उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं में आम तौर पर ऐसी विश्वसनीयता नहीं देखने को मिलती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इन अर्थव्यवस्थाओं में राजस्व की स्थिति कमज़ोर होती है (कम प्रातिफल और अधिक अस्थिरता के साथ) और आर्थिक उन्नति के (विशेषकर लैटिन अमेरिका के मामले में) के दौरान व्यय पर नियंत्रण कम प्रभावी होता है। तथापि, उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं में अलग-अलग क्षेत्रों में काफी अंतर देखा गया है और अन्य क्षेत्रों की तुलना में ऐश्वर्याई देश कर्ज की वहनीयता सुनिश्चित करने में अधिक प्रयास करते देखे गए हैं।

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भी लोक और बाब्य कर्ज की वहनीयता का विश्लेषण करने के लिए एक औपचारिक फ्रेमवर्क तैयार किया है ताकि संभावित संकट को बेहतर होंगे से पहचान कर उहें रोकने और उनका समाधान करने के लिए एक तरीका विकसित हो पाए। यह फ्रेमवर्क 2002 में शुरू हो गया। इस फ्रेमवर्क का उद्देश्य तीन स्तरों पर है: (i) यह कर्ज की वर्तमान स्थिति, इसकी परिपक्वता की संरचना, क्या यह स्थिर या अस्थिर दर पर है, क्या यह सूचकांकित है और किसने इसे धारित किया है, से जुड़ी बातों का मूल्यांकन करता है; (ii) यह फ्रेमवर्क काफी पहले ही

कर्ज की संरचना और नीति की रूपरेखा से जुड़े जोखिमों की पहचान कर लेता है ताकि भुगतान में कठिनाई आने से पहले ही नीतिगत सुधार किया जा सके; (iii) ऐसी स्थिति में जब इस प्रकार की कठिनाइयां उत्पन्न होने लगी हों या उनके उत्पन्न होने की संभावना हो तो यह फ्रेमवर्क कर्ज-स्थिरीकरण के लिए वैकल्पिक नीतिगत रास्तों के प्रभावों की जांच करता है। इस फ्रेमवर्क में दो अनुपूरक घटक हैं: कुल लोक कर्ज और बाब्य कर्ज की वहनीयता का विश्लेषण। प्रत्येक घटक में एक बेसलाइन परिदृश्य शामिल किया गया है और यह बेसलाइन परिदृश्य ऐसी समष्टि आर्थिक संभावनाओं पर आधारित है जिसमें सरकार की तय नीतियों तथा साथ ही मुख्य अनुमानों और पैरामीटर का स्पष्ट उल्लेख हो। इस बेसलाइन परिदृश्य में बेसलाइन परिदृश्य पर लागू कर्क संवेदनशीलता परीक्षण शामिल किए गए हैं और ये परीक्षण नीति चरों, समष्टि-आर्थिक विकास और वित्तीय लागत से जुड़े विभिन्न अनुमानों के जरिए कर्ज की स्थिति में एक संभावित ऊपरी सीमा तय करने में मदद करते हैं। इस बेसलाइन परिदृश्य के तहत कर्ज संकेतों की दिशा और स्ट्रेस टेस्ट के जरिए किसी राष्ट्र के भुगतान संकट से जुड़े जोखिमों का आकलन किया जा सकता है।

जहाँ तक भारत का सवाल है, यहाँ अधिक राजकोषीय घाटा बने रहने के एक दशक के बाद, 2003 में एक नियम आधारित राजकोषीय फ्रेमवर्क नामतः राजकोषीय जवाबदेही और बजट प्रबंध (एफआरबीएम) अधिनियम बनाया गया जिसका उद्देश्य यह था कि राजकोषीय प्रबंधन के संबंध में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक भागीदारी सुनिश्चित की जा सके और यह भी सुनिश्चित हो कि दीर्घकालिक समष्टि-आर्थिक स्थिरता के लिए राजकोषीय वहनीयता आवश्यक है। यह एक संयोग ही था कि राजकोषीय जवाबदेही और बजट प्रबंध अधिनियम को ठीक उसी समय कार्यान्वित किया गया जब 2004-05 और 2007-08 के बीच केंद्र सरकार के राजकोषीय घाटे में लगभग 1.8 प्रतिशत की गिरावट आयी थी। संशोधित राजकोषीय जवाबदेही और बजट प्रबंध अधिनियम में व्यय की गुणवत्ता में सुधार लाने के प्रयोजन से एक मध्यम अवधि व्यय फ्रेमवर्क विवरण शामिल किया गया है। राजकोषीय जवाबदेही और बजट प्रबंधन अधिनियम के मूल रूप और साथ ही संशोधित रूप में कर्ज लक्ष्यों को रोलिंग लक्ष्य फ्रेमवर्क के तहत प्रतिपादित किया गया है। सभी राज्य सरकारों ने अपने-अपने राजकोषीय जवाबदेही और बजट प्रबंध अधिनियमों को पारित कर दिया है जिसमें से 27 राज्यों ने तेरहवें वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसार अपने-अपने अधिनियमों में संशोधन भी कर लिया है। तदनुसार, राज्यों ने अपने व्यक्तिगत कर्ज-जीएसडीपी अनुपात को धीरे-धीरे कम करने के लिए लक्ष्य निर्धारित किए हैं। हाल के अध्ययन में, टोपालोवा और नाइबर्ग ने बताया है कि 2015-16 तक जीड़ीपी की तुलना में कर्ज अनुपात का 60-65 प्रतिशत के दायरे में होना भारत के लिए उपयुक्त/वहनीय हो सकता है। तेरहवें वित्त आयोग की रिपोर्ट में 2014-15 तक के लिए इंगित किए गए 67.8 प्रतिशत से यह कम है।

संदर्भ:

ओ. ब्लैन्शर्ड, जे.सी. चौरकी, आर.पी हेगमान और एम.सार्टर (1990), “द स्टेनबिलिटी ऑफ फिस्कल पॉलिसी: न्यू आन्सर्स टू ओल्ड क्वेश्चन्स”, ओर्सीडी, इकॉनॉमिक स्टडीज, नं. 15, ऑटम।

डब्ल्यू. एच. ब्यूर (1985), “ए गाइट टु पब्लिक सेक्टर डेट एंड डेफिस्ट”, इकॉनॉमिक पॉलिसी, खंड 1, नं. 1, नवंबर।

ई.डी. डॉमर (1944), “द बर्डेन ऑफ द डेट एंड द नेशनल इनकम”, अमेरिकन इकॉनॉमिक रिव्यू, खंड 34, नं. 4, दिसंबर।


आईएमएफ (2003), “पब्लिक डेट इन इमर्जिंग मार्केट्स”, वर्ल्ड इकॉनॉमिक अउटलुक, सितंबर।

पी.बी. टोपालोवा और डैन नाइबर्ग (2010), “व्हाट लेवल ऑफ पब्लिक डेट कुट इंडिया टार्गेट?”, आईएमएफ वर्किंग पेपर, डब्ल्यूपी/10/7, जनवरी।

करेगा। इन सकारात्मक उपायों के बावजूद, प्रत्यक्ष कर कोड और माल एवं सेवा कर को तेजी से लागू करने की जरूरत है ताकि कर-जीडीपी अनुपात को संकट के पूर्व स्तर पर लाया जा सके। विशेषकर भारत में सकल कर-जीडीपी अनुपात उन्नत अर्थव्यवस्थाओं और उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं के मुकाबले काफी कम रहा है और 2007 से इसमें कमी होती रही है (चार्ट II.34)।

II.5.9 2011-12 और पहले की अवधि की ही भाँति 2012-13 में भी विनिवेश प्रक्रिया से मिलने वाली बजट अनुमानित राशि में संभावित कमी के कारण राजस्व क्षेत्र में एक और अधोगामी जोखिम उत्पन्न हो सकता है (चार्ट II.35)। विनिवेश प्रक्रिया से मिलने वाली राशि में अनिश्चितता बनी हुई है, इसलिए जरूरत इस बात की है कि राजकोषीय असंतुलन का मूल्यांकन करने में विनिवेश प्रक्रिया से मिलने वाली राशि को हिसाब में न लिया जाए। इसलिए, सरकार द्वारा राजकोषीय स्थिति को दुरुस्त करने की प्रक्रिया कितनी टिकाऊ है, इसका मूल्यांकन करने में ‘‘वित्तीयन अंतराल’’ एक अहम् सकेतक है और जैसाकि प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा तय किया था ‘‘वित्तीयन अंतराल’’, में सकल राजकोषीय घाटे की गणना में प्रयुक्त विनिवेश से होनेवाली प्राप्तियां शामिल नहीं है (चार्ट II.36)। यह इसलिए भी जरूरी है क्योंकि सरकार 2014-15 तक विनिवेश प्रक्रिया से मिलने वाली राशि का इस्तेमाल बजटीय व्यय के वित्तीयन में करने के बजाय इसे राष्ट्रीय निवेश निधि

चार्ट II.35: विनिवेश प्राप्तियां - बजट बनाम वास्तविक




में क्रेडिट करने की पुरानी नीति की ओर वापस आना चाहती है। (बॉक्स II.15)

सब्सिडी पर होनेवाले व्यय में अधिकतम सीमा निर्धारित करके ही बजटीय व्यय को पूंजीगत परिव्यय में बदलना संभव हो पाएगा


II.5.10 2012-13 में राजस्व व्यय में कम वृद्धि तथा पूंजीगत व्यय (योजनागत और गैर-योजनागत दोनों घटक) में तेज वृद्धि

चार्ट II.34: सामान्य सरकारी राजस्व में रुझान



स्रोत: फ़िस्कल मॉनीटर, आईएमएफ, अप्रैल 2012

चार्ट II.36: जीएफडी और वित्तीयन अंतर (एफजीपी) की तुलना



बॉक्स II.15 भारत में विनिवेश नीति

किसी विकासशील अर्थव्यवस्था की स्वाभाविक विकास प्रक्रिया में सामान्यतया सरकार खुद अपने द्वारा अर्थव्यवस्था में पूँजी के सीधे सुजन से क्रमिक रूप में पौछे हटती है और इसके बाद सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में अपनी हिस्सेदारी घटाती है। इस प्रक्रिया से यह परिलक्षित होता है कि संसाधनों के प्रभावी इस्तेमाल के लिए ऐसे अवसरों की जरूरत है जिसमें निजी क्षेत्र बड़ी भागीदारी निभा सके। भारत में विनिवेश नीति, 1991 में शुरू हुई नई औद्योगिक नीति का एक भाग थी और इसका अंतर्निहित उद्देश्य संसाधन जुटाना, अधिक निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करना और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में अधिक जवाबदेही सुनिश्चित करना था। प्रारंभिक चरण में, लाभ कमाने वाले चुनिंदा पीएसयू में विनिवेश किया जाना था। रंगराजन समिति (1993) ने (क) रक्षा और परमाणु ऊर्जा को छोड़कर सरकारी क्षेत्र के ऐसे चुनिंदा उपक्रमों की पहचान करने जहां किसी भी स्तर तक विनिवेश किया जा सके; (ख) कामगारों के अधिकारों की उचित रक्षा के साथ विनिवेश प्रक्रिया में पारदर्शिता बरतने; (ग) विनिवेश कार्यक्रम के सुचारू रूप से कार्य करने और इसकी निगरानी के लिए किसी स्वायत्त निकाय को स्थापना करने की सिफारिश की थी। तदनुसार, सरकार को विनिवेश के स्तर, तरीके, समय और कीमत-निर्धारण के विषय में सलाह देने के लिए 1966 में विनिवेश आयोग की स्थापना की गई। इस आयोग ने विनिवेश के चार तरीके सुझाएः : (i) ऐसा ट्रेड सेल जिसमें किसी तय कीमत पर शेयरों की सीधी बिक्री के जरिए स्वामित्व में 100 प्रतिशत का परिवर्तन शामिल हो; (ii) ऐसी नीतिगत बिक्री जिसमें विनिवेश के काफी भाग के साथ प्रबंधन का नियंत्रण भी निजी उपक्रम या व्यक्ति के पास चला जाए; (iii) शेयरों का ऑफर अर्थात् निजी प्रतिष्ठानों या व्यक्तियों को शेयरों की बिक्री और (iv) आस्तियों का क्लोज़र या बिक्री और कंपनी का परिसमापन। व्यावहारिक रूप में, सरकार ने अधिकांश बार विनिवेश के तीसरे तरीके का सहारा लिया है अर्थात् पीएसयू में अपने शेयरों को ऐसे शेयरधारकों को बेचना जिनके पास कम शेयर थे।

पीएसयू में विनिवेश, गैर-कर्ज पूँजी प्राप्ति लेखाशीर्ष के तहत मिलने वाली प्राप्तियों का मुख्य स्रोत है। सरकार ने टेलीकॉम, तेल, ऊर्जा, धातु एवं खनिज, ऑटोमोबाइल और आतिथ्य-सत्कार उद्योग से संबद्ध पीएसयू में अपनी हिस्सेदारी में आंशिक विनिवेश किया है। 2005-06 से 2008-09 के दौरान, विनिवेश प्रक्रिया से मिलने वाली प्राप्तियों का इस्तेमाल बजटीय व्यय के वित्तीय में नहीं किया गया, बल्कि इन्हें 2005 में गठित राष्ट्रीय विवेश निधि

(एनआईएफ) में क्रेडिट कर दिया गया। एनआईएफ के विवेश से मिलने वाले रिटर्न को कर से इतर राजस्व माना गया और सामाजिक इन्फ्रास्ट्रक्चर पर होने वाले व्यय के वित्तीय और अर्थक्षम पीएसयू को पूँजी उपलब्ध कराने में इनका इस्तेमाल किया जाना तय किया गया। 2009-10 में सरकार ने निर्णय लिया कि तीन वर्ष की अवधि अर्थात् 2009-12 के दौरान विनिवेश प्रक्रिया से मिलने वाली प्राप्तियों का इस्तेमाल सामाजिक क्षेत्र के ऐसे कार्यक्रम के वित्तीय में किया जाएगा जो पूँजीगत आस्ति का सुजन करते हैं। तदनुसार, विनिवेश प्राप्तियों का आंशिक इस्तेमाल ग्रामीण रोजगार, सिंचाई इन्फ्रास्ट्रक्चर और शहरी एवं ग्रामीण इन्फ्रास्ट्रक्चर से जुड़े चुनिंदा फ्लैगशिप कार्यक्रमों पर होने वाले व्यय को पूरा करने में किया जा रहा है। साथ ही, एनआईएफ द्वारा पहले किए गए विवेश से मिलने वाले रिटर्न का इस्तेमाल सामाजिक क्षेत्र के ऐसे चुनिंदा कार्यक्रमों के वित्तीय में किया जा रहा है जो शिक्षा, स्वास्थ्य तथा रोजगार को बढ़ावा देते हैं और साथ ही लाभकारी एवं पुनरुत्थान योग्य पीएसयू की पूँजी विवेश आवश्यकताओं को पूरा करने में भी इनका इस्तेमाल किया जा रहा है। सरकार ने विनिवेश प्राप्तियों के इस्तेमाल की वर्तमान व्यवस्था को जारी रखने का निर्णय लिया जिसके तहत सरकार विनिवेश प्राप्तियों का इस्तेमाल 2012-13 और 2013-14 के व्यय कार्यक्रम के वित्तीय में करेगी।

गौरतलब है कि पहले से अनुमान की गई विनिवेश प्राप्तियों का प्राप्त होना बाजार की अनिश्चितताओं के अधीन होता है। सरकार ने 21 वर्षों में से 14 वर्ष के लिए विनिवेश का जो बजट अनुमान किया था, उसे हासिल करने में वह नाकाम रही और ये वो वर्ष थे जिसमें विनिवेश प्राप्तियों का इस्तेमाल बजटीय व्यय के वित्तीय में किया जाना था। यद्यपि विनिवेश प्रक्रिया से मिलने वाली राशि को कर्ज से इतर पूँजीगत प्राप्ति मानते हुए बजटीय व्यय के वित्तीय में इसका इस्तेमाल करने की नीति से राजकोषीय घाटा कम होता है, लेकिन यह बाल्की नीति होगा कि सरकार विनिवेश प्राप्तियों को एनआईएफ में क्रेडिट करने की नीति पर वापस लौटे ताकि तदनुसार इस प्रक्रिया से राजकोषीय घाटा संबद्ध न रहे।

संदर्भः

ए. वर्मा (2009), “‘डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसेस इन इंडिया’”, शोध समीक्षा और मूल्यांकन, खंड II, अंक-6 (09 फरवरी-09 अप्रैल)। <http://www.divest.nic.in/>

होने की संभावना है। तथापि, सरकार के लिए यह आवश्यक है कि वह 2012-13 में गैर-योजनागत व्यय को बजट अनुमान के अंदर नियंत्रित रखने लिए सब्सिडी पर होने वाले खर्च की अधिकतम सीमा को जीडीपी के 2 प्रतिशत तक सीमित रखने की कटिबद्धता का पालन करे। निवेशकों और अर्थव्यवस्था में उत्साह का पुनः

संचार करने के प्रयोजन से विश्वसनीय राजकोषीय सुदृढ़ीकरण के साथ-साथ अधिक पूँजीगत व्यय महत्वपूर्ण है। उच्चतर पूँजी परिव्यय गुणक के मदेनजर, व्यय घटकों में पूँजी परिव्यय के लिए अधिक आबंटन किए जाने से आर्थिक वृद्धि को बल मिलेगा (बॉक्स II.16)।

बॉक्स II.16 भारत में राजकोषीय गुणक

2007-09 के दौरान वैश्वक वित्तीय संकट के बाद कई देशों में आर्थिक गतिविधियों को गति देने के लिए बड़े पैमाने पर राजकोषीय सहयता उपलब्ध कराई गई और इसके चलते राजकोषीय गुणक के आकार को समझने में रुचि बढ़ गई। राजकोषीय गुणक सरकारी खर्चों या कराधान में होने वाले बदलाव

के आउटपुट की प्रतिक्रियाशीलता को मापते हैं। परंपरागत रूप से, कीन्सियन सिद्धांत बताता है कि कर की तुलना में सरकारी खर्चों में गुणक अधिक होता है क्योंकि कुल मांग पर खर्च का सीधा और तुरंत प्रभाव पड़ता है। तथापि

(जारी....)

हाल के अनुसंधान कर गुणकों के अपेक्षाकृत बड़े आकार की ओर संकेत करते हैं क्योंकि कर में कटौती से भी निवेश मांग तेज हो सकती है, फिर चाहे यह तेजी निवेश क्रेडिट के जरिए सीधे तौर पर हो या श्रम की अधिक मांग होने से अप्रत्यक्ष रूप से हो, या इसके अलावा कीन्सियन चैनल के जरिए डिस्पोजेबल आय में बढ़ोत्तरी के कारण हो। इसके विपरीत, गत्यात्मक फ्रेमवर्क में कर और कर्ज के बीच रिकार्डिंयन समानुपात के अनुसार राजकोषीय गुणक शून्य होता है। रिकार्डिंयन सिद्धांत के तहत आनेवाले उपभोक्ता दूर-दृष्टि वाले होते हैं और सरकार के अंतर-कालिक बजटीय बाधाओं से परिचित होते हैं।

प्रायोगिक अध्ययनों में अर्थव्यवस्थाओं के वित्तीय गुणकों के आकलन की काफी बड़ी रेंज बताई गई है और यह रेंज निगेटिव से लेकर एक से आगे तक बताई गई है (अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, 2008), तदनुसार, इस कारण से यह प्रति-चक्रीय राजकोषीय नीति की प्रभावोत्पादकता को स्पष्ट मार्गदर्शन देने में असफल रहती है। प्रति-चक्रीय राजकोषीय नीति की प्रभावोत्पादकता केवल दी गई सहायता के आकार पर ही नहीं बल्कि इसके घटकों, जैसे कर कटौती और सरकारी खर्च के अनुपातिक महत्व पर भी निर्भर करती है। मौद्रिक रुक्षान, बैंकिंग श्रेत्र की स्वस्थता, शून्य की ओर अग्रसर करने वाली समस्याओं से होनेवाली व्याज-दर संबंधी अड़चनें, श्रम बाजार में शिथिलता और लोक कर्ज का स्तर जैसे कारक एक-दूसरे से जुड़े रहकर काम करते हैं। कई अध्ययनों से यह मालूम हुआ है कि अपेक्षाकृत गरीब अर्थव्यवस्थाओं, अधिक खुली अर्थव्यवस्थाओं, लचीली विनियम दर वाली अर्थव्यवस्थाओं तथा अधिक लोक कर्ज स्तर वाली अर्थव्यवस्थाओं में राजकोषीय गुणक निम्न होता है।


इस स्थिति को देखते हुए कि भारत के वित्तीय गुणक के आकार की मात्रा बताने में अधिक अध्ययन उपलब्ध नहीं है, किसी एक अध्ययन की आवश्यकता है, विशेषकर सरकार द्वारा संकट के बाद उपलब्ध कराई गई आर्थिक सहायता के मद्देनजर यह अध्ययन और भी जरूरी हो जाता है क्योंकि इन राहतों के कारण राजकोषीय नियमों के तहत राजकोषीय संकेतकों के जो लक्ष्य तय किए गए थे उनमें काफी अंतर हो गया। 1980-81 से 2010-11 की अवधि के लिए एक प्रायोगिक अध्ययन किया गया ताकि वेक्टर ऑटो रिग्रेशन (वीएआर) फ्रेमवर्क^a पर आधारित संयुक्त सरकारी वित्त के कुल विभिन्न खर्चों के गुणकों का आकार तय किया जा सके। अकाइक इन्फॉर्मेशन क्राइटेरिया द्वारा बताए गए लैग का प्रयोग कर वृद्धि दर के संदर्भ में वीएआर का आकलन किया जाता है।

संयुक्त सरकारी व्यय के विभिन्न घटकों (थोक मूल्य सूचकांक से अपस्फीत होकर) अर्थात् राजस्व व्यय, पूंजी परिव्यय, विकास व्यय, कुल व्यय और कर राजस्व का प्रयोग वास्तविक जीडीपी वृद्धि पर उनके द्वारा पड़ने वाले प्रभावों की जांच में किया गया है। इसके बाद इन चरों को वृद्धि दर में बदल दिया गया ताकि आधात चर की तुलना में जीडीपी में होनेवाली तात्कालिक प्रतिक्रिया अनुपात को लोच के रूप व्यक्त किया जा सके। इसके बाद इस लोच में वास्तविक खर्च-जीडीपी अनुपात से भाग देकर मध्यम अवधि गुणक निकाला जा सकता है। दीर्घावधि गुणक (जीडीपी के संदर्भ में) निकालने के लिए तात्कालिक प्रतिक्रिया को एक-साथ जोड़कर इस योग में खर्च-जीडीपी

अनुपात से भाग दिया जाता है। यदि 'Y' जीडीपी का द्योतक है तथा 'G' सरकारी व्यय दर्शाता है, तब लोच होगी $\alpha = (\Delta Y/Y / \Delta G/G)$, और इसलिए गुणक $\Delta Y/\Delta G = \alpha/(G/Y)$ होगा। आंतरिक चरों में व्यय, जीडीपी और कर चर शामिल होते हैं जबकि मौद्रिक रुक्षान दर्शाने वाली मांग मुद्रा दर, खुला व्यापार और वैश्विक जीडीपी वृद्धि दर बाह्य चर माने जाते हैं। परिणाम नीचे दिए गए हैं:

ये परिणाम दर्शाते हैं कि संयुक्त सरकारी व्यय के पॉजिटिव आधात में जीडीपी में पॉजिटिव प्रतिक्रिया होती है। राजस्व व्यय की स्थिति में, यह प्रभाव पहले वर्ष अधिक होता है लेकिन इसके बाद आशा के अनुरूप यह कम होता चला जाता है। पूंजी परिव्यय में दीर्घावधि गुणक बड़ा होता है और जैसा कि कम प्रभाव वाले गुणक से मालूम होता है कि अल्पावधि गुणक की तुलना में दीर्घावधि गुणक में अधिक उत्पादकता होती है।

कुल व्यय का प्रभाव गुणक अधिक होता है, जबकि इसका दीर्घावधि गुणक कम लेकिन धनात्मक है। सरकारी व्यय के घटकों का राजस्व व्यय की ओर उन्मुख हो जाना इस परिणाम का कारण हो सकता है। उपर्युक्त परिणाम सरकार के व्यय घटकों का पूंजी परिव्यय की ओर मुड़कर संकट से पहले के औसत 20.9 प्रतिशत (2003-08) स्तर तक होने की संवेदनशीलता को उजागर करते हैं जिससे लंबी अवधि में वृद्धि की संभावनाओं में सुधार हो पाएगा (चार्ट)।



संदर्भ:

एल क्रिस्टियानो, एम. आइशबॉम बॉम और एस रेबेलो (2011), “‘हेन इज द गवर्नर्मेंट स्पेंडिंग मल्टीप्लायर लार्ज?’” जर्नल ऑफ पॉलिटिकल इकॉनॉमी, खंड 119, नं. 1, फरवरी ।

ई. इजेजकी, ई.जी. मेन्डोजा और सी.ए. वेग (2011), “‘हाउ बिग (स्मॉल?) आर फिस्कल मल्टीप्लायर्स?’” आईएमएफ वर्किंग पेपर नं. डब्ल्यू पी/11/52, मार्च।

सी.डी. रोमर और डी.रोमर (2007), “‘द मैक्रोइकॉनॉमिक इफेक्ट्स ऑफ टैक्स चेन्जेजट: इस्टमेट्स बेस्ट ऑन अ न्यू मेजर ऑफ फिस्कल शॉक्स’”, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, बर्कले, मार्च।

ए. स्पिलम्बर्गे और अन्य (2008), “‘फिस्कल पॉलिसी फॉर द क्राइसिस’”, आईएमएफ स्टाफ पोजीशन नोट, एसपीएन/08/01, 29 दिसंबर।

^a इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि भारत के कुल सरकारी खर्चों में राज्य सरकार का हिस्सा काफी अधिक होता है, वीएआर अध्ययन, संयुक्त पूंजी व्यय और करों को भारत के राजकोषीय चरों के रूप में प्रयोग करता है।

II.5.11 निःसंदेह, कुछ विकासकारी उद्देश्यों के लिए सब्सिडी लाजिमी है, लेकिन ऐसी सब्सिडी जो वास्तविक हिताधिकारियों तक नहीं पहुंच पाती है या जो समष्टि-आर्थिक फंडमेंटल्स के अनुरूप नहीं हैं, उसे युक्तिसंगत बनाया जाना चाहिए। सब्सिडी पर अधिकतम सीमा लगाना और साथ ही इससे लाभान्वित होने वाले लोगों की वास्तविक पहचान करना एक सकारात्मक कदम है। इस लक्ष्य को हासिल कर लेने से कच्चे तेल और उर्वरकों की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में होने वाले उतार-चढ़ाव का असर घरेलू कीमतों पर हो, ऐसा रास्ता खुल पाएगा। बजट में सब्सिडी पर होनेवाले व्यय में कमी मुख्य रूप से इस कारण से हुई कि 2011-12 के मुकाबले 2012-13 में पेट्रोलियम सब्सिडी में 36 प्रतिशत की गिरावट हुई (सं.अ.) (चार्ट II.37)। 2011-12 की अंतिम तिमाही में पेट्रोलियम सब्सिडी भुगतान के प्रभाव-विस्तार के कारण और विशेषकर डीजल की नियंत्रित कीमतों के नियंत्रणमुक्त न होने की स्थिति में 2012-13 में तेल विपणन कंपनियों को अंडर-रिकवरी के वास्ते क्षतिपूर्ति का ₹400 बिलियन का प्रावधान अपर्याप्त हो सकता है। राजकोषीय घाटे के वित्तीय में बाजार उधार पर बढ़ती निर्भरता के मद्देनजर उपयुक्त मौद्रिक प्रबंधन की आवश्यकता होगी।


II.5.12 2012-13 के राजकोषीय घाटे के वित्तीय का पैटर्न दर्शाता है कि बाजार उधारियों पर लगातार भरोसा किया गया (जीएफडी का 56 प्रतिशत), तथापि बजट में खजाना बिलों के

जरिए अल्पावधि वित्तीयन 2 प्रतिशत तय किया गया जो 2011-12 के 22 प्रतिशत से काफी कम है। सरकार को आशा है कि 2011-12 में लघु बचतों में निधियों में बहिर्वाह देखे जाने के बाद 2012-13 में इसमें निधियों के आगमन की संभावना है। सरकार ने 2012-13 में बाजार उधार की जैसी परिकल्पना की थी उसे उपयुक्त रूप से व्यवस्थित करना होगा ताकि निजी निवेश के लिए निधि की अनुपलब्धता टाली जा सके। यह भी गैरतलब है कि राजस्व प्राप्ति तय लक्ष्य से कम रहने के कारण बाजार से अधिक उधार लेना होगा और इसके परिणामस्वरूप मंद वृद्धि से निपटने हेतु बनाई गई मौद्रिक नीति का प्रभाव सीमित हो जाएगा।

राज्यों द्वारा बजटीय विकास खर्च तय लक्ष्य से अधिक रहे-यह उनकी अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा संकेत है।

II.5.13 राज्य सरकारों की समेकित स्थिति से मालूम होता है कि 2011-12 (सं.अ.) के दौरान राजस्व अधिशेष जीडीपी का 0.1 प्रतिशत था और राजस्व खर्च में वृद्धि के कारण यह बजट अनुमान से काफी कम रहा और इसके चलते राजस्व प्राप्ति में हुई वृद्धि प्रतिसंतुलित हो गई। राजस्व प्राप्ति के तहत, कर राजस्व और केंद्र से मिलने वाले करेंट ट्रांसफर - दोनों बजट अनुमान से अधिक थे और केंद्र द्वारा राज्यों को कर संबंधी अधिक अधिकार दिए जाने के कारण करेंट ट्रांसफर अधिक हुए। मंद आर्थिक वृद्धि के बावजूद, खुद के कर राजस्व में हुई वृद्धि बजट में अनुमानित कर उछाल से बेहतर थी और इस वृद्धि में सबसे बड़ा हिस्सा पेट्रोलियम उत्पादों पर हुए अधिक वैट/बिक्री कर वसुली का था। व्यय पक्ष में, यह वृद्धि विकास व्यय के कारण हुई। तथापि, 20 राज्यों में 2011-12 (सं.अ.) के दौरान राजस्व अधिशेष की स्थिति देखी गयी जिसमें से 9 राज्यों का अधिशेष वर्ष के बजट अनुमान से अधिक था।

II.5.14 2011-12 के दौरान (सं.अ.) राज्यों का समेकित जीएफडी-जीडीपी अनुपात बजट अनुमान से इसलिए अधिक था क्योंकि राजस्व अधिशेष में गिरावट हुई थी, जबकि पूँजी परिव्यय-जीडीपी अनुपात बजटीय स्तर से कम था (परिशिष्ट सारणी 16)। राज्य-वार आंकड़े दर्शाते हैं कि जीएफडी-जीएसडीपी अनुपात छः राज्यों में बजट अनुमान से अधिक और सात राज्यों में तेरहवें वित्त आयोग के लक्ष्य से अधिक था। हालांकि विकास व्यय बजटीय स्तर से अधिक बने रहे जिसमें सामाजिक क्षेत्र पर होने वाला व्यय शामिल है।



2012-13 में राज्यों में वित्तीय सुदृढ़ीकरण की संभावना है लेकिन जीडीपी की तुलना में विकास और सामाजिक क्षेत्र व्यय अनुपात बजट अनुमान से कम रहने की संभावना है।

II.5.15 राज्यों के महत्त्वपूर्ण घाटा सकेतक 2012-13 में राज्यों की स्थिति में सुधार दर्शाते हैं। राजस्व प्रप्ति में वृद्धि के साथ ही राजस्व व्यय में कमी के कारण समेकित राजस्व अधिशेष में वृद्धि होने का अनुमान है। 2012-13 के दौरान खुद के राजस्व और केंद्र से होने वाले करेंट ट्रांसफर - दोनों ही में वृद्धि होने का अनुमान है। राजस्व अधिशेष से न केवल 2012-13 में बढ़े हुए पूंजी परिव्यय के लिए संसाधन उपलब्ध होने की आशा है बल्कि इसके चलते जीएफडी-जीडीपी अनुपात में कमी होने की भी गुंजाइश है। राज्यवार आंकड़े इस अनुमान की ओर सकेत करते हैं कि 28 में से 26 राज्य तेरहवें वित्त आयोग द्वारा जीएफडी-जीएसडीपी अनुपात के तथ्य लक्ष्य को प्राप्त लेंगे। राज्यों के लिए सोचे गए व्यय पैटर्न यह बताते हैं कि 2012-13 में एक ओर प्रतिबद्ध व्यय-जीडीपी अनुपात (जिसमें व्याज भुगतान, प्रशासनिक सेवाएं और पेंशन शामिल हैं) में वृद्धि होने, वहाँ दूसरी ओर जीडीपी की तुलना में विकास व्यय और सामाजिक क्षेत्र व्यय अनुपात में कमी होने का अनुमान है। वित्तीय सुदृढ़ीकरण के एजेंडा को और आगे बढ़ाते हुए यह आवश्यक है कि प्रतिबद्ध व्यय को कम करने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएं ताकि विकासकारी, सामाजिक और पूंजी व्यय को अधिक संसाधन उपलब्ध हो पाए।

राज्य विद्युत वितरण उपयोगिताओं से राज्यों के वित्त पर दबाव बढ़ेगा।

II.5.16 राज्यों की विद्युत वितरण उपयोगिताओं की वित्तीय हानि में भारी वृद्धि उनके लिए चिंता का कारण रही है और इसके चलते राज्य सरकारों के वित्त पर बोझ बढ़ेगा। तदनुसार, राज्य विद्युत वितरण उपयोगिताओं की कार्यक्षमता और व्यवहार्यता में सुधार लाने के लिए संरचनागत सुधार की आवश्यकता है और इसके चलते राज्यों के वित्त पर भी असर पड़ेगा। वैसे तो कई राज्य सरकारों के राजस्व खाते में सरप्लस दिखाई दे रहा है, लेकिन इसे राज्यों की विद्युत वितरण उपयोगिताओं में होने वाली भारी हानि के संदर्भ में देखे जाने की आवश्यकता है। राज्य विद्युत वितरण उपयोगिताओं को सब्सिडी, अनुदान, उधार और इक्विटी निवेश के जरिए दी जाने वाली बजटीय सहायता के अलावा इन्हें वित्तीय संस्थाओं से मिलने वाले ऋणों के लिए गारंटी भी देते हैं। यद्यपि ये गारंटियाँ आकस्मिक देयताओं की तरह होती हैं और इनसे राज्यों के वित्त पर कोई सीधा प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन यदि ऋण चुकौती में कोई चूक होती है तो राज्य सरकार द्वारा दी गई गारंटी लागू हो सकती है। इससे चलते राज्य सरकार का वित्त बुरी तरह से प्रभावित हो जाएगा (बॉक्स II.17)। राज्यों की विद्युत वितरण उपयोगिताओं के वित्त में स्थिरता लाने के लिए विद्युत टैरिफ को युक्तिसंगत बनाना और वितरण में होने वाली हानियों को कम करना महत्वपूर्ण है।

बॉक्स II.17 राज्यों की आकस्मिक देयताओं का राजकोषीय प्रभाव

राज्यों की राजकोषीय स्थिति को महत्वपूर्ण घाटा सकेतकों और कर्ज-जीडीपी अनुपात के संदर्भ में देखने से मालम होता है कि हाल के वर्षों में उनकी स्थिति में सुधार हुआ है। लेकिन यदि राज्यों के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की देयताएं और राज्यों द्वारा उनको दी गई सहायता से होने वाली देयताओं पर विचार किया जाए तो यह स्थिति उतनी उत्साहवर्धक नहीं होगी जितनी दिखाई देती है। अध्ययनों में ऐसे उदाहरण उल्लिखित हैं जिनमें यह बताया गया है कि सरकारी और निजी - दोनों क्षेत्रों में वित्तीय तथा गैर-वित्तीय संस्थाओं को बेलआउट दिए जाने के कारण सार्वजनिक क्षेत्र की समग्र वित्तीय स्थिति में परिवर्तन हो रहा है। यद्यपि राज्यों के कर्ज दायित्व में आकस्मिक देयताओं का भाग नहीं होता है, तथापि उधार लेने वाली संस्थाओं द्वारा चूक करने की स्थिति में, राज्यों को चूक करने वाली इस संस्थाओं के कर्ज की चुकौती का दायित्व पूरा करना होता है। इसलिए राज्य सरकारों के लोक वित्त के विश्लेषण में आकस्मिक देयताओं का अहम् महत्व है।

रिजर्व बैंक ने राज्य सरकार की गारंटियों से जुड़े राजकोषीय जेखिम का मूल्यांकन करने के लिए 2001 में एक का कार्यदल का गठन किया। इस दल ने पाया कि राज्यों की सही राजकोषीय स्थिति का विश्लेषण करने में एक बड़ी अड़चन यह है कि राज्य सरकारों के बजट में राज्यों द्वारा दी गई गारंटियों के डेटा के संबंध

में एक सुसंगत और मानक रिपोर्टिंग पैटर्न नहीं है, इसलिए दल ने बजट में गारंटी से जुड़े आंकड़ों की नियमित रिपोर्टिंग के लिए एक एक-समान फार्मेट की सिफारिश की। रिजर्व बैंक में 2003 में ‘राज्य सरकार गारंटीकृत अग्रिमों और बांडों से संबंधित जानकारी’ पर गठित एक आंतरिक कार्यदल ने जोर देकर कहा कि बाजार अनुशासन को प्रोत्साहित करने और राज्य सरकार द्वारा गारंटीकृत परियोजनाओं की उचित रेटिंग के लिए सूचना प्रकटीकरण में पारदर्शिता का होना काफी मायने रखता है। राज्य सरकारों द्वारा राजकोषीय पारदर्शिता बरतने में आयी वृद्धि, विशेषकर अपने-अपने यहाँ राजकोषीय जवाबदेही और बजट प्रबंध अधिनियम के अधिनियमन के बाद से 28 में से 20 राज्य अपने बजट दस्तावेजों (राजकोषीय जवाबदेही विधान के तहत विवरण) में बकाया गारंटी जैसी आकस्मिक देयताओं से जुड़ी सूचनाएं उपलब्ध करा रहे हैं। तथापि, केवल 14 राज्यों ने इन आंकड़ों को नियमित फार्मेट में उपलब्ध कराया है जिनमें से 9 राज्य बकाया जेखिम-भारित गारंटियों से जुड़ी सूचनाएं उपलब्ध कराते हैं। जीडीपी की तुलना में राज्य सरकारों की बकाया समेकित गारंटियों का अनुपात 1990-91 के 6.1 प्रतिशत से बढ़कर 2003-04 में 8.0 प्रतिशत हो गया, (जारी....)

लेकिन इसके बाद मार्च 2010 अंत में गिरकर 2.8 प्रतिशत हो गया। नवीनतम उपलब्ध जानकारी के अनुसार 14 राज्यों की बमाया गारंटियां मार्च 2011 के अंत में 1.3 ट्रिलियन रूपए हैं। राजकोषीय स्थिति पर गारंटियों के होनेवाले प्रभाव के महेनजर कई राज्यों ने गारंटियों पर उच्चतम सीमा (वैधानिक या प्रशासनिक) लगाने की दिशा में पहल की है। गारंटियों से जुड़े राजकोषीय जोखिमों को नियंत्रित करने के 10 राज्यों ने लिए गारंटी मोचन निधि स्थापित की है।

यद्यपि राज्य सरकारों द्वारा दी गई कुल बकाया गारंटियों की संख्या में कमी हुई है, लेकिन राज्यों द्वारा वित्तीय दृष्टि से रुग्ण एसपीएसयू को दी जाने वाली गारंटियों की भागीदारी में बढ़ोतरी चिंता का विषय बनी हुई है। इसके अलावा, यदि राज्यों के विद्युत उपयोगिता उपक्रमों सहित एसपीएसयू को दिए गए चुकौती आश्वासन पत्रों को ध्यान में लिया जाए तो यह जान पड़ता है कि राज्य सरकारों की आकस्मिक देयताएं, जैसा कि उनके बजट दस्तावेजों / वित्त खातों से मातृलूम होता है, उससे कहीं अधिक होंगी।

राज्य सरकार के स्तर पर आकस्मिक देयताओं का एक और रूप सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) से संबंधित है। तेरहवें वित्त आयोग ने उल्लेख किया कि पीपीपी परियोजनाओं में शामिल सार्वजनिक संस्थाओं के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दायित्व मौजूद हैं। एक ओर, एकधिक वर्षों में नियंत्रित वार्षिकी भुगतान

के रूप में मौजूद प्रत्यक्ष आकस्मिक देयताओं को स्पष्ट किया जाना चाहिए, वहीं दूसरी ओर अप्रत्यक्ष आकस्मिक देयताएं वे दायित्व हैं जिसके तहत निजी क्षेत्र के साझेदार को संरचना में परिवर्तन, दायित्व का उल्लंघन और करार के पहले खत्म हो जाने जैसी आकस्मिक स्थितियों में क्षतिपूर्ति देनी हो सकती है और इनकी मात्रा तय करना मुश्किल है। तेरहवें वित्त आयोग द्वारा केंद्र सरकार के लिए की गई सिफारिश की ही तर्ज पर राज्यों के लिए भी आवश्यक है कि वे मध्यम अवधि के अपने राजकोषीय नीति विवरण में पीपीपी परियोजनाओं से जुड़े व्यय दायित्व की मात्रा तय करें, ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि बड़ी संख्या में अधिकांश राज्य परियोजना कार्यान्वयन के लिए पीपीपी तरीके का सहारा ले रहे हैं। कर्नाटक और तमिलनाडु की सरकारों ने 2012-13 के अपने बजट दस्तावेज में ‘सार्वजनिक निजी साझेदारी में देयताएं’ पर एक विवरण शामिल किया है।

संदर्भ:

ए. सेबोट्राय (2008), ‘कॉन्ट्रीजेंट लायबिलिटीज़: ईसूज एंड प्रैक्टिस’, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष वर्किंग पेपर, डब्ल्यूपी/08/245, अक्टूबर।

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (2007), मैन्यूअल ऑन फिस्कल ट्रांसपरेंसी।

भारतीय रिजर्व बैंक (2002), ‘राज्य सरकारों की गारंटियों से जुड़े राजकोषीय जोखिम का मूल्यांकन करने हेतु गठित कार्य-दल की रिपोर्ट,’ जुलाई।

II.5.17 2011-12 के दौरान केंद्र सरकार के घाटा सकेतक राजकोषीय सुदृढ़ीकरण के लिए सोची गई राह के अनुरूप नहीं रहे और अर्थव्यवस्था में मंदी इसके लिए आंशिक रूप से जिम्मेदार थी जिसके चलते इनका राजस्व प्रभावित हुआ। कच्चे तेल की ऊंची कीमतों के कारण 2011-12 में सब्सिडी में भारी वृद्धि हुई जिससे सरकार का घाटा आगे और प्रभावित हुआ। एक विश्वसनीय राजकोषीय सुदृढ़ीकरण रणनीति के लिए आवश्यक है कि सब्सिडी को नियंत्रित करने के लिए कदम उठाए जाएं। उठाए जाने वाले हन कदमों में पेट्रोलियम उत्पादों तथा उर्वरकों के नियंत्रित मूल्यों को नियंत्रण-मुक्त करना, सरकारी व्यय को पूंजीगत व्यय की ओर मोड़ना और समग्र कार्यक्षमता में सुधार के लिए कर सुधार प्रक्रिया को तेज करना शामिल है। घाटे को नियंत्रित करना बाह्य स्थिरता के लिए आवश्यक है और साथ-ही-साथ मौद्रिक नीति की प्रभावोत्पादकता में सुधार लाने के लिए भी जरूरी है।

II. 6 बाह्य क्षेत्र

2011-12 में बाह्य क्षेत्र में स्थिति के बिंगड़ने से चिंता हुई

II.6.1 वर्ष 2011-12, विशेषतः: इसके उत्तराधि में, निम्नलिखित बातें प्रमुखता से देखी गईः बढ़ता चालू खाता घाटा(सीएडी), घटा हुआ इक्विटी प्रवाह, घटता विदेशी मुद्रा भंडार, बढ़ता हुआ बाह्य ऋण और अंतरराष्ट्रीय निवेश की बदतर होती स्थिति। ये सकेत कह रहे हैं कि बाह्य क्षेत्र की आघात सहनीयता कमज़ोर पड़ रही है और इस प्रकार नीति निर्माताओं के लिए यह एक बड़ी चुनौती है।

II.6.2 भारत का भुगतान संतुलन 2011-12 की तीसरी तिमाही में उल्लेखनीय रूप से बिंगड़ने के बाद चौथी तिमाही में और दबाव में आ गया जिसने अब तक देखे गए इस मौसमी प्रवृत्ति को झुठला दिया कि अंतिम तिमाही में चालू खाता घाटे (सीएडी) में सामान्यतः कमी आती है। आयात वृद्धि की तुलना में निर्यात वृद्धि के तेजी से घटने से, व्यापार घाटा बढ़ा। इसके साथ निवल सेवा निर्यात की वृद्धि में तीव्र ह्वास के संयुक्त प्रभाव ने सीएडी-जीडीपी अनुपात को चौथी तिमाही में और बढ़ाकर 4.5 प्रतिशत कर दिया, जिससे पूरे वर्ष का अनुपात 4.2 प्रतिशत की ऊँचाई पर पहुँच गया। यह चालू खाता घाटे के कायम रखे जाने वाले स्तर से काफी अधिक है जिसके सबंध में, मंथर वृद्धि को देखते हुए, जीडीपी के लगभग 2.5 प्रतिशत पर होने का आकलन है। 2011-12 की चौथी तिमाही में विदेशी मुद्रा भंडार की निकासी में भी यह बात दिखाई पड़ी क्योंकि पूँजी व वित्त खाते के अंतर्गत आनेवाले निवल प्रवाह, चालू खाता घाटे (सीएडी) के वित्तपोषण के लिए पर्याप्त नहीं थे।

II.6.3 आगे, पहले के बढ़े हुए दामों के मुकाबले वैश्विक तेल की कीमतों में आई कमी और स्वर्ण आयातों में कुछ नरमी यदि कायम रही, तो चालू खाता घाटे पर इनका सकारात्मक प्रभाव पड़ने की आशा है। इन कारकों के बावजूद, इसकी संभावना है कि चालू खाता घाटे की अधिकता तनाव का कारण बने, विशेषतः: जब आने वाले पूँजीगत प्रवाह कम बने रहे। अमेरिका, यूरो क्षेत्र व चीन समेत वैश्विक विकास की कमज़ोर संभावनाओं, वैश्विक व्यापार में सुस्ती और सरकारी ऋण संकट से जन्म ले रही जोखिम से बचने की नई

प्रवृत्ति भारत के भुगतान संतुलन स्थिति को होने वाले खतरे के कारण हैं।

II.6.4 2011-12 में सामने आई बाह्य क्षेत्र की कमज़ोरी के पीछे घरेलू व वैश्विक दोनों प्रकार के कारण थे। अमेरिकी डॉलर, सभी प्रमुख मुद्राओं की तुलना में मजबूत हुआ, सिवाय येन के। परिणामतः भारतीय रूपया और साथ ही कई उभरते बाजारों की मुद्राएं भी काफी दबाव में आ गईं। वैश्विक पर्याय, विशेषतः तेल व सोने की कीमतें चढ़ीं। भारत में इन वस्तुओं की माँग की प्रकृति तुलनात्मक रूप से लोचविहीन होने के कारण चालू खाता घाटा काफी तेजी से बढ़ा। साथ ही, बढ़ते राजकोषीय घाटे से निजी खपत में उछल आया जिसने आयात को बढ़ाने में योगदान दिया। जहाँ निवेश का माहौल बदतर हुआ वहाँ बचत के भी कमज़ोर हो जाने के चलते सीएडी बढ़ा ही रहा। इन सभी कारकों के मिले-जुले प्रभाव के कारण बढ़ते सीएडी का वित्तपोषण अधिक मुश्किल हो गया। इसके चलते रूपया विनिमय दर भी दबाव में आ गया। इसके अलावा, देशी मुद्रासंकीति के अधिक होने के चलते मुद्रासंकीतीय अंतर पैदा हुआ जिसने मुद्रा को कमज़ोर करने में भी योगदान दिया।


II.6.5 2011-12 में कमज़ोर वैश्विक आर्थिक व वित्तीय परिस्थितियों ने भारत के बाह्य क्षेत्र पर प्रतिकूल प्रभाव डाला। वाणिज्य वस्तुओं के निर्यात में मामूली वृद्धि के साथ आयात में मजबूत वृद्धि के संयुक्त प्रभाव ने व्यापार घाटे में जीडीपी के 3 प्रतिशत अंक की बढ़ोतरी करते हुए इसे 2011-12 में जीडीपी के 10.0 प्रतिशत तक पहुँचा दिया जो कि अब तक का सर्वाधिक है। इसके साथ अदृश्य प्राप्तियों में सुस्त बढ़ोतरी के कारण सीएडी जीडीपी के 4 प्रतिशत के पार चला गया। सीएडी का यह स्तर 1966-67 के 3.1 प्रतिशत के सीएडी/डीजीपी अनुपात और 1990-91 के 3.0 प्रतिशत से काफी अधिक रहा; जबकि उक्त दो मौकों पर देश को भुगतान संतुलन के संकट का सामना करना पड़ा था। अंतरराष्ट्रीय पूँजी बाजारों में बेहतर पहुँच व विनिमय दर के लचीलेपन के कारण इस बार हमारी अर्थव्यवस्था बाह्य क्षेत्र के झटकों को बिना किसी भुगतान संकट के छेल गई। अटकली हमले (स्पेक्यूलेटिव अटैक्स) और संभावित पूँजी पलायन के प्रति बीमा के रूप में, उच्च विदेशी मुद्रा भंडार मौजूद था और भंडार में हुई क्षति को विनिमय दर समायोजन एक्सचेंज रेट एडजस्टमेंट) से संभाला गया।

II.6.6 वैश्विक वित्तीय अनिश्चितता के चलते जोखिम प्रवणता में कमी आई और 2011-12 की तीसरी तिमाही से उभरती व

विकासशील अर्थव्यवस्थाओं (ईडीईज) की ओर जाने वाले पूँजी प्रवाह में अस्थिरता व कमी आई। पूँजी प्रवाहों में कमी आने के कारण चालू खाता घाटे (सीएडी) को अंशतः विदेशी मुद्रा भंडार के आहरण से वित्तपोषित करना पड़ा। वाणिज्यिक उथारियों में उल्लेखनीय वृद्धि के चलते बाह्य ऋण में हुई बढ़ोतरी, निर्यात ऋणों तथा अल्पावधि ऋण के कारण 2011-12 में बाह्य क्षेत्र की संवेदनशीलता दर्शने वाले सकेतकों ने और बदतर संभावनाएं व्यक्त कीं।

निर्यात में मंदी और आयात की स्थिति असहज बनी रहने से व्यापार में भारत का प्रदर्शन कमज़ोर रहा

II.6.7 विकसित अर्थव्यवस्थाओं में वृद्धि की स्थिति के सुस्त बने रहने से 2011-12 के उत्तरार्ध में उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं से निर्यात की बाहरी माँग कमज़ोर पड़ने लगी। इससे संबंधित नरमी भारतीय निर्यात वृद्धि में भी कमी के रूप में दिखाई पड़ी (चार्ट II.38, परिशिष्ट सारणी 17)। इसके प्रभावों ने ईएमई के व्यापार को संकुचित कर दिया और व्यापार में विविधता से होने वाले लाभों को भी सीमित कर दिया। वर्ष की पहली छमाही में 41.0 प्रतिशत की औसत मासिक वृद्धि दर्ज करने के बाद, निर्यात अपनी गति नहीं बनाए रख सका और 2011-12 की दूसरी छमाही में लगभग 7.6 प्रतिशत की गति से बढ़ पाया। 2011-12 में दर्ज 21.3 प्रतिशत की समग्र निर्यात वृद्धि दर, 2010-11 की लगभग आधी थी। इसके विपरीत, 2011-12 में आयात वृद्धि अधिक रही जो मुख्यतः पीओएल तथा सोना और चाँदी के आयात के चलते थी।



II.6.8 कच्चे तेल तथा सोना व चाँदी की अंतरराष्ट्रीय कीमतों के तेजी से बढ़ने के बावजूद, इनके आयात 2011-12 में


बॉक्स II.18 भारत में स्वर्ण की माँग का निर्धारक

विश्व स्वर्ण परिषद (वर्ल्ड गोल्ड काउन्सिल) की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक सोने की खपत में वर्ष-दर-वर्ष 17 प्रतिशत की कमी आई है, परंतु सर्वाधिक खपत अभी भी भारत में है और चीन का स्थान दूसरा है। डीजीसीआई एंड एस के आँकड़ों में 2011-12 में भारत के स्वर्ण आयात के 39 प्रतिशत बढ़े होने का आकलन है। विश्व स्वर्ण परिषद (वर्ल्ड गोल्ड काउन्सिल) के अनुसार, 2011-12 में विश्व में स्वर्ण की कुल माँग का एक चौथाई हिस्सा भारत द्वारा आयात किया गया है। पिछले दशक में भारत में औसतन सालाना 29 प्रतिशत की वृद्धि स्वर्ण खपत में और 18 प्रतिशत की वृद्धि सोने की कीमत में देखी गई है तथा इस प्रकार इसने देश की वास्तविक जीडीपी और मुद्रास्फीति को पीछे छोड़ दिया है। 2008-09 से 2011-12 के दौरान स्वर्ण आयात की मात्रा औसतन 12 प्रतिशत बढ़ी जबकि 2005-06 से 2007-08 में इसमें 5 प्रतिशत की गिरावट आई थी।

बड़ी मात्रा में सोने के आयात से विदेशी मुद्रा की उपलब्धता दूसरे आयातों (यथा कच्चे माल, मध्यवर्ती-वस्तुएं और पूँजीगत उपस्कर आदि) के लिए घट जाती है जो कि उत्पादकता के लिहाज से अधिक उपयोगी हो सकते हैं (वैद्यनाथन, 1999)।

हाल की अवधि में सोने के दाम बढ़े हैं फिर भी मात्रा व मूल्य दोनों प्रकार से स्वर्ण आयात तेजी से ऊपर गया है (चार्ट ए)। घरेलू खपत/ निवेश तथा आभूषण के रूप में स्वर्ण का पुनर्नियात भारत में स्वर्ण के आयात के कारण है। नियात वाले कुल रत्नों व आभूषणों में स्वर्ण आयात की मात्रा के पिछले ढेरों के आधार पर, आकलन है कि 2011-12 में स्वर्ण पुनर्नियात लगभग 7 बिलियन अमेरिकी \$ (डॉलर) का था।

भारत में स्वर्ण की माँग के मजबूत बने रहने का कारण है कि इसे अच्छा रिटर्न देने वाले एक सुरक्षित निवेश आस्ति के रूप में देखा जाता है जो साथ ही साथ आभूषण की माँग पूरा करने वाली उपभोग आस्ति (कन्ज्यप्पशन एसेट) का भी काम करती है। बैंक डिपॉजिट्स और स्टॉक मार्केट सरीखे निवेश के अन्य माध्यमों के मुकाबले, सोने में निवेश पर वास्तविक रिटर्न रेट का अधिक होना भी देश के निवासियों द्वारा स्वर्ण निवेश में वृद्धि का कारण प्रतीत होता है। पुनर्श, बैंकों द्वारा लोगों के बीच स्वर्ण को निवेश आस्ति के रूप में बढ़ावा देने की




उल्लेखनीय रूप से बढ़े और व्यापारिक वस्तुओं (मर्केडाइज) के आयात में इनका योगदान 43.1 प्रतिशत का रहा (बॉक्स

विभिन्न योजनाओं के चलते सोने की डिमांड और बढ़ रही है। पिछले 11 वर्षों में, स्वर्ण ने 18.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष का चक्रवृद्धि वार्षिक रिटर्न दिया है।

गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसीज) ने भी स्वर्ण में निवेश को कई प्रकार से बढ़ावा दिया है। एनबीएफसीज की ओर से स्वर्ण ऋण आसानी से उपलब्ध कराए जाने के कारण सोने की माँग बढ़ी। स्वर्ण ऋणों की माँग के ट्रैड एवं स्वर्ण आयात पर इसके प्रभावों की परीक्षा करने के लिए रिजर्व बैंक ने अप्रैल 2012 में एनबीएफसीज द्वारा स्वर्ण ऋण पर कार्य-दल (वर्किंग ग्रूप ऑन गोल्ड लोन्स बाइ एनबीएफसीज) का गठन किया। हाल की अवधि में देखा गया स्वर्ण आयात का ऊंचा स्तर एक बड़ी समस्या बन गया है, विशेषकर समग्र रूप में बाह्य क्षेत्र की स्थिति के बिगड़ने की पृष्ठभूमि में। स्वर्ण आयातों की कीमतों में हाल की लोचहीन प्रकृति से व्यापार संतुलन व सीएडी पर काफी दबाव पड़ा है। यदि तेल व स्वर्ण आयातों को हटाकर व्यापार संतुलन को देखें तो, पिछले चार वर्षों के व्यापार घाटे (ट्रैड डेफिसिट) में उल्लेखनीय कमी आती दिखाई देगी (चार्ट बी)। पुनर्श, घरेलू/परिवारों के (हाउसहोल्ड) वित्तीय बचत का रुख स्वर्ण निवेश की ओर हो जाने से हाल के वर्षों में सावधि जमा राशियों की वृद्धि (2006-07 से 2008-09 में 23.1 प्रतिशत की तुलना में 2009-10 से 2011-12 में 16.7) पर भी असर पड़ा होगा। चूंकि स्वर्ण में किए गए ये निवेश पूँजी निर्माण में योगदान नहीं करते, इसलिए यह कहा जा सकता है कि समग्र निवेश व आर्थिक विकास पर भी इसका असर पड़ने की संभावना है।

स्वर्ण की माँग की संवेदनशीलता पर विधिवत् अध्ययन बहुत कम है। शर्मा आदि विद्वानों ने (1992) स्वर्ण के मूल्य, ग्रामीण अधिशेष (सरप्लस), ग्रामीण आय वितरण, अलेखित (अनएकाउंट) आय/धन मुख्यतः जो सेवा क्षेत्र में पैदा होता है, वैकल्पिक फाइनैंसिंग एसेट्स पर रिटर्न रेट तथा भारत में स्वर्ण की माँग को प्रभावित करने वाले सामान्य स्तर की पहचान की। वैद्यनाथन (1999) ने देखा कि शेयर कीमतों एवं अंतरराष्ट्रीय स्वर्ण कीमतों की तुलना में स्वर्ण का मूल्य, स्वर्ण आयात का एक प्रमुख निर्धारक रहा है।

1998-2012 की अवधि के वार्षिक आँकड़ों पर आधारित एक आनुभविक विश्लेषण बताता है कि वास्तविक प्रति व्यक्ति आय वृद्धि और मुद्रास्फीति भारत में स्वर्ण आयात के प्रधान निर्धारक हैं। डब्ल्यूपीआई-मुद्रास्फीति का



(जारी...)

सकारात्मक एवं सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण कोएफिसिएंट संभवतः यह बताता है कि स्वर्ण का उपयोग मुद्रास्फीति के प्रति हेज के रूप में भी किया गया होगा। रिप्रेसन के परिणाम, मूल्य-मात्रा माँग के नकारात्मक संबंध का समर्थन नहीं करते, क्योंकि परंपरागत स्तरों पर स्वर्ण की कीमतों के कोएफिसिएंट सांख्यिकीय दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं थे। तथापि, यह परिणाम चार्ट-ए द्वारा बताए गए ट्रेंड के अनुसार है। यह संभव है कि समष्टि आर्थिक अनिश्चितताओं को देखते हुए, 2007-08 के बाद स्वर्ण की माँग ऊँची कीमतों के बावजूद बढ़ी, विशेषतः इसलिए कि खुदरा निवेशकर्ता स्वर्ण में निवेश को सुरक्षित मानते हैं। स्वर्ण का आयात रोकने के लिए हाल में कई नीतिगत कदम उठाए गए हैं। मानक स्वर्ण (स्टैंडर्ड गोल्ड) आयात पर मूलभूत (बेसिक) कस्टम ड्यूटी को 2 प्रतिशत से बढ़ाकर 4 प्रतिशत कर दिया गया तथा गैर-मानक स्वर्ण (नॉन-स्टैंडर्ड गोल्ड) पर 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत। इसी प्रकार, स्वर्ण ऋणों में एनबीएफसी के तेजी से बढ़ते एक्सपोज़र को समझते हुए रिजर्व बैंक ने विवेक-सम्मत

(प्रूडेंशियल) कदम उठाए जिसके तहत एनबीएफसी को कहा गया है कि स्वर्ण आभूषण के संपार्शीक (कोलैटरल) पर दिए गए ऋणों के लिए ऋण व मूल्य के अनुपात को 60 प्रतिशत से अधिक न होने दिया जाए तथा अपने बैलेंस शीट में अपने कुल आस्तियों की तुलना में ऐसे ऋणों का प्रतिशत बताया जाए।

संदर्भ :

शर्मा, ए. ए. वासुदेवन, के. सभापति और महुआ रॉय (1992), "गोल्ड मोबिलाइजेशन एजेन्स इंस्ट्रुमेंट ऑफ एक्सटर्नल एडजस्टमेंट", डीआरजी स्टडी न.3, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, अप्रैल।

वैद्यनाथन, ए (1999), "कंजंप्शन ऑफ गोल्ड इन इंडिया", इकनॉमिक एंड पोलिटिकल विकली, फरवरी।

वर्ल्ड गोल्ड काउन्सिल (2011), क्वार्टरली गोल्ड डिमान्ड ट्रेंड्स (<http://www.gold.org> पर उपलब्ध)।

II.18)। निवल पीओएल आयात की मात्रा में 2003-07 की अपेक्षा 2008-12 में 35 प्रतिशत की वृद्धि में अर्थव्यवस्था में तेल की प्रधानता (2003-07 में जीडीपी के 4.7 प्रतिशत की तुलना में 2012 में 7.0 प्रतिशत) दिखाई देती है। 2012 में तेल से इतर व स्वर्ण से इतर आयात की वृद्धि में कमी का कारण आर्थिक मंदी और 2011-12 की दूसरी छमाही में रूपये के मूल्यहास का प्रभाव हो सकता है। वैश्विक विकास की कमज़ोर संभावनाओं ने भी 2011-12 में शुरुआत से ही निर्यात संबंधी वस्तुओं के आयात को प्रभावित किया। निर्यात संबंधी वस्तुओं के आयात पर, मोती और मूल्यवान/अर्ध-मूल्यवान पत्थरों के आयात में कमी तथा रसायनों (केमिकल्स) के आयात में घटती वृद्धि का, मुख्य प्रभाव पड़ा। तथापि, 2011-12 में थोक वस्तुओं और पूँजीगत वस्तुओं के आयात की वृद्धि दर में बढ़ोतरी हुई। पूँजीगत वस्तुओं के घरेलू उत्पादन में 2011-12 में 4.0 प्रतिशत की गिरावट देखी गई और ऐसा प्रतीत होता है कि पूँजीगत वस्तुओं का आयात इसका स्थान ले रहा है।

II.6.9 2012-13 में निर्यात अब तक (अप्रैल-जुलाई) 5.1 प्रतिशत की कमी दर्ज करते हुए 97.6 बिलियन यूएएस \$ पर आ गया है जबकि पिछले वर्ष तत्संबंधी अवधि में यह 102.8 बिलियन यूएएस \$ था जो कि यूरो क्षेत्र में देर तक कायम मंदी और अमेरिका व अन्य उभरती बाज़ार अर्थव्यवस्थाओं में विकास में आई कमी को दर्शाता है। आकलन है कि हस्तशिल्प, वस्त्र तथा रत्न व आभूषण जैसे श्रम-प्रधान क्षेत्रों पर इस मंदी की बड़ी जबर्दस्त मार पड़ी। इसी अवधि में, गत वर्ष की तुलनीय अवधि के 163.8 बिलियन यूएएस \$ की तुलना में, 6.5 प्रतिशत की गिरावट दर्ज करते हुए आयात

153.2 बिलियन यूएएस \$ पर चला आया जिसकी वजह घरेलू माँग में कमी और निर्यात में कमी थी क्योंकि कुछ आयातित सामग्रियों का उपयोग निर्यात संबंधी उद्योगों में इनपुट के रूप में होता है। जून 2012 में सरकार द्वारा ब्याज संसाहायकी (इंटरेस्ट सबर्भेशन) और क्षेत्र विशेष को दिए गए प्रोत्साहनों के रूप में घोषित कदमों का निर्यात के प्रदर्शन पर असर दिखना अभी शेष है।

यूरो क्षेत्र में भारत का व्यापार एक्सपोज़र सीमित है

II.6.10 भारत के निर्यात का 3.5 प्रतिशत से कुछ कम तथा आयात का 1.7 प्रतिशत यूरो क्षेत्र के पाँच संकटग्रस्त देशों - ग्रीस, पुर्तगाल, स्पेन, आयरलैंड और इटली- को मिलाकर होता है। तथापि, 2011-12 की तीसरी तिमाही के वैश्विक घटनाक्रम ने यूरो क्षेत्र के संकट के बढ़ने के भय को पुनर्जीवित कर दिया। भारत व अन्य उभरती हुई और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं (ईडीईज़) में इसका प्रभाव स्पष्ट था, हालांकि इसका स्वरूप व्यापारिक व वित्तीय संबंधों व यूरो क्षेत्र के बैंकों के एक्सपोज़रों के अनुसार विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं में अलग-अलग था। निर्यात में विविधता लाने के सरकार के प्रयासों के फलस्वरूप भारत के कुल निर्यात में विकासशील अर्थव्यवस्थाओं का हिस्सा हाल में क्रमशः बढ़ा है। तथापि, विकसित अर्थव्यवस्थाओं की मंथर चाल का प्रभाव जैसे-जैसे अन्य ईडीईज़ पर क्रमशः पड़ना शुरू हुआ, निर्यात में विविधता के प्रयासों के नतीजे विगत वर्षों की तरह नहीं रहे। गंतव्य-वार कहा जाए तो, ओपेक अर्थव्यवस्थाओं, यूरोपीय संघ और अन्य विकासशील अर्थव्यवस्थाओं, खास तौर से अफ्रीका व लैटिन अमेरिकी अर्थव्यवस्थाओं के नए उभरते गंतव्यों में भारत के निर्यात वृद्धि में 2011-12 में आई कमी काफी अधिक थी।


ग्लोबल ट्रेड अलर्ट के आँकड़े बताते हैं कि 2011 की तीसरी तिमाही में विकसित व उभरती अर्थव्यवस्थाओं में घोषित संरक्षणवादी कार्वाइयां उतनी ही ऊँची रहीं जितनी कि 2009 के सबसे बुरे दौर में थीं। निर्यात-वृद्धि में कमी की चिंता को देखते हुए, सरकार ने जून 2012 में कई निर्यात-वर्धक उपाय घोषित किए जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ व्याज संसहायकी (इंटरेस्ट सबभेंशन) और जीरो ड्यूटी एक्सपोर्ट प्रोमोशन कैपिटल गुड्स (ईपीसीजीज) योजना का मार्च 2013 तक विस्तार और फोकस मार्केट स्कीम (एफएमएस), स्पेशल एफएमएस स्कीम और फोकस प्रॉडक्ट स्कीम के तहत कवरेज का विस्तार शामिल हैं।

2011-12 के उत्तरार्ध में चालू खाता घाटे के वित्तपोषण को लेकर चिंता हुई

II.6.11 2011-12 में भारत के सीएडी में हुई वृद्धि प्रधानतः व्यापार संतुलन (परिशिष्ट सारणी 18) के बिंगड़ने के कारण थी। 2011-12 में व्यापारिक वस्तु व्यापार घाटा जीडीपी के 10.0 प्रतिशत की ऐतिहासिक ऊँचाई पर था। व्यापार घाटा जनित चालू खाता घाटे का वित्तपोषण पहली छमाही में आसानी से कर लिया गया, क्योंकि एफडीआई के मजबूत आगम एवं बाह्य वाणिज्यिक उथार व व्यापार ऋण में बढ़ोतरी के कारण पूँजी आगम में उछाल आया था (परिशिष्ट सारणी 19)। तथापि 2011-12 की तीसरी तिमाही में न केवल सीएडी उल्लेखनीय रूप से बढ़ गया, बल्कि पूँजी आगम में भी नरमी आ गई थी क्योंकि बढ़ती वैश्विक अनिश्चितताओं ने वैश्विक निवेशकों के जोखिम उठाने के उत्साह को प्रभावित कर दिया। 2011-12 में सीएडी का स्तर 2010-11 से 70.1 प्रतिशत ऊँचा था (चार्ट II.42)।

II.6.12 संचयी आधार पर, 2011-12 के दौरान सीएडी, जीडीपी का 4.2 प्रतिशत रहा। निवल सेवा निर्यात में हुई बढ़ोतरी इतनी कम थी कि उससे 2011-12 में सीएडी पर उच्च व्यापार घाटे के प्रतिकूल प्रभाव की भरपाई नहीं हो सकती थी। सेवाओं के निर्यात में वृद्धि 2010-11 के 34.4 प्रतिशत की तुलना में 2011-12 में घटकर 7.1 प्रतिशत रही तथा सेवाओं के आयात की बात की जाए तो 2010-11 में इसमें 39.4 की वृद्धि हुई थी जबकि 2011-12 में 7.3 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। प्रमुख निर्यात बाजारों में मंदी के बावजूद, सेवाओं के कुल निर्यात में 44 प्रतिशत की हिस्सेदारी

चार्ट II.39: भुगतान संतुलन के प्रमुख घटकों की प्रवृत्ति




सीएडी: चालू खाता(करेट अकाउंट)शेष; टीबी: व्यापार संतुलन;
एनआईवी: निवल अदृश्य मर्दें; आरईएस: रिजर्व में परिवर्तन;
एनकेए: निवल पूँजी खाता

वाले सॉफ्टवेयर सर्विसेज की प्राप्तियों में ऊँची वृद्धि जारी रही (चार्ट II.40)।


दूसरी व तीसरी तिमाही में पूँजी आगम में गिरावट आई पर चौथी तिमाही में स्थिति सुधारी

II.6.13 2011-12 में पूँजी के आगम की प्रवृत्ति में एक महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिला (चार्ट II.41)। पूँजी व वित्त खाते

चार्ट II.40: अदृश्य प्राप्तियों के प्रमुख घटकों की वृद्धि



चार्ट II.41: पूँजी प्रवाह के प्रमुख घटकों की प्रवृत्ति (निवल)



एफडीआई: विदेशी प्रत्यक्ष निवेश; पोर्टफोलियो: पोर्टफोलियो निवेश;
ईसीबी: बाह्य वाणिज्य उधार; एनआरआई: अनिवासी भारतीय जमाराशियां;
एसटीसी: अत्यावधि व्यापार ऋण

(आईएमएफ के भुगतान संतुलन मैन्यूअल के छठे संस्करण के अनुसार भुगतान संतुलन के पूँजी खाते का पुराना विभाजन) के अंतर्गत निवल आगम में पहली तिमाही में उछाल था। पूँजी आगम में कमी की शुरुआत तो दूसरी तिमाही में हो गई थी पर तीसरी तिमाही में यह कमी और अधिक हो गई जिसका मुख्य कारण व्यापार ऋण में निवल चुकौती और संविभाग आगम में कमी थी। देश में आने वाले एफडीआई के प्रत्यावर्तन (रिपैट्रिएशन) के बढ़ने और बाहर से लिए गए उधारों की उच्चतर चुकौती से भी बहिर्वाह में वृद्धि हुई। पूँजी अंतर्वाह में कमी आने के कारण तीसरी तिमाही में सीएडी के वित्तपोषण के लिए विदेशी मुद्रा भंडार का आहरण जरूरी हो गया (परिशिष्ट सारणी 20)। तीसरी तिमाही में उल्लेखनीय मात्रा में आहरण के कारण, विदेशी मुद्रा भंडार (मूल्यांकन को लेकर) मार्च 2011 के 304.8 बिलियन अमरीकी डॉलर से घटकर मार्च 2012 के अंत में 294.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया।

अंतरराष्ट्रीय निवेश स्थिति का बिगड़ना और अत्यावधि ऋण का बढ़ना नीतिगत चिंता का विषय बना हुआ है।

II.6.14 वैश्विक वित्तीय परिस्थितियों व भारत की बाह्य स्थिति के बिगड़ने के चलते वर्ष के दौरान उठाए गए विभिन्न नीतिगत कदमों के फलस्वरूप ऋण को जन्म देने वाले प्रवाहों को प्रोत्साहन मिला जैसे एफआईआई द्वारा ऋण लिखतों में निवेश, एनआरआई जमाराशियां में निवेश एवं बाह्य वाणिज्यिक उधार। चालू खाता धाटे के वित्तपोषण के नजरिये से तो ये आगम ठीक रहे, परंतु इनके परिणामस्वरूप


भारत का बाह्य ऋण भी बढ़ा। मार्च 2011 के अंत के स्तर की तुलना में मार्च 2012 में भारत के बाह्य ऋण की कुल वृद्धि में, बाह्य वाणिज्यिक उधारियों, एनआरआई जमाराशियों और व्यापार ऋण का समग्र रूप में 77 प्रतिशत का योगदान था (परिशिष्ट सारणी 21)।

II.6.15 ऋण प्रवाहों पर अधिकाधिक निर्भरता और सीएडी के वित्तपोषण हेतु विदेशी मुद्रा भंडार के आहरण के कारण, बाह्य क्षेत्र की संवेदनशीलता दर्शने वाले संकेतकों में 2011-12 में काफी खराब स्थिति देखने को मिली। आयात का रिजर्व कवर, कुल बाह्य ऋण की तुलना में अल्पकालिक ऋण का अनुपात, कुल ऋण की तुलना में विदेशी मुद्रा भंडार का अनुपात और ऋण चुकौती अनुपात वर्ष के दौरान बिगड़े (चार्ट II.42)। 2011-12 में भारत की अंतरराष्ट्रीय निवल निवेश स्थिति भी कमज़ोर हुई।

ऐसे प्रवाहों को बढ़ाए जाने की आवश्यकता है जो ऋण न पैदा करें

II.6.16 2011-12 में सीएडी के वित्तपोषण में ऋण प्रवाहों पर अधिक निर्भरता को देखते हुए, नीतिगत प्रयासों से ऐसे प्रवाहों को बढ़ाए जाने की आवश्यकता है जो ऋण न पैदा करें ताकि भारत की बाह्य देयताओं की संरचना सुविधाजनक स्तर पर रहे। इस संदर्भ में, बीमा के अलावा पेंशन क्षेत्र में सुधार आवश्यक है। बीमा, रीटेल, उड्डयन और शहरी बुनियादी क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश प्रवाह को और बेहतर करने की जरूरत है।

चार्ट II.42: बाह्य ऋण संकेतक



II.6.17 इस संदर्भ में, मल्टी-ब्रैंड रीटेल में 51 प्रतिशत तक एफडीआई की अनुमति और सिंगल-ब्रैंड रीटेल में एफडीआई पर सभी सीमाओं को हटाकर भारतीय संगठित रीटेल क्षेत्र को उदार बनाने के प्रस्ताव पर 2011-12 के दौरान गहन चर्चा की गई। यद्यपि विभिन्न हितधारकों के एकमत न होने के कारण मल्टी ब्रैंड रीटेल संबंधी प्रस्ताव को स्थगित रखा गया है, सरकार ने जनवरी 2012 में सरकारी अनुमोदन मार्ग के तहत सिंगल ब्रैंड रिटेलिंग में एफडीआई सीमा को 51 प्रतिशत से बढ़ाकर 100 प्रतिशत कर दिया। एफडीआई मल्टी ब्रैंड रिटेलिंग के मामले में आशंकाओं का मुख्य कारण प्रतियोगियों को खत्म करने के नीयत से रखी गई कीमतों या लागत से कम कीमतें रखने के तौर-तरीके से हैं जो कि बड़े रीटेल चेन्स कर सकते हैं। कीमतें तय करने के ऐसे तरीके छोटे किराना भंडारों को बाजार से बाहर कर सकते हैं और छोटी दुकानों के न होने पर एकाधिकार वाली स्थिति बनेगी। इन आशंकाओं के विपरीत अंतरराष्ट्रीय अनुभव समग्र तौर पर यह बताता है कि रिटेलिंग में एफडीआई के आने से प्रतियोगिता बढ़ती है। अनुभवजन्य साक्ष्य भी बताते हैं कि रीटेल के मैदान में स्पर्धा के बढ़ने से कीमतें घटती हैं जिससे उपभोक्ताओं का ही कल्याण अधिक होता है और सबसे ज्यादा फायदा कम आय वाले परिवारों को होता है। पृष्ठभूमि के बुनियादी ढाँचे (बैक एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर) जैसे कृषि व पोल्ट्री उत्पादों के लिए कोल्ड स्टोरेज आदि में निवेश को बढ़ाकर आपूर्ति शृंखला (सप्लाइ चेन) के प्रबंधन को बेहतर करने में एफडीआई रीटेल विशेष मददगार साबित हो सकता है। पिछले दो दशकों में पूर्वी एशिया के कई देशों को एफडीआई में रीटेल से फायदा हुआ है। रिटेलिंग और होलसेलिंग चीन में एफडीआई आगम के एक बड़े क्षेत्र के रूप में भी उभरा है।

II.6.18 यह महत्वपूर्ण है कि हाल के वर्षों में, एफडीआई के बहिर्वाह के बढ़ने का ट्रेंड वैसा है जैसा कि कई दूसरी उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं में देखा गया है। 2011-12 में भारत से बाहर जाने वाले एफडीआई का स्टॉक 112 बिलियन अमेरिकी\$ को छू गया। एक ओर जहाँ, इन निवेशों के चलते प्रतियोगिता के बढ़ने व वृहत्तर बाजार तक पहुँचने के फ़ायदे मिलते हैं, वहीं समग्र एफडीआई नीति में घरेलू निवेश के हितों के लायक संतुलन को बनाए रखना है। इसके अलावा, भारतीय कंपनियों द्वारा विदेश स्थित अपने संयुक्त उपक्रमों (ज्वाइंट वेंचर्स)/ पूर्ण स्वामित्व वाली अनुंगी कंपनियों के नाम गारंटी जारी किए जाने में लगातार/ घातक वृद्धि (एक्सपोनेंशियल राइज), संबंधित बैंकों एवं स्वयं कंपनियों के लिए


भी चिंता का एक संभावित कारण हो सकता है। इस पर कड़ी नज़र रखने की ज़रूरत है।

वैश्विक मुद्रा उतार-चढ़ाव और घरेलू समष्टि आर्थिक कमज़ोरी के कारण रूपए का मूल्यहास

II.6.19 वित्तीय वर्ष 2011-12 के अंतिम चार महीनों में अधिकांशतः एक दायरे में रहने के बाद वैश्विक अनिश्चितता एवं घरेलू समष्टि आर्थिक कमज़ोरी के कारण 2001 के अगस्त से मध्य दिसंबर तक रूपए में 17 प्रतिशत तक का मूल्यहास हुआ। एस एंड पी द्वारा अमेरिकी अर्थव्यवस्था की रेटिंग में कमी, गहराते यूरो संकट, और विश्वसनीय समाधान प्रक्रिया के अभाव ने वैश्विक वित्तीय बाजारों में जोखिम की भूख घटा दी और निवेशकों ने डॉलर को सुरक्षित आस्ति मानकर उस ओर पलायन किया। नतीजन, जब यूएस डॉलर का मूल्य बढ़ा तो अधिकांश मुद्राएं दबाव में आ गई जिसमें येन ही एक उल्लेखनीय अपवाद रही (चार्ट II.43)। रूस के सिवाय, सामान्यतः, चालू खाता घाटे वाले देशों में उन देशों की तुलना में तीव्रतर मूल्यहास हुआ जिनके यहाँ चालू खाता अधिशेष (करेंट अकाउंट सरप्लस) की स्थिति थी।

II.6.20 मुद्रा बाजारों में अत्यधिक दबावों को देखते हुए, रिज़र्व बैंक ने डॉलर की बिक्री के जरिये विदेशी मुद्रा बाजार में हस्तक्षेप किया। रूपए को स्थिर करने के लिए बैंक ने पूँजी खाते से भी संबंधित कई कदम उठाए जैसे रूपए में मूल्यवर्गीत एनआरआई जमाराशियों

चार्ट II.43: डॉलर की तुलना में प्रमुख ईडीई मुद्राओं में उतार-चढ़ाव



* : अगस्त 2011 की तुलना में 22 जून 2012 को विनियम दर उतार-चढ़ाव का हिसाब। कोष्टक के आंकड़े वर्ष 2012 में डब्ल्यूआई द्वारा आकलित/अनुमानित सीएची के हैं, सिवाए भारत के मामले में, जिसके अक्टूबर-दिसंबर 2011 का वास्तविक ऑक्झा-बिंदु दिया गया है।

पर ब्याज दरों से विनियमन हटाना और 3-5 वर्ष की औसत परिपक्वता वाले ईसीबी के लिए संपूर्ण लागत सीमा को बढ़ाना आदि। एफआईआई हेतु दीर्घावधि इंफास्ट्रक्चर बॉन्ड्स (अमेरिकी \$ 25 बिलियन की कुल सीमा के भीतर अमेरिकी \$ 5 बिलियन तक) की अवरुद्धता अवधि (लॉक-इन पीरियड) को घटाकर एक वर्ष कर दिया गया और सरकारी प्रतिभूतियों व कॉरपोरेट बॉन्ड्स, प्रत्येक में एफआईआई के लिए सीमा में अमेरिकी \$ 5 बिलियन तक की वृद्धि करते हुए इन्हें क्रमशः अमेरिकी \$ 20 बिलियन अमेरिकी \$ 45 बिलियन किया गया।

II.6.21 विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर की आपूर्ति में सुधार लाने और सट्टे/अटकलों (स्पेक्यूलेशन) पर लगाम कसने के लिए लगातार उठाए गए कदमों के परिणामस्वरूप, फरवरी 2012 की शुरुआत में रुपया 11 प्रतिशत ऊपर चढ़ा परंतु मई- 2012 के अंत तक उसमें 13 प्रतिशत से अधिक की गिरावट आ गई।

II.6.22 व्यापार घाटे के बढ़ने, पूँजी प्रवाहों- विशेषतः एफआईआई आगम -के सूखने और यूरो से ग्रीस के बाहर निकलने की आशंकाओं के कारण रुपये पर नये सिरे से दबाव पड़ा (चार्ट II.44)। आगम को बेहतर करने और साथ ही रुपये में अस्थिरता को कम करने के लिए रिजर्व बैंक ने मई और जून 2012 में अतिरिक्त कदम उठाए। मई 2012 में निम्नलिखित कदम उठाए गए: एफसीएनआर(बी) जमाराशियों पर ब्याज दर सीमा में वृद्धि, विदेशी मुद्रा में निर्यात ऋण


पर ब्याज दर सीमा का विनियंत्रण(डिरेग्यूलेशन), ईईएफसी खाते के 50 प्रतिशत शेष का रूपया शेष में परिवर्तन का आदेश।

II.6.23 जून 2012 में भारत सरकार के साथ परामर्श करके कुछ और कदम उठाए गए जिसमें निम्नलिखित भी हैं: पूँजीगत व्यय संबंधी रुपया ऋण के भुगतान हेतु भारतीय कंपनियों को अनुमोदन मार्ग के तहत ईसीबी की अनुमति, सरकारी-प्रतिभूतियों में एफआईआई निवेश की सीमा में 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर की वृद्धि करके इसे 20 बिलियन अमेरिकी डॉलर किया जाना, जिन म्यूचुअल फंडों की कम से कम 25 प्रतिशत आस्तियां बुनियादी क्षेत्र में हैं उनमें पात्र विदेशी निवेशक की उप-सीमा के अंतर्गत निवेश की अनुमति और सरकारी-प्रतिभूतियों के लिए निवेशक आधार में विस्तार जिससे कुछ दीर्घावधि निवेशक वर्गों को शामिल किया जा सके जैसे सोवरिन वेल्थ फंड्स, इंश्योरेंस फंड्स और पेंशन फंड्स। इन उपायों के बावजूद, 2012-13 में अब तक (14 अगस्त 2012 तक) रुपये में 8.1 प्रतिशत की गिरावट देखी गई। 6-, 30-, और 36- मुद्रा समूहों पर आधारित आरईआर (रीर) में भी गिरावट आई (परिशिष्ट सारणी 13)।

भारत का विदेशी मुद्रा भंडार घटा

II.6.24 2011-12 की दूसरी छमाही में भारी आहरण के कारण 2011-12 में भंडार में कमी आई। ऋण की तुलना में विदेशी मुद्रा भंडार का अनुपात भी घटा। तथापि, भंडार की पर्याप्तता को देखें तो विभिन्न वैकल्पिक मानकों के लिहाज से भारत की स्थिति अभी भी सुविधाजनक बनी हुई है। पारंपरिक संकेतकों को लें तो, अनुभव कहता है कि कम से कम 3 महीनों के आयात के लायक भंडार जरूरी हैं, जबकि वर्तमान भंडार 7.1 महीनों के आयात को कवर कर सकते हैं और इस प्रकार इसमें स्थिति सुविधाजनक है। इसी प्रकार, अल्पकालिक ऋण की तुलना में रिजर्व का स्तर भी 377 प्रतिशत पर है जो कि ग्रीनस्पैन-गोइडोटी नियम के अंतर्गत बताए 100 प्रतिशत के स्तर से काफी अधिक है। अप्रैल 2012 की अपनी स्टाफ रिपोर्ट में, आईएमएफ ने कहा है कि भारत के रिजर्व का कवरेज पर्याप्त है (2011 की सकल बाह्य वित्तपोषण आवश्यकताओं का 1.8 प्रतिशत) और बाह्य ऋण, जो जीडीपी का लगभग 20 प्रतिशत रहा है, दूसरे प्रमुख उभरते बाजारों की तुलना में अच्छा है।

II.6.25 आगे, कमज़ोर रुपया, अन्य नीतिगत कार्रवाइयों की मदद से चालू खाता घाटे पर लगाम कसने में मदद कर सकता है। तथापि,



बाह्य क्षेत्र के परिदृश्य पर लगातार निगरानी रखने की जरूरत है ताकि मूल्य से प्रभावित नहीं होने वाले आयात -जैसे तेल व स्वर्ण-व्यापार घाटे पर प्रतिकूल प्रभाव न डाल पाएं तथा सीएडी संभाले जा सकने लायक दायरे में रहे और भारत के विदेशी मुद्रा भंडार पर बोझ न बने। समष्टि आर्थिक व बाह्य क्षेत्र की नीतियों को और अधिक विवेकपूर्ण होने की जरूरत है ताकि निकट भविष्य में बाह्य क्षेत्र के जोखिमों को दूर रखा जा सके। विशेषतः इसलिए कि, समय

के साथ ऋण पैदा करने वाले प्रवाह बढ़ गए हैं और बाहरी आघातों से अर्थव्यवस्था के आहत होने की संभावनाएं बढ़ गई हैं। चूँकि वैश्विक आर्थिक व वित्तीय स्थितियां बहुत अनिश्चित बनी हुई हैं, इसमें आत्मसंतोष के लिए कोई स्थान नहीं है। भारत के व्यापार एवं चालू खाते में बढ़ते असंतुलन से उत्पन्न कमज़ोरियों पर नीति निर्माताओं को ध्यान देना होगा और ऐसा नीतिगत व कारोबारी परिवेश तैयार करना होगा जिससे विदेशी निवेशकर्ताओं का विश्वास बढ़े।

भाग दो: भारतीय रिज़र्व बैंक की
कार्यप्रणाली और परिचालन

III

मौद्रिक नीति का परिचालन

मौद्रिक नीति को 2011-12 में वित्तीय वर्ष की पहली छमाही में मुद्रास्फीति के गहराने से जुड़े जोखिम और असंतुलित मुद्रास्फीति प्रत्याशाओं तथा वर्ष की दूसरी छमाही में मुद्रास्फीति-रोधी रुक्षान को बनाए रखते हुए भी देशी वृद्धि में काफी गिरावट की स्थिति से निपटना पड़ा। इसके अतिरिक्त, ढांचागत तथा कई अस्थायी कारकों के कारण चलनिधि की कमी के संतोषजनक स्तर से अधिक रहने के चलते स्थायी प्रकार की प्राथमिक चलनिधि उपलब्ध कराने के लिए रिज़र्व बैंक को सक्रियता से चलनिधि प्रबंधन का कार्य करना पड़ा। इस प्रकार वृद्धि एवं मुद्रास्फीति के उभरते आयामों में दिसंबर 2011 के मध्य तक मौद्रिक नीति का रुक्षान सख्ती की ओर रहा, परंतु वर्ष की शेष अवधि में नीति दरों में परिवर्तन को रोक रखा गया, हालांकि चलनिधि को बढ़ाने के लिए आरक्षित नकदी निधि अनुपात में कटौती के साथ-साथ खुला बाजार परिचालन किए गए। 2012-13 के दौरान अब तक अर्थव्यवस्था में गिरावट के लक्षण दिखाई देने पर रिज़र्व बैंक ने नीति दरों में कटौती की उपलब्ध गुंजाइश का उपयोग करते हुए नीतिगत कार्रवाई समय से पहले अप्रैल 2012 में ही शुरू कर दी, परंतु मुद्रास्फीति संबंधी चिंताएं बनी रहने से जून तथा जुलाई 2012 में नीति दरों में पूर्व की स्थिति बरकरार रखी। उत्पादक क्षेत्रों में ऋण की उपलब्धता बढ़ाने के लिए जुलाई 2012 में सांविधिक चलनिधि अनुपात में कमी की गई।

III.1 रिज़र्व बैंक की मौद्रिक नीति का रुक्षान दिसंबर 2011 तक मुख्यतः मुद्रास्फीति को रोकने तथा मुद्रास्फीति प्रत्याशा को स्थिर रखने के उद्देश्य से निर्देशित था। परंतु बाद में वृद्धि दर में तेजी से गिरावट आने के कारण रिज़र्व बैंक को वृद्धि स्थिरता और कम तथा स्थिर मुद्रास्फीति के उद्देश्यों के बीच संतुलन स्थापित करना पड़ा। चलनिधि की स्थिति सामान्यतः संतोषजनक रही, परंतु नवंबर 2011 से मार्च 2012 के दौरान चलनिधि की कमी रही। चलनिधि की कमी की स्थिति अस्थायी तथा ढांचागत - दोनों ही प्रकार के स्वतंत्र कारकों की ओर संकेत करती है जिनमें सरकार की नकद शेष राशि की स्थिति का कमी से अधिशेष में बदल जाना, ऋण और जमाराशि के बीच के अंतर होना, संचलन में स्थित मुद्रा में वृद्धि, रुपये की विनिमय दर में आए अत्यधिक उत्तर-चढ़ाव को रोकने के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा विदेशी मुद्रा बाजार में हस्तक्षेप किए जाने से रुपया चलनिधि में आई गिरावट शामिल हैं। रिज़र्व बैंक ने चलनिधि में स्वतंत्र कारणों से आई कमी से निपटने के लिए भारी मात्रा में खुला बाजार परिचालन किया तथा आरक्षित नकदी निधि अनुपात में कटौती की। इन प्रयासों के चलते 2012-13 की दूसरी तिमाही

में अब तक (13 अगस्त 2012) चलनिधि की कमी की स्थिति सुधरकर संतोषजनक स्तर की ओर बढ़ने लगी।

मौद्रिक नीति परिचालन : संदर्भ तथा औचित्य

III.2 मौद्रिक नीति ने 2011-12 के प्रारंभ में ऊंची तथा निरंतर बनी हुई मुद्रास्फीति की समस्या का सामना किया। मुद्रास्फीति के दबाव में और बढ़ोतरी होने के लक्षण दिखाई दे रहे थे जिन्होंने मुद्रास्फीति प्रत्याशा के बढ़ने का जोखिम पैदा किया। अतः मौद्रिक नीति को, यहां तक कि अल्पावधि में वृद्धि दर में थोड़ी गिरावट की कीमत पर भी, मुद्रास्फीति के दबाव को रोकने के लिए संतुलित किया गया।

III.3 हेडलाइन थोक मूल्य सूचकांक अप्रैल-नवंबर 2011 के दौरान औसतन 9.7 प्रतिशत के उच्च स्तर पर बना रहा जो रिज़र्व बैंक के संतोषजनक स्तर से काफी अधिक है। अप्रैल-नवंबर 2011 के दौरान मांग के दबाव के संकेतक के रूप में खाद्येतर विनिर्माण मुद्रास्फीति औसतन 7.7 प्रतिशत पर रही जबकि यह पिछले छह वर्षों के दौरान 4.0 प्रतिशत थी। खाद्येतर विनिर्माण

उत्पाद मुद्रास्फीति का लंबे समय तक बने रहने का आंशिक कारण उत्पादकों की मूल्य निर्धारण की भारी शक्ति है जिसके चलते वे वस्तुओं की बढ़ती निविष्टि तथा मजदूरी लागतों को सुदृढ़ मांग के कारण ग्राहकों को अंतरित कर पाते हैं।

III.4 विद्यमान मुद्रास्फीति के दबावों से निपटने एवं अप्रैल-नवंबर 2011 के दौरान अनुमानित मुद्रास्फीति के घटने-बढ़ने की सीमा को ध्यान में रखते हुए रिजर्व बैंक ने मई तथा जुलाई - प्रत्येक में 50 आधार अंकों की बढ़ोतरी सहित प्रमुख नीति रिपोर्ट में पांच बार में संचयी रूप में 175 आधार अंकों की वृद्धि की (सारणी III.1)।

III.5 मुद्रास्फीति दायरे के अनुसार जहां दिसंबर 2011 तक मुद्रास्फीति के दबाव में कुछ कमी आने का संकेत था वहीं घरेलू वृद्धि दर में गिरावट के स्पष्ट संकेत मिल रहे 7थे जो बिगड़ते वैश्विक हालात, पहले की गई मौद्रिक नीतिगत कड़ाई तथा घरेलू नीतिगत अनिश्चितताओं के समग्र असर की वजह से थे। इन घटनाक्रमों को ध्यान में रखते हुए दिसंबर 2011 की मध्य-तिमाही समीक्षा में नीति दरों में बदलाव को स्थगित रखने का संकेत दिया गया। रिजर्व बैंक

सारणी III.1: प्रमुख नीति चरों में उतार-चढ़ाव

(प्रतिशत)

प्रभावी होने की तारीख	रिपोर्ट दर	आरक्षित नकदी निधि अनुपात	सांविधिक चलनिधि अनुपात
1	2	3	4
मई 3, 2011	7.25 (+0.50)	6.00	24.00
जून 16, 2011	7.50 (+0.25)	6.00	24.00
जुलाई 26, 2011	8.00 (+0.50)	6.00	24.00
सितंबर 16, 2011	8.25 (+0.25)	6.00	24.00
अक्टूबर 25, 2011	8.50 (+0.25)	6.00	24.00
जनवरी 28, 2012	8.50 (-0.50)	5.50	24.00
मार्च 10, 2012	8.50 (-0.75)	4.75	24.00
अप्रैल 17, 2012	8.00 (-0.50)	4.75	24.00
जून 18, 2012	8.00	4.75	24.00
अगस्त 11, 2012	8.00	4.75	23.00 (-1.00)

टिप्पणी: 1. रिपोर्ट चलनिधि के अंतर्वेशन को दर्शाता है।

2. कोष्ठकों के आंकड़े प्रतिशत अंकों में नीति दरों में परिवर्तनों को दर्शाते हैं।

ने अपने मार्गदर्शन में यह उल्लेख किया कि वृद्धि में गिरावट के बढ़ते जोखिम को ध्यान में रखते हुए मौद्रिक नीति संबंधी कार्रवाई की दिशा इस चक्र में बदलाव लाने की ओर होगी। परंतु यह कार्रवाई मुद्रास्फीति में पूर्वानुमान के अनुसार गिरावट आने पर निर्भर करेगी।

III.6 2011-12 की चौथी तिमाही के प्रारंभ से मुद्रास्फीति में गिरावट आने के संकेत मिल रहे थे। परंतु इस अवधि में वृद्धि के प्रति जोखिम में बढ़ोतरी हुई जिसके कारण तीसरी तिमाही समीक्षा में 2011-12 के लिए जीडीपी में वृद्धि दर के अनुमान को 7.6 प्रतिशत से कम करके 7.0 प्रतिशत कर दिया गया। इस अवधि में मौद्रिक नीति संबंधी प्रमुख चिंता चलनिधि की व्यापक कमी की थी जो रिजर्व बैंक के संतोषजनक स्तर से कहीं अधिक थी। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि अर्थव्यवस्था की चलनिधि संबंधी ढांचागत बाधाओं को यदि दूर नहीं किया जाता है तो उससे ऋण के प्रवाह में बाधा उत्पन्न हो सकती है और वृद्धि के प्रति जोखिम में और बढ़ोतरी हो सकती है, रिजर्व बैंक ने प्रणाली में स्थायी प्रकार की प्राथमिक चलनिधि उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 28 जनवरी 2012 तथा 10 मार्च 2012 को आरक्षित नकदी निधि अनुपात में दो बार में संचयी रूप में 125 आधार अंकों की कमी की। चलनिधि संबंधी हस्तक्षेप सक्रियता से करते समय मौद्रिक नीति के सामने चुनौती यह थी कि कुछ गिरावट के बावजूद मुद्रास्फीति संतोषजनक स्तर से ऊपर थी तथा अर्थव्यवस्था में दबी हुई मुद्रास्फीति का स्तर काफी अधिक था।

III.7 अप्रैल 2012 तक क्रमशः संकेत मिल गया था कि अर्थव्यवस्था की गिरावट पहले के अनुमान से कहीं अधिक थी। वृद्धि के संवेगों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 17 अप्रैल 2012 को प्रमुख नीति रिपोर्ट दर को 50 आधार अंक करके 8 प्रतिशत कर दिया गया। नीति दरों में कमी करते समय भी रिजर्व बैंक ने यह उल्लेख किया कि मुद्रास्फीति के प्रति जोखिम बना हुआ है जिनके कारणों में राजस्व व्यय के कारण हुआ उच्च राजकोषीय घाटा, नियंत्रित मूल्य में की गई बढ़ोतरी के असर का विलंबित अंतरण, कच्चे तेल के मूल्य की अनिश्चितता तथा खाद्य वस्तुओं की मांग-आपूर्ति संबंधी ढांचागत असंतुलन शामिल हैं। यह उल्लेख किया गया कि इन जोखिमों के चलते दरों में और कटौती की संभावना काफी सीमित रह जाती है।

III.8 जून 2012 में वैश्विक आर्थिक तथा वित्तीय स्थितियों में स्पष्ट क्रमजोगी आने के साथ-साथ घरेलू वृद्धि दर में कमी कमी आने के चलते कई गंभीर चिंताएं उभरकर आईं। साथ ही, हेडलाइन

मुद्रास्फीति उस स्तर से अधिक बनी रही जो वहनीय वृद्धि के अनुकूल होती। रिजर्व बैंक का आकलन था कि कार्यकलापों में आई गिरावट के पीछे विशेष रूप से निवेश सहित कई कारक जिम्मेदार थे जिनमें ब्याज दर की भूमिका तुलनात्मक दृष्टि से कम थी। तदनुसार, यह विचार किया गया कि ऐसे समय में यदि नीति ब्याज दरों में और कमी की जाती तो उससे मुद्रास्फीति में बढ़ोतरी हो सकती थी और समष्टि आर्थिक जोखिम बढ़ सकता था। इन कारकों को ध्यान में रखते हुए रिजर्व बैंक ने जून 2012 की अपनी मध्य तिमाही मौद्रिक नीति समीक्षा में सीआरआर तथा नीति रिपो दर को अपरिवर्तित रखने का निर्णय लिया।


III.9 वर्तमान समय में जहां वैश्विक अर्थव्यवस्था एक साथ गिरावट का सामना कर रही है वहीं घरेलू समष्टि आर्थिक स्थिति, विशेष रूप से वृद्धि दर में गिरावट आना तथा मुद्रास्फीति का लगातार बने रहना, चिंता का कारण बनी हुई है। इस पृष्ठभूमि में जुलाई 2012 की मौद्रिक नीति के रुज्जान को मुद्रास्फीति तथा मुद्रास्फीति प्रत्याशाओं को नियन्त्रित करने, मध्यावधि में वहनीय वृद्धि के पथ को समर्थन देने एवं उत्पादक क्षेत्रों में ऋण की उपलब्धता आसान बनाने के लिए चलनिधि उपलब्ध कराते रहने जैसे विचारों ने आकार दिया। नीतिगत रुज्जान के इस दृष्टिकोण के अनुसार रिजर्व बैंक ने नीति दरों के संबंध में पूर्व की स्थिति को बनाए रखा, परंतु 11 अगस्त 2012 से प्रारंभ होने वाले पखवाड़े से अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की सांविधिक चलनिधि अनुपात को एनडीटीएल के 24.0 प्रतिशत से घटाकर 23.0 प्रतिशत कर दिया।

III.10 आगे वैश्विक रिकवरी में आई बाधाओं और इसके परिणामस्वरूप आसान वैश्विक मौद्रिक स्थिति के बने रहने तथा विश्व के विभिन्न भागों में मौसम संबंधी व्यवधानों के कारण खाद्यान्धों तथा वस्तुओं, विशेष रूप से कच्चे तेल की कीमतों, की स्थिति प्रतिकूल हो गई है। दमित मुद्रास्फीति तथा खाद्य वस्तुओं की मांग तथा आपूर्ति के ढांचागत अंतरों से हेडलाइन मुद्रास्फीति के प्रति जोखिम बना हुआ है। कम तथा असमान मानसून से खाद्य मुद्रास्फीति के प्रति अतिरिक्त जोखिम पैदा हो गया है। इसके अनुक्रम में खाद्य वस्तुओं तथा ईंधन की कीमतों के दबावों के चलते बनी हुई निरंतर ऊंची हेडलाइन मुद्रास्फीति से मुद्रास्फीति प्रत्याशा के असंतुलित हो जाने का काफी अधिक जोखिम उत्पन्न हो सकता है। इसके अलावा, ढांचागत क्षेत्र, ऊर्जा, धातु तथा श्रम जैसे कई क्षेत्रों में निवेश संबंधी

गतिविधियों में निरंतर गिरावट आने और आपूर्ति संबंधी बाधाओं के कागण संकट के बाद के परिदृश्य में वृद्धि दर की प्रवृत्ति में कमी किये जाने से वृद्धि दर में मामूली-सी बहाली होने पर भी मुद्रास्फीति में बढ़ोतरी होने का जोखिम बढ़ गया है। ऐसे परिदृश्य में मौद्रिक नीति में इस प्रकार बहुत ही बारीक संतुलन बनाए रखना होगा जिससे वृद्धि संबंधी अल्पावधि की चिंताओं का निराकरण करते समय मूल्य स्थिरता भी बनायी रखी जाती है ताकि मध्यावधि में वहनीय वृद्धि सुनिश्चित की जा सके।

मौद्रिक नीति की नई परिचालन प्रक्रिया

III.11 रिजर्व बैंक ने मई 2011 में मौद्रिक नीति की एक नई परिचालन प्रक्रिया की शुरुआत की जिसमें परिचालन का स्पष्ट लक्ष्य होगा, एकल नीति दर होगी तथा 100 आधार अंकों का एक औपचारिक कोरिडोर अर्थात् दायरा होगा जो नीति दर के दोनों ओर होगा और यह प्रक्रिया नीति दरों के रूप में रिपो तथा रिवर्स रिपो की प्रणाली, जिसमें स्पष्ट लक्ष्य तथा नियत औपचारिक दायरा नहीं था, का स्थान लेगी (विस्तृत विवरण के लिए वार्षिक रिपोर्ट 2010-11 का बाक्स III.2 देखें)। नई परिचालन प्रक्रिया लागू किए जाने के बाद मांग दर में स्थिरता आई तथा अग्रिम करों के भुगतान के कारण बहिर्वाह के चलते चलनिधि की स्थिति तंग होने से मांग दर के ऊपरी सीमा से बाहर चले जाने जैसे कुछ अवसरों को छोड़कर यह दर नियत कोरिडोर के अंदर बनी रही (चार्ट III.1)।



नई परिचालन प्रक्रिया के लागू होने से वित्तीय बाजारों का समन्वय भी बेहतर ढंग से हुआ तथा मांग दर में परिवर्तन पहले की अपेक्षा अन्य मुद्रा बाजार दरों के अनुरूप रहा। मांग दर का बेहतर संचरण ऋण बाजार के खंड में भी देखा गया तथा ऋण बाजार लिखतों की दर एवं मांग दर के बीच अधिक समन्वय देखा गया।

आधार दर प्रणाली का कार्यान्वयन

III.12 आधार दर प्रणाली जुलाई 2010 से लागू की गई और इसने 2003 में शुरू की गई बैंचमार्क मूल उधार दर प्रणाली का स्थान लिया। इसने ऋण के मूल्यन, कर्ज की दरों में पारदर्शिता बढ़ाने तथा मौद्रिक नीति के संचरण के आकलन में सुधार लाने में योगदान दिया

(बॉक्स III.1)। इस प्रणाली तथा 5 मई 2012 से विदेशी मुद्रा में निर्यात ऋण पर से ब्याज दरों का नियंत्रण समाप्त किये जाने से वाणिज्य बैंकों के उधार की ब्याज दरों पर से नियंत्रण पूर्णतः समाप्त हो गया।

बचत बैंक जमाराशि दरों पर से नियंत्रण समाप्त किया जाना

III.13 जैसा कि मौद्रिक नीति 2010-11 की दूसरी तिमाही समीक्षा में प्रस्ताव किया गया था, बचत बैंक जमाराशियों की ब्याज दरों पर से नियंत्रण समाप्त करने के संबंध में एक चर्चा-पत्र तैयार किया गया तथा आम जनता से सुझाव / प्रतिसूचना प्राप्त करने के लिए उसे 28 अप्रैल 2011 को बैंक की वेबसाइट पर डाला गया।

बॉक्स III.1

आधार दर प्रणाली : एक मूल्यांकन

गैर-पारदर्शी बीपीएलआर प्रणाली से उभरी चिंताओं का समाधान करने के लिए गठित कार्यदल (अध्यक्ष : श्री दीपक मोहनी) की सिफारिशों के आधार पर आधार दर प्रणाली की शुरुआत की गई (वार्षिक रिपोर्ट 2010-11 का बॉक्स III.1 देखें)। आधार दर प्रणाली की शुरुआत होने के बाद प्रणाली में चलनिधि की रिस्ति कमी के मोड में रही। इस अवधि में रिजर्व बैंक द्वारा नीति दर में किए गए बदलाव के अनुस्पृष्ठ बैंकों ने लगभग एक साथ तथा अधिक सक्रियता से अपनी आधार दरों में बदलाव किया। इस बात की पुष्टि इससे होती है कि जब-जब रिजर्व बैंक ने रिपो दर में क्रमशः वृद्धि की बैंकों ने भी अपनी आधार दरों में बढ़ोतरी की। प्रारंभ में अर्थात् जुलाई-दिसंबर 2010 के दौरान आधार दर में बदलाव की गति धीमी थी क्योंकि प्रणाली अधिशेष के मोड से कमी के मोड की ओर बढ़ रही थी। इसके परिणामस्वरूप, रिपो दर में की गई 75 आधार अंकों की वृद्धि के बाद आधार दरों में औसतन 58 आधार अंकों की बढ़ोतरी हुई। उसके बाद दरों में बदलाव करने की गति में तेजी आई तथा यह मार्च 2011 तक जारी रही (सारणी देखें)।

उसके बाद आर्थिक कार्यकलापों में वृद्धि की दर में क्रमशः गिरावट आने से तथा इसके परिणामस्वरूप विशेष रूप से 2011-12 की दूसरी छमाही में खाद्येतर ऋण की वृद्धि दर में गिरावट आने से रिपो दर में की गई बढ़ोतरी की तुलना में आधार दर में की गई बढ़ोतरी की गति धीमी रही, साथ ही आधार दर बढ़ाने हेतु लिए गए दिनों की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई। इसके अतिरिक्त, 17 अप्रैल 2012 को रिजर्व बैंक द्वारा रिपो दर में की गई 50 आधार अंकों की कटौती के बाद उन 24 बैंकों ने अपनी आधार दरों में अब तक (जुलाई 2012 तक) औसतन 23 आधार अंकों की कमी की जिनके पास सकल ऋण का लगभग 63 प्रतिशत हिस्सा था। रिपो दर में की गई कमी तथा सीआरआर में संचयी रूप में की गई कटौती का बैंकों की जमा तथा उधार दरों में अंतरण इन कारणों से प्रभावित हुआ: शेष जमाराशियों की उच्चतर भारित औसत लागत, सरकार द्वारा अधिक उधार लिया जाना, अनर्जक आस्तियों में हुई बढ़ोतरी तथा निरंतर बनी हुई उच्च मुद्रास्फीति।

समग्र रूप में, बीपीएलआर प्रणाली की तुलना में आधार दर प्रणाली में मौद्रिक नीति के असर के अंतरण में बेहतरी आई है।

सारणी: जमाराशि की दर तथा आधार दर में बढ़ोतरी की मात्रा तथा सरकारी क्षेत्र / निजी क्षेत्र के बैंकों द्वारा लिया गया समय

अवधि (माह-दर माह)	रिपो दर में परिवर्तन आरक्षित नकदी निधि (आधार अंक)	जमाराशि की दरों में आधार दर में औसत परिवर्तन (आधार अंक)	परिवर्तन (आधार अंक)	आधार दर को बदलने में लिये गये दिनों का औसत*	आधार दर में बदलाव करने वाले बैंकों की संख्या	जिन बैंकों ने आधार दर में बदलाव किया उनका क्रेडिट में हिस्सा (%)#	8
1	2	3	4	5	6	7	
जुलाई-दिसं. 2010	75	-	25-325	58	141	41	93.1
दिसं. 10-मार्च. 11	50	-	25-450	73	96	47	96.5
मार्च-मई 11	50	-	10-275	55	85	38	89.0
मई-अक्टू. 11	125	-	05-425	95	129	46	94.5
अक्टू. 11-मार्च 12	-	-125	05-500	29	93	13	9.7
मार्च-जुला. 12	-50	-	(-25)-(-400)	-23	247	24	62.6

- : कोई परिवर्तन नहीं का सूचक है। * आधार दर में पिछली बार किये गए बदलाव के बाद। # अंतिम बिंदु पर।

रिजर्व बैंक ने प्राप्त प्रतिसूचना और नियंत्रण समाप्त किये जाने के लाभ तथा हानियों पर विचार करने के बाद 25 अक्टूबर 2011 से

बचत बैंक की ब्याज दरों पर से नियंत्रण समाप्त करने का निर्णय लिया (बॉक्स III.2)।

बॉक्स III.2 बचत बैंक जमाराशि की ब्याज दर पर से नियंत्रण समाप्त करना - औचित्य तथा असर

ब्याज दर पर से नियंत्रण समाप्त करने की जो प्रक्रिया 1990 के दशक के प्रारंभ में शुरू हुई थी वह 1997 तक मोटे तौर पर पूरी हो गई। देयता पक्ष में चालू खाते पर ब्याज दर के अलावा बचत बैंक जमाराशि की ब्याज दर ही केवल ऐसी थी जो 25 अक्टूबर 2011 तक नियंत्रित थी। बचत बैंक जमाराशि की दरों पर से नियंत्रण समाप्त करने संबंधी चर्चा-पत्र में बचत बैंक जमाराशि की दरों पर से नियंत्रण समाप्त किए जाने के लाभ और हानि का उल्लेख किया गया है जो इस प्रकार है:

लाभ

- क) बचत जमाराशियों की ब्याज दर पर से नियंत्रण समाप्त किए जाने से इसकी ब्याज दर बाजार की स्थितियों के अनुसार अन्य ब्याज दरों की तरह लचीली होगी।
- ख) बचत जमाराशियों की ब्याज दर पर नियंत्रण रखे जाने से न केवल इसके आर्कषण में तुलनात्मक दृष्टि से कमी आई बत्कि इसने मौद्रिक नीति के असर के संप्रेषण पर भी प्रतिकूल असर डाला।
- ग) कुल जमाराशियों में एक बड़ा हिस्सा बचत जमाराशियों का होता है। परंतु ब्याज दर पर नियंत्रण होने से बैंकों के बीच इस खंड में प्रतिस्पर्धा न के बराबर थी और जमाकर्ता की भूमिका निष्क्रिय थी। इसके चलते नए उत्पाद को लाने में बाधा आई।

हानियां

- क) बचत जमाराशियां बैंकों के लिए सस्ती ब्याज दर वाली राशि का स्रोत रही है। इसके अतिरिक्त, बैंक बचत जमाराशियों के एक बड़े हिस्से को 'मुख्य' जमाराशियों के रूप में मानते हैं जिसका उपयोग दीर्घावधि आस्तियों के वित्तपोषण के लिए किया जाता है। उपर्युक्त तथा जमाराशियों के असमान वितरण के कारण अक्सर यह चिंता व्यक्त की जाती है कि नियंत्रण समाप्त किए जाने से गलत प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी जिसके चलते कुछ बैंकों से भारी मात्रा में जमाराशि निकल जाएगी और इससे उनके लिए आस्ति-देयता के असंतुलन का भारी जोखिम उत्पन्न होगा।
- ख) यदि गलत प्रतिस्पर्धा के कारण ब्याज दरों एवं निधि की समग्र लागत में बढ़ोतरी होती है तो लेन-देन की उच्च लागत के कारण बैंक शायद कम राशि की बचत जमाराशि रखने के लिए उत्साहित नहीं होंगे।
- ग) ऐसी स्थिति में यदि बचत जमाराशियों की ब्याज दरों काफी घट जाती है तो इसका छोटे बचतकर्ताओं/ पेंशनभोगियों को होने वाली आय पर प्रतिकूल असर पड़ेगा।
- घ) ब्याज दरों पर से नियंत्रण समाप्त किए जाने के बाद कुछ बैंक ऐसे जटिल उत्पाद ला सकते हैं जिसे बचतकर्ता शायद आसानी से न समझ सकें। ऐसी रणनीति के कारण बचत बैंक के उत्पादों को गलत तरीके से बेचने की प्रवृत्ति में बढ़ोतरी होगी।

नियंत्रण समाप्त किया जाना तथा उसका असर

चर्चा-पत्र के संबंध में विभिन्न संबंधित पक्षों से विभिन्न विचार प्राप्त हुए जिनमें बचत बैंक ब्याज दरों पर नियंत्रण समाप्त न करने से लेकर उनपर से नियंत्रण पूरी तरह समाप्त करने तक के सुझाव शामिल थे। रिजर्व बैंक ने इन सुझावों पर विचार किया। सभी बातों पर ध्यान देने के बाद यह विचार किया गया कि इस दिशा में आगे बढ़ने और स्थान ब्याज दरों पर से नियंत्रण समाप्त करने का यह उचित समय है। तदनुसार यह निर्णय लिया गया कि निम्नलिखित दो शर्तों के अधीन 25 अक्टूबर 2011 से बचत बैंक जमाराशि ब्याज दर पर से नियंत्रण समाप्त किया जाए (इसकी घोषणा मौद्रिक नीति 2011-12 की दूसरी तिमाही समीक्षा में की गई):

- पहला, प्रत्येक बैंक को 100 हजार रुपये तक की बचत बैंक की शेष राशि पर एक समान ब्याज दर देनी होगी चाहे खाते में इस सीमा तक कोई भी राशि हो।
- दूसरा, 100 हजार रुपये से अधिक की बचत बैंक शेष राशि पर बैंक चाहे तो विभेदक ब्याज दर लगा सकते हैं। परंतु, समान राशि के लिए दी जाने वाली ब्याज दरों में ग्राहकों के बीच किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए।

बचत बैंक जमाराशि की ब्याज दर पर से नियंत्रण समाप्त किए जाने के बाद से अब तक पांच निजी क्षेत्र के बैंकों, दस विदेशी बैंकों तथा एक सहकारी बैंक ने अपनी ब्याज दरों में 100-500 आधार अंकों के बीच बढ़ोतरी की है। सरकारी क्षेत्र के किसी भी बैंक ने अपनी बचत जमाराशियों की ब्याज दरों में अब तक बढ़ोतरी नहीं की है।

अभी तक बैंकों के बीच गलत प्रतिस्पर्धा नहीं देखी गई है। इसका कारण यह है कि जिन 15 अनुसूचित वाणिज्य बैंकों ने बचत जमाराशियों की दरों में बढ़ोतरी की है उनका समग्र जमाराशियों में हिस्सा केवल 4.2 प्रतिशत ही है। परंतु इस अवधि में इन 15 बैंकों की अपनी बचत जमाराशियों की वृद्धि दर औसत से अधिक रही है। परिणामस्वरूप, बैंकिंग प्रणाली की समग्र बचत जमाराशियों में इन बैंकों का हिस्सा नियंत्रण समाप्त किये जाने के बाद जुलाई 2012 तक 1.8 प्रतिशत से बढ़कर 2.1 प्रतिशत हो गया तथा इस अवधि में बचत बैंक जमाराशियों की कुल वृद्धि में इनका योगदान लगभग 5 प्रतिशत था।

नियंत्रण समाप्त किये जाने से पूर्व तथा बाद की अवधि में बचत बैंक खाता धारकों की निःशुल्क तथा शुल्क वाली दोनों सेवाओं के संबंध में सरकारी क्षेत्र, निजी क्षेत्र के तथा विदेशी बैंकों सहित 11 बैंकों में किए गए एक त्वरित सर्वेक्षण से ज्ञात होता है कि जिन बैंकों ने बचत जमाराशि ब्याज दरों में बढ़ोतरी की उहोंने नियंत्रण समाप्त किये जाने के बाद की अवधि में अब तक अपने गैर-ब्याज प्रभारों में बदलाव नहीं किया। परंतु इसके विपरीत जहां निजी क्षेत्र के दो प्रमुख बैंकों ने अपने गैर-बैंक प्रभारों में वृद्धि की वहीं सरकारी क्षेत्र के एक बैंक ने नियंत्रण की समाप्ति के बाद ऐसे प्रभारों में कमी की। चूंकि अधिकांश बैंकों ने अपनी बचत जमाराशि ब्याज दरों में अभी तक बदलाव नहीं किया है, अतः गैर-ब्याज प्रभारों में परिवर्तन की गति में अभी तेजी आनी बाकी है।

बॉक्स III.3

सीमांत स्थायी सुविधा और बैंक दर के बीच समन्वय

भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 49 के अनुसार रिजर्व बैंक को (समय-समय पर) उस मानक दर की घोषणा करनी चाहिए जिस दर पर वह अधिनियम के अनुसार खरीद करने के लिए पात्र विनिमय बिलों अथवा अन्य वाणिज्यिक पत्रों की खरीद अथवा पुनर्भुनाई करने के लिए तैयार है। रिजर्व बैंक द्वारा ऐसे पत्रों की भुगाई/ पुनर्भुनाई न किये जाने जाने से बैंक दर सक्रिय नहीं रही। इसके अलावा, मौद्रिक नीति के संचालन के लिए भी, मौद्रिक नीति का संकेत देने का कार्य बैंक दर में बदलाव के बजाए चलनिधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत रिवर्स रिपो दर तथा रिपो दर में बदलाव करके (3 मई 2011 तक) किया जाता रहा एवं (3 मई 2011 से) यह कार्य परिचालन की संशोधित प्रक्रिया के अंतर्गत नीति रिपो दर में बदलाव करके किया जा रहा है। इसके फलस्वरूप बैंक दर अप्रैल 2003 से 6 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रही।

बैंक दर-एकबारगी तकनीकी समायोजन

III.14 बैंक दर को 13 फरवरी 2012 से एकबारगी तकनीकी समायोजन करके सीमांत स्थायी सुविधा के अनुरूप बनाया गया है (बॉक्स III.3)। यह निर्णय मौद्रिक नीति के वर्तमान परिचालनात्मक ढांचे के संदर्भ में बैंक दर की प्रासंगिकता की समीक्षा के आधार पर लिया गया तथा यह स्पष्ट किया गया कि एकबारगी समायोजन को मौद्रिकी नीतिगत कार्रवाई के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए।

चलनिधि प्रबंधन

III.15 रिजर्व बैंक कई अन्य केंद्रीय बैंकों की तरह प्रणालीगत

रही। परिचालन की संशोधित प्रक्रिया के अंतर्गत सीमांत स्थायी सुविधा दर, जो नीति रिपो दर से 100 आधार अंक अधिक होती है, बैंक दर का कार्य करती है। बैंक दर बट्टा दर दर भी है, इसलिए तकनीकी तौर पर यह नीति रिपो दर से अधिक होनी चाहिए। रिजर्व बैंक ने बैंक दर को संदर्भ दर के रूप में लेने वाले विभिन्न संगठनों/ हितधारकों से चर्चा की तथा प्राप्त प्रतिसूचना के आधार पर यह निर्णय लिया गया कि बैंक दर सामान्यतः सीमांत स्थायी सुविधा के अनुरूप होनी चाहिए। तदनुसार यह निर्णय लिया गया कि 13 फरवरी 2012 को कारोबार की समाप्ति के समय से बैंक दर सीमान्त स्थायी सुविधा के समान होगी जिसके लिए एकबारगी तकनीकी समायोजन किया गया। रिजर्व की अपेक्षा में कमी संबंधी जो दंडात्मक ब्याज दरें बैंक दर से विशिष्ट रूप से जुड़ी हुई थीं वे भी तदनुसार संशोधित हुई मानी गईं।

चलनिधि को कमी के मोड में रखता है क्योंकि इससे मौद्रिक नीति के अंतरण में बढ़ोतरी होती है। इस लक्ष्य के अनुरूप 2011-12 की पूरी अवधि में चलनिधि की स्थिति सामान्यतः कमी के मोड में रही। परंतु ढांचागत तथा अस्थायी कारकों के चलते नवंबर 2011 के आरंभ से यह कमी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की मांग तथा मीयादी देयताओं के एक प्रतिशत के संतोषजनक स्तर के बाहर रही (कृपया भाग II.3 : मुद्रा तथा कर्ज में चलनिधि की स्थिति के संबंध में की गई चर्चा देखें)।

III.16 चलनिधि की स्थिति को सहज बनाने के लिए रिजर्व बैंक ने कई उपाय किए (बॉक्स III.4)।

बॉक्स III.4

चलनिधि प्रबंधन परिचालन

वर्ष 2011-12 के दौरान ढांचागत तथा अस्थायी कारकों के चलते चलनिधि की स्थिति में काफी बदलाव आया। अप्रैल 2011 के प्रारंभ में चलनिधि अधिशेष के मोड में थी परंतु बाद में अक्तूबर तक वह मुख्यतः घाटे के मोड में परंतु संतोषजनक स्तर पर आ गई तथा उसके बाद वर्ष की शेष अवधि में अत्यधिक कमी की स्थिति में रही।

8 अप्रैल 2011 को रिजर्व बैंक ने पूर्वोपाय के रूप में 6 मई 2011 तक अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को चलनिधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत निवल मांग तथा मीयादी देयताओं (एनडीटीएल) के एक प्रतिशत तक अतिरिक्त चलनिधि सहायता उपलब्ध करायी। इसके अतिरिक्त दैनिक आधार पर द्वितीय चलनिधि समायोजन सुविधा साथ-साथ चलाई गई। इसके अलावा वार्षिक मौद्रिक नीति की संशोधित परिचालन प्रक्रिया के अंग के रूप में 9 मई 2011 से सीमांत स्थायी सुविधा की शुरुआत किए जाने से दूसरी चलनिधि समायोजन सुविधा को समाप्त कर दिया गया।


चलनिधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत जहां रिपो नीलामी का संचालन पूर्वाह 9.30 से 10.30 बजे तक किया जाता रहा वहीं रिजर्व बैंक ने चलनिधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत रिवर्स रिपो नीलामी के परिचालन का समय 16 अगस्त 2011 से सभी कार्य दिवसों में अपराह्न 4.30 बजे से 5.00 बजे तक के समय अंतराल में बदल दिया। रिवर्स रिपो के परिचालन को अपराह्न में बदलने का मुख्य कारण बाजार सहभागियों को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जाना था कि वे आपस में कारोबार करें तथा मुद्रा बाजार में निधियों के नियोजन की सभी संभावनाएं समाप्त होने पर ही अतिरिक्त राशि रिजर्व बैंक में रखें। 2011-12 की पहली छमाही के दौरान चलनिधि की संतोषजनक स्थिति की जानकारी इस बात से मिलती है कि सीमांत स्थायी सुविधा का उपयोग केवल दो अवसरों पर अर्थात् 10 जून 2011 को 1 बिलियन रुपये के लिए तथा 15 जुलाई 2011 को 41.05 बिलियन रुपये के लिए किया गया।

(जारी...)

2011-12 की दूसरी तिमाही में चलनिधि की स्थिति जटिल हो गई जो अर्थोपाय अग्रिम / ओवरडाइप के स्तर में आई गिरावट, त्वाहर के मौसम में मुद्रा की मांग के बढ़ने से मुद्रा के परिचालन में हुई बढ़ोतरी तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विदेशी मुद्रा बाजार में परिचालन को प्रतिविवित करती है। रिजर्व बैंक ने नवंबर 2011 के दूसरे सप्ताह से चलनिधि की कमी का स्तर एनडीटीएल के (+/-) 1 प्रतिशत के अपने संतोषजनक संकेतक स्तर से अधिक होते ही 24 नवंबर 2011 से सरकारी प्रतिभूतियों में खुला बाजार परिचालन खरीद नीलामियों को चलाना शुरूकर दिया। अग्रिम कर के संबंध में हुए तिमाही बहिर्वाह एवं रिजर्व बैंक द्वारा किए गए विदेशी मुद्रा बाजार परिचालनों के कारण दिसंबर 2011 में चलनिधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत औसत दैनिक निवल चलनिधि अंतर्वेशन की राशि नवंबर 2011 के लगभग 920 बिलियन रुपये की तुलना में और बढ़कर लगभग 1,170 बिलियन रुपये हो गई (चार्ट 1)। दिसंबर 2011 के दौरान सीमांत स्थायी सुविधा का उपयोग छह बार किया गया।

अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को अपने चलनिधि प्रबंधन में लचीलापन लाने में सुविधा प्रदान करने के लिए रिजर्व बैंक ने 16 दिसंबर 2011 को चलनिधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत अतिरिक्त रिपो का परिचालन किया जो वर्तमान की चलनिधि समायोजन सुविधा तथा सीमांत स्थायी सुविधा व्यवस्थाओं के अतिरिक्त था। इसके अतिरिक्त, समग्र चलनिधि की उस समय की स्थिति को ध्यान में रखते हुए रिजर्व बैंक ने 21 दिसंबर 2011 को बैंकों को अपनी अतिरिक्त एसएलआर धारिताओं की जमानत पर सीमांत स्थायी सुविधा के अंतर्गत ओवरनाइट आधार पर राशि प्राप्त करने की अनुमति दी। यह अनुमति वर्तमान की उस सुविधा के अतिरिक्त थी जिसके अंतर्गत बैंकों को निर्धारित संबंधित चलनिधि अनुपात से एनडीटीएल के एक प्रतिशत कम तक की राशि प्राप्त करने की अनुमति पहले दी गई थी।

जनवरी 2012 के दौरान अन्य बातों के साथ-साथ रिजर्व बैंक द्वारा किए गए विदेशी मुद्रा बाजार परिचालनों से चलनिधि की स्थिति के दबाव में बने रहने से रिजर्व बैंक ने 28 जनवरी 2012 से अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के आरक्षित नकदी निधि अनुपात में 50 आधार अंक कमी करके उसे एनडीटीएल का 5.5 प्रतिशत कर दिया। रिजर्व बैंक ने बाजार के सहभागियों को अपने चलनिधि प्रबंधन में लचीलेपन



III.17 सरकार के नकदी शेष में गिरावट आने के साथ-साथ 2011-12 की दूसरी तिमाही में चलनिधि के दबाव में अब तक (13 अगस्त 2012 तक) कमी आई तथा यह रिजर्व बैंक के संतोषजनक स्तर अर्थात् एनडीटीएल के एक प्रतिशत के स्तर के आसपास बनी रही, जो इन उपायों का प्रभाव द्योतित करते हैं।

का लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से 10 फरवरी 2012 से रिपोर्ट करने के लिए नियमित शुक्रवार को चलनिधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत अतिरिक्त रिपो का परिचालन (दूसरा एलएएफ रिपो) फरवरी 2012 में चलनिधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत उपलब्ध कराई गई औसत दैनिक राशि जनवरी 2012 के लगभग 1290 बिलियन रुपये से और बढ़कर 1,405 बिलियन रुपये हो गई जो केंद्र की अतिरिक्त शेष राशि के बढ़ने को दर्शाती है।

मार्च 2012 के दौरान चलनिधि की स्थिति कठिन हो गई। रिजर्व बैंक ने एहतियाती उपाय के स्वरूप में 10 मार्च 2012 से सीआरआर में 75 आधार अंकों की कटौती की। मार्च 2012 में चलनिधि समायोजन सुविधा के जरिए उपलब्ध कराई गई औसत दैनिक निवल शेष राशि लगभग 1,570 बिलियन रुपये तक पहुंच गई। बैंकों द्वारा अपने तुलन-पत्र को समर्थन देने तथा नकदी रिजर्व को वर्ष के शुरुआत में ही बढ़ाने के प्रयासों के चलते 30 मार्च 2012 को चलनिधि समायोजन सुविधा के जरिए उपलब्ध कराई गई निवल चलनिधि की राशि अब तक के सर्वोच्च स्तर (2,028 बिलियन रुपये) तक पहुंच गई। माह के दौरान बैंकों ने सीमांत स्थायी सुविधा का उपयोग नौ बार किया।

अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को अपनी चलनिधि की स्थिति का प्रबंधन करने में लचीलापन प्रदान करने के उद्देश्य से रिजर्व बैंक ने 30 मार्च 2012 को अतिरिक्त चलनिधि समायोजन सुविधा-रिपो का तथा 31 मार्च 2012 को चलनिधि समायोजन सुविधा तथा सीमांत स्थायी सुविधा का परिचालन किया।

अप्रैल 2012 में चलनिधि की स्थिति घाटे के मोड़ में रही, अलबत्ता सरकार की नकद शेष राशि में मौसमी आहरण के चलते इसका स्तर कम था। परंतु बाद में चलनिधि समायोजन सुविधा तथा खुला बाजार परिचालनों के जरिए रिजर्व बैंक द्वारा चलनिधि का प्रबंधन सक्रियता से किए जाने से प्रणाली में चलनिधि के दबाव में कमी आई। कर्ज तथा जमानाराशि में वृद्धि के बीच के अंतर में कमी आने से भी चलनिधि की कमी को सीमित रखने में मदद मिली। चलनिधि का अधिक आधार उपलब्ध कराने के लिए रिजर्व बैंक ने अन्य उपाय भी किए। अप्रैल 2012 में सीमांत स्थायी सुविधा के अंतर्गत अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की उधार की सीमा को उनके एनडीटीएल के एक प्रतिशत से बढ़ाकर 2 प्रतिशत कर दिया गया। इसके अतिरिक्त, अनुसूचित बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) की नियांत ऋण पुनर्वित सुविधा की पात्रता सीमा 30 जून 2012 से प्रारंभ होने वाले पखवाड़े से पुनर्वित के लिए पात्र बनाया नियांत ऋण के 15 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दी गई। अनुमान है कि इससे बैंकों को 300 बिलियन रुपये से भी अधिक का अतिरिक्त चलनिधि समर्थन प्राप्त होगा। बाजार सहभागियों से अपराह्न के एलएएफ के समय में बढ़ोतरी किए जाने के संबंध प्राप्त सुझाव के बाद रिजर्व बैंक ने 16 जुलाई 2012 से चलनिधि समायोजन सुविधा तथा सीमांत स्थायी सुविधा के अंतर्गत अपराह्न 4.45 बजे से 5.15 बजे तक रिवर्स रिपो नीलामी आयोजित करने का निर्णय लिया। उत्पादक क्षेत्रों में ऋण की उपलब्धता सहज बनाने के लिए अतिरिक्त चलनिधि उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 11 अगस्त 2012 से शुरू होने वाले पखवाड़े से अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के साविधिक चलनिधि अनुपात को एनडीटीएल के 24.0 प्रतिशत से घटाकर 23.0 प्रतिशत कर दिया गया। अनुमान है कि इससे 680 बिलियन रुपये की अतिरिक्त चलनिधि उपलब्ध होगी।

समग्र मूल्यांकन

III.18 लगभग दो वर्षों तक मुद्रास्फीति के रिजर्व बैंक के सुविधाजनक स्तर से अधिक रहने की स्थिति से निपटने के लिए अप्रैल-नवंबर 2011 के दौरान मौद्रिक नीति की दिशा को ‘मुद्रास्फीति का प्रबंधन’ की ओर मोड़ दिया गया। इस परिवृद्धश्य

में मौद्रिक नीति इस विचार से निर्देशित थी कि लगातार ऊंचे स्तर पर बनी रही मुद्रास्फीति वहनीय दीर्घावधि वृद्धि के लिए हानिकारक है क्योंकि इससे अनिश्चितता की स्थिति बनने से वित्तीय बचत एवं निवेश - दोनों पर प्रतिकूल असर पड़ता है। अतः अल्पावधि में वृद्धि दर में कुछ गिरावट आ जाने की स्थिति के बावजूद मूल्य स्थिरता प्राप्त करने का लक्ष्य प्राथमिकता क्रम में आगे आ गया। वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही के आसपास वृद्धि दर के संकट के बाद की अवधि की प्रवृत्ति के स्तर से कम रहने के स्पष्ट संकेत मिल रहे थे। दिसंबर 2011 से मुद्रास्फीति में गिरावट आना शुरू हुआ। रिजर्व बैंक ने वृद्धि दर में आई गिरावट को ध्यान में रखते हुए अप्रैल 2012 में नीति दर में समय से पहले कमी की और वृद्धि

में आई गिरावट के अनुरूप नीति दर में समायोजन किया। फिर भी मुद्रास्फीति के बने रहने के जोखिम को देखते हुए मौद्रिक नीति को मुद्रास्फीति प्रत्याशा को स्थिर रखते हुए वृद्धि के संवेगों को समर्थन देने एवं मुद्रास्फीति के दबाव को फिर से प्रबल होने को रोकने के बीच बारीक संतुलन स्थापित करना होगा। वर्ष के दौरान मौद्रिक नीति को ढांचागत चलनिधि की बाधाओं का समाधान करना पड़ा तथा चलनिधि का प्रबंधन सक्रियता से इस प्रकार करना पड़ा कि यह मामूली कमी की स्थिति में रहे जो प्रभावी मौद्रिक अंतरण के अनुरूप हो। इससे चलनिधि की उपलब्धता बढ़ाने संबंधी उपायों और मौद्रिक नीति के रुझान के बीच अंतर करने के प्रयासों के दौरान संप्रेषण को प्रभावी बनाने में और चुनौती आई।

ऋण सुपुर्दगी और वित्तीय समावेशन में बेहतरी लाना रिजर्व बैंक की प्रमुख प्राथमिकता रही है। इस दिशा में, एक बड़ा कदम किसान क्रेडिट कार्ड के लिए बायोमैट्रिक स्मार्ट कार्ड प्रणाली शुरू करना है जिसको एटीएम और हैंड हेल्ड उपकरणों में प्रयोग किया जाएगा। वित्तीय समावेशन योजना के अंतर्गत वाणिज्यिक बैंक वित्तीय समावेशन गतिविधियों के लिए अपने लक्ष्य निर्धारित करते हैं और इस दिशा में काफी अधिक प्रगति हो रही है। रिजर्व बैंक ने हाल में इलेक्ट्रॉनिक बेनिफिट ट्रांसफर (ईबीटी) के कार्यान्वयन और वित्तीय समावेशन योजना में इसको समाहित करने के लिए दिशानिर्देश जारी किये हैं। इस सरल और सुगम मॉडल से वित्तीय समावेशन के प्रयासों में और तेजी आने की संभावना है। रिजर्व बैंक का अपना आउटरीच कार्यक्रम भी जागरूकता बढ़ाने और वित्तीय साक्षरता में सुधार लाने में मददगार रहा है। वित्तीय समावेशन के कार्य की विशालता को देखते हुए, बैंकों को अपने वित्तीय समावेशन प्रयासों को बढ़ाने और उसे मुख्यधारा में लाने की आवश्यकता है।

IV.1 रिजर्व बैंक ने अर्थव्यवस्था की समावेशी वृद्धि प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए वित्तीय समावेशन को बहुत अधिक महत्व दिया है। इस क्षेत्र में बड़ी-बड़ी चुनौतियां मौजूद हैं - जैसे समाज के उस वर्ग को औपचारिक वित्तीय प्रणाली के अंदर लाना जो औपचारिक वित्तीय प्रणाली की सीमा से बाहर है, वित्तीय साक्षरता प्रदान करना और ऋण सुपुर्दगी प्रणाली को मजबूत बनाना। प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को उधार देने की नीति, जो काफी पहले से अस्तित्व में है, के अलावा हाल के वर्षों में कई कदम उठाए गये हैं जिसमें शामिल हैं: वित्तीय समावेशन योजना की शुरुआत करना और बिजेनेस कारेस्पांडेंट मॉडल के दायरे को बढ़ाना, अति लघु और लघु उद्यम क्षेत्र से संबंधित ऋण सुपुर्दगी क्रियाविधि में सुधार लाना और सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) समाधानों को अपनाने के लिए प्रेरित करना।

IV.2 इस अध्याय का फोकस दो गुना है : एक, ऋण सुपुर्दगी और वित्तीय समावेशन की प्रगति का विश्लेषण करना, और दो, इन क्षेत्रों में भारतीय रिजर्व बैंक के नीतिगत उपायों का एक आशुचित्र पेश करना। वर्तमान अध्याय को तीन भागों में बांटा गया है : ऋण सुपुर्दगी, वित्तीय समावेशन और वित्तीय साक्षरता। ऋण सुपुर्दगी वाले भाग को फिर प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को उधार, अग्रणी बैंक योजना, उत्तर-पूर्व क्षेत्र विशेष व्यवस्था योजना, ग्रामीण सहकारी बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में बांटा गया है।

ऋण सुपुर्दगी

प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को उधार

IV.3 प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार देने का उद्देश्य अर्थव्यवस्था के उन क्षेत्रों को प्रेरित करना और उनके लिए ऋण उपलब्धता को

बढ़ाना है जिनको अन्यथा बैंकों से ऋण लेना मुश्किल होता है। शिक्षा, आवास आदि के अलावा कृषि और माइक्रो तथा लघु उद्यम दो ऐसे क्षेत्र हैं जिनको प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के उधार दिये जाते हैं। वर्तमान में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के लिए कुल अग्रिमों का लक्ष्य समायोजित निवल बैंक ऋण का 40 प्रतिशत अथवा ओबीई के ऋण के बराबर है, जो देशी बैंकों के लिए अधिक है और विदेशी बैंकों के लिए 32 प्रतिशत है (सारणी IV.1)। इस संबंध में मैक्रोफाइनेस संस्थाओं पर मालेगाम समिति की सिफारिशों और अन्य हितधारियों के इसी प्रकार के अनुरोधों को देखते हुए, प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र की परिभाषा पर पुनर्विचार की आवश्यकता महसूस की गयी। रिजर्व बैंक ने इस संबंध में एक समिति बनाई जिसने फरवरी 2012 में अपनी रिपोर्ट सौंपी। समिति की सिफारिशों को टिप्पणियों और सुझावों के लिए रिजर्व बैंक की वेबसाइट पर डाला गया है (बॉक्स IV.1)। विभिन्न हितधारियों के साथ इंटर फेस के आधार पर और भारत सरकार, बैंक, वित्तीय संस्थाओं, गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं, उद्योग संघों, सार्वजनिक और

सारणी IV.1: अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार

(राशि ₹ बिलियन में)

मार्च के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार को	सरकारी क्षेत्र के बैंक	निजी क्षेत्र के बैंक	विदेशी बैंक
1	2	3	4
2011	10,215 (41.0)	2,491 (46.7)	667 (39.7)
2012	11,299 (37.4)	2,864 (39.4)	805 (40.8)

टिप्पणी: 1. कोष्ठकों में दिये गये आंकड़े संबंधित समूहों में समायोजित निवल बैंक ऋण की प्रतिशतता अथवा तुलनपत्रेतर एक्सपोजर (ओबीई) के ऋण के समकक्ष, जो भी उच्चतर है, के हैं।

2. वर्ष 2012 के आंकड़े अनंतिम हैं।

बॉक्स IV.1

प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र उधार संबंधी समिति

माइक्रोफाइनैंस क्षेत्र के मुद्दों और चिंताओं पर अध्ययन करने के लिए गठित रिजर्व बैंक के केन्द्रीय निवेशक मंडल की उप समिति (मालेगाम समिति) ने सिफारिश की है कि प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को बैंक उधार देने संबंधी वर्तमान दिशानिर्देशों पर पुनर्विचार किया जाए। प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र की परिभाषा पर पुनर्विचार करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों से अनुरोध भी प्राप्त हुए हैं, विशेष रूप से वहां से जहां अन्य एजेंसियों के माध्यम से बैंक वित्त प्रदान किया जा रहा है। इस पृष्ठभूमि में, मौद्रिक नीति वक्तव्य 2011-12 में यह घोषणा की गई है कि “प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र उधार के वर्तमान वर्गीकरण की जांच करने और इस क्षेत्र के उधारों के वर्गीकरण के संबंध में संशोधित दिशानिर्देश सुझाने के लिए एक समिति का गठन किया जाएट। तदनुसार, श्री एम.वी. नायर की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई जिसने 21 फरवरी 2012 को अपनी रिपोर्ट दी।

समिति की इस रिपोर्ट को रिजर्व बैंक की वेबसाइट पर डाल दिया गया है जिसमें बैंकों, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं, अन्य संस्थाओं और जनसाधारण के विचार / टिप्पणियां मांगी गई हैं।

समिति की प्रमुख अनुशंसाएं इस प्रकार हैं:

देशी बैंकों के लिए लक्ष्य

- देशी बैंकों के लिए समग्र प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को उधार का लक्ष्य समायोजित निवल बैंक ऋण (एनबीसी) का 40 प्रतिशत बनाए रखा जाए। कृषि, माइक्रो और लघु उद्यम, माइक्रोफ्रेंडिट, शिक्षा, आवास, घरों के लिए ऑफ -ग्रिड ऊर्जा समाधान और निर्यात ऋण (केवल विदेशी बैंकों के लिए) प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र का हिस्सा होंगे।
- कृषि क्षेत्र को उधार में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कृषि के बीच बिना भेद किए ‘कृषि और सहायक गतिविधियों’ के समग्र क्रियाकलापों को शामिल किया जाएगा और समायोजित निवल बैंक ऋण का 18 प्रतिशत कृषि क्षेत्र के लिए लक्ष्य के रूप में रखा जा सकता है।
- बैंकों द्वारा लघु और सीमांत किसानों को दिए गए ऋण के लिए समायोजित निवल बैंक ऋण का 9 प्रतिशत का केन्द्रित उपलक्ष्य निर्धारित किया जाए जिसे चरणों में 2015-16 तक अवश्य प्राप्त किया जाए।
- इसी प्रकार, बैंकों द्वारा अति लघु उद्यमों को दिये गये ऋण के लिए समायोजित निवल बैंक ऋण का 7 प्रतिशत का केन्द्रित उपलक्ष्य रखा जाए जिसे चरणों में 2013-14 तक अवश्य प्राप्त किया जाए।

विदेशी बैंकों के लिए लक्ष्य

- विदेशी बैंकों के लिए, समिति ने प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के लिए कुल 40 प्रतिशत तथा माइक्रो और लघु उद्यम तथा निर्यात ऋण प्रत्येक के लिए 15 प्रतिशत के लक्ष्य की सिफारिश की है। ₹100 मिलियन तक की निर्यात ऋण की सीमा प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत गणना के प्रयोजन के लिए पात्र होगी।
- इसके अलावा, माइक्रो उद्यमों के लिए समायोजित निवल बैंक ऋण के 7

भारतीय बैंक संघ से प्राप्त विचारों / सुझावों के आलोक में, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार देने संबंधी संशोधित दिशा-निर्देश 20 जुलाई 2012 को जारी किए गये। नए दिशानिर्देशों के अंतर्गत,

प्रतिशत के बराबर एक केन्द्रित प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र लक्ष्य की सिफारिश की गयी है।

घरों के लिए ऑफ -ग्रिड ऊर्जा समाधान

- घरों के लिए ऑफ-ग्रिड सौर ऊर्जा तथा अन्य नवीकरण योग्य ऊर्जा समाधानों को लगाने के लिए व्यक्तियों को दिये गये ऋणों को प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत किया जाए।

कमजोर वर्ग

- किसी महिला को दिए गए प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र ऋण तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और कम आय समूह को दिए गए आवास ऋण को कमजोर वर्ग को दिए गए ऋण के रूप में माना जाए, यह ऋण लाभार्थियों के वर्तमान वर्गों के अलावा होगा। कमजोर वर्ग के लिए समायोजित निवल बैंक ऋण का 10 प्रतिशत का वर्तमान लक्ष्य स्तर बनाये रखा जाए। समायोजित निवल बैंक ऋण का 6 प्रतिशत से अनधिक निम्नलिखित को उधार देने के लिए माना जाए (क) पात्र छोटे और सीमांत किसान तथा (ख) पात्र ग्रामीण और कुटीर उद्योग तथा कारीगरों को एक साथ मिलाकर।

ब्याज योजना की विभेदक दर

- ब्याज की विभेदक दर योजना को समाप्त किया जा सकता है क्योंकि सरकार प्रायोजित योजनाएं बेहतर सुविधाओं के साथ उन्हीं लाभार्थियों को लक्ष्य बनाती हैं।

गैर-बैंक वित्तीय मध्यस्थों को ऋण

- विशिष्ट वर्गों को आगे उधार देने के लिए गैर-बैंक वित्तीय मध्यस्थों को स्वीकृत बैंक ऋण को प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत वर्गीकरण के लिए गिना जाए, यह ऋण समायोजित निवल बैंक ऋण का अधिकतम 5 प्रतिशत तक होगा।

प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र उधार प्रमाण पत्र

- प्रायोगिक आधार पर, गैर विपणनीय प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र उधार प्रमाण-पत्रों की अनुमति दी जाए जिसमें बाजार सहभागी के रूप में देशी अनुसूचित वाणिज्य बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और विदेशी बैंक शामिल होंगे।

कृषि ऋण जोखिम गारंटी योजना

- सूक्ष्म और लघु उद्यम ऋण गारंटी निधि न्यास (सीजीटीएमएसई) की तरह छोटे और सीमांत किसानों के लिए कृषि ऋण जोखिम गारंटी निधि बनाए जाने की सिफारिश की गई है जो कृषि क्षेत्र को दिये गये उधारों के जोखिमों के निराकरण की एक कुशल व्यवस्था होगी।

प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत समग्र लक्ष्य 40 प्रतिशत रखा गया है और प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष कृषि उधार के लक्ष्य को अपरिवर्तित रखा गया है। 1 अप्रैल 2013 से शुरू होने वाली पाँच वर्ष की अवधि

ऋण सुपुर्दगी और वित्तीय समावेशन

में उन विदेशी बैंकों, जिनकी देश में 20 अथवा अधिक शाखाएं हैं, को चरणबद्ध तरीके से प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के लक्ष्यों के लिए देशी बैंकों के बराबर लाया जा रहा है।

कृषि क्षेत्र को ऋण उपलब्ध कराना

IV.4 2011-12 में केन्द्रीय बजट में कृषि ऋण के लिए ₹4,750 बिलियन के लक्ष्य की घोषणा की गयी। इस लक्ष्य की तुलना में सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित बैंकों ने ₹5,110 बिलियन संवितरित किये जो मार्च 2012 के अंत में लक्ष्य का 108 प्रतिशत थे। वर्ष 2012-13 के लिए, सरकार ने सभी एजेंसियों द्वारा कृषि के लिए संवितरित करने हेतु ₹5,750 बिलियन का लक्ष्य रखा है। बैंकों से कहा गया है कि वे कृषि को उधार और लघु तथा सीमांत किसानों को दिए जाने वाले ऋण सीधे तौर पर देना तेज करें।

कृषि के लिए प्रत्यक्ष अग्रिमों की रिकवरी

VI.5 पिछले तीन वर्षों (जून 2011 तक) के आंकड़ों से पता चलता है कि कृषि के लिए प्रत्यक्ष अग्रिमों की वसूली में मामूली गिरावट आई है (सारणी IV.2)।

किसान क्रेडिट कार्ड योजना

IV.6 किसान क्रेडिट कार्ड किसानों को कृषि ऋण उपलब्ध कराने के लिए एक प्रभावी साधन है। केन्द्रीय बजट 2011-12 में घोषणा की गयी कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना को संशोधित किया जाएगा ताकि इसे स्मार्ट कार्ड बनाया जा सके और इसको एटीएम में प्रयोग किया जा सके। वर्तमान अपेक्षाओं के अनुरूप किसान क्रेडिट कार्ड योजना को सरल और अनुकूल बनाने के लिए तथा इलेक्ट्रॉनिक किसान क्रेडिट कार्ड को सुविधाजनक बनाने के लिए एक कार्य दल (अध्यक्ष: श्री टी.एम. भसीन, मुख्य प्रबंध निदेशक, इंडियन बैंक) गठित किया गया है। इस कार्य दल ने मानकीकृत किसान क्रेडिट कार्ड को शुरू करने और एटीएम / हैंड हेल्ड स्वाइप मशीन में प्रयोग के लिए ऐसे

सारणी IV.2: कृषि के लिए प्रत्यक्ष

अग्रिमों की वसूली

(₹ बिलियन में)

जून को समाप्त वर्ष	मांग	वसूली	अतिदेय	मांग की तुलना में वसूली का प्रतिशत
1	2	3	4	5
2009	1,190	907	284	76.1
2010	1,244	922	322	74.1
2011*	1,282	945	332	73.7

*आंकड़े अनंतिम हैं।

उपयुक्त बायोमैट्रिक स्मार्ट कार्ड बनाने के लिए विशिष्ट तकनीकी विवरणों की सिफारिश की है जिसमें किसानों की पहचान, आस्तियों, भूमि जोतों तथा ऋण प्रोफाइल संबंधी पर्याप्त जानकारी रखने की क्षमता हो। सरकार ने कार्य दल की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है, इसके बाद रिजर्व बैंक ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना में संशोधन किया है।

ब्याज दर सहायता योजना

IV.7 केन्द्रीय बजट 2011-12 में 0.3 मिलियन तक के अल्पकालिक उत्पादन ऋण के लिए ब्याज दर सहायता को 1.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 2 प्रतिशत कर दिया है जबकि जिन किसानों ने शीघ्र भुगतान किया था उनके लिए अतिरिक्त ब्याज सहायता को 2 प्रतिशत से बढ़ाकर 3 प्रतिशत कर दिया गया है जिससे ऐसे किसानों से ली जाने वाली प्रभावी वार्षिक ब्याज दर घटकर 4 प्रतिशत हो गई है।

कृषि ऋण माफी और ऋण राहत योजना

IV.8 कृषि ऋण माफी और ऋण राहत योजना, 2008 के अंतर्गत सरकार उधार देनेवाली संस्थाओं को चरणबद्ध रूप में प्रतिपूर्ति करती रही है (सारणी IV.3)।

सारणी IV.3: उधार देने वाली संस्थाओं को केंद्र सरकार द्वारा की गई प्रतिपूर्ति की राशि

(₹ बिलियन में)

उधार देने वाली संस्थाएं	पहली किस्त सितंबर 2008	दूसरी किस्त जुलाई 2009	तीसरी किस्त जनवरी 2011	चौथी किस्त नवंबर 2011	पांचवीं किस्त मार्च 2012
1	2	3	4	5	6
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और सहकारी संस्थाएं	175.0	105.0	12.4	0.4	0.0
अनु. वाणिज्य बैंक, शहरी सह. बैंक और स्थानीय क्षेत्र के बैंक	75.0	45.0	101.0	10.4	1.0
कुल	250.0	150.0	113.4	10.8	1.0

टिप्पणी : आंकड़े चालू अनंतिम अनुमानों पर आधारित हैं।

IV.9 सरकार ने अब तक पांच किस्तों में ₹525 बिलियन मंजूर और संवितरित किये हैं। इसमें से ₹293 बिलियन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी ऋण संस्थाओं को प्रतिपूर्ति के लिए नाबार्ड को दिये गये हैं। ₹232 बिलियन की शेष राशि की प्रतिपूर्ति अनुसूचित वाणिज्य बैंकों, स्थानीय क्षेत्र बैंकों और शहरी सहकारी बैंकों को दी गयी है।

अति लघु, लघु और मझौले उद्यमों को ऋण

IV.10 2011-12 में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा अति लघु और लघु उद्यम क्षेत्र को दिये गये ऋण में तीव्र गिरावट दिखी (सारणी IV.4)।

ग्रामीण आधारभूत विकास निधि

IV.11 सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों के उन देशी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को जो प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के लक्ष्यों / उप-लक्ष्यों को प्राप्त करने में असफल रहते हैं, केंद्र सरकार द्वारा घोषित आधारभूत निधि की सीमा तक कम उधार दी गयी राशि को नाबार्ड की ग्रामीण आधारभूत विकास निधि में और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) और राष्ट्रीय आवास बैंक की अन्य निधियों में जमा करना पड़ता है। भारत में कार्यरत उन विदेशी बैंकों को भी जो प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के लक्ष्यों / उप-लक्ष्यों को प्राप्त करने में असफल रहते हैं, भारत सरकार द्वारा घोषित आधारभूत निधि की सीमा तक कम उधार दी गयी राशि को भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) अथवा भारतीय रिजर्व बैंक के निर्धारण के अनुसार अन्य वित्तीय संस्थाओं की कतिपय निधियों में जमा करना पड़ता है।

सारणी IV.4 : अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा अति लघु और लघु उद्यम क्षेत्र को ऋण

मार्च के अंतिम शुक्रवार को	एमएसई क्षेत्र को बकाया ऋण (मिलियन में)	एएनबीसी के खातों की संख्या (बिलियन रुपये में)	प्रतिशत के रूप में एमएसई ऋण
1	2	3	4
2011	9.3 (9.4)	4785.3 (32.1)	15.0
2012	9.9 (6.45)	5,286.2 (10.47)	13.4

टिप्पणी: 1. 2012 के आंकड़े अनंतिम हैं।
2. कोष्ठकों के आकड़े प्रतिशत में हुए वर्ष-दर-वर्ष बदलाव को दर्शाते हैं।

IV.12 वर्ष 2012-13 के अपने बजट भाषण में केन्द्रीय वित्त मंत्री ने घोषित किया है कि ₹200 बिलियन की आधारभूत निधि के साथ ग्रामीण आधारभूत विकास निधि XVIII नाबार्ड में बनाई जाएगी, साथ ही ₹50 बिलियन आधारभूत निधि के साथ वेयरहाउस इन्फ्रास्ट्रक्चर के वित्तीयन के लिए आरआईडीएफ के अंतर्गत एक अलग बिंडो बनाई जाएगी। इसके अलावा, ₹50 बिलियन की आधारभूत निधि के साथ अति लघु, लघु और मझौले उद्यम (पुनर्वित्त) निधि, ₹100 बिलियन की आधारभूत निधि के साथ अल्पकालिक सहकारी ग्रामीण ऋण (पुनर्वित्त) निधि और ₹40 बिलियन की आधारभूत निधि के साथ ग्रामीण आवास निधि क्रमशः सिडबी, नाबार्ड और राष्ट्रीय आवास बैंक में बनाई जाएगी। केंद्रीय वित्त मंत्री ने यह भी घोषणा की है कि वर्ष 2012-13 के लिए दो नई निधियों अर्थात् अल्पकालिक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ऋण पुनर्वित्त निधि और इंडिया एपोर्चुनिटी वेंचर फंड की स्थापना की जाएगी जिसमें क्रमशः ₹100 बिलियन और ₹ 20 बिलियन की मूल निधि होगी।

अग्रणी बैंक योजना

बैंक सुविधा रहित गांवों में बैंकिंग आउटलेट खोलने की कार्ययोजना

IV.13 अप्रैल 2010 के मौद्रिक नीति वक्तव्य में की गयी घोषणा के अनुसरण में, 2000 के ऊपर जनसंख्या वाले हरेक गांव में बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने की योजना को राज्यस्तरीय बैंकर समिति द्वारा अंतिम रूप दिया गया। इस योजना के अंतर्गत 2,000 से अधिक जनसंख्या वाले 74,414 गांवों की बैंक सुविधा रहित गांवों के रूप में पहचान की गयी है। इन गांवों को मार्च 2012 तक बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित विभिन्न बैंकों को आबंटित किया गया है। बैंकों ने 74,199 (99.7 प्रतिशत) बैंक सुविधा रहित गांवों को कवर कर लिया है। अब यह चुनौती है कि देश के सभी बैंक सुविधा रहित गांवों को कवर कर लिया जाए। तदनुसार, राज्यस्तरीय बैंकर समिति से कहा गया है कि वह 2000 से कम जनसंख्या वाले बैंक सुविधा रहित सभी गांवों को शामिल करने के लिए एक कार्ययोजना तैयार करे और समयबद्ध तरीके से बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए इन गांवों को बैंकों को आनुमानिक रूप से आबंटित करे।

राज्यस्तरीय बैंकर समिति की बैठकें

IV.14 वर्ष के दौरान राज्यस्तरीय बैंकर समिति के आयोजक बैंकों को सलाह दी गयी है कि वे वर्ष 2012 की बैठकों की तारीख का वार्षिक कैलेंडर तैयार करें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कार्यालयों ने उन

वरिष्ठ अधिकारियों के लिए तारीखों को ब्लॉक कर दिया है जिनके चारों बैठकों में भाग लेने की संभावना है। राज्यस्तरीय बैंकर समिति की बैठकों के आयोजन की निरंतर निगरानी रखने के लिए एक तंत्र बनाया गया है।

IV.15 वेबसाइट को एक प्रभावी संचार का माध्यम बनाने के लिए, बैंकों को सलाह दी गयी है कि वे विभिन्न राज्यों की राज्यस्तरीय बैंकर समिति की वेबसाइटों में कम-से-कम मानकीकृत जानकारियां और डेटा रखें और उनको नियमित तौर पर अद्यतन करते रहें।

जिलों की अग्रणी बैंक जिम्मेदारी

IV.16 अग्रणी बैंकों को सौंपे गये जिलों की संख्या मार्च 2011 में 625 से बढ़कर मार्च 2012 में 630 हो गयी। पंजाब नैशनल बैंक को पंजाब के दो नये जिलों और उत्तर प्रदेश के एक नये जिले की अग्रणी बैंक की जिम्मेदारी सौंपी गयी है जबकि उत्तर प्रदेश के दो नये जिलों की अग्रणी बैंक की जिम्मेदारी सिंडिकेट बैंक को सौंपी गयी है।

उत्तर-पूर्वी क्षेत्र - विशेष व्यवस्था योजना

IV.17 वर्ष 2008 के दौरान रिजर्व बैंक ने उत्तर-पूर्व क्षेत्र में वाणिज्यिक रूप से अव्यवहार्य केंद्रों में शाखाएं खोलने के लिए बैंकों को प्रेरित करने हेतु एक विशेष व्यवस्था योजना बनाई। योजना के अंतर्गत, रिजर्व बैंक एकबार ग्री पूँजी लागत तथा पांच वर्षों की अवधि के लिए आवर्ती व्यय वहन करेगा जबकि राज्य सरकार परिसर, शाखा की सुरक्षा और बैंक स्टाफ के लिए किराए का आवास उपलब्ध कराएगी। राज्यस्तरीय बैंकर समिति ने राज्य सरकार के परामर्श से पांच उत्तर-पूर्व राज्यों में 42 'सहमत केन्द्रों' की पहचान की है। जून 2012 तक इनमें से 34 केन्द्रों में शाखाएं खोली गईं।

IV.18 विशेष व्यवस्था योजना इस तर्क के आधार पर शुरू की गई थी कि बैंक उत्तर-पूर्व क्षेत्र में मुख्य रूप से लागत के कारण अपना नेटवर्क नहीं बढ़ा सके हैं। यदि रिजर्व बैंक लागत वहन करे तो इससे बैंक सुविधा रहित क्षेत्रों में बैंक शाखाओं का व्यापक स्तर पर विस्तार हो सकेगा। विशेष व्यवस्था योजना के अंतर्गत बैंक शाखाओं को खोलने की प्रवृत्ति से साफ तौर पर पता चलता है कि लागत के बजाय इन हिस्सों में बैंकिंग नेटवर्क के विस्तार में अवरोधक सङ्क और डिजिटल कनेक्टिविटी जैसे मूल इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव रहा है। इस प्रकार बैंकिंग नेटवर्क का विस्तार मूल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान करने के संबंधित राज्य सरकारों के प्रयासों पर अधिक निर्भर है।

IV.19 उपर्युक्त कारकों और इस तथ्य को देखते हुए कि विशेष व्यवस्था योजना अनिश्चित काल तक जारी नहीं रह सकती, बैंकों को सलाह दी गई कि वे 30 जून 2012 तक आबंटित सहमत केन्द्रों में शाखाएं खोलें ताकि वे रिजर्व बैंक द्वारा लागत की प्रतिपूर्ति के लाभ उठा सकें।

ग्रामीण सहकारी बैंक

ग्रामीण सहकारी ऋण ढांचे का पुनःप्रवर्तन

IV.20 ग्रामीण सहकारी ऋण संस्थाओं के पुनःप्रवर्तन पर बने कार्य दल (अध्यक्ष: प्रोफेसर ए. वैद्यनाथन) की सिफारिशों के आधार पर और राज्य सरकारों के परामर्श से, भारत सरकार ने अल्पकालिक ग्रामीण सहकारी ऋण ढांचे के पुनःप्रवर्तन के लिए एक पैकेज का अनुमोदन किया था। पैकेज में प्रणाली की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने, प्रजातांत्रिक, आत्म निर्भर और सक्षम कार्यकलापों के लिए आवश्यक कानूनी तथा संस्थागत सुधार लाने और प्रबंधन की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए उपाय करने की व्यवस्था की गई है। सहभागिता के इच्छुक राज्यों को केंद्र सरकार और नाबांद के साथ एक सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर करना होगा। कुल मिलाकर, पैकेज के अनुसार 25 राज्यों ने भारत सरकार और नाबांद के साथ एक सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये हैं। इसमें देश की अल्पकालिक ग्रामीण सहकारी ऋण ढांचे की इकाइयों का 96 से अधिक कवर हो गया है। इकीस राज्यों ने विधायी प्रक्रिया द्वारा अपने-अपने संबंधित राज्य सहकारी समिति अधिनियमों को संशोधित किया है।

IV.21 सत्रह राज्यों में केंद्र सरकार के हिस्से के रूप में प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों के पुनर्पूजीकरण के लिए 31 मार्च 2012 तक नाबांद द्वारा ₹90 बिलियन की कुल राशि जारी की गई है जबकि राज्य सरकारों ने भी अपने हिस्से के रूप में ₹9 बिलियन जारी किए हैं। केंद्र सरकार द्वारा स्थापित राष्ट्रीय कार्यान्वयन और निगरानी समिति अधिकल भारतीय आधार पर पुनरुद्धार पैकेज के कार्यान्वयन का मार्गदर्शन तथा निगरानी कर रही है।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

IV.22 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना का उद्देश्य ऋण और अन्य सुविधाएं विशेषकर लघु और सीमांत कृषकों, कृषि श्रमिकों, कारीगरों तथा लघु उद्यमियों जैसे समाज के आर्थिक रूप से कमज़ोर / वंचित

वर्ग को प्रदान करके मुख्य रूप से ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विकास करना है। इस प्रकार, ये बैंक कृषि और ग्रामीण ऋण प्रदान करने के लिए अपनाए गए बहु-एजेंसी दृष्टिकोण में विशेष स्थान रखते हैं।

सीबीएस के कार्यान्वयन की स्थिति

IV.23 बेहतर ग्राहक सेवाओं के लिए सही प्रौद्योगिकी अपनाने तथा कोर बैंकिंग समाधान (सीबीएस) में अंतरण के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को तैयार करने हेतु रिजर्व बैंक ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए एक कार्य दल (अध्यक्ष: श्री जी. श्रीनिवासन) बनाया था। रिपोर्ट में, अन्य बातों के साथ-साथ, सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के सीबीएस में अंतरण हेतु लक्ष्य तिथि सितंबर 2011 रखी गई है। इसमें यह भी कहा गया है कि सितंबर 2009 के बाद खोली गई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की सभी शाखाएं उसी दिन से सीबीएस अनुपालित होनी चाहिए। वर्तमान में, देश में 82 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कार्यरत हैं। 31 मार्च 2012 को 80 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में सीबीएस लागू किया जा चुका है जिनके अंतर्गत 16,741 शाखाएं शामिल हैं। दो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों अर्थात् क्षेत्रीय किसान ग्रामीण बैंक और जमूकशमीर ग्रामीण बैंक को अभी सीबीएस प्लेटफार्म में अंतरित होना है।

वित्तीय समावेशन

IV.24 अप्रैल-जून 2011 के बीच विश्व बैंक दल द्वारा भारत में वित्तीय समावेशन सर्वेक्षण किया गया जिसमें 3,518 उत्तरदाताओं का प्रत्यक्ष साक्षात्कार लिया गया। इस सर्वेक्षण में उत्तर-पूर्वी राज्यों और दूर-दराज के स्थानों, जिनका कुल वयस्क आबादी में लगभग 10 प्रतिशत हिस्सा है, को शामिल नहीं किया गया है। सर्वेक्षण के

सुन्नावों से पता चलता है कि भारत बैंक खाता खोलने में विकासशील देशों से पीछे है, लेकिन औपचारिक संस्थाओं से उधार लेने के मामले में वैश्विक औसत के काफी नजदीक है। भारत में, 35 प्रतिशत लोगों के पास औपचारिक खाते हैं जबकि वैश्विक औसत 50 प्रतिशत का है और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं का औसत 41 प्रतिशत है (सारणी IV.5)। इस सर्वेक्षण में ‘भारत में मोबाइल के जरिए धन अंतरण की धीमी वृद्धि का भी उल्लेख किया गया है, वैश्विक फिनडेक्स सैम्पल रिपोर्ट के अनुसार केवल 4 प्रतिशत वयस्कों ने बिल के भुगतान अथवा धन भेजने या प्राप्त करने के लिए पिछले 12 महीनों में मोबाइल फोन का प्रयोग कियाट।

IV.25 मार्च 2012 तक 2000 के ऊपर जनसंख्या वाले पहचान किए गए 74,414 गांवों तक बैंकिंग सेवाएं लाने के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, और इसके पश्चात इसे कालांतर में सभी गांवों तक बढ़ाने के लिए, रिजर्व बैंक ने वाणिज्यिक बैंकों को सलाह दी है कि वे अपनी वार्षिक शाखा विस्तार योजना तैयार करते समय वर्ष के दौरान खोली जाने वाली प्रस्तावित शाखाओं की कुल संख्या की कम से कम 25 प्रतिशत शाखाएं बैंक सुविधा रहित ग्रामीण केंद्रों को आबंटित करें (बैंक सुविधा रहित ग्रामीण केंद्र टियर 5 और टियर 6 के बीच के बीच होते हैं जहां ग्राहक आधारित बैंकिंग लेन-देन के लिए किसी अनुसूचित वाणिज्य बैंक की ईंटे-गारे की कोई शाखा नहीं है)।

IV.26 टियर 2 के केन्द्रों में और अधिक बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने हेतु, टियर 3 और टियर 6 के केन्द्रों में शाखाएं खोलने के लिए देशी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को दी गई सामान्य अनुमति टियर 2 के केन्द्रों (2001 की जनगणना के अनुसार 50,000 से 99,000 की जनसंख्या वाले) तक बढ़ा दी गयी है।

सारणी IV.5: भारत में वित्तीय समावेशन संबंधी प्रमुख सांख्यिकी - एक सर्वेक्षण

(प्रतिशत)

सभी वयस्क	सबसे गरीब आय वाले बीस प्रतिशत	महिला	पिछले वर्ष में वयस्कों द्वारा बचत		पिछले वर्ष में वयस्कों द्वारा लिए गए नए ऋण		वयस्कों के पास क्रेडिट कार्ड	बकाया वर्ष	स्वास्थ्य बीमा वयस्क जिह्वोंने लिए वर्ष में भुगतान करने वाले वयस्क		
			आपचारिक खाते का प्रयोग करते हुए	समुदाय आधारित वयस्कों से	परिवार या दोस्तों से	संस्था से					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
भारत	35	21	26	12	3	8	20	2	2	7	4
विश्व	50	38	47	22	5	9	23	15	7	17	7

स्रोत: अस्ली डेमोरगुक - कुंत और क्लेप्पर, एल (2012) ‘मीजरिंग फाइनेंशियल इन्क्लुशन, पॉलिसी रिसर्च वर्किंग पेपर, 6025, विश्व बैंक।

IV.27 वित्तीय समावेशन को और बढ़ाने के लिए, कठिपय शर्तों के अधीन खुदरा आउटलेट अथवा बिजनेस कारेस्पांडेट के उप एजेंटों (अर्थात् ग्राहक इंटरफेस के स्थान पर) को अंतर-परिचालनीयता की अनुमति दी गई है बशर्ते जिस बैंक ने बिजनेस कारेस्पांडेट नियुक्त किया है उस बैंक के पास उपलब्ध प्रौद्योगिकी अंतर-परिचालनीयता का समर्थन करती हो। ग्राहक इंटरफेस के स्थान पर बिजनेस कारेस्पांडेट अथवा इसके खुदरा आउटलेट अथवा उप एजेंट उस बैंक का प्रतिनिधित्व करना जारी रखेंगे जिसने उसे बिजनेस कारेस्पांडेट नियुक्त किया है।

IV.28 वित्त मंत्री के 2012-13 के बजट भाषण तथा 2012-13 की रिजर्व बैंक की वार्षिक मौद्रिक नीति में की गई घोषणा के आधार पर, बैंकों को सलाह दी गई है कि वे वर्तमान मूल शाखा और बिजनेस कारेस्पांडेट स्थानों के बीच ईटे-गारे वाला मध्यवर्ती ढांचा (ग्रामीण केंद्रों में) स्थापित करें जिससे लगभग 3-4 किलोमीटर के समुचित अंतर में बिजनेस कारेस्पांडेट इकाइयों के समूह (लगभग 8-10 बीसी) को सपोर्ट दी जा सके। ऐसी शाखाओं के पास न्यूनतम इन्फ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए जैसे पास बुक प्रिंटर से संबद्ध कोर बैंकिंग समाधान टर्मिनल और ग्राहकों के बड़े लेनदेनों को परिचालित करने के लिए नकदी रखने हेतु एक तिजोरी, तथा इसका प्रबंधन बैंक के अपने अधिकारियों / कर्मचारियों द्वारा पूर्णकालिक तौर पर किया जाना चाहिए। ऐसी आशा है कि ऐसी व्यवस्था से नकदी प्रबंधन, दस्तावेजीकरण, ग्राहक शिकायत निवारण तथा बिजनेस कारेस्पांडेट के क्रिया-कलापों की नजदीकी से निगरानी में बेहतरी आएगी।

बैंकों की वित्तीय समावेशन योजना

IV.29 रिजर्व बैंक ने सरकारी और निजी क्षेत्र के सभी बैंकों को सूचित किया है कि वे अप्रैल 2010 से मार्च 2013 तक कार्यान्वित की जाने वाली अपने बोर्ड द्वारा अनुमोदित वित्तीय समावेशन योजना तैयार करें तथा उसे प्रस्तुत करें। इस वित्तीय समावेशन योजना में ईटे-गारे वाली शाखाएं खोलने, बिजनेस कारेस्पांडेट की नियुक्ति करने, विभिन्न तरीकों से बैंक सुविधा रहित गांवों को कवर करने, नो फ़िल्स खाते खोलने, किसान क्रेडिट कार्ड तथा सामान्य क्रेडिट कार्ड जारी करने आदि से संबंधित स्व -निर्धारित लक्ष्य दिए जाएं।

IV.30 वित्तीय समावेशन योजना के शुभारंभ से वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) द्वारा की गई प्रगति से साफ तौर पर पता चलता है कि बैंक बिजनेस कारेस्पांडेट नियुक्त करने, बैंकिंग

आउटलेट खोलने, नो फ़िल्स खाते खोलने, किसान क्रेडिट कार्ड तथा सामान्य क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ऋण प्रदान करने जैसे क्षेत्रों में प्रगति कर रहे हैं (सारणी IV.6)। वित्तीय समावेशन योजना के क्रियान्वयन के दो वर्षों में ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों की पैठ तेजी से बढ़ी है। नो फ़िल्स

सारणी IV.6: वित्तीय समावेशन योजना में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की प्रगति

(₹ बिलियन में)

विवरण	मार्च 2010	मार्च 2011	मार्च 2012	मार्च 2011 की तुलना में मार्च 2012 में घट-बढ़	
	1	2	3	4	5
नियोजित बिजनेस कारेस्पांडेट/ बीसी एजेंटों की संख्या	33,042	57,329	95,767	62,725	
2,000 से अधिक जनसंख्या वाले गांवों में बैंकिंग आउटलेट की संख्या	27,353	54,246	82,300	54,947	
2,000 से कम जनसंख्या वाले गांवों में बैंकिंग आउटलेट की संख्या	26,905	45,937	65,234	38,329	
गांवों में कुल बैंकिंग आउटलेट की संख्या	54,258	1,00,183	1,47,534	93,276	
जिसमें से :					
क) शाखाओं के माध्यम से	21,475	22,662	24,701	3,226	
ख) बिजनेस कारेस्पांडेट के माध्यम से	32,684	77,138	1,20,355	87,671	
ग) अन्य तरीकों के माध्यम से	99	383	2,478	2,379	
बिजनेस कारेस्पांडेट के जरिए शामिल शहरी स्थान	433	3,757	5,875	5,442	
नो फ़िल खाते					
संख्या (मिलियन में)	50.3	75.4	105.5	55.2	
राशि (₹ बिलियन में)	42.6	57.0	93.3	50.7	
नो फ़िल खातों में लिया गया ओवरड्रॉफ्ट					
संख्या (मिलियन में)	0.1	0.5	1.5	1.4	
राशि (₹ बिलियन में)	0.1	0.2	0.6	0.5	
किसान क्रेडिट कार्ड					
खातों की संख्या (मिलियन में)	15.9	18.2	20.3	4.4	
बकाया राशि (₹ बिलियन में)	940.1	1237.4	1651.5	711.4	
सामान्य प्रयोजन क्रेडिट कार्ड					
खातों की संख्या (मिलियन में)	0.9	1.0	1.3	0.4	
बकाया राशि (₹ बिलियन में)	25.8	21.9	27.3	1.6	
सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पर आधारित खाते					
खातों की संख्या (मिलियन में)	12.6	29.6	52.1	39.5	
वर्ष के दौरान लेनदेनों की संख्या (मिलियन में)	18.7	64.6	119.3	183.9	

खातों में लेनदेनों को बढ़ावा देने के लिए, बैंकों को सलाह दी गई है कि वे ऐसे खातों में छोटे-छोटे ओवरड्राप्ट दें जिनके कारण ऐसे खातों की सुदृढ़ वृद्धि में मदद मिली है। घर तक सेवाओं की पहुंच को सुगम बनाने वाले सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आधारित बिजनेस कारेस्पांडेट मॉडल का प्रभाव बढ़ रहे लेनदेनों की प्रवृत्ति में देखा जा सकता है।

IV.31 सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आधारित बिजनेस कारेस्पांडेट आउटलेट के माध्यम से लेनदेनों की संख्या उत्साहवर्धक होने पर भी, बैंकिंग आउटलेट की संख्या में हुई कई गुना वृद्धि की तुलना में, काफी कम है। अब निगरानी का मूल ध्यान नो फ्रिल्स खातों की संख्या और लेनदेनों के मूल्य के तथा सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आधारित बिजनेस कारेस्पांडेट आउटलेट के माध्यम से संवितरित ऋण पर भी है। इस दिशा में, बैंकों को सूचित किया गया है कि वे अपने मुख्यालय द्वारा तैयार की गई वित्तीय समावेशन योजना का संबंधित नियंत्रक कार्यालयों के स्तर पर और फिर शाखा स्तर पर विस्तृत विवरण तैयार करें तथा इसकी प्रगति की आवधिक तौर पर निगरानी करें।

IV.32 इलेक्ट्रॉनिक बेनिफिट ट्रांसफर (ईबीटी) योजना ठएक जिला-एक बैंकड मॉडल के अंतर्गत चुनिंदा जिलों में प्रायोगिक आधार पर शुरू की गई थी। अब तक प्राप्त अनुभव से पता चला कि ठएक जिला-एक बैंकड मॉडल वित्तीय समावेशन के उद्देश्य को पूरा नहीं कर सका। इस मामले को राज्य सरकारों और बैंकों द्वारा विभिन्न मंचों पर उठाया गया है। वित्तीय समावेशन के प्रयास के रूप में, ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों की पैठ गई गुना बढ़ी है। इसलिए यह आवश्यकता महसूस की गई कि बैंकों के वित्तीय समावेशन योजना के साथ ईबीटी कार्यान्वयन की एकरूपता को सुनिश्चित करके पूरे देश में इलेक्ट्रॉनिक बेनिफिट ट्रांसफर के कार्यान्वयन को बढ़ाया जाए। संकल्पनागत तौर पर स्पष्ट समझ के लिए तथा विस्तृत परामर्शक बैठकों और हितधारियों से इंटरफेस के आधार पर, “इलेक्ट्रॉनिक बेनिफिट ट्रांसफर के कार्यान्वयन और वित्तीय समावेशन योजना के साथ इसकी एकरूपता पर परिचालनात्मक दिशानिर्देश” बनाए गए। इन दिशानिर्देशों के अंतर्गत ‘एक जिला-कई बैंक-एक अग्रणी बैंक मॉडल’ की सिफारिश की गई है ताकि वित्तीय समावेशन योजना को प्रोत्साहन दिया जा सके (बॉक्स IV.2)।

बॉक्स IV. 2

इलेक्ट्रॉनिक बेनिफिट ट्रांसफर (ईबीटी) और इसकी वित्तीय समावेशन योजना के साथ एकरूपता

समावेशी वृद्धि के अपने विजन के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक देश की अब तक बैंक सुविधा रहित आबादी को किफायती लागत पर प्रभावी बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच प्रदान करने के उद्देश्य को पूरा करने में लगा हुआ है। इस प्रयोजन के लिए, हमारे देश में वित्तीय समावेशन के प्रौद्योगिकी आधारित “बैंक प्रधान” मॉडल को अपनाया गया है। देश के अब तक बैंक सुविधा रहित गांवों में बैंकिंग नेटवर्किंग के प्रसार में बैंकों द्वारा किये गये प्रयास को देखते हुए, इलेक्ट्रॉनिक बेनिफिट ट्रांसफर कार्यान्वयन को और आगे बढ़ाने की आवश्यकता महसूस की गयी, जिससे ईबीटी कार्यान्वयन और बैंकों की वित्तीय समावेशन योजनाओं के बीच एकरूपता सुनिश्चित हो सकेगी। इस दिशा में, रिजर्व बैंक ने 12 अगस्त 2011 को “इलेक्ट्रॉनिक बेनिफिट ट्रांसफर के कार्यान्वयन और इसकी वित्तीय समावेशन योजना के साथ एकरूपता के लिए परिचालनात्मक दिशा-निर्देश”, जारी किये। रिजर्व बैंक ने ईबीटी कार्यान्वयन के लिए “एक जिला-कई बैंक-एक अग्रणी बैंक मॉडल”, के उपयोग की वकालत की है।

इस मॉडल में, जिले में मौजूद सभी बैंक ईबीटी में भाग लेंगे, यद्यपि प्रशासनिक सुविधा के लिए राज्य सरकार को केवल एक अग्रणी बैंक के साथ लेन-देन करना होगा। राज्य सरकार भारतीय रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय और राज्य स्तरीय बैंकर समिति के परामर्श से अग्रणी बैंक का निर्धारण करेगी। इस बैंक को राज्य सरकार से धन प्राप्त होगा तथा यह अंतिम लाभार्थियों के खातों में जमा करने के लिए, अन्य बैंकों को अंतर-बैंक अंतरण के माध्यम से निधियों के अंतरण की

व्यवस्था करेगा। राज्य सरकार प्रत्येक सामाजिक लाभ योजना के प्रशासन के लिए एक नोडल विभाग निर्धारित करेगा। नोडल विभाग लाभार्थियों की सूची प्रदान करेगा और बैंक नामांकन तथा उनके बैंक खाते खोलने की व्यवस्था करेगा। नोडल विभाग अग्रणी बैंक में अपने नाम पर एक बचत खाता रखेगा। बैंक में रखे गये विभाग के खाते में राज्य सरकार के कोषागार बैंक द्वारा एक समेकित राशि जमा की जाएगी। विभाग प्रत्येक माह अग्रणी बैंक को अनुदेश देगा जिसके साथ इलेक्ट्रॉनिक रूप में लाभार्थियों की अद्यतन सूची होगी। इसके पश्चात बैंक नोडल विभाग के बचत खाते से राशि निकालकर लाभार्थियों के खातों में जमा करने की व्यवस्था करेगा। राज्य सरकार द्वारा अपेक्षित प्रबंधन सूचना प्रणाली स्वयमेव ही सुदृढ़ हो जाएगी क्योंकि भुगतान सूचनाओं का इलेक्ट्रॉनिक रूप से और अबाध रूप से एक छोर से दूसरे छोर तक प्रवाह होगा जिससे विभिन्न प्रकार की रिपोर्टों को जनरेट करने के लिए डेटा बेस तैयार हो सकेगा।

चूंकि ईबीटी योजना समग्र वित्तीय समावेशन योजना का एक हिस्सा है, ईबीटी खाताधारकों को भी जमा योजना, ओवरड्राप्ट के साथ बचत खाता, प्रेषण और सामान्य क्रेडिट कार्ड / किसान क्रेडिट कार्ड के रूप में उद्यम क्रेडिट ऋण उत्पाद जैसी अनुमत संपूर्ण बैंक सेवाएं प्रदान की जाएंगी। इस प्रकार, ईबीटी कार्यान्वयन से लाभार्थियों को सामाजिक सुरक्षा लाभ सीधे तौर पर उनके खाते में जमा किया जा सकेगा और इस तरह सरकारी कार्यकर्ताओं की लागत और समय की बचत होगी जो भारी मात्रा में तथा कम राशि का भुगतान मैन्युअल रूप से करने में लगती।

वित्तीय साक्षरता प्रयास

IV.33 वित्तीय साक्षरता को वित्तीय समावेशन, उपभोक्ता संरक्षण तथा अंततः वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण सहायक माना जाता है। वित्तीय समावेशन तथा वित्तीय साक्षरता को साथ-साथ चलाए जाने की आवश्यकता है ताकि सामान्य आदमी औपचारिक वित्तीय संस्थाओं द्वारा प्रस्तुत किए गए उत्पादों और सेवाओं की जरूरत एवं लाभों को समझ सके। भारत में साक्षरता के निम्न स्तर और जनसंख्या के बहुत बड़े भाग के औपचारिक वित्तीय प्रणाली से अभी भी बाहर होने के कारण वित्तीय साक्षरता की जरूरत कहीं अधिक है। हाल के वर्षों में वित्तीय साक्षरता को ज्यादा महत्व दिया जाने लगा है क्योंकि वित्तीय बाजार बहुत अधिक जटिल हो गया है तथा सामान्य व्यक्ति को सभी बातों पर विचार करके निर्णय लेने में कठिनाई होती है। इसके अलावा, हमारे देश में घरेलू बचतों का प्रतिशत अधिक

होने के कारण, वित्तीय साक्षरता घरेलू बचतों के प्रभावी आबंटन और वित्तीय लक्ष्यों को पूरा करने में व्यक्तियों की योग्यता में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। हाल के वर्षों में रिजर्व बैंक के आउटरीच कार्यक्रम ने जागरूकता बढ़ाने और वित्तीय साक्षरता में सुधार लाने में मदद की है (बॉक्स IV.3)।

IV.34 विभिन्न हितधारियों द्वारा बढ़ावा दी जा रही वित्तीय साक्षरता को वित्तीय समावेशन प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मांग पक्ष इनपुट माना गया है। सभी वित्तीय विनियामकों और अन्य हितधारियों के द्वारा किए गए प्रयासों में प्रभावी तालमेल सुनिश्चित करने के लिए, वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद के तत्वाधान में वित्तीय समावेशन और वित्तीय साक्षरता पर एक तकनीकी दल बनाया गया है जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक, सेबी, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, भारत सरकार,


बॉक्स IV.3 रिजर्व बैंक का आउटरीच कार्यक्रम

भारतीय रिजर्व बैंक के आउटरीच कार्यक्रम में रिजर्व बैंक का उच्च प्रबंध-तंत्र शामिल होता है - जैसे गवर्नर, उप गवर्नर और कार्यपालक निदेशक। वे देश के विभिन्न गांवों में जाते हैं। अर्थिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने में विशेष रूप से ग्रामांचल के लोगों को जोड़ने के लिए बैंकों, वित्तीय संस्थाओं और स्थानीय सरकार को प्रोत्साहित करते हैं। वे लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं को समझने के लिए उनसे बातचीत करते हैं। साथ ही, वे उन्हें यह बताते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक उनके लिए क्या कर रहा है ताकि यह पता लगाया जा सके कि वे आरबीआई से क्या उम्मीद रखते हैं। आउटरीच दौरों के समय, औपचारिक बैंकिंग क्षेत्र तथा रिजर्व बैंक की कार्यप्रणाली से जुड़ने के लाभों की जानकारी भाषण, स्किट, पोस्टर, लघु फिल्म, पैम्फलेट, वित्तीय साक्षरता पर कॉमिक पुस्तकों के वितरण (राजू और दी मनी ट्री, मनी कुमार आदि), स्कूली बच्चों के लिए विविध प्रतियोगिता और निबंध प्रतियोगिता, सभा स्थल पर रखे किओस्क के जरिए दी जाती है। सभास्थल पर जानकारी दिए जाने के अलावा नोटों और सिक्कों का विनियम भी किया जाता है। लक्ष्य समूह में विद्यार्थियों, स्वयं-


सहायता समूह के सदस्यों, गांववासियों, किसानों, गैर-सरकारी संगठनों, बैंकरों, सरकारी कर्मचारियों, वरिष्ठ नागरिकों, गृहिणियों, पंचायत सदस्यों, दैनिक मजदूरी कमाने वालों और सुरक्षा कार्मिकों को शामिल किया गया है।

पिछले 3 साल के दौरान रिजर्व बैंक के उच्च कार्यपालकों द्वारा देश भर में फैले 115 गांवों में आउटरीच दौरे किये गये हैं। इन गांवों में, वित्तीय समावेशन की प्रगति के विश्लेषण से पता चलता है कि 73 प्रतिशत गांव सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आधारित बिजनेस कारेस्पांडेट मॉडल के माध्यम से बैंकिंग सेवाएं प्राप्त कर रहे हैं, जबकि शेष गांवों को ईट-गारे की शाखाओं के माध्यम से कवर किया गया है। खातों, विशेष रूप से नोफ्रिल खातों की संख्या कई गुणा बढ़ गई है। लेनदेन हैंड हेल्ड उपकरण पर स्मार्ट कार्ड का प्रयोग करके प्रयोक्ता अनुकूल तरीके से बिजनेस कारेस्पांडेट के माध्यम से किए जा रहे हैं। सामाजिक लाभों को सीधे उनके बैंक खातों में जमा किया जा रहा है। इस प्रकार रिजर्व बैंक के आउटरीच कार्यक्रम ने कई छोटे-छोटे गांवों के समग्र कल्याण में सुधार लाने में मदद की है।

चार्ट 1: आउटरीच कार्यक्रम में कवर किए गए गांवों में प्रगति



ख: आईसीटी आधारित खाते - लेनदेनों की संख्या



राज्य सरकारों तथा केंद्रीय शिक्षा बोर्ड आदि के प्रतिनिधि शामिल किए गए हैं। इस समूह की तिमाही अंतराल में बैठक होती है, इसकी पहली बैठक नवंबर 2011 को आयोजित की गई, इसके पश्चात फरवरी और मई 2012 में दो और बैठकें आयोजित की गईं। यह दल स्कूल पाठ्यक्रम में वित्तीय साक्षरता के समावेशन के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड तथा राज्य शिक्षा बोर्ड से बातचीत कर रहा है।

IV.35 वित्तीय शिक्षा के लिए एक राष्ट्रीय रणनीति बनाई गई है तथा इस दस्तावेज को व्यापक विचार-विमर्श के लिए रिजर्व बैंक की वेबसाइट पर डाला गया है। इस रणनीति में जनसंख्या के सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। चूँकि चुनौती बहुत बड़ी संख्या में वित्तीय रूप से वंचित लोगों को औपचारिक वित्तीय प्रणाली से जोड़ना है, अतः आधार स्तर पर रणनीति का मूल ध्यान बुनियादी वित्तीय उत्पादों के के बारे में जागरूकता उत्पन्न करना है। इस प्रयोजन के लिए, वित्तीय शिक्षा का प्रयास मुख्य रूप से पूरे देश में बड़े अभियान के माध्यम से देशी भाषा में वित्तीय समझदारी का सामान्य संदेश प्रसारित करना होगा, साथ ही बैंकों, बीमा, पेंशन निधियों तथा अन्यों के द्वारा वित्तीय समावेशन योजना को व्यापक स्तर पर फैलाना होगा। वित्तीय तौर पर शामिल लोगों अर्थात् निम्न और मध्यम आय वर्ग तथा उच्च हैसियत वाले लोगों के लिए, वित्तीय साक्षरता का तात्पर्य बाजार और विभिन्न नए उत्पादों के बारे में उनके ज्ञान को बढ़ाना है। इस रणनीति का उद्देश्य जागरूकता के जरिए ज्ञान प्रदान करना और वित्तीय सेवाओं तक पहुंच, विभिन्न प्रकार के उत्पादों तथा उनकी विशेषताओं की शिक्षा प्रदान करना है। इसका उद्देश्य ज्ञान को व्यवहार में बदलने के लिए प्रवृत्तिगत परिवर्तन लाना तथा ग्राहकों को वित्तीय सेवाओं के उपभोक्ता के रूप में अपने अधिकारों तथा जिम्मेदारियों को समझाना भी है।

वित्तीय साक्षरता केंद्र

IV.36 रिजर्व बैंक ने फरवरी 2009 में बैंकों को सूचित किया था कि वे निशुःल्क वित्तीय साक्षरता, शिक्षा तथा ऋण परामर्श प्रदान करने के लिए वित्तीय साक्षरता और ऋण परामर्श केंद्र स्थापित करें। इस योजना के अंतर्गत मार्च 2012 के अंत तक 429 वित्तीय साक्षरता और ऋण परामर्श केंद्र स्थापित किए गए हैं। चूँकि यह योजना 3 वर्षों से चालू है, अतः यह निर्णय लिया गया कि इस योजना की प्रभावकारिता और देश में वित्तीय साक्षरता के प्रसार पर इसके प्रभाव का आकलन

किया जाए। तदनुसार, देशव्यापी सैम्पल सर्वेक्षण के माध्यम से वित्तीय साक्षरता और ऋण परामर्श केंद्र की कार्यप्रणाली पर एक अध्ययन किया गया। 16 शहरों में फैले 30 वित्तीय साक्षरता और ऋण परामर्श केंद्रों के अध्ययन से इस योजना की विभिन्न कमियों और सीमाओं का पता चला है, जैसे ग्रामीण क्षेत्रों के बजाय शहरी और अर्ध शहरी क्षेत्रों में इन केंद्रों का संकेंद्रण, दूरदराज के क्षेत्रों में साक्षरता अभियान चलाने के बजाय केवल स्वयं पहुंचने वाले ग्राहकों को ही सेवाएं देना, वित्तीय साक्षरता और ऋण परामर्श केंद्रों द्वारा प्रवर्तक बैंक से सम्यक दूरी बनाए रखने के बजाय उसके आदेशानुसार कार्य करना। अध्ययन के निष्कर्षों के आधार पर तथा वित्तीय साक्षरता के प्रयासों को कई गुना और बढ़ाने के उद्देश्य के साथ, मौजूदा योजना को संशोधित किया गया है और बैंकों को सलाह दी गई है कि वे अग्रणी जिला प्रबंधकों के 630 से अधिक कार्यालयों में वित्तीय साक्षरता केंद्र बनाएं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की 35,000 से अधिक ग्रामीण शाखाओं में भी वित्तीय साक्षरता संबंधी क्रिया-कलाप किए जाएं। सभी वर्तमान वित्तीय साक्षरता और ऋण केंद्रों सहित वित्तीय साक्षरता केंद्रों को अब वित्तीय साक्षरता केंद्र कहा जाएगा। बैंकों को यह भी सलाह दी गई कि वे अपनी आवश्यकता के अनुसार अन्य स्थानों में वित्तीय साक्षरता केंद्र बना सकते हैं। वित्तीय साक्षरता केंद्रों से आशा की गई है कि वे साधारण संदेश के रूप में वित्तीय साक्षरता प्रदान करें, जैसे बैंकों के पास बचत रखनी चाहिए, बैंकों से उधार क्यों लेना चाहिए, यथासंभव आमदनी बढ़ाने वाले क्रियाकलापों के लिए ही क्यों उधार लेना चाहिए, क्यों समय पर चुकौती करनी चाहिए, क्यों अपना बीमा कराना चाहिए, क्यों सेवानिवृत्ति के लिए बचाना चाहिए। वित्तीय साक्षरता केंद्रों और बैंकों की ग्रामीण शाखाओं से यह भी आशा की गई है कि वे बाहर वित्तीय साक्षरता शिविर लगाएं जिसमें पूरा ध्यान वित्तीय रूप से वंचित लोगों पर हो तथा यह शिविर महीने में कम से कम एक बार लगाया जाए। चूँकि वित्तीय साक्षरता केंद्रों का लक्ष्य वित्तीय साक्षरता के साधारण संदेशों के प्रसार पर है, अतः किसी प्रकार की गलत जानकारी देने का जोखिम नहीं उठाया जाना चाहिए।

IV.37 रिजर्व बैंक ने वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं जिससे बैंकिंग के लाभ उन लोगों तक पहुंच सकें जिनकी इन सेवाओं तक पहुंच नहीं है। परंतु यह कार्य बहुत बड़ा है और इस संबंध में प्रगति आवश्यकता से पीछे है। इस प्रकार इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने और इसे मुख्य धारा में लाने की जरूरत है।

भारतीय वित्तीय बाजार, विशेष रूप से विदेशी मुद्रा बाजार, कमज़ोर घरेलू समष्टि आर्थिक आधारभूत तत्वों और अगस्त 2011 से यूरो क्षेत्र के सरकारी ऋण संकट के कारण अस्थिर हो गया। रिजर्व बैंक ने मुद्रा बाजार की अस्थिरता को रोकने के लिए तथा विदेशी अंतर्वाहों को प्रोत्साहित करने के लिए भी अनेक उपाय किए। रिजर्व बैंक ने द्वितीयक सरकारी प्रतिभूति बाजार को चलनिधि प्रदान करने और जोखिम-अंतरणों की व्यवस्था करके कंपनी बांड बाजार को विकसित करने के अपने प्रयास जारी रखे।

V.1 रिजर्व बैंक ने अर्थव्यवस्था की अन्य क्षेत्रों के साथ आपसी सहबद्धताओं को ध्यान में रखते हुए, वित्तीय बाजार के विकास और विनियमन पर सुनियोजित रूप से ध्यान केंद्रित किया है। इसके अलावा, एक सुदृढ़ और सक्रिय वित्तीय बाजार मजबूत मौद्रिक नीति के असर के लिए महत्वपूर्ण है। बाजार के सुचारू कार्यसंचालन के लिए और ऐसे प्रणालीगत जोखिमों को रोकने के लिए जो वास्तविक अर्थव्यवस्था को बुरी तरह प्रभावित कर सकते हैं, रिजर्व बैंक निरंतर रणनीतिक भूमिका निभा रहा रहा है।

सरकारी प्रतिभूति बाजार

V.2 2010-11 वर्ष के दौरान, रिजर्व बैंक ने सरकारी प्रतिभूति बाजार के विकास से संबंधित कई उपाय किए। विशेष रूप से, सरकारी प्रतिभूति और ब्याज दर डेरिवेटिव बाजार में चलनिधि बढ़ाने के तरीकों की जांच करने के लिए एक कार्य दल बनाया गया।

सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी के समय में परिवर्तन

V.3 सरकारी प्रतिभूतियों अर्थात् भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों, खजाना बिलों, नकदी प्रबंधन बिलों और राज्य सरकार विकास ऋणों की नीलामी प्रक्रिया की दक्षता बढ़ाने के लिए, प्रतियोगी बोली के अंतर्गत प्राथमिक नीलामी के समय को 13 अप्रैल 2012 से पूर्वी.10:30 बजे से अप.12:30 बजे तक को संशोधित कर पूर्वी.10:30 से अप.12:00 बजे कर दिया गया है। इससे उस दिन नीलामी की गई द्वितीयक बाजार प्रतिभूतियों में लेनदेनों को और समय मिल जाएगा।

गिल्ट खाता धारकों को सुपुर्दगी बनाम भुगतान III सुविधा देना

V.4 गिल्ट खाता धारकों को सरकारी प्रतिभूति बाजार में प्रतिभूतियों और निधियों के निवल निपटान का लाभ देने के लिए,

जुलाई 2011 में सुपुर्दगी बनाम भुगतान III सुविधा गिल्ट खाता धारकों के द्वारा किए गए सभी लेनदेनों के लिए दी गई, इसमें एक ही अभिरक्षकों के गिल्ट खाताधारकों के बीच किए गए लेनदेनों को शामिल नहीं किया गया।

प्राथमिक व्यापारियों के प्राधिकरण के लिए संशोधित दिशानिर्देश

V.5 प्राथमिक व्यापारी प्राधिकरण की नीति को और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि नए प्राथमिक व्यापारियों के पास काफी अधिक पूँजी है और सरकारी प्रतिभूति बाजार में उनको पर्याप्त अनुभव/ विशेषज्ञता है, प्राथमिक व्यापारी प्राधिकरण दिशानिर्देशों को अगस्त 2011 में संशोधित किया गया। आवेदक कंपनी को गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी के रूप में पंजीकृत होना चाहिए और प्राथमिक व्यापारी का कारोबार करने के लिए आवेदन प्रस्तुत करने के पहले उसका प्रतिभूति कारोबार, विशेष रूप से सरकारी प्रतिभूति बाजार में कम से कम एक वर्ष का कार्य करने का अनुभव होना चाहिए।

सरकारी प्रतिभूति और ब्याज दर डेरिवेटिव बाजार में चलनिधि बढ़ाने के लिए कार्य दल

V.6 सरकारी प्रतिभूति बाजार की महत्वपूर्ण भूमिका तथा वित्तीय संस्थाओं विशेष रूप से बैंकों के निवेश पोर्टफोलियो में सरकारी प्रतिभूतियों की अधिकता को देखते हुए, रिजर्व बैंक निरंतर आधार पर गतिविधियों की समीक्षा कर रहा है ताकि इस बाजार को और व्यापक तथा गहन बनाया जा सके। पिछले दो दशकों में सरकारी प्रतिभूति बाजार के विकास के बावजूद, यह आवश्यक समझा गया कि सरकारी प्रतिभूतियों के द्वितीयक बाजार में चलनिधि बढ़ायी जाए, विशेष रूप से आय वक्र से जुड़ी प्रतिभूतियों के लिए। इस प्रयास के एक भाग के रूप में, रिजर्व बैंक ने दिसंबर 2011 में विभिन्न हितधारियों को शामिल कर एक कार्य दल

(अध्यक्ष: श्री आर.गांधी) बनाया जो इस विषय की जांच करके सरकारी प्रतिभूति और ब्याज दर डेरिवेटिव बाजार में द्वितीयक बाजार चलनिधि बढ़ाने के तरीके सुझाएगा (बॉक्स V.1)। इस दल ने 10 अगस्त 2012 को अपनी रिपोर्ट सौंपी।

बॉक्स V.1 सरकारी प्रतिभूति और ब्याज दर डेरिवेटिव बाजार में चलनिधि बढ़ाने संबंधी कार्य दल

गहन और व्यापक वित्तीय बाजार, अर्थव्यवस्था में पूँजी आवंटन की क्षमता सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है और ऐसे बाजार से निर्गमकर्ताओं (अर्थात केंद्र और राज्य सरकार) तथा निवेशकों (अर्थात बैंक, वित्तीय संस्थाएं, कंपनियां, वैयक्तिक निवेशक आदि) को लाभ मिलता है। लेकिन, सरकारी प्रतिभूतियों के द्वितीयक बाजार में कुछ प्रतिभूतियों में ही लिक्विडिटी होती है। इसके अलावा, भौतिक और नकदी दोनों के रूप में निपटाए जाने वाले ब्याज दर फ्यूचर्स की शुरुआत फिर से किए जाने के बावजूद ब्याज दर डेरिवेटिव बाजार ने अभी जोर नहीं पकड़ा है। ब्याज दर स्वैप का बाजार सक्रिय रहा है लेकिन इसका आधार व्यापक नहीं है और इसमें मुख्य रूप से बैंकों, विशेष रूप से विदेशी बैंकों, की प्रधानता है।

रिजर्व बैंक द्वारा निम्नलिखित शर्तों के अधीन एक कार्य दल का गठन किया गया जिसमें आंतरिक और बाह्य विशेषज्ञ शामिल थे:

- सरकारी प्रतिभूति और ब्याज दर डेरिवेटिव के लिए बाजार के विकास का विश्लेषण करना;
- प्राथमिक, द्वितीयक और ब्याज दर डेरिवेटिव बाजार तथा अन्य कारकों की दृष्टि से, सरकारी प्रतिभूतियों और ब्याज दर डेरिवेटिव की चलनिधि को निर्धारित करने वाले और प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन करना;
- द्वितीयक सरकारी प्रतिभूति बाजार की चलनिधि, विशेष रूप से सरकारी प्रतिफल वक्र, को मजबूत करने वाले और बाधा पहुंचाने वाले कारकों की जांच करना और इनको मजबूत करने /बाधाओं के निराकरण के तरीके सुझाना;
- ब्याज दर डेरिवेटिव बाजार के विकास को मजबूत करने वाले और रोकने वाले कारकों की जांच करना और इनको मजबूत करने / बाधाओं के निराकरण के तरीके सुझाना;
- सरकारी प्रतिभूति बाजार में खुदरा सहभागिता को बढ़ाने के लिए उपाय सुझाना;
- संबंधित मामलों की जांच करना।

कार्य दल की कुछ सिफारिशें इस प्रकार हैं:

क) सरकारी प्रतिभूति बाजार

- लंबी कालावधि की बैंचमार्क प्रतिभूतियों के निर्गम, बाइबैक और स्वीच आदि जैसे कदम उठाने के साथ-साथ अलग-अलग परिपक्वता पाईंट वाली प्रतिभूतियों के निर्गम की शुरुआत करके बकाया सरकारी प्रतिभूतियों को समेकित करना जिसके लिए अगले 3-4 वर्षों का एक ढांचा तैयार किया जा सकता है;
- परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) पोर्टफोलियो की उच्च सीमा को धीरे-धीरे कम करने की एक योजना बनाना। ऐसा करते समय, बैंकों/ प्राथमिक व्यापारियों के तुलन-पत्र में परिपक्वता तक धारित वर्गीकरण की सीमा में कमी के संभावित प्रभाव को और इस मुद्रे के समाधान के लिए किये जाने वाले उपाय को समुचित रूप से संतुलित करना ताकि इनसे कंपनियों और अन्य हितधारियों को ऊर्जा बाधा न पहुंचे।

वार्तात्मक लेनदेन प्रणाली -ऑर्डर मैचिंग (एनडीएस-ओएम) तक सीधी पहुंच

V.7 नवंबर 2011 में, लाइसेंस प्राप्त शहरी सहकारी बैंकों तथा भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 45-I (सी)

- उनके द्वारा बाजार बनाने के लिए प्रत्येक प्राथमिक व्यापारी को विशिष्ट प्रतिभूतियों के आवंटन और यदि जरूरी हो तो प्राथमिक व्यापारियों के बीच आवधिक अंतरालों पर प्रतिभूतियों के स्टॉक का रोटेशन;
- सरकारी प्रतिभूतियों में विदेशी संस्थागत निवेशकों की निवेश सीमा को धीरे-धीरे बढ़ाया जाए। देश की समग्र बाह्य ऋण स्थिति, चालू खाता घाटा, केंद्र सरकार के उधार कार्यक्रम आदि को ध्यान में रखते हुए, इसकी प्रतिवर्ष समीक्षा की जाए;
- सरकारी प्रतिभूति बाजार में न्यास, कंपनी आदि जैसे निवेशकों की आसानी से पहुंच और उचित प्रोत्साहनों (जैसे कर विराम, चलनिधि समर्थन आदि) के माध्यम से दीर्घावधि गिल्ट निधि को बढ़ावा दिया जाए; और
- बाजार रिपो के अंतर्गत अधिग्रहीत प्रतिभूतियों की बिक्री/रिपो पर प्रतिबंधों की समीक्षा की जाए जिससे 'लीवरेज' पर समुचित पाबंदियों के साथ मीयादी रिपो बाजार को प्रोत्साहित किया जा सके और सरकारी प्रतिभूतियों में समुचित त्रिपक्षीय रिपो शुरू करने पर विचार किया जा सके।

ख) सरकारी प्रतिभूतियों की खुदरा बिक्री में सुधार

- संवितरण चैनल के रूप में और वैयक्तिक निवेशकों के साथ इंटरफेस के लिए नोडल स्थान के रूप में बैंकों (और यदि बाद के स्तर पर संभव हो तो डाक घर, भारत सरकार के साथ परामर्श करके) की सेवाओं का उपयोग करना;
- दीर्घावधि में सरकारी प्रतिभूतियों में खुदरा सहभागिता के लिए केंद्रीयकृत बाजार निर्माता जो खुदरा / वैयक्तिक निवेशकों के लिए सरकारी प्रतिभूतियों के दोतरफा मूल्य कोट करेगा।
- एसजीएल और डीमैट फॉर्मेट के बीच अबाध क्रियाकलाप के लिए परिचालनात्मक प्रक्रिया को सरल बनाया जाए।

ग) ब्याज दर डेरिवेटिव

- ब्याज दर स्वैप बाजार के लिए इलेक्ट्रॉनिक स्वैप क्रियान्वयन सुविधा (इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग फ्लेटफॉर्म) और एक केंद्रीय काउंटर पार्टी की शुरुआत करने पर विचार किया जाए जो इलेक्ट्रॉनिक फ्लेटफॉर्म के माध्यम से किये गये ट्रेड के गारंटीकृत निपटान की व्यवस्था करेगी।
- ऐसी फ्यूचर्स संविदाओं को शुरू करना जिन पर सहभागियों की रुचि की उच्च संभावना हो बर्शर्टे विनियामी अनुमोदन हो। शुरू में ओवरनाइट मांग उधार दर आधारित ब्याज दर फ्यूचर्स पर विचार किया जाए;
- नकद में निपटाये जाने वाले 10 वर्षीय ब्याज दर फ्यूचर्स को अनुमति देने पर विचार किया जाए बर्शर्टे समुचित विनियमावली हो जैसे- प्रतिबंधित सहभागिता, कंपनी आधारित औपन पोजिशन सीमा, मूल्य बैंड आदि; और सुपुर्गी आधारित 10 वर्षीय ब्याज दर फ्यूचर्स के मौजूदा उत्पाद डिजाइन का एकल बांड संविदा, व्यापक संविदा आकार आदि की अनुमति देकर सुकर बनाने पर विचार किया जाए;

इन सिफारिशों को रिजर्व बैंक की वेबसाइट पर डाल दिया गया है और इनको अंतिम रूप दिया जा रहा है।

(ii) की परिधि में आने वाली प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण जमा न लेने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को वार्तात्य लेनदेन प्रणाली-ऑर्डर मैचिंग तक सीधा एक्सेस दिया गया है बशर्ते निर्धारित वित्तीय मानदंडों का अनुपालन किया जाए तथा संबंधित विनियामक विभागों से अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त किया जाए।

एनडीएस-नीलामी और एनडीएस-ऑर्डर मैचिंग में एक्सेस के लिए वेब आधारित प्रणाली शुरू करना

V.8 सरकारी प्रतिभूति नीलामी में खुदरा और मध्यवर्ती खंड के निवेशकों की सीधी सहभागिता को सुगम बनाने के लिए, रिजर्व बैंक ने ऐसे निवेशकों को सीसीआईएल द्वारा विकसित वार्तात्य लेनदेन प्रणाली (एनडीएस)-नीलामी में वेब आधारित एक्सेस की अनुमति दी है। यह प्रणाली गिल्ट खाताधारकों को प्राथमिक सदस्य के पोर्टल के माध्यम से सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी में सीधे तौर पर अपनी बोली लगाने की अनुमति देती है। यह प्रणाली पूर्व परंपरा के विपरीत है जब प्राथमिक सदस्य सभी ग्राहकों को बोलियों को एकत्र करते थे और उनकी तरफ से बाजार में बोली लगाते थे। द्वितीयक बाजार लेनदेनों के लिए जून 2012 से एनडीएस-ओएम प्रणाली में इसी प्रकार की वेब आधारित एक्सेस की अनुमति दी गई है।

शॉर्ट सेल की अवधि को पांच दिन से बढ़ाकर तीन माह किया गया

V.9 मूल्य खोज, चलनिधि बढ़ाने और बेहतर जोखिम प्रबंधन के लिए शॉर्ट सेलिंग एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। एक्सचेंजों में व्याज दर प्यूचर्स की शुरुआत फिर से किये जाने से, शॉर्ट सेलिंग संबंधी दिशानिर्देशों के पुनरावलोकन की आवश्यकता हुई ताकि शॉर्ट सेलिंग की तुलना में नकदी और प्यूचर्स बाजार के बीच समानता सुनिश्चित हो सके। तदनुसार, 1 फरवरी 2012 से शॉर्ट सेल की अवधि को पांच दिन से बढ़ाकर तीन माह किया गया है। इससे हेज/अंतरण को और प्रभावी तरीके से करने के लिए सहभागियों की मदद द्वारा व्याज दर प्यूचर्स बाजार को बढ़ावा मिलने तथा मीयादी रिपो बाजार के विकसित होने की आशा है।

विदेशी मुद्रा बाजार

V.10 2011-12 के दौरान रिजर्व बैंक की मुख्य चिंता विदेशी बाजार की अस्थिरता को रोकना था। इस क्षेत्र में नीतिगत उपाय प्रक्रिया को तर्कसंगत तथा सरल बनाने और उदारीकरण प्रक्रिया को बनाए रखने के साथ-साथ विदेशी अंतर्वाहों को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन देने की ओर दिशानिर्देशित थे।

विदेशी निवेश

विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई)

V.11 मई 2011 में, प्राधिकृत व्यापारियों को अनुमति दी गई कि वे रिजर्व बैंक की पूर्व अनुमति के बिना शेयरों की खरीद अथवा एफडीआई लेनदेनों को सहज बनाने के लिए जमानत रखने हेतु भारतीय रूपये में व्याजरहित निलंब खाता खोल सकते हैं। इस उपाय का उद्देश्य परिचालन में लचीलापन लाना और ऐसे लेनदेनों के लिए क्रियाविधि को आसान बनाना है। इसके अलावा, प्राधिकृत व्यापारी बैंकों को अनुमति दी गई कि वे एफडीआई मार्ग से प्राप्त शेयरों को भारत अथवा विदेश में वास्तविक कारोबार हेतु गिरवी के रूप में रख सकते हैं। नवंबर 2011 में, वित्तीय क्षेत्र में भारतीय कंपनियों की एफडीआई योजना के अंतर्गत शेयरों और/अथवा जहां संबंधित सेबी मूल्यन दिशानिर्देश का पालन होता हो, को रिजर्व बैंक के पूर्व अनुमोदन के बिना अंतरित करने की अनुमति दी गई। भारतीय कंपनियों द्वारा तेल क्षेत्र में अनिवासियों को ‘सहभागिता हित/अधिकार’ जारी करने/अंतरण करने के रूप में किये गये विदेशी निवेश को विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के रूप में माना जाएगा।

V.12 विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड के पूर्व अनुमोदन से, एफडीआई योजना के अंतर्गत आयात देयों तथा निगम बनाने के पूर्व के व्ययों और एकल ब्रांड खुदरा ट्रेड में भी 100 प्रतिशत एफडीआई के पूँजीकरण की अनुमति दी गई है।

विदेशी पोर्टफोलियो निवेश

V.13 भारत में विदेशी पोर्टफोलियो निवेश को संचालित करने वाली विनियमावली को सरल, तर्कसंगत और उदार बनाने के लिए 2011-12 के दौरान कई उपाय किए गए। अहताप्राप्त विदेशी निवेशकों को म्यूचुअल फंडों की यूनिटों, सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों तथा सूचीबद्ध कंपनी ऋणों में निवेश की अनुमति दी गई ताकि भारत में विदेशी पोर्टफोलियो निवेश का दायरा बढ़ाया जा सके तथा परिणामस्वरूप भारत में और स्थिर पोर्टफोलियो पूँजी अंतर्वाह का वातावरण बनाया जा सके। दीर्घकालिक अनिवासी निवेशकों (एसडब्ल्यूएफ, धर्मदा निधि, बीमा निधि, पेंशन निधि, बहुपक्षीय एजेंसी), विदेशी संस्थागत निवेशकों और अनिवासी भारतीयों को भारत में म्यूचुअल फंड अथवा गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के रूप में स्थापित आधारभूत ऋण निधि (आईडीएफ) में निवेश करने की अनुमति दी गई ताकि दीर्घकालिक विदेशी निवेशकों को भारत के ऋण बाजार में पहुंच की सुविधा प्रदान की जा सके और भारत के महत्वपूर्ण बुनियादी क्षेत्र में विदेशी पूँजी प्रवाह को लगाया जा सके।

V.14 विदेशी जोखिम पूंजी निवेशकों को तृतीय पक्ष निजी व्यवस्था के माध्यम से निवेश करने और सूचीबद्ध प्रतिभूतियों में निवेश करने की अनुमति दी गयी बशर्ते सेबी से संबंधित दिशानिर्देशों का पालन हो।

सरकारी प्रतिभूतियों एवं कंपनी बांडों में विदेशी संस्थागत निवेशकों का निवेश

V.15 सरकारी प्रतिभूति एवं कंपनी बांड बाजार में विदेशी संस्थागत निवेशकों के निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए, 2011-12 के दौरान ऐसे लिखतों में निवेश की सीमा को बढ़ाकर क्रमशः 20 और 45 बिलियन अमरीकी डॉलर कर दिया गया। जून 2012 में यह भी निर्णय लिया गया कि 20 बिलियन अमरीकी डॉलर की संपूर्ण सीमा तक सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश के लिए दीर्घकालिक निवेशकों को अनुमति प्रदान करके सरकारी प्रतिभूतियों में अनिवासी निवेशकों की संख्या बढ़ाई जाए।

VI.16 आधारभूत संरचना ऋण में एफआईआई निवेश योजना तथा आईडीएफ में अनिवासी निवेश योजना की शर्तों को समयबंदी और अवशिष्ट परिपक्वता के अनुसार और तर्क संगत बनाया गया है। उन अर्हता प्राप्त विदेशी निवेशकों को भी म्यूचुअल फंड ऋण योजनाओं में निवेश करने की अनुमति दी गयी जिनके पास आधारभूत संरचना से संबंधित म्यूचुअल फंडों में निवेश के लिए वर्तमान की 3 बिलियन अमरीकी डॉलर की उप सीमा के अंतर्गत बुनियादी क्षेत्र में उनकी अस्तियों (या तो ऋण में या ईक्विटी में) का कम-से-कम 25 प्रतिशत हो।

V.17 इसके अलावा, रिजर्व बैंक द्वारा आधारभूत वित्त कंपनियों के रूप में वर्गीकृत गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और आधारभूत ऋण निधि (आईडीएफ) को, दीर्घकालिक कंपनी ऋण इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ग के अंतर्गत विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा निवेश के प्रयोजन हेतु बांड जारी करने के लिए पात्र समझा गया।

उदारीकृत प्रेषण योजना

V.18 वर्तमान अनुदेशों के अनुसार, कोई निवासी व्यक्ति उदारीकृत प्रेषण योजना के अंतर्गत किसी अनुमति पूंजी अथवा चालू खाता लेन-देनों के लिए प्रति वित्त वर्ष 2,00,000 अमरीकी डॉलर तक प्रेषण करने का पात्र है। 2011-12 के दौरान निवासी व्यक्तियों को समग्र सीमा के अंतर्गत अपने किसी सगे-संबंधी अनिवासी भारतीय को रूपए में उधार देने अथवा उपहार देने की अनुमति दी गई है।

विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (फेमा), 1999 के अंतर्गत व्यक्तियों की सुविधाओं की समीक्षा करने के लिए बनी समिति की रिपोर्ट

V.19 2011-12 के मौद्रिक नीति वक्तव्य की घोषणा के अनुसार, और फेमा के वर्तमान विनियामी ढांचे के अंतर्गत व्यक्तियों अर्थात् निवासी/ अनिवासी भारतीयों और भारतीय मूल के व्यक्तियों के वास्तविक विदेशी मुद्रा लेन-देनों को आसान बनाने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, रिजर्व बैंक ने व्यक्तियों के लिए फेमा के अंतर्गत वर्तमान विनियामी ढांचे की समीक्षा करने तथा प्रक्रिया को और सुकर तथा सरल बनाने के लिए उपाय सुझाने हेतु एक समिति (अध्यक्ष: श्रीमती के.जे. उदेशी) गठित की।

V.20 रिजर्व बैंक द्वारा लागू की गयी समिति की कुछ महत्वपूर्ण सिफारिशों में शामिल हैं: बिना दस्तावेजी औपचारिकताओं के विविध प्रयोजनों के लिए विदेशी मुद्रा प्रेषण की सीमा को 5,000 अमरीकी डॉलर से बढ़ाकर 25,000 अमरीकी डॉलर करना⁷; अनिवासी भारतीयों के सगे-संबंधियों को उपहार देने / उन्हें रूपए में उधार देने / उनके ऋणों को चुकाने के लिए निवासियों को अनुमति देना (उदारीकृत प्रेषण योजना के अंतर्गत अनुमति प्रति वित्तीय वर्ष 2,00,000 अमरीकी डॉलर की समग्र सीमा के अंतर्गत); निवासियों को 50,000 अमरीकी डॉलर तक शेयरों / प्रतिभूतियों / परिवर्तनीय डिबेंचरों आदि में उपहार में देने की अनुमति देना, इसकी शर्त यह होगी कि निवासी का खाता निवासी निवेश मुद्रा खाता / विदेशी मुद्रा अर्जक विदेशी मुद्रा खाता / निवासी बैंक खाता के रूप में अपने निकट संबंधी एनआरआई के साथ संयुक्त रूप में हो और निवासी को बाहर से आए अपने निकट संबंधी एनआरआई / पीआईओ के चिकित्सा संबंधी व्यय वहन करने की अनुमति हो। अनिवासी भारतीय / भारतीय मूल के व्यक्ति एक वित्त वर्ष में 1 मिलियन अमरीकी डॉलर की समग्र सीमा के अंतर्गत निधियों का एनआरओ खाते से एनआरई खाते में अंतरण कर सकते हैं।

V.21 निवासी व्यक्तियों को योग्यता शेयर प्राप्त करने / विदेशी कंपनी के निदेशक का पद धारण करने हेतु पेशेवर सेवाओं के बदले शेयर प्राप्त करने के लिए सामान्य अनुमति दी गई। भारतीय निवासी कर्मचारियों अथवा निदेशकों को किसी विदेशी कंपनी में, जिसका किसी भारतीय कंपनी में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में ईक्विटी का दावा हो, एकरूपता के आधार पर, वैश्वक कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना के माध्यम से दिए जाने वाले शेयरों को स्वीकार करने की अनुमति दी गयी है। बैंकों को अनिवासी विदेशी जमाराशियों के

अंतर्गत बचत जमाराशियों और एक वर्ष से अधिक परिपक्वता वाली पोजीशन जमाराशियों दोनों पर तथा एनआरओ खातों की बचत जमाराशियों पर ब्याज दर स्वेच्छा से निर्धारित करने की अनुमति दी गई है।

भारतीय विदेशी मुद्रा बाजार की अस्थिरता को रोकने के लिए प्रशासनिक उपाय

V.22 2011-12 की दूसरी छमाही के दौरान विदेशी मुद्रा बाजार में अत्यधिक अस्थिरता को देखते हुए, रिजर्व बैंक द्वारा कई प्रशासनिक उपाय किए गए जैसे निवासियों और विदेशी संस्थागत निवेशकों को संविदागत एक्सपोज़र के अंतर्गत उपलब्ध संविदा को रद्द करके फिर से बुक करने की सुविधा को वापस लिया जाना; आयातकों के लिए अतीत की निष्पादन सुविधा की सीमा को घटाकर वर्तमान सीमा का 25 प्रतिशत कर दिया जाना; निर्यातकों और आयातकों की अतीत के निष्पादन की उपलब्ध सुविधा को केवल सुपुर्दग्गी आधार पर दिया जाना; इस आदेश के साथ कि ग्राहकों की ओर से अधिकृत व्यापारियों द्वारा किये गये सभी नकद/टॉम/ स्पॉट लेनदेन वास्तविक प्रेषण/केवल सुपुर्दग्गी के लिए होंगे और इनका निरसन/ नकद निपटान नहीं किया जा सकेगा; प्राधिकृत व्यापारियों की निवल ओवरनाइट ओपन पोजीशन सीमा में सभी स्तरों पर कमी करना; और इस आदेश के साथ कि प्राधिकृत व्यापारियों की अंतर-दिवसीय पोजीशन/दैनिक सीमा रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित वर्तमान निवल ओवरनाइट ओपन पोजीशन सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए।

V.23 करेंसी फ्यूचर्स खंड में, बैंकों के द्वारा ली जाने वाली पोजीशन पर भी रोक लगा दी गई है क्योंकि इसको ओवर दि काउंटर और करेंसी फ्यूचर्स के बीच अंतरपणन के लिए व्यापक स्तर पर प्रयोग किया जा रहा था जिससे विदेशी मुद्रा बाजार में अस्थिरता काफी अधिक बढ़ गई थी। तदनुसार, ये निर्णय लिए गये: बैंकों की वर्तमान निवल ओवरनाइट ओपेन पोजीशन सीमा, जैसीकि मुद्राओं में रुपया शमिल होने के कारण पोजीशन पर लागू होती है, में एक्सचेंजों के करेंसी फ्यूचर्स/विकल्प खंड में ली गई पोजीशन को शामिल नहीं किया जाना चाहिए; एक्सचेंजों (फ्यूचर्स और ऑप्शन) में ली गई पोजीशन को ओवर दि काउंटर बाजार और इसके ठीक विपरीत पोजीशन लेकर निवलीकृत/ऑफसेट नहीं किया जा सकता है; एक्सचेंजों में शुरू की गई पोजीशन को केवल एक्सचेंजों में ही परिसमापन/बंद किया जाना चाहिए; करेंसी फ्यूचर्स और ऑप्शन

की ट्रेडिंग के लिए एक्सचेंजों में ट्रेडिंग सदस्य प्राधिकृत व्यापारी वर्ग -I बैंक की पोजीशन सीमा 100 मिलियन अमरीकी डॉलर अथवा बकाया ओपन इंटरेस्ट का 15 प्रतिशत, जो भी कम हो, होनी चाहिए। निर्यातकों को कुछ परिचालनगत लोच प्रदान करने के लिए, 31 जुलाई 2012 से उनको अपने निर्यात एक्सपोजर से बचाव के लिए कुल बुक की गई संविदाओं का 25 प्रतिशत निरस्त करने तथा रिबुक करने की अनुमति दी गई है।

V.24 विदेशी मुद्रा अर्जक विदेशी मुद्रा (ईईएफसी)योजना का लक्ष्य फ्यूचर्स में विदेशी मुद्रा का लेनदेन करते समय विदेशी मुद्रा अर्जकों को कनवर्शन और लेनदेन लागत में बचत का लाभ देना है। इस सुविधा का आशय विदेशी मुद्रा अर्जकों को विदेशी मुद्रा में आस्तियां रखने की अनुमति देना नहीं है क्योंकि भारत अभी भी पूँजी खाता के मामले में पूर्ण रूप से परिवर्तनीय नहीं है। विदेशी मुद्रा बाजार में हाल की गतिविधियों को देखते हुए यह निर्णय लिया गया कि: ईईएफसी खाते में शेष के 50 प्रतिशत को रुपया शेष में कनवर्ट किया जाए और इसे 10 मई 2012 से खाताधारक के निर्देश के अनुसार रुपया खाते में एक पखवाड़े के अंदर क्रेडिट किया जाए। भविष्य में सभी विदेशी मुद्रा अर्जनों के मामले में, विदेशी मुद्रा अर्जक ब्याजरहित ईईएफसी खाते में 50 प्रतिशत (100 प्रतिशत की पहले की सीमा के विपरीत) रखने के पात्र होंगे। शेष 50 प्रतिशत रुपया शेष में कनवर्ट करने के लिए वापस करना होगा।

V.25 परिचालनगत सुविधा के लिए, विनियमावली की 31 जुलाई 2012 को समीक्षा की गई और यह निर्णय लिया गया कि ईईएफसी खाते में 100 प्रतिशत विदेशी मुद्रा अर्जनों को जमा करने के लिए पूर्व निर्देश को पुनः लागू किया जाए, ऐसा इस शर्त के अधीन होगा कि एक कैलेंडर माह के दौरान कुल उपचित राशि को अनुमोदित प्रयोजनों अथवा वायदा प्रतिबद्धताओं के लिए शेषों के उपयोग के समायोजन के पश्चात परवर्ती कैलेंडर माह के अंतिम दिन पर अथवा पहले रुपए में कनवर्ट किया जाना चाहिए।

बाह्य वाणिज्यिक उधारों के संबंध में उपाय और चुनौतियां

V.26 बाह्य वाणिज्यिक उधारों की एक चुनौती बाह्य ऋण की वहनीयता की तुलना में अंतिम उपयोग और पात्रता की अवधि को उदारीकृत करने की बढ़ती मांग है।

V.27 2011-12 के दौरान, विनिर्माण, बुनियादी क्षेत्र की कंपनियों के लिए; होटल, अस्पताल और सॉफ्टवेयर में सेवा क्षेत्र की कंपनियों के लिए; और माइक्रोफाइनेंस गतिविधियों में संलग्न गैर सरकारी

संगठनों के लिए आटोमैटिक रूट के अंतर्गत ईसीबी की वार्षिक सीमा को बढ़ाया गया। इसके अलावा, माइक्रोफाइनैस गतिविधियों को आगे उधार देने के लिए माइक्रो फाइनैस संस्थाओं को बाह्य वाणिज्यिक उधार लेने की अनुमति दी गई। पात्र उधारकर्ताओं को विदेशी ईक्विटी धारकों से भारतीय रूपए में मूल्यवर्गित बाह्य वाणिज्यिक उधार लेने की अनुमति दी गई। इसको आसान बनाने के लिए, अनिवासियों को भारतीय रूपये में मूल्यवर्गित बाह्य वाणिज्यिक उधारों के अपने करेंसी जोखिमों का बचाव करने की अनुमति दी गई। विनिर्माण और बुनियादी क्षेत्र की कंपनियों को भी, जो विदेशी मुद्रा अर्जन करती हैं, घरेलू बैंकिंग प्रणाली से लिए गए रूपया ऋण की चुकौती करने के लिए और/अथवा नए रूपया पूँजी व्यय के लिए अनुमोदन मार्ग के अंतर्गत बाह्य वाणिज्यिक उधार लेने की अनुमति दी गई।

V.28 विदेशी ईक्विटी धारकों को शामिल करने के लिए ऑटोमैटिक रूट के अंतर्गत संवर्धित ऋण प्रदान करने हेतु पात्र अनिवासी कंपनियों की संख्या बढ़ाई गई है।

V.29 अंतरराष्ट्रीय वित्तीय बाजार में हाल की गतिविधियों के कारण सख्त चलनिधि दशाओं और ऋण स्प्रेड में हुई वृद्धि को देखते हुए, व्यापार ऋण की समग्र लागत -सीमा और बाह्य वाणिज्यिक उधारों को बढ़ाया गया। उच्चतर समग्र लागत पर वर्तमान बाह्य वाणिज्यिक उधारों के पुनर्वित्तीयन को अनुमोदन मार्ग के अंतर्गत अनुमति दी गई। इसी प्रकार, उधारकर्ताओं को निर्देश दिए गये कि वे भारत में रूपये में व्यय करने के उद्देश्य से विदेश से जुटाए गए बाह्य वाणिज्यिक उधारों के आगम को तुरंत प्रत्यावर्तित करें और उसे भारत में रखे उधारकर्ता के रूपया खाते में क्रेडिट करें।

V.30 बाह्य वाणिज्यिक उधार नीतियों के उदारीकरण का उद्देश्य बुनियादी क्षेत्र के लिए और अधिक बाह्य निधियों को जुटाना भी है। 2011-12 के दौरान शुरू किए गए आधारभूत संरचना संबंधी विशिष्ट महत्वपूर्ण उपायों की अनुमति दी गई है: कंपनियों द्वारा जुटाए गए नए ईसीबी का 25 प्रतिशत पूर्ण हो चुकी बुनियादी परियोजनाओं के संबंध में घरेलू बैंकिंग प्रणाली से लिए गए रूपया ऋण की चुकौती के लिए उपयोग किया जाए जिसमें विद्युत क्षेत्र के लिए यह अनुमति 40 प्रतिशत की है; 1 बिलियन अमरीकी डॉलर की वार्षिक सीमा तक रेनमिन्बी में बाह्य वाणिज्यिक उधार लिये जा सकते हैं; निर्माण के दौरान अनुमत अंतिम उपयोग के रूप में ब्याज भुगतान किया जा सकता है; पूँजीगत सामान (बाद की तिथि में इसे ईसीबी के रूप में बदला जाए) के आयात के लिए 'पूरक वित्त' के रूप में अल्पकालिक

ऋण की सुविधा (क्रेता / आपूर्तिकर्ता के ऋण सहित) दी गयी है; और राष्ट्रीय विनिर्माण निवेश क्षेत्र (एनएमआईजेड) के अंतर्गत बुनियादी सुविधाओं के प्रावधान के लिए बाह्य वाणिज्यिक उधारों का उपयोग करने हेतु एनएमआईजेड के विकासकर्ताओं को अनुमति दी गई है।

विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांडों से संबंधित उपाय

V.31 वैश्वक वित्तीय संकट और तत्पश्चात ईक्विटी मूल्यों में आई गिरावट ने विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांडों को ईक्विटी में परिवर्तित नहीं होने दिया और परिणाम के रूप में भारतीय कंपनियों पर शोधन का दबाव पड़ा। भारतीय कंपनियों की आसन्न चुनौती विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांडों के शोधन दायित्व को पूरा करने की है जो अगले कुछ वर्षों में देय हो रहे हैं। दूसरी चुनौती विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांडों की मांग को बढ़ाना है जिनको निवेशकों का धीमा रिस्पोन्स मिल रहा है। विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांडों के शोधन में जारीकर्ताओं द्वारा सामना की जा रही कठिनाइयों को कम करने के लिए, भारतीय कंपनियों को अनुमति दी गयी है कि वे ऑटोमैटिक रूट के अंतर्गत वर्तमान ईसीबी दिशानिर्देशों के अनुसार अपने बकाया विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांडों के पुनर्वित्तीयन के लिए नये ईसीबी / एफसीसीबी जारी करें। विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांडों के पुनर्गठन, जिसमें कनवर्शन मूल्य में कोई परिवर्तन न हो, के प्रस्ताव पर अनुमोदन मार्ग के अंतर्गत विचार किया गया है।

दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) के सदस्य देशों के लिए स्वैप व्यवस्था

V.32 क्षेत्रीय वित्तीय और आर्थिक सहयोग को मजबूत करने के लिए, 16 मई 2012 को आयोजित 24वीं सार्कफाइनैस के गवर्नरों की बैठक में सार्क स्वैप व्यवस्था की घोषणा की गई। इस व्यवस्था के अंतर्गत रिजर्व बैंक सार्क के सभी सदस्यों देशों अर्थात् अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीप, नेपाल, पाकिस्तान, और श्रीलंका को विदेशी मुद्रा और भारतीय रूपये दोनों में 2 बिलियन अमरीकी डॉलर की स्वैप सुविधा प्रदान करेगा। भारत पूरी निधि का अंशादान करेगा। यह स्वैप अनुरोध करने वाले देश की घरेलू मुद्रा अथवा घरेलू मुद्रा मूल्यवर्गित सरकारी प्रतिभूति की जमानत पर अमरीकी डॉलर, यूरो अथवा भारतीय रूपये में प्रदान किया जाएगा। इस सुविधा के अंतर्गत अनुरोध करने वाले सदस्य देश अमरीकी डॉलर, यूरो अथवा भारतीय रूपये विभिन्न अंशों में ले सकते हैं। प्रत्येक आहरण तीन माह के लिए होगा और इसे दो बार रोल

ओवर किया जा सकेगा। स्वैप व्यवस्था का उद्देश्य सार्क सदस्य देशों के लिए निधीयन की एक बैंक स्टॉप लाइन प्रदान करना है जिससे भुगतान संतुलन और चलनिधि संकट से निपटा जा सके जब तक कि कोई दीर्घकालिक व्यवस्था न हो अथवा यदि बाजार के उथल-पुथल के कारण अल्पकालिक चलनिधि की आवश्यकता हो।

विदेशी निवेश - प्रमुख नीतिगत परिवर्तन

V.33 भारतीय कंपनियों द्वारा विदेशी निवेशकों को और अधिक परिचालनात्मक लोच प्रदान करने के लिए, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश से संबंधित विनियामवली को 2011-12 के दौरान और अधिक उदारीकृत/तर्कसंगत बनाया गया है।

विदेशी मुद्रा भंडार का प्रबंधन

V.34 भारत में विदेशी मुद्रा भंडार के प्रबंधन का दिशानिर्धारक उद्देश्य सुरक्षा, चलनिधि और प्रतिफल बना हुआ है जो सामान्य अंतरराष्ट्रीय व्यवहारों के अनुरूप है। विदेशी मुद्रा भंडार का स्तर परंपरागत तौर पर विदेशी मुद्रा बाजार में रिजर्व बैंक के हस्तक्षेप का परिणाम रहा है। रिजर्व बैंक द्वारा ऐसा हस्तक्षेप विनियम दर में अत्यधिक अस्थिरता और प्रतिभूतियों के मूल्य तथा अन्य मुद्राओं की तुलना में अमरीकी डॉलर में उतार-चढ़ाव के कारण मूल्यन में होने वाले परिवर्तन को रोकने के लिए किया जाता है। इसके अलावा, विदेशी मुद्रा भंडार, जो मुख्यतः अस्थिर पूँजी प्रवाह से बनता है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार से हुए अधिशेष अर्जनों का प्रतिनिधित्व नहीं करता है जैसाकि कुछ अन्य देशों के मामले में है, इसलिए पूँजी प्रवाह में अचानक विराम और विपर्यय के दौर के लिए इसे बफर के रूप में रखे जाने की आवश्यकता है। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 रिजर्व बैंक की विदेशी मुद्रा आस्तियों के नियोजन के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है।

डेरिवेटिव बाजार

ऋण चूक स्वैप (सीडीएस) पर अंतिम दिशानिर्देश जारी करना

V.35 निवासी कंपनियों के लिए कंपनी बांडों हेतु ओवर दि काउंटर एकल-नाम प्लेन वैनिला सीडीएस शुरू करने संबंधी

आंतरिक समूह की सिफारिशों को देखते हुए, बाजार सहभागियों से प्राप्त फीडबैक/सुझावों पर विचार करने के पश्चात ऋण चूक स्वैप पर दिशानिर्देश जारी किए गए (वार्षिक रिपोर्ट 2010-11 का बॉक्स V.1 देखें)। ऋण चूक स्वैप को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के अध्याय III डी के प्रयोजन के लिए 19 अक्टूबर 2011 को डेरिवेटिव के रूप में अधिसूचित किया गया। बैंकों और प्राथमिक व्यापारियों के लिए पूँजी पर्याप्तता और एक्सपोजर मानदंड पर दिशा निर्देश नवंबर 2011 में जारी किए गए। आवश्यक आधारभूत संरचना के साथ जिसमें रिपोजेटरी, दस्तावेजीकरण, मूल्यन के लिए सीडीएस वक्र, संविदाओं का मानकीकरण आदि शामिल है, सहभागियों को 1 दिसंबर 2011 से सीडीएस में प्रवेश की अनुमति दी गई है। बाजार निर्माताओं द्वारा भारतीय समाशोधन निगम लि. (सीसीआईएल) के प्लेटफॉर्म पर सीडीएस लेनदेनों की रिपोर्टिंग भी अनिवार्य कर दी गई है। फिर्मा बाजार सहभागियों में उत्पाद के बारे में जागरूकता पैदा करने तथा उनकी सीडीएस नीतियों को तैयार करने में मदद करने के लिए कार्यशालाएं चला रहा है।

V.36 सीडीएस लेनदेनों को रिपोर्ट करने के लिए ट्रेड रिपोजिटरी-सीसीआईएल ऑनलाइन रिपोर्टिंग इंजन (कोर) बनाया गया है। मार्जिन अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए प्रतिभूतियों के मूल्य मुक्त अंतरण की भी अनुमति दी गई है।

नकदी में निपटान किए गए 2 वर्षीय और 5 वर्षीय ब्याज दर फ्यूचर्स (आईआरएफ) की शुरुआत

V.37 मौद्रिक नीति 2010-11 (नवंबर 2010) की दूसरी तिमाही समीक्षा में सकेत दिया गया था कि अन्य देशों में नकदी में निपटाई गई आईआरएफ व्यवस्था के अनुभवों को ध्यान में रखते हुए, 2 वर्षीय और 5 वर्षीय आनुमानिक कूपन वाली सरकारी प्रतिभूतियों और 91 दिवसीय खजाना बिलों पर एक्सचेंज ट्रेडिंग ब्याज दर फ्यूचर्स की शुरुआत की जाएगी। 91 दिवसीय खजाना बिल आईआरएफ पर 7 मार्च 2011 को दिशानिर्देश जारी किए गए। इसके अलावा, नकदी में निपटान वाले 2 वर्षीय और 5 वर्षीय ब्याज दर फ्यूचर्स (आईआरएफ) पर दिशानिर्देश 30 दिसंबर 2011 को जारी किए गए।

सामान्य रूप से वित्तीय प्रणाली का और विशेष रूप से बैंकिंग क्षेत्र का प्रभावी और अस्तव्यस्तता पैदा न करने वाला विनियमन और पर्यवेक्षण प्रणालीगत वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने का आधार है। रिजर्व बैंक ने विनियमन और पर्यवेक्षण का अंतरराष्ट्रीय मानदंडों के अनुसार निरंतर उच्च स्तर बनाए रखा है। बासल III मानदंडों को अपनाना, जिसमें वाणिज्य बैंकों द्वारा मार्च 2018 के अंत तक इसका पूर्ण कार्यान्वयन सोचा गया है, इस दिशा में उठाया गया एक प्रमुख कदम है। इन दिशानिर्देशों के अंतर्गत बैंकों से अपेक्षित होगा कि वे अपना पूंजी आधार क्रमिक रूप से बढ़ाएं। एनपीए का बढ़ता स्तर चिंता के रूप में उभरने के बावजूद बैंकिंग क्षेत्र उच्च पूंजी पर्याप्तता के साथ मजबूत बना रहा। किंतु एनपीए का स्वरूप अनुचक्रीय होता है जिससे इसमें वृद्धि अर्थव्यवस्था में समग्र मंदी दर्शा सकती है। रिजर्व बैंक ने जनसामान्य के लाभार्थी शिकायत निपटान की तेज प्रणाली, अपंगों के लिए बेहतर बैंकिंग अनुभव सुकर बनाने, जमाराशि सुविधा के अंतर-बैंक अंतरण व्यवस्था लागू करने जैसे अनेक उपाय किए हैं।

VI.1 वित्तीय संकट के बाद, अधिकतर विश्लेषणात्मक रिपोर्टों और प्रायोगिक अनुसंधानों में संकट उत्पन्न होने के प्रमुख कारणों में से एक कारण वित्तीय प्रणाली के कड़े विनियमन और पर्यवेक्षण का अभाव बतलाया है। आधुनिक वित्तीय संरचना के अत्यधिक अंतर-निर्भर और वैश्वीकृत स्वरूप के कारण एक देश में उत्पन्न होने वाली समस्या शीघ्र ही प्रणालीगत संकट में बदल जाती है जिसका स्वरूप वैश्विक होता है। इस अनुभव के जवाब में विनियामकों ने ऐसे विनियमों को सक्रियता से अपनाया जो अधिक पारदर्शिता, बेहतर अभिशासन प्रथाएं, ‘इतनी बड़ी कि विफल नहीं होगी-स्वरूप की वित्तीय संस्थाओं के पर्यवेक्षण और उनकी वृद्धि पर नियंत्रण में केंद्रीय बैंकों की अधिक भूमिका सुनिश्चित करते हैं। भारत के मामले में रिजर्व बैंक ने वैश्विक वित्तीय संकट के पहले से ही विवेकसम्मत विनियमन नीतियां लागू की हैं। इस विनियामक रुझान का हाल की घटनाओं से अनुसमर्थन हुआ है। रिजर्व बैंक ने सर्वोत्तम अंतरराष्ट्रीय विनियामक नीतियां अपनाने की अपनी नीति जारी रखी है और इसके साथ ही यह भी सुनिश्चित किया है कि विनियमन इतना अधिक भी न हो जाए कि यह वित्तीय प्रणाली के स्वाभाविक विकास को प्रभावित करे जिससे अर्थव्यवस्था की वृद्धि की संभावना बाधित होने लगे।

वित्तीय स्थिरता का आकलन

VI.2 वित्तीय स्थिरता बनाए रखने का प्रयास रिजर्व बैंक की समष्टि वित्तीय नीतिगत संरचना का एकीकृत घटक बना रहा। रिजर्व बैंक ने प्रणालीगत जोखिम के आकलन के लिए मजबूत निगरानी

संरचना लागू रखने की दिशा में अपने प्रयास जारी रखे और इस संबंध में प्रणालीगत जोखिम के आकलन की परियोजनाओं की शृंखला पर कार्य जारी है। इन परियोजनाओं के साथ जुड़े घटकों का उद्देश्य भावी स्थिति को ध्यान में रखकर वित्तीय प्रणाली के विभिन्न घटकों में अनेक जोखिम कारकों में समकालीन वृद्धि को पहचानना है।

वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष

VI.3 जून 2012 में प्रकाशित वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट में इस बात को दोहराया गया कि देश की वित्तीय प्रणाली सुदृढ़ बनी हुई है। किंतु वैश्विक कारकों और देशी समष्टि-आर्थिक कारकों के कारण स्थिरता के प्रति जोखिम बढ़ गया है। रिजर्व बैंक आवधिक प्रणालीगत जोखिम सर्वेक्षण करता है और इन सर्वेक्षणों के निष्कर्षों से पता चलता है कि प्रणाली की स्थिरता में वित्तीय प्रणाली के हितधारकों का विश्वास बना हुआ है।

VI.4 वैश्विक घटनाओं - मंद वृद्धि, यूरोक्षेत्र में निरंतर अस्थिरता, अनिश्चित पूंजी प्रवाह और बैंकों द्वारा डिलिवरेंजिंग का प्रभाव - से होने वाले जोखिम में देशी समष्टि-आर्थिक जोखिमों से वृद्धि होगी। देशी वृद्धि धीमी हो गयी है। बचत और निवेश दर भी कम है। मुद्रास्फीति में कमी आयी है किंतु जोखिम बना हुआ है। चालू खाते घाटे और राजकोषीय घाटे के उच्च स्तर से भी जोखिम बना है। किंतु देशी अर्थव्यवस्था की आंतरिक आघात सहनीयता का स्तर उच्च है।

VI.5 वित्तीय मध्यवर्ती संस्थाएं सुदृढ़ बनी रहीं। बैंक निरंतर सुदृढ़ता से पूंजीकृत और लाभप्रद बने रहे। अस्ति गुणवत्ता में गिरावट हुई किंतु प्रणालीगत स्पष्ट से यह चिंता की स्थिति तक नहीं पहुंची। बैंकिंग क्षेत्र में ऋण और जमा वृद्धि में गिरावट आयी और बैंकों की उधार निधि पर निर्भरता में वृद्धि हुई। बैंक ऋण, बाजार और चलनिधि जोखिमों के प्रति आघात-सहनीय बने रहे और वे पूंजी पर्याप्तता की अपनी अच्छी स्थिति के कारण समष्टि-आर्थिक आघातों का सामना कर सकेंगे। किंतु बैंकों के बीच दुर्बलता संबंधी निर्भरता बढ़ी है जिसके लिए सूक्ष्म निगरानी आवश्यक है।

वित्तीय स्थिरता विकास परिषद

VI.6 वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद (एफएसडीसी) का गठन दिसंबर 2010 में किया गया था जिसका उद्देश्य वित्तीय स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करना था। इस परिषद के उद्देश्यों में अंतर-विनियामक समन्वय, अर्थव्यवस्था का समष्टि विवेकसम्मत पर्यवेक्षण, वित्तीय संगुटों की निगरानी, वित्तीय समावेशन और वित्तीय साक्षरता शामिल है। एफएसडीसी की रिजर्व बैंक के गवर्नर की अध्यक्षता वाली उप-समिति इसकी स्थापना के समय से परिषद के सक्रिय परिचालनीय साधन के रूप में उभरी है। एफएसडीसी के दायित्व के अनुरूप, इस उप समिति ने वर्ष के दौरान वित्तीय प्रणाली की स्थिरता के संभाव्य जोखिम की समीक्षा की, वित्तीय क्षेत्र के विनियामकों और विभिन्न सरकारी विभागों के बीच अपेक्षित समन्वय पर चर्चा की और अधिक वित्तीय समावेशन और साक्षरता की दिशा में कदम उठाने के लिए विभिन्न उपायों पर विचार किया।

VI.7 एफएसडीसी की उप-समिति को वर्ष के दौरान दो तकनीकी समूहों से सहायता प्राप्त हुई - वित्तीय समावेशन और वित्तीय साक्षरता पर तकनीकी समूह और अंतर-विनियामक तकनीकी समूह। उप समिति और उसके तकनीकी समूहों ने वर्ष के दौरान अनेक मुद्दों पर विचार किया जिनमें निम्न मुद्दे शामिल हैं: क) बुनियादी सेवा विकास निधि शुरू करने की प्रणाली; ख) कारपोरेट बांड बाजार का विकास जिसमें कारपोरेट बांडों में रिपो के लिए बाजार और क्रेडिट डिफाल्ट स्वैप बाजार शामिल होगा; ग) बैंकों द्वारा धन प्रबंधन/निजी बैंकिंग संबंधी विनियामक मामले; घ) गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी क्षेत्र में विनियामक कमी और सरकार प्रायोजित

एनबीएफसी के विनियमन संबंधी चिंता; ड) विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांडों और संभाव्य नीतिगत समस्याओं से हो सकने वाले जोखिम; च) वित्तीय प्रणाली के विभिन्न घटकों और संपूर्ण वित्तीय प्रणाली में एक जैसे केवाईसी मानदंड लागू करना; और छ) वित्तीय साक्षरता के लिए राष्ट्रीय रणनीति लागू करना।

VI.8 वित्तीय कंपनियों की पर्यवेक्षण संरचना के संस्थानीकरण और वित्तीय कंपनियों के कार्यों से उत्पन्न प्रणालीगत जोखिम के प्रबंधन के लिए एफएसडीसी की उप-समिति ने रिजर्व बैंक के बैंकिंग पर्यवेक्षण के प्रभारी उप गवर्नर की अध्यक्षता में अंतर-विनियामक फोरम बनाने को अनुमोदन दिया जिसमें अन्य प्रमुख विनियामक/पर्यवेक्षी संस्थाओं के कार्यपालक निदेशक स्तर के अधिकारी सदस्य होंगे। अंतर-विनियामक फोरम के दायित्व में वित्तीय कंपनियों के लिए नीतियां बनाना (जैसे कि पहचान का कार्य, समूहव्यापी जोखिम प्रबंधन, समूहव्यापी पूंजी पर्याप्तता, कंपनी अभिशासन आदि) और वित्तीय कंपनियों का उच्च स्तरीय पर्यवेक्षण करना शामिल है। यह फोरम वित्तीय कंपनियों के प्रभावी पर्यवेक्षण के लिए देशी पर्यवेक्षकों के बीच पर्यवेक्षी समन्वय/सहयोग बढ़ाने के भी प्रयास करेगा।

बैंकिंग क्षेत्र का आकलन

अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के मूल वित्तीय सुदृढ़ता संकेतक

VI.9 अनुसूचित वाणिज्य बैंक अच्छी तरह से पूंजीकृत बने रहे क्योंकि बासल II के अंतर्गत सीआरएआर (14.3 प्रतिशत) और मूल सीआरएआर (10.4 प्रतिशत) विनियामक निर्धारणों से काफी ऊपर थे (सारणी VI.1)। अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की आस्ति गुणवत्ता, जिसमें 2010-11 के दौरान सुधार हुआ था, में 2011-12 के दौरान गिरावट आई। निरपेक्ष संदर्भ में, अनुसूचित वाणिज्य बैंकों और विशेष रूप से सरकारी क्षेत्र के बैंकों का सकल एनपीए 2011-12 के दौरान काफी बढ़ा (सारणी VI.2)। प्रतिभूति व्यापार से होने वाली आय में कमी आने और अधिक जोखिम प्रावधानीकरण के कारण वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के निवल लाभ में कम वृद्धि अर्थात् 15.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई। तदनुसार, अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के इक्विटी पर प्रतिलाभ (आरओई) में गिरावट आई। इसके अलावा, इसी अवधि में निवल ब्याज मार्जिन 3.14 प्रतिशत से कम होकर 3.07 प्रतिशत रह

सारणी VI.1: चुनिंदा वित्तीय संकेतक

(प्रतिशत)

मद	मार्च के अंत में	अनुसूचित वाणिज्य बैंक	अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक	अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं	प्राथमिक व्यापारी	गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां-डी	गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां एनडी-एसआई
1	2	3	4	5	6	7	8
सीआरएआर	2011	14.2	12.5	22.0	46.2	22.5	32.8
	2012	14.3	12.8	21.0	53.8	20.4	27.5
कोर सीआरएआर	2011	10.0	उ.न.	उ.न.	उ.न.	17.2	30.5
	2012	10.4	उ.न.	उ.न.	उ.न.	16.8	24.6
सकल अग्रिमों की तुलना में सकल एनपीए	2011	2.4	5.7	0.3	उ.न.	0.9	1.9
	2012	2.9	5.2	0.4	उ.न.	2.7	3.1
निवल अग्रिमों की तुलना में निवल एनपीए	2011	0.9	1.0	0.1	उ.न.	#	0.8
	2012	1.2	1.4	0.1	उ.न.	0.8	1.8
कुल आस्तियों पर प्रतिलाभ	2011	1.1	0.9	1.0	1.1	2.7	2.3
	2012	1.1	1.0	1.0	0.8	उ.न.	1.8
इक्विटी पर प्रतिलाभ	2011	13.7	उ.न.	11.0	5.1	16.6	8.5
	2012	13.6	उ.न.	12.0	4.4	उ.न.	7.0
कौशल(लागत/आय अनुपात)	2011	46.2	49.9	24.0	36.1	72.0	68.7
	2012	45.3	52.0	18.0	44.1	उ.न.	77.7
ब्याज अंतर(प्रतिशत)	2011	3.1	उ.न.	2.0	उ.न.	3.5	1.9
	2012	3.1	उ.न.	2.0	उ.न.	उ.न.	2.3
कुल आस्तियों की तुलना में चलनिधि आस्तियाँ	2011	29.8	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.
	2012	28.9	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.

उ.न. : उपलब्ध नहीं।

#: प्रावधान अनर्जक आस्तियों से अधिक हैं।

टिप्पणी : 1. 2012 के आंकड़े अलेखापरीक्षित और अनंतिम हैं।

2. अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के आंकड़ों में स्थानीय क्षेत्र के बैंक शामिल नहीं हैं।
3. अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के आंकड़ों में जोखिम भारित आस्ति की तुलना में पूंजी अनुपात छोड़कर देशी परिचालन शामिल है।
4. अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के जोखिम भारित आस्ति की तुलना में पूंजी अनुपात के आंकड़े बासल II के मानदंडों के अनुसार हैं।
5. अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों में जोखिम भारित आस्ति की तुलना में पूंजी अनुपात के आंकड़ों में माधवपुरा मर्कन्टाइल सहकारी बैंक लि. शामिल नहीं है।
6. 2012 के गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां - डी - के आंकड़े दिसंबर 2011 को समाप्त अवधि के हैं।
7. 2012 के गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां - एनडी - एसआई के सीआरएआर सकल एनपीए तथा निवल एनपीए के आंकड़े दिसंबर 2011 को समाप्त अवधि के हैं।

स्रोत:

1. अनुसूचित वाणिज्य बैंक: ऑफसाइट पर्यवेक्षी विवरणियाँ।
2. शहरी सहकारी बैंक: ऑफसाइट निगरानी विवरणियाँ।
3. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां: ऑफसाइट पर्यवेक्षी विवरणियाँ।

सारणी VI.2: बैंक समूह वार अनर्जक आस्तियों का अनुपात

बैंक समूह	मार्च तक सकल अग्रिमों आस्तियां	निवल अग्रिमों निवल सकल अनर्जक अस्तियां	कुल मानक अग्रिमों की तुलना में सकल अनर्जक अस्तियां	कुल मानक अग्रिमों की तुलना में अग्रिमों की अनर्जक अस्तियां
1	2	3	4	5
सरकारी क्षेत्र के बैंक	2010	2.28	1.09	5.07
	2011	2.32	1.04	4.30
	2012	3.17	1.47	5.92
विदेशी बैंक	2010	4.26	1.82	0.54
	2011	2.54	0.66	0.23
	2012	2.68	0.61	0.14
निजी क्षेत्र के नये बैंक	2010	3.22	1.18	1.68
	2011	2.62	0.60	0.65
	2012	2.18	0.44	1.08
निजी क्षेत्र के पुराने बैंक	2010	2.31	0.82	3.62
	2011	1.97	0.53	2.95
	2012	1.80	0.59	3.49

गया। कुल आस्ति-चलनिधि आस्ति अनुपात भी 2011-12 के दौरान कम होकर मार्च 2012 के अंत में 28.9 प्रतिशत रह गया जो मार्च 2011 के अंत में 29.8 प्रतिशत था।

VI.10 अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों के मामले में जोखिम-भारित आस्तियों और पूंजी के अनुपात (सीआरएआर) में सुधार देखा गया। सकल अग्रिम-सकल एनपीए अनुपात में गिरावट आई जो आस्ति गुणवत्ता में सुधार दर्शाता है। किंतु दूसरी ओर दक्षता अनुपात में गिरावट आई जो आय की तुलना में लागत में वृद्धि दर्शाता है।

VI.11 2012 में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के अनर्जक आस्ति (एनपीए) अनुपात में वृद्धि के बावजूद, जून 2000 से तिमाही आंकड़ों का उपयोग करके किया गया विश्लेषण भारतीय बैंकों की आस्ति गुणवत्ता में चक्रीयता दर्शाता है (बाक्स VI.1)।

बॉक्स VI.1

अनर्जक आस्तियां और ऋण चक्र

बैंकिंग प्रणाली की वित्तीय स्थिति और मजबूती को समझने के लिए आस्ति की गुणवत्ता को समझना जरूरी है। बैंकिंग साहित्य में ऋण चक्र को बैंक की आस्ति गुणवत्ता के एक महत्वपूर्ण निर्धारक के रूप में दर्शाया गया है। चक्रीयता / अनु-चक्रीयता की व्याख्या “अर्थव्यवस्था के वित्तीय एवं रियल सेक्टर के बीच गतिशील अंतःक्रिया” (सकारात्मक प्रतिसूचना प्रणाली) के रूप में की गई है (एफएसएफ, 2009)। वित्तीय संस्थाओं में आर्थिक तेजी के समय अपनी क्षमता से अधिक कर्ज देने एवं आर्थिक मंदी के समय इसे कम करने की प्रवृत्ति रहती है। ऐसा तर्क दिया जाता है कि कर्ज में बढ़ोतरी का सीधा संबंध आस्ति गुणवत्ता में गिरावट से है क्योंकि बैंक जब अपनी क्षमता से अधिक कर्ज देते हैं तो वे कर्ज के लिए अपने मानदंडों को आसान बना देते हैं। यह प्रवृत्ति ऋण चक्र की परिपक्व अवस्था में आस्ति गुणवत्ता के लिए बहुत कमज़ोर कड़ी में परिणत हो जाती है। बैंकिंग साहित्य में बैंकों के ऐसे अनु-चक्रीय जोखिमभरे व्यवहार के लिए कई कारण बताये गए हैं, जैसे - “हर्ड बिहेवियर” (राजन, 2005), शेयरधारकों एवं प्रबंधकों के बीच ‘प्रिंसिपल-एजेंट प्रॉब्लेम’ (बोरियो एट अल, 2001), “डिजास्टर मायोपिया” अथवा अधिक-हानि, अल्प-संभावित घटनाओं को समझने में असमर्थता (गुरेनटैग एवं हेरिंग, 1986), इनमें से कुछ हैं।


हाल के वर्षों में आस्ति गुणवत्ता का मामला भारतीय बैंकिंग जगत में एक महत्वपूर्ण चिंता के रूप में उभरा है। वैश्वक वित्तीय संकट के तत्काल बाद की अवधि में जिस समय अधिकतर विकसित तथा विकासोन्मुख देशों के बैंकों की आस्ति गुणवत्ता काफी नीचे गिर गई थी, उस समय भी भारतीय बैंकों की आस्ति गुणवत्ता बहुत हद तक व्यवस्थित रही जिसका आंशिक कारण पुनर्निधारण नीति था। फिर भी, मार्च 2009 और मार्च 2012 के बीच सकल अनर्जक आस्तियों के अनुपात में बढ़ोतरी परिलक्षित हुई, हालांकि मार्च 2010 और मार्च 2011 के बीच इसमें आंशिक गिरावट भी दर्ज की गई (सारणी 1)।

सारणी 1: सकल तथा निवल अनर्जक आस्तियों के अनुपात की प्रवृत्ति

मद	मार्च 2008	मार्च 2009	मार्च 2010	मार्च 2011	मार्च 2012
सकल अनर्जक आस्तियों का अनुपात (प्रतिशत में)	2.39	2.45	2.51	2.36	2.94
निवल अनर्जक आस्तियों का अनुपात (प्रतिशत में)	1.07	1.13	1.12	0.93	1.24

स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक पर्यवेक्षी विवरणियां।

बैंक ऋण और सकल अनर्जक आस्तियों में वृद्धि पर सरसरी निगाह डालने पर चक्रीय पैटर्न ज्ञात होता है (चार्ट - 1)। जून 2000 से तिमाही आंकड़ों के आधार पर समीकरण (I) में दर्शाये अनुसार भारतीय बैंकों की आस्ति गणवत्ता का मॉडल बनाने के लिए अनुभव आधारित विश्लेषण से पता चलता है कि ऋण प्रवृत्ति में विचलन का ऋण सकल घरेलू उत्पाद (सी-जीडीपी) अनुपात (हाइड्रिक-प्रेसकॉर्ट फिल्टर के प्रयोग से प्राप्त) और द्वितीय विलंब के लिए सकल अनर्जक आस्तियों में वृद्धि के बीच विलंब संख्यकीय रूप से महत्वपूर्ण सापेक्षित संबंध है। बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बनी बासल समिति ने अपने



बासल III मानदण्ड (बीआईएस, 2010) के अंतर्गत आर्थिक वित्तीय चक्रों का निर्धारण करने के लिए सी-जीडीपी अनुपात की प्रवृत्ति में विचलन की एक महत्वपूर्ण मार्गदर्शक के रूप में सिफारिश की है।

$$\text{अनर्जक आस्ति में वृद्धि} = 0.678 + 736.58 \text{ सी.-जी.डी.पी. } \quad (4.93)$$

*1 प्रतिशत स्तर पर महत्वपूर्ण।

इस प्रयोग से भारतीय बैंकों के आस्ति गुणवत्ता के स्वरूप में चक्रियता का पता चलता है। इसके अलावा यह भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लागू की गयी प्रति-चक्रीय विवेकपूर्ण नियामक नीति की पृष्ठि करता और इस बात पर जोर देता है कि आस्ति की गुणवत्ता की समस्या को प्रभावशाली ढंग से हल करने के लिए एक अधिक प्रणालीगत और नियम-आधारित ढांचे पर आधारित ऐसी नीति को और मजबूत करने की आवश्यकता है।

संदर्भ :

अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक (2010), “काउंटर साइक्लिकल कैपिटल बफर-कंसलटेटिव डॉक्यूमेंटट, जुलाई।

बोरिओ, सी, फ्यूरफाइन, सी. एण्ड लोव, पी. (2001), “प्रोसाइक्लिकलिटी ऑफ दि फाइनैसियल सिस्टम एंड फाइनैसियल स्टैबिलिटी: इसूज एण्ड पॉलिसी ऑप्शन्स इन मैरिंग दि मैक्रो एण्ड माइक्रो-प्रूडेंशियल डाइमेंशन्स ऑफ फाइनैसियल स्टैबिलिटी, बीआईएस पेरेस, 1 मार्च।

फाइनैसियल स्टैबिलिटी फोरम (2009), रिपोर्ट ऑफ दि फाइनैसियल स्टैबिलिटी फोरम एॅन एडेसिंग प्रोसाइक्लिकलिटी इन दि फाइनैशियल सिस्टम, बासल।

गुरेनटैग, जे. एम. एण्ड रिचर्ड जे. हेरिंग (1986), “डिजास्टर मायोपिया इन इंटरनैशनल बैंकिंगटट, एसेज इन इंटरनैशनल फाइनैस, 164, इंटरनैशनल फाइनैस सेक्सन, प्रिंस्टन यूनिवर्सिटी।

राजन, रघुराम (2005), “दि ग्रीनस्पैन एरा: लेसंस फॉर दि फ्यूचरस्टट, ए सिप्पोजियम ऑफ दि फेडेरल रिजर्व बैंक ऑफ कंसास सिटी, जैक्सन होल, अगस्त।

¹ इस मॉडल से समीकरण 1 में दिये गये किसी भी अल्प या दीर्घ अंतर के लिए सांख्यिकी स्पष्ट से महत्वपूर्ण सहगुणांक प्राप्त नहीं हुए।

संवेदनशीलता विश्लेषण

VI.12 ब्याज दर जोखिम और ऋण जोखिम से उभरने वाले संभाव्य आघात सहने की बैंकों की क्षमता का पता लगाने के लिए बैंकिंग प्रणाली की संवेदनशीलता-जांच की जाती है। इसे बाद में आघातों को सहने की वाणिज्य बैंकों की समग्र पूँजी पर्याप्तता से जोड़ा जाता है। यह विश्लेषण पर्यवेक्षी आंकड़ों के आधार पर समग्र स्तर पर और एकल बैंक स्तर पर किया जाता है।

VI.13 31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष में 81 अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की ब्याज दर जोखिम का संवेदनशीलता विश्लेषण किया गया। ब्याज दर जोखिम के संवेदनशीलता विश्लेषण के अंतर्गत बासल II के अंतर्गत के अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का सीआरएआर विद्यमान 14.1 प्रतिशत से कम होकर 11.9 प्रतिशत रह गया जब उसे आय में 150 आधार अंक की वृद्धि मानकर नापा गया, जो प्रबंधन योग्य वित्तीय लिवरेज दर्शाता है। सीआरएआर पर ऋण जोखिम संवेदनशीलता विश्लेषण के प्रभाव को प्रणालीगत स्तर पर प्रबंधन योग्य पाया गया। यदि यह माना जाए कि विद्यमान एनपीए में प्रणालीगत स्तर पर 150 प्रतिशत की वृद्धि होगी, तो सीआरएआर 14.1 प्रतिशत से कम होकर 11.5 प्रतिशत रह जाएगा और यदि प्रणालीगत स्तर पर मात्र खुदरा एनपीए में 150 प्रतिशत की वृद्धि होना माना जाता है तो प्रणाली का सीआरएआर कम होकर 13.5 प्रतिशत रह जाएगा।

वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड द्वारा लिए गए प्रमुख निर्णय

VI.14 नवंबर 1994 में गठित वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड रिजर्व बैंक की पर्यवेक्षी और विनियामक पहलों के पीछे की मुख्य दिशानिर्देशक शक्ति रहा है। 2011-12 के दौरान, रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड के पुनर्गठन के कारण वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड का भी पुनर्गठन किया गया। अब श्री वाई. एच. मालेगाम, डॉ. इला भट्ट, डॉ. राजीव गौड़ा और श्री किरण कर्णिक वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड के निदेशक सदस्य हैं।

VI.15 वर्ष के दौरान वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड की दस बैंठके हुई। वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड ने अन्य बातों के साथ-साथ बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के 2009-10 से 2010-11 के निष्पादन और वित्तीय स्थिति की समीक्षा की। इसने बैंकों/वित्तीय संस्थाओं की 88 निरीक्षण रिपोर्टों की समीक्षा की (सरकारी क्षेत्र के बैंकों की 26 रिपोर्ट, निजी क्षेत्र के बैंकों की 23 रिपोर्ट, विदेशी बैंकों की 33 रिपोर्ट, स्थानीय क्षेत्र के बैंकों की 4 रिपोर्ट और वित्तीय संस्थाओं की 2 रिपोर्ट)। इनमें से जहां 6 रिपोर्ट 31 मार्च 2010 की वित्तीय स्थिति पर आधारित थीं, वहीं 82 रिपोर्ट 31 मार्च 2011 की वित्तीय स्थिति पर आधारित थीं।

VI.16 उक्त अवधि के दौरान वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड ने अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों संबंधी 16 निरीक्षण रिपोर्टों के सारांशों की, श्रेणी I/II में वर्गीकृत अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों संबंधी वित्तीय मुख्य-मुख्य बातों के 4 सारांशों और ए+ और बी- के बीच रेटेड अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों संबंधी वित्तीय मुख्य-मुख्य बातों के 22 सारांशों की समीक्षा की।

VI.17 वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड के निर्देशानुसार, वार्षिक वित्तीय निरीक्षण रिपोर्ट के फार्मेट को संशोधित करने के लिए एक समिति का गठन किया गया ताकि इस पर और अधिक ध्यान दिया जा सके। इस समिति की सिफारिशों के आधार पर 2012 में निरीक्षण चक्र से संशोधित फार्मेट लागू किया गया। संशोधित फार्मेट और नए दिशानिर्देशों से पर्यवेक्षी संसाधनों का अधिकतम उपयोग होगा और निरीक्षण तथा संक्षिप्त निरीक्षण रिपोर्टें जारी करने में लगने वाला समय भी कम हो जाएगा।

VI.18 अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं के वित्तीय निरीक्षण पर विचार करते हुए वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड ने निर्णय लिया कि इन संस्थाओं के निरीक्षण की आवधिकता वर्ष में एक बार से बदल कर दो वर्ष में एक बार कर दी जाए क्योंकि इन संस्थाओं से प्रणालीगत जोखिम उत्पन्न नहीं होते और रिजर्व बैंक ऑफ-साइट निगरानी प्रणाली के माध्यम से इनके कार्यनिष्पादन का निरंतर आधार पर पर्यवेक्षण करता है।

VI.19 मुआवजे संबंधी प्रथाएं, विशेष रूप से बड़ी वित्तीय संस्थाओं में, एक ऐसा महत्वपूर्ण कारक था जो हाल के वैश्विक वित्तीय संकट के लिए जिम्मेदार था। कर्मचारियों को भी अल्पावधि लाभ बढ़ाने के लिए अनेक बार पुरस्कृत किया जाता था जबकि पर्याप्त रूप से यह नहीं देखा जाता था कि उनके कार्यों से दीर्घावधि में संस्था के लिए जोखिम उभर सकता है। इस व्यापक प्रोत्साहन से अधिक जोखिम लेने की प्रवृत्ति बढ़ गयी जिससे वैश्विक वित्तीय प्रणाली के लिए जोखिम उत्पन्न हुआ। वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड द्वारा जारी सिद्धांतों और मानकों के आधार पर वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड द्वारा चाहे अनुसार पूर्णकालिक निदेशकों/मुख्य कार्यपालक अधिकारियों/अन्य जोखिम लेने वालों और नियंत्रक कार्य वाले स्टाफ के मुआवजे के संबंध में ड्राफ्ट दिशानिर्देश जारी किए गए। ड्राफ्ट दिशानिर्देशों पर जनता से प्राप्त अभिमतों और बैंकिंग पर्यवेक्षण संबंधी बासल समिति द्वारा सुझायी गयी शर्तों को ध्यान में रखते हुए निजी बैंकों और विदेशी बैंकों में मुआवजे के संबंध में जनवरी 2012 में अंतिम दिशानिर्देश जारी किए गए। इन दिशानिर्देशों के अनुसार बैंकों को मुआवजे का प्रभावी

अभिशासन करना होगा, अत्यधिक जोखिम लेने पर दिए जाने वाले प्रोत्साहन कम करने होंगे, मुआवजे को विवेकसम्मत जोखिम लेने से जोड़ना होगा और मुआवजे के साथ हितधारकों को जोड़ना होगा।

VI.20 आवास ऋण की मंजूरी के लिए किसी निजी आवास विकास निगम द्वारा विचार किए गए मानदंडों पर चर्चा करते हुए वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड ने देखा कि स्टाम्प शुल्क पंजीयन और अन्य दस्तावेजीकरण के प्रभार वास्तविक नहीं होते हैं, अतः पात्र बैंक-वित्त की गणना करते समय इन्हें हिसाब में नहीं लिया जाना चाहिए। तदनुसार एक संशोधित परिपत्र जारी किया गया जिसमें बैंकों को सूचित किया गया कि वे स्टाम्प शुल्क, पंजीयन और अन्य दस्तावेजीकरण के प्रभारों को आवास परियोजना की लागत में शामिल न करें। वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड ने यह भी देखा कि बैंकों द्वारा संपत्ति के आकलन की बाजार में उपलब्ध स्रोतों से प्रति-जांच किए बिना उसे स्वीकार करना उचित नहीं है। तदनुसार सभी बैंकों को परिपत्र जारी किया गया।

VI.21 वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद माधवपुरा मर्केन्टाइल सहकारी बैंक लि., अहमदाबाद का लाइसेंस 4 जून 2012 को कारोबार की समाप्ति से रद्द किया गया और केंद्रीय पंजीयक, सहकारी समितियां, नई दिल्ली से भी अनुरोध किया गया कि वे उक्त सहकारी बैंक के परिसमापन के लिए आदेश जारी करें और परिसमापक की नियुक्ति करें।

VI.22 गैर-लाइसेंसी राज्य सहकारी बैंकों/जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों संबंधी मामलों पर विचार करते हुए वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड ने अन्य बातों के साथ ही यह निदेश दिए कि 43 गैर-लाइसेंसी बैंकों (1 राज्य सहकारी बैंक, 42 जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक) पर नयी जमाराशियां स्वीकारने पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाए। अन्य निर्देशों के अलावा वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड ने यह भी निर्देश दिए हैं कि गैर-लाइसेंसी राज्य सहकारी बैंकों/जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों को लाइसेंसीकरण संबंधी अपेक्षाएं पूरी करने के लिए छह माह का समय विस्तार दिया जाएगा। तदनुसार 43 लाइसेंस रहित बैंकों को निर्देश जारी किये गए।

वाणिज्य बैंक

विनियमक पहले

बासल III पूंजी विनियम लागू करना

VI.23 दिसंबर 2010 में बैंकिंग पर्यवेक्षण संबंधी बासल समिति ने वित्तीय संकट से मिली सीख के जवाब में बासल III पूंजी विनियम

जारी किए। तदनुसार, ड्राफ्ट दिशानिर्देशों पर विभिन्न हितधारकों से प्राप्त टिप्पणियों/सुझावों पर पर्याप्त विचार करने के बाद 2 मई 2012 को पूंजीगत विनियमों के बारे में अंतिम दिशानिर्देश जारी किए। ये दिशानिर्देश 1 जनवरी 2013 से लागू होंगे। किंतु पूंजी अनुरक्षण बफर सहित न्यूनतम पूंजी अपेक्षा चरणबद्ध रूप से लागू की जाएगी और 31 मार्च 2018 तक पूर्णतः लागू हो जाएगी।

VI.24 बासल III के अंतर्गत भारत में बैंक की कुल पूंजी जोखिम भारित आस्तियों का न्यूनतम 9 प्रतिशत होनी चाहिए (बीसीबीएस की अपेक्षानुसार यह जोखिम भारित आस्तियों का न्यूनतम 8 प्रतिशत होनी चाहिए)। टियर 1 पूंजी जोखिम भारित आस्तियों का न्यूनतम 7 प्रतिशत होनी चाहिए (बीसीबीएस की अपेक्षानुसार 6 प्रतिशत); और सामान्य इक्विटी टियर 1 (सीईटी 1) पूंजी जोखिम भारित आस्तियों का न्यूनतम 5.5 प्रतिशत होनी चाहिए (बीसीबीएस की अपेक्षानुसार 4.5 प्रतिशत)। अंतरण व्यवस्था के कारण बैंकों की पूंजी-अपेक्षा शुरुआती अवधि में कम और बाद के वर्षों में अधिक हो सकती है। अतः बैंकों को सूचित किया गया है कि वे तदनुसार अपनी पूंजी संबंधी योजना बनाएं।

VI.25 बैंकों से अपेक्षित है कि वे उल्लिखित न्यूनतम अपेक्षा के अलावा जोखिम भारित आस्तियों के न्यूनतम 2.5 प्रतिशत की सामान्य इक्विटी के रूप में पूंजी परिरक्षण बफर बनाए रखें। पूंजी परिरक्षण बफर के साथ कुल पूंजी जोखिम भारित आस्तियों का 11.5 प्रतिशत होगी (9 प्रतिशत सीआरएआर+2.5 प्रतिशत सीसीबी)। बासल III नियमों के अंतर्गत पूंजी परिरक्षण बफर के साथ कुल पूंजी 10.5 प्रतिशत निर्धारित की गयी है (8 प्रतिशत सीआरएआर+2.5 प्रतिशत सीसीबी)।

VI.26 बासल III के अंतर्गत एक सरल, पारदर्शी, जोखिममुक्त आधार का लिवरेज अनुपात शुरू किया गया है। बासल समिति 1 जनवरी 2013 से 1 जनवरी 2017 की समानांतर अवधि के दौरान 3 प्रतिशत के न्यूनतम टियर 1 लिवरेज की जांच करेगी। रिजर्व बैंक ने निर्धारित किया है कि इस समानांतर अवधि के दौरान बैंकों को अपने विद्यमान लिवरेज अनुपात को बनाए रखने के प्रयास करने चाहिए किंतु किसी भी स्थिति में लिवरेज अनुपात 4.5 प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिए। 4.5 प्रतिशत से कम लिवरेज अनुपात वाले बैंकों को इस लक्ष्य को यथाशीघ्र पाने के लिए प्रयास करने चाहिए। बासल समिति के अंतिम प्रस्ताव को हिसाब में लेने के बाद लिवरेज अनुपात की अपेक्षा को अंतिम रूप दिया जाएगा।

गतिशील प्रावधानीकरण के दिशानिर्देश

VI.27 वर्तमान में, बैंक सामान्यतः: दो प्रकार के प्रावधान करते हैं अर्थात् मानक आस्तियों पर सामान्य प्रावधान और गैर-निष्पादक आस्तियों पर विशेष प्रावधान। एनपीए का स्तर आर्थिक चक्र के माध्यम से बदलता है, अतः विशेष प्रावधानों के परिणामी स्तर का व्यवहार भी चक्रीय होता है। परिणामस्वरूप, ऊर्ध्वगामिता के समय कम प्रावधानीकरण और अधोगामिता के समय अधिक प्रावधानीकरण का वास्तविक अर्थव्यवस्था पर अनुचक्रीय प्रभाव पड़ता है।

VI.28 पूँजी और प्रावधानीकरण की अनुचक्रीयता के समाधान के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिचक्रीय पूँजी और प्रावधानीकरण बफर शुरू करने के प्रयास किए जा रहे हैं। रिजर्व बैंक ने तदनुसार प्रतिचक्रीय (गतिशील) प्रावधानीकरण संरचना पर चर्चा-पत्र तैयार किया है।

VI.29 गतिशील प्रावधानीकरण संरचना अपेक्षित हानि की धारणा पर आधारित है। बैंक हानि के जितने औसत स्तर के उचित रूप से होने की अपेक्षा कर सकता है उसे अपेक्षित हानि कहा जाता है और यह कारोबार करने की लागत होती है। इसे सामान्यतः प्रावधानीकरण और मूल्यन से कवर किया जाता है। गतिशील प्रावधानीकरण का लक्ष्य चक्र के माध्यम से लाभ और हानि पर हुई हानि के प्रभाव को कम करना है और अपेक्षित हानि के लिए सामान्य प्रावधानीकरण कुशन उपलब्ध कराना नहीं। अधिक विशेष रूप से, वर्ष के दौरान निर्मित गतिशील प्रावधानीकरण एक वर्ष के लिए संविभाग की दीर्घकालिक

औसत अपेक्षित हानि और वर्ष के दौरान किए गए वृद्धिशील विशिष्ट प्रावधानों के बीच का अंतर है।

VI.30 चर्चा-पत्र में सुझाये गये मॉडल के मानदंडों पर भारतीय बैंकों के आंकड़ों के आधार पर विचार किया गया। अपने स्वयं के मानदंड बनाने की क्षमता वाले बैंक रिजर्व बैंक के पूर्वानुमोदन से रिजर्व बैंक द्वारा दर्शाए गए सैद्धांतिक मॉडल का उपयोग करते हुए गतिशील प्रावधानीकरण संरचना लागू कर सकते हैं। अन्य बैंकों को रिजर्व बैंक द्वारा तैयार किए गए मानकीकृत निर्धारण का प्रयोग करना होगा।

बैंकों द्वारा स्वामित्वयुक्त व्यापार

VI.31. वित्तीय संकट के परिणामस्वरूप अमरीकी वित्तीय प्रणाली में महत्वपूर्ण सुधार करने की दृष्टि से जुलाई 2010 में डॉड-फ्रैंक वाल स्ट्रीट सुधार और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू किए गए। इस अधिनियम का लक्ष्य बेहतर उपभोक्ता संरक्षण सुनिश्चित करके, ध्यान में न आने वाली और विनियमित न होने वाली जोखिमपूर्ण प्रथाओं को जारी रखने वाली कमियों को दूर करके, ऋण रेटिंग संस्थाओं के लिए कड़े नियम बनाकर और वित्तीय फर्मों पर कड़ी नयी पूँजी और लिवरेज अपेक्षाएं लागू करके पारदर्शिता बढ़ाना है। डॉड-फ्रैंक वाल स्ट्रीट सुधार में बाद में वॉल्कर नियम जोड़ा गया जो बैंकों के स्वामित्वपूर्ण व्यापार करने की बैंकों की पात्रता पर रोक लगाता है। सुधारों का यह सेट अल्पावधि में उधार लागत को बढ़ा सकता है किंतु दीर्घावधि में यह वित्तीय प्रणाली को अधिक सुदृढ़ बनाएगा (बाक्स VI.2)।

बॉक्स VI.2 भारत पर वॉल्कर नियम का प्रभाव

वॉल्कर नियम डॉड-फ्रैंक वॉल स्ट्रीट रिफॉर्म और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का एक हिस्सा है जो कि 2007-2008 में उत्पन्न वैश्विक वित्तीय संकट के परिणामस्वरूप कानून के रूप में हस्तांतरित किया गया था। इस नियम का सबसे चर्चित भाग देश के सबसे बड़े बैंकों द्वारा किये जाने वाले स्वामित्व व्यापार पर लगाया गया प्रतिबंध है। दूसरे शब्दों में, कोई बैंक पैसा बनाने के लिए निवेश बाजार में, किसी ग्राहक के लिए किये जाने वाले व्यापार को छोड़कर, व्यापार नहीं कर सकता। एक बैंक मध्यस्थ के रूप में काम कर सकता है - लेकिन अपने लाभ के लिए व्यापारी की तरह काम नहीं कर सकता। यह नियम संघ की बैंकिंग संस्थाएं सेक्युरिटीज एक्सचेंज कमीशन (एसईसी) और द कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन (सीएफटीसी) को जमा लेनेवाली बीमाकृत संस्थाओं तथा उनकी सहयोगी संस्थाओं को “स्वामित्व व्यापार” करने और हेज़ फंड अथवा प्राइवेट इक्विटी फंड (स्वामित्व व्यापार में किसी बैंक के टियर-I पूँजी का 3 प्रतिशत से

अधिक हिस्से के निवेश करने से रोकना) में निवेश करने, अनुमोदन देने अथवा किसी भी प्रकार के कारोबारी संबंध रखने से रोकता है।

यह तर्क दिया जाता रहा है कि यदि उक्त नियम को भारत में लागू किया गया तो इससे बांड बाजार में व्यापार कम हो जाएगा, जिसमें सरकारी बांड बाजार भी शामिल है तथा सरकारों, निवेशकों और कंपनियों के लिए ऋण लागत बढ़ जाएगी। इसके साथ ही यह बैंकों की जोखिम लेने की क्षमता को काफी हद तक कम करके उहें नए बाजार में प्रवेश से भी रोकेगा। इस बात पर भी चिंता व्यक्त की गई कि इससे अल्पावधि के विदेशी मुद्रा विनियम का कार्य भी प्रतिबंध के दायरे में आ जाएगा और इस प्रकार के प्रतिबंध से अमरीकी के बाहर अमरीकी डॉलर की आपूर्ति काफी कम हो जाएगी और विदेशी आस्तियों की कमी के कारण यूरोपीय बैंकों की डिलिवरेजिंग में मैं वृद्धि होगी। किंतु आशा है कि यह नियम वित्तीय स्थिरता को मजबूत बनाने में उपयोगी सिद्ध होगा।

पर्यवेक्षी पहले

वाणिज्य बैंकों के लिए बनाई गई पर्यवेक्षी नीतियों, क्रियाविधि और प्रक्रिया की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय संचालन समिति

VI.32 भारत में बैंकिंग क्षेत्र में हाल के वर्षों में काफी परिवर्तन होने, जिसमें बैंकों के कारोबार की मात्रा, संख्या और जटिलताओं में काफी वृद्धि शामिल है, के बावजूद भारतीय रिजर्व बैंक की पर्यवेक्षी प्रक्रिया सामान्यतः अपरिवर्तित बनी रही। भारतीय रिजर्व बैंक की पर्यवेक्षी प्रक्रिया/तकनीक की गुणवत्ता में सुधार करने और इन्हें वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के समतुल्य बनाने की दृष्टि से रिजर्व बैंक ने उप गवर्नर डॉ. के.सी.चक्रवर्ती की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय संचालन समिति का गठन किया था जिसमें सदस्यों के रूप में अनुभवी पर्यवेक्षक, सेवारत/सेवानिवृत्त बैंकर्स और शिक्षाविद शामिल थे। उच्च स्तरीय संचालन समिति का लक्ष्य लेनदेन-जांच आधारित (कैमेल्स) संरचना के माध्यम से पूर्व निष्पादन की जांच का वर्तमान पर्यवेक्षी दृष्टिकोण बदलने का था ताकि जोखिम के प्रेरकों का पता लगाया जाए और बैंकों की बहियों में जोखिम के मार्गों और संभावना का अनुमान लगाया जा सके। समिति का यह विचार है कि पर्यवेक्षी प्रणाली में मात्र विनियामक अनुपालन या बैंक की सक्षमता पर ही नहीं बल्कि बैंक की जोखिमउन्मुखता और जोखिम कम करने की रणनीति की तुलना में जोखिम लेने की तैयारी पर भी ध्यान केंद्रित करना चाहिए। समिति प्रोत्साहन और दंड की प्रणाली के माध्यम से बैंकों को साकेतिक समयसीमा के भीतर जोखिम आधारित कारोबार संचालन अपनाने के लिए प्रेरित करना चाहती है। समिति ने अपनी रिपोर्ट 11 जून 2012 को प्रस्तुत की। समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिए उनकी जांच की जा रही है।

सीमापारीय पर्यवेक्षण और सहयोग पर विदेशी केन्द्रीय बैंकों के साथ द्विपक्षीय समझौता ज्ञापन

VI.33 रिजर्व बैंक मौजूदा देशी विधिक प्रावधानों और बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासल समिति सिद्धांतों के अनुसरण में प्रभावी सीमापारीय पर्यवेक्षण और सहयोग के लिए विदेशी पर्यवेक्षकों के साथ द्विपक्षीय समझौता ज्ञापन निष्पादित करता आया है। 30 जून 2012 की स्थिति के अनुसार चाइना बैंकिंग रेग्युलेटरी कमीशन (सीबीआरसी), सॉउथ अफ्रीकन रिजर्व बैंक (एसएआरबी), दुबई फाइनैशियल सर्विसेज अथॉरिटी (डीएफएसए), कतर फाइनैशियल सेंटर रेग्युलेटरी अथॉरिटी (क्यूएफसीआरए), कतर सेंट्रल बैंक, और सेंट्रल बैंक ऑफ ओमान के साथ इस प्रकार के छः समझौतों

पर हस्ताक्षर किए गए हैं। बाद में जर्सी फाइनैशियल सर्विसेज कमीशन (जेएफएससी), एफएसए ऑफ यूके, एफएसए ऑफ नॉर्थ और सेंट्रल बैंक ऑफ रशियन फेडेरेशन (सीबीआरएफ) के साथ भी समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए।

VI.34 रिजर्व बैंक भारत में उपस्थिति वाले प्रमुख विदेशी बैंकों के पर्यवेक्षी कॉलेजों की बैठकों में उपस्थित रहता आया है। यह कार्य विदेशी पर्यवेक्षकों के साथ सूचना के आदान-प्रदान के लिए और उनसे संबंध स्थापित करने की दृष्टि से उपयोगी और प्रभावी माध्यम सिद्ध हुआ है। भारतीय रिजर्व बैंक सीमापारीय और अनेक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उपस्थिति वाले बड़े भारतीय बैंकों के संबंध में पर्यवेक्षी कॉलेज के आयोजन की तैयारी कर रहा है।

विषयगत समीक्षाएं

VI.35 जहां सामान्य कमियों की पहचान वार्षिक वित्तीय निरीक्षण प्रक्रिया में की जाती है, वहाँ बैंकिंग प्रणाली की सक्षमता को प्रभावित करने वाली बातों का, विषयगत समीक्षा या विशेष लेखापरीक्षा के माध्यम से ध्यान केंद्रित करके, अलग से अध्ययन करने की आवश्यकता है। इन समीक्षाओं का उद्देश्य चुनिंदा बैंकों द्वारा अपनायी जाने वाली प्रणालियों का आकलन करना और विभिन्न बैंकों द्वारा सामना की गयी जोखिम/अपनायी गयी प्रथाओं को गहनता से समझना है ताकि यदि कोई विनियामक/पर्यवेक्षी चिंता और प्रणालीगत जोखिम हो तो उसका आकलन किया जा सके। रिजर्व बैंक ने ऐसी प्रक्रिया पहले ही शुरू कर दी है और अब तक दो विषयगत समीक्षाएं - बैंकों में केवाईसी और धन शोधन निवारण के अनुपालन पर और बैंकों के भू-संपदा एक्सपोजर पर की हैं।

भारतीय बैंकों की विदेशी शाखाओं का निरीक्षण

VI.36 भारतीय बैंकों की चुनिंदा विदेशी शाखाओं का निरीक्षण मई 2012 में किया गया। विदेशी शाखाओं का पिछला निरीक्षण मई 2008 में किया गया था। वर्तमान निरीक्षण में अमरीका, यूके, हांगकांग, एसएआर, सिंगापुर और बहरीन के क्षेत्रों में स्थित भारतीय बैंकों की चुनिंदा विदेशी शाखाओं को कवर किया गया और यह मार्च 2012 की समाप्ति तक भारतीय बैंकों के विदेशी परिचालन की आस्तियों का 59 प्रतिशत था। इस निरीक्षण का उद्देश्य विदेशी शाखाओं की प्रक्रियाओं का प्राथमिक आकलन करना, विशेष रूप से भारतीय अधिकार-क्षेत्र में जिन उत्पादों और प्रक्रियाओं की अनुमति नहीं है उनसे संबंधित जोखिम के एक्सपोजर संबंधी कोई चिंता हो तो भारतीय बैंकों के विदेशी परिचालनों की पर्यवेक्षी जानकारी लेना

और ऐसे विदेशी परिचालनों पर प्रधान कार्यालय की निगरानी की सहायता से जोखिम प्रबंधन प्रणाली की पर्याप्तता का आकलन करना था।

बैंकों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा केवाईसी/एएमएल/सीएफटी का उल्लंघन होने पर उनपर प्रतिबंध लगाना

VI.37 वित्तीय कार्रवाई कार्यदल एक अंतर-सरकारी निकाय है जो धनशोधन निवारण/आतंकवाद के वित्तपोषण का मुकाबला (एएमएल/ सीएफटी) पर अंतरराष्ट्रीय मानक बनाता है। 2009 में वित्तीय कार्रवाई कार्यदल ने धनशोधन निवारण पर पर एशिया-पैसिफिक दल के साथ भारत की एएमएल/सीएफटी संरचना का आकलन किया और कुछ कमियों की पहचान की। भारत सरकार ने देश में एएमएल/सीएफटी विनियामक संरचना की प्रभावशीलता और संगतता की जांच करने और इस संबंध में पायी गयी कमियों के संबंध में सिफारिश करने के लिए 2010 में एक एएमएल/ सीएफटी विनियामक संरचना आकलन समिति का गठन किया। इस समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ यह सिफारिश की है कि एएमएल/सीएफटी दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने वाली विनियमित संस्थाओं पर लगाए गए प्रतिबंधों की सांख्यिकी को विनियामकों की वार्षिक रिपोर्टों में शामिल किया जाना चाहिए (सारणी VI.3)।

ग्राहक सेवा

शिकायतों की प्राप्ति और निपटान

VI.38 रिजर्व बैंक द्वारा शुरू की गयी और प्रशासित बैंकिंग लोकपाल योजना 2006 बैंक ग्राहकों के लिए शिकायतों के निपटान की लागत रहित शीर्ष स्तरीय प्रणाली है। 2011-12 के दौरान देश भर के बैंकिंग लोकपाल के पंद्रह कार्यालयों में बैंकिंग सेवाओं में कमी के संबंध में 72,889 शिकायतें प्राप्त हुईं। वर्ष के प्रारंभ में लंबित रही 4,618 शिकायतों को हिसाब में लेते हुए, इस वर्ष बैंकिंग लोकपालों द्वारा 77,507 शिकायतों पर कार्रवाई की गयी। बैंकिंग लोकपालों ने वर्ष के दौरान 72,885 शिकायतों का निपटान किया और इस प्रकार निपटान की दर 94 प्रतिशत रही। 30 जून 2012 को बैंकिंग लोकपालों के पास 4,622 शिकायतें लंबित थीं।

VI.39 बैंकिंग लोकपालों द्वारा जारी पंचाट या दिए गए निर्णय के विरुद्ध अपील बैंकिंग लोकपाल योजना 2006 के अंतर्गत नियुक्त अपीलीय प्राधिकारी द्वारा प्राप्त की जाती है। 2011-12 के दौरान अपीलीय प्राधिकारी को 351 अपीलें प्राप्त हुईं। इनमें से 304 अपीलें व्यावहारिक नहीं थीं। शेष 47 में से 19 का निपटान ग्राहकों के पक्ष में और 16 का बैंकों के पक्ष में हुआ। 30 जून 2012 को 12 अपीलें लंबित थीं।

सारणी VI.3: एएमएल/ केवाईसी/सीएफटी के उल्लंघन के विरुद्ध कार्रवाई

संस्था	जारी की गयीं परामर्शी नोटिस*	कारण बताओ नोटिस	चेतावनी पत्र **	दण्डित संस्थाएं ***	मिलियन ₹ में दंडात्मक राशि
1	2	3	4	5	6
अनुसूचित वाणिज्य बैंक	1	2	1	1	2.5
शहरी सहकारी बैंक	67	43	46	35	9.2
जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक	-	-	-	2	1.0
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	-	-	-	-	-
प्राधिकृत व्यक्ति	-	-	-	-	-
मुद्रा अंतरण सेवा योजना	-	6	1	-	-
प्राधिकृत मुद्रा परिवर्तक	-	-	-	-	-
प्राधिकृत कार्ड भुगतान नेटवर्क	-	-	-	-	-
गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां	-	-	-	-	-

* : परामर्शी नोटिस : बैंक से स्पष्टिकरण मांगने के बाद जब वरिष्ठ अधिकारियों की समिति बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी करना आवश्यक नहीं मानती तब परामर्शी पत्र जारी किया जाता है।

** : चेतावनी पत्र : कारण बताओ का जवाब प्राप्त होने के बाद, वरिष्ठ अधिकारियों की समिति चेतावनी पत्र जारी करने का निर्णय लेती है और मौद्रिक दंड नहीं लगाती।

*** : दण्डित करना : जब मौद्रिक दंड लगाया जाता है।

आरटीआई अधिनियम, 2005 के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों और अपीलों की स्थिति

VI.40 2011-12 के दौरान बैंकिंग लोकपाल के पंद्रह कार्यालयों में आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत 740 आवेदन और 171 अपीलें प्राप्त हुईं जिनमें से 703 आवेदनों और 157 अपीलों का निपटान वर्ष के दौरान किया गया।

दामोदरन समिति की रिपोर्ट का कार्यान्वयन

VI.41 बैंकों में ग्राहक सेवा के बारे में गठित समिति (दामोदरन समिति) ने अपनी रिपोर्ट जुलाई 2011 में प्रस्तुत की जिसमें कुल 232 सिफारिशों की गयी थीं। इनमें से 107 सिफारिशों को लागू किया गया है और भारतीय बैंक संघ ने इस संबंध में सदस्य बैंकों को परिचालन दिशानिर्देश जारी किए हैं। दामोदरन समिति की शेष सिफारिशों लागू करने के लिए कार्यप्रणाली बनाने के संबंध में रिजर्व बैंक ने आईबीए और साथ ही बीसीएसबीआई, बैंकिंग प्रौद्योगिकी विकास और अनुसंधान संस्थान (आईडीआरबीटी), भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) के सदस्यों के साथ दो बार चर्चा की है। आईबीए ने एक उप-दल बनाया है जो संबंधित अंतरराष्ट्रीय मानकों और सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुसार इसका जवाब बनाएगा। चर्चा संबंधी कुछ मुख्य मुद्दे इस प्रकार हैं: लौटाए गए चेकों के लिए दंड; धोखाधड़ीपूर्ण इंटरनेट/एटीएम लेनदेनों में ग्राहकों की लापरवाही सिद्ध करने का दायित्व बैंकों को देना; इंटरनेट बैंकिंग/कार्ड उत्पादों के माध्यम से हुए अनाधिकृत/धोखाधड़ीपूर्ण लेनदेनों के मामले में ग्राहकों की सुरक्षा के लिए मुआवजा नीति और मुख्य ग्राहक सेवा अधिकारी की नियुक्ति।

रिजर्व बैंक और जन सामान्य

VI.42 रिजर्व बैंक सार्वजनिक हित में कार्य करने वाली सार्वजनिक संस्था है। रिजर्व बैंक ने हाल की अवधि में जन सामान्य के प्रत्यक्ष या परोक्ष लाभ के लिए अनेक उपाय किए हैं।

बैंकों द्वारा सूचना प्रदर्शित करना

VI.43 रिजर्व बैंक ने बैंकों को सूचित किया है कि वे बैंकिंग संबंधों की शुरुआत के लिए खाताधारकों को विभिन्न बैंकिंग सेवाओं की उपलब्धता और उनकी लागत की विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। बैंकों को सूचित किया गया है कि वे सेवा प्रभारों, ब्याज

दरों, उपलब्ध सेवाओं, उत्पादों की जानकारी, विभिन्न बैंकिंग लेनदेनों संबंधी समय-सीमा जैसे इत्यादि विभिन्न महत्वपूर्ण पहलुओं पर बैंक-परिसर के भीतर पर्याप्त आकार के सूचना-पट्ट पर जानकारी प्रदर्शित करें। इससे ग्राहकों को बैंक के उत्पादों और सेवाओं के संबंध में जानकारी से युक्त निर्णय ले पाएंगे और उन्हें अपने अधिकारों तथा बैंकों द्वारा दी जाने वाली आवश्यक सेवाओं संबंधी बैंकों के दायित्व की जानकारी प्राप्त होगी।

अपांगों के लिए बैंकिंग सुविधाएं

VI.44 बैंकों को सूचित किया गया है कि वे यह सुनिश्चित करें कि दृष्टिहीनों को भी बिना किसी भेदभाव के सभी बैंकिंग सुविधाएं (जैसे तृतीय पक्षीय चेकों सहित चेक बुक सुविधा, एटीएम सुविधा, इंटरनेट-बैंकिंग सुविधा, लॉकर सुविधा, खुदरा ऋण, क्रेडिट कार्ड आदि उपलब्ध हों। बैंकों को सूचित किया गया है कि वे नए लगाए जाने वाले एटीएम में से कम-से-कम एक तिहाई ब्रेल कीपैड वाले बोलते एटीएम लगाएं और यह सुनिश्चित करें कि सामान्यतः प्रत्येक लोकैलिटी में कम-से-कम एक बोलता एटीएम हो ताकि दृष्टिहीनों की आवश्यकताएं पूरी हो सकें।

बैंकों में अदावाकृत जमाराशियां/अपरिचालित खाते

VI.45 सार्वजनिक हित को ध्यान में रखते हुए अदावाकृत जमाराशियां/अपरिचालित खातों पर कार्रवाई करने और ग्राहकों के ठिकाने तथा उनके कानूनी वारिसों का पता लगाने के संबंध में बैंकों को विस्तृत निर्देश जारी किए गए हैं। इन निर्देशों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्न बातें शामिल हैं: परिचालन रहित खातों की वार्षिक समीक्षा, उचित सावधानी के बाद ऐसे खातों में परिचालन की अनुमति देना और परिचालन रहित खातों के एकिटवेशन के लिए लगाए जाने वाले प्रभारों को न लगाना। इसके अलावा, बैंकों को यह भी सूचित किया गया है कि वे दस वर्ष से अधिक समय से निष्क्रिय/अपरिचालित रहे अदावाकृत खातों की सूची अपनी संबंधित वेबसाइट पर दर्शाएं।

आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेज

VI.46 यूनीक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा जारी पत्र जिसमें नाम, पता और आधार संख्या दी होती है, को बैंकों में सभी प्रकार के खाते खोलने के लिए अब आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेज के रूप में स्वीकार किया जाता है। एकल स्वामी के नाम की आयकर

विवरणी और प्रोप्राइटरी कंसर्न के नाम के युटिलिटी बिल भी सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न का खाता खोलने के लिए स्वीकार किए जाते हैं।

बैंकों द्वारा शिकायतों का निपटान

VI.47 शिकायत निपटान प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए बैंकों को सूचित किया गया है कि वे: i) यह सुनिश्चित करें कि बैंकिंग लोकपाल योजना के तहत नियुक्त प्रधान नोडल अधिकारी काफी वरिष्ठ स्तर के हों और महाप्रबंधक के स्तर से कम स्तर के न हों, ii) प्रधान नोडल अधिकारी से संपर्क की विस्तृत जानकारी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ पर स्पष्ट रूप से प्रदर्शित की जानी चाहिए ताकि कोई भी परेशान ग्राहक बैंक से इस संतुष्टि के साथ संपर्क कर सके कि उसकी बात वरिष्ठ स्तर पर सुनी जाएगी, iii) शिकायत निपटान प्रणाली को सरल बनाया जाना चाहिए भले ही यह ग्राहक सेवा इकाई के कॉल सेंटर से जुड़ा हो और ग्राहकों को पहचान, खाते के ब्योरे आदि के सबूतों के संबंध में परेशानी नहीं होनी चाहिए, और iv) संबंधित सेवाप्रदाता को पर्याप्त और व्यापक प्रचार भी करना चाहिए।

नामांकन नियमों के बारे में स्पष्टीकरण

VI.48 यह देखा गया था कि कुछ बैंक ग्राहकों द्वारा भरे गए विभिन्न फार्मों पर उनके हस्ताक्षर के साक्षांकन पर बल देते हैं। इस संबंध में बैंकों के लिए स्पष्टीकरण जारी किया गया कि ग्राहकों द्वारा भरे गए विभिन्न फार्मों पर लगाए गए अंगूठे के निशान का साक्षांकन आवश्यक है, हस्ताक्षर का नहीं।

अंतर-बैंक जमाराशि खाते की अंतरणीयता

VI.49 यह देखा गया कि कुछ बैंक इस बात पर बल देते हैं कि ग्राहक अपना खाता उसी बैंक की अन्य शाखा में अंतरित करना चाहता है तो वह नया खाता खोले। इससे ग्राहकों को परेशानी होती है। अतः बैंकों को सूचित किया गया कि यदि किसी बैंक की एक शाखा में केवाईसी की कार्रवाई पूरी हो गयी हो तो उसे उसी बैंक की अन्य शाखा में खाता अंतरित करने के लिए वैथ माना जाना चाहिए।

आवास ऋणों पर समयपूर्वसमाप्ति प्रभार/पूर्वभुगतान दंड की समाप्ति

VI.50 दामोदरन समिति ने यह पाया था कि अस्थायी ब्याज दर वाले आवास ऋणों के कारण पूर्वसमाप्ति प्रभार से उधारकर्ताओं के लिए उपलब्ध सस्ते स्रोत का विकल्प चुनना कठिन हो जाता है। अतः यह निर्णय लिया गया था कि बैंकों को अस्थायी ब्याजदर वाले आवास ऋणों पर पूर्वसमाप्ति प्रभार/ पूर्वभुगतान दंड लगाने की अनुमति नहीं

होगी। यह निर्णय तत्काल प्रभाव से लागू किया गया था। यह विचार किया गया था कि अस्थायी ब्याज दर वाले आवास ऋणों पर पूर्वसमाप्ति प्रभार/पूर्वभुगतान दंड लगाना बंद होने से विद्यमान और नए उधारकर्ताओं के बीच का भेद कम होगा और बैंकों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ने से अस्थायी ब्याज दर वाले आवास ऋणों पर ब्याज दर में सुधार होगा।

भारत में बैंक ग्राहकों के लिए यूनीक ग्राहक पहचान कोड

VI.51 यह देखा गया था कि जहां कुछ भारतीय बैंकों ने यूनीक कस्टमर आइडेन्टीफिकेशन कोड विकसित किया था वहां अनेक बैंकों में संगठन के किसी एकल ग्राहक की यूनीक संख्या नहीं थी। यूनीक कस्टमर आइडेन्टीफिकेशन कोड से बैंकों को ग्राहक की पहचान करने, ली गयी सुविधाओं का पता करने, विभिन्न खातों में किए गए वित्तीय लेनदेनों की निगरानी करने, जोखिम संविभाग में सुधार करने, ग्राहक प्रोफाइल की समीक्षा करने और ग्राहक के लिए बैंकिंग परिचालनों को सरल बनाने में सहायता मिलेगी। ऐसी प्रणाली संपूर्ण वित्तीय प्रणाली के लिए आवश्यक है किंतु इसे पूर्णतः लागू करने में काफी समय लग सकता है। इस दिशा में पहले कदम के रूप में बैंकों को सूचित किया गया था कि प्रारंभ के रूप में वे सभी एकल ग्राहकों के मामले में नए संबंध बनाते समय उन सभी को यूनीक कस्टमर आइडेन्टीफिकेशन कोड संख्या आबंटित करने के लिए कदम उठाएं। बैंकों को यह भी सूचित किया गया कि मौजूदा एकल ग्राहकों को भी वे अप्रैल 2013 के अंत तक यूनीक कस्टमर आइडेन्टीफिकेशन कोड का आबंटन कर दें।

भारतीय बैंकिंग कोड और मानक बोर्ड (बीसीएसबीआई)

VI.52 बीसीएसबीआई की सदस्यता 2006 में 67 से बढ़कर मई 2012 में 121 बैंक हो गयी तथा 10 और बैंकों की सदस्यता विचाराधीन है। ग्राहकों को उचित व्यवहार मिलना सुनिश्चित करने के लिए बीसीएसबीआई एक स्वतंत्र और स्वायत्त निकाय के रूप में गठित करने का उद्देश्य तभी पूरा होगा जब सदस्य बैंकों द्वारा इस कोड के प्रावधानों का पूरा अनुपालन किया जाएगा। बीसीएसबीआई सदस्यों से प्राप्त वार्षिक अनुपालन विवरण और साथ ही चुनिंदा बैंक शाखाओं के सर्वेक्षण के माध्यम से इस कोड के प्रावधानों के अनुपालन की निरंतर निगरानी करता है। वर्ष के दौरान बीसीएसबीआई ने भारत में 47 शहरों से अधिक में फैली 2,083 शाखाओं/प्रसंस्करण केंद्रों का सर्वेक्षण किया। इस सर्वेक्षण ने अनुपालन में काफी सुधार दर्शाया। बीसीएसबीआई ने टीवी, रेडियो और बस पैनलों पर पोस्टर लगाकर

प्रचार अभियान चलाकर लोगों के बीच इस संगठन और कोड़स के संबंध में जागरूकता बढ़ाने के अपने प्रयास जारी रखे। बीसीएसबीआई के अधिकारियों ने ग्राहक-संपर्क के समय ग्राहकों और बैंकरों के समूहों को संबोधित किया और वे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आयोजित टाउन हॉल कार्यक्रमों तथा बैंकिंग लोकपालों के चुनिंदा आउटरीच कार्यक्रमों में शामिल हुए। बीसीएसबीआई ने अति लघु और लघु उद्यमों के उद्धारकर्ताओं और अति लघु और लघु उद्यमों के व्यापार और उद्योग संघों के लिए सेमीनारों का भी आयोजन किया।

शहरी सहकारी बैंक

इंटरनेट बैंकिंग

VI.53 अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों, जिनकी न्यूनतम निवल मालियत 1 बिलियन है, सीआरएआर कम-से-कम 10 प्रतिशत है, निवल एनपीए 5 प्रतिशत से कम है और जिन्होंने पिछले तीन वर्षों में निरंतर निवल लाभ अर्जित किया है, को अनुमति दी गयी कि वे रिजर्व बैंक की पूर्वानुमति से अपने ग्राहकों को इंटरनेट बैंकिंग सुविधा की पेशकश कर सकते हैं।

आवास ऋण सीमाओं में संशोधन और चुकौती की अवधि

VI.54 अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों के लिए एकल आवास ऋण की सीमा में वृद्धि की गयी जिसके अनुसार टियर-I श्रेणी के शहरी सहकारी बैंक अधिकतम ₹3 मिलियन के प्रति लाभार्थी गृह इकाई और टियर-II श्रेणी के अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक अधिकतम ₹7 मिलियन के प्रति लाभार्थी गृह इकाई के आवास ऋण वर्तमान विवेकसम्मत एक्सपोजर सीमा की शर्त पर दे सकते हैं। शहरी सहकारी बैंकों द्वारा दिए गए आवास ऋण की अधिकतम चुकौती अवधि 15 वर्ष से बढ़ाकर 20 वर्ष की गयी।

रुपया निर्यात ऋण पर ब्याज दरें

VI.55 प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी 1 के शहरी सहकारी बैंकों को सूचित किया गया कि वे 31 मार्च 2013 तक विनिर्दिष्ट क्षेत्रों को पोतलदानपूर्व और पोतलदानोत्तर रुपया निर्यात ऋण पर 2 प्रतिशत ब्याज की छूट दें।

चेकों/ड्राफ्टों/भुगतान आदेशों/बैंकर चेकों का भुगतान

VI.56 शहरी सहकारी बैंकों को सूचित किया गया कि उन चेकों/ड्राफ्टों/ भुगतान आदेशों/बैंकर चेकों का भुगतान न किया जाए जो तीन माह की अवधि के बाद प्रस्तुत किए जाते हैं। यह नियम 1 अप्रैल 2012 से लागू किए गए।

एनडीएस-ओएम तक पहुंच

VI.57 उन शहरी सहकारी बैंकों को रिजर्व बैंक की पूर्वानुमति से वार्तातीय लेनदेन प्रणाली-ऑर्डर मैनिंग (एनडीएस-ओएम) के प्रत्यक्ष ऐक्सेस की अनुमति दी गयी जो कुछ पात्रता शर्तों (जैसे 9 प्रतिशत का न्यूनतम सीआरएआर, 5 प्रतिशत से कम का निवल एनपीए, ₹250 मिलियन की न्यूनतम निवल मालियत) को पूरा करते हैं।

वाद दाखिल खातों की ऋण सूचना का प्रसार

VI.58 शहरी सहकारी बैंकों को सूचित किया गया कि वे संदिग्ध और हानि के रूप में वर्गीकृत ₹10 मिलियन और अधिक के वाद दाखिल खातों और ₹2.5 मिलियन और अधिक के जानबूझ कर चूक किए गए वाद दाखिल खातों की तिमाही सूची सीआईबीआईएल को और / या रिजर्व बैंक से रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र प्राप्त उस संस्था को प्रस्तुत करें जिसमें बैंक वह सदस्य हो।

पर्यवेक्षी कार्रवाई संरचना

VI.59 शहरी सहकारी बैंकों के लिए 1 मार्च 2012 से एक संशोधित पर्यवेक्षी कार्रवाई संरचना शुरू की गयी। इस संरचना में यह विचार रखा गया है कि वित्तीय स्थिति में दुर्बलता आने की शुरुआत में ही स्वयं शहरी सहकारी बैंकों के प्रबंधन द्वारा स्व-सुधारक कार्रवाई की जाए और यदि बैंक की वित्तीय स्थिति में सुधार न हो तो रिजर्व बैंक पर्यवेक्षी कार्रवाई करे।

आईएएस का आईएफआरएस के साथ अनुकूलन

VI.60 वार्षिक नीति वक्तव्य 2010-11 में घोषित किए अनुसार, ₹3 बिलियन से अधिक की निवल मालियत वाले शहरी सहकारी बैंकों और ₹2 बिलियन से अधिक किंतु ₹3 बिलियन से कम की निवल मालियत वाले शहरी सहकारी बैंकों को सूचित किया गया था कि वे यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाएं कि वे क्रमशः 1 अप्रैल 2013 और 1 अप्रैल 2014 से अंतरराष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानक (आईएफआरएस) के साथ भारतीय लेखांकन मानक (आईएएस) के अनुकूलन के लिए तैयार रहें।

प्रतिबंधित ऋण पत्र

VI.61 शहरी सहकारी बैंकों को सूचित किया गया कि ऋण पत्र के अंतर्गत आहरित बिल किसी विशेष शहरी सहकारी बैंक के संबंध में प्रतिबंधित किया जाता है और यदि ऋण पत्र का लाभार्थी ऐसा उधारकर्ता नहीं है जिसे उस शहरी सहकारी बैंक द्वारा नियमित ऋण सुविधा प्रदान की गयी हो तो संबंधित शहरी सहकारी बैंक अपने विवेक

से और ऋण पत्र के जारीकर्ता बैंक की ऋण पत्रता संबंधी अपनी धारणा के आधार पर ऐसे ऋण पत्र को निगोशिएट कर सकता है जिसमें यह शर्त होगी कि आगम की राशि को ऋण पत्र के लाभार्थी के नियमित बैंकर को विप्रेषित किया जाएगा। शहरी सहकारी बैंकों को प्रतिबंधित ऋण पत्र को निगोशिएट करते समय उधार से शेयर संबद्धता संबंधी रिजर्व बैंक/सहकारी समितियों के पंजीयक या सहकारी समितियों के केंद्रीय पंजीयक के अनुदेशों का और सदस्यता के संबंध में सहकारी समितियां अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन करना होगा।

आवास, स्थावर संपदा और वाणिज्यिक स्थावर संपदा के प्रति एक्सपोजर

VI.62 शहरी सहकारी बैंकों का आवास, स्थावर संपदा और वाणिज्यिक स्थावर संपदा ऋण के प्रति एक्सपोजर उनकी कुल आस्तियों के 10 प्रतिशत तक सीमित था जो कि इंडिविजुअल्स के ₹1.5 मिलियन तक के आवास ऋणों के लिए कुल आस्तियों के अतिरिक्त 5 प्रतिशत तक बढ़ाया जा सकता है। 26 अप्रैल 2012 से, शहरी सहकारी बैंकों को अनुमति दी गयी है कि वे इंडिविजुअल्स के ₹2.5 मिलियन तक के आवास ऋणों के लिए कुल आस्तियों के अतिरिक्त 5 प्रतिशत का उपयोग कर सकते हैं जो प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र में आते हैं।

विलय और समामेलन

VI.63 दुर्बल संस्थाओं का सुदृढ़ संस्थाओं के साथ विलय करके शहरी सहकारी बैंकों के सुदृढ़ीकरण की प्रक्रिया फरवरी 2005 में जारी पारदर्शी और वस्तुनिष्ठ दिशानिर्देशों के माध्यम से लागू की गयी

सारणी VI.4: 31 मार्च 2012 तक विलय/अभिग्रहण की वर्ष वार प्रगति

वित्तीय वर्ष	भा.रि.बै. में प्राप्त प्रस्ताव	भा.रि.बै. द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाणपत्र	किए गए विलय/अभिग्रहण (आरसीएस द्वारा अधिसूचित)
1	2	3	4
2005-06	24	13	5
2006-07	32	17	18
2007-08	42	28	24
2008-09	16	26	22
2009-10	26	17	12
2010-11	17	13	13
2011-12	11	11	13
कुल	168	125	107

थी। इसके अलावा 31 मार्च 2007 को ऋणात्मक निवल मालियत वाले शहरी सहकारी बैंकों के विलय/अधिग्रहण के लिए रिजर्व बैंक ने जनवरी 2009 में दिशानिर्देशों का अन्य सेट जारी किया। विलय और समामेलन की प्रक्रिया के लिए यह आवश्यक होता है कि अधिग्राहक बैंक कुछ विशेष सूचनाओं के साथ प्रस्ताव सहकारी समितियों के पंजीयक/सहकारी समितियों के केंद्रीय पंजीयक और रिजर्व बैंक को प्रस्तुत करें। शहरी सहकारी बैंकों के विलय के संबंध में जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुसरण में रिजर्व बैंक को मार्च 2012 तक विलय के 168 प्रस्ताव प्राप्त हुए और उसने 125 प्रस्तावों को अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी किए जिनमें से संबंधित सहकारी समितियों के पंजीयक/सहकारी समितियों के केंद्रीय पंजीयक ने 107 विलयों के लिए अधिसूचनाएं जारी कीं (सारणी VI.4)।

VI.64 अधिकतर विलय महाराष्ट्र में हुए जिसके बाद गुजरात और आंध्र प्रदेश का स्थान है (सारणी VI.5)।

सारणी VI.5: शहरी सहकारी बैंकों की विलय/अभिग्रहण की राज्यवार प्रगति

राज्य	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9
महाराष्ट्र	2	12	14	16	6	7	8	65
गुजरात	3	4	5	1	1	2	4	20
आंध्र प्रदेश	-	1	3	1	3	1	-	09
कर्नाटक	-	-	1	2	-	-	-	03
पंजाब	-	1	-	-	-	-	-	1
उत्तराखण्ड	-	-	1	1	-	-	-	2
छत्तीसगढ़	-	-	-	1	-	1	-	2
राजस्थान	-	-	-	-	2	1	1	4
मध्य प्रदेश	-	-	-	-	-	1	-	1
कुल	5	18	24	22	12	13	13	107

ग्रामीण सहकारी संस्थाएं

ग्रामीण सहकारी ऋण संरचना संबंधी गतिविधियाँ

गैर लाइसेंसी राज्य सहकारी बैंकों / जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों की स्थिति

VI.65 रिजर्व बैंक ने 4 प्रतिशत और अधिक सीआरएआर वाले राज्य सहकारी बैंकों और जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों को लाइसेंस जारी करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए बशर्ते पूर्ववर्ती एक वर्ष में उन्होंने सीआरआर/ एसएलआर बनाए रखने में चूक न की हो (दो बार की चूक को छूट दी गयी है)। तदनुसार, नाबार्ड द्वारा सिफारिश किए गए उक्त शिथिल की गयी शर्तों के पालनकर्ता राज्य सहकारी बैंकों और जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों को रिजर्व बैंक लाइसेंस जारी करता आ रहा है और नाबार्ड के साथ परामर्श करके गैर लाइसेंसी राज्य सहकारी बैंकों और जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों की आवधिक समीक्षा की जाती है। निरीक्षण/ तत्काल संवीक्षा के संबंध में नाबार्ड की सिफारिशों पर विचार करने के बाद 31 मार्च 2012 को 43 बैंक (1 राज्य सहकारी बैंक और 42 जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक) गैर लाइसेंसी रहे हैं। बाद में लाइसेंसीकरण मानदंडों को पूरा कर चुके दो बैंकों (असम राज्य सहकारी बैंक और गिरिडीह जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक) को लाइसेंस प्रदान किया गया। वर्तमान में कुल 43 बैंकों में से 41 जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक लाइसेंस रहत हैं और निर्देशों के अंतर्गत बने हुए हैं।

VI.66 गैर लाइसेंसी जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों द्वारा निगरानीयोग्य कार्रवाई योजना लागू करने में हुई प्रगति की निगरानी के लिए रिजर्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों में कार्य दल बनाया गया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ये बैंक लाइसेंस प्राप्ति के लिए न्यूनतम संभव अवधि में पात्रता प्राप्त कर लें। यह कार्यदल उन क्षेत्रों में, जहां ये बैंक वर्तमान में कार्यरत हैं, ऋण के वैकल्पिक औपचारिक माध्यमों की भी जांच करेगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इन क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं पर विपरीत प्रभाव न पड़े।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों संबंधी गतिविधियाँ

आरआरबी का अनुसूचीकरण

VI.67 82 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में से समामेलित 2 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में अब तक शामिल नहीं किए गए हैं।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का पुनर्पूर्जीकरण

VI.68 भारत सरकार ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के सीआरएआर के वर्तमान स्तर का अध्ययन करके इसे 31 मार्च 2012 तक बढ़ाकर 9 प्रतिशत करने के लिए किसी योजना का सुझाव देने के लिए सितंबर 2009 में एक समिति का गठन किया था (अध्यक्ष डॉ.के.सी.चक्रवर्ती)। इस समिति ने भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट 30 अप्रैल 2010 को प्रस्तुत की। समिति का आकलन है कि (82 में से) 40 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में ₹22 बिलियन की पूँजी की आपूर्ति करना आवश्यक होगा। नाबार्ड से प्राप्त रिपोर्ट दर्शाती है कि 6 जून 2012 तक 16 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का पूर्णतः पुनर्पूर्जीकरण किया गया था जबकि 11 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पुनर्पूर्जीकरण की प्रक्रिया जारी है। यह प्रक्रिया पूरी करने के लिए पुनर्पूर्जीकरण योजना को 2013-14 तक बढ़ाया गया है।

निष्केप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआईसीजीसी)

VI.69 डीआईसीजीसी भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्णतः स्वाधिकृत अनुषंगी संस्था है। डीआईसीजीसी द्वारा दिए गए जमा बीमा में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्थित स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित सभी वाणिज्य बैंक कवर होते हैं। देश भर में स्थित सभी सहकारी बैंक भी निष्केप बीमा में कवर होते हैं। 31 मार्च 2012 को पंजीकृत बीमाकृत बैंकों की संख्या 2,199 थी जिसमें 87 वाणिज्य बैंक, 82 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, 4 स्थानीय क्षेत्र बैंक और 2,026 सहकारी बैंक थे। भारत में निष्केप बीमा की वर्तमान सीमा ₹0.1 मिलियन है और 31 मार्च 2012 को पूर्णतः संरक्षित खातों (996 मिलियन) की संख्या कुल खातों (1,073 मिलियन) की 92.8 प्रतिशत थी जबकि अंतरराष्ट्रीय बैंकमार्क² 80 प्रतिशत का है। राशि-वार, बीमाकृत

² बासल, स्विटजरलैंड में मई 2002 में अंतरराष्ट्रीय जमा बीमाकर्ता संगठन के पहले वार्षिक सम्मेलन में अस्थायी नियम के रूप में स्वीकार किया गया।

जमाराशि ₹19,043 बिलियन थी जो ₹57,674 बिलियन की आकलनीय जमाराशि का 33.0 प्रतिशत थी जबकि अंतरराष्ट्रीय बैंचमार्क² 20 से 40 प्रतिशत का है। वर्तमान स्तर पर, 31 मार्च 2012 को बीमा कवर प्रति व्यक्ति जीडीपी का 1.64 गुना है। यह निगम अपनी निक्षेप बीमा निधि का निर्माण, करों को घटाने के बाद, अपने अधिशेषों अर्थात् प्रति वर्ष के व्यय की तुलना में आय के आधिक्य (जिसमें मुख्यतः बीमाकृत बैंकों से प्राप्त प्रीमियम, निवेश से हुई ब्याज आय और विफल बैंकों की आस्तियों से हुई नकदी वसूली होती है) के अंतरण के माध्यम से करता है। इस निधि का उपयोग परिसमापन/पुनर्संरचना/समामेलन आदि में लिए गए बैंकों की जमाराशि के दावों के निपटान के लिए किया जाता है। 2011-12 के दौरान इस निगम ने 58 सहकारी बैंकों के संबंध में कुल ₹2,873 मिलियन के दावों का निपटान किया (18 मुख्य दावे और 40 अनुपूरक दावे) जबकि पिछले वर्ष ₹3,790 मिलियन के दावों का निपटान किया गया था। 31 मार्च 2012 को निक्षेप बीमा निधि का आकार ₹300 बिलियन था जिससे 1.6 प्रतिशत का आरक्षित अनुपात (डीआईएफ/बीमाकृत जमाराशि) बना।

VI.70 वित्तीय स्थिरता बोर्ड ने प्रभावी निक्षेप बीमा प्रणाली और आकलन क्रियाविधि के लिए बीसीबीएस-आईएडीआई कोर सिद्धांतों के आधार पर अपनी सदस्य संस्थाओं के बीच निक्षेप बीमा प्रणाली की सामान्य समीक्षा की। इस समीक्षा की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक वित्तीय संकट ने दिखा दिया है कि जमाकर्ताओं को मुआवजा देने की प्रभावी व्यवस्था महत्त्वपूर्ण है। इस संकट के परिणामस्वरूप विभिन्न अधिकार-क्षेत्रों की प्रथाओं में एकरूपता बढ़ी और उपयुक्त संरचना के संबंध में सहमति उभरी जिसमें अधिक कवरेज स्तर, सह-बीमा की समाप्ति, चुकौती प्रक्रिया में सुधार, जमाकर्ताओं में अधिक जागरूकता, अधिक अधिकार-क्षेत्रों द्वारा प्रत्याशित निधीयन अपनाया जाना और सूचना के आदान-प्रदान तथा सुरक्षा नेट के अन्य सहभागियों के बीच समन्वय बढ़ाना शामिल हैं।

VI.71 उक्त रिपोर्ट की कुछ सिफारिशों निम्नलिखित संदर्भ में भारत के लिए विशेष रूप से संगत हैं: (i) कवरेज स्तरों की समीक्षा करना ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह जमाकर्ता की सुरक्षा और बाजार अनुशासन के बीच उपयुक्त संतुलन बनाए; (ii) किसी बैंक के विफल होने की स्थिति में यदि चुकौती ही एकमात्र विकल्प हो तो जमाकर्ताओं को शीघ्र प्रतिपूर्ति; इसके लिए बैंक डेटा तक

समग्र और शीघ्र पहुंच, एकल ग्राहक दृष्टिकोण के माध्यम से सूचना की शीघ्र प्राप्ति और मजबूत प्रौद्योगिकी इकास्ट्रक्चर की सहायता आवश्यक होगी; (iii) समाधान की प्रभावी योजना और जमाकर्ताओं को शीघ्र भुगतान सुनिश्चित करने के लिए निक्षेप बीमा एजेंसी और सुरक्षा नेट के अन्य सहभागियों के बीच समन्वय बढ़ाना; (iv) वित्तीय आवश्यकताएं पूरी करने के लिए भरोसेमंद निधीयन स्रोतों (किसी बैंकअप निधीयन विकल्प सहित) तक स्पष्ट और तत्काल पहुंच।

VI.72 डीआईसीजीसी ने अपने स्वर्ण जयंती समारोह के एक भाग के रूप में अंतरराष्ट्रीय जमा बीमाकर्ता संगठन के सहयोग से ठबैंक समाधान संरचना में निक्षेप बीमा की भूमिका-वित्तीय संकट से प्राप्त सीख पर नवंबर 2011 में अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया। सम्मेलन के विषय ने वित्तीय संकट के बाद की अवधि में वित्तीय सुरक्षा नेट की संरचना के विभिन्न घटकों पर उभरती सोच दर्शायी जिसमें इस बात की आवश्यकता महसूस की गयी कि बैंकों के लिए सुपरिभाषित समाधान संरचना होनी चाहिए और निक्षेप बीमा एजेंसियों तथा सुरक्षा नेट के अन्य सहभागियों के बीच घनिष्ठ समन्वय होना चाहिए।

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की नई श्रेणियों का निर्माण

VI.73 2011-12 के दौरान गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की दो नई श्रेणियां, नामतः बुनियादी सुविधा ऋण निधि-एनबीएफसी (एनबीएफसी-आईडीएफ) और अति लघु वित्तीय संस्थाएं (एनबीएफसी-एमएफआई) बनायी गईं और अलग विनियामक संरचना के अंतर्गत लायी गईं। दोनों श्रेणियों की गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए प्रवेश बिंदु मानदंडों, पूँजी पर्याप्तता के विवेकसम्मत तथा आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण मानदंडों संबंधी विस्तृत दिशानिर्देश निर्धारित किए गए (बाक्स VI.3 और VI.4)।

विविध अनुदेश

VI.74 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को ऋण चूक स्वैप बाजार में मात्र उपयोगकर्ता के रूप में सहभागी होने की अनुमति दी गयी जिससे उन्हें सुरक्षा-विक्रय और/या ऋण चूक स्वैप (सीडीएस) संविदाओं में क्रय से अधिक विक्रय की अनुमति नहीं है।

बॉक्स VI.3

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ - आधारभूत संरचना ऋण निधि

भारत जैसी उभरती अर्थव्यवस्था में संरचना परियोजनाओं के लिए पर्याप्त स्रोत जुटाना एक बड़ी चुनौती है क्योंकि इसकी प्रारंभिक अवधि काफी लंबी होती है। जहाँ संरचना विकास आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, वहाँ बैंक निधीयन के पारंपरिक तरीके आस्टि-देयता असंतुलन समस्या के कारण प्रायः अड़चन उत्पन्न करते हैं; क्योंकि संरचना ऋण लंबी अवधि के लिए दिए जाते हैं। इसे देखते हुए संघीय बजट 2010-11 में कंपनी संरचना (आईडीएफ - एनबीएफसी) और ट्रस्ट संरचना (आईडीएफ - एमएफ) के रूप में आधारभूत संरचना ऋण निधि (आईडीएफ) की स्थापना की घोषणा की गई, जिन्हें क्रमशः आरबीआई और सेबी द्वारा विनियमित किया जाएगा और जो आधारभूत संरचना परियोजनाओं के लिए लंबी अवधि के लिए ऋण और पुनर्वित्त देगी। आधारभूत संरचना ऋण निधि (आईडीएफ) वैसी सरकारी और निजी भागीदारी (पीपीपी) वाली संरचना परियोजनाओं में निवेश करेगी जिन्होंने संतोषजनक रूप से एक वर्ष का वाणिज्यिक परिचालन (सीओडी) पूरा किया है और जिन्हें किसी परियोजना प्राधिकरण (जैसे कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण) द्वारा ऋण प्रदान किया गया है।

जहाँ सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ कुछ शर्तों के अधिन आधारभूत संरचना ऋण निधि-म्यूचुअल फंड को प्रयोजित कर सकती हैं, वहाँ केवल बैंक और आधारभूत संरचना वित्तीय कंपनियाँ ही रिजर्व बैंक की पूर्वानुमति से आधारभूत संरचना ऋण निधि-गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को प्रयोजित कर सकती हैं। आधारभूत संरचना ऋण निधि-गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का विनियमन भी, कम जोखिम भारांक के रूप में कुछ निश्चित विनियमक छूट को छोड़कर आधारभूत संरचना ऋण कंपनियों की तरह ही होगा और उनके द्वारा धारित आस्तियों की कम जोखिमों को ध्यान में रखते हुए उच्च एक्सपोजर मानदंडों की अनुमति दी गयी है। आधारभूत संरचना ऋण निधि-गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ कम से कम 5 वर्ष की परिपक्वता अवधि वाले रूपए अथवा डॉलर मूल्यवर्ग के बांड जारी करके संसाधन इकट्ठा करेंगी। इसके निवेशक मुख्यतः देशी एवं विदेशी संस्थागत निवेशक होंगे, विशेषकर बीमा और पेंशन निधि से जुड़ी संस्थाएं जिनके पास लंबी अवधि के संसाधन होते हैं।

VI.75 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा की गयी मीयादी जमाओं को वित्तीय आस्तियाँ नहीं माना जाता जिसके कारण बैंकों में रखी मीयादी जमाओं पर हुई ब्याज आय को वित्तीय आस्तियों से हुई आय नहीं माना जाता।

VI.76 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को सूचित किया गया था कि यदि वे पंजीकरण प्रमाण-पत्र जारी होने की तिथि से छह माह के भीतर

गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं का कारोबार प्रारंभ करने में विफल रहती हैं तो पंजीकरण स्वतः रद्द हो जाएगा।

VI.77 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को सूचित किया गया कि वे कारोबार शुरू करने से पहले और उनका पंजीकरण प्रमाण-पत्र नियमित होने तक स्वामित्व परिवर्तित न करें।

बॉक्स VI.4

एनबीएफसी - माइक्रोफाइनेंस संस्थाएं

विकास के प्रारंभिक वर्षों में माइक्रोफाइनेंस क्षेत्र अनिवार्य रूप से औपचारिक बैंकिंग चैनल का ही विस्तारित रूप था जिसमें बैंक-स्वयं सहायता समूह मॉडल प्रमुख था और इसका उद्देश्य बचत की आदत विकसित करना तथा उधारकर्ताओं को औपचारिक ऋण सुपुर्दगी माध्यम के अंतर्गत लाना था। थोरे - थोरे माइक्रो फाइनेंस संस्थाएं (एमएफआई) और अधिक औपचारिक हुई, लाभ कमाने का दृष्टिकोण रखने लगीं एवं स्वयं को एक कंपनी के रूप में ढालने लगीं। बैंकों ने भी पाया कि माइक्रोफाइनेंस संस्थाएं उनके प्राथमिक क्षेत्र से जुड़े लक्ष्यों को पूरा करने में सक्षम बनाती हैं। हाल के वर्षों में, इस क्षेत्र में गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के रूप में पंजीकृत और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित लाभ कमाने वाली कंपनियों का वर्चस्व स्थापित हो गया है। इसके साथ ही, कुछ निश्चित मानदंडों को पूरा करते हुए कंपनी अधिनियम की धारा 25 के अंतर्गत स्थापित लाभ न कमाने वाली कंपनियों को भारतीय रिजर्व बैंक विनियमन से छूट दी गई है।

देश के दक्षिणी भाग में गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के रूप में पंजीकृत लाभ कमाने वाली माइक्रोफाइनेंस संस्थाएं और राज्य सरकारों के बीच असहज संबंध थे जहाँ माइक्रोफाइनेंस संस्थाएं एक से अधिक कर्ज देने, उधारकर्ताओं को क्षमता से अधिक ऋण देने, कर्ज पर अधिक ब्याज दर लिए जाने और जबरन वसूली करने से संबंधित मुद्दों पर बल दे रही थीं। ऊपर वर्णित चिंताओं को इस अवधारणा से और बल मिला कि माइक्रोफाइनेंस संस्थाएं गरीब उधारकर्ताओं के खर्च पर प्राइवेट

इक्विटी फंड और अन्य विदेशी निवेशकों सहित निजी शेयरधारकों को बहुत अधिक लाभ पहुंचा रही हैं। मेसर्स एसकेएस माइक्रोफाइनेंस कंपनी की आईपीओ द्वारा अति उच्च मूल्यांकन आकर्षित करना और कंपनी में कॉरपोरेट गवर्नेंस के मुद्दों ने इन धारणाओं की पुष्टि की।

इसके परिणामस्वरूप, आंध्र प्रदेश (एपी) सरकार ने राज्य में माइक्रोफाइनेंस संस्थाओं की गतिविधियों को विनियमित करने के लिए अक्टूबर 2010 में आंध्र प्रदेश माइक्रोफाइनेंस इंस्टिट्यूशन्स (पैसा उधार देने का विनियमन) ऐक्ट बनाया। इस अधिनियम के प्रावधानों का पालन करना कठिन था और इसके परिणाम स्वरूप गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा कर्ज दिये जाने एवं जमा लिए जाने की गतिविधियों सहित माइक्रोफाइनेंस संस्थाओं से जुड़ी सभी गतिविधियां पूरी तरह से रुक गईं।

इसके फलस्वरूप रिजर्व बैंक ने इस क्षेत्र से जुड़े मुद्दों और चिंताओं का अध्ययन करने के लिए मालेगाम समिति का गठन किया। मालेगाम समिति की रिपोर्ट में की गई सिफारिशों के आधार पर बैंक ने दिसम्बर 2011 में माइक्रोफाइनेंस संस्थाओं के लिए विनियमक दिशा - निर्देश जारी किये। इन दिशा-निर्देशों में अन्य मुद्दों के साथ-साथ योग्यता-आस्ति के रूप में गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी-माइक्रोफाइनेंस संस्था को वर्गीकृत किए जाने संबंधी पात्रता मानदंड, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी-माइक्रोफाइनेंस

(जारी...)

संस्था खोलने के लिए कुछ मानदंड, पूँजी पर्याप्तता और प्रावधान मानदंडों, ऋणों का मूल्य निर्धारण, ब्याज दरों में पारदर्शिता, एक से अधिक ऋण की पथा, क्षमता से अधिक ऋण, बेनामी ऋण, ऋण देने की निष्पक्ष प्रक्रियाओं, बल पूर्वक वसूली, कॉर्पोरेट गवर्नेंस जैसे मुद्दों को शामिल किया गया है।

किंतु, आंध्र प्रदेश में स्थित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - माइक्रोफाइनैंस संस्थाएं एक गंभीर संकट में डूब गईं, क्योंकि आंध्र प्रदेश आधारित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए या तो प्रावधान करना पड़ा या फिर उनके द्वारा दिए गए ऋण की राशि को बढ़ाया जाता था तो डालना पड़ा, जिससे उनकी निवल स्वाधिकृत निधियों और पूँजी पर्याप्तता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

एमएफआई क्षेत्र में आ रही कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए रिजर्व बैंक ने एमएफआई को एनबीएफसी - एमएफआई के रूप में बैंक के साथ तुरंत रजिस्टर करने संबंधी दिशा-निर्देशों को संशोधित किया है, जिससे कि इस क्षेत्र को बैंकों द्वारा निधीयन/ऋण देना फिर से शुरू किया जा सके। इन संशोधनों के अनुसार अन्य बातों के साथ-साथ एंटरी पॉइंट पूँजी का अनुपालन मार्च 2014 तक चरणबद्ध तरीके से समाप्त किया जाएगा; 01 जनवरी 2012 या उसके बाद निर्मित

एनबीएफसी-एमएफआई जैसे ही पात्रता पूँजी को पुनर्परिभाषित किया जाएगा, परिचालन लंबीतेपन अनुमति देने के लिए ब्याज दर पर से 26 प्रतिशत की सीमा को हटाना और बड़ी एनबीएफसी-एमएफआई (₹1 बिलियन और उससे अधिक अस्ति आकार वाली) के लिए 10 प्रतिशत और दूसरों के लिए 12 प्रतिशत मार्जिन की सीमा लागू की जाएगी। इसके अलावा इसके अलावा, मार्च 2013 की स्थिति के अनुसार एपी पोर्टफोलियो के लिए लागू किये गए प्रावधानों को एनओएफ और सीआरआर का अनुपालन सुनिश्चित करने के दृष्टिकोण से मार्च 2017 तक की पाँच साल की अवधि में अनुमानित आधार पर पुनः जोड़ा जाएगा। माइक्रोफाइनैंस संस्थाओं के विशिष्ट व्यापार मॉडल को ध्यान में रखते हुए एक संशोधित फेर ऐक्टिव्स को लाया गया है। इस क्षेत्र की प्रभावी निगरानी सुनिश्चित करने के लिए रिजर्व बैंक भी स्व-विनियामक संगठन (एसआरओ) तंत्र लाने के पक्ष में है।

हाल ही में भारत सरकार ने माइक्रोफाइनैंस संस्था (विकास और विनियमन) विधेयक 2012 लाया है, जिसमें सभी माइक्रोफाइनैंस संस्थाओं को भारतीय रिजर्व बैंक के नियामक दायरे में लाने का प्रस्ताव है। तथापि, अभी इस विधेयक को लागू किया जाना शेष है।

VI.78 कोर निवेश कंपनियों के लिए यह आवश्यक हो सकता है कि वे गारंटियां जारी करें या अपने समूह की संस्थाओं की ओर से अन्य प्रासारिक देयताओं का सहारा लें, अतः मई 2012 में यह सूचित किया गया कि यदि देयताएं पूरी करने की स्थिति आती है तो पंजीकरण अपेक्षा से छूट प्राप्त कर निवेश कंपनियां सार्वजनिक निधि का सहारा लिए बिना दायित्व पूरा करने की स्थिति में होनी चाहिए।

VI.79 भारत सरकार के ग्रीन इनीशिएटिव को ध्यान में रखते हुए, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों से अनुरोध किया गया था कि वे इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली का प्रयोग बढ़ाने, उत्तर-दिनांकित चेकों को समाप्त करने और अपने दिन-प्रति-दिन के कारोबारी लेनदेनों में चेकों के प्रयोग को चरणबद्ध रूप से समाप्त करने के लिए सक्रिय रूप से कार्य करें जिससे लेनदेन अधिक किफायती हो जाएंगे और निपटानों में तेजी और सटीकता आएगी।

VI.80 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का अपने सामान्य कारोबार में आस्ति-देयता रूपांतरण की दृष्टि से ऋण और बाजार के जोखिमों के प्रति एक्सपोज़र होता है। गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का उनके निहित एक्सपोज़र की प्रतिरक्षा के प्रयोजनार्थ ग्राहक के रूप में पदनामित मुद्रा ऑप्शन और फ्यूचर्स तथा ब्याज दर फ्यूचर्स में सहभाग से उनका तुलनपत्रेतर एक्सपोज़र बढ़ गया। अतः तुलनपत्रेतर विनियामक संरचना को विस्तारित किया गया ताकि बाजार से संबंधित और बाजार से असंबंधित मदों सहित तुलनपत्रेतर विभिन्न प्रकारों की मदों के लिए जोखिम भारांकों और ऋण रूपांतरण में अधिक सुदृढ़ता लायी जा सके।

VI.81 जमाराशि स्वीकार करने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए धोखाधड़ियों का वर्गीकरण, धोखाधड़ियों की निगरानी और रिपोर्टिंग प्रणाली के प्रति दृष्टिकोण संबंधी मौजूदा दिशानिर्देशों को एनबीएफसी-एनडी-एसआई पर भी लागू किया गया और साथ ही इसकी सूचना उन्हें अपने तुलनपत्रों में भी देनी होगी।

VI.82 जो गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां मुख्यतः सोने के आभूषणों की जमानत पर उधार देती हैं और अपने कार्यों में परिचालनगत जोखिम के अलावा अंतर्निहित संकेंद्रण जोखिम का सामना करती हैं, उन्हें रिजर्व बैंक ने निदेश दिया कि वे अपनी लोन-टू-वैल्यू सीमा 60 प्रतिशत तक रखें, ऐसे एनबीएफसी की टियर 1 पूँजी 1 अप्रैल 2014 से 12 प्रतिशत की जाए और वे बुलियन/प्राथमिक स्वर्ण और स्वर्ण सिक्कों की जमानत पर ऋण न दें। इसके अलावा, बैंकों को सूचित किया गया है कि जिस एकत गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी के स्वर्ण ऋण उसकी कुल वित्तीय आस्तियों के 50 प्रतिशत या उससे अधिक हैं, उनके प्रति अपना एक्सपोज़र वर्तमान 10 प्रतिशत से कम करके बैंकों की पूँजी निधि के 7.5 प्रतिशत तक लाएं। इसमें बुनियादी सुविधा क्षेत्र को कुछ रियायत दी गयी है। इसके अतिरिक्त, आंतरिक नियंत्रण मजबूत करने के लिए ऐसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को निदेश दिए गए कि वे उधार के संबंध में केवाईसी मानदंडों के उचित अनुपालन, जमानत के रूप में प्राप्त स्वर्ण के स्टोरेज और बीमा और उचित और पारदर्शी नीलामी प्रक्रिया के लिए अपने बोर्ड के अनुमोदन से नीति बनाएं।

VI.83 केन्द्र सरकार ने 22 जनवरी 2012 को फैक्टरिंग विनियमन अधिनियम, 2011 इस उद्देश्य के साथ अधिसूचित किया है कि फैक्टर्स और फैक्टर्स के पक्ष में देय प्राप्तियों के समनुदेशन को विनियमित किया जाए एवं इन प्राप्तियों के समनुदेश के लिए पार्टियों के अधिकारों और दायित्वों की रूपरेखा तैयार की जाए। रिजर्व बैंक ने उन पर विवेकपूर्ण विनियमन और अनुशासन रिपोर्टिंग लागू करने सहित उनके पंजीकरण और विनियमन के लिए विस्तृत दिशा - निर्देश जारी किए हैं। किंतु बैंकों और सरकारी कंपनियों को इस अधिनियम के तहत पंजीकरण से छूट प्रदान की गई है। पंजीकरण की मांग करने वाले फैक्टर्स के लिए यह जरूरी है कि उनके पास ₹5 करोड़ की न्यूनतम निवल स्वाधिकृत निधि (एनओएफ) हो; फैक्टरिंग आस्तियों के लिए

प्रमुख व्यापार मापदंड और ऐसी आस्तियों से प्राप्त आय कुल संपत्ति और आय के क्रमशः 75 प्रतिशत से कम न हो। निर्यात / आयात फैक्टरिंग से संबंधित व्यापार करने वाले फैक्टरों को फेमा नियमावली का भी अनुपालन करना होगा।

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी क्षेत्र के मामले और चिंताएं

VI.84 शैंडो बैंकिंग संबंधी अंतरराष्ट्रीय चिंताओं और वित्तीय प्रणाली संबंधी संभाव्य जोखिमों को देखते हुए और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी क्षेत्र तथा शेष वित्तीय प्रणाली के बीच संभावित विनियामक कमी को कम करने के लिए रिजर्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी क्षेत्र के मामलों और चिंताओं के संबंध में कार्यदल का गठन किया (बाक्स VI.5)। इस कार्य दल ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की

बॉक्स VI.5

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) क्षेत्र संबंधी विभिन्न मुद्दों और चिंताओं पर कार्य दल समूह के सुझाव

विगत कुछ वर्षों में भारत में गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं जिसमें जमा न लेने वाली प्रणालीयता दृष्टि से महत्वपूर्ण गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का विकास भी शामिल है। हाल ही में हुए वैश्विक वित्तीय संकट ने इसके नियमन से संबंधित कमियों, विवाचन और वित्तीय प्रणाली से इसके संबंध से जुड़े जोखिमों को उजागर किया है। रिजर्व बैंक ने इस क्षेत्र की आर्थिक भूमिका और विविधता तथा हात के अंतरराष्ट्रीय अनुभव को ध्यान में रखते हुए गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए नियमन की रूपरेखा तैयार करने हेतु प्रमुख सिद्धांत बनाने के लिए एक कार्य दल समूह (अध्यक्ष श्रीमती ऊरा थोरात) का गठन किया। उक्त कार्य दल समूह की प्रमुख सिफारिशों निम्नलिखित हैं:

1. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण करने के लिए न्यूनतम ₹50 करोड़ की आस्ति सीमा तय की जानी चाहिए और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के प्रमुख कार्य को निर्धारित करने के लिए दो शर्तें क्रमशः कुल आस्ति और कुल आय के वर्तमान अनुपात 50:50 को बढ़ाकर 75 प्रतिशत किया जाना चाहिए।
2. ₹10 बिलियन से कम आस्ति वाली वैसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों जिन्होंने लोक निधि से पैसा नहीं लिया है, उन्हें पंजीकरण से मुक्त रखा जाना चाहिए।
3. 25 प्रतिशत या उससे अधिक की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष शेयर-धारिता का अंतरण/परिवर्तन, नियंत्रण में परिवर्तन, किसी अन्य कंपनी में विलय या उसका अधिग्रहण के लिए रिजर्व बैंक की पूर्वानुमति लेनी होगी।
4. संकेद्रण पर ध्यान देने के लिये समिति ने टियर- 1 में पूँजी की सीमा को बढ़ाकर 12 प्रतिशत कर देने, चलनिधि अनुपात को लागू किए जाने और बैंकों की तरह विवेकपूर्ण मानदंड अपनाये जाने की सिफारिश की है।
5. शेयर दलालों और व्यापारी बैंकों को ऋण देते समय गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों पर बैंकों पर लागू विनियमन लागू होंगे और मार्जिन वित्तोषण के समय भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी) द्वारा विनिर्दिष्ट किये अनुसार शेयर दलालों पर लागू विनियमन लागू होंगे। रियल इस्टेट के प्रति बोर्ड ने बैंकों के लिए एक्सपोजर की जो सीमा निश्चित की है, वह सीमा यदि किसी बैंक समूह में कोई गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी शामिल है तो पूरे समूह

पर लागू होगी। किसी एकल गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का जोखिम भार उसके पूँजी बाजार एक्सपोजर के प्रति बढ़ाकर 150 प्रतिशत और वाणिज्यिक रियल इस्टेट (सीआरई) एक्सपोजर के प्रति 125 प्रतिशत किया जाना चाहिए। किसी बैंक द्वारा प्रायोजित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी के लिए जोखिम भार पूँजी बाजार के प्रति उसके एक्सपोजर (सी.एम.ई.) और वाणिज्यिक रियल इस्टेट के प्रति एक्सपोजर बैंकों के लिए विनिर्दिष्ट भार जैसा ही होना चाहिए।

6. बड़ी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के समूह में यदि शेयर दलाल और व्यापारी बैंक शामिल हैं तो उनके निरीक्षण के लिए वित्तीय संगुट पद्धति अपनाई जानी चाहिए और सरकारी स्वामित्व वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों में गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए लागू विनियमन मानदंडों का यथाशीघ्र अनुपालन सुनिश्चित कराया जाना चाहिए।
7. सरफेसी एक्ट, 2002 के अंतर्गत गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को लाभ दिया जा सकता है।
8. आबद्ध गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ यदि मूल कंपनी के किसी उत्पाद के लिए वित्त प्रदान करती हैं तो उनके लिए टियर- 1 में 12 प्रतिशत पूँजी रखा जाना सुनिश्चित करना चाहिए और इस प्रकार की कंपनियों का पर्यवेक्षणकारी जोखिम आकलन मूल कंपनियों के जोखिम को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए।
9. पंजीकरण और पर्यवेक्षण की प्रयोज्यता के दृष्टिकोण से ₹1 बिलियन की न्यूनतम सीमा निर्धारित करने के लिए किसी समूह में सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की कुल आस्तियों को लिया जाना चाहिए।
10. ₹10 बिलियन से अधिक पूँजी आकार वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए प्रकटीकरण मानदंड और कड़े किए जाने चाहिए। ऐसी कंपनियों को चाहे वे सूचीबद्ध हों अथवा नहीं, उनपर भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड सूचीकरण करार के खंड 49 को लागू किया जाना चाहिए। और
11. ₹10 बिलयन और उससे अधिक की आस्ति वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पर्यवेक्षण और कड़ी से किया जाना चाहिए जिसमें उनकी संवेदनशीलता का पता लगाने के लिए तनाव परीक्षण भी शामिल है।

बॉक्स VI.6**गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की गैर-वित्तीय गतिविधियाँ**

कार्य दल द्वारा अध्ययन किए गए विभिन्न विषयों में से एक विषय प्रमुख व्यापार मानदंड रहा है जिसके अनुसार कोई कंपनी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एन.बी.एफ.सी.) मानी जाएगी यदि उसकी वित्तीय आस्ति उसकी कुल आस्ति के 50 प्रतिशत से अधिक हो और वित्तीय आस्ति से होने वाली आय उसकी कुल आय का 50 प्रतिशत हो। इसलिए, बैंकों से भिन्न गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को विभिन्न प्रकार की गतिविधियों को करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है जिसमें वैसी गैर-वित्तीय गतिविधियाँ भी शामिल हैं जो रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित नहीं की जाती। जमा न लेने वाली प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की गैर-वित्तीय गतिविधियों तथा ऐसी गतिविधियों से उनको होनेवाले जोखिम, यदि कोई हो, का आकलन करने के लिए एक अध्ययन किया गया। उक्त विश्लेषण से निम्नलिखित तथ्य सामने आये :

क) गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की गैर-वित्तीय गतिविधियों में निम्न बातें शामिल हैं: (i) शुल्क-आधारित: वित्तीय / बीमा उत्पादों का वितरण, धन प्रेषण संबंधी सेवाएं, परामर्श सुझाव संबंधी सेवाएं, पोर्टफोलियो प्रबंधन, ड्रेड मार्क शुल्क इत्यादि, (ii) सेवाऊन्मुख:- परिसरों को पट्टे पर देना, कंप्यूटर प्रशिक्षण, बीपीओ सेवाएं, व्यापार सहायता, चार्टर सेवाएं, यात्रा एवं टिकट सेवाएं, रख-रखाव सेवाएं, चाय पैकिंग इत्यादि, (iii) व्यापार, विनिर्माण इत्यादि, पवनचक्की ऊर्जा उत्पादन, सॉफ्टवेयर विकसित करना, कंप्यूटर, वस्त्र/पोशाक, कृषि उत्पाद, जमीन जायदाद की बिक्री।

ख) जमा न लेनेवाली केवल लगभग 17 प्रतिशत प्रणालीगत दृष्टि से महत्वपूर्ण गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां ही गैर-वित्तीय गतिविधियों में शामिल हैं, अतः ये कंपनियां कुल आस्ति में गैर-वित्तीय आस्तियों के प्रतिशत की दृष्टि से तथा / अथवा कुल आय में गैर-वित्तीय आय के प्रतिशत, दोनों ही दृष्टियों से महत्वपूर्ण नहीं हैं।

ग) गैर-वित्तीय गतिविधियों में लगी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की कुल आस्तियों की तुलना में गैर-वित्तीय आस्तियों की मात्रा 0.02 से 29.5 प्रतिशत के बीच है। कुल आय की तुलना में गैर-वित्तीय आय का दायरा 0.01 से 86 प्रतिशत के बीच रहा।

घ) अधिकतर गैर-वित्तीय गतिविधियाँ शुल्क आधारित कारोबार अथवा सेवाएं थीं। व्यापार, उत्पादों का वितरण अथवा विनिर्धारण कार्य जैसी गतिविधियाँ जमा ने लेने वाली प्रणालीगत दृष्टि से महत्वपूर्ण केवल कुछेक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों तक ही सिमटी हुई थीं।

कार्य दल ने यह सिफारिश की है कि इन कंपनियों की वित्तीय आस्ति और वित्तीय आय के न्यूनतम प्रतिशत को 50:50 से बढ़ाकर 75:75 कर किया जाना चाहिए ताकि उनके व्यापार का प्रमुख हिस्सा उनकी वित्तीय गतिविधियों को दर्शाएं एवं कंपनियां प्रमुखता से वित्तीय कारोबार पर ध्यान केंद्रित कर सकें।

एनडी-एसआई की गैर - वित्तीय गतिविधियों का आकलन करने के लिए एक अध्ययन किया गया (VI.6 बॉक्स)।

गैर - वित्तीय गतिविधियों के मुद्दे की जांच की और एनबीएफसी के प्रमुख व्यापार पर इसकी सिफारिश के आधार पर एनबीएफसी-

पिछले वर्ष की तरह मुद्रास्फीति की दशा में केंद्र तथा राज्य सरकारों द्वारा बाजार से अधिक मात्रा में उधार लेने की कार्य-योजना को पूरा करना रिजर्व बैंक के लिए काफी चुनौतीपूर्ण कार्य था। 2011-12 की दूसरी छमाही में चलनिधि की कमी और मंद वृद्धि के कारण जटिलताएं बढ़ीं। चूंकि मुद्रास्फीति की प्रत्याशाएं अधिक रहीं, अतः रिजर्व बैंक द्वारा नीतिगत दरों में बढ़ोतरी की गई। आय वक्र पर, विशेष रूप से अल्पावधिक आय वक्र पर दबाव पड़ा। आलोच्य वर्ष में रिजर्व बैंक ने कर्ज प्रबंधन के उद्देश्यों के साथ-साथ खुला बाजार परिचालनों के माध्यम से एवं दीर्घावधिक प्रतिभूतियों का निर्गम करके चलनिधि और मौद्रिक प्रबंधन का कार्य कुशलतापूर्वक संपन्न किया। साथ ही, सरकार द्वारा लिए गए उधारों की लागत को वाजिब दर पर बनाए रखा।

VII.1 वर्ष 2011-12 में मुद्रास्फीतिजन्य दबाव जारी रहा, जिसके चलते रिजर्व बैंक ने नीति दरों में पांच चरणों में 175 आधार अंकों की बढ़ोतरी की। इस वित्तीय वर्ष के अंतिम चार महीने में चलनिधि की उपलब्धता की स्थिति खराब रही, इसी अवधि में सरकार ने भी अधिक मात्रा में उधार लिए। रिजर्व बैंक ने कर्ज की परिपक्वता अवधि के स्वरूपों, जिनसे कम रोलओवर जोखिम पैदा होता है, पर विचार करने के बाद बाजार से उधार लेने का कार्यक्रम पूरा किया। इसमें रिजर्व बैंक ने उधार लेने में सरकार को लगने वाली लागत को कम करने के उद्देश्य को पूरी तरह ध्यान में रखा था। 2011-12 में केंद्र सरकार द्वारा दिनांकित प्रतिभूतियों और 364-दिन के खजाना बिलों के माध्यम से जुटाई गई निवल राशि पिछले वर्ष जुटाई गई राशि से लगभग 48 प्रतिशत अधिक रही। आलोच्य वर्ष के दौरान अन्य स्रोतों (जैसे- लघु बचत, विनिवेश से प्राप्त राशि आदि) से प्राप्त होने वाले वित्तपोषण की मात्रा में कमी होने और अनुदानजन्य दो अनुपूरक मांगों की पूर्ति में किए गए व्यय के बढ़ने की वजह से बाजार से लिए गए उधार की निवल राशि में बढ़ोतरी हुई।

VII.2 हालाँकि मुद्रास्फीतिजन्य दबावों और नीतिगत दरों को बढ़ाने की वजह से 2011-12 में प्रतिफलों में बढ़ोतरी हुई, फिर भी समुचित कार्य-नीति अपनाने से बाजार से लिए गए उधारों की लागत को बढ़ाने से रोका गया। नीलामी प्रक्रिया द्वारा खुले बाजार के परिचालनों से की गई खरीद से प्रणाली में चलनिधि उपलब्ध कराने में सहायता मिली।

केंद्र सरकार का ऋण प्रबंधन

बाजार से लिए गए उधार

VII.3 वर्ष 2011-12 में दिनांकित प्रतिभूतियों और 364-दिन के खजाना बिलों के माध्यम से जुटाई गई सकल राशि पिछले वर्ष जुटाई गई सकल राशि से लगभग 25 प्रतिशत अधिक रही।

(सारणी VII.1) बजट अनुमान की तुलना में केंद्र सरकार द्वारा बाजार से लिए गए वास्तविक उधारों में हुई बढ़ोतरी पिछले वर्ष की तुलना में काफी अधिक थी। 2011-12 में केंद्र सरकार द्वारा बाजार से दिनांकित प्रतिभूतियों के माध्यम से ₹4,171 बिलियन की सकल उधार राशि जुटाने का बजट अनुमान था जिसे दो चरणों (सितंबर और दिसंबर 2011) में बढ़ाकर ₹5,100 बिलियन (₹4,364 बिलियन की निवल राशि) कर दिया गया, जबकि 2010-11 में यह राशि ₹4,370 बिलियन थी (₹3,254 बिलियन की निवल राशि)। इससे बाजार से लिए गए उधार में बढ़ोतरी हुई और ₹1,322 बिलियन के खजाना बिलों के माध्यम से अतिरिक्त निवल उधार राशि जुटानी पड़ी, जो रिजर्व बैंक के ऋण प्रबंधन परिचालनों के लिए चुनौतीपूर्ण कार्य रहा। तथापि, बाजार उधार की संशोधित योजना को सफलतापूर्वक पूरा किया गया। पिछले वर्ष के ₹57.7 बिलियन की तुलना में इस वर्ष प्राथमिक व्यापारियों पर ₹121.1 बिलियन की प्रतिभूतियां डिवाल्व हुईं।

VII.4 रिजर्व बैंक द्वारा दरों के संबंध में की गई कार्रवाई के परिणामस्वरूप आलोच्य वर्ष में जारी की गई दिनांकित प्रतिभूतियों के भारांकित औसत प्रतिफलों में 60 आधार अंकों की बढ़ोतरी हुई। तथापि, 31 मार्च 2012 की स्थिति के अनुसार दिनांकित प्रतिभूतियों के बकाया स्टाक पर भारांकित औसत कूपन में 7 आधार अंकों की मामूली वृद्धि हुई जो 7.88 प्रतिशत पर पहुंच गया (सारणी VII.2)। 2011-12 में आय वक्र लगभग सपाट होने लगा, जिसका संकेत प्रतिफल स्प्रेडों में आई अत्यधिक गिरावट से मिला। इस सपाट स्थिति से निपटने के लिए इस वर्ष अधिक मात्रा में दीर्घावधिक प्रतिभूतियां जारी की गईं। इसके फलस्वरूप 2010-11 में ऋण लिखतों की औसत परिपक्वता अवधि 11.62 वर्ष से बढ़कर 12.66 वर्ष हो गई। किंतु 31 मार्च 2012 की स्थिति के अनुसार बकाया स्टाक

सारणी VII.1: केंद्र सरकार द्वारा बाज़ार से ली गई सकल और निवल उधार राशि#

(₹ बिलियन)

मद	2010-11			2011-12			2012-13	
	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक आंकड़े	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक आंकड़े	बजट अनुमान	वास्तविक आंकड़े@
1	2	3	4	5	6	7	8	9
सकल उधार	4,986.3	4,885.9	4,794.8	4,697.4	6,003.7	6,003.8	6,739.9	3,093.8
निवल उधार	3,450.1	3,355.1	3,263.9	3,531.3	4,843.1	4,843.2	4,930.0	2,055.6
(i) दिनांकित प्रतिभूतियां	3,450.1	3,354.1	3,254.1	3,430.0	4,364.1	4,364.2	4,790.0	1,893.8
(ii) 364-दिवस के खजाना बिल	0	1.0	9.8	101.3	479.0	479.0	140.0	161.8

#: दिनांकित प्रतिभूतियां और 364-दिवस के खजाना बिल। @ : 9 अगस्त 2012 तक की स्थिति

(अवशिष्ट परिपक्वता अवधि पर आधारित) की भारांकित औसत परिपक्वता अवधि में मामूली गिरावट आई और वह 9.74 वर्ष हो गई। 2011-12 में बाज़ार से लिए गए उधार में 15 वर्ष से अधिक अवधि की परिपक्वता वाली दिनांकित प्रतिभूतियों का लगभग 26.4 प्रतिशत का हिस्सा रहा, जबकि 2010-11 में इसका 25.2 प्रतिशत का हिस्सा था (सारणी VII.3)।

VII.5 वर्ष 2012-13 के केंद्रीय बजट के अनुमान के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा बाज़ार से दिनांकित प्रतिभूतियों के माध्यम से जुटाए जाने वाले उधार की सकल राशि ₹5,696 बिलियन (निवल ₹4,790 बिलियन) है। दिनांक 27 मार्च 2012 को केंद्र सरकार के साथ परामर्श करके 2012-13 की पहली छमाही से संबंधित दिनांकित प्रतिभूतियों का निर्गम कार्यक्रम जारी किया गया। यह निर्धारित किया गया है कि 2012-13 की पहली छमाही में ₹3,700 बिलियन की राशि जुटाई जाए, जो पिछले वर्ष की समान अवधि में जुटाई गई राशि से ₹1,200 बिलियन अधिक है। 2012-13 में बजट अनुमान के अनुसार बाज़ार से दिनांकित प्रतिभूतियों के माध्यम से जुटाई जाने वाली सकल और

निवल उधार राशि में पिछले वर्ष (संशोधित अनुमान) की तुलना में क्रमशः 11.7 प्रतिशत और 9.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। केंद्र सरकार ने 9 अगस्त 2012 तक वर्ष 2012-13 की कुल उधार राशि में लगभग 46.3 प्रतिशत की राशि जुटाई है, जिसमें दिनांकित प्रतिभूतियों का भारित औसत प्रतिफल 8.50 प्रतिशत रहा, जबकि पिछले वर्ष की समान अवधि में यह 8.39 प्रतिशत था।

नकदी प्रबंधन

VII.6 वर्ष 2011-12 के आरंभ में सरकार के पास ₹165 बिलियन की अल्प अधिशेष शेष राशि थी, किंतु उसने व्यय की पूर्ति के लिए 5 अप्रैल 2011 को अर्थोपाय अग्रिम की शरण ले ली (चार्ट VII.1)। आलोच्य वर्ष में सरकार ने 263 दिनों के लिए अर्थोपाय अग्रिम लिए और 15 अवसरों (74 दिन) में ओवरड्राफ्ट की सुविधा प्राप्त की, जबकि पिछले वर्ष 57 दिनों के लिए अर्थोपाय अग्रिम लिए थे और दो दिनों के लिए ओवरड्राफ्ट सुविधा का प्रयोग किया था। 2011-12 में केंद्र सरकार की नकदी स्थिति में रहने वाले अस्थायी अंतरालों को दूर करने के लिए 14 खंडों में 35-77 दिनों की परिपक्वता अवधि

सारणी VII.2: केंद्र सरकार द्वारा बाज़ार से लिए गए ऋण - एक विवेचन#

(प्रतिफल - प्रतिशत में, परिपक्वता - वर्ष में)

वर्ष	प्राथमिक निर्गमों के दौरान वाईटीएम की विस्तार-सीमा				वर्ष के दौरान किए गए निर्गम			बकाया स्टॉक (मार्च के अंत की स्थिति के अनुसार)	
	5 वर्ष से कम	5-10 वर्ष	10 वर्ष से अधिक	भारित औसत प्रतिफल	प्रतिभूतियों की परिपक्वता अवधि	भारित औसत परिपक्वता	भारित औसत कूपन	भारित औसत परिपक्वता	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2008-09	7.71-8.42	7.69-8.77	7.77-8.81	7.69	6-30	13.8	8.23	10.45	
2009-10	6.09-7.25	6.07-7.77	6.85-8.43	7.23	5-15	11.16	7.89	9.82	
2010-11	5.98-8.67	7.17-8.19	7.64-8.63	7.92	5-30	11.62	7.81	9.78	
2011-12	8.21-8.49	7.80-10.01	8.25-9.28	8.52	7-30	12.66	7.88	9.74	

#: बाज़ार स्थिरीकरण योजना के अंतर्गत किए गए निर्गमों को छोड़कर; वाईटीएम : परिपक्वता प्रतिफल

सारणी VII.3: भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों का निर्गम - परिपक्वता का स्वरूप

(₹ बिलियन)

अवशिष्ट परिपक्वता अवधि	2009-10		2010-11		2011-12	
	जुटाई गई राशि हिस्से का प्रतिशत	कुल राशि में हिस्से का प्रतिशत	जुटाई गई राशि हिस्से का प्रतिशत	कुल राशि में हिस्से का प्रतिशत	जुटाई गई राशि हिस्से का प्रतिशत	कुल राशि में हिस्से का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
5 वर्ष से कम	520	12.4	110	2.5	180	3.5
5 - 9.99 वर्ष	1,800	43.1	1,520	34.8	2,340	45.9
10-14.99	910	21.8	1,640	37.5	1,230	24.1
15 - 19.99 वर्ष	390	9.3	540	12.4	650	12.7
20 वर्ष और उससे अधिक	560	13.4	560	12.8	700	13.7
कुल	4,180	100.0	4,370	100.0	5,100	100.0

वाले ₹930 बिलियन (अंकित मूल्य) के नकदी प्रबंधन बिल जारी किए गए जिससे बाजार से उधार लेने के कार्यक्रम को चुनौती का सामना करना पड़ा। 2011-12 में ₹543 बिलियन, ₹300 बिलियन और ₹479 बिलियन की निवल निर्गम राशि के क्रमशः 91-दिन, 182-दिन और 364-दिन के खजाना बिल (जिनमें गैर-प्रतिस्पर्धात्मक बोलियां शामिल हैं) जारी किए गए। इस वर्ष जारी किए गए खजाना बिलों की राशि ₹1,322 बिलियन रही, जबकि 2010-11 में ₹3 बिलियन के ऐसे बिल जारी किए गए थे।

VII.7 वर्ष 2011-12 की पहली छमाही के अर्थोपाय अग्रिम के लिए ₹300 बिलियन की प्रारंभिक सीमा तय की गई थी, जबकि इसे संशोधित करते हुए वर्ष की पहली तिमाही (21 अप्रैल 2011 से) की सीमा ₹450 बिलियन कर दी गई। इसी प्रकार, दूसरी छमाही के अर्थोपाय अग्रिम की सीमा ₹100 बिलियन निर्धारित की गई थी, जिसे


संशोधित करके वर्ष की तीसरी तिमाही की सीमा ₹200 बिलियन कर दी गई। केंद्र सरकार के साथ परामर्श करके 2012-13 की पहली और दूसरी तिमाहियों के अर्थोपाय अग्रिम की सीमा ₹500 बिलियन और ₹450 बिलियन पर निर्धारित की गई।

राज्य सरकारों का ऋण प्रबंधन

बाजार से लिए गए उधार

VII.8 वर्ष 2011-12 में इस राशि में काफी बढ़ोतरी हुई, तथापि, राज्य सरकारों द्वारा बाजार से लिए गए सकल उधार का संचालन सुचारू रूप से संपन्न किया गया। 2011-12 में राज्य सरकारों के बाजार उधार कार्यक्रम के अंतर्गत निवल आबंटन की राशि ₹1,459 बिलियन थी। ₹220 बिलियन की चुकौतियों और ₹157 बिलियन के अतिरिक्त आबंटन के हिसाब से सकल आबंटन राशि ₹1,835 बिलियन रही (अनुच्छेद 293(3) के अंतर्गत संस्वीकृत सकल राशि ₹1,634 बिलियन थी)। 2011-12 में राज्य सरकारों ने ₹1,586 बिलियन की सकल राशि जुटाई, जबकि पिछले वर्ष राज्यों ने ₹1,040 बिलियन की राशि जुटाई थी (सारणी VII.4)। 2011-12 में असम, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा ने बाजार उधार कार्यक्रम में भाग ही नहीं लिया, किंतु पिछले वर्ष चार राज्यों (यथा- अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और सिक्किम) ने इस कार्यक्रम में भाग नहीं लिया था। आलोच्य वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर पूर्ववर्ती निर्गमों की चुकौती के बोझ के चलते राज्य विकास ऋण की नीलामियों में अल्प-अभिदान की स्थिति देखने को मिली। रिजर्व बैंक ने जुलाई 2012 में जुलाई-सितंबर तिमाही की तिमाही सूचक राशि (क्वार्टली इंडिकेटिव कॉर्टम) जारी की थी ताकि राज्य सरकारों के बाजार उधार कार्यक्रमों को निर्बाध रूप से संचालित किया जा सके। 2011-12 में चौदह राज्यों ने संपूर्ण संस्वीकृत राशि नहीं जुटाई, जबकि पिछले वर्ष चार राज्य यह राशि जुटा नहीं पाए।

चार्ट VII.1: केंद्र सरकार की शेष नकद राशि



सारणी VII.4: राज्य सरकारों द्वारा बाज़ार से लिए गए उधार

(₹ बिलियन)

मद	2010-11	2011-12
1	2	3
निवल आबंटन	1,421.6	1,458.6
अतिरिक्त आबंटन	59.7	156.7
वर्ष के दौरान संपन्न परिपक्वता अवधि	156.4	219.9
सकल आबंटन	1,637.7	1,835.2
अनुच्छेद 293 (3) के अंतर्गत मंजूर की गई सकल राशि	1,090.6	1,633.9
वर्ष के दौरान जुटाई गई सकल राशि	1,040.4	1,586.3
वर्ष के दौरान जुटाई गई निवल राशि	884.0	1,366.4
मंजूर की गई कुल राशि में वर्ष के दौरान जुटाई गई राशि का प्रतिशत	95.4	97.1

VII.9 वर्ष 2011-12 में राज्य सरकारों द्वारा जारी की गई प्रतिभूतियों का भारित औसत प्रतिफल 8.79 प्रतिशत अधिक रहा, जबकि पिछले वर्ष यह 8.39 प्रतिशत अधिक था। आलोच्य वर्ष में भारित औसत स्प्रेड (अर्थात् नीलामी के दिन राज्य विकास ऋण के प्राथमिक बाजार के भारित औसत प्रतिफल और उसी दिन केंद्र सरकार की विनाकित प्रतिभूति की परिपक्वता पर अनुषंगी बाजार के प्रतिफल का अंतर) में मामूली गिरावट आई, जो 44 आधार अंक पर पहुंच गया (2010-11 में 45 आधार अंक रहा)। 2005-06 से अब तक राज्यों ने 10-वर्षीय प्रतिभूतियों को ही जारी किया है (सारणी VII.5)।

सारणी VII.6: अर्थोपाय अग्रिम/ओवरड्राफ्ट का उपयोग और राज्य सरकारों का निवेश (औसत मासिक बकाया)

(₹ बिलियन)

माह	विशेष अर्थोपाय अग्रिम			सामान्य अर्थोपाय अग्रिम			ओवरड्राफ्ट				कुल		
	2010-11	2011-12	2012-13	2010-11	2011-12	2012-13	2010-11	2011-12	2012-13	2010-11	2011-12	2012-13	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
अप्रैल	5.9	9.7	4.6	2.9	7.0	3.9	1.9	8.7	2.8	10.7	25.4	11.3	
मई	3.0	6.2	1.1	0.1	2.4	0.4	0.0	0.4	नगण्य	3.1	9.0	1.5	
जून	0.4	2.3	0.7	0.0	2.6	3.4	0.0	0.1	0.2	0.4	5.0	4.2	
जुलाई	Neg	1.4		0.0	1.6		0.0	0.0		नगण्य	3.0		
अगस्त	0.1	1.6		1.2	2.7		0.0	0.0		1.3	4.2		
सितंबर	1.2	1.0		0.9	2.2		नगण्य	0.1		2.1	3.3		
अक्टूबर	8.2	1.3		5.4	3.2		1.2	0.1		14.8	4.6		
नवंबर	9.0	5.4		4.8	1.6		2.4	0.0		16.2	6.9		
दिसंबर	0.2	3.1		0.6	2.2		0.0	0.1		0.8	5.4		
जनवरी	4.5	2.7		1.1	1.3		0.0	0.0		5.7	4.1		
फरवरी	9.5	0.5		5.3	1.1		2.0	0.0		16.8	1.5		
मार्च	8.9	0.2		3.6	1.3		2.6	0.3		15.1	1.8		
औसत	4.2	2.9		2.2	2.1		0.8	0.8		7.2	5.8		

नगण्य : नहीं के बराबर।

सारणी VII.5: राज्य विकास संबंधी बकाया ऋणों और पॉवर बांडों की अवशिष्ट परिपक्वता अवधि का विवरण (मार्च 2012 के अंत की स्थिति के अनुसार)

(₹ बिलियन)

परिपक्वता का वर्ष	राज्य विकास संबंधी ऋण	पॉवर बांड	कुल
1	2	3	4
2012-13	306.3	28.7	335.0
2013-14	320.8	28.7	349.5
2014-15	333.8	28.7	362.5
2015-16	351.9	27.9	379.8
2016-17	315.2	15.8	331.0
2017-18	677.8	0.0	677.8
2018-19	1,181.4	0.0	1,181.4
2019-20	1,306.2	0.0	1,306.2
2020-21	1,045.4	0.0	1,045.4
2021-22	1,586.3	0.0	1,586.3
कुल	7,425.1	129.7	7,554.8

नकदी प्रबंधन

VII.10 राज्यों, जिनमें पुदुच्चेरी संघ-शासित क्षेत्र भी शामिल है, की वर्ष 2011-12 के कुल ‘सामान्य अर्थोपाय अग्रिमों’ की सीमा ₹102.4 बिलियन थी, जिसमें पिछले वर्ष की तुलना में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष अर्थोपाय अग्रिमों और ओवरड्राफ्टों के अंतर्गत राज्य सरकारों की मासिक औसत उपयोग में कमी आई है (सारणी VII.6)।

सारणी VII.7: राज्य सरकारों ने कितने दिन विशेष/सामान्य अर्थोपाय अग्रिम और ओवरड्राफ्ट लिए

राज्य	विशेष अर्थोपाय अग्रिम			सामान्य अर्थोपाय अग्रिम			ओवरड्राफ्ट		
	2010-11	2011-12	2012-13	2010-11	2011-12	2012-13	2010-11	2011-12	2012-13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
आंध्र प्रदेश	3	0	0	0	0	0	0	0	0
हरियाणा	10	23	12	10	22	11	8	6	5
नागालैंड	0	41	120	0	20	75	0	0	15
पंजाब	133	177	33	132	177	30	13	26	25
उत्तर प्रदेश	4	0	0	4	0	0	0	0	0
पश्चिम बंगाल	195	185	37	113	59	10	62	28	2
मणिपुर	0	0	87	0	0	54	0	0	25
मिज़ोरम	25	15	5	15	1	1	0	0	0
उत्तराखण्ड	35	57	0	12	4	0	10	0	0
मेघालय	1	0	0	0	0	0	0	0	0
झारखण्ड	0	5	8	0	2	8	0	0	0
जम्मू और कश्मीर	-	0	0	-	136	47	-	4	0

VII.11 हाल के वर्षों में कई राज्य सरकारों ने अधिक मात्रा में अधिशेष नकद राशि जुटाई है। 2011-12 में कुछ राज्यों को ही चलनिधि के अभावजन्य दबाव का सामना करना पड़ा (सारणी VII.7)। राज्य सरकारों की अधिशेष नकद शेष राशियों को 14-दिन के मध्यवर्ती खजाना बिलों में स्वतः निवेश किया जाता है। वर्तमान में ऐसे बिलों की बट्टा दर 5 प्रतिशत पर निर्धारित की गई है। 2011-12 में 14-दिन के मध्यवर्ती खजाना बिलों में किए गए निवेश की औसत राशि में गिरावट आई, जबकि नीलामी खजाना बिलों में किए गए निवेश की औसत राशि में लगभग तिगुना बढ़ोतरी

दर्ज हुई (सारणी VII.8)। 2011-12 में मध्यवर्ती खजाना बिलों और नीलामी खजाना बिलों में किए गए निवेश की समग्र औसत राशि ₹998.0 बिलियन रही, जबकि 2010-11 में यह ₹885.1 बिलियन थी।

VII.12 रिजर्व बैंक राज्य सरकारों की ओर से समेकित ऋण शोधन निधि, जो राज्य सरकारों द्वारा बाजार से लिए गए उधार/देयताओं के परिशोधन की सुविधा उपलब्ध कराती है तथा गारंटी उन्मोचन निधि, जो राज्य स्तरीय उपक्रमों या अन्य निकायों द्वारा लिए गए

सारणी VII.8: राज्य सरकारों/संघ-शासित क्षेत्रों द्वारा नीलामी खजाना बिलों और मध्यवर्ती खजाना बिलों में किए गए निवेश

(₹ बिलियन)

माह	नीलामी खजाना बिलों में निवेश			मध्यवर्ती खजाना बिलों में निवेश			कुल		
	2010-11	2011-12	2012-13	2010-11	2011-12	2012-13	2010-11	2011-12	2012-13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
अप्रैल	2.5	108.6	231.6	770.7	864.1	843.1	773.2	972.7	1,074.7
मई	2.5	145.3	318.8	766.3	728.1	768.2	768.8	873.4	1,087.0
जून	7.0	249.8	413.3	780.2	677.9	682.3	786.5	927.8	1,095.6
जुलाई	30.0	326.4		847.9	613.9		877.9	940.3	
अगस्त	80.0	329.6		781.2	645.2		861.2	974.8	
सितंबर	112.7	327.6		718.1	615.4		830.8	943.0	
अक्टूबर	125.0	297.2		664.4	613.7		789.4	910.9	
नवंबर	134.7	267.9		682.0	667.1		816.7	935.0	
दिसंबर	154.6	240.2		824.9	762.0		979.5	1,002.2	
जनवरी	183.2	326.3		767.5	717.1		950.7	1,043.4	
फरवरी	178.2	381.7		803.5	774.5		981.7	1,156.2	
मार्च	144.6	329.5		1,058.2	986.5		1,202.8	1,316.0	
औसत	95.9	276.8	321.2	789.2	721.2	764.5	885.1	998.0	1,085.8

उधारों से संबंधित गारंटियों के इन्वोकेशन से पैदा होने वाली आकस्मिक देयताओं को पूरा करने की सुविधा उपलब्ध कराती है, का रखरखाव करता है। 31 मार्च 2012 की स्थिति के अनुसार 20 राज्य सरकारों ने ऋण शोधन निधि अधिसूचित की है और 10 राज्यों ने गारंटी उन्मोचन निधि स्थापित की है। जून 2012 के अंत की स्थिति के अनुसार ऋण शोधन निधि और गारंटी उन्मोचन निधि के अंतर्गत क्रमशः ₹431.4 बिलियन और ₹41.2 बिलियन के निवेश की बकाया निधि थी।

VII.13 वर्ष 2012-13 में मुद्रास्फीति की दर अधिक रहने और चलनिधि की कमी की दशा में केंद्र सरकार द्वारा बजट में बताए अनुसार बाजार से अपेक्षाकृत अधिक राशि उधार लिए जाने एवं राज्य सरकारों द्वारा लिए जाने वाले उधारों में बढ़ोतरी होने की स्थिति का सामना करना चुनौतीपूर्ण है। मंद वृद्धि के परिवेश में और कर्ज प्रबंधन में उपलब्ध सीमित अवसरों के मद्देनजर इस बात पर ध्यान देना जरूरी है कि राजकोषीय धाटा और उसके वित्तपोषण हेतु बाजार से ली जाने वाली राशि बजट में अनुध्यात स्तर से अधिक न हो जाए।

रिजर्व बैंक ने अपनी स्वच्छ नोट नीति के अनुसरण में नये बैंक नोटों की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के अपने प्रयासों को जारी रखा। वर्ष 2011-12 के दौरान रिजर्व बैंक ने बैंक नोटों की सुरक्षा विशेषताओं को सुदृढ़ करने के साथ-साथ जन-जागरूकता बढ़ाने के अपने प्रयास जारी रखे ताकि जाली नोटों की चुनौती से निपटा जा सके। 2010 में भारतीय मुद्रा ने अपना एक विशिष्ट चिन्ह (₹) बना लिया है और इस प्रकार अपनी मुद्रा के चिह्न वाले चुनिंदा देशों के समूह में अपना स्थान बना लिया है, लेकिन 2011-12 के दौरान बैंक नोटों तथा सिक्कों पर इस चिह्न को अंकित कर उसने एक कदम और आगे बढ़ाया है।

VIII.1 भारत में बैंक नोटों को जारी करने का एकमात्र अधिकार भारतीय रिजर्व बैंक को है। यद्यपि एक रूपये के नोट तथा सभी मूल्यवर्ग के सिक्के सरकार द्वारा जारी किये जाते हैं, परंतु भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से ही उन्हें संचलन में लाया जाता है। प्रौद्योगिकी संचालित भुगतान के गैर नकदी मोड के प्रसार में वृद्धि के बावजूद, बैंक नोटों तथा सिक्कों की मांग में बढ़ोत्तरी जारी रही। रिजर्व बैंक स्वच्छ नोट नीति का अनुसरण करते हुए नये बैंक नोटों की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने का प्रयास करता है। इसके साथ-साथ रिजर्व बैंक ने बैंक नोटों की सुरक्षा विशेषताओं को सुदृढ़ करने एवं जन-जागरूकता बढ़ाने के अपने प्रयास जारी रखे ताकि जाली नोटों की चुनौती से निपटा जा सके। हाल में, भारतीय मुद्रा के विशिष्ट चिन्ह (₹) को बैंक नोटों तथा सिक्कों पर अंकित कर दिया गया है।

VIII.2 रिजर्व बैंक को अपने मुद्रा परिचालन के दौरान जिन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, उनमें प्रणाली में बैंक नोटों तथा सिक्कों की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता, बैंक नोटों की अच्छी गुणवत्ता तथा उनकी असलियत (जाली न होने) का पता लगाना सुनिश्चित करना शामिल है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए 2011-12 में उपयुक्त प्रयास किये गये। गंदे तथा अनुपयुक्त बैंक नोटों की श्रेदिंग तथा ब्रिकेटिंग करके उन्हें संचलन से बाहर कर दिया गया। केवल असली नोटों का संचलन में होना सुनिश्चित करने के लिये हमेशा की तरह बैंकिंग प्रणाली में जाली नोटों की रोक-थाम तथा उनका पता लगाने के कार्य को उच्च प्राथमिकता दी जा रही है। इस प्रयोजन के लिये बैंकों को प्रौद्योगिकी का प्रयोग बढ़ाने के निदेश दिये गये। साथ ही, बैंक नोटों की सुरक्षा विशेषताओं में सुधार लाने की प्रक्रिया नये उत्साह के साथ जारी रखी गई। पुनः एक बार जाली नोटों की रिपोर्टिंग को प्रोत्साहित करने हेतु प्रशासनिक एवं कानूनी प्रक्रियाओं को सरल बनाने के सुविचारित प्रयास किये गये। स्वच्छ

नोट नीति के एक भाग के रूप में रिजर्व बैंक, बैंक नोटों की आयु बढ़ाने के विभिन्न विकल्पों पर विचार कर रहा है।

संचलन में बैंक नोट

VIII.3 2011-12 में बैंक नोटों के मूल्य में 12.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई जो मात्रा में हुई वृद्धि (7.4 प्रतिशत) की तुलना में अधिक थी। कुल-मिलाकर संचलन में बैंक नोटों के कुल मूल्य में 500 तथा 1000 मूल्यवर्ग के नोटों का हिसाब 82 प्रतिशत था (सारणी VIII.1)।

संचलन में सिक्के

VIII.4 संसद द्वारा सिक्का-निर्माण अधिनियम, 2011 पारित किया गया और वह 28 मार्च 2012 से लागू हुआ। इस अधिनियम के तहत सिक्कों की वैध मुद्रा स्वरूप को इस प्रकार पुनः परिभाषित किया गया : (i) ₹1 तथा अधिक - ₹1000 तक की राशि, और (ii) 50 पैसे - ₹10 तक की राशि। इस अधिनियम के अंतर्गत सिक्का निर्माण तथा टकसाल संबंधी कानूनों को समेकित किया जाता है और इसके अलावा यह सिक्कों को पिघलाने अथवा उनके विनाश, सिक्कों को अवैध बनाने, अथवा मुद्रा के रूप में उपयोग किये जाने हेतु धातुओं के टुकड़े जारी करने अथवा अपने पास रखने पर प्रतिबंध लगाता है और इस पर दंड लगाता है।

VIII.5 2011-12 में संचलन में छोटे सिक्कों की मात्रा एवं उनके मूल्य में उल्लेखनीय गिरावट आई क्योंकि 30 जून 2011 से 25 पैसे तथा कम मूल्यवर्ग के सिक्कों की कानूनी वैधता समाप्त कर दी गई (सारणी VIII.2)। 2011-12 के दौरान जनता की मांग में हुई वृद्धि के अनुकूल सिक्कों की आपूर्ति की गई (बॉक्स VIII.1)। सिक्कों का उपयोग करने वाले टोल प्लाज़ा, मॉल, दिल्ली मेट्रो रेल, आदि जैसे नये स्रोतों से सिक्कों की मांग अधिक थी। सरकार ने, व्यापार के विभिन्न निकायों तथा जनता के सदस्यों की ओर से सिक्कों

**सारणी VIII.1 : संचलन में बैंक नोट
(मार्च के अंत में)**

मूल्यवर्ग	मात्रा (मिलियन नगों में)			मूल्य (बिलियन ₹)		
	2010	2011	2012	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7
₹2 तथा ₹5	7,953 (14.1)	11,116 (17.2)	11,540 (16.2)	29 (0.4)	43 (0.5)	45 (0.4)
₹10	18,536 (32.8)	21,288 (33.0)	23,002 (32.2)	185 (2.4)	213 (2.3)	230 (1.9)
₹20	2,341 (4.1)	3,020 (4.7)	3,510 (4.9)	47 (0.6)	60 (0.7)	70 (0.6)
₹50	4,211 (7.4)	3196 (5.0)	3,488 (4.9)	211 (2.7)	160 (1.7)	174 (1.4)
₹100	13,836 (24.5)	14,024 (21.7)	14,119 (19.8)	1,384 (17.6)	1,402 (15.0)	1,412 (11.6)
₹500	7,290 (12.9)	8,906 (13.8)	10,256 (14.8)	3,645 (46.2)	4,453 (47.6)	5,128 (48.7)
₹1,000	2,383 (4.2)	3027 (4.7)	3,469 (5.0)	2,382 (30.2)	3,027 (32.4)	3,469 (32.9)
कुल	56,549	64,577	69,382	7,883	9,358	10,528

टिप्पणी : कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल का प्रतिशत दर्शाते हैं।

के उपलब्ध न होने संबंधी बढ़ती हुई संख्या में प्राप्त शिकायतों को देखते हुए सिक्कों की मांग में वृद्धि तथा आपूर्ति/वितरण में आने

**सारणी VIII.2 : संचलन में सिक्के
(मार्च के अंत में)**

मूल्यवर्ग	मात्रा (मिलियन नगों में)			मूल्य (बिलियन ₹)		
	2010	2011	2012	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7
छोटा	54,738	54,797	14,785	15	15	7
सिक्का	(52.0)	(48.8)	(18.9)	(13.1)	(11.5)	(5.5)
₹1	29,461 (28.0)	32,675 (29.1)	34,414 (44.1)	30 (26.8)	33 (25.9)	34 (25.6)
₹2	13,198 (12.5)	15,342 (13.7)	18,201 (23.3)	26 (23.8)	31 (24.3)	36 (27.1)
₹5	7,760 (7.4)	9,070 (8.1)	9,981 (12.8)	39 (35.0)	45 (35.9)	50 (37.1)
₹10	149 (0.0)	300 (0.0)	648 (0.8)	1 (1.3)	3 (2.4)	6 (4.8)
कुल	1,05,306	1,12,184	78,029	111	127	135

टिप्पणी : कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल का प्रतिशत दर्शाते हैं।

वाली कठिनाईयों से संबंधित जांच के लिये एक समिति (अध्यक्ष: डॉ.के.सी.चक्रवर्ती, उप गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक) का गठन किया गया है।

**बाक्स VIII.1
सिक्कों की मांग**

2011-12 में जैसे ही सिक्कों के उपलब्ध न होने संबंधी शिकायतों में अत्यधिक बढ़ातरी हुई, रिजर्व बैंक ने सिक्कों के उपयोग, बाजार प्रथाओं, सिक्कों के संचलन, आदि को समझने के लिये तत्काल एक सर्वेक्षण किया। यह सर्वेक्षण फरवरी 2012 में बारह शहरों में, जैसे मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नै, बंगलूरु, लखनऊ, अहमदाबाद, देहरादून, रांची, जामनगर, जबलपुर तथा मंड्या में आयोजित किया गया। इस सर्वेक्षण में 1200 उत्तरदाता (प्रत्येक शहर से 100) शामिल हुए थे। उत्तरदाताओं को दो प्रमुख भागों में बांटा गया था, जैसे आम जनता (उत्तरदाताओं का 60 प्रतिशत) तथा व्यापारी वर्ग (40 प्रतिशत) और इन्हें विभिन्न व्यापार/व्यावसायिक क्षेत्रों से चुना गया था।

सिक्कों की उपलब्धता की स्थिति के आकलन के लिये उत्तरदाताओं से सिक्कों को प्राप्त करने में आने वाली दिक्कतों तथा उनके पास स्थित स्टाक के बारे में पूछ-ताछ की गई। उत्तरदाताओं से यह भी पूछा गया कि उन्होंने कितनी बार यह महसूस किया कि लेन-देन के लिये न तो क्रेता के पास आवश्यक सिक्के (छुट्टे पैसे) हैं और न ही विक्रेता के पास। नमूना अनुमानों पर आधारित सर्वेक्षण के महत्वपूर्ण निष्कर्ष इस प्रकार हैं :

- आम जनता के पास प्रति व्यक्ति औसत सिक्कों की संख्या 40 है, जिसमें से 34 सिक्के (88 प्रतिशत) ₹1, ₹2 तथा ₹5 मूल्यवर्ग के हैं। तथापि, लगभग 40 प्रतिशत आम जनता के पास केवल 10 अथवा उससे कम सिक्कों का स्टाक है।

- आम जनता में से कम-से-कम 40 सिक्कों के स्टाक वाले वर्ग के सदस्यों ने रिपोर्ट किया कि उन्हें 20 प्रतिशत से कम अवसरों पर सिक्कों की कमी की स्थिति का सामना करना पड़ा।
- व्यापारियों के मामले में सिक्कों के स्टाक तथा सिक्कों की कमी की स्थिति-दोनों में कोई ताल-मेल नहीं दिखाई दिया।

(जारी....)

- लगभग 56 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने ठीक-ठीक छुट्टे पैसे (सिक्के) देने में आने वाली कठिनाइयों के बारे में जानकारी दी। इसका कारण था - किसी भी स्रोत से आसानी से सिक्के न मिलना। अन्य 27 प्रतिशत ने जानकारी दी कि वे सिक्के लेकर नहीं चलना चाहते, जबकि अन्य 11 प्रतिशत ने बताया कि वे सिक्के चुनने, गिनने तथा ठीक-ठीक छुट्टे पैसे देने में समय गंवाना नहीं चाहते। शेष 6 प्रतिशत ने रिपोर्ट की कि दुकानदार छुट्टे पैसे नहीं लेते हैं।

- लगभग 44 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने सूचित किया कि दुकानदार छुट्टे पैसों के बदले में कोई वस्तु देते हैं।

चूंकि यह सर्वेक्षण तात्कालिक स्थिति के निर्धारण की पहल के रूप में किया गया था, इसलिए इस सर्वेक्षण के परिणाम छोटे नमूना आकार तथा उद्देश्यपूर्ण नमूने, उत्तरदाताओं की याददाश्त क्षमता तथा उत्तरदाताओं द्वारा दी गई जानकारी की सटीकता से उत्पन्न नमूना त्रुटियों पर आधारित हो सकते हैं। फिर भी, यह सर्वेक्षण जनता द्वारा सिक्कों की मांग का बेहतर समाधान करने के सकेत देता है।

मुद्रा परिचालन

मुद्रा प्रबंधन की बुनियादी सुविधाएं

VIII.6 रिजर्व बैंक नोट जारी करने तथा मुद्रा प्रबंधन का कार्य अपने 18 निर्गम कार्यालयों, लखनऊ स्थित एक उप-कार्यालय, कोच्चि स्थित एक करेंसी चेस्ट एवं 4,221 करेंसी चेस्टों तथा 4,018 छोटा सिक्का डिपो के विस्तृत नेटवर्क के जरिए करता है। अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के साथ एजेंसी व्यवस्था की गई है जिसके अंतर्गत उन्हें करेंसी चेस्ट सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। उप खजाना कार्यालयों के पास स्थित करेंसी चेस्टों को धीरे-धीरे समाप्त किया जा रहा है और इनकी संख्या 2011-12 के दौरान घटकर 11 रह गई है। वर्ष के दौरान करेंसी चेस्ट रखने वाले बैंकों के साथ एक संशोधित करार किया गया है जो अन्य बातों के साथ-साथ जनता/सहबद्ध बैंक शाखाओं को दी जाने वाली विभिन्न सुविधाओं और इस कार्य में खराब प्रदर्शन पाये जाने/रिपोर्ट किये जाने के मामले में रिजर्व बैंक को दंडात्मक कार्रवाई करने के अधिकार का निर्धारण करता है। स्टेट बैंक तथा उनके सहयोगी

बैंकों के पास करेंसी चेस्टों का सबसे बड़ा हिस्सा (70 प्रतिशत) है, जिसके पश्चात राष्ट्रीयकृत बैंकों (27 प्रतिशत) का स्थान है (सारणी VIII.3)।

VIII.7 2012-13 के मौद्रिक नीति वक्तव्य में यह घोषणा की गई कि बैंक नोटों तथा सिक्कों का वितरण केवल करेंसी चेस्टों/बैंक शाखाओं के माध्यम से किया जायेगा, इस प्रकार संबंधित सेवाएं ग्राहकों को करीब से उपलब्ध करा दी गई। बैंकों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपनी वितरण प्रणाली तथा प्रक्रिया को सृदृढ़ बना लें ताकि आम आदमी की बढ़ती जरूरतों को पूरा किया जा सके।

स्वच्छ नोट नीति

नये बैंक नोटों एवं सिक्कों की मांग (आदेश) तथा आपूर्ति

VIII.8 2011-12 में बैंक नोटों की मांग का प्रायः 100 प्रतिशत प्रिंटिंग प्रेस द्वारा पूरा किया गया। 2011-12 में नोटों की कुल आपूर्ति में मात्रानुसार 6.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई (सारणी VIII.4 तथा VIII.5)।

सारणी VIII.4: बैंक नोटों की मांग एवं आपूर्ति (अप्रैल-मार्च)

श्रेणी	करेंसी चेस्टों की संख्या	छोटा सिक्का डिपो की संख्या
1	2	3
खजाना	11	-
भारतीय स्टेट बैंक	2,192	2,118
भा.स्टे.बैंक के सहयोगी बैंक	778	775
राष्ट्रीयकृत बैंक	1,124	1,009
निजी क्षेत्र बैंक	107	107
सहकारी बैंक	1	1
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	3	3
विदेशी बैंक	5	5
कुल	4,221	4,018

मूल्यवर्ग	2010-11		2011-12		2012-13 अमांग
	मांग	आपूर्ति	मांग	आपूर्ति	
1	2	3	4	5	6
₹5	-	674	-	2	-
₹10	5,000	5,143	5,700	6,252	5,400
₹20	1,500	1,104	600	1,045	800
₹50	2,000	1,602	1,200	949	1,500
₹100	4,300	3,420	6,100	5,079	6,100
₹500	4,000	4,130	2,000	2,330	2,500
₹1,000	1,000	467	2,000	1,927	1,000
कुल	17,800	16,540	17,600	17,584	17,300

अ: अनंतिम

सारणी VIII.5 : सिक्कों की मांग एवं आपूर्ति

मूल्यवर्ग	मात्रा (मिलियन नगों में)					
	2010-11		2011-12		2012-13 अ	
	मांग	आपूर्ति	मांग	आपूर्ति	मांग	
1	2	3	4	5	6	
50 पैसे	70	59	70	107	50	
₹1	2,600	2,746	1,600	1,480	1,550	
₹2	1,700	1,811	2,900	3,343	3,200	
₹5	1,300	1,292	800	761	850	
₹10	1,000	232	1,000	403	1,000	
कुल	6,670	6,140	6,370	6,094	6,650	

अ: अनंतिम

गंदे बैंक नोटों का निपटान

VIII.9 2011-12 के दौरान गंदे बैंक नोटों के 13.8 बिलियन नगों (31 मार्च 2011 को संचलन में कुल सिक्कों का 21.3 प्रतिशत) को संसाधित किया गया और संचलन से हटाया गया (सारणी VIII.6)। इनमें से, 8.5 बिलियन नगों को 59 मुद्रा सत्यापन तथा संसाधन प्रणाली (सीवीपीएस) के माध्यम से संसाधित किया गया। शेष बैंक नोटों का निपटान अन्य प्रकार से किया गया। संचलन से हटाकर रिजर्व बैंक के कार्यालयों में अंततः निपटाये गये बैंक नोटों की संख्या लगभग पिछले वर्ष जितनी ही थी, जो करेंसी चेस्ट से गंदे बैंक नोटों को शीघ्रता से हटाने एवं रिजर्व बैंक कार्यालयों की उनका निपटान करने की क्षमता के संवर्धन के लिये किये जा रहे प्रयासों के अनुसरण में थी।

सारणी VIII.6 : गंदे बैंक नोटों का निपटान एवं नए बैंक नोटों की आपूर्ति (मिलियन नगों में)

मूल्यवर्ग	अप्रैल-मार्च					
	2009-10		2010-11		2011-12	
	निपटान	आपूर्ति	निपटान	आपूर्ति	निपटान	आपूर्ति
1	2	3	4	5	6	7
₹1,000	78	865	179	706	375	1,440
₹500	1,247	3,513	1,864	4,347	1,994	5,560
₹100	4,307	3,935	5,227	4,085	5,577	1,091
₹50	2,400	791	2,095	1,114	1,578	1,522
₹20	790	467	664	1,296	562	4,237
₹10	3,832	4,975	3,657	5,580	3,584	3,379
₹5 तक	418	441	166	549	101	371
कुल	13,072	14,987	13,852	17,677	13,772	17,600

संचलन में स्थित बैंक नोटों की गुणवत्ता में सुधार लाने के उपाय

VIII.10 बैंकों को यह सुनिश्चित करने के लिये कहा गया है कि वे प्राप्त होने वाले सभी नोटों की जांच जनता को पुनः जारी करने से पहले सॉर्टिंग मशीन (एनएसएम) से कर लें। साथ ही, ₹100 तथा उससे अधिक मूल्यवर्ग के नोटों को काउंटरों पर अथवा एटीएम के जरिए जारी करने से पहले रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित ‘‘नोट अधिप्रमाणन तथा उपयुक्तता छंटाई मानदंड’’ के अनुसार मशीनों से संसाधित कर लिया जाये। प्रतिदिन ₹5 मिलियन औसत नकद राशि प्राप्त करने वाली बैंक शाखाओं को सूचित किया गया कि वे मार्च 2011 के अंत तक ऐसी मशीनों का प्रयोग करना शुरू कर दें। 2011-12 के दौरान बैंकों को यह भी निर्देश दिये गये कि वे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की प्रत्येक शाखा में मशीनें लगावा लें और अनुपालन सुनिश्चित करें।

VIII.11 31 दिसंबर 2011 की स्थिति के अनुसार बैंकों ने 10,394 नोट सॉर्टिंग मशीनें लगावा ली हैं। साथ ही, बैंकों ने अन्य 1,706 शाखाओं में मशीन से संसाधित नोटों को जारी करने की भी व्यवस्था की है। उपर्युक्त उपायों से बैंक नोटों की कुशल सॉर्टिंग को बढ़ावा देने के अलावा स्वच्छ नोट नीति को सुदृढ़ बनाने एवं जाली नोटों का पता लगाने में मदद मिलेगी।

जाली बैंक नोट

VIII.12 जाली नोटों के प्रति अत्यधिक जागरूकता एवं नोट सॉर्टिंग मशीनों के बढ़ते प्रयोग के कारण पकड़े गये जाली नोटों की संख्या में वृद्धि हो गई है। 2011-12 में कुल जाली नोटों के लगभग 93 प्रतिशत जाली नोट बैंक शाखाओं द्वारा पकड़े गये, जो नोट सॉर्टिंग मशीनों के बढ़ते उपयोग को दर्शाते हैं (सारणी VIII.7)।

सारणी VIII.7: पता लगाए गए जाली नोट (नोटों की संख्या)

वर्ष	पता लगाए गए			कुल
	रिजर्व बैंक में	अन्य बैंकों में	वर्ष	
1	2	3	4	4
2009-10	52,620	3,48,856	4,01,476	
	(13.1)	(86.9)		
2010-11	45,235	3,90,372	4,35,607	
	(10.4)	(89.6)		
2011-12	37,690	4,83,465	5,21,155	
	(7.2)	(92.8)		


टिप्पणी: कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल में से प्रतिशत हिस्सा दर्शाते हैं।

VIII.13 2011-12 के दौरान, बैंकों को जनता को कोई असुविधा पहुंचाये बिना शीघ्र, सुचारू रूप से एवं कोई गंभीर अस्तव्यस्तता पैदा किए बिना महात्मा गांधी श्रृंखला 2000 के ₹1,000 मूल्यवर्ग के नोट और महात्मा गांधी श्रृंखला 1996 के ₹100 मूल्यवर्ग के बैंक नोटों को पुनः जारी करना बंद करने के निर्देश दिये गये थे। तथापि, ऐसे बैंक नोट वैध मुद्रा बने रहेंगे और सभी लेन-देनों के लिये स्वीकार किये जायेंगे और इनके लिये जनता के किसी भी सदस्य को विनिमय सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी। साथ ही, बैंक शाखाओं/खजाना में पकड़े गये जाली नोटों के सभी मामलों को पुलिस प्राधिकारियों को तुरंत रिपोर्ट किया जाना सुनिश्चित करने के लिये, बैंक शाखाओं, खजानों एवं उप खजानों में पकड़े गये जाली नोटों के लिये अपनाई जाने वाली प्रक्रिया को संशोधित करने का निर्णय लिया गया। रिजर्व बैंक, केंद्र सरकार के समन्वय से पकड़े गये जाली नोटों की रिपोर्टिंग के प्रयोजन के लिये हर जिले में एक नोडल पुलिस अधिकारी नामित करने के लिये सभी राज्य सरकारों को राजी कर रहा है। और, बैंकों और खजानों को सूचित किया गया कि : (i) एकल लेन-देन में पकड़े गये चार की संख्या तक के जाली नोटों के मामलों में माह के अंत में निर्धारित फार्मेट में पुलिस प्राधिकारी को रिपोर्ट भेजी जाये; और (ii) एकल लेन-देन में पकड़े गये पांच अथवा उससे अधिक संख्या में पकड़े गये जाली नोटों के मामले में अधिकार-क्षेत्र के अनुसार नोडल पुलिस स्टेशन/पुलिस प्राधिकारी के पास एफआईआर दर्ज किया जाये।

सिक्यूरिटी प्रिंटिंग एवं वितरण पर व्यय

VIII.14 2011-12 (जुलाई-जून) में सिक्यूरिटी प्रिंटिंग प्रभार (नोट फार्म) की मद पर किये गये व्यय में ₹3.3 बिलियन (13.8 प्रतिशत) की वृद्धि हुई जो मुख्यतः पिछले वर्ष की तुलना में बैंक नोटों की आपूर्ति में वृद्धि के कारण थी (चार्ट VIII.1 तथा सारणी VIII.4)। 2011-12 में खजाना प्रेषण संबंधी व्यय 2010-11 (जुलाई-जून) के ₹455 मिलियन से बढ़कर ₹528 मिलियन हो गया, जो मुख्यतः करेंसी चेस्टों को बैंक नोटों/सिक्कों की आपूर्ति में वृद्धि के कारण था।

VIII.15 रिजर्व बैंक के निर्देशों का पालन करते हुए बैंक, बैंक नोटों के संसाधन में पर्याप्त सावधानी बरतते हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बैंकिंग चैनल जाली नोटों के संचलन का वाहक नहीं



है। जाली नोटों की बढ़ती घटनाओं के साथ ऐसे नोटों की पहचान के लिए बैंकों में पर्याप्त प्रशिक्षण-प्राप्त कर्मियों की आवश्यकता बढ़ गई है। काउंटरों पर ऐसे प्रशिक्षित कर्मियों का होना न केवल जाली नोटों को पकड़ने / पहचानने में मददगार साबित हो सकता है बल्कि उनका कार्य जन साधारण में जागरूकता बढ़ाने में भी सहायक हो सकता है। हालांकि रिजर्व बैंक तथा बैंकों में ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है, लेकिन आकस्मिक परिदृश्य में हो सकता है कि ये पर्याप्त न हों। अतएव यह प्रस्ताव रखा गया कि भारतीय बैंक संघ (आईबीए) बैंकों के साथ परामर्श करके यह सुनिश्चित करे कि नकद राशि हैंडल करने वाले सभी बैंक कर्मियों को भारतीय बैंक नोटों की वास्तविक विशेषताओं के बारे में प्रशिक्षण दिया जाता है और ऐसे सभी बैंक कर्मियों को तीन वर्ष के भीतर प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है। रिजर्व बैंक प्रशिक्षण के लिये आवश्यक संकाय सहायता तथा प्रशिक्षण सामग्री भी उपलब्ध करायेगा।

VIII.16 समय तथा प्रौद्योगिकी के प्रयोग की जरूरत के चलते मुद्रा प्रबंध प्रणाली को एक निश्चित दिशा देने के उद्देश्य से परिचालनात्मक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर दुबारा गौर किया गया है। अत्यधिक कार्यक्षमता एवं उत्पादकता को ध्यान में रखते हुये कारोबार संसाधन को पुनः दिशाबद्ध करने के उद्देश्य से एक रोडमैप तैयार किया गया है।

देश में भुगतान प्रणाली की सुदृढ़ और सुविकसित आधारभूत संरचना से भुगतान संबंधी लेन-देनों में संरक्षा, सुरक्षा और दक्षता में बढ़ोतरी होती है। साथ ही प्रणाली के सहभागियों के लिए लेन-देन की लागत में कमी आती है और जोखिम के बेहतर प्रबंधन में भी सुविधा होती है। भारतीय रिजर्व बैंक ने 2011-12 में भुगतान और निपटान प्रणाली तक पहुंच को बढ़ाने और इसे किफायती बनाने के प्रयासों के साथ-साथ इन विशिष्टताओं में और सुधार करने के प्रयास जारी रखे। इसके अलावा, विशेष रूप से आंकड़ों के प्रवाह और ज्ञान के प्रसार के रूप में रिजर्व बैंक में प्रौद्योगिकी के क्षेत्र का विस्तार किया जा रहा है।

IX.1 भारतीय रिजर्व बैंक विनियामक, पर्यवेक्षक और नवोन्मेषिता को अपनाने वाली अग्रणी संस्था के रूप में अपनी बहुआयामी भूमिका का निर्वाह करते हुए सुरक्षित एवं दक्ष घरेलू भुगतान और निपटान प्रणाली के समुचित विकास की देख-रेख करता है। इस कार्य के एक अंग के रूप में रिजर्व बैंक ने अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों को आगे बढ़ाया है जिसके तहत बैंकिंग प्रौद्योगिकी विकास और अनुसंधान संस्थान (आईडीआरबीटी) जैसे संस्थानों और भारतीय

वित्तीय नेटवर्क (इनफिनेट) तथा तत्काल सकल भुगतान प्रणाली (आरटीजीएस) जैसी प्रणालियों को प्रवर्तित करके भुगतान प्रणाली को कम लागत पर सेवाएं प्रदान करने के लिए सक्षम बनाया है। वर्ष 2011-12 के दौरान विभिन्न भुगतान और निपटान प्रणालियों के तहत कुल कारोबार में कीमत और मात्रा -दोनों ही दृष्टि से निरंतर वृद्धि हुई। इस दौरान मात्रा के अनुसार 9.1 प्रतिशत और मूल्य के अनुसार 7.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई (सारणी IX.1)।

सारणी IX.1 : भुगतान प्रणाली के संकेतक - वार्षिक कारोबार

मद	मात्रा (मिलियन)			मूल्य (₹ ट्रिलियन)		
	2009-10	2010-11	2011-12	2009-10	2010-11	2011-12
1	2	3	4	5	6	7
प्रणालीगत दृष्टि से महत्वपूर्ण भुगतान प्रणाली (एसआईपीएस)						
1. आरटीजीएस	33.2	49.3	55.0	322.8	394.5	484.9
कुल एसआईपीएस (1)	33.2	49.3	55.0	322.8	394.5	484.9
वित्तीय बाजार समाशोधन						
2. सीबीएलओ	0.1	0.2	0.1	155.4	122.6	111.6
3. सरकारी सिक्युरिटी समाशोधन	0.4	0.4	0.4	89.9	69.7	72.5
4. विदेशी मुद्रा समाशोधन	0.9	1.2	1.3	142.1	191.6	222.0
वित्तीय बाजार का कुल समाशोधन (2-4)	1.4	1.7	1.9	387.4	383.9	406.1
अन्य						
5. माइकर समाशोधन	1,149.7	1,155.1	1,114.5	85.3	83.0	80.2
6. गैर-माइकर समाशोधन	230.6	232.3	227.0	18.8	18.3	18.8
खुदरा इलैक्ट्रॉनिक समाशोधन	7.	ईपीएस डीआर	149.3	156.7	164.7	0.7
8. ईपीएस सीआर	98.1	117.3	121.5	1.2	1.8	1.8
9. ईएफटी/एनईएफटी	66.3	132.3	226.1	4.1	9.4	17.9
कुल खुदरा इलैक्ट्रॉनिक समाशोधन	313.7	406.3	512.3	6.0	11.9	20.6
कार्ड						
10. क्रेडिट कार्ड	234.2	265.1	320.0	0.6	0.8	1.0
11. डेबिट कार्ड	170.2	237.1	327.5	0.3	0.4	0.5
कुल कार्ड	404.4	502.2	647.5	0.9	1.1	1.5
कुल अन्य (5 से 11)	2,098.4	2,295.9	2,501.3	110.9	114.4	121.1
कुल जोड़ (1-11)	2,133.0	2,346.9	2,558.2	821.1	892.9	1,012.0

- नोट :**
- माइकर समाशोधन के आंकड़ों में वर्ष 2009-10 के उच्च मूल्य समाशोधन (एचवीसी) शामिल हैं। उच्च मूल्य समाशोधन ₹0.1 मिलियन के चेकों का विशेष समाशोधन था (बाद में बदलकर ₹1 मिलियन कर दिया गया) और इसको 1.4.2010 से बंद कर दिया गया।
 - अप्रैल 2012 के अंत की स्थिति में माइकर समाशोधन की सुविधा 64 केंद्रों (विछले वर्ष के दौरान 66 केंद्र) में उपलब्ध थी और चेक ट्रैकेशन प्रणाली (सीटीएस) दो केंद्रों, नामतः नई दिल्ली और चेन्नै में उपलब्ध है। नई दिल्ली और चेन्नै में चेक समाशोधन का पूरा काम चेक ट्रैकेशन प्रणाली से क्रमशः जुलाई 2009 और मार्च 2012 से किया जा रहा है। चेक ट्रैकेशन प्रणाली के आंकड़े माइकर समाशोधन का एक हिस्सा है।
 - सरकारी सिक्युरिटी का समाशोधन और विदेशी मुद्रा लेन-देन भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड (सीसीआईएल) के माध्यम से किया जाता है।
 - कार्ड से संबंधित आंकड़े सिफे सेवा केंद्र टर्मिनल में किए गए लेन-देनों के हैं।
 - पूर्वदत्त लिखतों और मोबाइल बैंकिंग से संबद्ध क्रमशः ₹62 बिलियन और ₹18.21 बिलियन के लेन-देनों को खुदरा इलैक्ट्रॉनिक समाशोधन में शामिल नहीं किया गया है।

विज्ञन दस्तावेज 2009-12

IX.2 रिजर्व बैंक के विज्ञन दस्तावेज में भारतीय भुगतान और निपटानी प्रणाली के लिए तीन वर्ष (2009-12) का रोड मैप दिया गया है। इस दस्तावेज में निम्नलिखित मुख्य क्षेत्रों में विकास की अपेक्षा की गई है :

भुगतान प्रणाली को प्राधिकृत करना

IX.3 भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 में भारत में भुगतान प्रणाली प्रारंभ करने की इच्छुक संस्थाओं को रिजर्व बैंक से प्राधिकार प्राप्त करना अनिवार्य किया गया है। मई 2012 के अंत की स्थिति में देश में 41 प्राधिकृत संस्थाएं विभिन्न भुगतान प्रणालियों का संचालन कर रही थीं। इनमें ये शामिल हैं : वित्तीय बाजार की आधारभूत संरचना से संबंधित संस्था-भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड (सीसीआईएल) जो कि प्रणालीगत दृष्टि से महत्वपूर्ण खुदरा भुगतान प्रचालक संस्था है - भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम लिमिटेड (एनपीसीआई), कार्ड द्वारा भुगतान से जुड़े विभिन्न नेटवर्क (वीजा, मास्टर कार्ड, रुपे आदि), स्वचालित टेलर मशीन (एटीएम) के नेटवर्क, विदेश से मुद्रा अंतरण सेवाएं तथा पूर्वदत्त भुगतान लिखत (पीपीआई) जारीकर्ता।

वर्तमान भुगतान प्रणाली का सुचारु संचालन

IX.4 समाशोधन और निपटान की आधारभूत संरचना की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सभी मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकिनिशन (माइकर) प्रोसेसिंग केंद्रों और प्रमुख समाशोधन गृहों में प्रथम और द्वितीय वैकल्पिक बैंक की व्यवस्था की गई है। ऐसी व्यवस्थाओं के प्रभावी ढंग से कार्य करने की जांच मासिक अंतराल पर रिटर्न क्लीयरिंग करके और संपूर्ण कारोबार निरंतरता योजना (बिज्जनेस कंटीन्यूटी प्लान) द्वारा की जाती है। इसमें कम से कम वर्ष में एक बार प्रथम और द्वितीय वैकल्पिक बैंक की बहियों में निधियों का निपटान किया जाना भी शामिल है। भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड, तत्काल सकल भुगतान प्रणाली (आरटीजीएस) और राष्ट्रीय इलेक्ट्रानिक निधि अंतरण (एनईएफटी) में कारोबार निरंतरता योजनाओं की जांच कम अंतरालों पर की जाती है।

IX.5 भुगतान प्रणाली में प्रवेश के मानदंडों को अक्तूबर 2011 में संशोधित किया गया जिसके तहत इस संबंध में मानदंड के दो सेट बनाए गए - पहला सेट केंद्रीकृत भुगतान प्रणाली (सीपीएस) जैसे कि आरटीजीएस, एनईएफटी और राष्ट्रीय इलेक्ट्रानिक समाशोधन सेवा (एनईसीएस) के लिए और दूसरा सेट विकेंद्रीकृत भुगतान प्रणाली जैसे, माइकर केंद्रों में स्थित समाशोधन गृह, इलेक्ट्रानिक समाशोधन सेवाएं (ईसीएस) और क्षेत्रीय इलेक्ट्रानिक समाशोधन सेवा (आरईसीएस) के लिए।

IX.6 दोनों प्रणालियों में प्रवेश के लिए संशोधित मानदंड हैं - (i) जोखिम भारित परिसंपत्ति की तुलना में पूँजी का अनुपात (सीआरएआर) न्यूनतम 9 प्रतिशत हो (ii) निवल अनर्जक आस्तियां 5 प्रतिशत से कम हों और (iii) संबंधित विनियामक विभाग की अनुसंशा हो। इसके अलावा, केंद्रीकृत भुगतान प्रणाली (सीपीएस) में सीधे सहभागी होने के लिए कम से कम ₹0.25 बिलियन की निवल मालियत का होना जरूरी है। मार्च 2012 से समाशोधन गृह के सभी सदस्यों को, पहले से केंद्रीकृत भुगतान प्रणाली (सीपीएस) का प्रत्यक्ष सहभागी होने पर विकेंद्रीकृत भुगतान प्रणाली की सदस्यता स्वयमेव प्राप्त हो जाती है।

IX.7 केंद्रीकृत भुगतान प्रणाली में प्रवेश के संशोधित मानदंड के तहत मई 2012 तक 48 बैंकों, जिनमें 7 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (सभी विदेशी बैंक), 11 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, 1 स्थानीय क्षेत्र बैंक, 3 राज्य सहकारी बैंक, 3 जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक (डीसीसीबी) और 23 शहरी सहकारी बैंकों को सीधी सदस्यता प्रदान की गई।

IX.8 इन प्रणालियों में सीधे भाग लेने के लिए अर्हता न रखने वाले बैंकों को पहुंच उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय भुगतान प्रणाली में उप-सदस्यता की व्यवस्था प्रारंभ की गई है।

भुगतान की इलेक्ट्रानिक प्रणाली को प्रोत्साहित करना

IX.9 रिजर्व बैंक कागज-आधारित भुगतान के स्थान पर भुगतान की इलेक्ट्रानिक प्रणाली को आगे लाने के लिए पुरजोर कोशिश कर रहा है क्योंकि ये संरक्षित, सुरक्षित, कम लागत वाले और अधिक दृश्य हैं। कार्ड से भुगतान की प्रणाली में किये गये विभिन्न सुरक्षा उपाय और मध्यवर्ती संस्थाओं को दिये गये दिशानिर्देशों से भी प्रणाली की सुरक्षा में बढ़ोतरी हुई है जिसके परिणामस्वरूप इलेक्ट्रानिक भुगतानों का प्रयोग बढ़ गया है (सारणी IX.1)।

IX.10 मई 2012 के अंत में राष्ट्रीय इलेक्ट्रानिक निधि अंतरण का विस्तार 86,449 शाखाओं तक और तत्काल सकल भुगतान प्रणाली का विस्तार 84,638 शाखाओं तक हो जाना इस संबंध में की गई विभिन्न नीतिगत पहलों की सफलता को रेखांकित करता है। इसके अलावा उप-सदस्यता के विकल्प सहित प्रवेश के मानदंडों को युक्तिसंगत बनाए जाने से बैंकों द्वारा उनके ग्राहकों को उपलब्ध कराए जाने वाले इलेक्ट्रानिक भुगतान संबंधी उत्पादों की संख्या में बढ़ोतरी होने की संभावना है।

IX.11 रिजर्व बैंक ने इलेक्ट्रानिक भुगतान प्रणाली को प्रोत्साहित करने के लिए मार्च 2006 में प्रोसेसिंग शुल्क को समाप्त कर दिया है। भुगतान प्रारंभ करने वाले बैंकों पर सेवा प्रभार लगाने के रूप में इन्हें 01 जुलाई 2011 से फिर शुरू किया गया ताकि व्यवस्था को चलाने वाले और गंतव्य बैंक को समुचित क्षतिपूर्ति की जा सके। इसी प्रकार तत्काल सकल भुगतान प्रणाली में प्रचालन लागत वसूल

करने तथा प्रणाली में और अधिक दक्षता लाने के लिए 1 अक्टूबर 2011 से सेवा प्रभार लगा दिए गए। तत्काल सकल भुगतान प्रणाली सेवा प्रभारों को इन तीन उप-प्रभागों के साथ लागू किया गया है : मासिक सदस्यता शुल्क, लेन-देन शुल्क और समयानुसार परिवर्ती प्रभार। सदस्य बैंकों को अपने ग्राहकों से सिर्फ समयानुसार परिवर्ती प्रभार लेने की अनुमति प्रदान की गई है।

IX.12 इन उपायों के चलते 2011-12 के दौरान राष्ट्रीय इलेक्ट्रानिकनिधि अंतरण के तहत होने वाले लेन-देनों में 71 प्रतिशत (मात्रा) और 91 प्रतिशत (मूल्य) की वृद्धि हुई। 2011-12 में तत्काल सकल भुगतान प्रणाली में भी मात्रा और मूल्य की दृष्टि से क्रमशः 11.7 प्रतिशत और 11.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई। 2011-12 के दौरान तत्काल सकल भुगतान प्रणाली में हुए लेन-देनों का सकल मूल्य कुल गैर-नकद भुगतान के लेन-देनों का 51 प्रतिशत रहा।

IX.13 क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, पूर्वदत्त भुगतान लिखतों और मोबाइल भुगतान जैसे भुगतान के वैकल्पिक माध्यमों के बढ़ते प्रयोग ने गैर-नकदी और गैर-कागजी भुगतान माध्यमों की वृद्धि दर को त्वरित कर दिया है। 2011-12 में बिक्री स्थलों में डेबिट और क्रेडिट दोनों कार्डों का प्रयोग समान स्तर पर पहुंच गया परंतु मूल्य के अनुसार क्रेडिट का प्रयोग अधिक है (सारणी IX.1)।

IX.14 2011-12 के दौरान पूर्वदत्त भुगतान लिखतों में 67 प्रतिशत से अधिक की भारी वृद्धि (मूल्य के अनुसार) हुई और इनका हिस्सा देश में कार्ड वाले खंड का 36.3 प्रतिशत था जिसमें से कागजी वातचरों का हिस्सा सबसे बड़ा था। भारत में मार्च 2012 के अंत की स्थिति में 39 बैंकों (डाक विभाग सहित) और 20 गैर-बैंकिंग संस्थाओं को पूर्वदत्त भुगतान लिखत जारी करने के लिए प्राधिकृत किया गया। पूर्वदत्त भुगतान लिखतों के बाजार में अपनी समग्र हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए गैर-बैंक संस्थाओं द्वारा ई-वालेट्स जारी किए जाने से मोबाइल वालेट्स और मैगस्ट्रिप कार्डों की महत्वपूर्ण संभावनाओं का पता चलता है।

IX.15 भारत ने भुगतान के माध्यम के रूप में मोबाइल फोन के प्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिए बैंकों के नेतृत्व वाला मोबाइल भुगतान मॉडल अपनाया है। भारत में मार्च 2012 के अंत की स्थिति में 49 बैंकों ने मोबाइल बैंकिंग सेवाएं प्रदान कीं तथा यह सुविधा लेने वाले ग्राहकों की संख्या 13 मिलियन थी। 2011-12 के दौरान 25.6 मिलियन मोबाइल बैंकिंग लेन-देन संपन्न हुए जिनका मूल्य 18.2 बिलियन था, इस प्रकार पिछले वर्ष की तुलना में इनमें क्रमशः 198 प्रतिशत और 174 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

भुगतान प्रणाली में सुरक्षा और दक्षता को प्रोत्साहित करना

कागज-आधारित भुगतान प्रणाली

IX.16 मात्रा के अनुसार कुल गैर-नकदी लेन-देनों में कागज-आधारित भुगतान का हिस्सा 52.4 प्रतिशत है जबकि मूल्य की दृष्टि से उनका हिस्सा सिर्फ 8.4 प्रतिशत है। कागजी प्रणाली के प्रचलन की व्यक्तता को देखते हुए वर्तमान स्थिति में सुधार के लिए रिजर्व बैंक ने निम्नलिखित उपाय शुरू किये हैं : (i) 2011 में गैर-माइकर समाशोधन गृहों में पहले से विद्यमान समाशोधन गृह अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर को बदलने के लिए तेजी से समाशोधन करने में सक्षम तीव्रगति चेक समाशोधन प्रणाली (ईसीसीएस) नामक उन्नत सॉफ्टवेयर अनुप्रयोग पैकेज को लागू किया गया। 1,170 समाशोधन गृहों में इस प्रणाली (ईसीसीएस) को प्रारंभ किया गया है (जून 2012 के अंत की स्थिति) और इस समय 1,200 से अधिक समाशोधन गृहों में तीव्रगति समाशोधन सुविधा उपलब्ध है। (ii) बचत बैंक ग्राहकों से चेक संग्रहण हेतु वसूल किए जा सकने वाले अधिकतम शुल्क के संबंध में निर्देश जारी किए गए। (iii) मार्च 2012 में ग्रिड-आधारित चेक ट्रैकेशन प्रणाली (सीटीएस) शुरू की गई जिसके तहत भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) द्वारा चेनै में ग्रिड-आधारित चेक ट्रैकेशन प्रणाली (सीटीएस) प्रारंभ की गई, जिसका विस्तार कोयंबत्तूर और बैंगलुरु को कवर करने के लिए किया गया। अन्य क्षेत्रों में भी चेक ट्रैकेशन प्रणाली प्रारंभ करने के लिए दिशानिर्देश तैयार किए जा रहे हैं।

चेक ट्रैकेशन प्रणाली (सीटीएस) 2010 - चेकों का मानकीकरण

IX.17 ग्रिड आधारित चेक ट्रैकेशन प्रणाली लागू किये जाने से बहु-नगरीय चेक जारी करने और द्रुतगामी समाशोधन में वृद्धि हुई है जिसके लिए चेकों के मानकीकरण और उन्नत सुरक्षा उपायों की जरूरत हुई। तदनुसार “चेक ट्रैकेशन प्रणाली 2010” के तहत चेकों के लिए मानक तय किए गए जिनका उद्देश्य इमेज आधारित समाशोधन प्रणाली में अदाकर्ता बैंकों के वास्तविक चेक को पहचानने में चेक प्रस्तुत करने वाले बैंकों की मदद करना, धोखाधड़ी को नियंत्रित करना और सीधे समाशोधन की सुविधा प्रदान करना है। सभी बैंकों को सूचित किया गया है कि वे देश के उत्तरी और दक्षिणी क्षेत्रों में अपने ग्राहकों को प्राथमिकता के आधार पर सिर्फ “चेक ट्रैकेशन प्रणाली 2010” के मानक वाले चेक जारी करें और देश भर में समयबद्ध कार्ययोजना के जरिए यह कार्य पूरा करें।

इलेक्ट्रानिक खुदरा भुगतान प्रणाली

IX.18 2009 में प्रारंभ की गई क्षेत्रीय इलेक्ट्रानिक समाशोधन सेवाएं (आरईसीएस) जिनमें सभी कोर बैंकिंग समाधान युक्त शाखाओं को कवर किया गया है, अब उन 10 केंद्रों पर उपलब्ध हैं जहां पर स्थानीय इलेक्ट्रानिक समाशोधन सेवाओं (ईसीएस) की

गतिविधियों को क्षेत्रीय इलेक्ट्रानिक समाशोधन सेवाओं में समाहित कर लिया गया है। बैंकों को यह भी सूचित किया गया है कि ऋण भुगतान के लिए राष्ट्रीय इलेक्ट्रानिक निधि अंतरण का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय इलेक्ट्रानिक निधि अंतरण के क्षेत्र का विस्तार करें। ग्राहक सेवा उपाय के रूप में लाभार्थी के खाते में देर से होने वाली जमाओं/वापसी के लिए दंडात्मक ब्याज के भुगतान को अनिवार्य कर दिया गया है।

वैकल्पिक भुगतान प्रणालियां

कार्ड द्वारा भुगतान

IX.19 रिजर्व बैंक ने बैंकों द्वारा भारत में जारी किए गए कार्डों के प्रयोग के लिए अधिप्रमाणन के एक अतिरिक्त घटक को अनिवार्य कर दिया है। तदनुसार बैंकों को प्राप्त होने वाले सभी ऑन लाइन लेन-देनों, जिनमें कार्ड का प्रयोग न हो (ई-कार्मस, एम-कार्मस और इंटरेक्टिव वाइस रिस्पांस), के लिए इसे लागू कर दिया है। 01 मई 2012 तक सभी मेल आदेश, टेलीफोन आदेश और स्थायी निर्देशों को शामिल करने के लिए इस अनिवार्यता के दायरे को बढ़ाया गया है जिसमें यह अतिरिक्त शर्त रखी गई है कि निर्धारित तिथि के बाद बिना अतिरिक्त अधिप्रमाणन के किये गये लेन-देन संबंधी ग्राहक की शिकायत पर जारीकर्ता बैंक को ग्राहक को हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति बिना किसी प्रतिवाद के करनी होगी।

IX.20 कार्ड के प्रयोग से होने वाले लेन-देनों के जोखिम को कम करने के उपाय के रूप में रिजर्व बैंक ने मार्च 2011 में कार्ड के प्रयोग से होने वाले लेन-देनों का अध्ययन करके इससे जुड़ी पूरी प्रणाली को पूर्णतः सुरक्षित करने के लिए कार्य-योजना की अनुसंशा करने हेतु में एक कार्य-दल का गठन किया। रिजर्व बैंक ने बैंकों और अन्य हितधारकों को निर्धारित समय के अंदर आवश्यक उपाय¹ लागू करने को कहा है।

पूर्वदत्त भुगतान लिखत (पीपीआई)

IX.21 नकद लेन-देनों को कम करने की पूर्वदत्त भुगतान लिखतों की क्षमता को देखते हुए इन्हें आगे बढ़ाने के लिए कई युक्तिसंगत उपाय किए गए जैसे-अल्प मूल्य के लिखतों के लिए पूर्वदत्त भुगतान लिखतों के निर्गम हेतु अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी) संबंधी मानदंडों छूट देना, यूटिलिटी बिलों/अनिवार्य सेवाओं/हवाई और रेलगाड़ी के टिकटों और महाविद्यालयों/स्कूलों के शुल्क का आवर्ती भुगतान और सरकारी करों के लिए मर्चेट श्रेणियों को पुनः परिभाषित करना। को-ब्रांडेड पूर्वदत्त भुगतान लिखतों और पूर्वदत्त भुगतान लिखतों की विशिष्ट श्रेणी- यथा उपहार कार्ड को जारी करना, विदेशों से प्रेषित धन राशि और सरकारी लाभों को पूर्वदत्त

भुगतान लिखत (पीपीआई) में लोड करने को मंजूरी प्रदान की गई है। बैंकेतर भुगतान प्रणाली प्रचालकों को मोबाइल फोन आधारित सेमी-क्लोज्ड पूर्वदत्त भुगतान लिखतों को जारी करने की अनुमति प्रदान की गई है।

IX.22 कॉर्पोरेट कार्डों के प्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिए बैंकों को अनुमति दी गई कि वे कॉर्पोरेट संस्थाओं को ये कार्ड जारी कर सकते हैं ताकि वे आगे इन कार्डों को अपने कर्मचारियों को जारी कर सकें। इसके लिए शर्त यह है कि ऐसी कॉर्पोरेट संस्था भारत के किसी शेयर बाजार में सूचीबद्ध हो। इसका उद्देश्य सभी वितरण माध्यमों से वस्तुओं और सेवाओं की खरीद और नकद आहरण के लिए कार्डों के प्रयोग को बढ़ाना है।

IX.23 अक्टूबर 2011 में घरेलू मुद्रा अंतरण संबंधी दिशानिर्देशों में दी गई छूट ने प्राधिकृत संस्थाओं (बैंक और बैंकेतर) को औपचारिक भुगतान माध्यमों से घरेलू धन-प्रेषण को बढ़ाने में सक्षम बना दिया। इन उपायों का उद्देश्य नागरिकों, विशेष रूप से घरेलू प्रवासियों की धन-प्रेषण संबंधी जरूरतों को औपचारिक माध्यमों से पूरा करना है (बॉक्स IX.1)।

मोबाइल द्वारा भुगतान

IX.24 मोबाइल बैंकिंग सुविधा की बढ़ती लोकप्रियता के चलते, विशेष रूप से कम मूल्य के लेन-देनों के मामलों में, रिजर्व बैंक ने एंड-टू-एंड इनक्रिप्शन की सीमा को ₹1,000/- से बढ़ाकर ₹5,000/- कर दिया और प्रति दिन प्रति ग्राहक ₹50,000/- के लेन-देन की सीमा समाप्त कर दी। बैंकों को सूचित किया गया है कि वे जोखिम के संबंध में स्वयं की धारणा के अनुसार अपने-अपने बोर्डों के अनुमोदन से लेन-देन की सीमा तय करें।

IX.25 भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम अंतर-बैंक मोबाइल भुगतान सेवा (आईएमपीएस) के जरिए निधि अंतरण के लिए सभी मोबाइल ऑपरेटरों पर अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा लागू करने के लिए प्रयास कर रहा है जिससे ग्राहकों को मोबाइल बैंकिंग के लिए सक्षम बनाने में मदद होगी। अंतर-बैंक मोबाइल भुगतान सेवा (आईएमपीएस) का विस्तार बैंक खाता और आधार संख्या का प्रयोग करके व्यापारिक भुगतान स्वीकार करने के लिए किया जा रहा है।

IX.26 “लाभ के लिए” काम करने वाली कंपनियों को बैंकों के बिजनेस कारेस्पांडेट बनाए जाने संबंधी बिजनेस कारेस्पांडेट दिशानिर्देशों में छूट दिए जाने के कारण मोबाइल नेटवर्क परिचालक (एमएनओ) बैंकों के बिजनेस कारेस्पांडेट के रूप में कार्य कर सकते हैं। देश भर में ग्राहकों को मोबाइल सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए

¹ 2010-11 भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति एवं प्रगति संबंधी रिपोर्ट का बॉक्स III.3: कार्ड के प्रयोग से होने वाले लेन-देनों को सुरक्षित करने के संबंध में कार्यदल की सिफारिशें देखें।

बॉक्स IX.1 घरेलू मुद्रा अंतरण

एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को देश के अंदर धन-प्रेषण को घरेलू मुद्रा अंतरण (डीएमटी) कहते हैं। भारत में इस प्रकार की धन-प्रेषण सुविधा बैंकों द्वारा और डाक विभाग जैसे औपचारिक माध्यमों द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। बैंकों की ओर से यह सुविधा चेक, मांग ड्राफ्ट, तत्काल सकल भुगतान प्रणाली, राष्ट्रीय इलेक्ट्रनिक निधि अंतरण, और अंतर-बैंक मोबाइल भुगतान सेवा (आइएमपीएस) के माध्यम से तथा डाक विभाग द्वारा मनी आर्डर/तत्काल मनी आर्डर (आईएमओ) सेवा के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती है। निजी प्रचालक अनौपचारिक माध्यम हैं।

फिर भी, प्रवासी जनसंख्या के लिए आर्थिक, संस्थागत और सामाजिक कारणों से ये औपचारिक माध्यम पहुंच से बाहर होते हैं और वे अनौपचारिक मुद्रा अंतरण प्रणाली पर निर्भर हो जाते हैं। इससे प्रवासी श्रमिक तबके को लेन-देन के प्रत्येक स्तर, नामतः संग्रह, जमा, आहरण और संवितरण पर चोरी के बड़े खतरे का सामना करना पड़ता है। इन अनौपचारिक मुद्रा अंतरण प्रणालियों से लेन-देनों की मात्रा और उनके मूल्य के आंकड़े उपलब्ध न होने से इनका पता नहीं चल पाता, जिससे ऐसी प्रणालियों की निगरानी में बाधा उत्पन्न होती है।

इस परिस्थिति में रिजर्व बैंक ने अक्टूबर 2011 में घरेलू मुद्रा अंतरण के संबंध में दिशानिर्देश जारी कर एक क्रमिक दृष्टिकोण को अपनाया। इस प्रयास के तहत, बैंक में खाता न होने वाले (अर्थात् जहाँ लाभार्थी या जमाकर्ता दोनों में से एक का बैंक में खाता हो) किंतु औपचारिक बैंकिंग माध्यम से धन-प्रेषित/प्राप्त करने के लिए औपचारिक बैंकिंग माध्यमों के उपयोग के जरूरतमंद लोगों के लिए औपचारिक बैंकिंग माध्यमों के प्रयोग को खोल दिया गया है। इसके अलावा, कार्ड से कार्ड में अंतरण [व्यक्ति से व्यक्ति - (पीटूपी)] के माध्यम से भी किसी बैंकेतर प्रणाली द्वारा जारी सेमी क्लोज्ड पूर्वदत्त भुगतान लिखत - (पूर्ण केवार्सी सहित) को किसी अन्य सेमी क्लोज्ड पूर्वदत्त भुगतान लिखत में बैंक खातों की ही तरह अंतरित किए जा सकने की सुविधा है।

व्यक्ति से व्यक्ति को (पीटूपी) अंतरण को सक्षम बनाने के लिए तीन योजनाएं प्रारंभ की गई हैं जो निम्नानुसार हैं -

मोबाइल नेटवर्क परिचालकों की भूमिका को देखते हुए भारत में तैयार किए गए साझेदारी के इस अद्वितीय मॉडल से वित्तीय समावेशन के समस्त क्षेत्र में मोबाइल भुगतान में बढ़ोत्तरी होने की संभावना है। इसके अलावा, मार्च 2012 से ऑन लाइन और कोर बैंकिंग समाधान के माध्यम से लेन-देन करने पर खुदरा दुकानों या कस्टमर इंटरफ़ेस केंद्र पर बिज़नेस कारेस्पांडेंटों के उप-अधिकर्ताओं के रूप में परस्पर संचालनीयता को अनुमति प्रदान की गई है। इससे भुगतान संबंधी लेन-देनों के बढ़ने की संभावना है।

वितरण माध्यमों का विस्तार

IX.27 आटोमेटेड टेलर मशीनों को विस्तारित वितरण माध्यम की तरह और टियर III से टियर VI के बैंक रहित/कम बैंक सुविधा वाले क्षेत्रों में शाखा रहित बैंकिंग के विकल्प के रूप में इनका प्रयोग करने के उद्देश्य से भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकेतर संस्थाओं को आटोमेटेड टेलर मशीनों की तरह वाइट लेबल आटोमेटेड टेलर मशीनों (डब्लूएलए) की स्थापना करने, उनका स्वामित्व रखने तथा परिचालन करने की अनुमति प्रदान की है। ये मशीनें सभी बैंकों के

क) बैंक खातों से बैंक खाता रहित लाभार्थियों को राशि के अंतरण के लिए नकद भुगतान व्यवस्था को उदार बनाना और लेन-देन की उच्चतम सीमा को वर्तमान ₹5,000/- से बढ़ाकर ₹10,000/- करना, जिसमें लाभार्थी के लिए एक माह की समग्र सीमा ₹25,000/- होगी। धन-प्रेषण करने वाले बैंक को लाभार्थी के नाम और पते लेने चाहिए।

ख) बैंक खाता रहित अक्समात चले आने वाले ग्राहकों को बैंक खातों में (परिवार के सदस्य या अन्य किसी के खाते) निधि अंतरण की सुविधा देना जिसके तहत लेन-देन की सीमा ₹5,000/- होगी तथा मासिक सीमा प्रति प्रेषक ₹25,000/- होगी। ऐसे ग्राहकों को धन-प्रेषक बैंक को अपने नाम और पूर्ण पता जैसे न्यूनतम विवरण देने की आवश्यकता होगी।

ग) घरेलू डेबिट/क्रेडिट पूर्वदत्त कार्डों और सेमी-क्लोज्ड पूर्वदत्त भुगतान लिखत से किसी बैंक खाते में निधि अंतरण को संभव बनाना जिसमें लेन-देन/मासिक सीमाएं उत्तर (ख) के समान हों।

घरेलू निधि अंतरण की सुविधा देते समय बैंकों और बैंकेतर संस्थाओं को निम्नलिखित बातों पर ध्यान देने को कहा गया है - वेलऑसिटी जांच और इस सुविधा का प्रयोग करते हुए खातों में जमा के संबंध में ग्राहक को सूचना भेजने सहित सुरक्षा की मजबूत प्रणाली का होना; इन निधियों का अंतरण तत्काल या लगभग तत्काल समय पर कर सकना और अंतर-बैंक लेन-देन के निपटान सिर्फ रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित प्रणाली का प्रयोग करते हुए करना; यह सेवा उचित प्रभार पर उपलब्ध कराना ताकि इस योजना को लोकप्रिय बनाया जा सके; ग्राहक की शिकायतों के निवारण के लिए समुचित प्रणाली का होना और ग्राहक की शिकायतों को रिजर्व बैंक के बैंकिंग लोकपाल के क्षेत्राधिकार में लाना। इन प्रयासों से औपचारिक बैंकिंग माध्यमों से सुरक्षित और दक्ष तरीके से उचित लागत पर धन-प्रेषण की सुविधा मिल सकेगी।

ग्राहकों को आटोमेटेड टेलर मशीन की सेवाएं प्रदान करेंगी। बैंकेतर संस्थाएं, जिनके पास कम से कम ₹1 बिलियन की निवल मालियत हो, भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 के तहत प्राधिकार प्राप्त करना होगा और तीन में से एक योजना का चयन करना होगा। संस्थाओं द्वारा इस प्रकार स्थापित किये गये वाइट लेबल आटोमेटेड टेलर मशीनों में से कुछ प्रतिशत की स्थापना टियर V और टियर VI केंद्रों में करना होगा। नकदी का प्रबंधन और ग्राहक शिकायतों का निपटान करना प्रायोजक बैंक की जिम्मेदारी होगी।

भुगतान प्रणाली की आधारभूत संरचना को मजबूत करना

IX.28 तत्काल सकल भुगतान प्रणाली तरलता-प्रधान होने से अगली पीढ़ी की तत्काल सकल भुगतान प्रणाली को इस प्रकार से बनाया गया है कि इसमें तरलता बचाने वाली सुविधाओं, उन्नत ग्रिडलॉक रिजॉल्यूशन मेकेनिज्म, वर्धित सुरक्षा उपाय, प्रचालन की दृष्टि से विश्वसनीयता, कारोबार निरंतरता जैसी विशेषताएं शामिल हों एवं यह अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप हो और यह वैकल्पिक प्रणालियों के बीच परस्पर प्रचालन को प्रोत्साहित करे। नई

प्रणाली (क) नवीनतम प्रौद्योगिकी, (ख) वित्तीय परिवेश में होने वाले परिवर्तनों और अन्य आवश्यकताओं के अनुसार अपने-आप को रूपांतरित करने की क्षमता को बढ़ावा देगी और लचीलेपन का समर्थन करगी तथा यह (ग) वित्तीय लेन-देनों के वैश्वीकरण और निपटान की आधारभूत संरचना के नेटवर्किंग से जुड़ने जैसे वित्तीय परिवेश में होने वाले परिवर्तनों के अनुरूप अपने-आप को ढालने में मदद करेगी।

IX.29 रुपे कार्ड : मूल्य का निर्धारण दक्षतापूर्ण तरीके से करने और अंतरराष्ट्रीय कार्ड भुगतान नेटवर्क के साथ स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को सुनिश्चित करने के लिए घरेलू कार्ड योजना प्रारंभ करने के उद्देश्य से भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 के तहत भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) को घरेलू रुपे कार्ड भुगतान योजना के तहत भारत में बैंकों को रुपे कार्ड जारी करने की मंजूरी दी गई। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने भारत में बैंकों के माध्यम से भारत का प्रथम घरेलू कार्ड, रुपे कार्ड (एटीएम और माइक्रो एटीएम कार्ड) जारी किया। उसके बाद मार्च 2012 में भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम को भारत में बिक्री स्थलों के टर्मिनलों में स्वीकार किए जाने वाले रुपे डेबिट कार्ड शुरू करने की अनुमति प्रदान की गई।

IX.30 आधार समर्थित भुगतान प्रणाली (एईपीएस) भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम की पहल है जिसके जरिए बैंक के ग्राहक शेष संबंधी पूछताछ, नकदी का आहरण और जमा कर सकते हैं तथा बिज़नेस कारेस्पार्डेंट के पास आधार का प्रयोग करते हुए माइक्रो आटोमेटेड टेलर मशीन (एटीएम) के माध्यम से धन का प्रेषण कर सकते हैं। साथ ही, आधार को अधिप्रमाणन की व्यवस्था के रूप में मान्यता देते हुए इस प्रणाली का प्रयोग सरकारी लाभों को लाभार्थियों तक पहुंचाने के लिए भी किया जा सकता है। इस प्रकार से आधार समर्थित भुगतान प्रणाली बैंक के नेतृत्व वाला मॉडल है जिससे वित्तीय समावेशन के प्रयासों को प्रोत्साहन मिलता है।

IX.31 आधार भुगतान ब्रिज प्रणाली भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा विकसित केंद्रीकृत इलेक्ट्रॉनिक अंतरण प्रणाली है जिसके द्वारा मनरेगा, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, सरकारी विभागों से अशक्तता वृद्धावस्था पेंशन जैसे लाभ अंतरणों को संबंधित प्रायोजकों या मान्यताप्राप्त बैंक के माध्यम से आधार नंबर का प्रयोग करते हुए लाभार्थियों तक पहुंचाया जा सकता है। वर्तमान में इसे प्रायोगिक तौर पर चलाया जा रहा है।

IX.32 भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा स्वचालित समाशोधन गृह (एसीएच) की शुरुआत निकट भविष्य में बड़े लेन-देनों के लिए किए जाने की संभावना है।

भुगतान प्रणाली की निगरानी

IX.33 भुगतान प्रणाली की निगरानी के लिए तैयार किया गया ढांचा भुगतान और निपटान प्रणाली के लिए वैश्विक मानक तथा करने

वाली संस्था, भुगतान और निपटान प्रणाली समिति (सीपीएसएस) द्वारा तय अंतरराष्ट्रीय मानदंडों के अनुरूप है। प्राधिकृत भुगतान प्रणालियों की निगरानी परोक्ष पर्यवेक्षण और आवश्यकतानुसार प्रत्यक्ष निरीक्षण -दोनों ही तरीकों से की जाती है।

IX.34 परोक्ष निगरानी प्रक्रिया के लिए, आंकड़े एकत्र करने और समेकित करने के लिए रिटर्न भरने की ऑनलाइन प्रणाली (ओआरएफएस) के माध्यम से सरल बनाया गया है। विभिन्न प्रकार के भुगतान लिखतों, उनकी मात्रा और मूल्य संबंधी डाटाबेस तैयार करके उसे रिजर्व बैंक की वेबसाइट पर डाला गया है। पैटर्न और प्रवृत्तियों की पहचान के लिए आंकड़ों का आवधिक विश्लेषण किया जाता है ताकि आवश्यकता पड़ने पर नीतिगत कदम उठाया जा सके।

IX.35 प्राधिकृत संस्थाएं स्व-मूल्यांकन संबंधी विशेष प्रकार के टेंप्लेट (जिसमें अन्य मानदंडों के साथ-साथ प्रचालन, जोखिम प्रबंधन और कारोबार निरंतरता शामिल हैं) के आधार पर स्व-मूल्यांकन करती हैं। स्व-मूल्यांकन के परिणामों का विश्लेषण किया जाता है और कमियों को ठीक करने के लिए संस्थाओं को सुधारात्मक सुझाव दिए जाते हैं। साथ ही अर्हताप्राप्त पेशेवर लोगों के द्वारा प्रणाली की आवधिक लेखा-परीक्षा तथा बाजार आसूचना के माध्यम से इसे सुदृढ़ किया जाता है। मूल्यांकन प्रक्रिया को जरूरत के अनुसार प्रत्यक्ष निरीक्षण करके सुदृढ़ किया जाता है।

IX.36 भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड (सीसीआईएल), जो वित्तीय बाजार की महत्वपूर्ण आधारभूत संरचना (एफएमआई) है, को भी निगरानी प्रणाली के अधीन लाया गया है जिसके तहत परोक्ष जांच और निगरानी के साथ-साथ परोक्ष निरीक्षण भी किया जाता है। परोक्ष निगरानी और जांच में भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड द्वारा प्रचालित विभिन्न हिस्सों से संबंधित विनियमों की जांच करना तथा इसके जोखिम प्रबंध तंत्र की समीक्षा करना है, इसके जोखिम और बैंक-टेस्ट विधियों की जांच, मार्जिनिंग और चूक निधि की स्थापना तथा विभिन्न खंडों की चूकों और निपटान संबंधी कमियों की समीक्षा करना शामिल हैं। कारोबार निरंतरता योजना की समीक्षा और आपदा के बाद बहाली की योजना, परिचालनात्मक और सूचना सुरक्षा लेखा-परीक्षा को शामिल करते हुए इस प्रक्रिया को पूर्ण किया गया है।

IX.37 इसी प्रकार, एटीएम मशीनों में फेल हुए लेन-देनों के संबंध में जारीकर्ता बैंक द्वारा ग्राहक की शिकायत के निपटारे के लिए तय सीमा को शिकायत प्राप्त होने की तिथि से 12 से घटाकर 7 कार्य दिवस कर दिया गया है। यदि जारीकर्ता बैंक इस अवधि के अंदर के खाते में राशि जमा नहीं कर पाता तो उसे ₹100/- प्रतिदिन की दर से हजारी का भुगतान करना होगा। ग्राहक इस प्रकार के हजारी की पात्रता तभी होगी जब लेन-देन की तिथि से 30 दिनों के भीतर जारीकर्ता बैंक को शिकायत की गई हो। बचत बैंक खाता-धारकों द्वारा अन्य

बैंकों के एटीएम से प्रति माह अनुमत लेन-देनों की संख्या (वर्तमान में पांच लेन-देन) में संशोधन करके इसमें सभी प्रकार के लेन-देन अर्थात् वित्तीय और गैर-वित्तीय दोनों शामिल कर दिये गये हैं।

अन्य गतिविधियां

IX.38 विज्ञन दस्तावेज 2012-15 : 2012-15 की अवधि से संबंधित भुगतान प्रणाली विज्ञन दस्तावेज के मसौदे को प्रतिसूचना के लिए सार्वजनिक कर दिया गया है। इसका लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि ‘‘देश में भुगतान और निपटान प्रणाली सुरक्षित, दक्ष, परस्पर प्रचालनीय, प्राधिकृत, सुगम्य, समावेशी और अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप होटट। रिजर्व बैंक इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए देश में नकदी में कम लेन-देन को बढ़ावा देने और ऐसी स्थिति बनाए रखने के लिए इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणालियों को सक्रियता से प्रोत्साहित करेगा।

IX.39 सितंबर 2011 में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष-विश्व बैंक के संयुक्त दल ने भारत में भुगतान प्रणालियों का वित्तीय क्षेत्र मूल्यांकन कार्यक्रम (एफएसएपी) आयोजित किया था। वित्तीय क्षेत्र मूल्यांकन कार्यक्रम के दल ने भुगतान और निपटान प्रणाली समिति (सीपीएसएस)-अंतरराष्ट्रीय प्रतिभूति आयोग संगठन (आईओएससीओ) की ‘प्रतिभूति निपटान प्रणाली संबंधी अनुशंसा’ के आधार पर रिजर्व बैंक के लोक ऋण कार्यालय (पीडीओ) द्वारा परिचालित सरकारी प्रतिभूतियों की निपटान प्रणाली का मूल्यांकन किया और इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि प्रणाली में मानकों का पूर्णतः अथवा मोटे तौर पर पालन किया जा रहा है, जिनमें से दो मानक लागू नहीं होते हैं। वित्तीय क्षेत्र मूल्यांकन कार्यक्रम (एफएसएपी) दल ने भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड (सीसीआईएल) का, जो भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 के तहत केंद्रीय प्रतिपक्षी (सीपीएस) है, भुगतान और निपटान प्रणाली समिति (सीपीएसएस)-अंतरराष्ट्रीय प्रतिभूति आयोग संगठन (आईओएससीओ) की ‘केंद्रीय प्रतिपक्षी के लिए अनुशंसा’ के आधार पर मूल्यांकन किया और इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड में मानकों का पालन पूर्णतः अथवा मोटे तौर पर किया जा रहा है, जिनमें से दो मानक लागू नहीं होते हैं।

IX.40 वित्तीय बाजार की आधारभूत संरचना : भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड (सीसीआईएल) ब्याज दर स्वैप के

एक रिपोर्टिंग प्लेटफार्म के रूप में कार्य कर रहा रहा है। भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड (सीसीआईएल) को ऋण चूक स्वैप (सीडीएस) और विदेशी मुद्रा के ओवर द काउंटर उत्पादों के लिए कारोबार रिपोजिटरी के रूप में काम करने के लिए अनुमोदन दिया गया है।

IX.41 जी-10 देशों के केंद्रीय बैंक स्विफ्ट की सामूहिक निगरानी करते हैं, जिसमें बेल्जियम का राष्ट्रीय बैंक मुख्य निगरानीकर्ता है। विश्वव्यापी वित्तीय दूरसंचार समिति सामूहिक निगरानी समूह (ओजी) में भारतीय रिजर्व बैंक सहित भुगतान और निपटान प्रणाली समिति के अन्य सदस्य देशों को शामिल करने के लिए इसका विस्तार किया गया है।

IX.42 वित्तीय संदेशों के आदान-प्रदान के लिए बैंकों द्वारा प्रयोग के लिए अनुमत एक मात्र ढांचा बैंकिंग प्रौद्योगिकी विकास एवं अनुसंधान संस्थान (आईडीआरबीटी) द्वारा संचालित, संरचनात्मक वित्तीय मैसेजिंग समाधान (एसएफएमएस) ही उपलब्ध है। स्विफ्ट को घरेलू उपयोग के लिए संदेश भेजने के वैकल्पिक उपाय के रूप में हाल ही में अनुमति दी गई है। स्विफ्ट के लिए इस अनुमति की शर्तें हैं - (i) भारत में संयुक्त उपक्रम हो; (ii) भारत में घरेलू संदेश भेजने के लिए सर्वर की स्थापना; और (iii) उपयोगकर्ताओं के लिए उचित मूल्य सुनिश्चित करना। चूंकि स्विफ्ट ने निधि अंतरण संबंधी शर्तों पर सहमति दे दी है, अतः घरेलू निधि अंतरण के संबंध में स्विफ्ट के उपयोग के लिए कार्यविधि का निर्धारण किया जा रहा है।

अंतरराष्ट्रीय गतिविधियां

IX.43 भारत (रिजर्व बैंक) को भुगतान और निपटान प्रणाली के मानकत तय करने वाली संस्था, भुगतान और निपटान प्रणाली समिति का सदस्य बनाया गया और यह इन मानकों को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है।

ओवर द काउंटर डेरिवेटिव्स के आंकड़ों की रिपोर्टिंग तथा एग्रीगेशन संबंधी आवश्यकताओं पर ‘रिपोर्ट’ का प्रकाशन

IX.44 भुगतान तथा निपटान प्रणाली समिति-अंतरराष्ट्रीय प्रतिभूति आयोग संगठन ने ‘ओवर द काउंटर डेरिवेटिव बाजार के सुधार’ पर वित्तीय स्थिरता बोर्ड -ओवर द काउंटर डेरिवेटिव कार्य दल द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट की अनुशंसा 19² के अधिदेश पर

² व्यापार रिपोजिटरियों को लेन-देनों की रिपोर्टिंग की आवश्यकताएं निर्धारित करने के लिए वैधानिक अधिदेश वाले प्राधिकारियों को एफएसबी डाटा गेम्स और प्रणालीगत संबद्धता समूह की आगामी रिपोर्ट में निर्धारित अनुशंसाओं पर विचार करना चाहिए और वैश्वक वित्तीय प्रणाली समिति (सीजीएफएस), अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक (बीआईएस), ओडीएसजी और ओडीआरएफ के साथ प्रारम्भ कर प्राधिकारियों को, उनके संबंधित कार्य करने में मदद और उसका पर्यवेक्षण करना चाहिए। अन्य गतिविधियों के अलावा केंद्रीय समाशोधन और विनिमय या इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफार्म को जी-20 द्वारा किए गए वायदों को पूरा करने के लिए रिपोर्ट किए जाने वाले आंकड़ों की पहचान की जानी चाहिए। इसके अलावा, 2012 के अंत तक आंकड़े वैश्वक आधार पर आसानी से एग्रीगेट किए जाने योग्य होने चाहिए। इसलिए भुगतान तथा निपटान प्रणाली समिति और अंतरराष्ट्रीय प्रतिभूति आयोग संगठन को प्राधिकारियों और ओडीआरएफ के परामर्श से कारोबार रिपोजिटरी को रिपोर्ट करने वाले बाजार के सहभागियों और जनता तथा विनियामक संस्थाओं को रिपोर्ट करने वाले कारोबार रिपोजिटरियों -दोनों के लिए निम्नसूचित बिंदुओं को निर्धारित करना चाहिए : (i) आंकड़ों की रिपोर्टिंग की न्यूनतम आवश्यकताएं और मानकीकृत प्रपत्र, (ii) वैश्वक आधार पर आंकड़ों के एग्रीगेशन के लिए कार्यपद्धति तथा तंत्र।

ध्यान देने के लिए एक तकनीकी समिति का गठन किया है। 19वीं अनुशंसा में भुगतान तथा निपटान प्रणाली समिति और अंतरराष्ट्रीय प्रतिभूति आयोग संगठन को, व्यापार रिपोजिटरी को रिपोर्ट करने वाले बाजार के सहभागियों और जनता और विनियामकों को रिपोर्ट करने वाले व्यापार रिपोजिटरी-दोनों को विकसित करने को कहा गया है- (i) आंकड़ा रिपोर्टिंग की न्यूनतम आवश्यकताएं और प्रपत्रों का मानकीकरण; और (ii) वैश्वक आधार पर आंकड़ों के एग्रीगेशन की कार्यपद्धति और तंत्र।

IX.45 तदनुसार भुगतान तथा निपटान प्रणाली समिति-अंतरराष्ट्रीय प्रतिभूति आयोग संगठन की तकनीकी समिति ने ‘ओवर द काउंटर डेरिवेटिव्स के आंकड़ों की रिपोर्टिंग तथा एग्रीगेशन संबंधी आवश्यकताओं पर रिपोर्ट’ प्रस्तुत की है, जिसका प्रकाशन जनवरी 2012 में किया गया। रिपोर्ट इस विचार का समर्थन करती है कि व्यापार रिपोजिटरी, ओवर द काउंटर लेन-देनों से संबंधित आंकड़ों का केंद्रीकृत संग्रह करे ताकि प्राधिकारियों और जनता को ओवर द काउंटर डेरिवेटिव्स के संबंध में बेहतर सूचना समय पर उपलब्ध होगी। इससे बाजार में और पारदर्शिता आएगी जिससे बाजार के दुरूपयोग को रोकने और वित्तीय स्थिरता को मजबूत करने में मदद मिलेगी। इस रिपोर्ट में आंकड़ों की रिपोर्टिंग और संग्रह के लिए वैश्वक विधिक संस्था की पहचान करने संबंधी अंतरराष्ट्रीय गतिविधियों का भी समर्थन किया गया है।

भुगतान प्रणाली पर रेड बुक का प्रकाशन

IX.46 अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक की भुगतान तथा निपटान प्रणाली समिति विभिन्न देशों की भुगतान प्रणाली और अन्य वित्तीय बाजार की आधारभूत संरचना के संबंध में संदर्भ सामग्री प्रकाशित करती है जिसे रेड बुक कहा जाता है। रेड बुक के पिछले संस्करण में जी-10 देशों की भुगतान प्रणालियों को शामिल किया गया था और इसके वर्तमान संस्करण (2009 में भुगतान तथा निपटान प्रणाली समिति की सदस्यता का विस्तार किए जाने के बाद प्रकाशित हुआ) में भारत सहित दस देशों को शामिल किया गया है। इसके अलावा, भुगतान तथा निपटान प्रणाली समिति भुगतान, समाशोधन और निपटान प्रणाली पर भारत सहित भुगतान तथा निपटान प्रणाली समिति के अंतर्गत आने वाले देशों से संबंधित आंकड़ों का प्रकाशन वार्षिक आधार पर करता है। नवीनतम अद्यतन सांख्यिकी में 2010 के आंकड़े शामिल हैं।

सूचना प्रौद्योगिकी

IX.47 2011-12 के दौरान रिजर्व बैंक ने अपनी सूचना प्रौद्योगिकी की आधारभूत संरचना में सुधार करने, नए अनुप्रयोगों को लागू करने तथा बैंकिंग क्षेत्र में प्रौद्योगिकी को और अधिक अपनाने के संबंध में कदम उठाते हुए भारतीय बैंकिंग क्षेत्र को नवीनतम तकनीकी

नवोन्मेषों के अनुकूल बनाने के प्रयास जारी रखे।

बोर्ड की सूचना-प्रौद्योगिकी उप-समिति

IX.48 सूचना प्रौद्योगिकी गवर्नेंस के बढ़े हुए महत्व के साथ सामंजस्य रखने के क्रम में रिजर्व बैंक में बोर्ड के एक स्वतंत्र सदस्य की अध्यक्षता में केंद्रीय बोर्ड की सूचना प्रौद्योगिकी उप-समिति का गठन किया गया है। यह उप-समिति सूचना प्रौद्योगिकी की पहलों के कार्यान्वयन की समीक्षा और पर्यवेक्षण के अलावा सूचना प्रौद्योगिकी की समग्र रणनीति, आधारभूत संरचना और अनुप्रयोगों के मामलों में रिजर्व बैंक का मार्गदर्शन भी करेगी।

सूचना सुरक्षा (आईएस) नीति

IX.49 रिजर्व बैंक में बदले हुए सूचना प्रौद्योगिकी परिवेश और साथ ही कारोबार प्रक्रिया के सभी हिस्सों पर लागू सुरक्षा के आयाम अर्थात् लोग, आधारभूत संरचना और प्रणालियां और अनुप्रयोग तथा प्रक्रिया के परिप्रेक्ष्य में सूचना सुरक्षा नीति और दिशानिर्देशों (2005, 2007 में जारी) की समीक्षा की गई, जिसमें बाहरी विशेषज्ञ और रिजर्व बैंक के विभिन्न विभागों के सदस्यों से बने परामर्शदाता समूह का परामर्श भी लिया गया। नीति और उप-नीति दस्तावेजों में संशोधन किया गया ताकि मुख्य नीति दस्तावेज में अधिदेश, समर्थनकारी तत्वों और नीति संबंधी दिशा को तथा उप नीतियों में घटकों तथा डोमेन विशेष के क्षेत्रों को शामिल किया जा सके।

कारोबार निरंतरता योजना (बीसीपी)

IX.50 विपदाओं से निपटने और कारोबार निरंतरता के प्रबंध में योजना बनाने के महत्व को देखते हुए, रिजर्व बैंक में इस विषय पर एक थीमेटिक वीडियो कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इसके बाद आंतरिक एप्रोच पेपर प्रस्तुत किए गए और रिजर्व बैंक में कारोबार निरंतरता योजना बनाने से संबंधित दस्तावेजीकरण प्रारंभ किया गया। बोर्ड में विभिन्न संबंधित विभागों और साथ ही कारोबार निरंतरता प्रबंध प्रक्रिया के कारोबार उम्मुख होने की जरूरत को देखते हुए बाहरी विशेषज्ञों और चुनिंदा आंतरिक विभागों के प्रमुखों को लेकर एक परामर्शदाता समूह का गठन किया गया। परामर्शदाता समूह की दस्तावेज संबंधी आवश्यकताएं और सांगठनिक व्यवस्था के प्रस्तावों से संबंधित सिफारिशों पर नव गठित जोखिम प्रबंध विभाग (आरएमडी), बोर्ड की लेखापरीक्षा और जोखिम प्रबंध उप समिति के अनुमोदन के अनुसार आगे की कार्रवाई करेगा।

आंकड़ों का स्वचालित प्रवाह (एडीएफ)

IX.51 रिजर्व बैंक ने सभी वाणिज्यिक बैंकों को आंकड़ों के स्वचालित प्रवाह की प्रणाली स्थापित करने को कहा है जिसके अंतर्गत बैंक, रिजर्व बैंक को भेजी जाने वाली अपनी रिपोर्ट के लिए आंकड़े बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के स्रोत प्रणाली से प्राप्त किए

जा सकेंगे। एक कोर दल ने बैंकों की प्रौद्योगिकी और प्रक्रिया की परिपक्वता को ध्यान में रखते हुए एक दृष्टिकोण पत्र तैयार किया है जिसका अनुपालन चरणबद्ध रूप से करने की अनुशंसा की गई है। इस संबंध में प्रगति पर नजर रखने के लिए रिपोर्टिंग प्रणाली तैयार की गई है और तिमाही आधार पर प्रगति की समीक्षा के लिए चुनिंदा बैंकों से प्रतिनिधियों को लेकर एक समन्वय दल का गठन किया गया है। सभी बैंकों से यह अपेक्षा है कि मार्च 2013 तक वे आंकड़ों का स्वचालित प्रवाह (एडीएफ) लागू करें।

तत्काल सकल भुगतान प्रणाली और अगली पीढ़ी की तत्काल सकल भुगतान प्रणाली

IX.52 मार्च 2012 के दौरान तत्काल सकल भुगतान प्रणाली ने दो बार 0.3 मिलियन लेन-देनों के आंकड़े को पार किया और लेन-देन की बढ़ती मात्राओं को देखते हुए और साथ ही अन्य कारोबारी आवश्यकताओं को देखते हुए रिजर्व बैंक ने वर्तमान की तत्काल सकल भुगतान प्रणाली के स्थान पर अगली पीढ़ी की तत्काल सकल भुगतान प्रणाली को लाने की प्रक्रिया चालू कर दी है जिसमें और अधिक प्रकार्य तथा सुविधाएं उपलब्ध होंगी। अगली

पीढ़ी की तत्काल सकल भुगतान प्रणाली में संदेश भेजने के नए मानकों को अपनाए जाने की संभावना है (बॉक्स IX.2)।

उद्यम ज्ञान पोर्टल (इकीपी) का अपग्रेडेशन करना

IX.53 उद्यम ज्ञान पोर्टल भारतीय रिजर्व बैंक में सूचना के प्रसार और ज्ञान के आदान-प्रदान के प्रमुख माध्यम के रूप में उभरा है और सर्च करने की अद्यतन विशेषताओं और सामग्री के उन्नत प्रबंधन और सहकार्य के उपकरणों को जोड़कर इसको अपग्रेड किया जा रहा है।

डेस्कटॉप आभासीकरण (वर्चुअलाइज़ेशन)

IX.54 केंद्रीय आंकड़ा प्रणाली को दो वर्षों में चरणबद्ध ढंग से कार्यान्वित करने का प्रस्ताव है जिसमें उपयोगकर्ताओं को उनके डिस्क रहित कंप्यूटर (अर्थात् जिनमें आंकड़े संरक्षित करने के लिए कोई आंतरिक हार्ड डिस्क न हो) में काम करने की सुविधा हो और साथ ही कहीं से भी (दूर स्थान से), कभी भी इंटरनेट के माध्यम से काम करने की सुविधा हो। इस प्रोजेक्ट से सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर से संबंधित संसाधनों के प्रबंध को बेहतर बनाने के अलावा इसके प्रयोग से बिजली की खपत कम होने से हरित सूचना प्रौद्योगिकी को

बॉक्स IX.2 भुगतान प्रणाली : संदेश भेजने के उभरते मानक

तत्काल सकल भुगतान प्रणाली (आरटीजीएस) की वर्तमान प्रणाली में प्रोप्राइटरी मेसेज फार्मेट का प्रयोग किया जाता है जबकि राष्ट्रीय इलेक्ट्रानिक निधि अंतरण (एनईएसटी) में वित्तीय संदेश भेजने की संरचित प्रणाली (एसएफएमएस) मेसेज फार्मेट का प्रयोग किया जाता है जो संदेश भेजने का सुरक्षित मानक है। इसे बैंक के अंदर और बैंकों के बीच प्रयोग के लिए प्लेटफॉर्म के रूप में काम करने के लिए तैयार किया गया है। वित्तीय संदेश भेजने की संरचित प्रणाली (एसएफएमएस), विश्व भर में प्रयोग किए जाने वाली विश्वव्यापी वित्तीय दरसंचार समिति (स्विप्ट) के द्वारा प्रयुक्त मानकों के अनुरूप भारतीय मानक है। दिसंबर 2001 में बैंकिंग प्रौद्योगिकी विकास और अनुसंधान संस्थान (आईडीआरबीटी) में शुरू किए गए स्ट्रक्चर्ड फार्मेंशियल मेसेजिंग सिस्टम में बैंक के अंदर और बैंकों के बीच सुरक्षित संचार के लिए प्रयोग किए जाने की क्षमता है।

अधिकांश केंद्रीय बैंक वर्तमान में भुगतान के लिए विश्वव्यापी वित्तीय दरसंचार समिति-एमटी मानकों का प्रयोग करते हैं। अंतरराष्ट्रीय मानक संगठन (आईएसओ) ने वित्तीय क्षेत्र के लिए एक्सटेंसिबल मार्क अप लैंग्वेज (एक्सएमएल) पर अधिकारित नए मानकों (आईएसओ 20022) का निर्धारण किया है जिनका रखरखाव और प्रयोग जावा प्रौद्योगिकी के माध्यम से आसानी से किया जा सकता है। इनसे संदेशों (एमएक्स मैसेज) की विषयवस्तु और विवरणों के पर्यवेक्षण में बेहतर लचीलापन आता है जिसके कारण एकत्र करने, धनशोधन निवारण जैसे विभिन्न प्रयोजनों के लिए पर्यवेक्षण और निगरानी गतिविधियों की लागत घटती है और सरलता होती है।

प्रणाली की दृष्टि से, एक्सटेंसिबल मार्क अप लैंग्वेज (एक्सएमएल) में तैयार किए गए संदेशों में कार्य करना आसान है। अधिकांश समकालीन प्रणालियों में आंकड़ों के एक्सपोर्ट के लिए एक्सटेंसिबल मार्क अप लैंग्वेज (एक्सएमएल) फार्मेट का प्रयोग डिफाल्ट रूप में किया जाता है। अतः नई प्रणाली के लिए सबसे अधिक उपयोगी है। एक्सटेंसिबल मार्क अप लैंग्वेज (एक्सएमएल) के प्रयोग से नई प्रणालियों को लागू करने में लागत भी सबसे कम आती है। नई प्रक्रिया में यह अपेक्षित है कि नए संदेश नई प्रक्रिया में एक्सटेंसिबल मार्क अप लैंग्वेज में तैयार किए जाएं और इस प्रकार से आईएसओ 20022 मानकों को अपनाना आवश्यक हो जाता है। तथापि, प्रणाली को बदलने के लिए अधिक बैंड विड्थ के नैटवर्क और केंद्रीय स्थान में अधिक

क्षमता की डिस्क की आवश्यकता के रूप में समग्र बैंकिंग क्षेत्र को व्यव करना होगा। एमएक्स के लिए अधिक बैंडविड्थ की आवश्यकता है। जिसका असर विशेष रूप से मध्यम और छोटे बैंकों पर अधिक होगा और इस प्रकार से सहभागी बैंकों के लिए यह वृद्धिशील लागत होगा। इसके अलावा, मेमोरी क्षमता बढ़ाने तथा केंद्रीय बैंकों और समाधाय के लिए सेंट्रल प्रोसेसिंग यनिट के प्रयोग के संबंध में लागत में कुछ वृद्धि होगी। अधिक क्षमता की डिस्क और नैटवर्क की बैंडविड्थ की जरूरत के बावजूद अब तक यह आईएसओ 20022 मानकों को अपनाने वाले देशों के बाजार की अधारभूत संरचना को समिति करने वाला कारबन नहीं रहा है। तथापि नए मानकों को अपनाने से वर्तमान अनुप्रयोग प्रणालियों, नामतः बैंकों में कार बैंकिंग प्रणाली और कॉर्पोरेट जगत में प्रचलित विभिन्न प्रकार के अनुप्रयोगों, जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संचालित भुगतान प्रणाली से संपर्क रखते हैं, के बीच सुचारू रूप से संचार होगा।

रिजर्व बैंक ने अगली पीढ़ी की तत्काल सकल भुगतान प्रणाली (एनजी-आरटीजीएस) को विकसित करने के लिए कदम उठाया है। अन्य बातों के अलावा, प्रणाली में आईएसओ 20022 मानकों के अनुरूप एक्सटेंसिबल मार्क अप लैंग्वेज आधारित संदेश प्रणाली पर भी ध्यान दिया जाएगा। वित्तीय क्षेत्र के लिए आईएसओ 20022 संदेश मानकों (<http://iso20022.org>) की जांच भारतीय मानकीकरण संगठन के साथ ही भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) के भी कर रहा है। इन मानकों का उद्देश्य सभी वित्तीय संचार में “एक समान लैंग्वेज” का प्रयोग करना है जिससे मानकीकरण को बढ़ावा मिले तथा लेन-देन की उन्नत प्रक्रिया, विभिन्न कारोबारी क्षेत्रों के बीच बेहतर संचार, वित्तीय संस्थानों, ग्राहकों और अपर्तिकर्ताओं के बीच भी संचार नैटवर्क के जरिए लागत को कम किया जाएगा। ऐसी पहलों को सामान्यतः विशिष्ट वित्तीय कारोबारी प्रक्रिया में लागत कम करने के उपायों और वर्तमान प्रोटोकॉलों की परस्पर परिवर्तनीयता की चाहत रखने वाले प्रयोगकर्ताओं के समुदाय से समर्थन मिलता है।

भारतीय परिस्थितियों के लिए अनुसार संदेश भेजने के समुचित मानकों को अपनाने और उनका विकास करने के लिए चुनिंदा सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंकों, बैंकिंग प्रौद्योगिकी विकास और अनुसंधान संस्थान, भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम और रिजर्व बैंक के प्रतिनिधियों को लेकर एक कार्यदल का गठन किया गया है।

बॉक्स IX.3 डेस्क टॉप आधारीकरण (वर्चुअलाइज़ेशन)

वर्चुअलाइज़ेशन एक ऐसी पद्धति है जिसके जरिए कंप्यूटर के संसाधनों को विभाजित किया जाता है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के अमूर्तन की विभिन्न तकनीकों का प्रयोग करके इसे बहुविध कार्यकारी परिवेशों में बदला जाता है जिससे एक ही भौतिक सर्वर में अलग-अलग बहुत सारे पार्टिशन-जैसे कि वर्चुअल मशीन अथवा वर्चुअल परिवेश-तैयार किए जाते हैं। इसके चलते भौतिक मशीन और लॉजिकल इंटरफ़ेस को अलग करने में मदद मिलती है। वर्चुअलाइज़ेशन का प्रारंभ 1960 के दशक में एक ऐसी तकनीक के रूप में हुआ जिसके जरिए बहुत खर्चाले और अपेक्षाकृत कम उपलब्ध कंप्यूटिंग संसाधनों का इष्टतम उपयोग किया जा सकता है। तथापि, कम खर्चाली कंप्यूटिंग प्रौद्योगिकी, जैसे इंटेल आधारित सर्वर और पर्सनल कंप्यूटरों के आ जाने से लागत में कमी हुई। परिणामस्वरूप सर्वरों और पर्सनल कंप्यूटरों की संख्या में बढ़ोतारी हुई और इन संसाधनों का बेहतर प्रबंधन तए तरीकों से करने की आवश्यकता सामने आई।

डेस्कटॉप वर्चुअलाइज़ेशन जिसे अक्सर क्लाइंट वर्चुअलाइज़ेशन कहा जाता है, भौतिक कंप्यूटर को कंप्यूटर डेस्कटॉप परिवेश से अलग करती है। ‘‘आधारी’’ डेस्कटॉप को केंद्रीकृत या दूर स्थित सर्वर में स्टोर किया जाता है, न कि भौतिक मशीन में। इस पद्धति से उपयोगकर्ता किसी भी स्थान से दूर स्थित डेस्कटॉप में लॉग इन करके वर्चुअल डेस्कटॉप (उसी प्रकार जैसे वे भौतिक डेस्कटॉप का प्रयोग करते हैं) में काम कर सकते हैं।

वर्चुअलाइज़ेशन का सबसे अधिक लाभ स्वामित्व की कुल लागत (टीओसी) के

भी समर्थन मिलेगा (बॉक्स IX.3)। इस संबंध में प्राथमिक कार्य प्रारंभ कर दिया गया है।

वीडियो कान्फ्रेसिंग प्रणाली को उन्नत करना

IX.55 समय और लागत की दृष्टि से वीडियो कान्फ्रेसिंग के लाभों तथा इसके बढ़ते प्रयोग, विशेष रूप से थीमेटिक वीडियो कान्फ्रेसिंग के लिए, को ध्यान में रखते हुए रिजर्व बैंक में वीडियो कान्फ्रेसिंग सुविधा को उन्नत करने के लिए एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। इसके तहत हाई डेफिनिशन प्रौद्योगिकी को अपनाने, संपूर्ण रिजर्व बैंक में इसकी पहुंच सुलभ कराने और वरिष्ठ प्रबंध-तंत्र के लिए डेस्कटॉप वीडियो कान्फ्रेसिंग सुविधा उपलब्ध कराने की योजना बनाई जा रही है।

रूप में मिलता है। संगठन डेस्कटॉप प्रबंध को घटाकर और हार्डवेयर के जीवनचक्र को बढ़ाकर स्वामित्व की कुल लागत को कम कर सकते हैं। इसके अन्य लाभ भी हैं जिनमें सीधीयू और मैमोरी संसाधनों का दक्षतापूर्ण प्रयोग, बिजली की लागत को कम करना, डेस्कटॉप के डाउनटाइम को कम करना, उपलब्धता को बढ़ाना, आंकड़ों की केंद्रीकृत सुरक्षा और संरक्षण, ‘‘ब्रिंग युवर ओन डिवाइस’’ का सहयोग, नए उपयोगकर्ताओं को शामिल करने में लचीलापन, संपूर्ण संगठन में एकसमान कंप्यूटिंग परिवेश शामिल हैं।

इस प्रणाली की कमियां इस प्रकार हैं - नेटवर्क के ठीक प्रबंधन नहीं किए जाने पर अनुपलब्धता, प्रिंटरों और अन्य सहायक साप्रणियों की स्थापना और प्रबंधन की चुनौती, विशिष्ट जटिल अनुप्रयोगों को चलाने में पठिनाई, कॉर्पोरेट या सार्वजनिक से जुड़ाव पर निर्भरता तथा वर्चुअल डेस्कटॉप आधारभूत संरचना को फैलाने और उसके प्रबंध में अधिक लागत।

आधारी डेस्कटॉप की आधारभूत संरचना स्थापित करते समय विचारणीय बातों में प्रौद्योगिकी, स्टोरेज और नेटवर्क को उन्नत करना, प्रशिक्षण और सॉफ्टवेयर लागत में निवेश शामिल हैं। आधारी डेस्कटॉप की आधारभूत संरचना की स्थापना से समय के साथ लागत की बचत होगी। समग्र रूप में, आधारी डेस्कटॉप की आधारभूत संरचना से आंकड़ों के आदान-प्रदान का बेहतर परिवेश मिलेगा और किसी भी समय कहीं से भी आंकड़े प्राप्त करने में सुविधा होगी। इन विशेषताओं से संगठन की समग्र दक्षता और उत्पादकता में वृद्धि होगी।

सुरक्षा का दायरा

IX.56 सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ने जहां सूचना तक पहुंच तथा उसकी उपलब्धता में लगने वाले समय, उसे रखने की जगह तथा मात्रा को कम कर दिया है वहीं इसने प्रणाली और आंकड़ों की यथातथ्यता, उपलब्धता और गोपनीयता के प्रति नई और बढ़ती हुई चुनौतियां भी खड़ी की हैं। इस प्रणाली के दायरे में न आने वाले उपयोगकर्ताओं से दूरस्थ ऐक्सेस सहित विभिन्न माध्यमों से हानिकारक हस्तक्षेप के बढ़ते हुए खतरे और संभावित आक्रमणों के लगातार बढ़ते प्रयास और उनकी प्रकृति रिजर्व बैंक में सुरक्षा का दायरा बढ़ाने की जरूरत को रेखांकित करती है। इस संबंध में कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है।

रिजर्व बैंक के बहुआयामी कार्यों को सुचारू रूप से करने हेतु आवश्यक है कि गुणात्मक कामकाजी वातावरण के अतिरिक्त एक कुशल मानव संसाधन प्रबंधन तथा स्वस्थ अभिशासन सुनिश्चित करने के लिए मजबूत संगठनात्मक समर्थन हासिल हो। हाल के वर्षों में यह देखा गया है कि रिजर्व बैंक ने अपने अभिशासन में बेहतर पारदर्शिता लाने तथा गुणवत्ता संपन्न कार्यबल भर्ती करने एवं विकसित करने के प्रयासों के अलावा आम लोगों के लिए संचार-नीति भी विकसित करने हेतु बहुत सारे महत्वपूर्ण उपाय किए। रिजर्व बैंक के विभिन्न विभागों ने संगठनात्मक कामकाज को और बेहतर बनाने में अपने कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व का विशिष्ट ध्यान रखते हुए अपने प्रयासों को कायम रखा है।

बेहतर अभिशासन के लिए उठाए गए कदम

X.1 केन्द्रीय बैंक विभिन्न ढांचों तथा संगठनात्मक संरचना के अंतर्गत कार्य करते हैं। कुछ केन्द्रीय बैंकों को औपचारिक संविधि-समर्थित स्वायत्तता प्राप्त है लेकिन अन्यों को विभिन्न प्रकार की अनौपचारिक स्वायत्तता प्राप्त हैं। संरचना चाहे जो भी हो, यह केन्द्रीय

बैंक की कार्रवाई और अभिशासन की पद्धति है जो इसे सम्मान प्रदान करती है। इनकी कार्रवाइयों की जवाबदेही अनौपचारिक लोक समीक्षा, अनुशासन तथा बेहतर अभिशासन के अंग के रूप में अपनाई गई पारदर्शिता के जरिए सुनिश्चित की जाती है (बॉक्स X.1)। इस संदर्भ में, रिजर्व बैंक ने प्रदत्त कानूनी ढांचे के अंतर्गत अपने अभिशासन

बॉक्स X.1 केन्द्रीय बैंकों के निदेशक मंडलों की अभिशासन कार्यप्रणाली - वैशिवक अनुभव

केन्द्रीय बैंकों की स्थापना तथा उनके परिचालन उनकी अपनी संविधि के तहत होते हैं और उनकी भूमिका तथा कर्तव्य काफी हद तक दुनिया भर के अलग-अलग देशों में अलग-अलग होते हैं। इन्हें इनके अधिदेश के महत्व के आधार पर मुख्यतः तीन वर्गों में बांटा जा सकता है: i) एकल प्राथमिक अधिदेश रखने वाले (जैसे: यूरोपीय केन्द्रीय बैंक - मुद्रासंकीति पर केन्द्रित), ii) एक समान दो प्राथमिक उद्देश्य रखने वाले (जैसे: यूएस फेडरल रिजर्व: दीर्घकालिक मूल्य स्थिरता तथा संपूर्ण रोजगार), iii) एक विस्तृत अधिदेश रखने वाले (जैसे: मौद्रिक स्थिरता, क्रण प्रवाह, वृद्धि, विकास के पहलुओं आदि के साथ मूल्य स्थिरता पर ध्यान देने वाले चीन, भारत, कनाडा आदि के केन्द्रीय बैंक)। हाल के आर्थिक संकट के पश्चात वित्तीय स्थिरता के लिए केन्द्रीय बैंकों का औपचारिक दायित्व अधिकांशतः एक जैसा होता जा रहा है।

अभिशासन ढांचा

सामान्यतः बोर्ड के निदेशक सर्वोच्च व्यवस्था के समुचित अंग के रूप में होते हैं, तथा बैंक की निगरानी और उसके क्रियाकलापों के विषय में निर्देश देते हैं। अधिकांश केन्द्रीय बैंकों के पास एक केन्द्रीय बोर्ड होता है। कुछ निश्चित मामलों में, हालांकि एक से अधिक बोर्ड भी होते हैं जिनके अलग-अलग कार्य होते हैं, जो कार्यों तथा उनकी विशेषज्ञता से रेखण की अनुमति देते हैं। उदाहरण के लिए रिजर्व बैंक ऑफ आस्ट्रेलिया के पास दो बोर्ड हैं:- एक रिजर्व बैंक बोर्ड तथा दूसरा भुगतान प्रणाली बोर्ड: रिजर्व बैंक बोर्ड होता है। केन्द्रीय बैंक के बोर्डों / निर्णय लेने वाले निकायों में सदस्यों की संख्या कम से कम 5 से लेकर 20 तक या उससे अधिक होती है। आम तौर पर अधिकांशतः दस सदस्यों से कम संख्या के बोर्ड पाए जाते हैं। बोर्ड के सदस्यों की संख्या स्विस राष्ट्रीय बैंक के मामले में मात्र 3 है। फेडरल रिजर्व के फेडरल ओपेन मार्केट समिट में 19, भा. रि. बैंक में 21 तथा

(जारी...) लोंगों के अंतर्गत स्थापित होते हैं, (जैसे: बेल्जियम, दक्षिण अफ्रीका)। चूंकि उनका स्वामित्व सरकार के पास होता है इसलिए बोर्ड के सदस्य एक राजनीतिक प्रक्रिया के माध्यम से नियुक्त होते हैं। अधिकांश मामलों में नियुक्त प्रक्रिया नियमों के अंतर्गत स्पष्टतः विनिर्दिष्ट होती है तथा उनके काफी लंबे कार्यकाल, सदस्यों की स्थानान्तरण अवधि तथा गवर्नर की पदच्युति आदि संबंधी नियम भी विनिर्दिष्ट होते हैं जो नियमों के दुरुपयोग को सीमित करती है। किसी पद का कार्यकाल तय करने के लिए कानूनी आवश्यकता, संस्थागत स्वायत्तता को मजबूती प्रदान करने में मददगार होती है।

भारतीय रिजर्व बैंक के मामले में गवर्नर तथा बोर्ड के सदस्य क्रमशः 5 और 4 वर्षों के लिए नियुक्त किए जाते हैं तथा दुबारा भी नियुक्त किए जा सकते हैं। फेडरल रिजर्व बोर्ड के मामले में सांविधिक कार्यकाल 14 वर्षों का है। फेडरल रिजर्व तथा यूरोपीय केन्द्रीय बैंक, दोनों के मामले में बोर्ड के सदस्यों को दुबारा नियुक्त करने के लिए सीमाएं निश्चित हैं।

आकार और सदस्यता

किसी भी देश के क्षेत्रीय कारक, इतिहास और जनसंख्या बोर्ड के आकार को प्रभावित करते हैं। आम तौर पर अभिशासन तथा निरीक्षण बोर्ड ऐसे बाहरी सदस्यों को शामिल करते हैं जिन्हें बैंक के अभिशासन से संबंधित क्षेत्रों में विशेषज्ञता / अनुभव प्राप्त होता है। केन्द्रीय बैंक के बोर्डों / निर्णय लेने वाले निकायों में सदस्यों की संख्या कम से कम 5 से लेकर 20 तक या उससे अधिक होती है। आम तौर पर अधिकांशतः दस सदस्यों से कम संख्या के बोर्ड पाए जाते हैं। बोर्ड के सदस्यों की संख्या स्विस राष्ट्रीय बैंक के मामले में मात्र 3 है। फेडरल रिजर्व के फेडरल ओपेन मार्केट समिट में 19, भा. रि. बैंक में 21 तथा

यूरोपीय केन्द्रीय बैंक की कार्यकारी परिषद (गवर्निंग कॉर्सिल) में 23 सदस्य हैं। आम तौर पर बोर्ड के अध्यक्ष गवर्नर होते हैं, हालांकि कुछ मामलों में इसके अध्यक्ष गैर-कार्यकारी सदस्य भी होते हैं (जैसे न्यूजीलैंड का रिजर्व बैंक)।

बैठकें

बोर्ड / बैंक के निर्णायक निकायों की बैठकों की संख्या उनके सांविधिक ढांचे पर निर्भर करती है। बैंक ऑफ इंग्लैंड के निदेशक कोर्ट की बैठक एक कैलेंडर वर्ष में न्यूनतम सात बार होती है लेकिन यूरोपीय केन्द्रीय बैंक की कार्यकारी परिषद (गवर्निंग कॉर्सिल) की बैठक महीने में दो बार होती है। भारतीय रिजर्व बैंक के बोर्ड की वर्ष में सामान्यतः सात बैठकें होती हैं, जबकि केन्द्रीय बोर्ड की समिति की बैठक हर सप्ताह होती है।

स्वतंत्रता

अधिकांश मामलों में केन्द्रीय बैंकों की संस्थानात्मक और परिचालनात्मक स्वतंत्रता इनके नियमों या परिपाठी द्वारा सुनिश्चित होती है। ऐसी व्यवस्था सरकार के स्वरूप से निकटतम रूप से जुड़ी होती है, सरकार चाहे संसदीय हो या अध्यक्षीय। यूरोपीय केन्द्रीय बैंक को संविधि / संधि के माध्यम से उच्च स्तरीय संस्थागत स्वतंत्रता प्रदान की गई है जिससे यूरोपीय केन्द्रीय बैंक तथा निर्णायक निकाय सरकार या अन्य किसी संस्था से कोई अनुदेश प्राप्त नहीं करते हैं। दूसरी ओर, यूएस कांग्रेस, फेडरल रिजर्व को निर्देश देने या बोर्ड के किसी सदस्य को हटाने की अंतरिम शक्ति अपने पास रखती है। कुछ देशों में केन्द्रीय बैंक के मौद्रिक नीति से संबंधित निर्णयों को रद्द करने का निर्देश जारी करने की शक्ति सरकार के पास होती है (जैसे कनाडा, कोरिया, मलेशिया)।

विधि के अनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक के मामले में सरकार बोर्ड को अनुदेश जारी कर सकती है तथा गवर्नर, उप गवर्नर या बोर्ड के किसी सदस्य को पदच्युत कर सकती है, यद्यपि ऐसी शक्ति का प्रयोग अभी तक नहीं किया गया है।

को बेहतर बनाने हेतु हाल के वर्षों में लगातार ध्यान केन्द्रित किया है। इसने अपने संचार तथा मानवीय पूँजी को भी बेहतर बनाने का प्रयास किया है।

केन्द्रीय बोर्ड और इसकी समितियों की बैठकें

X.2 2011-12 के दौरान केन्द्रीय बोर्ड ने सात बैठकें की हैं। स्टैंडर्ड महानगरीय केन्द्रों पर आयोजित चार बैठकों के अलावा, मसूरी (उत्तराखण्ड) सहित तीन गैर-पारंपरिक केन्द्रों पर भी बैठकें आयोजित की गईं। 19 मार्च 2012 को केन्द्रीय बोर्ड की बजट पूर्व हुई बैठक में, जिसमें वित्त मंत्री भी उपस्थित थे, गवर्नर महोदय ने विशेषकर राजकोषीय समेकन से जुड़ी रिजर्व बैंक की चिंताओं पर जोर दिया।

X.3 केन्द्रीय बोर्ड की बैठकों में इसके सामान्य अधीक्षण से संबंधित, रिजर्व बैंक के मामलों में दिए जाने वाले निर्देशों तथा पूर्णकालिक सेवाप्रदाता केन्द्रीय बैंक के रूप में इसके अधिदेश के साथ राष्ट्र के विकास एवं सामाजिक-आर्थिक उद्देश्यों को बल प्रदान करने

जवाबदेही एवं पारदर्शिता

केन्द्रीय बैंक राज्य के प्रति उत्तरदायी होते हैं जिनसे उन्हें सांविधिक अधिकार प्राप्त हैं। यूरोपीय केन्द्रीय बैंक यूरोपीय संसद को रिपोर्ट करता है। यूएस में कांग्रेस फेडरल रिजर्व के ऊपर विधायी शक्तियों के साथ संयुक्त रूप से जिम्मेदारियों का भी निरीक्षण करती है। बेल्जियम, इटली, दक्षिण अफ्रीका तथा तुर्की जैसे देशों में केन्द्रीय बैंक, प्राइवेट शेयरधारकों के प्रति भी उत्तरदायी है। भारतीय रिजर्व बैंक के लिए कोई औपचारिक कानूनी जबावदेही-तंत्र निर्धारित नहीं किया गया है। रिजर्व बैंक वित्त मंत्री के माध्यम से संसद के प्रति उत्तरदायी रहता है। इसके अलावा संसद की वित्तीय स्थायी समिति गवर्नर को पूछताछ के लिए बुला सकती है। अधिकांश केन्द्रीय बैंकों की विधायिका द्वारा आवधिक समीक्षा की जाती है। बैंक ऑफ कनाडा का बोर्ड अपना वार्षिक स्व-मूल्यांकन करता है तथा बोर्ड को समर्थन देने के लिए बोर्ड की प्रक्रियाओं तथा प्रबंधन की प्रभावकारिता का भी मूल्यांकन करता है। रिजर्व बैंक ऑफ न्यूजीलैंड के मामले में बोर्ड का प्राथमिक दायित्व है कि वह गवर्नर के कार्य-निष्पादन पर निगरानी रखे तथा वित्त मंत्री को बैंक के कार्य निष्पादन के वार्षिक मूल्यांकन से अवगत कराए। भारतीय रिजर्व बैंक ने पारदर्शिता में सुधार लाने हेतु कुछ कदम उठाए हैं। वेबसाइट तथा प्रिंट मीडिया के जरिए हाने वाले प्रकाशनों को छोड़कर टाउन हॉल मीटिंग तथा आउटरीच कार्यक्रमों के जरिए गवर्नर तथा उच्च प्रबंध-तंत्र का आम लोगों से रू-ब-रू होना, उभरती अर्थव्यवस्था में केन्द्रीय बैंकिंग पारदर्शिता के एक अनूठे प्रयोग को प्रस्तुत करता है।

संदर्भ:

सेचेट्टी और अन्य (2011) : “आर्थिक संकट के अधिदेश के बाद केन्द्रीय बैंकों का भविष्य”, बी आई एस की पेपर सं.55, जनवरी

केन्द्रीय बैंक की अभिशासन समस्याएं: भारतीय रिजर्व बैंक के परिप्रेक्ष्य में (2011): दु. सुब्बाराव, गवर्नर की टिप्पणी: 9 मई 2011 को बासेल में केन्द्रीय बैंक अभिशासन समूह की बैठक में।

में इसकी भूमिका से संबंधित विषय आदि पर चर्चाएं हुई तथा निर्णय लिए गये।

X.4 वर्ष के दौरान (जून 2012 के अंत तक) मुंबई में केन्द्रीय बोर्ड की समिति की 45 साप्ताहिक बैठकें आयोजित की गईं। केन्द्रीय बोर्ड की समिति ने निर्गम तथा बैंकिंग विभाग के साप्ताहिक लेखा अनुमोदन के साथ ही रिजर्व बैंक के वर्तमान कार्यकलापों को निपटाया। केन्द्रीय बोर्ड की दो उप समितियां बनायी गयी हैं: (i) लेखा परीक्षा तथा जोखिम प्रबंधन उप समिति (पूर्व में इसे निरीक्षण तथा लेखा परीक्षा उप समिति के नाम से जाना जाता था) जिसे रिजर्व बैंक के जोखिम प्रबंधन से जुड़ी नीतियों तथा विस्तृत रणनीतियों के निर्धारण के लिए व्यापक अधिदेश दिए गए हैं, और (ii) सूचना प्रौद्योगिकी उप समिति जो रिजर्व बैंक की आईटी से जुड़ी संपूर्ण रणनीतियों पर तथा संबंधित संरचना और अनुप्रयोगों पर समग्र मार्गदर्शन प्रदान करेगी। 01 जुलाई 2011 से केन्द्रीय बोर्ड / स्थानीय बोर्ड के निदेशकों / सदस्यों में हुए परिवर्तनों की जानकारी अनुलग्नक 1 में उल्लिखित है।

कार्यपालकों की नियुक्ति/ सेवानिवृत्ति

X.5 श्री वी. एस. दास कार्यपालक निदेशक 31 जुलाई 2012 को कार्यालय समय की समाप्ति पर रिजर्व बैंक की सेवा से निवृत्त हुए।

X.6 श्री जसबीर सिंह को 01 अगस्त 2012 से कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।

पुरस्कार

X.7 श्री वाई.एच. मालेगाम को लोकसेवा के लिए 2012 के गणतंत्र दिवस समारोह में पद्मश्री सम्मान से विभूषित किया गया। डॉ. अनिल काकोडकर को परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में योगदान के लिए वर्ष 2011-12 के महाराष्ट्र भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। सुश्री इला भट्ट को एक साथ दो पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। एक, नीदरलैंड के प्रतिष्ठित पुरस्कार रूजवेल्ट मेडल से तथा दूसरा, महिला अधिकारों के क्षेत्र में कार्य करने वाली अंतरराष्ट्रीय नेता के रूप में उनके चार दशक के लंबे कैरियर को ध्यान में रखते हुए वाशिंगटन डीसी में जार्जटाउन विश्वविद्यालय द्वारा उन्हें मानद उपाधि से सम्मानित किया गया।

विदेशी अतिथियों का दौरा

X.8 वर्ष के दौरान विदेशों के कुछ प्रतिनिधि-मंडलों ने भारतीय रिजर्व बैंक का दौरा किया तथा उच्च प्रबंध-तंत्र से अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं / वित्तीय विनियमों के सुधार, मजबूत, सतत और संतुलित वैश्वक विकास के लिए ढांचा निर्माण तथा वैश्वक आर्थिक समीक्षा जैसे मुद्दों सहित बहुआयामी मुद्दों पर बातचीत की। द्विपक्षीय संबंधों तथा पारस्परिक व्यापार से जुड़े पहलुओं के अलावा रिजर्व बैंक की मौद्रिक और विनियामक नीतियों पर भी चर्चा की गई। वर्ष 2011-12 के दौरान उच्च स्तर के पदाधिकारियों, जिन्होंने रिजर्व बैंक का दौरा किया, की सूची अनुलग्नक III में दी गई है।

बेहतर संवाद स्थापित करने के लिए की गई पहल

X.9 रिजर्व बैंक में पिछले कुछ वर्षों से गवर्नर महोदय के कार्यालय और केन्द्रीय बैंक के क्रियाकलापों से जनता को स्पष्टतः अवगत कराना एक मुद्दा रहा है। इस दिशा में उठाए जाने वाले कुछ अभूतपूर्व कदमों पर चर्चा नीचे के पैराग्राफों में की गई है। ये प्रयास नीतिगत मुद्दों पर पारंपरिक तथा गैर-पारंपरिक संसूचना को और बढ़ावा देने के क्रम में मील का पत्थर साबित हुए हैं।

टाउन हॉल कार्यक्रम

X.10 ग्राहक सेवा को बेहतर बनाने के लिए, केन्द्रीय बैंक तथा वाणिज्यिक बैंकों द्वारा उठाए जाने वाले कदमों के प्रति जागरूकता ऐदा करने के लिए गवर्नर महोदय के निर्देशानुसार टाउन हॉल कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। ऐसे चार कार्यक्रमों का आयोजन टीयर II श्रेणी के नगरों में बैंकिंग सेवा के उपयोगकर्ताओं तथा संभाव्य उपयोग कर्ताओं के विशाल जनसमूह के बीच आयोजित किया गया। स्थानीय वाणिज्यिक बैंकों के ग्राहक सेवा से जुड़े उच्चाधिकारी, इंडियन बैंक एसेशनेशन, भारतीय बैंकिंग कोड और मानक बोर्ड, रिजर्व बैंक का ग्राहक सेवा विभाग, भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग तथा संबंधित राज्य के बैंकिंग लोकपाल इन कार्यक्रमों में शामिल हुए।

टेलीविजन चैनलों के सहयोग से यह कार्यक्रम जन-जन तक पहुँचने में सफल सिद्ध हुआ है।

न्यूजीबिशन:

X.11 2010 में रिजर्व बैंक के प्लैटिनम जयंती समारोह प्रकाशन ‘मिट रोड माइलस्टोन्स’ तथा समाचार-पत्रों के कटिंग में विस्तृत रूप से आरेखित, मीडिया में विभिन्न फोटोग्राफ तथा कुछ दुर्लभ दस्तावेजों के साथ अन्य अभिलेखागारीय सामग्री के माध्यम से अंगीकृत किया गया न्यूजीबिशन भारतीय रिजर्व बैंक के 75 सालों के इतिहास को चित्रित करता है। चित्रों के माध्यम से रिजर्व बैंक की यात्रा को दर्शकों के व्यापक समूह के लिए उपलब्ध कराया गया। यह कोलकाता में प्राप्त प्रतिक्रियाओं से स्पष्ट हुआ, जहां यह दिसंबर 2010 में शुरू किया गया था। ऐसी सकारात्मक प्रतिक्रियाओं ने 2011-12 में न्यूजीबिशन को चल प्रदर्शनी के रूप में बदलने के लिए रिजर्व बैंक को उत्साहित किया। तब से यह भोपाल, अगरतला, गुवाहाटी, कानपुर, नई दिल्ली, जयपुर अहमदाबाद, मुंबई, भुवनेश्वर और हैदराबाद का भ्रमण कर चुका है।

शैक्षिक भ्रमण

X.12 केन्द्रीय बैंकिंग क्षेत्र से रू-ब-रू कराने के लिए रिजर्व बैंक स्कूल, कॉलेजों तथा विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए, नागरिक समूह तथा गैर-सरकारी संगठनों के लिए, अपने कार्यालयों में शैक्षिक भ्रमणों का आयोजन नियमित रूप से करता आ रहा है। वर्ष 2011-12 के दौरान सिर्फ मुंबई में 64 संस्थाओं से कुल 4211 प्रतिभागियों ने रिजर्व बैंक के केन्द्रीय कार्यालय का भ्रमण किया। विदेशी

विश्वविद्यालयों, जैसे एथेन्स विश्वविद्यालय, लंदन स्कूल ऑफ इकोनोमिक्स, पेस यूनिवर्सिटी (न्यूयार्क), संत मैरी कॉलेज ऑफ कैलीफोर्निया, हार्वर्ड विश्वविद्यालय तथा सिंगापुर के विभिन्न विश्वविद्यालयों से आए विद्यार्थियों ने रिजर्व बैंक का भ्रमण किया। रिजर्व बैंक के अधिकारियों ने भी कॉलेजों, स्कूलों तथा गैर-सरकारी संगठनों के अनुरोध पर इनका दौरा किया तथा इन्हें रिजर्व बैंक की भूमिका तथा कर्तव्यों के बारे में जानकारी प्रदान की।

अनुसंधान को बढ़ावा

X.13 2011-12 के दौरान रिजर्व बैंक ने अपने अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के लिए नीतिगत महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। तदनुसार, रिजर्व बैंक के दो वार्षिक सांविधिक प्रकाशनों के लिए सेमिनारों का आयोजन किया गया। 2010-11 में भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति तथा प्रगति रिपोर्ट पर सत्रों का आयोजन बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (वाराणसी) तथा मद्रास स्कूल ऑफ इकोनोमिक्स (चेन्नै) में किया गया। पहली बार संस्था से बाहर, जैसे इंस्टिट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ (नई दिल्ली), इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान (मुंबई) और भारतीय प्रबंध संस्थान (कोलकता) में आयोजित चार सेमिनारों में वार्षिक रिपोर्ट 2010-11 चर्चा का विषय था। ये सत्र छात्रों तथा शिक्षाविदों के लिए अत्यंत ही उपयोगी रहे जिनसे महत्वपूर्ण फ़ीडबैक भी प्राप्त हुआ।

रिजर्व बैंक में अनुसंधान संबंधी पहल

X.14 रिजर्व बैंक स्टॉफ का अनुसंधान संबंधी प्रकाशन, जैसे आरबीआई ओकेजनल पेपर्स तथा वेब आधारित आरबीआई वर्किंग पेपर सिरीज विस्तृत मुद्दों से जुड़े आंतरिक अनुसंधान पर जोर देने एवं विकसित करने के लिए सदैव एक बड़ा प्लेटफार्म रहे जो विश्लेषणात्मक तथा तकनीकी इनपुट के माध्यम से नीतियों के निर्माण की प्रक्रियाओं को प्रोत्साहन देते हैं। अगस्त 2012 के मध्य तक आरबीआई वर्किंग पेपर सिरीज के माध्यम से विभिन्न मुद्दों पर 38 पेपर जारी किये गये, जैसे मौद्रिक संचरण का ब्याज दर चैनल, भारतीय बैंकों की वास्तविक ऋण दर की प्रवृत्ति, संवृद्धि-मुद्रास्फीति के बीच संतुलन, क्षमता का उपयोग तथा पूर्वानुमानित मुद्रास्फीति इत्यादि। रिजर्व बैंक के स्टाफ प्रतिष्ठित राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय आर्थिक एवं वित्तीय अनुसंधान से जुड़ी पत्र-पत्रिकाओं में कई अनुसंधान संबंधी आलेखों के प्रकाशन के लिए सतत प्रयत्नशील रहे हैं।

X.15 भारतीय रिजर्व बैंक के आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग ने मुंबई में 1-2 फरवरी 2012 को द्वितीय अंतरराष्ट्रीय अनुसंधान सम्मेलन का सफलतापूर्वक आयोजन किया। सम्मेलन का विषय ‘मौद्रिक नीति, सॉवरेन ऋण तथा वित्तीय स्थिरता: नई त्रिविधा’ और आर्थिक संकट के बाद केन्द्रीय बैंकिंग का पूरा प्रयास था। भारत के वित्तीय और अनुसंधान संस्थानों, सभी वाणिज्यिक बैंकों के प्रमुखों, ब्राजील, बांगलादेश, आइसलैंड, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और सिंगापुर जैसे देशों के केन्द्रीय बैंकों / मौद्रिक प्राधिकारी/गवर्नर/प्रमुख इस सम्मेलन में शामिल हुए। इस सम्मेलन के जरिए नई त्रिविधा की वास्तविकता का पता चला तथा राजकोषीय व्यवस्था को वित्तीय और मूल्य स्थिरता के लिए अत्यंत संवेदनशील महसूस किया गया। बाजार की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने में मौद्रिक नीति और सॉवरेन ऋण के बीच परस्पर संबंध की महत्ता का भी इस सम्मेलन के जरिए पता चला।

X.16 रीयल-टाइम डेटा को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के सांख्यिकी और सूचना प्रबंध विभाग ने भारतीय अर्थव्यवस्था पोर्टल से संबंधित डेटाबेस का पुनर्निर्माण किया। डेटा मुख्यतः अलग-अलग अवधि के लिए क्षेत्रों तथा उप-क्षेत्रों के अधीन तैयार की गई टाइम सिरीज रिपोर्टों के माध्यम से प्रस्तुत किये गये थे। यह डेटाबेस उपयोगकर्ताओं के लिए हीं सुलभता प्रदान नहीं करता बल्कि यह अनुसंधानकर्ताओं के लिए भी रिजर्व बैंक के सभी सामयिक प्रकाशनों जैसे भारतीय रिजर्व बैंक बुलेटिन, साप्ताहिक सांख्यिकी रिपोर्ट (डब्ल्यूएसएस) तथा अन्य बैंकिंग रिपोर्ट उपलब्ध कराता है। मार्च-जून 2012 के दौरान इसे देखने वालों की संख्या 1.5 मिलियन थी जो ऐसे उठाए जाने वाले कदम की लोकप्रियता को दर्शाता है।

X.17 भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 [धारा 17(15बी)] के अनुसरण में रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक इन्डाउमेंट योजना के जरिए बाह्य अनुसंधान क्रियाकलापों के लिए कोष उपलब्ध कराता है। इसमें विश्वविद्यालयों / अनुसंधान संस्थानों को कॉर्पस फंड के रूप में अनुदान देकर आरबीआई चेयर की स्थापना करना शामिल है। अल्पावधि तथा मध्यावधि की विशिष्ट अनुसंधान परियोजनाएं, जिनमें इस समय समष्टि-आर्थिक मॉडलिंग, इंडिया क्लेम्स परियोजना तथा प्रौद्योगिकी-आधारित वित्तीय मध्यस्थन के लिए मूल्यांकन ढांचा शामिल हैं, रिजर्व बैंक की वित्तीय सहायता से चलायी जा रही है। ऐसे अनुसंधानों से उपयोगी ज्ञान प्राप्त हुए हैं। उदाहरण के लिए,

क्लोम्स परियोजना के प्रारंभिक परिणामों से यह ज्ञात है कि 1980-2008 के दौरान श्रमिकों के उपयोग तथा पूँजी सेवाओं के आधार पर परिकलित भारतीय अर्थव्यवस्था में कुल कारक उत्पादकता में वृद्धि की प्रवृत्ति लगभग 1 प्रतिशत थी। कुल कारक उत्पादकता में 2000-08 के दौरान स्पष्ट रूप से सुधार हुआ है। रिसर्च जर्नल प्रकाशित करने तथा सम्मेलन, सेमिनार और कार्यशालाएं आयोजित करने के लिए भी वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। शैक्षिक संस्थाओं के संकाय सदस्यों के लिए स्कालरशीप योजना आरंभ की गई है जिसके अंतर्गत माइक्रोफाइनेंस संस्था, बैंकिंग प्रणाली की दक्षता तथा वाणिज्यिक पत्र विषयों पर तीन अध्ययन प्रस्तुत किये जा चुके हैं। रिजर्व बैंक विकास अनुसंधान समूह(डीआरजी)के अध्ययनों, जिनमें से अब तक 37 अध्ययन प्रकाशित हो चुके हैं, के लिए भी वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है।

X.18 अधिक शैक्षिक अंतःक्रियाओं को बढ़ावा देने के लिए रिजर्व बैंक ने 14 फरवरी 2012 को मुंबई में भारतीय रिजर्व बैंक चेयर प्रोफेसरों का पहला अनुसंधान सम्मेलन आयोजित किया। इसमें आठ पेपर प्रस्तुत किये गये तथा भारतीय खाद्य मुद्रास्फीति, अंतरराष्ट्रीय

पूँजी प्रवाह, वित्तीय समावेशन और अंतरराष्ट्रीय समाशोधन यूनियन जैसे नीतिगत मुद्दों पर चर्चा की गई। इसके अतिरिक्त, लंदन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स एंड पोलिटिकल साइन्स के आईजी पेटर प्रोफेसर, प्रो. निकोलस स्टर्न ने ‘लो-कार्बन ग्रोथ हन ए फ्रेजाइल डिकेड फॉर दि वर्ल्ड इकॉनॉमी’ विषय पर एक पेपर प्रस्तुत किया।

मानव संसाधन विकास के लिए उठाए गए कदम

प्रशिक्षण / प्रतिनियुक्ति / उच्च अध्ययन / दूर शिक्षा

X.19 संगठन में मानव पूँजी के गुणों को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक अपने स्टाफ को गुणात्मक विकास के लिए निरंतर अवसर प्रदान करता रहा है (बॉक्स X.2)। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी प्रशिक्षण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए छः प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना की है जिसका कुछ वाणिज्यिक बैंक भी लाभ उठाते हैं (सारणी X.1)।

बाहरी संस्थानों में प्रशिक्षण

X.20 2011-12 के दौरान रिजर्व बैंक ने भारत में बाहरी प्रबंधन / बैंकिंग संस्थानों के द्वारा आयोजित विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों,

बॉक्स X.2

क्षमता निर्माण हेतु की गई पहल

भारतीय रिजर्व बैंक के बहुआयामी कार्यों के निष्पादन हेतु विभिन्न क्षमताओं से परिपूर्ण विस्तृत कार्यक्षेत्र का होना आवश्यक है। इस संदर्भ में सक्षम एवं पर्याप्त मानव संसाधन तथा आंतरिक संरचना अपेक्षित है। तदनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक के संगठनात्मक ढांचे का निर्माण इस रूप में किया गया कि यह बैंक की आंतरिक क्षमता तथा बाह्य वातावरण के बीच टू-वे इंटरफेस का काम कर सके। वर्षों से, क्षमता निर्माण संबंधी की जाने वाली पहलें सिर्फ इसके अपने कर्मचारियों तक ही सीमित नहीं हैं। देश का केन्द्रीय बैंक होने के नाते रिजर्व बैंक ने संस्थानों के निर्माण हेतु भी भरसक प्रयत्न किया है जो देश के विभिन्न बैंकों के सुपरवाइजरी स्टाफ के प्रशिक्षण के लिए उत्तरदायी हैं। इस तरह रिजर्व बैंक का क्षमता-निर्माण मुख्यतः तीन बिंदुओं पर निर्भर करता है: (i) मौजूदा नीति प्रकरण जिससे भारत की बैंकिंग प्रक्रिया परिचालित होती है तथा विस्तृत निर्देश जिसका रिजर्व बैंक निर्माण करता है; (ii) अन्य बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं की तरह रिजर्व बैंक की भी भवित्य में विकास के लिए तत्पर स्थिति तथा वैयक्तिक एवं सामूहिक प्रयत्न जो उन्होंने इस संदर्भ में किया हो तथा; (iii) सही तरीके से निपुणतापूर्वक की जाने वाली नीतियों का निर्माण, प्रतिस्पर्धात्मक विकास, भारत में वित्त एवं बैंकिंग के क्षेत्र में किए जाने वाले अनुसंधान तथा एक संभावित कार्य योजना के मैट्रिक्स पर कार्य करना।

रिजर्व बैंक के दो प्रशिक्षण संस्थान हैं, एक रिजर्व बैंक स्टाफ महाविद्यालय चेन्नै

में और दूसरा कृषि बैंकिंग महाविद्यालय पुणे में - जिनकी स्थापना क्रमशः: सन 1963 तथा 1969 में हुई थी। रिजर्व बैंक स्टाफ महाविद्यालय, रिजर्व बैंक तथा चयनित वाणिज्यिक बैंकों के सभी श्रेणी के अधिकारियों के लिए कार्यात्मक एवं व्यावहारिक - दोनों प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करता है। यह नीतिगत मामलों में इनपुट प्रदान करने, ज्ञान के आदान-प्रदान तथा प्रचार-प्रसार करने के उद्देश्य से विभिन्न विषयों पर छोटे सेमिनारों तथा कार्यशालाओं का भी आयोजन करता है।

दूसरी ओर, कृषि बैंकिंग महाविद्यालय रिजर्व बैंक के अधिकारियों तथा विभिन्न वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों तथा सहकारी बैंकों के लिए विभिन्न विषयों पर लगातार प्रशिक्षण कार्यक्रमों का निर्माण करता है तथा संचालित करता है। यह राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय सेमिनारों का भी आयोजन करता है तथा अपने उपभोक्ताओं के लिए आवश्यकता मुताबिक तैयार किये गये कार्यक्रमों का भी संचालन करता है। प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के सहयोग से यह विषयगत प्रासंगिक कार्यक्रमों का भी आयोजन करता है। रिजर्व बैंक के चार आंचलिक प्रशिक्षण केन्द्र बेलापुर (नवी मुंबई में), कोलकाता, नई दिल्ली तथा चेन्नै में स्थित हैं जो कनिष्ठ अधिकारियों, श्रेणी III तथा IV के कर्मचारियों को प्रशिक्षण देते हैं। प्रत्येक आंचलिक प्रशिक्षण केन्द्र को एक फोकस एरिया दिया गया है।

(जारी...)

रिजर्व बैंक अपने अधिकारियों को भी अन्य केन्द्रीय बैंकों, वित्तीय तथा बहुआयामी संस्थाओं द्वारा संचालित प्रशिक्षण कार्यक्रमों, सेमिनारों, सम्मेलनों तथा कार्यशालाओं में भाग लेने हेतु प्रतिनियुक्त करता है।

इसके अलावा, अर्थशास्त्र, वित्त तथा परिचालनात्मक विश्लेषण के क्षेत्रों में हो रहे विकास के बारे में ज्ञान अर्जित करने तथा उनके कौशल संवर्धन के लिए रिजर्व बैंक अपने वरिष्ठ अधिकारियों को दुनिया के अग्रणी अंतरराष्ट्रीय बिजनेस स्कूलों में संचालित होने वाली उच्च प्रबंधन तथा कार्यपालक शिक्षण कार्यक्रमों में भी प्रतिनियुक्त करता है।

रिजर्व बैंक प्रतिष्ठित बाहरी संस्थानों के सहयोग से (वैसे संस्थानों सहित जो रिजर्व बैंक से आंशिक या पूर्णतः अनुदान प्राप्त करते हों) बैंकिंग, वित्त, सॉफ्ट स्किल, मानव संसाधन इत्यादि के क्षेत्र में भी लघुकालिक कार्यक्रमों का आयोजन प्रतिवर्ष कर्मचारियों की सीमित संख्या के लिए करता है।

अपने कर्मचारियों को स्व-अध्ययन के लिए प्रेरित करने एवं सुविधा प्रदान करने के लिए विभिन्न योजनाएं भी लागू की गई हैं जिसके तहत कर्मचारी अपनी सुविधा के अनुसार, जिस क्षेत्र में उनकी दिलचस्पी हो, उस क्षेत्र में अध्ययन कर सकते हैं, बशर्ते आने वाले समय में यह रिजर्व बैंक के लिए भी उपयोगी साबित हो।

इन योजनाओं में ग्रेड सी तक के चयनित अधिकारियों के लिए वाणिज्यिक बैंक में प्रशिक्षण, स्वर्ण जयंती स्कॉलरशिप योजना, उच्च व्यवसायिक योग्यताएं

जैसे पीएच.डी., एमबीए / एफसीए आदि हासिल करने पर दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि, अध्ययन अवकाश तथा उच्च अधिकारियों के लिए एक वर्ष का विराम अवकाश दिये जाने की योजना शामिल हैं।

रिजर्व बैंक के कार्यालय भी कार्यात्मक तथा व्यवहारवादी विषयों पर होने वाले व्याख्यानों के साथ अध्ययन मंच से जुड़े रहते हैं। मुख्य तथा उभरते मुद्दों पर यहां होने वाले मासिक थिमेटिक वीडियों कॉन्फ्रेंस जो कि नेतृत्व दल के सदस्यों द्वारा संचालित किए जाते हैं, के माध्यम से रिजर्व बैंक अपने स्टाफ को चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करता है जिससे पटक्रमों में कथित अंतर कम दिखाई दे, नए विचार उत्पन्न हों तथा विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों को एक साथ जोड़कर कार्य किया जा सके जो कि किसी अन्य नेटवर्क या माध्यम से संभव नहीं है।

रिजर्व बैंक विशेष प्रशिक्षण संस्थानों जैसे इंदिरा गांधी विकास और अनुसंधान संस्थान, मुंबई, उन्नत वित्तीय अनुसंधान तथा अध्ययन केन्द्र, मुंबई, राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन संस्थान, पुणे तथा भारतीय बैंक प्रबंधन संस्थान गुवाहाटी, को भी वित्तीय सहायता तथा सुविधा प्रदान करता है। ये सभी संस्थान बैंकिंग तथा वित्तीय क्षेत्र में हो रहे अनुसंधान, प्रशिक्षण तथा परामर्श कार्यों से जुड़े हैं।

ये क्षमता निर्माण संबंधी पहल प्रमुख घटक हैं जो रिजर्व बैंक को एक ज्ञानपूर्ण सक्षम संस्था बनाने तथा इसकी संगठनात्मक संस्कृति को मजबूती प्रदान करने की योजना को सफल बनाने में सहायक हैं।

सेमिनारों तथा सम्मेलनों में भाग लेने के लिए 1072 अधिकारियों को प्रतिनियुक्त किया। श्रेणी III एवं IV के कर्मचारियों को भी भारत में बाहरी संस्थानों में प्रशिक्षण के लिए भेजा गया। रिजर्व बैंक ने 41 से

अधिक देशों के विभिन्न बैंकिंग तथा वित्तीय संस्थानों एवं बहुआयामी संस्थानों में संचालित की जाने वाले विभिन्न प्रशिक्षण कोर्सों, सेमिनारों, सम्मेलनों तथा कार्यशालाओं आदि में कुल 511 अधिकारियों को भी प्रतिनियुक्त किया (सारणी X.2)।

X.21 वर्ष के दौरान विभिन्न योजनाओं के तहत बारह आधिकारियों ने उच्च शिक्षा हेतु अध्ययन अवकाश का लाभ उठाया। इतना ही नहीं, रिजर्व बैंक की प्रोत्साहन योजनाओं के तहत 2011-12 के दौरान दूर शिक्षा या कुछ चयनित अंशकालिक पाठ्यक्रमों को 412 अधिकारियों ने पूरा किया।

सारणी X.2: भारत तथा विदेश में बाहरी प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षित अधिकारियों की संख्या

वर्ष	भारत में प्रशिक्षित अधिकारियों की संख्या (बाहरी संस्थान)	विदेशों में प्रशिक्षित अधिकारियों की संख्या
1	2	3
2009-10	1,104	553
2010-11	1,090	578
2011-12	1,072	511

* : 20 समर्ती लेखा परीक्षक, नाबाउ के 32 अधिकारी, भा.आ.से. के 13 प्रशिक्षु अधिकारी तथा 15 विदेशी प्रतिभागियों सहित

@: 24 विदेशी प्रतिभागियों सहित

भारत - आइएमएफ का संयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम (आईटीपी)

X.22 रिजर्व बैंक तथा अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने राष्ट्रीय बैंकिंग प्रबंध संस्थान, पुणे में संयुक्त रूप से भारत आइएमएफ संयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है। वर्ष 2011-12 के दौरान आठ कार्यक्रम आयोजित किए गये जिनमें धन शोधन निवारण, आतंकवाद के वित्त पोषण का प्रतिरोध; समष्टि-आर्थिक प्रबंधन तथा राजकोषीय नीति, वित्तीय क्षेत्र से जुड़े मुद्दे, वित्तीय बाजार विश्लेषण, अंतरराष्ट्रीय व्यापार सेवाएं तथा वित्तीय मजबूती के सकेतक आदि विषयों को शामिल किया गया था और इसमें रिजर्व बैंक के 47 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

अनुदान एवं सेवार्थ दान

X.23 भारतीय रिजर्व बैंक एक ऐसी संस्था है जो विभिन्न उपायों से अपने कार्य-क्षेत्रों में कारपोरेट सामाजिक दायित्व को बढ़ावा देती है। इसके एक भाग के रूप में रिजर्व बैंक उन चयनित संस्थानों, जो कि बैंकिंग तथा वित्तीय क्षेत्र की आवश्यकताओं को देखते हुए प्रशिक्षण, अनुसंधान तथा परामर्श कार्य आदि प्रदान करते हैं, को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। 2011-12 में इंदिरा गांधी विकास और अनुसंधान केन्द्र, मुंबई को ₹280 मिलियन, कैफरल को ₹38 मिलियन, एनआइबीएम, पुणे को ₹14 मिलियन तथा भारतीय बैंक प्रबंध संस्थान, गुवाहाटी को ₹2 मिलियन प्रदान किये गये हैं।

संगठनात्मक प्रबंधन संबंधी किए गए उपाय

X.24 रिजर्व बैंक ने अपनी क्षमता के संवर्द्धन संबंधी उपायों तथा ज्ञान के प्रचार-प्रसार संबंधी एजेंडा के साथ-साथ रणनीतिक प्रतिभाओं को अपने यहाँ लाने का काम जारी रखा है। स्टाफ की कैरियर संबंधी आकांक्षाओं को पूरा करने तथा संस्था के कुशल कामकाज निष्पादन को सुनिश्चित करने संबंधी नीतियों को अपनाया गया है।

औद्योगिक संबंध

X.25 रिजर्व बैंक ने अधिकारियों तथा कर्मचारियों, कामगारों द्वारा गठित मान्यता प्राप्त संघों / महासंघों के साथ सेवा-शर्तों तथा कल्याणपरक मुद्दों से संबंधित विभिन्न विषयों पर समय-समय पर बैठकों का आयोजन किया तथा इस बातचीत का प्रभाव वर्ष के दौरान उत्साहवर्धक रहा।

सूचना का अधिकार कानून (आरटीआइ), 2005

X.26 रिजर्व बैंक में आरटीआइ कानून के कार्यान्वयन के सातवें वर्ष में सूचना प्राप्ति हेतु प्राप्त आवेदनों की संख्या 30 प्रतिशत बढ़कर 4,812 हो गयी जिसमें से 95 प्रतिशत का जवाब दिया जा चुका है। वर्ष के दौरान प्राप्त प्रथम अपीलों की कुल संख्या 702 है जिसमें से 595 अपीलों पर अपीलीय प्राधिकारी ने आदेश पारित कर दिया है। केन्द्रीय सूचना आयोग(सीआईसी) ने अनुरोधकर्ताओं द्वारा फाइल किये गये 161 मामलों की सुनवाई रिजर्व बैंक परिसर में ही की गई वीडियो कॉर्प्रेसिंग के जरिए की है। रिजर्व बैंक स्टाफ महाविद्यालय में केन्द्रीय सहायक जन सूचना अधिकारियों / निपटान अधिकारियों के लिए एक पायलट कार्यक्रम का आयोजन किया गया जो उन्हें सूचना के अधिकार के प्रावधानों तथा रिजर्व बैंक में इसके कार्यान्वयन तथा विचारों और अनुभवों के आदान-प्रदान के बारे में बताने के उद्देश्य से किया गया था।

भर्ती

X.27 2011 (जनवरी-दिसंबर) के दौरान रिजर्व बैंक ने 154 कर्मचारियों की भर्ती की। इनमें से 25 अनुसूचित जाति तथा 12 अनुसूचित जनजाति वर्ग के थे जो कुल भर्ती का 24 प्रतिशत है (सारणी X.3)।

स्टाफ की संख्या

X.28 31 दिसंबर 2011 की स्थिति के अनुसार स्टाफ की कुल संख्या 18,132 थी जबकि पिछले साल यह संख्या 19,207 थी (बॉक्स X.3)। कुल स्टाफ में 45.1 प्रतिशत प्रथम श्रेणी, 18.6

सारणी X.3: रिजर्व बैंक द्वारा भर्ती - 2011

भर्ती का संवर्ग	कुल	जिसमें से		प्रतिशत	
		अ.जा	अ.ज.जा	अ.जा	अ.ज.जा
1	2	3	4	5	6
श्रेणी I	146	24	11	16.4	7.5
श्रेणी III	-	-	-	-	-
श्रेणी IV					
(क) रखरखाव परिचर	7	1	1	14.3	14.3
(ख) अन्य	1	-	-	-	-
कुल	154	25	12	16.2	7.8

* : जनवरी-दिसंबर

बॉक्स X.3 रिजर्व बैंक का संगठनात्मक ढांचा - उप-कार्यालय

पिछले कुछ वर्षों से रिजर्व बैंक का संगठनात्मक ढांचा भारत के संघीय सरकार के ढांचे का अनुसरण करता रहा है। अपने शाखा नेटवर्क के विस्तार के क्रम में रिजर्व बैंक ने एक पुरोगामी नजरिया अपनाया है जैसा कि देश के किसी क्षेत्र की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर विशेष सुविधाएँ प्रदान करने हेतु शाखाएं खोलने के दौरान देखा गया है। परिचालन के इस विकेन्द्रीकरण की मजबूती का मुख्य उद्देश्य उस क्षेत्र की जनसंख्या के सभी वर्गों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करना, वित्तीय प्रणाली की स्वस्थता की देखभाल के लिए स्थानीय विकास कार्यक्रमों से जुड़ी गतिविधियों को सुजित करना तथा उस पर पकड़ बनाना है ताकि एजेंडा के कोर समूह में शामिल कमज़ोर तथा हाशिए पर जीवन-यापन करने वाले लोगों की समस्याओं का अधिक निवान हो सके। यह विकेन्द्रीकरण भी बहुत ही संवेदनशील है, जो एक विशिष्ट स्थानीय प्रभाव के साथ एक तरफ हमारी अर्थव्यवस्था के क्षेत्रीय / उप क्षेत्रीय गुणों तथा आकांक्षाओं को दर्शाता है तो दूसरी ओर अर्थात् संयोजन में ग्रामीण - शहरी सातत्य अथवा अर्थात् विकल्पी एवं उसकी वरीयता में प्रत्यक्ष परिवर्तन जैसे अखिल भारतीय प्रथाओं को दर्शाता है।

रिजर्व बैंक के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों तथा उप कार्यालयों ने हमारी नीतिगत प्रतिक्रिया की जटिलता तथा प्रदृष्ट सेवाओं में संवृद्धि तथा समानता लाने के उद्देश्य से एकीकरण प्रक्रिया को सुगमता प्रदान करने हेतु दोनों क्षेत्रों को एकत्र कारक मानने पर जोर दिया है।

रिजर्व बैंक का प्रथम उप कार्यालय नवंबर 1970 में कोच्चि में तथा इसके बाद 10 नवंबर 1983 को पण्डी में खोला गया। श्रीनगर उप कार्यालय का शुभारंभ 1981 में विदेशी मुद्रा विभाग के साथ हुआ। जम्मू कार्यालय में अवस्थित

ग्रामीण आयोजना तथा ऋण विभाग एवं बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग भी ग्रीष्मकाल में श्रीनगर में स्थानांतरित होकर कार्य करते हैं जब दरबार भी यहाँ स्थानांतरित हो जाता है। उत्तराखण्ड, छत्तीसगढ़ तथा झारखण्ड राज्यों के गठन के पश्चात् रिजर्व बैंक ने क्रमशः जून 2006, जनवरी 2007 और नवंबर 2007 में देहरादून, रायपुर तथा रांची में अपना उप कार्यालय स्थापित किया। शिमला उप कार्यालय का शुभारंभ जनवरी 2007 में हुआ।

ग्रामीण आयोजना तथा उत्तर-पूर्व के सात राज्यों (असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नगालैंड और अस्सीचल प्रदेश) की आवश्यकताओं को पूरा करता आया है। इसके बावजूद इस क्षेत्र में आर्थिक विकास की कमी, बेरोजगारी की समस्या को हल करने के क्रम में बैंक क्रेडिट तथा ग्रामीण ऋण की आपूर्ति की पर्याप्तता पर नजर रखने तथा वित्तीय समावेशन और साक्षरता प्रदान करने के उद्देश्य से रिजर्व बैंक ने सभी राज्यों में अपनी भौतिक उपस्थिति दर्ज करने की जरूरत महसूस की। 2010-11 में यह निर्णय लिया गया कि बारी-बारी से सभी छः राज्यों में एक-एक उप कार्यालय खोला जाएगा। तदनुसार, अगरतला में मई 2011 में उप कार्यालय की स्थापना की गई। सिक्किम राज्य के लिए गांगटोक में एक उप कार्यालय की स्थापना जनवरी 2010 में की गई जो हमारे कोलकता क्षेत्रीय कार्यालय के नियंत्रणाधीन है।

रिजर्व बैंक की नीतियों तथा उभरती प्राथमिकताओं को उन्नत बनाने के विचार से तथा रणनीतियों के साथ उन्हें सकार बनाने हेतु, इसके सभी उप कार्यालय जनसंख्या के एक विशाल जनसमूह, जो वित्तीय सेवाओं से वर्चित हैं, तक पहुंचने के लिए प्रयासरत हैं तथा इसके साथ-साथ वित्तीय शिक्षा तथा साक्षरता संबंधी ज्ञान के अंतर को भी पाठने के लिए विशेष रूप से केन्द्रित होकर कार्यरत हैं।

सारणी X.4: श्रेणीवार स्टाफ की वास्तविक संख्या (31 दिसंबर, 2011 को)

श्रेणी	वास्तविक संख्या
1	2
क. श्रेणी I	8,183
1. ग्रेड एफ में वरिष्ठ अधिकारी	90
2. ग्रेड ई में वरिष्ठ अधिकारी	233
3. ग्रेड डी में वरिष्ठ अधिकारी	374
4. ग्रेड सी अधिकारी	968
5. ग्रेड बी अधिकारी	1,400
6. ग्रेड ए अधिकारी	5,045
7. कोषपाल	5
8. उप कोषपाल	19
9. सहायक कोषपाल	49
ख. श्रेणी III	3,381
1. वरिष्ठ सहायक	1,390
2. सहायक	617
3. सचिवीय सहायक	88
4. शब्द संसाधक सहायक	355
5. विशेष सहायक (टेलर)	467
6. श्रेणी III (अन्य)	464
ग. श्रेणी IV	6,568
1. अनरक्षण स्टाफ	1,427
2. सर्वीस स्टाफ	4,223
3. तकनीकी स्टाफ	197
4. अन्य स्टाफ	721
भारतीय रिजर्व बैंक में कुल स्टाफ की संख्या (क + ख+ ग)	18,132

सारणी X.5: रिजर्व बैंक की कुल स्टाफ संख्या

संवर्ग	जातीय वर्ग अनुसार संख्या						कुल संख्या का प्रतिशत	
	कुल संख्या		अ.जा		अ.ज.जा		अ.जा	अ.ज.जा
	दिसं 31 2010	दिसं 31 2011	दिसं 31 2010	दिसं 31 2011	दिसं 31 2010	दिसं 2011	दिसंबर 31, 2011	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
श्रेणी I	8,754	8,183	1,277	1,189	598	563	14.5	6.9
श्रेणी III	3,604	3,381	554	518	422	395	15.3	11.7
श्रेणी IV	6,849	6,568	2,200	2,121	688	660	32.3	10.0
कुल	19,207	18,132	4,031	3,828	1,708	1,618	21.1	8.9

अ.जा : अनुसूचित जाति

अ.ज.जा : अनुसूचित जन जाति

सारणी X.6: रिजर्व बैंक में कार्यालय-वार स्टाफ सदस्यों की संख्या (31 दिसंबर 2011 को)

कार्यालय (उप कार्यालयों सहित)	श्रेणी I	श्रेणी III	श्रेणी IV	कुल
1	2	3	4	5
अगरतला	5	0	0	5
अहमदाबाद	327	170	287	784
बैंगलुरु	463	146	260	869
बेलापुर	139	65	210	414
भोपाल	169	26	96	291
भुवनेश्वर	199	67	212	478
चंडीगढ़	179	32	112	323
चेन्नई	501	304	492	1,297
देहरादून	10	3	3	16
गंगटोक	4	0	0	4
गुवाहाटी	239	96	214	549
हैदराबाद	333	118	284	735
जयपुर	266	115	211	592
जम्मू @	87	8	61	156
कानपुर	276	166	383	825
कोच्ची	49	45	42	136
कोलकाता	625	361	628	1614
लखनऊ	186	56	140	382
मुंबई	669	470	1104	2243
नागपुर	275	238	264	777
नई दिल्ली	579	266	382	1227
पण्डी	10	4	2	16
पटना	220	63	249	532
पुणे -कृ.बै.म.-के अ.प्र.के.-आइटीपी	59	22	81	162
रायपुर	9	0	0	9
राँची	11	0	0	11
शिमला	7	0	0	7
तिरुवनन्तपुरम	208	69	160	437
कुल	6104	2910	5877	14891
के.का.वि #	2079	471	691	3241
सकल योग	8183	3381	6568	18132

कृ.बै.म. : कृषि बैंकिंग महाविद्यालय।

के.अ.प्र.के. : केन्द्रीय अभिलेख एवं प्रलेखन कार्यालय।

आइटीपी : आइएमएफ प्रशिक्षण कार्यक्रम पुणे।

@ : श्रीनगर उप कार्यालय सहित।

: निष्क्रेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम सहित केन्द्रीय कार्यालय के विभाग।

677 रही है। शारीरिक रूप से विकलांग कर्मचारियों की कुल संख्या दिसंबर 2011 में प्रथम श्रेणी, तृतीय श्रेणी तथा चतुर्थ श्रेणी में क्रमशः 232, 79 तथा 126 रही है।

कैंपस भर्ती

X.32 बैंकों, वित्तीय संस्थाओं तथा गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के विनियमन और पर्यवेक्षण की रिजर्व बैंक की भूमिका पर हाल के वर्षों में अधिक जोर देते हुए विश्लेषणात्मक तथा प्रबंधकीय कौशल वाली प्रतिभाओं को भर्ती करने की आवश्यकता पर विशेष ध्यान दिया गया है। रिजर्व बैंक ने अधिकारियों की सीधी भर्ती संवर्ग के लिए कैंपस भर्ती के एक अलग चैनल की शुरुआत की है जिसके तहत 2011-12 के दौरान 03 अनुसूचित जाति तथा 5 अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों सहित कुल 17 अभ्यर्थियों को देश के विभिन्न केन्द्रीय विश्वविद्यालयों तथा विभिन्न प्रबंधन संस्थानों से भर्ती किया गया है।

सहायकों की भर्ती

X.33 रिजर्व बैंक में अगले पांच वर्षों के दौरान होने वाली अधिकांश सेवानिवृत्तियों को ध्यान में रखते हुए सभी कार्यालयों हेतु तृतीय श्रेणी संवर्ग में 1000 सहायकों की भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गयी है।

पदोन्नति की नीति

X.34 अधिकारियों की दीर्घकालीन कैरियर आकांक्षाओं को सही ढंग से पूरा करने के उद्देश्य से एक नई पदोन्नति नीति लागू की गई है। यह विभिन्न ग्रेड में लागू समय-बद्ध तथा मेधा आधारित - दोनों पदोन्नति प्रणालियों का संयुक्त रूप है जो संगठनात्मक संरचना को अधिक सशक्त, जबाबदेह तथा तीव्र निर्णय लेने की क्षमता विकसित

करने के साथ अधिकारियों को मुख्यतः तीन समूहों, जैसे कनिष्ठ, मध्य, तथा वरिष्ठ स्तर में बांटने के लिये ढंग को प्रस्तुत करती है, जिससे संगठन की संरचना पिरामिडीय न होकर क्षैतिज होगी।

जोखिम प्रबंध विभाग का गठन

X.35 रिजर्व बैंक के द्वारा गठित अंतर-विभागीय दल की सिफारिशों के अनुसार रिजर्व बैंक में वित्तीय तथा परिचालनात्मक जोखिमों से निपटने के लिए 31 मई 2012 से एक जोखिम प्रबंध विभाग (आरएमडी) का गठन किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य संपूर्ण संगठन में जोखिमों की सही पहचान, उनका मूल्यांकन तथा प्रबंधन करना है।

X.36 कानूनी जोखिम, आइटी जोखिम, कारोबार निरंतरता योजना से जुड़े जोखिम, भौतिक सुरक्षा जोखिम सहित परिचालनात्मक जोखिमों के प्रबंधन की जिम्मेदारी कार्यात्मक इकाईयों की होगी। प्रत्येक कार्यात्मक इकाई अपने क्षेत्र में उत्पन्न किसी भी प्रकार के जोखिम, जो बैंक की प्रतिष्ठा को आंच पहुंचाता हो, से निपटेगी। जनता की नजरों से उत्पन्न ऐसे जोखिमों को सुलझाना बैंक की प्राथमिकता होगी जो संचार विभाग के परामर्श से जोखिम प्रबंधन विभाग द्वारा बनायी जाने वाली एक व्यवस्थित संचार नीति के तहत की जाएगी।

बिज़नेस प्रोसेस री-इंजीनियरिंग

X.37 बाहरी परिवेश में हो रहे बदलाव तथा रिजर्व बैंक की आंतरिक क्षमताओं तथा संसाधन क्षमता को ध्यान में रखते हुए एक प्रणालीगत वृष्टिकोण अपनाते हुए उपलब्ध श्रमशक्ति तथा तकनीक का समुचित प्रयोग कर, परिचालनात्मक उत्कृष्टता, प्रतिस्पर्धात्मक निष्पादन मानक, व्यापारिक प्रक्रियाओं का नियंत्रण व प्रबंधन करना, वरीयता देना, डिजाइन करना तथा निगरानी रखने के लिए बिज़नेस प्रोसेस री-इंजीनियरिंग जैसी प्रक्रिया को उपयुक्त समझा गया है (बॉक्स X.4)।

राजभाषा

X.38 राजभाषा नीति की सांविधिक अपेक्षाओं के अनुपालन में रिजर्व बैंक अपने कार्यों में हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने के लिए वर्ष 2011-12 के दौरान काफी सजग रहा है। सभी प्रशिक्षण महाविद्यालयों में दी जाने वाली प्रशिक्षण सामग्री को द्विभाषी रूप में तैयार किया गया है तथा रिजर्व बैंक ने अपने सभी प्रकाशनों को द्विभाषी रूप में प्रकाशित करने का काम जारी रखा है।

X.39 वर्ष के दौरान बहुत से हिन्दी समारोहों, अंतर-बैंक तथा आंतरिक प्रतियोगिताओं के साथ-साथ विभिन्न हिन्दी प्रशिक्षण

बॉक्स X.4

बिज़नेस प्रोसेस री-इंजीनियरिंग

आशा है कि बिज़नेस प्रोसेस री-इंजीनियरिंग से बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए रिजर्व बैंक के कारोबार की प्रक्रियाओं में क्रांतिकारी परिवर्तनों को कार्यान्वयित किया जा सकेगा। कारोबार की प्रक्रियाओं को स्पष्ट तरीके से समझना, उन प्रक्रियाओं को नया रूप देने के लिए अति आवश्यक है। रिजर्व बैंक के समूचे कारोबार की प्रक्रियाओं की पहचान में सुधार लाने के लिए, विभागों के काम की प्रक्रियाओं में समानता के आधार पर केंद्रीय कार्यालय के 26 विभागों को 13 समूहों में रखा गया है और 27 क्षेत्रीय कार्यालयों को चौदहवें समूह में रखा गया है।

प्रत्येक विभाग तथा कार्यालय से सुझाव मांगे गये हैं तथा इन्हें मानव संसाधन प्रबंध विभाग में स्थित बीपीआर इकाई द्वारा आगे के अद्यतनीकरण तथा मूल्यांकन हेतु समूहवार रखा जा रहा है। सुझाव प्राप्त होने के पश्चात एक उच्चस्तरीय बहु-विषयक समिति से उनकी जांच करायी जाएगी जिसके पास किसी भी नए या संशोधित कार्य प्रक्रिया पर कार्य करने से पहले, संसाधनों का आबंटन करने तथा प्रक्रियाओं को इष्टतम रूप देने की जिम्मेदारी है।

आगे इस दिशा में वैसी प्रक्रियाओं की पहचान की जाएगी जहाँ री-इंजीनियरिंग आसानी से संभव है तथा ऐसी प्रक्रियाओं के कार्यान्वयन में शामिल लोगों को

व्यापक चर्चा के लिए बुलाया जाएगा। तत्पश्चात इस समय जो स्थिति है, और उसे जैसा होना चाहिए तथा री-इंजीनियरिंग के बाद समय तथा लागत की बचत को ध्यान में रखते हुए अनुर्धात परिमाणात्मक लाभों के बारे में प्रलेखन तैयार किया जाएगा। इसके बाद परिशोधित क्रियाएं कार्यान्वयित की जाएंगी तथा ग्राहकों और कर्मचारियों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर इसके प्रभाव तथा क्षमता का भी आकलन किया जाएगा। बीपीआर से संबंधित सभी सुझावों पर विचार किया जाएगा और इसकी योजना एवं कार्यान्वयन के लिए गठित समिति द्वारा, संबंधित विभाग के वरिष्ठ प्रबंध-तंत्र के परामर्श से अनुमोदित किया जाएगा।

पिछले अनुभवों से यह ज्ञात होता है कि री-इंजीनियरिंग की प्रक्रिया को तकनीक, संसूचना तथा व्यापारिक प्रक्रियाओं के बीच आवश्यक समन्वय लाने के लिए तकनीकी विकास से आगे जाना चाहिए। इस प्रकार यह महसूस किया गया है कि संपूर्ण संगठन में बीपीआर की समग्र प्रक्रिया शुरू करने से पहले, न्यूनतम बाहरी इंटरफेस के साथ प्रौद्योगिकीय उपायों से जुड़ी प्रक्रियाओं को प्राथमिकता देने की जरूरत है। तदनुसार, निकट भविष्य में बीपीआर के अध्ययन के लिए पहचाने गए इन क्षेत्रों में, मानव संसाधन प्रबंध तथा स्थापना कार्यप्रवाह स्वचालन, डेस्कटॉप वर्च्युअलाइजेशन तथा मुद्रा प्रबंधन शामिल हैं।

कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। राजभाषा अधिकारियों के सम्मेलन के साथ-साथ राजभाषा अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठकें भी की गईं जिनमें हिंदी के प्रगामी प्रयोग में हुई वृद्धि की समीक्षा की गई तथा भविष्य के लिए योजनाएं तैयार की गईं।

X.40 वर्ष के दौरान टंकेतर स्टाफ सदस्यों (अधिकारियों समेत) के लिए गहन हिंदी टाइपिंग प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें प्रशिक्षकों ने भारत सरकार द्वारा आयोजित हिंदी टंकण परीक्षा को सफलतापूर्वक उत्तीर्ण किया है। “राजभाषा नीति का कार्यान्वयनः नई चुनौतियां” विषय पर सेमिनार भी आयोजित किया गया। सेमिनार में भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग के सचिव श्री ए.एन. पी सिन्हा ने अपना अभिभाषण प्रस्तुत किया। ये सभी इस वर्ष की महत्वपूर्ण गतिविधियां थीं। इस सेमिनार का सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में लाइव वेबकास्ट भी किया गया था। बैंकिंग विषयों पर तिमाही हिंदी पत्रिका, बैंकिंग चिंतन अनुचिंतन का प्रकाशन भी नियमित रूप से किया जाता है, जिसमें मूल रूप से हिंदी में लेख होते हैं तथा इसका एमएसएमई पर एक विशेषांक भी प्रकाशित किया गया। इसके अलावा एक तिमाही समाचार-पत्र “राजभाषा समाचार” का भी प्रकाशन किया जाता है जिसमें राजभाषा नीति के कार्यान्वयन से संबंधित गतिविधियों का वर्णन होता है।

रिजर्व बैंक परिसरों का प्रबंधन

X.41 वर्ष के दौरान रिजर्व बैंक ने अपने सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को आवास प्रदान करने तथा अपने कार्यालयों के भवनों में बुनियादी भौतिक ढांचे के आधुनिकीकरण एवं उन्नयन के लिए सुनियोजित तरीके से प्रयास किया। 2010-11 में छः भवन निर्माण परियोजनाओं (अधिकारियों के फ्लैट निर्माण की चार परियोजनाएं तथा आइजीआइडीआर तथा आरबीएससी में प्रशिक्षणार्थियों के लिए दो छात्रावासों के निर्माण की परियोजनाओं सहित) की शुरुआत की गई है। आवश्यक सांविधिक अनुमोदनों में हुई देरी के कारण सभी परियोजनाओं पर कार्य निर्धारित कार्यक्रम से पीछे चल रहा है तथा विभिन्न प्राधिकारियों की निगरानी में यह प्रक्रिया जारी है। आवासीय परिसरों में सुविधाओं को भी उन्नत बनाने का काम बारी-बारी से जारी है। वर्ष के दौरान लखनऊ तथा हैदराबाद में दो आवासीय भवनों के निर्माण हेतु भी निविदाएं आमंत्रित की गई हैं।

X.42 रायपुर में नये भवन निर्माण हेतु प्रारंभिक कार्यों की शुरुआत की गई है तथा देहरादून, अगरतला और रायपुर में आवासीय क्वार्टरों

तथा कार्यालय भवनों के निर्माण हेतु जमीन की पहचान कर उसके अधिग्रहण का काम भी जारी है।

X.43 उन्नत वित्तीय अनुसंधान और अध्ययन केन्द्र (कैफरल) के नए सांस्थानिक परिसर के निर्माण के लिए एक डिजाइन प्रतियोगिता कराई गयी थी तथा इसका डिजाइन तैयार करने के लिए एक आर्किटेक्ट फर्म का चयन भी कर लिया गया है।

X.44 सुरक्षा और अग्नि से सुरक्षा की उभरती जरूरतों को ध्यान में रखते हुए सभी कार्यालयों के भवनों में इंटेलीजेंट फायर अलार्म सिस्टम, सीसीटीवी सिस्टम जैसे सुरक्षा तथा अग्निशमन उपकरणों को अपग्रेड / या नये रूप से लगाने की योजना बनायी गयी है तथा चरणबद्ध तरीके से इसे लागू किया जाएगा। आईपी-आधारित सीसीटीवी सिस्टम पर एक पायलट परियोजना पहले से ही शुरू की जा चुकी है।

पर्यावरण सुरक्षा संबंधी पहलें

X.45 रिजर्व बैंक ने अपने कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व को निभाने के क्रम में ऊर्जा संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण और बचाव को बढ़ावा देने के अनेक उपाय किए। कार्बन फूट प्रिंट मैपिंग जैसे कार्यों को मूर्त रूप देने के लिए पहचाने गए बिंदुओं पर कार्रवाई (जैसे पेड़ लगाना, इस्को फ्रेंडली पेपर का उपयोग करना) आदि को कार्यान्वित किया गया (बॉक्स X.5)। जयपुर तथा बंगलूर कार्यालयों में कार्बन फूट-प्रिंट प्रक्रिया की शुरुआत भी कर दी गई है। कार्यालयों के भवनों में विद्युत ऊर्जा का दुरुपयोग रोकने के लिए ऑक्यूपैसी सेंसर, टाइमर आदि का प्रयोग किया जा रहा है। ऊर्जा संरक्षण हेतु लघु एवं मध्यावधि के लिए एक ब्लू प्रिंट तैयार किया गया है जिसे विभिन्न चरणों में लागू किया जाएगा।

रिजर्व बैंक में आंतरिक लेखा परीक्षा / निरीक्षण

X.46 रिजर्व बैंक में जोखिम प्रबंधन को मजबूत बनाने तथा संस्था के अंतर्गत जोखिम प्रबंधन से जुड़ी नीतियों और कार्यविधियों को एक समान रूप से कार्यान्वित करने के लिए उद्यम व्यापी जोखिम प्रबंधन को एक औपचारिक रूप प्रदान किया गया है जिसमें लेखा परीक्षा तथा जोखिम प्रबंधन के कार्य अलग-अलग स्पष्ट किये गए हैं। उद्यम व्यापी जोखिम प्रबंधन पूरे रिजर्व बैंक में वित्तीय तथा गैर-वित्तीय जोखिम की पहचान करने, उनका मूल्यांकन करने तथा उन्हें प्रबंधित करने के लिए टॉप-डाऊन तथा बॉटम-अप उपायों का सम्मिश्रण होगा।

बॉक्स X.5

कार्बन फूट प्रिंट मैपिंग - धारणीय विकास

आज मानव जाति के समक्ष मौजूद प्रमुख चुनौतियों में से एक जलवायु परिवर्तन भी है। विभिन्न अंतरराष्ट्रीय संगठनों द्वारा किए गए वैज्ञानिक अध्ययनों से ज्ञात होता है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए ग्रीन हाऊस गैसें प्रमुख रूप से उत्तरदायी हैं। वित्तीय क्षेत्र, जो निवेशकों तथा बचतकर्ताओं के बीच एक मध्यस्थ के रूप में तथा संसाधनों के उपयोगकर्ताओं एवं निवेशकों के लिए पूँजी प्रदाता - दोनों के रूप में कार्य करता है, पर्यावरण संरक्षण में अपनी महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इस प्रकार, वित्तीय संस्थाएं, गैर प्रदूषकारी प्रौद्योगिकी के साथ-साथ जीएचजी गैसों के हानिकारक प्रभाव को अवशोषित करने वाली परियोजनाओं में निवेश कर सतत आर्थिक विकास के अग्रदूत के रूप में कार्य कर सकती हैं। इस तरह वित्तीय क्षेत्र ग्रीन हाऊस गैसों के उत्सर्जन के प्रबंधन में योगदान देकर सीधी भूमिका निभा सकता है।

एक नियामक की भूमिका में, रिजर्व बैंक को सतत आर्थिक विकास हेतु नीतियां बनाने के क्रम में जलवायु परिवर्तन की समस्याओं और जोखिमों को समझना अत्यंत महत्त्वपूर्ण है।

इस संदर्भ में, रिजर्व बैंक ने फरवरी 2011 में अपने केन्द्रीय कार्यालय भवन में होने वाले परिचालनों के लिए एक कार्बन फूट प्रिंट-मैपिंग प्रक्रिया का शुभरांभ किया है। कार्बन फूट प्रिंट किसी संस्था, कार्यक्रम या उत्पाद से होने वाले ग्रीन हाऊस गैसों के उत्सर्जन का कुल समुच्चय है। रिपोर्टिंग की सरलता के लिए इसे कार्बन डाई ऑक्साइड या इसके समकक्ष अन्य कोई ग्रीन हाऊस गैस की उत्सर्जित मात्रा के रूप में व्यक्त किया जाता है।

रिजर्व बैंक द्वारा उत्सर्जित ग्रीन हाऊस गैसों के अनुमान एवं रिपोर्टिंग का कार्य, आईएसओ-14064 तथा भारतीय औद्योगिक संघ द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों का ध्यान रखते हुए, एक कंसल्टेंट फर्म मेसर्स नेक्स्ट जेन द्वारा किया गया। कार्बन उत्सर्जन के मुख्यतः तीन प्रकार हैं। स्कोप I (प्रत्यक्ष उत्सर्जन), स्कोप II (अप्रत्यक्ष उत्सर्जन, मुख्यतः क्रय की गई विद्युत उर्जा से) तथा स्कोप III (अन्य अप्रत्यक्ष उत्सर्जन)। ग्रीन हाऊस गैसों के कुल 8265.70 मिलियन टन सीओ₂ के उत्सर्जन का अनुमान है। इस उत्सर्जन को प्रबंधित करने के क्रम में उत्सर्जन को धीरे-धीरे कम करने तथा नियंत्रित करने के लिए एक कार्य योजना तैयार की गई है जिसमें प्रथम वर्ष के लिए 0.6 प्रतिशत तक उत्सर्जन में कटौती का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। विभिन्न गतिविधियां कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। पूरे देश में रिजर्व बैंक की संपत्तियों में भी ऐसी ही कार्बन फूट प्रिंट-मैपिंग प्रक्रिया लागू की जाएगी।

संदर्भ:

- डेल्फी इंटरनेशनल लिमिटेड (1997), सतत विकास प्राप्ति में वित्तीय संस्थाओं की भूमिका - कार्यपालक सारांश।
- जलवायु परिवर्तन पर गठित अंतर सरकारी समिति (2007), ‘‘नीति निर्माताओं के लिए जेनेवा, स्विटरजरलैंड आईपीसीसी की चौथी मूल्यांकन रिपोर्ट की सिंथेसिस का सार’’।
- नेक्स्ट जेन पीएमएस प्राइवेट लिमिटेड (2011), भारतीय रिजर्व बैंक के केन्द्रीय कार्यालय भवन, मुंबई का कार्बन फूट प्रिंट - रिपोर्ट।

X.47 रिजर्व बैंक में जोखिम प्रबंधन के लिए एक लेखा परीक्षा तथा जोखिम प्रबंधन उप समिति का गठन भी इस वर्ष किया गया जो पूर्व में गठित निरीक्षण, लेखा परीक्षा उप समिति के कार्यों का निष्पादन एक विस्तारित अधिदेश के तहत करेगी। यह उप समिति रिजर्व बैंक के केन्द्रीय बोर्ड को निरीक्षण तथा लेखा परीक्षा के कार्य, अनुपालन, आंतरिक नियंत्रण प्रणाली, वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया तथा जोखिम प्रबंधन ढांचे की निगरानी तथा समीक्षा कर इसके सभी निरीक्षण कार्यों में सहायता प्रदान करेगी।

X.48 निरीक्षण विभाग प्रणालीगत प्रक्रियाओं की जांच करता है, उनका मूल्यांकन करता है तथा रिजर्व बैंक के विभिन्न विभागों तथा

क्षेत्रीय कार्यालयों की स्थिति पर उच्च प्रबंध-तंत्र को विषयाश्रित फीडबैक देने का काम करता है। इस विभाग ने वर्ष के दौरान 12 क्षेत्रीय कार्यालयों तथा केन्द्रीय कार्यालय के 10 विभागों का निरीक्षण किया है। सूचना प्रणाली लेखा परीक्षा का काम, जोखिम आधारित लेखा परीक्षा और प्रबंध लेखा परीक्षा तथा प्रणाली निरीक्षण के साथ संपन्न किया गया। वर्ष के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था विषयक डेटाबेस, मेल मेसेजिंग सिस्टम, नई दिल्ली, मुंबई, बेलापूर, कोलकाता तथा चेन्नई क्षेत्रीय कार्यालयों के आईएस ऑफिट: निरंतर आश्वासन की तकनीकी लेखा परीक्षा, भारतीय रिजर्व बैंक के ऑन लाइन चयन आवेदन का वीए-पीटी और कोर बैंकिंग सोल्यूशन की प्रारंभिक (प्री-लाइव) लेखा परीक्षा की गई।

वर्ष के दौरान रिजर्व बैंक के तुलन-पत्र में काफी विस्तार हुआ जो मुख्यतः खुले बाजार के परिचालनों के माध्यम से की गयी चलनिधि की आपूर्ति और विदेशी आस्तियों के मूल्यांकन से रुपए के मूल्यहास के प्रभाव का सूचक है। अंतरराष्ट्रीय बाजारों में कम ब्याज की स्थिति दर्शाते हुए विदेशी आस्तियों में निवेश से हुई आय में लगातार तीसरे वर्ष गिरावट आई। किंतु देशी आस्तियों से हुई दोगुनी आय इस गिरावट को समंजित करने से अधिक थी। रिजर्व बैंक की सकल आय 2011-12 में 43.4 प्रतिशत बढ़कर ₹531.76 बिलियन हो गयी वहीं सकल व्यय 17.1 प्रतिशत बढ़कर ₹101.37 बिलियन हो गया। आकस्मिकता निधि, आस्ति विकास निधि और चार सांविधिक निधियों में धन के अंतरण के बाद सरकार को अंतरित करने के लिए ₹ 160.10 बिलियन आबंटित किये गये।

XI.1 रिजर्व बैंक के लेखा वर्ष 2011-12 (जुलाई-जून) में रिजर्व बैंक के तुलन-पत्र में लगभग ₹4,043 बिलियन अर्थात् लगभग 22 प्रतिशत से अधिक का बड़ा विस्तार हुआ। आस्ति पक्ष में रिजर्व बैंक की देशी प्रतिभूतियों और विदेशी मुद्रा आस्तियों की धारिता में वृद्धि हुई। देशी आस्तियों में वृद्धि का मुख्य कारण चलनिधि की आपूर्ति के लिए रिजर्व बैंक द्वारा खुले बाजार से सरकारी प्रतिभूतियों का बड़े पैमाने पर किया गया क्रय था। लगभग ₹2,140 बिलियन पर खुले बाजार के क्रय 2011-12 के दौरान तुलनपत्र में आधे से कुछ अधिक की वृद्धि दर्शाते हैं। विदेशी आस्तियों में हुई वृद्धि ने मुख्यतः अमरीकी डॉलर के प्रति भारतीय रूपये के मूल्यहास और सोने के मूल्यांकन से हुए लाभ का संविभाग पर हुआ मूल्यांकन प्रभाव दर्शाया। देयता पक्ष में विस्तार का कारण संचलन के नोटों में वृद्धि और मुद्रा तथा स्वर्ण पुनर्मूल्यन खाते में वृद्धि होना था।

XI.2 रिजर्व बैंक के वित्तीय विवरण भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 और इसके तहत जारी अधिसूचना के अनुसरण में और भारतीय रिजर्व बैंक सामान्य विनियमावली, 1949 द्वारा निर्धारित फार्म में तैयार किये जाते हैं। तुलन-पत्र की मदें पारंपरिक लागत पर आधारित होती हैं किंतु उसे छोड़कर जहां मूल्यांकन प्रभाव दर्शाने के लिए इसे संशोधित किया जाता है। आय और व्यय की पहचान उपचय आधार पर की जाती है किंतु दंडात्मक व्याज प्राप्तियां और प्राप्य लाभांश को छोड़कर

जो नकदी आधार पर हिसाब में लिए जाते हैं। रिजर्व बैंक दो तुलन-पत्र प्रस्तुत करता है। मुद्रा प्रबंधन के एकमात्र कार्य से संबंधित पहला तुलन-पत्र निर्गम विभाग के तुलन-पत्र के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। दूसरा तुलन-पत्र रिजर्व बैंक के अन्य कार्यों के प्रभाव दर्शाता है और यह बैंकिंग विभाग का तुलन-पत्र कहलाता है। रिजर्व बैंक का तुलन-पत्र मुख्यतः उसकी मौद्रिक और आरक्षित निधि प्रबंधन नीति के उद्देश्यों के अनुसरण में इसके द्वारा किए गए कार्यों को दर्शाता है। 2011-12 के दौरान के रिजर्व बैंक के परिचालनों के प्रमुख वित्तीय परिणाम स्पष्टीकरणों के साथ इस अध्याय में दिये गये हैं।

आय

XI.3 रिजर्व बैंक की आय में विदेशी स्रोतों से अर्जन और देशी स्रोतों से अर्जन शामिल होते हैं जिसमें मुख्य भाग निवल ब्याज प्राप्तियों का होता है और तुलनात्मक रूप से छोटे भाग का योगदान अन्य स्रोतों जैसे कि बट्टा, विनिमय, कमीशन आदि से होता है।

XI.4 रिजर्व बैंक की सकल आय 2010-11 के ₹370.70 बिलियन से 43.4 प्रतिशत बढ़कर 2011-12 में ₹531.76 बिलियन हो गयी। विदेशी स्रोतों से हुई आय में गिरावट देशी स्रोतों से हुई आय में वृद्धि से समंजित हो गयी (सारणी XI.1)।

रिजर्व बैंक का 2011-12 का लेखा

सारणी XI.1: सकल आय

(₹ बिलियन)

मद	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
1	2	3	4	5	6
क. विदेशी स्रोत					
ब्याज, बट्टा, विनियम	518.83	507.96	251.02	211.50	198.10
ख. देशी स्रोत					
(i) ब्याज	49.58	90.56	66.47	150.32	323.39
(ii) अन्य अर्जन	9.09	8.80	11.35	8.88	10.27
कुल (i)+(ii)	58.67	99.36	77.82	159.20	333.66
ग. कुल आय (सकल)(क+ख)	577.50	607.32	328.84	370.70	531.76

विदेशी स्रोतों से अर्जन

XI.5 रिजर्व बैंक को विदेशी मुद्रा आस्ति और स्वर्ण के अभिनियोजन से होने वाली आय 2011-12 में ₹13.40 बिलियन (6.3 प्रतिशत) कम होकर ₹198.10 बिलियन रह गयी। विदेशी मुद्रा आस्ति और स्वर्ण पर आय की दर 2010-11 के 1.74 प्रतिशत की तुलना में 2011-12 में 1.47 प्रतिशत पर कम थी जिसका कारण अंतरराष्ट्रीय बाजारों में विद्यमान कम ब्याज दरें थीं (सारणी XI.2)।

देशी स्रोतों से अर्जन

XI.6 देशी स्रोतों से हुआ अर्जन 109.6 प्रतिशत वृद्धि के साथ 2011-12 में ₹174.46 बिलियन बढ़कर ₹333.66 बिलियन हो गया (सारणी XI.3)। इस वृद्धि का मुख्य कारण चलनिधि समायोजन सुविधा परिचालनों से लाभ, सरकारी प्रतिभूतियों के बढ़े हुए संविभाग पर उच्च कूपन प्राप्तियां (खुले बाजार के बढ़े पैमाने के परिचालन) था। औसत देशी आस्तियों पर आय की दर पिछले

वर्ष के 3.77 प्रतिशत से बढ़कर 2011-12 में 5.43 प्रतिशत हो गयी। अर्थोपाय अग्रिम/ओवरड्राफ्ट के संबंध में केंद्र सरकार से प्राप्त ब्याज आय पिछले वर्ष के ₹4.39 बिलियन की तुलना में 2011-12 के दौरान ₹12.66 बिलियन थी जबकि राज्य सरकारों के संबंध में यह 2010-11 के ₹616.80 मिलियन की तुलना में ₹348.50 मिलियन थी। केंद्र सरकार द्वारा अर्थोपाय अग्रिम / ओवरड्राफ्ट का दैनिक औसत उपयोग 2011-12 में ₹142.39 बिलियन था जबकि 2010-11 में यह ₹61.70 बिलियन था। राज्यों के मामले में 2011-12 में अर्थोपाय अग्रिम / ओवरड्राफ्ट का दैनिक औसत उपयोग ₹4.07 बिलियन के साथ कम था जबकि 2010-11 में यह ₹9.26 बिलियन था।

व्यय

XI.7 रिजर्व बैंक के व्यय में एजेंसी प्रभारों/कमीशन और सिक्यूरिटी मुद्रण प्रभारों जैसे रिजर्व बैंक के सांविधिक कार्य करने की प्रक्रिया में आने वाले व्यय के अलावा इसके स्थापना व्यय शामिल होते हैं। 2011-12 में रिजर्व बैंक का कुल व्यय 17.1

सारणी XI.2 : विदेशी स्रोतों से अर्जन

(₹ बिलियन)

मद	वर्ष के दौरान		घट-बढ़	
	जून 30, 2011	जून 30, 2012	संपूर्ण	प्रतिशत
1	2	3	4	5
विदेशी मुद्रा आस्तियां	12,687.44	14,492.81	1,805.37	14.2
औसत विदेशी मुद्रा आस्तियां	12,177.51	13,477.55	1,300.04	10.7
अर्जन (ब्याज, बट्टा, विनियम लाभ/हानि, प्रतिभूतियों पर पूँजीगत लाभ/हानि)	211.50	198.10	-13.40	-6.3
औसत विदेशी मुद्रा आस्तियों के प्रतिशत के रूप में विदेशी मुद्रा (और स्वर्ण) से अर्जन	1.74	1.47		

वार्षिक रिपोर्ट

सारणी XI.3: देशी स्रोतों से अर्जन

(₹ बिलियन)

मद	निम्नलिखित तारीख को		घट-बढ़	
	30 जून 2011	30 जून 2012	संपूर्ण	प्रतिशत
1	2	3	4	5
देशी आस्तियां	5,359.07	7,596.54	2,237.47	41.8
देशी आस्तियों का साप्ताहित औसत	4,220.33	6,140.50	1,920.17	45.5
अर्जन (I + II)	159.20	333.66	174.46	109.6
I. व्याज तथा अन्य आय (मद i से iv)	150.32	323.39	173.07	115.1
(i) प्रतिभूतियों की बिक्री पर लाभ	30.91	93.30	62.39	201.8
(ii) प्रतिभूतियों पर व्याज (अ-आ)	111.66	210.84	99.18	88.8
अ) देशी प्रतिभूतियों पर व्याज, एलएएफ परिचालन और लाभांश	223.22	354.79	131.57	58.9
आ) प्रतिभूतियों पर मूल्यहास	111.56	143.95	32.39	29.0
(iii) ऋणों और अग्रिमों पर व्याज	7.31	18.53	11.22	153.5
(iv) अन्य व्याज प्राप्तियां	0.44	0.72	0.28	63.6
II. अन्य अर्जन (क+ख+ग+घ)	8.88	10.27	1.39	15.6
(क) बट्टा	-	-	-	-
(ख) विनियम	-	-	-	-
(ग) कमीशन	7.81	9.52	1.71	21.9
(घ) वसूला गया किराया और अन्य	1.07	0.75	(-) 0.32	(-) 29.9
प्रतिशत के स्पष्ट में अर्जन (औसत देशी आस्तियों पर)	3.77	5.43	--	--

प्रतिशत बढ़कर ₹101.37 बिलियन हो गया जिसका कारण व्यय के सभी शीर्षों के अंतर्गत वृद्धि होना था। (सारणी XI.4)।

स्थापना व्यय

XI.8 2011-12 में स्थापना व्यय 30.1 प्रतिशत बढ़कर ₹29.93 बिलियन हो गया। इस वृद्धि का मुख्य कारण बीमांकिकी गणना के आधार पर उपदान और अधिवर्षिता निधि की उपचित

देयता में रिजर्व बैंक के अंशदान में वृद्धि होना था। यह अंशदान पिछले वर्ष के ₹2.04 बिलियन की तुलना में 2011-12 में ₹8.22 बिलियन था।

स्थापनेतर व्यय

XI.9 रिजर्व बैंक सरकार के बैंक के रूप में अपना दायित्व एजेंसी बैंक शाखाओं के माध्यम से करता है जो सरकारी लेनदेनों

सारणी XI.4: व्यय

(₹ बिलियन)

मद	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
	1	2	3	4	5
I. व्याज भुगतान	0.03	0.01	0.01	0.55	0.59
जिसमें से : अनुसूचित बैंक *	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
II. स्थापना	14.31	24.48	19.87	23.01	29.93
III. गैर-स्थापना	46.63	57.68	64.15	62.99	70.85
जिसमें से : क) एजेंसी प्रभार / कमीशन	21.11	29.99	28.55	30.12	33.51
ख) प्रतिभूति मुद्रण प्रभार	20.32	20.63	27.54	23.76	27.04
जोड़ (I+II+III)	60.97	82.17	84.03	86.55	101.37

* : भारिं अधिनियम 1934 में किये गये संशोधन के अनुसरण में पत्र नकदी आरक्षित निधि अनुपात शेष पर देय व्याज 31 मार्च 2007 से प्रारंभ पखवाड़ से वापस लिया गया। 2007-08 में राशि का भुगतान पिछले वर्ष से संबंधित नकदी आरक्षित निधि अनुपात शेष पर व्याज के लिए किया गया था।

के लिए खुदरा संस्थाओं के रूप में कार्य करते हैं। रिजर्व बैंक एजेंसी बैंकों को निर्धारित दर पर कमीशन का भुगतान करता है। एजेंसी बैंकों को कमीशन के रूप में भुगतान की गयी राशि 2010-11 के ₹30.12 बिलियन की तुलना में 2011-12 में ₹33.51 बिलियन थी। इस वृद्धि का मुख्य कारण एजेंसी बैंकों द्वारा किये गये सरकारी कारोबार की समग्र मात्रा में वृद्धि होना था जो कि 2010-11 के ₹29.29 बिलियन से बढ़कर 2011-12 में ₹32.13 बिलियन था और इसका कारण उनके द्वारा किए गए सरकारी कारोबार की समग्र मात्रा में वृद्धि होना था। एजेंसी प्रभारों के दो छोटे घटक भी केंद्र सरकार के उधार लेने के कार्यक्रम के लिए प्राथमिक व्यापारियों को हामीदारी कमीशन के रूप में भुगतान किये गये शुल्क और रिजर्व बैंक के विदेशी मुद्रा भंडार के एक छोटे भाग के प्रबंधन का दायित्व सौंपे गए बाव्य आस्ति प्रबंधकों को भुगतान किए गए शुल्क का प्रतिनिधित्व करते हैं। हामीदारी कमीशन पर हुआ व्यय 2010-11 के ₹367.54 मिलियन से बढ़कर 2011-12 में ₹722.69 मिलियन हो गया जिसका कारण केंद्र सरकार द्वारा जारी ऋणों की संख्या और मात्रा बढ़ना था। यह घटक 2010-11 में एजेंसी प्रभारों का 1.2 प्रतिशत था जो बढ़कर 2011-12 में 2.2 प्रतिशत हो गया।

XI.10 सिक्यूरिटी मुद्रण प्रभारों (चेक, नोट फार्म आदि) पर हुआ व्यय 2011-12 में 13.8 प्रतिशत बढ़कर ₹27.04 बिलियन हो गया। इस वृद्धि का मुख्य कारण नोटों की समग्र आपूर्ति और विशेष रूप से उच्च मूल्यवर्ग के नोटों की संख्या में वृद्धि होना था।

भारत सरकार को अंतरणीय अधिशेष

XI.11 भारिबैं अधिनियम, की धारा 47 में यह निर्धारित है कि उसमें परिभाषित किए अनुसार आकस्मिकताओं और मूल निधि के लिए प्रावधान करने के बाद रिजर्व बैंक के लाभ का शेष भारत सरकार को अंतरित किया जाए। भारिबैं अधिनियम की धारा 48 के अनुसार रिजर्व बैंक को अपनी आय पर किसी भी आयकर या सुपर कर के भुगतान से छूट दी गयी है। 2011-12 में भारत सरकार को अंतरणीय अधिशेष ₹160.10 बिलियन था। इसमें सरकार को देय व्यापारयोग्य प्रतिभूतियों में परिवर्तनीय विशेष प्रतिभूतियों पर ₹13.22 बिलियन ब्याज अंतर शामिल है। उक्त ब्याज अंतर के भुगतान का कारण ब्याज व्यय में अंतर के लिए सरकार को मुआवजा देना था जो ऐसी विशेष प्रतिभूतियों के दिनांकित प्रतिभूतियों में रूपांतरण के कारण सरकार को वहन करना था। पिछले पांच वर्षों में सरकार को अंतरित आय, व्यय और अधिशेष की स्थिति सारणी XI.5 में दी गयी है।

आंतरिक आरक्षित निधि में अंतरण

XI.12 आकस्मिकता आरक्षित निधि प्रतिभूतियों के मूल्यहास, विनिमय गारंटी और मौद्रिक/विनिमय दर नीति संबंधी बाध्यताओं से उत्पन्न जोखिम सहित अनपेक्षित और अनदेखी आकस्मिकताएं पूरी करने के लिए वर्ष-दर-वर्ष आधार पर अलग रखी गयी राशि होती है। आंतरिक पूंजी व्यय की आवश्यकता पूरी करने और

सारणी XI.5: सकल आय, व्यय और निवल प्रयोज्य आय की प्रवृत्तियां

(₹ बिलियन)

मद	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
1	2	3	4	5	6
क) कुल आय (सकल)	577.51	607.32	328.84	370.70	531.76
ख) आंतरिक रिजर्व में अंतरण (i+ii)	366.39	275.01	57.18	134.02	270.25
i) आकस्मिक आरक्षित निधि	334.31	261.91	51.68	121.67	246.77
ii) आस्ति विकास आरक्षित निधि	32.08	13.10	5.50	12.35	23.48
ग) कुल आय (निवल)(क-ख)	211.12	332.31	271.66	236.68	261.51
घ) कुल व्यय	60.97	82.18	84.03	86.55	101.37
ड) निवल प्रयोज्य आय (ग-घ)	150.15	250.13	187.63	150.13	160.14
च) निधियों में अंतरण*	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
छ) सरकार को अंतरित अधिशेष (ड - च)	150.11	250.09	187.59	150.09	160.10

*: पांच वर्ष में से प्रत्येक वर्ष 10 मिलियन रुपये की राशि राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घकालीन परिचालन) निधि, राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (दीर्घकालीन परिचालन निधि) राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (स्थिरीकरण) निधि और राष्ट्रीय आवास ऋण (दीर्घकालीन परिचालन) निधि को अंतरित की गयी।

सारणी XI.6: आकस्मिक तथा आस्ति विकास आरक्षित निधि तथा सरकार को अधिशेष का अंतरण

(₹ बिलियन)

मद	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
	1	2	3	4	5
कुल आय (सकल)	577.51	607.32	328.84	370.70	531.76
i) आकस्मिक आरक्षित निधि को अंतरण	334.30	261.91	51.68	121.67	246.77
	(57.9)	(43.1)	(15.7)	(32.8)	(46.4)
ii) आस्ति विकास आरक्षित निधि को अंतरण	32.08	13.10	5.50	12.35	23.48
	(5.6)	(2.2)	(1.7)	(3.3)	(4.4)
iii) अधिशेष का सरकार को अंतरण	150.11	250.09	187.59	150.09	160.10
	(26.0)	(41.2)	(57.0)	(40.5)	(30.1)
व्यय घटाकर कुल आय (सकल) के प्रतिशत के रूप में सरकार को अधिशेष का अंतरण	29.1	47.6	76.6	52.8	37.2

टिप्पणी: कोष्ठकों के आंकड़े कुल आय (सकल) का अनुपात दर्शाते हैं।

अनुषंगी और सहयोगी संस्थाओं में निवेश करने के लिए एक और निधि उपलब्ध करायी जाती है और आस्ति विकास आरक्षित निधि में जमा की जाती है। पिछले पांच वर्षों में आकस्मिकता आरक्षित निधि और आस्ति विकास आरक्षित निधि अंतरण की राशि और कुल आय के प्रतिशत के रूप में सरकार को अंतरित अधिशेष सारणी XI.6 में दिये गये हैं।

तुलन-पत्र

XI.13 रिजर्व बैंक के समग्र तुलन-पत्र का आकार 2011-12 के दौरान काफी बढ़ गया जिसका मुख्य कारण विदेशी मुद्रा आस्तियों की धारिता में दिखे अनुसार मूल्यांकन लाभ और खुले बाजार के परिचालनों के माध्यम से देशी आस्तियों का अधिग्रहण था। देयता पक्ष में, तुलनपत्र में वृद्धि का कारण मुद्रा और स्वर्ण पुनर्मूल्यन खाते ('अन्य देयता' का भाग) में वृद्धि था और एक छोटा कारण संचलन के नोटों (निर्गम विभाग की देयताएं) में वृद्धि था। पहला घटक अमरीकी डॉलर के प्रति भारतीय रूपये के मूल्यहास के कारण विदेशी मुद्रा आस्तियों और स्वर्ण में मूल्यांकन लाभ तथा वर्ष के दौरान स्वर्ण मूल्यों में वृद्धि का प्रभाव दर्शाता है, वहीं दूसरा घटक मांग से प्रेरित था। ये दोनों संयुक्त रूप से रिजर्व बैंक में बैंकों की जमाराशि में आयी गिरावट को संतुलित कर देते हैं। उक्त गिरावट 2011-12 में सी आर आर में कमी करने के कारण आयी थी।

XI.14 रिजर्व बैंक अपना लाभ-हानि लेखा प्रति वर्ष 30 जून को तैयार करता है। इसका फार्मेट भारिबैं सामान्य विनियमावली, 1949 के विनियम 22 के अनुसरण में केंद्रीय बोर्ड केंद्र सरकार के अनुमोदन से निर्धारित करता है।

निर्गम विभाग - देयता

XI.15 निर्गम विभाग की देयता उन करेंसी नोटों के बराबर होती है जो रिजर्व बैंक द्वारा 1 अप्रैल 1935 को कार्यारंभ करने से पहले भारत सरकार ने जारी किये थे और रिजर्व बैंक ने तब से भारिबैं अधिनियम की धारा 34 (1) के संदर्भ में जारी किये हैं। 2010-11 के दौरान संचलन के नोटों में 15.1 प्रतिशत वृद्धि हुई थी जबकि 2011-12 के दौरान इसमें 13.8 प्रतिशत वृद्धि हुई।

निर्गम विभाग - आस्तियां

XI.16 भारिबैं अधिनियम के संदर्भ में निर्गम विभाग की आस्तियों में सोने के सिक्के और बुलियन, विदेशी प्रतिभूतियां, रुपया सिक्के, सरकारी प्रतिभूतियां, आंतरिक विनियम बिल और अन्य वाणिज्यिक पत्र शामिल हैं। रिजर्व बैंक की कुल स्वर्ण धारिता 557.75 मीट्रिक टन है। स्वर्ण-स्टॉक का ₹760.10 बिलियन का एक भाग निर्गम विभाग के तुलन-पत्र की आस्तियों के रूप में चिह्नित किया गया है। ₹690.46 बिलियन का शेष स्वर्ण-स्टॉक बैंकिंग विभाग की आस्ति माना जाता है और बैंकिंग विभाग के तुलन-पत्र में 'अन्य आस्तियां' के रूप में दर्शाया जाता है।

बैंकिंग विभाग - देयताएं

XI.17 बैंकिंग विभाग की देयताओं में निम्नलिखित बातें शामिल हैं:

- क) प्रदत्त पूँजी: रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में निजी शेयरधारकों के बैंक के रूप में की गयी थी जिसकी प्रारंभिक पूँजी ₹0.05 बिलियन थी। 1 जनवरी 1949 को इसे राष्ट्रीयकृत किया

गया और अब इसका संपूर्ण स्वामित्व भारत सरकार के पास है। इसकी प्रदत्त पूँजी भारिबैं अधिनियम की धारा 4 के अनुसरण में निरंतर ₹0.05 बिलियन बनी हुई है।

- ख) आरक्षित निधि: ₹0.05 बिलियन की मूल आरक्षित निधि भारिबैं अधिनियम की धारा 46 के अनुसरण में बनायी गयी थी जो रिजर्व बैंक द्वारा ले ली गई तत्कालीन सॉवरेन सरकार की मुद्रा देयता के बदले केंद्र सरकार के अंशदान के रूप में थी। उसके बाद अक्टूबर 1990 तक सोने के आवधिक पुनर्मूल्यन पर लाभ के माध्यम से इस निधि में ₹64.95 बिलियन जमा किये गये जिससे यह ₹65 बिलियन हो गयी। तब से स्वर्ण और विदेशी मुद्रा पर पुनर्मूल्यन लाभ/हानि को तुलन-पत्र में ‘अन्य देयताएं’ शीर्ष के तहत सीजीआरए में दर्शाया जाता है।
- ग) राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि: यह निधि जुलाई 1964 में भारिबैं अधिनियम की धारा 46सी के तहत स्थापित की गयी थी जिसकी प्रारंभिक मूल निधि ₹100 मिलियन और पात्र वित्तीय संस्थाओं को वित्तीय सहायता के लिए रिजर्व बैंक का वार्षिक अंशदान थी। इस निधि में 1992-93 से प्रति वर्ष ₹10 मिलियन की मात्र सांकेतिक राशि का अंशदान किया जाता है।
- घ) राष्ट्रीय आवास ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि: यह निधि जनवरी 1989 में भारिबैं अधिनियम की धारा 46डी के तहत स्थापित की गयी थी जिसकी प्रारंभिक मूल निधि ₹500 मिलियन और उसके बाद राष्ट्रीय आवास बैंक के वित्तीय निभाव के लिए रिजर्व बैंक द्वारा दिये जाने वाले अंशदान हैं। इस निधि में 1992-93 से प्रति वर्ष ₹10 मिलियन की मात्र सांकेतिक राशि का अंशदान किया जाता है। जिसमें राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि और राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (स्थरीकरण) निधि नामक दो अन्य निधियां भी हैं जिनकी स्थापना भारिबैं अधिनियम की धारा 46ए के तहत की गयी है और जिन्हें अब नाबार्ड के पास रखा गया है। इस निधि में प्रति वर्ष ₹10 मिलियन की सांकेतिक राशि का अंशदान प्रत्येक में किया जाता है।
- ङ) जमाराशि: इसमें रिजर्व बैंक में केंद्र और राज्य सरकारों, बैंकों, नियात-आयात बैंक, नाबार्ड आदि जैसी अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं, विदेशी केंद्रीय बैंकों, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय

संस्थाओं, कर्मचारी भविष्य निधि, उपदान और अधिवर्षिता निधि संबंधी विविध खातों के नकदी शेष शामिल हैं।

जमाराशि - सरकार

रिजर्व बैंक भारिबैं अधिनियम की धारा 20 और 21 के अनुसरण में केंद्र सरकार के बैंकर के रूप में कार्य करता है और धारा 21ए के अनुसरण में राज्य सरकारों के साथ पारस्परिक करार करके उनके बैंकर के रूप में कार्य करता है। तदनुसार, केंद्र और राज्य सरकारों रिजर्व बैंक में जमाराशियां रखते हैं।

जमाराशियां - बैंक

ये वे शेष होते हैं जो बैंक भुगतान और निपटान दायित्व पूरे करने के लिए कार्यशील निधि के रूप में सीआरआर बनाए रखने के लिए रिजर्व बैंक में अपने चालू खाते में बनाए रखते हैं। 2011-12 में बैंकों की जमाराशियों में लगभग 10 प्रतिशत की गिरावट मुख्यतः वर्ष के दौरान सीआरआर में 125 आधार अंकों की संचयी कटौती को दर्शाती है।

जमाराशियां - अन्य

इसमें वित्तीय संस्थाओं की जमाराशियां, कर्मचारियों की भविष्य निधि और फुटकर जमाराशियां शामिल होती हैं।

च) देय बिल: यह डिमांड ड्राफ्ट और भुगतान आदेश जिनका भुगतान बाकी है और जारी किये गये डिमांड ड्राफ्ट का नकदीकरण होने तक विप्रेषण समाशोधन खाते के तहत के शेष शामिल हैं।

छ) अन्य देयताएं: अंतरिक आरक्षित निधि और रिजर्व बैंक के प्रावधान अन्य देयताओं के मुख्य घटक हैं। विशिष्ट उप-शीर्षों के संदर्भ में अन्य देयताओं में आकस्मिकता आरक्षित निधि, आस्ति विकास आरक्षित निधि, मुद्रा और स्वर्ण पुनर्मूल्यन खाता, विदेशी मुद्रा समकरण खाता, निवेश पुनर्मूल्यन खाता और सरकार को न किया गया अंतरणीय शेष और बकाया व्ययों के प्रावधान शामिल हैं। अन्य देयताएं 30 जून 2011 के ₹4,141.97 बिलियन से बढ़कर 30 जून 2012 को ₹7,263.55 बिलियन हो गयीं जिसका मुख्य कारण मुद्रा और स्वर्ण पुनर्मूल्यन खाते में वृद्धि था। ‘अन्य देयताएं’ में दर्शायी गयी आकस्मिकता आरक्षित निधि और आस्ति विकास आरक्षित निधि रिजर्व बैंक द्वारा तुलन-पत्र के अलग शीर्ष में धारित ₹65 बिलियन की आरक्षित निधि के अतिरिक्त है।

मुद्रा और स्वर्ण पुनर्मूल्यन खाता, विदेशी मुद्रा समकरण खाता और निवेश पुनर्मूल्यन खाता

XI.18 विदेशी मुद्रा दरों/स्वर्ण मूल्य में घट-बढ़ के चलते विदेशी मुद्रा आस्तियों और स्वर्ण के मूल्यन में होने वाला लाभ/हानि लाभ और हानि खाते में नहीं लिया जाता बल्कि मुद्रा और स्वर्ण पुनर्मूल्यन खाता नामक तुलन-पत्र के शीर्ष के तहत लिखा जाता है। इस खाते का शेष विदेशी मुद्रा आस्तियों और स्वर्ण के मूल्यन पर संचित निवल लाभ होता है। 2011-12 के दौरान मुद्रा और स्वर्ण पुनर्मूल्यन खाते में ₹2,908.86 बिलियन की वृद्धि हुई जिससे इसका शेष 30 जून 2011 के ₹1,822.86 बिलियन से बढ़कर 30 जून 2012 को ₹4,731.72 बिलियन हो गया। इसने स्वर्ण-मूल्य में वृद्धि और अन्य मुद्राओं के प्रति अमरीकी डॉलर में मूल्यवृद्धि, जिनमें रिजर्व बैंक की विदेशी मुद्रा आस्तियां रखी जाती हैं, से हुए संतुलन के बाद के अमरीकी डॉलर के प्रति रूपये में हुआ मूल्यहास दर्शाया।

XI.19 विदेशी मुद्रा समकरण खाते का शेष वायदा प्रतिबद्धताओं से उभरने वाली विनिमय हानियों को दर्शाता है। 30 जून 2012 को विदेशी मुद्रा समकरण खाते का शेष ₹24.05 बिलियन था।

XI.20 रिजर्व बैंक विदेशी दिनांकित प्रतिभूतियों का मूल्यन प्रत्येक माह के अंतिम कारोबारी दिन को प्रचलित बाजार मूल्यों पर करता है और उससे उभरने वाली मूल्यवृद्धि/मूल्यहास निवेश पुनर्मूल्यन खाते में अंतरित किया जाता है। 30 जून 2012 को निवेश पुनर्मूल्यन खाते का शेष ₹122.22 बिलियन था। मुद्रा और स्वर्ण पुनर्मूल्यन खाते, विदेशी मुद्रा समकरण खाते और निवेश पुनर्मूल्यन खाते के शेष तुलन-पत्र में ‘अन्य देयताएं’ के तहत समूहबद्ध किये जाते हैं (सारणी XI.7)।

सारणी XI.7: मुद्रा और स्वर्ण पुनर्मूल्यन खाते (सीजीआरए), विदेशी मुद्रा समकरण खाते (ईईए) और निवेश पुनर्मूल्यन खाते (आईआरए)में शेष राशियां

(₹ बिलियन)

30 जून को	मुद्रा और स्वर्ण पुनर्मूल्यन खाता	विदेशी मुद्रा समकरण खाता	निवेश पुनर्मूल्यन खाता
1	2	3	4
2008	1,632.12	0.00	-
2009	1,988.42	0.27	-
2010	1,191.34	0.19	93.71
2011	1,822.86	0.01	42.69
2012	4,731.72	24.05	122.22

आकस्मिकता आरक्षित निधि

XI.21 रिजर्व बैंक आकस्मिकता आरक्षित निधि बनाये रखता है ताकि वह अनपेक्षित और अनदेखी आकस्मिकताओं का सामना कर सके। 2011-12 के दौरान रिजर्व बैंक की आय से आकस्मिकता आरक्षित निधि में ₹246.77 बिलियन के अंतरण से आकस्मिकता आरक्षित निधि का शेष 30 जून 2012 को बढ़कर ₹1,954.05 बिलियन हो गया।

आस्ति विकास आरक्षित निधि

XI.22 रिजर्व बैंक ने आंतरिक पूंजी व्यय पूरा करने और अपनी सहयोगी तथा संबद्ध संस्थाओं में निवेश करने के लिए 1997-98 में एक अलग आस्ति विकास आरक्षित निधि का गठन किया जिसका लक्ष्य संयुक्त रूप से आकस्मिकता आरक्षित निधि और आस्ति विकास आरक्षित निधि के लिए 12 प्रतिशत के समग्र सांकेतिक लक्ष्य के भीतर रिजर्व बैंक की कुल आस्तियों के एक प्रतिशत तक पहुंचना था। 2011-12 में आय से आस्ति विकास आरक्षित निधि में ₹23.48 बिलियन के अंतरण से इसका स्तर बढ़कर 30 जून 2012 को ₹182.14 बिलियन हो गया। 30 जून 2012 को संयुक्त रूप से आकस्मिकता आरक्षित निधि और आस्ति विकास आरक्षित निधि रिजर्व बैंक की कुल आस्तियों का 9.7 प्रतिशत थी (सारणी XI.8)। अब आस्ति विकास आरक्षित निधि रिजर्व बैंक की कुल आस्तियों के 1 प्रतिशत की अपेक्षा की तुलना में 0.8 प्रतिशत है।

बैंकिंग विभाग - आस्तियां

XI.23 बैंकिंग विभाग की आस्तियों में नोट, रुपया सिक्के, छोटे सिक्के, खरीदे और बट्टाकृत किये गये बिल, विदेश में धारित शेष, निवेश, ऋण और अग्रिम तथा अन्य आस्तियां शामिल होती हैं। तुलन-पत्र में इन्हें चलनिधि के उत्तरते क्रम में दर्शाया जाता है।

सारणी XI.8: आकस्मिक आरक्षित निधि और आस्ति विकास आरक्षित निधि में शेष राशियां

(₹ बिलियन)

30 जून को आकस्मिक आ. निधि में शेष	आस्ति विकास आ. निधि में शेष	कुल 4=(2+3)	कुल आस्तियों का प्रतिशत
1	2	3	5
2008	1,272.01	127.72	1,399.73
2009	1,533.92	140.82	1,674.74
2010	1,585.61	146.32	1,731.92
2011	1,707.28	158.66	1,865.94
2012	1,954.05	182.14	2,136.19

नोट, रुपया सिक्के और छोटे सिक्के

XI.24 यह बैंक नोटों, एक रुपये के नोट, 1, 2, 5 और 10 रुपयों के सिक्के और छोटे सिक्कों का स्टॉक है जो एक बैंकर के रूप में सामान्य भुगतान और प्राप्तियों के लेनदेन करते समय उभरने वाली आवश्यकताएं पूरी करने के लिए बैंकिंग विभाग के बाल्ट में रखे जाते हैं।

क्रय और बट्टाकृत किए गए बिल

XI.25 यद्यपि रिजर्व बैंक भारिबैं अधिनियम के तहत वाणिज्यिक बिलों का क्रय और बट्टाकरण कर सकता है किंतु वर्तमान में रिजर्व बैंक की बहियों में ऐसी कोई आस्ति नहीं है।

विदेश में धारित शेष

XI.26 यह विदेश में धारित मुद्रा का शेष होता है। यह बैंकिंग विभाग की आस्तियों के तहत दर्शाया गया बैंक की विदेशी मुद्रा आस्तियों का भाग होता है। विदेशी मुद्रा आस्तियों का अन्य भाग निर्गम विभाग की आस्तियों के तहत दर्शायी गयी विदेशी प्रतिभूतियां होती हैं और वे जो बैंकिंग विभाग की आस्तियों के रूप में बैंक के निवेश में शामिल होती हैं।

विदेशी मुद्रा आस्तियां

XI.27 भारिबैं अधिनियम में विदेशी मुद्रा आस्तियों और सोने के अभिनियोजन का विधिक ढांचा दिया गया है। विदेशी मुद्रा आस्तियों में अन्य केंद्रीय बैंकों, अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक, विदेशी

सारणी XI.9: विदेशी मुद्रा आस्तियां और देशी आस्तियां

(₹ बिलियन)

30 जून को	विदेशी मुद्रा आस्तियां	देशी आस्तियां
1	2	3
2008	12,985.52	1,644.31
2009	12,175.42	1,906.53
2010	11,644.31	3,885.94
2011	12,687.44	5,359.07
2012	14,492.81	7,596.54

वाणिज्य बैंकों में रखी गयी जमाराशि, सरकारी और अधिराष्ट्रीय संस्थाओं और रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड द्वारा उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप अनुमोदित किये गये लिखत या संस्थाओं के ऋण की प्रतिनिधि प्रतिभूतियां शामिल हैं। 2011-12 में विदेशी मुद्रा आस्तियों में रुपये की दृष्टि से हुई वृद्धि का मुख्य कारण अन्य मुद्राओं के प्रति अमरीकी डॉलर में मूल्यवृद्धि, जिनमें रिजर्व बैंक विदेशी मुद्रा आस्तियां रखता है, के लिए समायोजन के बाद अमरीकी डॉलर के प्रति रुपये में हुआ मूल्यहास था। बकाया विदेशी मुद्रा आस्तियों और देशी आस्तियों की पिछले पांच वर्षों की स्थिति सारणी XI.9 में दी गयी है।

XI.28 विदेशी मुद्रा आस्तियां देश की विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि का मुख्य भाग होती हैं। विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि की पिछले दो वर्षों की स्थिति सारणी XI.10 में दी गयी है। यह उल्लेखनीय है कि विशेष आहरण अधिकार और रिजर्व ट्रांच पोजिशन भारत की आधिकारिक आरक्षित निधि का भाग होती है

सारणी XI.10: विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि

(₹ बिलियन)

मद	निम्नलिखित तारीख को			घट-बढ़
	30 जून 2011	30 जून 2012	संपूर्ण	
1	2	3	4	5
क. विदेशी मुद्रा आस्तियां	12,687.44	14,492.81 #	1,805.37	14.2
ख. स्वर्ण	1,103.17	1,450.56 @	347.39	31.5
ग. विशेष आहरण अधिकार (एसडीआर)	206.32	246.59	40.27	19.5
घ. आईएमएफ में आरक्षित निधियों की स्थिति *	133.03	162.99	29.96	22.5
कुल विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि (क + ख + ग + घ)	14,129.96	16,352.95	2,222.99	15.7

: विदेशी मुद्रा आस्तियों का विस्तृत संयोजन लेखा के नोट के पैरा 8 में दिया गया है।

@ : इसमें से ₹760.10 बिलियन का स्वर्ण निर्गम विभाग के आस्ति के रूप में रखा गया है तथा ₹690.46 बिलियन का स्वर्ण बैंकिंग विभाग के तुलन-पत्र में 'अन्य आस्तियां' के अंतर्गत दर्शाया गया है।

* : अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) में आरक्षित निधियों की स्थिति, जिसे 23 मई 2003 से 26 मार्च 2004 तक ज्ञापन मद के रूप में दर्शाया गया था, को 2 अप्रैल 2004 को समाप्त सप्ताह से आरक्षित निधि में शामिल किया गया है।

किंतु यह भारत सरकार द्वारा धारित होते हैं अतः रिजर्व बैंक के तुलना-पत्र में नहीं दर्शाये जाते।

XI.29 रिजर्व बैंक ने अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की उधार लेने की नयी व्यवस्था के तहत विशेष आहरण अधिकार 8,740.82 मिलियन (₹746.93 बिलियन/13.26 बिलियन अमरीकी डॉलर) तक के संसाधन उपलब्ध कराने की सहमति दी है। 30 जून 2012 को विशेष आहरण अधिकार 1,020 मिलियन (₹87.16 बिलियन/1.55 बिलियन अमरीकी डॉलर) का निवेश उधार लेने की नयी व्यवस्था के तहत जारी नोटों में किया गया।

XI.30 रिजर्व बैंक ने इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनैन्स कंपनी (यूके) लिमिटेड द्वारा जारी बांडों में निवेश करने की सहमति दी है जिसकी राशि 5 बिलियन अमरीकी डॉलर (₹281.55 बिलियन) से अधिक नहीं होनी चाहिए। 30 जून 2012 की स्थिति के अनुसार रिजर्व बैंक ने इन बांडों में 673 मिलियन अमरीकी डॉलर (₹37.90 बिलियन) का निवेश किया था।

निवेश

XI.31 निवेश (₹6,305.90 बिलियन जो कि बैंकिंग विभाग की आस्तियों के रूप में दिखते हैं) में मुख्यतः निम्नलिखित मद्दें होती हैं:

- भारत सरकार की रुपया प्रतिभूतियां (पिछले वर्ष के ₹2,950.37 बिलियन की तुलना में ₹4,827.27 बिलियन)।
- निर्गम विभाग की देयताओं में भावी विस्तार के प्रति बैंकिंग विभाग में आस्ति सहारे के रूप में निर्धारित और रखी गयी विदेशी प्रतिभूतियां (पिछले वर्ष के ₹548.34 बिलियन की तुलना में ₹588.03 बिलियन)।
- बीआईएस में और विश्वव्यापी वित्तीय दूरसंचार समिति (स्विफ्ट) में रखे गए शेयर जो कि पिछले वर्ष के ₹2.13 बिलियन की तुलना में ₹2.54 बिलियन है।
- पुनर्क्रय करार (रिपो) के तहत प्राप्त सरकारी प्रतिभूतियां और रिवर्स रिपो विक्रय के लिए संपार्श्चक के रूप में प्रयुक्त प्रतिभूतियों के प्रति घटायी गयी सीमांत स्थायी सुविधा

(पिछले वर्ष के ₹1,072.02 बिलियन की तुलना में ₹874.86 बिलियन)

v) सहायक/अनुषंगी संस्थाओं में धारिता (पिछले वर्ष जैसे ही ₹13.20 बिलियन)।

XI.32 इसके अतिरिक्त, भारत सरकार की ₹10.46 बिलियन (पिछले वर्ष भी यही स्थिति थी) की रुपया प्रतिभूतियां भी निर्गम विभाग की आस्तियों के रूप में रखी गयी हैं। 30 जून 2012 को, निर्गम विभाग और बैंकिंग विभाग में रखी गयी भारत सरकार की ये प्रतिभूतियां जो कि ऊपर मद संख्या (i) में दर्शाई गयी हैं, वे संयुक्त रूप से पिछले वर्ष के ₹2,960.83 बिलियन की तुलना में ₹4,837.73 बिलियन थी। ऊपर मद संख्या (i) में दर्शाई गई सरकारी प्रतिभूतियों में काफी वृद्धि होने का मुख्य कारण रिजर्व बैंक द्वारा किए गए खुले बाजार के क्रय था।

XI.33 ऊपर (ii) और (iii) मदें संयुक्त रूप से (अर्थात ₹590.57 बिलियन) बैंकिंग विभाग में ‘निवेश’ का एफसीए घटक होते हैं।

XI.34 शेयरों में निवेश का मूल्यन लागत पर किया जाता है। वर्ष के दौरान ऐसे निवेशों की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। (सारणी XI.11)।

सारणी XI.11: सहायक/अनुषंगी संस्थाओं के शेयरों में निवेश

(₹ बिलियन)

संस्था का नाम	निम्न तारीख को धारित शेयरों का बही मूल्य	
	30 जून 2011	30 जून 2012
1	2	3
1. निष्केप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम	500.00	500.00
2. राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक	200.00	200.00
3. राष्ट्रीय आवास बैंक	4,500.00	4,500.00
4. भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण (प्रा.) लि.	8,000.00	8,000.00
कुल	13,200.00	13,200.00

*: भारत सरकार के निर्णय के अनुसरण में रिजर्व बैंक ने नाबाड़ से अपने हिस्से को वापस ले लिया। इस प्रकार, नाबाड़ की 20 बिलियन रुपये की शेयर पूँजी में से अपने 72.5 प्रतिशत हिस्से में से रिजर्व बैंक ने 71.5 प्रतिशत हिस्से को 13 अक्टूबर 2010 को सम मूल्य पर भारत सरकार को अंतरित किया। अब रिजर्व बैंक के पास नाबाड़ का 1 प्रतिशत हिस्सा रहा है।

ऋण और अग्रिम

XI.35 ये निम्नलिखित को दिए गए ऋण और अग्रिम हैं:

- i) केंद्र और राज्य सरकारें - ये ऋण भारिबैं अधिनियम की धारा 17(5) के अनुसरण में दिए गए अर्थोपाय अग्रिम और ओवर ड्राफ्ट सुविधा के रूप में होते हैं जिसकी सीमाएं भारत सरकार के साथ परामर्श करके समय-समय पर निर्धारित की जाती हैं।
- ii) वाणिज्य और सहकारी बैंक - यह बैंकों के लिए उपलब्ध करायी गयी पुनर्वित्त सुविधा होती है।
- iii) नाबार्ड - रिजर्व बैंक भारिबैं अधिनियम की धारा 17 (4ई) के तहत नाबार्ड को ऋण दे सकता है।
- iv) अन्य - इसमें मुख्यतः नियात आयात बैंक और प्राथमिक व्यापारियों को दिए गए ऋण होते हैं।

अन्य आस्तियां

XI.36 'अन्य आस्तियां' में अचल आस्तियां (मूल्यहास छोड़कर), बैंकिंग विभाग के शीर्ष के तहत विदेश में धारित स्वर्ण,

पूरी न हुई परियोजनाओं पर हुए व्यय की राशि और स्टाफ अग्रिम, अर्जित किंतु अप्राप्त आय आदि शामिल हैं। अन्य आस्तियां का मूल्य ₹204.11 बिलियन बढ़कर 30 जून 2012 को ₹902.60 बिलियन हो गया जिसका मुख्य कारण स्वर्ण-धारिता का मूल्य 30 जून 2011 के ₹525.11 बिलियन से 31.5 प्रतिशत बढ़कर 30 जून 2012 को ₹690.46 बिलियन हो जाना था।

लेखापरीक्षक

XI.37 रिजर्व बैंक के 2011-12 के लेखाओं की लेखापरीक्षा सांविधिक केंद्रीय लेखापरीक्षकों के रूप में मेसर्स वी. शंकर अय्यर एंड कंपनी और मेसर्स जैन चौधरी एंड कंपनी द्वारा की गयी। शाखा और अन्य कार्यालयों की लेखापरीक्षा सांविधिक शाखा लेखापरीक्षकों, नामतः मेसर्स रामानंद अय्यर एंड कंपनी, नयी दिल्ली, मेसर्स के.के.मानकेश्वर एंड कंपनी, नागपुर, मेसर्स एम. के.दांडेकर एंड कंपनी, चेन्नै और मेसर्स एस.एन.गुहा एंड कंपनी, कोलकाता द्वारा की गयी। इन लेखापरीक्षकों की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा भारिबैं अधिनियम, 1934 की धारा 50 के संदर्भ में की गयी थी।

वार्षिक रिपोर्ट

भारतीय रिज़र्व बैंक 30 जून 2012 का तुलन-पत्र निर्गम विभाग

(₹ हजार)

2010-11	देयताएं	2011-12	2010-11	आस्तियां	2011-12
151,426 9692,612,385	बैंकिंग विभाग में रखे गये नोट	89,169 11034,645,327	578,065,257 -	स्वर्ण सिक्के तथा सोना-चांदी: (क) भारत में धारित (ख) भारत के बाहर धारित	760,096,797 -
9692,763,811	परिचालन में नोट	11034,734,496	9101,656,191 9679,721,448 2,578,063 10,464,300 -	विदेशी प्रतिशूलियां कुल रुपया सिक्के भारत सरकार की रुपया प्रतिशूलियां आंतरिक विनियम पत्र एवं अन्य वाणिज्यिक पत्र	10261,966,851 11022,063,648 2,206,548 10,464,300 -
9692,763,811	कुल देयताएं	11034,734,496	9692,763,811	कुल आस्तियां	11034,734,496

बैंकिंग विभाग

(₹ हजार)

2010-11	देयताएं	2011-12	2010-11	आस्तियां	2011-12
50,000	प्रदत्त पूँजी	50,000	151,426	नोट	89,169
65,00,000	आरक्षित निधि	65,00,000	534	रुपया सिक्के	418
200,000	राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दोर्घावधि परिचालन) निधि	210,000	225	छोटे सिक्के	125
1,940,000	राष्ट्रीय आवास ऋण (दोर्घावधि परिचालन) निधि	1,950,000		खरीदे तथा भुनाये गये बिलः (क) आंतरिक (ख) बाह्य (ग) सरकारी खजाना बिल	
	जपाराशि				
(क) सरकार			3035,309,297	विदेशों में रखी गयी राशि	3640,273,093
1,005,130	(i) केंद्र सरकार	1,004,903			
424,443	(ii) राज्य सरकारें	424,570			
(ख) बैंक			4586,062,175	निवेश	6305,897,052
3812,064,138	(i) अनुसूचित वाणिज्य बैंक	3419,535,741			
36,798,218	(ii) अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	33,242,701			
57,553,642	(iii) अन्य अनुसूचित सहकारी बैंक	53,643,644			
673,180	(iv) गैर अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	916,213			
103,578,103	(v) अन्य बैंक	92,870,015			
124,307,591	(ग) अन्य	122,045,831			
	देय बिल	270,361	7,700,000 765,100	निम्नलिखित को दिये गये ऋण तथा अग्रिमः (i) केंद्र सरकार (ii) राज्य सरकार	7,307,400
8,331,436			17,466,900	निम्नलिखित को दिये गये ऋण तथा अग्रिमः (i) अनुसूचित वाणिज्य बैंक (ii) अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक (iii) अन्य अनुसूचित सहकारी बैंक (iv) गैर अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक (v) नाबाड़	167,962,800 390,000 1,290,000 -
4141,971,513	अन्य देयताएं	7263,548,128	7,952,848	(vi) अन्य	28,902,498
				राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दोर्घावधि परिचालन) निधि से ऋण, अग्रिम तथा निवेशः	
				(क) निम्नलिखित को दिये गये ऋण तथा अग्रिमः (i) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (ii) भारतीय नियात-आयात बैंक (iii) भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक लि. (iv) अन्य	
				(ख) निम्नलिखित द्वारा जारी किये गये बांडों/डिबेचरों में निवेश (i) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (ii) भारतीय नियात-आयात बैंक (iii) भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक लि. (iv) अन्य	
				राष्ट्रीय आवास ऋण (दोर्घावधि परिचालन) निधि से ऋण, अग्रिम तथा निवेशः	
				(क) राष्ट्रीय आवास बैंक को ऋण और अग्रिम (ख) राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा जारी बांडों/डिबेचरों में निवेश	
8353,897,394	कुल देयताएं	11054,712,107	698,488,889	अन्य आस्तियां	902,599,552

अनुबंध के अनुसार महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां और लेखा-नोट्स।

रिजर्व बैंक का 2011-12 का लेखा

30 जून 2012 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ-हानि लेखा

(₹ हजार)

2010-11	आय	2011-12
236,682,172	ब्याज, बट्टा, विनियय, कर्मीशन, आदि 1	261,508,821
236,682,172	जोड़	261,508,821
	व्यय	
550,644	ब्याज	587,780
23,007,071	स्थापना	29,934,972
22,961	निदेशकों और स्थानीय बोर्ड के सदस्यों के शुल्क और व्यय	29,802
455,277	खजाना प्रेषण	528,245
30,124,883	एजेंसी प्रभार	33,508,790
23,763,720	प्रतिशुल्त मुद्रण (चेक, नोट फार्म आदि)	27,037,058
233,259	मुद्रण और लेखन-सामग्री	257,177
718,443	डाक-टिकट और दूरसंचार प्रभार	804,859
855,027	किराया, कर, बीमा, बिजली आदि	1,022,927
31,386	लेखा-परीक्षकों के शुल्क और व्यय	26,794
32,684	विधि प्रभार	27,879
2,439,195	बैंक संपत्ति का मूल्यहास और उसकी मरम्मत	2,424,716
4,317,622	विधिव्यवहार	5,177,822
86,552,172	जोड़	101,368,821
150,130,000	उपलब्ध शेष राशि	160,140,000
	घटाइएः निम्नलिखित में अंशदानः	
	राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दोषावधि परिचालन) निधि	10,000
	राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (दोषावधि परिचालन) निधि	10,000
	राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (स्थिरीकरण) निधि	10,000
	राष्ट्रीय आवास ऋण (दोषावधि परिचालन) निधि	10,000
40,000		40,000
150,090,000	केंद्रीय सरकार को देय अधिशेष	160,100,000

1. भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 47 के अनुसार 270,254,407 हजार रुपये (2010-11 में 134,019,026 हजार रुपये) का सामन्य या आवश्यक प्रावधान करने के बाद।
 2. यह निधियां राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नार्बांड) के पास हैं।

ए.के.बेरा
मुख्य महाप्रबंधक

एच.आर खान
उप गवर्नर

आनंद मिन्हा
उप गवर्नर

सुबीर गोकर्ण
उप गवर्नर

के.सी.चक्रवर्ती
उप गवर्नर

डी.मुम्बाराव
गवर्नर

लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट

भारत के राष्ट्रपति की सेवा में

हम भारतीय रिजर्व बैंक (जिसे आगे बैंक कहा गया है) के अधोहस्ताक्षरी लेखा-परीक्षक इसके द्वारा केंद्रीय सरकार को 30 जून 2012 की स्थिति का बैंक का तुलन-पत्र और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए लाभ-हानि लेखे पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं।

हमने भारतीय रिजर्व बैंक के 30 जून 2012 की स्थिति के तुलन-पत्र की ओर उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए बैंक के लाभ-हानि लेखे की जांच की है और यह रिपोर्ट करते हैं कि हमने बैंक से जो जानकारी और स्पष्टीकरण मांगा वह जानकारी और स्पष्टीकरण हमें दिये गये और वे संतोषजनक हैं।

इन वित्तीय विवरणों में बैंक की उन्नीस लेखा यूनिटों के लेखे शामिल किये गये हैं जो साधारण शाखा लेखा-परीक्षकों द्वारा परीक्षित हैं। शाखा लेखा-परीक्षा रिपोर्ट हमें प्रस्तुत की गयी हैं जिन्हें हमने रिपोर्ट तैयार करते समय विचारार्थ लिया है।

इन वित्तीय विवरणों के प्रति उत्तरदायित्व बैंक-प्रबंधन का है। हमारा दायित्व अपनी लेखा-परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों के संबंध में अभिमत व्यक्त करना है।

हमने भारत में आमतौर पर स्वीकृत लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप यह लेखापरीक्षा की है। इन मानकों में यह अपेक्षित है कि हम अपने लेखापरीक्षा के कार्य की आयोजना ऐसे करें जिससे समुचित आश्वासन प्राप्त हो सके कि वित्तीय विवरण में राशि तथ्यात्मक दृष्टि से गलत-बयानी से मुक्त हो। लेखा-परीक्षा में, परीक्षण आधार पर, वित्तीय विवरण में राशि और प्रकटन की पुष्टि करनेवाले साक्ष्यों की जाँच शामिल है। लेखापरीक्षा में प्रयुक्त लेखांकन सिद्धांतों तथा प्रबंधन द्वारा किये गये महत्वपूर्ण आकलनों का निर्धारण तथा समग्र वित्तीय विवरण प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन भी शामिल है। हम विश्वास करते हैं कि हमारी लेखा-परीक्षा में हमारी राय के लिए पर्याप्त आधार है।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिये गये स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा बैंक की लेखा-बहियों में दर्ज महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और लेखाओं पर टिप्पणियों के साथ पठित यह तुलन-पत्र पूर्ण और सही है जिसमें सभी आवश्यक विवरण दिए गए हैं तथा इसे भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 तथा उसके अंतर्गत बनायी गयी विनियमावली के अनुसार सही तरीके से बनाया गया है ताकि भारत में आमतौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप इससे बैंक के कार्यों की सच्ची और सही स्थिति का पता लग सके।

कृते वी. शंकर अच्युत ऐंड कं.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीयन सं.109208 डब्ल्यू
एस.वेक्टरामन
भागीदार
(सदस्यता क्र.34319)

कृते जैन चौधरी ऐंड कं.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीयन सं.113267डब्ल्यू
एस.सी.जैन
भागीदार
(सदस्यता क्र.14871)

दिनांक: 9 अगस्त 2012

स्थान: मुंबई

भारतीय रिज़र्व बैंक

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां और वर्ष 2011-12 के लेखे पर टिप्पणियां

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

1. परंपरा

वित्तीय विवरण भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 तथा उसके अंतर्गत जारी की गयी अधिसूचनाओं के अनुसार और भारतीय रिज़र्व बैंक सामान्य विनियमावली, 1949 द्वारा निर्धारित फार्म में तैयार किये जाते हैं और जहां पुनर्मूल्यन को दर्शाने हेतु संशोधन किया गया हो उसे छोड़कर, पारंपरिक लागत पर आधारित हैं।

विवरणों में अपनायी गयी लेखांकन-प्रणालियां और नीतियां, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया गया हो, गत वर्ष के लिए अपनायी गयी लेखांकन प्रणालियों और नीतियों के अनुरूप हैं।

2. राजस्व निर्धारण

आय और व्यय का निर्धारण दंडात्मक ब्याज और लाभांश को छोड़कर, उपचित आधार पर किया जाता है क्योंकि उनकी गणना प्राप्ति-आधार पर की जाती है। केवल वसूली गयी प्राप्तियों को ही आय के रूप में माना जाता है।

देय ड्राफ्ट लेखा, भुगतान आदेश लेखा, फुटकर जमा लेखा, विप्रेषण समाशोधन खाता तथा बयाना जमाराशि खाता सहित क्रतिपय अस्थायी लेखाओं में लगातार तीन वर्ष से अधिक अवधि के लिए अदावी और बकाया शेष का पुनरीक्षण किया जाता है और आय में पुनः शामिल किया जाता है। इससे संबंधित दावों पर विचार किया जाता है और भुगतान के वर्ष में आय के प्रति प्रभारित किया जाता है।

विदेशी मुद्रा में आय और व्यय को पूर्ववर्ती सप्ताह / पूर्ववर्ती माह / वर्षात के अंतिम कारोबार के दिन प्रचलित विनियम दरों के आधार पर दर्शाया जाता है।

3. स्वर्ण तथा विदेशी मुद्रा आस्तियां और देयताएं

स्वर्ण तथा विदेशी मुद्रा आस्तियों और देयताओं का हिसाब निपटान के दिनांक के आधार पर होता है।

(क) स्वर्ण

स्वर्ण का मूल्य निर्धारण माह के अंत में उस माह के लिए औसत दैनिक लंदन मूल्य के 90 प्रतिशत पर किया जाता है। उसके समकक्ष रूपये का निर्धारण उक्त माह के अंतिम कारोबार के दिन प्रचलित विनियम दर के आधार पर किया जाता है। अप्राप्त लाभ / हानि को मुद्रा और स्वर्ण पुनर्मूल्यन खाते (सीजीआरए) में जमा/नामे किया जाता है।

(ख) विदेशी मुद्रा आस्तियां और देयताएं

विदेशी मुद्रा की सभी आस्तियां और देयताएं सप्ताह के अंतिम कारोबार के दिन तथा माह के अंतिम कारोबार के दिन प्रचलित विनियम दरों पर दर्शायी जाती हैं। वर्ष के अंत में विदेशी मुद्राओं में आस्तियां और देयताएं, उन मामलों को छोड़कर जहां दरों संविदागत रूप में निर्धारित हैं, अंतिम कारोबार के दिन प्रचलित विनियम दरों पर दर्शायी जाती हैं। विदेशी मुद्रा आस्तियों और देयताओं के ऐसे लेनदेन से होने वाले विनियम लाभ या हानियां सीजीआरए में हिसाब में ली जाती हैं और उसमें समायोजित रहती हैं। वायदा मुद्रा संविदाओं का मूल्यांकन छमाही आधार पर किया जाता है और यदि कोई निवल हानि हो तो उसके लिए विदेशी मुद्रा समकरण खाते में प्रावधान किया जाता है।

खजाना बिलों से भिन्न विदेशी प्रतिभूतियों का मूल्यन प्रति माह अंतिम कारोबारी दिन प्रचलित बाजार मूल्य पर किया जाता है जिसका अपवाद ‘अवधिपूर्णता तक धारित’ प्रतिभूतियां होती हैं जिनका मूल्यांकन लागत पर किया जाता है। मूल्यवृद्धि या मूल्यहास, यदि कोई हो, निवेश पुनर्मूल्यन खाते में अंतरित किया जाता है। निवेश पुनर्मूल्यन खाते का जमा शेष बाद के वर्ष में लाया जाता है। वर्ष के अंत में निवेश पुनर्मूल्यन खाते का नामे शेष, यदि कोई हो, लाभ और हानि खाते में प्रभारित किया जाता है और इसे अनुवर्ती वित्तीय वर्ष के प्रारंभिक दिन लाभ और हानि खाते में जमा में रिवर्स किया जाता है।

विदेशी खजाना बिल और वाणिज्यिक पत्र बट्टे के परिशोधन से समायोजित लागत पर रखे जाते हैं। विदेशी प्रतिभूतियों पर प्रीमियम या डिस्काउंट दैनिक रूप से परिशोधित किया जाता है।

विदेशी मुद्रा आस्तियों के विक्रय पर लाभ/हानि की पहचान बही मूल्य के संबंध में की जाती है। किंतु विदेशी दिनांकित प्रतिभूतियों के मामले में ऐसा न करते हुए इन्हें परिशोधित मूल्य के संदर्भ में पहचाना जाता है। इसके अलावा, विदेशी दिनांकित प्रतिभूतियों के विक्रय/चुकौती पर प्रतिभूतियों के विक्रय की सीमा तक लाभ/हानि निवेश पुनर्मूल्यन खाते में रखे जाते हैं।

4. रुपया प्रतिभूतियां

खजाना बिलों को छोड़कर निर्गम और बैंकिंग विभागों में रखी गई रुपया प्रतिभूतियों का मूल्य निर्धारण बही मूल्य या बाजार मूल्य से कम मूल्य पर किया जाता है। जहां ऐसी प्रतिभूतियों का बाजार मूल्य उपलब्ध न हो, वहां उनका मूल्य माह के अंतिम कारोबार के दिन प्रचलित आय-वक्र पर आधारित दर पर किया जाता है जैसा कि भारत के निर्धारित आय मुद्रा बाजार और डेरिवेटिव संघ ने अधिसूचित किया है। मूल्य के मूल्यहास, यदि कोई हो, का समायोजन चालू ब्याज आय से किया जाता है।

खजाना बिलों का मूल्य निर्धारण उनकी लागत पर किया जाता है।

पुनर्क्रय करार (रिपो) और सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) के तहत संपार्शक के रूप में प्राप्त प्रतिभूतियों अंकित मूल्य के रूप में रिजर्व बैंक की बहियों में रखी जाती हैं।

5. शेयर

शेयरों में किये गये निवेश का मूल्य निर्धारण उनकी लागत पर किया जाता है।

6. अचल आस्तियां

अचल आस्तियों का विवरण उनकी लागत में से मूल्यहास को घटाने के बाद दिया जाता है।

कम्प्यूटरों, माइक्रोप्रोसेसरों, सॉफ्टवेयरों (₹0.1 मिलियन और उससे अधिक की लागत वाले), मोटर वाहनों, फर्नीचर आदि पर मूल्यहास सीधी कटौती के आधार पर निम्नलिखित दरों पर दिया जाता है।

आस्ति श्रेणी	मूल्यहास की दर
कम्प्यूटर, माइक्रोप्रोसेसर, सॉफ्टवेयर आदि	33.33 प्रतिशत
मोटर वाहन, फर्नीचर आदि	20 प्रतिशत

पट्टाधारित भूमि और भवनों पर मूल्यहास बट्टाकृत मूल्य आधार पर निम्नलिखित दरों पर दिया जाता है।

आस्ति श्रेणी	परिशोधन/मूल्यहास की दर
पट्टाधारित भूमि और उस पर बना भवन	पट्टे की अवधि के अनुपात में किंतु 5 प्रतिशत से कम नहीं
फ्रीहोल्ड भूमि पर बना भवन	10 प्रतिशत

₹0.1 मिलियन से कम लागत वाली अचल आस्तियां (₹10,000 से अधिक लागत वाली आसानी से कहीं ले जाने योग्य इलेक्ट्रॉनिक आस्तियों, जैसे लैपटॉप, मोबाइल फोन आदि को छोड़कर) अधिग्रहण के वर्ष में लाभ / हानि खाते में प्रभारित की जाती हैं।

अचल आस्तियों से संबंधित वर्ष के अंत में शेष राशि पर मूल्यहास लगाया गया है।

7. कर्मचारी लाभ

दीर्घकालिक कर्मचारी लाभों के खाते पर देयता ‘अनुमानित इकाई ऋण पद्धति’ के तहत बीमांकिक मूल्यांकन निर्धारण के आधार पर दी जाती है।

8. आकस्मिकता आरक्षित निधि और आस्ति विकास आरक्षित निधि

आकस्मिकता आरक्षित निधि प्रतिभूतियों के मूल्यहास, विनिमय गारंटीयों और मौद्रिक / विनिमय दर नीति संबंधी अनिवार्यताओं से उभरे जोखिमों सहित अप्रत्याशित और आकस्मिक व्यय की पूर्ति करने के लिए वर्ष-दर-वर्ष आधार पर उपलब्ध करायी गयी राशि को दर्शाती है।

आंतरिक पूँजीगत व्यय की पूर्ति तथा सहायक एवं सहयोगी संस्थाओं में निवेश करने के लिए अंतरिक्त निर्दिष्ट राशि का प्रावधान किया गया है और उसे आस्ति विकास आरक्षित निधि में जमा किया गया है।

लेखाओं पर टिप्पणियां

1. भारत सरकार को अधिशेष का अंतरण

सरकार को अंतरित किये जानेवाले अधिशेष में, भारत सरकार द्वारा जारी विशेष प्रतिभूतियों को बिक्री-योग्य प्रतिभूतियों में परिवर्तित करने से 1 अप्रैल 2011 से 31 मार्च 2012 तक की अवधि से संबंधित ब्याज अंतर के रूप में ₹13.22 बिलियन (पिछले वर्ष जैसे ही) की राशि शामिल है।

2. निर्दिष्ट प्रतिभूतियां

रिजर्व बैंक ने वर्ष के दौरान भविष्य निधि, उपदान और अधिवर्षिता निधि, छुट्टी नकदीकरण (सेवानिवृत्त हो रहे कर्मचारी) की देयता की पूर्ति के लिए अपने निवेश लेखाओं में से ₹112.48 बिलियन (पिछले वर्ष ₹100.67 बिलियन) के बही-मूल्य की कुछ सरकारी प्रतिभूतियां निर्दिष्ट की हैं।

3. आगक्षित निधि

आगक्षित निधि में भारत सरकार द्वारा प्रारंभ में किया गया ₹0.05 बिलियन का अंशदान और अक्टूबर 1990 तक स्वर्ण के पुनर्मूल्यन से हुई ₹64.95 बिलियन की मूल्यवृद्धि शामिल है। उसके पश्चात् मासिक आधार पर स्वर्ण के पुनर्मूल्यन से होने वाले लाभ / हानि को मुद्रा और स्वर्ण पुनर्मूल्यन खाते में लिया जाता है।

4. जमाराशि

(क) सरकार

केंद्र सरकार ने बाजार स्थिरीकरण योजना के अंतर्गत कोई बकाया शेष नहीं रखी है।

राज्य सरकारों की जमाराशि में केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी की सरकार के शेष शामिल हैं।

(ख) अन्य :

(₹ बिलियन)

विवरण	30 जून के अनुसार	
	2011	2012
1	2	3
I. विदेशी केंद्रीय बैंकों और विदेशी वित्तीय संस्थाओं की रूपया जमाराशियां	7.25	11.18
II. भारतीय वित्तीय संस्थाओं से जमाराशियां	1.99	1.27
III. संचित सेवानिवृत्ति-लाभ	94.01	105.39
(i) भविष्य निधि	30.13	33.55
(ii) उपदान और अधिवर्षिता निधि	63.88	71.84
IV. विविध	21.05	4.21
कुल	124.30	122.05

5. अन्य देयताओं के विवरण

(₹ बिलियन)

विवरण	30 जून के अनुसार	
	2011	2012
1	2	3
I. आकस्मिकता आगक्षित निधि		
वर्ष के प्रारंभ में शेष राशि	1,585.61	1,707.28
जोड़ें: वर्ष के दौरान उपचय	121.67	246.77
वर्ष के अंत में शेष राशि	1,707.28	1,954.05
II. आस्ति विकास आगक्षित निधि		
वर्ष के प्रारंभ में शेष राशि	146.32	158.66
जोड़ें: वर्ष के दौरान उपचय	12.34	23.48
वर्ष के अंत में शेष राशि	158.66	182.14
III. मुद्रा और स्वर्ण पुनर्मूल्यन खाता		
वर्ष के प्रारंभ में शेष राशि	1,191.34	1,822.86
जोड़ें: वर्ष के दौरान निवल उपचय (+)/निवल उपयोग (-)	631.52	2,908.86
वर्ष के अंत में शेष राशि	1,822.86	4,731.72
IV. निवेश पुनर्मूल्यन खाता		
वर्ष के प्रारंभ में शेष राशि	93.71	42.69
जोड़ें: वर्ष के दौरान निवल उपचय (+)/निवल उपयोग (-)	(-)51.02	(+) 79.53
वर्ष के अंत में शेष राशि	42.69	122.22
V. विदेशी मुद्रा समकरण खाता		
वर्ष के प्रारंभ में शेष राशि	0.19	0.01
विनिमय खाते से अंतरण	0.01	24.05
जोड़ें: वर्ष के दौरान निवल उपचय (+)/निवल उपयोग (-)	(-) 0.19	(-) 0.01
वर्ष के अंत में शेष राशि	0.01	24.05
VI. निपटान देयता	166.89	Nil
VII. बकाया व्ययों के लिए प्रावधान	15.18	16.16
VIII. भारत सरकार को अंतरण-योग्य अधिशेष	150.09	160.10
IX. विविध	78.32	73.11
X. कुल (I से IX)	4,141.97	7263.55

6. भारतीय रिजर्व बैंक सामान्य खाता

“अन्य देयताएं” के अंतर्गत अंतर-कार्यालय लेनदेने संबंधी ₹138.28 मिलियन (पिछले वर्ष ₹171.90 मिलियन) की राशि शामिल है और शेष राशियों, जो कि समाधान के विभिन्न स्तरों पर हैं, का समायोजन आवश्यकतानुसार समाधान करके किया जाता है। 2011-12 वर्ष के दौरान रिजर्व बैंक में कोर बैंकिंग प्रणाली लागू करने के कारण उक्त प्रणाली भविष्य में लागू नहीं रहेगी।

7. रुपया निवेश

चलनिधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत खरीदी (रिपो) और बेची (रिवर्स रिपो) गयी प्रतिभूतियों को क्रमशः ‘निवेशों’ में जोड़ा और ‘निवेशों’ में से घटाया जाता है। वर्ष के अंत की स्थिति के अनुसार बकाया रिपो और रिवर्स रिपो की राशि क्रमशः ₹904.60 बिलियन (पिछले वर्ष ₹1,046.90 बिलियन) और ₹77.60 बिलियन (पिछले वर्ष ₹26.00 बिलियन) थी। वर्ष के अंत में बकाया सीमांत स्थायी सुविधा शेष ₹6 बिलयन था। पिछले वर्ष यह राशि शून्य थी।

8. विदेशी मुद्रा आस्तियों का विवरण

(₹ बिलियन)

विवरण	30 जून के अनुसार	
	2011	2012
1	2	3
I. निर्मम विभाग में रखी गयी	9,101.66	10,261.97
II. बैंकिंग विभाग में रखी गयी		
क) निवेशों में शामिल	550.47	590.57
ख) विदेशों में रखी गयी राशि	3,035.31	3640.27
कुल	12,687.44	14,492.81

टिप्पणी:

- अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक के आंशिक प्रदत शेयरों पर न मांगी गयी राशि 30 जून 2012 को ₹1.03 बिलियन (विशेष आहरण अधिकार 12,041,250) थी। पिछले वर्ष यह राशि ₹0.86 बिलियन (विशेष आहरण अधिकार 12,041,250) थी।
- भारिंग ने अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की उधार लेने की नयी व्यवस्था (जिसमें नोट क्रय करार के तहत 10 बिलियन अमरीकी डॉलर/₹563.10 बिलियन की पूर्ववर्ती प्रतिबद्धता शामिल है) के अंतर्गत अधिकतम 8,740.82 मिलियन विशेष आहरण अधिकार की राशि तक (₹746.93 बिलियन/13.26 बिलियन अमरीकी डॉलर) के संसाधन उपलब्ध कराने की सहमति दी थी। 30 जून 2012 की स्थिति के अनुसार उधार लेने की नयी व्यवस्था (एनएबी) के तहत 1020 1020 मिलियन विशेष आहरण अधिकार की राशि (₹87.16 बिलियन/ 1.55 बिलियन अमरीकी डॉलर) का निवेश किया गया था।
- भारतीय रिजर्व बैंक ने ईंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनान्स कंपनी (यूके) लिमिटेड द्वारा जारी बांडों में निवेश की अनुमति दी है बशर्ते इसका कुल 5 बिलियन अमरीकी डॉलर (₹281.55 बिलियन) से अधिक नहीं होना चाहिए। 30 जून 2012 की स्थिति के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक ने ऐसे बांडों में 673 मिलियन अमरीकी डॉलर (₹37.90 बिलियन) का निवेश किया है।

9. अन्य आस्तियों का विवरण

(₹ बिलियन)

विवरण	30 जून के अनुसार	
	2011	2012
1	2	3
I. अचल आस्तियां (संचित मूल्यहास को घटाकर)	4.88	4.37
II. स्वर्ण	525.11	690.46
III. उपचित, परंतु प्राप्त न हुई आय	159.01	195.11
IV. विविध	9.49	12.66
कुल :	698.49	902.60

10. ब्याज, बट्टा, विनिमय, कमीशन, आदि

ब्याज, बट्टा, विनिमय, कमीशन, आदि निम्नानुसार हैं:

(₹ बिलियन)

विवरण	निम्नलिखित को समाप्त वर्ष	
	30 जून 2011	30 जून 2012
1	2	3
I. विदेशी और रुपया प्रतिभूतियों की बिक्री पर लाभ	55.37	111.07
II. बैंक की सम्पत्ति की बिक्री पर निवल लाभ	0.03	0.02

11. लेखापरीक्षकों का शुल्क

लेखापरीक्षकों का कुल शुल्क और व्यय ₹26.79 मिलियन था जिसमें से ₹2.4 मिलियन की राशि का भुगतान रिजर्व बैंक के लेखाओं की लेखापरीक्षा के लिए रिजर्व बैंक के सांविधिक लेखापरीक्षकों को किया गया है।

12. चालू वर्ष के प्रस्तुतीकरण की अनुरूपता की दृष्टि से पिछले वर्ष के आंकड़ों को आवश्यकतानुसार पुनः समूहबद्ध/पुनः वर्गीकृत किया गया है।

अनुबंध I

केंद्रीय बोर्ड/स्थानीय बोर्डों के निदेशकों / सदस्यों में परिवर्तन का विवरण

क्रम सं.	नयी नियुक्ति	पद	नामांकनकर्ता	किनके स्थान पर	किस तारीख से	अतिरिक्त जानकारी
1	2	3	4	5	6	7
1.	श्री दीपंकर गुप्ता	केंद्रीय बोर्ड के निदेशक	भारत सरकार द्वारा धारा 8(1) (ग) के तहत	श्री मन मोहन शर्मा	20 सितंबर 2011	नार्बार्ड बोर्ड
2.	श्री नजीब ज़ंग	केंद्रीय बोर्ड के निदेशक	भारत सरकार द्वारा धारा 8(1) (ग) के तहत	श्री संजय लालू	22 सितंबर 2011	
3.	श्री किरण कर्णिक	केंद्रीय बोर्ड के निदेशक	भारत सरकार द्वारा धारा 8(1) (ख) के तहत	श्री वाई.एच.मालेगाम	23 सितंबर 2011	पश्चिमी क्षेत्र स्थानीय बोर्ड के अध्यक्ष
4.	श्री अनिल काकोडकर	केंद्रीय बोर्ड के निदेशक	भारत सरकार द्वारा धारा 8(1) (ख) के तहत	श्री यू.आर.राव	23 सितंबर 2011	उत्तरी क्षेत्र स्थानीय बोर्ड के अध्यक्ष
5.	श्री जी.एम.राव	केंद्रीय बोर्ड के निदेशक	भारत सरकार द्वारा धारा 8(1) (ग) के तहत	श्री सुरेश कुमार नेवटिया	23 सितंबर 2011	
6.	सुश्री इला भट्ट	केंद्रीय बोर्ड की निदेशक	भारत सरकार द्वारा धारा 8(1) (ग) के तहत	डॉ.ए.वैद्यनाथन	23 सितंबर 2011	
7.	डॉ.इंदिरा राजारामन	केंद्रीय बोर्ड की निदेशक	भारत सरकार द्वारा धारा 8(1) (ग) के तहत	स्वर्गीय डॉ.डी.जयवर्धनवेलु	23 सितंबर 2011	
8.	श्री वाई.एच.मालेगाम	केंद्रीय बोर्ड के निदेशक	भारत सरकार द्वारा धारा 8(1) (ग) के तहत	श्री एच.पी.रानिना	7 अक्तूबर 2011	बैंक के केंद्रीय बोर्ड पर चौथे कार्यकाल के लिये पुनःनामांकित
9.	श्री एम.वी.राजीव गौड़ा	केंद्रीय बोर्ड के निदेशक	भारत सरकार द्वारा धारा 8(1) (ख) के तहत	श्री लक्ष्मी चंद	17 अक्तूबर 2011	दक्षिणी क्षेत्र स्थानीय बोर्ड के अध्यक्ष
10.	श्री डी.के.मित्तल	केंद्रीय बोर्ड के निदेशक	भारिबैंक अधिनियम, 1934 में संशोधन के बाद भारत सरकार द्वारा धारा (1) (घ) के तहत	केंद्रीय बोर्ड में भारत सरकार के नामित निदेशक	7 फरवरी 2012	सचिव, वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय
11.	श्री अरविंद मायाराम	केंद्रीय बोर्ड के निदेशक	भारिबैंक अधिनियम, 1934 में संशोधन के बाद भारत सरकार द्वारा धारा (1)(घ) के तहत	श्री आर. गोपालन	7 अगस्त 2012	सचिव, आर्थिक कार्य विभाग
12.	सुश्री अनिला कुमारी	पूर्वी क्षेत्र स्थानीय बोर्ड की सदस्य		श्री ए.के.सैकिया	4 नवंबर 2011	
13.	शरीफ उज्जमां लश्कर	पूर्वी क्षेत्र स्थानीय बोर्ड के सदस्य		श्री शोभन कानूनगो	16 नवंबर 2011	
14.	श्री के.सेत्वराज	दक्षिणी क्षेत्र स्थानीय बोर्ड के सदस्य		श्री सी.पी.नायर	21 अक्तूबर 2011	
15.	श्री किरण पांडुरंग	दक्षिणी क्षेत्र स्थानीय बोर्ड के सदस्य		श्रीमती देवकी जैन	21 अक्तूबर 2011	
16.	श्री ए.नवीन भंडारी	उत्तरी क्षेत्र स्थानीय बोर्ड के सदस्य		डॉ.प्रीतम सिंह	1 सितंबर 2011	

टिप्पणी : 1. प्रो. सुरेश डी. तेंडुलकर, श्रीमती शशि राजगोपालन की मृत्यु और डॉ. अशोक गांगुली के पदत्याग के बाद हुई रिक्तियां भरी जानी हैं।

2. स्थानीय बोर्ड में 5 रिक्तियां भरी जानी हैं (पूर्वी क्षेत्र स्थानीय बोर्ड में तीन तथा पश्चिमी व दक्षिणी स्थानीय बोर्ड प्रत्येक में एक-एक)।

अनुबंध II

अप्रैल 2011 से जून 2012 के दौरान गवर्नर और उप गवर्नरों द्वारा दिये गये भाषणों की सूची

क्रम सं.	भाषण का विषय	भाषणकर्ता	तारीख
1	2	3	4
1.	उदामशीलता को ऋण के साथ जोड़ना - वित्तीय प्रणाली की भूमिका	डॉ. के.सी.चक्रवर्ती, उप गवर्नर	अप्रैल 4, 2011
2.	आर्थिक वृद्धि की निरंतरता और मुद्रास्फीति का नियंत्रण : भावी दिशाएं	डॉ. सुबीर गोकर्ण, उप गवर्नर	अप्रैल 5, 2011
3.	वैश्विक अर्थव्यवस्था और ढांचा	डॉ. दुव्युरी सुब्बाराव, गवर्नर	अप्रैल 15, 2011
4.	अंतरराष्ट्रीय मुद्रा और वित्त समिति में दिया गया वक्तव्य	डॉ. दुव्युरी सुब्बाराव, गवर्नर	अप्रैल 16, 2011
5.	वैश्विक चुनौतियाँ, वैश्विक समाधान : कुछ टिप्पणियाँ	डॉ. दुव्युरी सुब्बाराव, गवर्नर	अप्रैल 16, 2011
6.	भारत में डेरिवेटिव बाजार संबंधी विनियामक परिप्रेक्ष्य	डॉ. सुबीर गोकर्ण, उप गवर्नर	मई 4, 2011
7.	भारतीय रिजर्व बैंक के परिप्रेक्ष्य में केंद्रीय बैंक के अभिशासन संबंधी कुछ मुद्दे	डॉ. दुव्युरी सुब्बाराव, गवर्नर	मई 9, 2011
8.	आपस में संबद्ध वैश्विक अर्थव्यवस्था में नीति अनुशासन और स्पिलओवर	डॉ. दुव्युरी सुब्बाराव, गवर्नर	मई 10, 2011
9.	प्रौद्योगिकी पर निर्भरता	श्री आनंद सिन्हा, उप गवर्नर	मई 13, 2011
10.	प्रतिभा चयन और प्रबंधन	डॉ. के.सी.चक्रवर्ती, उप गवर्नर	मई 31, 2011
11.	समष्टि विवेकपूर्ण नीतियाँ : भारतीय अनुभव	श्री आनंद सिन्हा, उप गवर्नर	जून 2, 2011
12.	गैर-वित्तीय रिपोर्टिंग -क्या, क्यों और कैसे - भारतीय परिदृश्य	डॉ. के.सी.चक्रवर्ती, उप गवर्नर	जून 6, 2011
13.	केंद्रीय बैंकों के वित्तीय स्थिरता संबंधी अधिकेश : अंतरराष्ट्रीय और भारत के परिप्रेक्ष्य में समस्याएं	डॉ. दुव्युरी सुब्बाराव, गवर्नर	जून 10, 2011
14.	ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था में चुनौतियाँ और अवसर	डॉ. के.सी.चक्रवर्ती, उप गवर्नर	जून 17, 2011
15.	भारत में पारस्परिक निधि और बाजार का विकास	डॉ. सुबीर गोकर्ण, उप गवर्नर	जून 22, 2011
16.	भारत और वैश्विक वित्तीय संकट : हमने क्या सीखा?	डॉ. दुव्युरी सुब्बाराव, गवर्नर	जून 23, 2011
17.	धारणीय वृद्धि के लिए आर्थिक सुधार	डॉ. सुबीर गोकर्ण, उप गवर्नर	जून 23, 2011
18.	अगली पीढ़ी की बैंकिंग की चुनौतियाँ	डॉ. के.सी.चक्रवर्ती, उप गवर्नर	जून 25, 2011
19.	भारत में वृद्धि और मुद्रास्फीति के बीच संतुलन रखना	डॉ. सुबीर गोकर्ण, उप गवर्नर	जून 27, 2011
20.	बिंदुओं को जोड़ना	डॉ. के.सी.चक्रवर्ती, उप गवर्नर	जून 28, 2011
21.	भारतीय रिजर्व बैंक में अंक-संकलन कार्य	डॉ. दुव्युरी सुब्बाराव, गवर्नर	जुलाई 5, 2011
22.	बैंकिंग में प्रौद्योगिकी -उत्कर्ष की खोज में	श्री आनंद सिन्हा, उप गवर्नर	अगस्त 4, 2011
23.	भारतीय शिक्षा प्रणाली - मुद्दे और चुनौतियाँ	डॉ. के.सी.चक्रवर्ती, उप गवर्नर	अगस्त 5, 2011
24.	भारत में बैंकों का कारपोरेट अभिशासन : उत्पादकता उत्कर्ष की खोज में	डॉ. दुव्युरी सुब्बाराव, गवर्नर	अगस्त 23, 2011
25.	विनियामक चुनौतियों और दुविधाओं पर अनुचिंतन	श्री आनंद सिन्हा, उप गवर्नर	अगस्त 24, 2011
26.	बैंकिंग, इलेक्ट्रॉनिक भुगतान और भावी मार्ग	श्री हारून आर.खान, उप गवर्नर	अगस्त 25, 2011
27.	कृषि उत्पादकता और ऋण - मुद्दे और भावी मार्ग	डॉ. के.सी.चक्रवर्ती, उप गवर्नर	सितंबर 2, 2011
28.	वित्तीय समावेशन - प्रस्तुतीकरण	डॉ. के.सी.चक्रवर्ती, उप गवर्नर	सितंबर 6, 2011
29.	वैश्विक वित्तीय संकट का वित्तीय उपभोक्ताओं पर प्रभाव : उपभोक्ता संरक्षण की आवश्यकता के संबंध में वैश्विक और भारतीय परिप्रेक्ष्य - लोकपाल की भूमिका	डॉ. के.सी.चक्रवर्ती, उप गवर्नर	सितंबर 21, 2011
30.	आईएमएफ की बैठक में वक्तव्य	डॉ. दुव्युरी सुब्बाराव, गवर्नर	सितंबर 23, 2011
31.	मौद्रिक नीति की दुविधाएँ : कुछ आरबीआई परिप्रेक्ष्य	डॉ. दुव्युरी सुब्बाराव, गवर्नर	सितंबर 26, 2011
32.	संकट के बाद की अवधि में केंद्रीय बैंकिंग : अनुभव तथा भावी दिशा	श्री हारून आर.खान, उप गवर्नर	सितंबर 28, 2011

वार्षिक रिपोर्ट

क्रम सं.	भाषण का विषय	भाषणकर्ता	तारीख
1	2	3	4
33.	स्वागत टिप्पणी	डॉ. दुर्वुरी सुब्बाराव, गवर्नर	अक्तूबर 7, 2011
34.	वित्तीय समावेशन और बैंक : मुद्रे और परिप്രेक्ष्य	डॉ. के.सी.चक्रवर्ती, उप गवर्नर	अक्तूबर 14, 2011
35.	वृद्धि, लोच तथा सुधार : संकटोन्तर नीतिगत चुनौतियों पर अनुचिंतन	डॉ. सुबीर गोकर्ण, उप गवर्नर	नवंबर 2, 2011
36.	भारतीय बैंकिंग उद्योग के परिवर्तनोन्मुख दशक में स्पर्धा भावना की तैयारी	डॉ. के.सी.चक्रवर्ती, उप गवर्नर	नवंबर 4, 2011
37.	वित्तीय समावेशन तथा वित्तीय स्थिरता : क्या ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं?	श्री हारून आर.खान, उप गवर्नर	नवंबर 4, 2011
38.	भारतीय बैंकिंग - भविष्य की ओर यात्रा	श्री आनंद सिन्हा, उप गवर्नर	नवंबर 6, 2011
39.	संकट के उपरान्त : एक नव सामान्य	डॉ. के.सी.चक्रवर्ती, उप गवर्नर	नवंबर 8, 2011
40.	मोबाइल बैंकिंग, वित्तीय समावेशन तथा उपभोक्ता सुरक्षा का मिलन	डॉ. के.सी.चक्रवर्ती, उप गवर्नर	नवंबर 9, 2011
41.	बैंक समाधान ढाँचा : भारतीय संदर्भ में चुनौतियाँ	डॉ. दुर्वुरी सुब्बाराव, गवर्नर	नवंबर 14, 2011
42.	उभरते वित्तीय परिदृश्य द्वारा पैदा की गई चुनौतियों का सामना करने के लिए निष्केप बीमा संस्थाओं का सशक्तीकरण	डॉ. के.सी.चक्रवर्ती, उप गवर्नर	नवंबर 15, 2011
43.	खाद्य मुद्रास्फीति की चुनौती	डॉ. दुर्वुरी सुब्बाराव, गवर्नर	नवंबर 22, 2011
44.	हाथी नृत्य को नया स्वरूप देना	डॉ. दुर्वुरी सुब्बाराव, गवर्नर	नवंबर 25, 2011
45.	पूर्वोत्तर क्षेत्र में वित्तीय समावेशन तथा अन्य मुद्रे - असम ट्रिब्यून में प्रकाशित इन्टरव्यू	डॉ. दुर्वुरी सुब्बाराव, गवर्नर	नवंबर 29, 2011
46.	हाल की समस्ति-आर्थिक गतिविधियों का आकलन	डॉ. सुबीर गोकर्ण, उप गवर्नर	दिसंबर 3, 2011
47.	सूक्ष्म उद्यम विकास : कल की बहुराष्ट्रीय कंपनियों का सृजन-पथ	डॉ. के.सी.चक्रवर्ती, उप गवर्नर	दिसंबर 5, 2011
48.	खाद्य मुद्रास्फीति:इस बार यह भिन्न है	डॉ. सुबीर गोकर्ण, उप गवर्नर	दिसंबर 9, 2011
49.	नेताओं तथा नेतृत्व पर कुछ विचार	डॉ. दुर्वुरी सुब्बाराव, गवर्नर	दिसंबर 9, 2011
50.	ज्ञासमान मुद्रा तथा भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति	श्री हारून आर.खान, उप गवर्नर	दिसंबर 10, 2011
51.	सफल बैंकिंग कैरियर के दस नियम	डॉ. के.सी.चक्रवर्ती, उप गवर्नर	दिसंबर 13, 2011
52.	लेखांकन व्यवसाय की चुनौतियाँ : कुछ विचार	डॉ. दुर्वुरी सुब्बाराव, गवर्नर	दिसंबर 16, 2011
53.	वैधानिक सुधार - सूदृढ़ बैंकिंग क्षेत्र	श्री आनंद सिन्हा, उप गवर्नर	दिसंबर 18, 2011
54.	वित्तीय स्थिरता के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग : लेखांकन संबंधी कुछ मुद्दों पर विनियामक का विचार	श्री आनंद सिन्हा, उप गवर्नर	दिसंबर 21, 2011
55.	भारत में बुनियादी ढांचे का वित्तपोषण - प्रगति एवं संभावनाएं	श्री हारून आर.खान, उप गवर्नर	दिसंबर 29, 2011
56.	आपस में जुड़े बाजार में संकट से निपटने की तैयारी - रोकथाम इलाज से बेहतर है	डॉ. के.सी.चक्रवर्ती, उप गवर्नर	जनवरी 1, 2012
57.	वित्तीय समावेशन और शाहरी सहकारी बैंक	श्री आनंद सिन्हा, उप गवर्नर	जनवरी 6, 2012
58.	बैंकिंग क्षेत्र - जोखिम तथा आघात के प्रति सुदृढ़ रहना एवं लेखांकन पेशे की भूमिका	डॉ. के.सी.चक्रवर्ती, उप गवर्नर	जनवरी 7, 2012
59.	जीवंत ऋण बाजार की दिशा में - एक 7 आई वाला फ्रेमवर्क	श्री हारून आर.खान, उप गवर्नर	जनवरी 27, 2012
60.	सभी के लिये सर्स्टे आवास उपलब्ध कराना - समस्याएं तथा चुनौतियाँ	श्री हारून आर.खान, उप गवर्नर	जनवरी 30, 2012
61.	मूल्य स्थिरता, वित्तीय स्थिरता तथा सरकारी ऋण स्थिरता- तीन में से चुनाव की नीतिगत चुनौतियाँ	डॉ. दुर्वुरी सुब्बाराव, गवर्नर	फरवरी 1, 2012
62.	भारतीय रिजर्व बैंक के द्वितीय अनुसंधान सम्मेलन में स्वागत टिप्पणियां	डॉ. सुबीर गोकर्ण, उप गवर्नर	फरवरी 1, 2012
63.	वित्तीय समावेशन एवं वृद्धि के लिए एमएसएमई को सक्षम बनाना- बैंकों तथा इंडस्ट्री एसोसिएशनों की भूमिका	डॉ. के.सी.चक्रवर्ती, उप गवर्नर	फरवरी 4, 2012
64.	जिम्मेदार वित्तीय व्यवहार के लिये मनोविज्ञान को समझना	श्री हारून आर.खान, उप गवर्नर	फरवरी 6, 2012

क्रम सं.	भाषण का विषय	भाषणकर्ता	तारीख
1	2	3	4
65.	वैश्विक संकट की बदलती रूपरेखा - भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव	श्री आनंद सिन्हा, उप गवर्नर	फरवरी 11, 2012
66.	भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर डॉ. डी. सुब्राहाम का वॉल स्ट्रीट जर्नल के अलेक्स फ्रैगोज द्वारा साक्षात्कार	डॉ. दुव्वुरी सुब्राहाम, गवर्नर	फरवरी 13, 2012
67.	भारतीय बैंकिंग क्षेत्र : आगामी कक्ष पथ में	डॉ. के.सी. चक्रवर्ती, उप गवर्नर	फरवरी 13, 2012
68.	प्रैदोगिकी आधारित बैंकिंग उत्कर्ष की ओर बढ़ना	श्री आनंद सिन्हा, उप गवर्नर	फरवरी 14, 2012
69.	बीसीएसबीआई, ग्राहक सेवा तथा उपभोक्ता संरक्षण - समस्याएं तथा चुनौतियां	डॉ. के.सी. चक्रवर्ती, उप गवर्नर	फरवरी 24, 2012
70.	ओडिशा के लिये कृषि अर्जेंडा-समस्याएं तथा चुनौतियां	श्री हारून आर. खान, उप गवर्नर	फरवरी 24, 2012
71.	जावक भारतीय एफडीआई - हाल की प्रवृत्तियां तथा उभरते मुद्दे	श्री हारून आर. खान, उप गवर्नर	मार्च 3, 2012
72.	प्रभावी संतुलन : ऋण की पहुंच तथा अनर्जक अस्ति प्रबंधन - सूचना के आदान-प्रदान की भूमिका	श्री आनंद सिन्हा, उप गवर्नर	मार्च 7, 2012
73.	सारिख्यकी का उपयोग और दुरुपयोग	डॉ. के.सी. चक्रवर्ती, उप गवर्नर	मार्च 20, 2012
74.	भारत में एम-बैंकिंग - विनियमन तथा औचित्य	डॉ. के.सी. चक्रवर्ती, उप गवर्नर	मार्च 29, 2012
75.	वैश्वीकरण की चुनौती : रिजर्व बैंक की दृष्टि से कुछ विचार	डॉ. दुव्वुरी सुब्राहाम, गवर्नर	मार्च 30, 2012
76.	प्रणाली जोखिम मूल्यांकन-वित्तीय स्थिरता के लक्ष्य की आधारशिला	डॉ. के.सी. चक्रवर्ती, उप गवर्नर	अप्रैल 3, 2012
77.	फेडाई, फॉरेक्स मार्केट तथा भारतीय रूपये पर चिंतन	श्री हारून आर. खान, उप गवर्नर	अप्रैल 5, 2012
78.	उभरते उद्यमों के विकास का सशक्तीकरण	डॉ. के.सी. चक्रवर्ती, उप गवर्नर	अप्रैल 12, 2012
79.	वित्तीय साक्षरता और ग्राहक संरक्षण	डॉ. के.सी. चक्रवर्ती, उप गवर्नर	अप्रैल 22, 2012
80.	माइक्रोफाइनेंस संस्थाओं में अधिशासन का सुदृढ़ीकरण - कुछ यादृच्छिक विचार	श्री आनंद सिन्हा, उप गवर्नर	अप्रैल 23, 2012
81.	बैंकों में मानव संसाधन प्रबंधन - नये दृष्टिकोण की आवश्यकता	डॉ. के.सी. चक्रवर्ती, उप गवर्नर	जून 1, 2012
82.	उभरती अर्थव्यवस्थाओं में वित्तीय शिक्षा की चुनौतियों की छानबीन	डॉ. के.सी. चक्रवर्ती, उप गवर्नर	जून 5, 2012
83.	वित्तीय समावेशन - एक अपडेट-एक प्रस्तुति	डॉ. के.सी. चक्रवर्ती, उप गवर्नर	जून 8, 2012
84.	सूचना प्रैदोगिकी और बैंकों में अधिशासन - कुछ विचार	श्री आनंद सिन्हा, उप गवर्नर	जून 15, 2012
85.	भारत - समष्टि-आर्थिक स्थिति का आकलन तथा संभावनाएं - एक प्रस्तुति	डॉ. दुव्वुरी सुब्राहाम, गवर्नर	जून 19, 2012
86.	आईसीटी आधारित वित्तीय समावेशन - नवोन्मेष के माध्यम से एक नया मार्ग बनाना	डॉ. के.सी. चक्रवर्ती, उप गवर्नर	28 जून 2012
87.	वित्तीय समावेशन के मुद्दे और चुनौतियां : नीतियां, साजेदारी, प्रक्रियाएं तथा उत्पाद	श्री हारून.आर. खान, उप गवर्नर	30 जून 2012
88.	दिल को छूना तथा हँसी बिखेरना	डॉ. दुव्वुरी सुब्राहाम, गवर्नर	4 जुलाई 2012
89.	ओटीसी डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग प्रैजिटरी की शुरुआत	डॉ. सुबीर गोर्काण, उप गवर्नर	9 जुलाई 2012
90.	कृषि ऋण - उपलब्धियां तथा चुनौतियां	डॉ. दुव्वुरी सुब्राहाम, गवर्नर	12 जुलाई 2012
91.	लघु (उद्यम) अब भी सुंदर तथा प्रतिस्पृश्य है - भारत के माइक्रो, लघु तथा मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) की वृद्धि पर विचार	श्री आनंद सिन्हा, उप गवर्नर	12 जुलाई 2012
92.	डॉ. आई.जी. पटेल की पुस्तक के विमोचन के अवसर पर की गई टिप्पणियां	डॉ. दुव्वुरी सुब्राहाम, गवर्नर	16 जुलाई 2012
93.	सारिख्यकी तथा रिजर्व बैंक के कार्य में सारिख्यकीय विश्लेषण	डॉ. दुव्वुरी सुब्राहाम, गवर्नर	17 जुलाई 2012
94.	भारतीय भुगतान एवं निपटान प्रणाली जवाबदेही नवीकरण तथा विनियमन	डॉ. दुव्वुरी सुब्राहाम, गवर्नर	3 अगस्त 2012
95.	वित्तीय समावेशन की ओर पहला कदम - अलग सोच	डॉ. के.सी. चक्रवर्ती, उप गवर्नर	7 अगस्त 2012
96.	कंपनी ऋण पुनर्गठन - मुद्दे व भावी मार्ग	डॉ. के.सी. चक्रवर्ती, उप गवर्नर	13 अगस्त 2012

अनुबंध III

1 जुलाई 2011 से 30 जून 2012 के दौरान विदेशी प्रतिनिधिमंडलों का भारतीय रिज़र्व बैंक में आगमन

क्रम सं.	बैठक की तारीख	विदेशी प्रतिनिधि / प्रतिनिधि मंडल	भारतीय रिज़र्व बैंक के कार्यपालक अधिकारी
1	2	3	4
1.	27 जुलाई 2011	श्री डैनी ग्लैजर, यूएस ट्रेजरी असिस्टेंट सेक्रेटरी फॉर ट्रेरर फाइनांस एंड फाइनैन्शियल क्राइम्स	श्री बी.महापात्र, कार्यपालक निदेशक
2.	23 अगस्त 2011	श्री टिफ मैकलेम, कनाडा के उप गवर्नर	डॉ.डी.सुब्बाराव, गवर्नर, डॉ. सुबीर गोकर्ण, उप गवर्नर एवं श्री दीपक मोहंती, कार्यपालक निदेशक
3.	23 सितंबर 2011	यूके से कन्जर्वेटिव एमपी	श्री आनंद सिन्हा, उप गवर्नर, श्री बी.महापात्र, कार्यपालक निदेशक और श्री जी.पद्माभन, कार्यपालक निदेशक
4.	29 सितंबर 2011	सुश्री डैनियल स्मैडजा, राजदूत, यूरोपीय संघ तथा प्रतिनिधि मंडल की प्रमुख	डॉ.डी.सुब्बाराव, गवर्नर
5.	18 अक्टूबर 2011	विश्व बैंक टीम के कार्यपालक निदेशक	डॉ.सुबीर गोकर्ण, उप गवर्नर
6.	1 नवंबर 2011	श्री माइकल कार्सन, वरिष्ठ अर्थशास्त्री समष्टि-आर्थिक अनुसंधान-न्यूयार्क के ड्स इमर्जिंग मार्केट ग्रुप	श्री दीपक मोहंती, कार्यपालक निदेशक
7.	2 नवंबर 2011	श्रीमती जान हेंडरसन, न्यूजीलैंड की उच्चायुक्त तथा श्रीमती विक्की रॉबर्ट्सन, न्यूजीलैंड ट्रेजरी की उप सचिव	डॉ.डी.सुब्बाराव, गवर्नर
8.	16 नवंबर 2011	श्री केंशो यमामोटो, कार्यपालक निदेशक, बैंक ऑफ जापान	श्री आर.गांधी, कार्यपालक निदेशक तथा श्री जी. पद्माभन, कार्यपालक निदेशक
9.	5 दिसंबर 2011	श्री महमूद मोहिलदिन, विश्व बैंक के प्रबंध निदेशक	डॉ.के.सी.चक्रवर्ती, उप गवर्नर
10.	12 दिसंबर 2011	श्री मैनुएल डूसाल्ट, वित्त विभाग, कनाडा के प्रतिभूति विनियमन और नीति के प्रमुख	श्री विजय भास्कर, कार्यपालक निदेशक तथा श्री बी.महापात्र, कार्यपालक निदेशक
11.	13 जनवरी 2012	श्री गोह चोक टांग, एमिरिटस सीनियर मिनिस्टर, सीनियर अथोरिटी टू दि मैनेटरी अथोरिटी ऑफ सिंगापुर	डॉ.डी.सुब्बाराव, गवर्नर
12.	13 जनवरी 2012	स्वीडिश प्रतिनिधिमंडल	श्री दीपक मोहंती, कार्यपालक निदेशक
13.	8 फरवरी 2012	श्री गैव टाटा, निदेशक, वित्तीय समावेशन, व्यवहार तथा निजी क्षेत्र विकास, अफ्रीका क्षेत्र, विश्व बैंक	डॉ.के.सी.चक्रवर्ती, उप गवर्नर
14.	10 फरवरी 2012	श्री बिल फोस्टर, अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्री, भारत, अमरीका ट्रेजरी	श्री दीपक मोहंती, कार्यपालक निदेशक
15.	22 फरवरी 2012	कनाडा का कामनवेत्थ पार्लियामेंटरी असेसिएशन (सीपीए) का प्रतिनिधिमंडल	श्री आनंद सिन्हा, उप गवर्नर
16.	23 फरवरी 2012	श्री के.मात्सुजावा, जापान के इंटरनेशनल फ्रेंडशिप एक्सेंज कॉन्सिल के प्रेसिडेंट तथा श्री जे.मोचिडा कॉन्सल जनरल, जापान	डॉ.के.सी.चक्रवर्ती, उप गवर्नर
17.	28 फरवरी 2012	डॉ.हंस जोआचिम, आर्थिक एवं प्रौद्योगिकी के जर्मन मंत्रालय के प्रतिनिधिमंडल के प्रमुख	श्री बी.महापात्र, कार्यपालक निदेशक
18.	22 मार्च 2012	डॉ.डेविड ग्रुएन, कार्यपालक निदेशक, ऑस्ट्रलियाई ट्रेजरी	श्री दीपक मोहंती, कार्यपालक निदेशक
19.	8 मई 2012	इथिओपियन सेट्रल बैंक-कोर बैंकिंग सोल्यूशन का प्रतिनिधिमंडल	श्री हारून आर.खान, उप गवर्नर
20.	16 मई 2012	श्री अंब पास्कौल, अमरीका के विशेष दूत	श्री आर.गांधी, कार्यपालक निदेशक
21.	29 मई 2012	श्री यू.यी, उपाध्यक्ष, बैंक ऑफ चाइना	श्री बी.महापात्र, कार्यपालक निदेशक
22.	25 जून 2012	श्री डेविड एस. कोहेन, टेरिज़म तथा फाइनैन्शियल इंटेलिजन्स के यूएस ट्रेजरी के उप सचिव	श्री. आनंद सिन्हा, उप गवर्नर

टिप्पणी : इसमें भारत में स्थित राजदूत तथा कॉन्सल के उन दौरों को शामिल नहीं किया गया है जिनमें विदेशी प्रतिनिधि शामिल नहीं थे।

परिशिष्ट सारणी

परिशिष्ट सारणी 1: समष्टि आर्थिक और वित्तीय संकेतक

मट	औसत 2000-01 से 2009-10 (10 वर्ष)	औसत 2003-04 से 2007-08 (5 वर्ष)	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
			1	2	3	4
1	2	3	4	5	6	7
I. वास्तविक अर्थव्यवस्था						
I.1 समग्र वास्तविक सकल देशी उत्पाद (प्रतिशत परिवर्तन)	7.2	8.7	6.7	8.4	8.4 ल.अ.	6.5 स.अ.
क) कृषि (प्रतिशत परिवर्तन)	2.5	4.9	0.1	1.0	7.0	2.8
ख) उद्योग (प्रतिशत परिवर्तन)	7.2	8.8	4.1	8.9	6.8	2.6
जिसमें से: विनिर्माण (प्रतिशत परिवर्तन)	7.9	9.7	4.3	9.7	7.6	2.5
ग) सेवाएं (प्रतिशत परिवर्तन)	8.8	9.8	9.4	10.0	9.2	8.5
मांग पक्ष के समच्चय						
घ) अंतिम उपभोग व्यय (प्रतिशत परिवर्तन)	6.3	7.2	7.7	8.3	8.1	5.4
जिसमें से: पीएफसीई (प्रतिशत परिवर्तन)	6.4	7.5	7.2	7.2	8.1	5.5
जीएफसीई (प्रतिशत परिवर्तन)						
ड) सकल अचल पूँजी निर्माण (प्रतिशत परिवर्तन)	10.4	16.2	3.5	6.8	7.5	5.5
I.2 सकल देशी उत्पाद में हिस्सा						
क) कृषि (प्रतिशत)	18.7	18.4	15.8	14.7	14.5	14.0
ख) उद्योग (प्रतिशत)	20.3	20.3	20.1	20.2	19.9	19.2
ग) सेवाएं (प्रतिशत)	60.9	61.3	64.1	65.1	65.5	66.8
I.3 खाद्यानु उत्पादन (मिलियन टन)	210.5	213.6	234.5	218.1	244.8	257.4
जिसमें से : चावल	89.2	90.7	99.2	89.1	96.0	104.3
गोहौ	73.4	72.9	80.7	80.8	86.9	93.9
दालें	13.5	14.1	14.6	14.7	18.2	17.2
I.4 वाणिज्यिक फसलें (मिलियन टन) \$	343.4	347.9	345.4	353.0	418.6	434.5
जिसमें से: तिलहन	23.8	26.3	27.7	24.9	32.5	30.0
गना	291.1	291.2	285.0	292.3	342.5	357.7
I.5 खाद्य स्टॉक (मिलियन टन)						
क) खरीद	42.0	38.4	55.3	58.0	56.8	66.4
ख) उठाव	39.5	41.5	39.5	48.9	52.9	56.2
ग) स्टॉक, मार्च के अंत में	30.1	18.6	35.6	43.4	44.4	53.4
I.6 औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (प्रतिशत परिवर्तन)	7.4	12.4	2.5	5.3	8.2	2.9
सेक्टरवार						
क) खनन	4.3	4.0	2.6	7.9	5.2	-2.0
ख) विनिर्माण	8.0	14.5	2.5	4.8	8.9	3.0
ग) बिजली	4.8	6.3	2.7	6.1	5.5	8.2
उपयोग आधारित						
घ) आधारभूत वस्तुएं	5.6	8.0	1.7	4.7	6.0	5.5
ड.) पूँजीगत वस्तुएं	13.3	30.0	11.3	1.0	14.8	-4.0
च) मध्यवर्ती वस्तुएं	6.2	8.5	0.0	6.0	7.4	-0.6
छ) उपभोक्ता वस्तुएं	8.2	14.8	0.9	7.7	8.6	4.4
I.7 मूल ढांचागत उद्योग (प्रतिशत परिवर्तन)	5.5	5.8	2.8	6.6	6.6	4.4
I.8 सकल देशी बचत दर (जीडीपी का प्रतिशत)	30.7	33.3	32.0	33.8	32.3	
जिसमें से: परिवारिक	23.2	23.2	23.6	25.4	22.8	-
निजी कंपनी	6.3	7.2	7.4	8.2	7.9	-
सार्वजनिक	1.2	2.9	1.0	0.2	1.7	-
I.9 सकल देशी निवेश दर (जीडीपी का प्रतिशत)	31.3	33.6	34.3	36.6	35.1	-
II. मूल्य						
II.1 शैक्ष मूल्य सूचकांक वार्षिक औसत (प्रतिशत परिवर्तन)						
सभी पायथ	5.4	5.5	8.1	3.8	9.6	8.9
सभी पायथ-पॉइंट-टू-पॉइंट (वर्ष के अंत में)	-	-	1.6	10.4	9.7	7.7
प्राथमिक वस्तुएं	6.4	6.0	11.0	12.7	17.7	9.8
जिसमें से :						
खाद्य वस्तुएं	5.8	5.2	9.1	15.3	15.6	7.3
खाद्येतर वस्तुएं	6.1	5.5	12.9	5.5	22.3	9.6
ईंधन तथा बिजली	8.9	7.3	11.6	-2.1	12.3	14.0
विनिर्मित उत्पाद	4.1	5.0	6.2	2.2	5.7	7.3
जिसमें से :						
खाद्य उत्पाद	4.7	4.8	8.7	13.5	3.7	7.1
खाद्येतर उत्पाद	4.0	5.0	5.7	0.2	6.1	7.3

परिशिष्ट सारणी

परिशिष्ट सारणी 1: समष्टि आर्थिक और वित्तीय संकेतक (जारी)

मद	औसत 2000-01 से 2009-10 (10 वर्ष) 1	औसत 2003-04 से 2007-08 (5 वर्ष) 2	2008-09 3	2009-10 4	2010-11 5	2011-12 6
II.2 उपभोक्ता मूल्य सुचकांक (सीपीआई) (औसत प्रतिशत परिवर्तन)						
क) सीपीआई औद्योगिक श्रमिक जिसमें से : सीपीआई -औद्योगिक श्रमिक खाद्यान्न	5.9	5.0	9.1	12.4	10.4	8.4
ख) सीपीआई-कृषि श्रमिक	6.2	5.5	12.3	15.2	9.9	6.3
III. मुद्रा और ऋण	5.4	5.1	10.2	13.9	10.0	8.2
III.1 आरक्षित मुद्रा (एम०) (प्रतिशत परिवर्तन)	15.4	20.4	6.4	17.0	19.1	3.7
समायोजित आरक्षित मुद्रा (प्रतिशत परिवर्तन)	-	-	19.0	13.0	18.2	9.6
क) संचलन में मुद्रा (प्रतिशत परिवर्तन)	15.1	15.9	17.0	15.7	18.8	12.5
ख) आरबीआई के पास बैंकों की जमाराशियां (प्रतिशत परिवर्तन)	17.9	33.1	-11.3	21.0	20.2	-15.9
III.2 संकीर्ण मुद्रा (एम१) (प्रतिशत परिवर्तन)	16.0	19.6	9.0	18.2	10.0	5.9
III.3 व्यापक मुद्रा (एम३) (प्रतिशत परिवर्तन)	17.5	18.6	19.3	16.9	16.1	13.1
क) जनता के पास मुद्रा (प्रतिशत परिवर्तन)	15.1	15.9	17.1	15.3	18.8	12.6
ख) वाणिज्यिक क्षेत्र को बैंक ऋण (जीडीपी का प्रतिशत)	42.9	44.4	53.5	54.1	55.2	56.0
ग) सरकार को बैंक ऋण (जीडीपी का प्रतिशत)	23.1	21.5	22.7	25.8	25.9	26.8
घ) मुद्रा-जमा अनुपात (प्रतिशत)	17.8	17.8	16.1	15.9	16.3	16.2
ड) मुद्रा गुणक	4.6	4.6	4.9	4.8	4.7	5.2
III.4 अनुसूचित वाणिज्य बैंक						
क) कुल जमाराशियां (प्रतिशत परिवर्तन)	18.1	19.0	19.9	17.2	15.9	13.5
ख) सावधि जमाराशियां (प्रतिशत परिवर्तन)	18.5	18.5	23.9	16.2	18.7	15.7
ग) मांग जमाराशियां (प्रतिशत परिवर्तन)	16.4	21.9	-0.2	23.4	-0.6	-2.6
घ) बैंक ऋण (प्रतिशत परिवर्तन)	21.8	25.5	17.5	16.9	21.5	17.0
ड) खाद्येतर ऋण (प्रतिशत परिवर्तन)	22.4	26.7	17.8	17.1	21.3	16.8
च) सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश (प्रतिशत परिवर्तन)	17.7	13.3	20.6	19.3	8.6	15.9
छ) ऋण-जमा अनुपात (प्रतिशत)	64.8	68.0	72.4	72.2	75.7	78.0
ज) ऋण-जीडीपी अनुपात (प्रतिशत)	37.4	39.3	49.3	50.2	51.4	52.1
IV. वित्तीय बाजार						
IV.1 व्याज दर (प्रतिशत)						
क) मांग/सूचना मुद्रा दर	6.1	5.6	7.1	3.2	5.8	8.2
ख) 10 वर्षीय सरकारी प्रतिभूतियों पर प्रतिफल	7.5	7.0	7.6	7.2	7.9	8.4
ग) 91 दिवसीय खुजाना बिल पर प्रतिफल	6.1	5.8	7.1	3.6	6.2	8.4
घ) केन्द्र सरकार की उधारियों पर भारित औसत व्याज दर	7.8	7.2	7.7	7.2	7.9	8.5
ड.) वाणिज्यिक पेपर	8.2	7.7	10.8	5.1	8.6	9.8
IV.2 चलनिधि (बिलियन ₹)						
क) बकाया एलएफ ८	-	-	14.9	9.9	-1060.1	-1691.6
ख) बकाया एमएसएस ~	-	-	880.8	27.4	0.0	0.0
ग) औसत दैनिक माँग मुद्रा बाजार कारोबार	-	184.9	224.4	159.2	177.3	267.0
घ) सरकारी प्रतिभूति बाजार में औसत दैनिक कारोबार ८८	-	77.1	108.8	139.4	142.4	171.3
V. सरकारी वित्त						
V.1 केंद्र सरकार के वित्त (जीडीपी का प्रतिशत) #						
क) कुल राजस्व प्राप्तियां	9.5	9.9	9.6	8.9	10.3	8.7
i) कर राजस्व	7.2	7.6	7.9	7.1	7.4	7.3
ii) कोतर राजस्व	2.3	2.3	1.7	1.8	2.8	1.4
ख) कुल व्यय	15.4	14.8	15.7	15.9	15.6	14.9
i) राजस्व व्यय	12.9	12.2	14.1	14.1	13.6	13.1
जिसमें से : व्याज भुगतान	4.0	3.8	3.4	3.3	3.0	3.1
ii) पूँजीगत व्यय	2.5	2.6	1.6	1.7	2.0	1.8
ग) राजस्व घाटा	3.4	2.3	4.5	5.2	3.3	4.5
घ) राजकोषीय घाटा	4.8	3.6	6.0	6.5	4.9	5.9
ड.) प्राथमिक घाटा	0.9	-0.2	2.6	3.2	1.8	2.8
च) देशी ऋण	56.8	58.2	53.9	52.6	49.3	48.6
V.2 राज्य वित्त #						
क) राजस्व घाटा (जीडीपी का प्रतिशत)*	1.0	0.5	-0.2	0.5	-0.1	-0.1
ख) सकल राजकोषीय घाटा (जीडीपी का प्रतिशत)*	3.1	2.7	2.4	2.9	2.1	2.3
ग) प्राथमिक घाटा (जीडीपी का प्रतिशत) *	0.8	0.3	0.6	1.2	0.5	0.8
घ) बकाया देयताएं (जीडीपी का प्रतिशत)*	29.3	30.1	26.1	25.5	23.4	22.5

परिशिष्ट सारणी

परिशिष्ट सारणी 1: समष्टि आर्थिक और वित्तीय संकेतक (समाप्त)

मद	औसत 2000-01 से 2009-10 (10 वर्ष) 1	औसत 2003-04 से 2007-08 (5 वर्ष) 2	2008-09 3	2009-10 4	2010-11 5	2011-12 6
VI. बाह्य क्षेत्र						
VI.1 भुगतान संतुलन						
क) वर्णिक माल का नियात (प्रतिशत परिवर्तन) Δ	17.7	25.3	13.7	-3.5	37.3	23.7
तेल नियात (प्रतिशत परिवर्तन) Δ	505.4 ×	62.6	-2.9	2.3	46.9	34.3
तेल से इतर नियात (प्रतिशत परिवर्तन) Δ	15.7 ×	21.9	17.2	-4.5	35.5	21.6
ख) वर्णिक माल आयात (प्रतिशत परिवर्तन) Δ	19.5	32.3	19.8	-2.6	26.7	31.1
तेल आयात (प्रतिशत परिवर्तन) Δ	22.9	35.7	17.6	-7.0	21.6	46.9
तेल से इतर आयात (प्रतिशत परिवर्तन) Δ	18.5	31.0	20.7	-0.6	28.8	25.0
ग) व्यापार शेष/ जीडीपी (प्रतिशत)	-5.3	-5.4	-9.8	-8.7	-7.8	-10.3
घ) अदृश्य शेष/ जीडीपी (प्रतिशत)	4.8	5.1	7.5	5.9	5.0	6.0
ड) चाल खाता शेष/ जीडीपी (प्रतिशत)	-0.5	-0.3	-2.3	-2.8	-2.7	-4.2
च) निवल पूजी प्रवाह/ जीडीपी (प्रतिशत)	3.3	4.6	0.6	3.8	3.7	3.7
छ) चाल खाता शेष (बिलियन अमरीकी डॉलर)	-8.3	-4.7	-27.9	-38.2	-45.9	-78.2
निवल अदृश्य मर्दे	44.2	45.8	91.6	80.0	84.6	111.6
जिसमें से : सेवाएं	21.6	23.4	53.9	36.0	48.8	64.1
निजी अंतरण	27.9	27.6	44.6	51.8	53.1	63.5
निवेश आय	-5.0	-4.9	-6.6	-7.2	-16.4	-16.5
ज) निवल पूजी प्रवाह (बिलियन अमरीकी डॉलर)	31.0	44.4	7.4	51.6	62.0	67.8
जिसमें से : भारत को विदेशी प्रत्यक्ष निवेश	16.7	15.3	41.7	33.1	25.9	33.0
एफआईआई	7.1	10.6	-15.0	29.0	29.4	16.8
अनिवासी भारतीय जमाराशियां	2.5	2.0	4.3	2.9	3.2	11.9
i) रिजर्व में परिवर्तन (भुगतान संतुलन आधार पर)	-22.9	-40.3	20.1	-13.4	-13.1	12.8
(बिलियन अमरीकी डॉलर) [वृद्धि (-) / कमी (+)]						
VI.2 बाह्य क्रण संकेतक						
क) विदेशी क्रण स्टाक (बिलियन अमरीकी डॉलर)**	157.3	156.5	224.5	260.9	305.9	345.8
ख) क्रण-जीडीपी अनुपात (प्रतिशत)	19.1	17.7	20.3	18.3	17.8	20.0
ग) रिजर्व द्वारा आयात कवर (महीने में) **	12.5	14.0	9.8	11.1	9.6	7.1
घ) कुल क्रण में अल्पावधि क्रण (प्रतिशत)	11.8	13.6	19.3	20.0	21.2	22.6
ड) क्रण चुकौती अनुपात (प्रतिशत)	9.8	8.3	4.4	5.8	4.3	6.0
च) क्रण चुकौती तुलना में रिजर्व (प्रतिशत) **	95.6	113.7	112.1	106.8	99.6	85.1
VI.3 खुलेपन के संकेतक (प्रतिशत)						
क) वस्तुओं का नियात + आयात/सकल देशी उत्पाद	29.5	30.4	40.6	35.5	37.5	43.8
ख) वस्तुओं और सेवाओं का नियात + आयात/जीडीपी	39.2	40.8	53.6	47.0	50.4	55.7
ग) चाल प्राप्तियां + चाल भुगतान/जीडीपी	45.1	46.6	60.6	53.6	56.0	61.5
घ) सकल पूजी अंतर्वाह + बैंहवाह/जीडीपी	33.6	36.8	51.0	47.0	55.6	48.2
ड) चाल प्राप्तियां और भुगतान + पूजी प्राप्तियां और भुगतान/ जीडीपी	78.8	83.5	111.6	100.6	111.6	109.6
VI.4 विनियम दर संकेतक						
क) विनियम दर (रुपया/अमरीकी डॉलर)						
अवधि की समाप्ति	45.4	43.1	50.9	45.1	44.6	51.2
औसत	45.6	44.1	45.9	47.4	45.6	47.9
ख) 36- मुद्रा रीर (प्रतिशत परिवर्तन)	0.4	1.0	-9.9	-3.2	8.0	-3.2
ग) 36- मुद्रा नीर (प्रतिशत परिवर्तन)	-0.3	0.5	-10.9	-2.6	3.1	-6.4
घ) 6 - मुद्रा रीर (प्रतिशत परिवर्तन)	1.5	2.5	-9.3	-0.3	13.0	-6.8
ड) 6 - मुद्रा नीर (प्रतिशत परिवर्तन)	-1.4	0.4	-13.6	-3.7	5.6	-7.9

त्व.अ. : त्वरित अनुमान स.अ. : संशोधित अनुमान

\$: इसमें तिलहन, गन्ना, कपास(लिटर) और कच्चा जूट और मेस्ता शामिल है।

- : उपलब्ध नहीं / लागू नहीं

^ : 31 मार्च को निवल एलएफ बकाया (क्रणात्मक अंतर्वेशन को दर्शाता है)।

^^ : केंद्र सरकार की दिनांकित प्रतिपूर्तियों में दैनिक एकमुश्त कारोबार की मात्रा का औसत।

: 2011-12 के आंकड़े संशोधित अनुमान हैं।

* : 2010-11 और 2011-12 के आंकड़े 28 राज्यों के हैं।

△ : वाणिज्यिक आसूचना और सारियकी महानिवेशलय के आंकड़ों पर आधारित।

× : आंकड़े 2000-2001 से 2008-09 तक के औसत हैं।

** : मार्च के अंत में

@@ : 1994-95 से 1999-2000 तक का औसत।

~ : वित्तीय वर्ष के अंतिम शुक्रवार को बकाया।

टिप्पणी: 1. पीएफसीई: निजी अंतिम उपभोग व्यय; जीएफसीई: सरकारी अंतिम उपभोग व्यय; रीर : वास्तविक प्रभावी विनियम दर।

2. 2011-12 के कुषि उत्पादन के आंकड़े चौथे अग्रिम अनुमानों पर आधारित हैं।

3. मद क्रमांक I.6 और I.7 के चौथे स्तंभ की औसत वृद्धि दर की गणना नए आधार वर्ष (2004-05) के आधार पर की गई है। तीन वर्ष अर्थात् 2005-06, 2006-07 और 2007-08 की औसत वृद्धि दर इस स्तंभ में दर्शाई गई है।

परिशिष्ट सारणी

**परिशिष्ट सारणी 2: वास्तविक सकल देशी उत्पाद की वृद्धि दरें और क्षेत्रीय संरचना
(2004-05 की मूल्यों पर)**

(प्रतिशत)

क्षेत्र	वृद्धि दर						वास्तविक जीडीपी में हिस्सा					
	आौसत 2007-08 से 2011-12	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11*	2011-12#	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11*	2011-12#	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1. कृषि और संबद्ध कार्यकलाप जिसमें से :	3.3	5.8	0.1	1.0	7.0	2.8	16.8	15.8	14.7	14.5	14.0	
कृषि	..	6.3	-0.3	0.7	7.8	..	14.3	13.4	12.4	12.3	..	
2. उद्योग जिसमें से :	6.3	9.2	4.1	8.9	6.8	2.6	20.6	20.1	20.2	19.9	19.2	
क) खनन और उत्खनन	3.2	3.7	2.1	6.3	5.0	-0.9	2.5	2.4	2.3	2.2	2.1	
ख) विनिर्माण	6.9	10.3	4.3	9.7	7.6	2.5	16.1	15.8	16.0	15.8	15.3	
ग) बिजली, गैस और पानी की आपूर्ति	6.0	8.3	4.6	6.3	3.0	7.9	2.0	2.0	1.9	1.9	1.9	
3. सेवाएं जिसमें से :	9.5	10.3	9.4	10.0	9.2	8.5	62.5	64.1	65.1	65.5	66.8	
क) विनिर्माण	7.3	10.8	5.3	7.0	8.0	5.3	8.1	8.0	7.9	7.9	7.8	
ख) व्यापार, होटल और रेस्तराँ	..	10.1	5.7	7.8	9.0	..	16.9	16.6	16.6	16.6	..	
ग) परिवहन, भंडारण और संचार	..	12.5	10.8	14.8	14.9	..	9.1	9.4	10.0	10.6	..	
घ) वित्तीय सहायता, बीमा और स्थावर संपदा और कारोबारी सेवाएं	10.7	12.0	12.0	9.4	10.4	9.6	16.1	16.9	17.1	17.4	17.9	
ड) सामुदायिक, सामाजिक और व्यक्तिगत सेवाएं	8.4	6.9	12.5	12.0	4.5	5.8	12.4	13.1	13.5	13.1	13.0	
4. कारक लागत पर सकल देशी उत्पाद	7.9	9.3	6.7	8.4	8.4	6.5	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	

ज्ञापन :

(बिलियन ₹)

क्षेत्र	(चालू बाजार मूल्यों पर)				
	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
1. कृषि और संबद्ध कार्यकलाप	8,365.2	9,432.0	10,793.7	12,698.9	14,173.7
2. उद्योग	9,413.6	10,492.2	11,769.5	13,555.9	15,034.3
3. सेवाएं	28,042.1	33,111.4	38,351.7	45,319.3	53,118.5
4. कारक लागत पर सकल देशी उत्पाद	45,820.9	53,035.7	60,914.9	71,574.1	82,326.5
क्षेत्र	(स्थिर मूल्यों पर)				
	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
1. कृषि और संबद्ध कार्यकलाप	6,550.8	6,556.9	6,625.1	7,091.0	7,286.7
2. उद्योग	8,045.0	8,374.1	9,122.2	9,745.3	10,000.4
3. सेवाएं	24,370.6	26,655.8	29,329.1	32,023.2	34,738.1
4. कारक लागत पर सकल देशी उत्पाद	38,966.4	41,586.8	45,076.4	48,859.5	52,025.1

* : त्वरित अनुमान # : संशोधित अनुमान

.. : उपलब्ध नहीं

स्रोत : केंद्रीय सारिख्यकों कार्यालय।

परिशिष्ट सारणी

परिशिष्ट सारणी 3: सकल देशी बचत और निवेश

मद	चालू बाजार मूल्यों पर जीडीपी का प्रतिशत				राशि बिलियन ₹ में		
	औसत 2003-04 से 2007-08	2008-09	2009-10 अ	2010-11*	2008-09	2009-10 अ	2010-11*
1	2	3	4	5	6	7	8
1. पारिवारिक बचत (निवल) (क+ख)	23.2	23.6	25.4	22.8	13,309	16,390	17,493
क) वित्तीय आस्तियां	11.2	10.1	12.9	10.0	5,710	8,356	7,677
ख) भौतिक आस्तियां	12.0	13.5	12.4	12.8	7,598	8,035	9,816
2. निजी कंपनी क्षेत्र	7.2	7.4	8.2	7.9	4,175	5,321	6,025
3. सरकारी क्षेत्र	2.9	1.0	0.2	1.7	543	118	1,302
4. सकल देशी बचत	33.3	32.0	33.8	32.3	18,026	21,830	24,819
5. निवल पूँजी आगाम	2.1	2.3	2.8	2.7	1,288	1,807	2,101
6. सकल देशी पूँजी निर्माण (7+8)	33.6	34.3	36.6	35.1	19,314	23,637	26,920
7. भूल- चूक	0.3	-1.2	0.5	-0.7	-687	313	-572
8. सकल पूँजी निर्माण	33.4	35.5	36.1	35.8	20,001	23,324	27,492
जिसमें से :							
क) सरकारी क्षेत्र	7.8	9.4	9.2	8.8	5,317	5,916	6,762
ख) निजी कंपनी क्षेत्र	12.5	11.3	12.7	12.1	6,363	8,210	9,285
ग) पारिवारिक क्षेत्र	12.0	13.5	12.4	12.8	7,598	8,035	9,816
ड) मूल्यवान वस्तुएं #	1.1	1.3	1.8	2.1	722	1,163	1,628
ज्ञापन :							
कुल उपभोग व्यय (क+ख)		69.4	69.4	68.4	38,646	44,824	52,491
क) निजी अंतिम उपभोग व्यय		58.4	57.4	56.5	32,493	37,081	43,384
ख) सरकारी अंतिम उपभोग व्यय		11.0	12.0	11.9	6,153	7,743	9,107
बचत-निवेश का शेष (4-6)	-2.1	-2.3	-2.8	-2.8			
सरकारी क्षेत्र का शेष #	-4.9	-8.4	-9.0	-7.1			
निजी क्षेत्र का शेष #							
क) निजी कंपनी क्षेत्र	-5.3	-3.9	-4.5	-4.2			
ख) पारिवारिक क्षेत्र	11.2	10.1	13.0	10.0			
बाजार मूल्यों पर जीडीपी (चालू मूल्यों पर)	38,111	55,826	64,574	76,741			

अ : अनंतिम अनुमान

* : त्वरित अनुमान

: कला की वस्तुओं और पुरातात्त्विक वस्तुओं को छोड़कर ऐसी मूल्यवान वस्तुएं प्राप्त करने के लिए किया गया व्यय शामिल है।

स्रोत : केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय।

परिशिष्ट सारणी

परिशिष्ट सारणी 4: पारिवारिक क्षेत्र की वित्तीय बचत (सकल)

मद	सकल वित्तीय बचत के प्रतिशत के रूप में			बिलियन ₹		
	2009-10 सं	2010-11 सं	2011-12 ग्रा.	2009-10 सं	2010-11 सं	2011-12 ग्रा.
1	2	3	4	5	6	7
अ. वित्तीय आस्तियों में परिवर्तन (सकल वित्तीय बचत)	100.0	100.0	100.0	9,898.0	9,913.1	9,690.8
क) मुद्रा	9.8	13.8	11.3	969.4	1,371.3	1,090.2
ख) जमाराशियां	41.9	45.6	52.8	4,148.7	4,516.8	5,120.3
i) वाणिज्यिक बैंकों के पास	36.6	41.3	48.5	3,620.0	4,093.6	4,704.2
ii) गैर-बैंकिंग कंपनियों के पास	1.9	0.4	1.5	185.2	43.9	148.5
iii) सहकारी बैंक और समितियों के पास	3.7	3.1	2.3	361.4	311.1	222.5
iv) व्यापार ऋण (निवल)	-0.2	0.7	0.5	-17.8	68.2	45.1
ग) शेयर तथा डिवेंचर	4.5	0.2	-0.7	448.4	17.3	-65.1
जिसमें से :						
i) निजी कंपनी कारोबार	0.7	0.7	0.1	70.5	67.8	13.2
ii) बैंकिंग	0.1	0.1	0.1	9.5	8.1	9.1
iii) सरकारी उपक्रमों के बांड	0.1	0.1	0.1	6.1	8.3	11.3
iv) म्यूचुअल फंड (यूटीआई सहित)	3.3	-1.2	-1.1	330.4	-115.6	-106.2
घ) सरकार पर दावे	4.4	4.1	-2.1	434.8	410.6	-205.1
i) सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश	0.0	0.0	0.0	3.9	3.4	3.9
ii) अल्प बचत आदि में निवेश .	4.3	4.0	-2.3	424.8	399.0	-220.3
ड) जीवन बीमा निधि	26.2	22.3	23.1	2,598.2	2,207.3	2,234.3
जिसमें से :						
i) भारतीय जीवन बीमा निगम तथा अन्य निजी बीमा कंपनियों की जीवन निधियां	25.6	22.2	23.2	2,536.3	2,200.0	2,250.0
च) भविष्य निधि और पेंशन निधि	13.1	14.0	15.6	1,298.5	1,389.7	1,516.1
आ. वित्तीय देयताओं में परिवर्तन				2,034.5	2,783.2	2,741.7
इ. पारिवारिक क्षेत्र की निवल वित्तीय बचत				7,863.5	7,129.9	6,949.2

सं. : संशोधित

प्रा : प्रारंभिक अनुमान

टिप्पणी : पूर्णांकन के कारण घटक मदों के जोड़ तथा दिखाए गए जोड़ के बीच अंतर हो सकता है।

परिशिष्ट सारणी

परिशिष्ट सारणी 5: कृषि उत्पादन

(मिलियन टन)

फसल	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12#
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. सभी फसलें : वार्षिक वृद्धि दर (प्रतिशत) \$	-12.8	7.3	-1.6	12.1	14.3	3.0	-6.4	-1.4	16.1	3.6
अ) खाद्यान्न	-18.5	22.5	-7.0	5.8	4.1	6.2	1.6	-6.9	12.2	5.1
आ) खाद्येतर	-5.7	-8.9	1.5	16.1	19.4	1.6	-10.0	1.5	17.9	2.9
अ खाद्यान्न (1+2+3+4, क+ख)	174.8	213.2	198.4	208.6	217.3	230.8	234.5	218.1	244.8	257.4
1. चावल	71.8	88.5	83.1	91.8	93.4	96.7	99.2	89.1	95.3	104.3
2. गेहूं	65.8	72.2	68.6	69.4	75.8	78.6	80.7	80.8	85.9	93.9
3. मोटे अनाज	26.1	37.6	33.5	34.1	33.9	40.8	40.0	33.6	43.7	42.0
जिसमें से :										
i) ज्वार	7.0	6.7	7.2	7.6	7.2	7.9	7.2	6.7	7.0	6.0
ii) बाजरा	4.7	12.1	7.9	7.7	8.4	10.0	8.9	6.5	10.4	10.1
iii) मक्का	11.2	15.0	14.2	14.7	15.1	19.0	19.7	16.7	21.7	21.6
4. दालें	11.1	14.9	13.1	13.4	14.2	14.8	14.6	14.7	18.2	17.2
जिसमें से :										
i) तूर	2.2	2.4	2.4	2.7	2.3	3.1	2.3	2.5	2.9	2.7
ii) चना	4.2	5.7	5.5	5.6	6.3	5.8	7.1	7.5	8.2	7.6
क) खरोफ	87.2	117.0	103.3	109.9	110.6	121.0	118.1	104.0	123.6	129.9
1. चावल	63.1	78.6	72.2	78.3	80.2	82.7	84.9	75.9	80.7	91.5
2. मोटे अनाज	20.0	32.2	26.4	26.7	25.6	31.9	28.5	23.8	33.4	32.3
जिसमें से :										
i) ज्वार	4.2	4.8	4.0	4.1	3.7	4.1	3.1	2.8	3.4	3.2
ii) बाजरा	4.7	12.1	7.9	7.7	8.4	10.0	8.9	6.5	10.4	10.1
iii) मक्का	9.3	12.7	11.5	12.2	11.6	15.1	14.1	12.3	16.6	16.2
3. दालें	4.2	6.2	4.7	4.9	4.8	6.4	4.7	4.2	7.1	6.2
जिसमें से :										
i) तूर	2.2	2.4	2.4	2.7	2.3	3.1	2.3	2.5	2.9	2.7
ख) रबी	87.6	96.2	95.1	98.7	106.7	109.8	116.3	114.2	123.6	127.5
1. चावल	8.7	9.9	10.9	13.5	13.2	14.0	14.3	13.2	15.3	12.8
2. गेहूं	65.8	72.2	68.6	69.4	75.8	78.6	80.7	80.8	86.9	93.9
3. मोटे अनाज	6.1	5.4	7.1	7.3	8.3	8.9	11.5	9.7	10.3	9.8
जिसमें से :										
i) ज्वार	2.8	1.8	3.2	3.6	3.4	3.8	4.2	3.9	3.6	2.8
ii) मक्का	1.9	2.3	2.7	2.6	3.5	3.9	5.6	4.4	5.1	5.4
4. दालें	7.0	8.7	8.4	8.5	9.4	8.4	9.9	10.5	11.1	11.1
जिसमें से :										
i) चना	4.2	5.7	5.5	5.6	6.3	5.8	7.1	7.5	8.2	7.6
आ खाद्येतर										
1. तिलहन ++	14.8	25.2	24.4	28.0	24.3	29.8	27.7	24.9	32.5	30.0
जिसमें से :										
i) मुँगफली	4.1	8.1	6.8	8.0	4.9	9.2	7.2	5.4	6.6	6.9
ii) रेपसीड और सरसों	3.9	6.3	7.6	8.1	7.4	5.8	7.2	6.6	8.2	6.8
iii) सनफलावर	0.9	0.9	1.2	1.4	1.2	1.5	1.2	0.9	0.2	0.1
iv) सोयाबिन	4.7	7.8	6.9	8.3	8.9	11.0	9.9	10.0	12.7	12.3
2. गन्ना	287.4	233.9	237.1	281.2	355.5	348.2	285.0	292.3	342.4	357.7
3. कपास @	8.6	13.7	16.4	18.5	22.6	25.9	22.3	24.2	33.0	35.2
4. ज्यूट और मेस्ता +	11.3	11.2	10.3	10.8	11.3	11.2	10.4	11.8	10.6	11.6
5. चाय *	846.0	878.7	906.8	948.9	973.1	987.0	972.8	991.2	966.7	978.2
6. कॉफी *	275.3	270.5	275.5	274.0	288.0	262.0	262.3	289.6	302.0	314.0

: जुलाई 2012 का चौथा अग्रिम अनुमान।

\$: वृद्धि दरें कृषि उत्पादन सूचकांक पर आधारित हैं जिसका आधार 1993-94 को समाप्त वर्षत्रय =100। 2011-12 के आंकड़े 2007-08 से 2010-11 की अवधि के औसत हैं।

@ : प्रत्येक 170 किलोग्राम के मिलियन बेल।

+ : प्रत्येक 180 किलोग्राम के मिलियन बेल।

++ : कुल मिलाकर रायारह में से नौ तिलहनों के लिए।

* : मिलियन किलोग्राम। 2010-11 तथा 2011-12 के चाय का उत्पादन 2006-07 से 2010-11 के दौरान का औसत है।

स्रोत: कृषि मंत्रालय, भारत सरकार।

परिशिष्ट सारणी

परिशिष्ट सारणी 6: खाद्यान्न की खरीद, उठाव और स्टॉक

(मिलियन टन)

वर्ष	खरीद			उठाव			स्टॉक *		
	चावल	गेहूं	कुल	चावल	गेहूं	कुल	चावल	गेहूं	कुल #
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1995-96	9.9	12.3	22.1	11.6	12.7	24.3	13.0	7.7	20.8
1996-97	11.8	8.1	20.0	12.3	13.3	25.6	13.1	3.2	16.4
1997-98	14.5	9.3	23.8	11.2	7.7	18.9	13.0	5.0	18.1
1998-99	11.5	12.6	24.2	11.8	8.9	20.7	12.1	9.6	21.8
1999-00	16.6	14.1	30.7	12.4	10.6	23.0	15.7	13.1	28.9
2000-01	18.9	16.3	35.2	10.4	7.7	18.2	23.1	21.5	44.9
2001-02	21.1	20.6	41.7	15.3	15.9	31.3	24.9	26.0	51.0
2002-03	19.0	19.0	38.0	24.8	24.9	49.8	17.1	15.6	32.8
2003-04	20.7	15.8	36.5	25.0	24.2	49.3	13.0	6.9	20.6
2004-05	24.0	16.8	40.8	23.2	18.2	41.4	13.3	4.0	17.9
2005-06	26.6	14.7	41.4	25.0	17.1	42.2	13.6	2.0	16.6
2006-07	26.3	9.2	35.5	25.0	11.7	36.7	13.1	4.7	17.9
2007-08	26.2	11.1	37.4	25.2	12.2	37.4	13.8	5.8	19.7
2008-09	32.8	22.6	55.5	24.6	14.8	39.5	21.6	13.4	35.5
2009-10	32.5	25.3	57.9	26.8	21.9	48.8	26.7	16.1	43.3
2010-11	31.1	25.9	56.7	29.8	23.0	52.8	28.8	15.3	44.3
2011-12	37.91	28.33	66.35	32.12	24.16	56.24	33.35	19.95	53.44
2012-13	5.67	38.15	43.81	2.27	1.66	3.94	28.50	47.53	76.15

* : मार्च के अंत में स्टॉक।

: मोटे अनाज सहित।

टिप्पणी : 2012-13 के उठाव के आंकड़े अप्रैल 2012 के हैं; खरीद के आंकड़े 13 अगस्त 2012 के और स्टॉक के आंकड़े जुलाई 2012 के अंत के हैं।

स्रोत : खाद्य मंत्रालय, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण, भारत सरकार।

परिशिष्ट सारणी

परिशिष्ट सारणी 7 : औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक का रुझान
(आधार : 2004-05=100)

क्षेत्र		खनन और उत्खनन		विनिर्माण		बिजली		साधारण	
भार		14.2		75.5		10.3		100.0	
अवधि		सूचकांक	वृद्धि दर (प्रतिशत)	सूचकांक	वृद्धि दर (प्रतिशत)	सूचकांक	वृद्धि दर (प्रतिशत)	सूचकांक	वृद्धि दर (प्रतिशत)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2007-08		112.5	4.6 (3.7)	150.1	18.4 (92.4)	120.0	6.3 (3.9)	141.7	15.5 (100.0)
2008-09		115.4	2.6 (11.5)	153.8	2.5 (78.9)	123.3	2.7 (9.6)	145.2	2.5 (100.0)
2009-10		124.5	7.9 (16.8)	161.3	4.8 (73.1)	130.8	6.1 (10.1)	152.9	5.3 (100.0)
2010-11		131.0	5.2 (7.3)	175.7	8.9 (86.7)	138.0	5.5 (5.9)	165.5	8.2 (100.0)
2011-12 अ		128.5	-2.0 (-7.6)	181.0	3.0 (83.2)	149.3	8.2 (24.3)	170.3	2.9 (100.0)
2010-11									
अप्रैल-जून		126.8	8.0	165.4	10.4	136.6	5.4	157.0	9.6
जुलाई-सितंबर		120.9	6.3	169.8	7.4	134.4	2.1	159.2	6.8
अक्टूबर- दिसंबर		135.1	6.3	176.8	9.2	136.1	6.5	166.7	8.6
जनवरी-मार्च		141.4	1.1	190.7	8.9	145.0	8.1	179.0	7.9
अप्रैल-सितंबर		123.8	7.2	167.6	8.9	135.5	3.8	158.1	8.2
अक्टूबर-मार्च		138.2	3.6	183.8	9.0	140.6	7.3	172.9	8.3
2011-12 अ									
अप्रैल-जून		127.6	0.6	178.2	7.7	147.9	8.3	167.9	6.9
जुलाई-सितंबर		116.0	-4.1	175.5	3.4	148.5	10.5	164.3	3.2
अक्टूबर- दिसंबर		129.4	-4.2	178.8	1.1	149.2	9.6	168.7	1.2
जनवरी-मार्च		140.9	-0.4	191.4	0.3	151.6	4.5	180.1	0.6
अप्रैल-सितंबर		121.8	-1.6	176.9	5.5	148.2	9.4	166.1	5.1
अक्टूबर-मार्च		135.1	-2.3	185.1	0.7	150.4	7.0	174.4	0.9

अ : अनंतिम

टिप्पणी : कोष्ठकों के आंकड़े आनुपातिक योगदान के हैं जिनका परिकलन संबंधित उद्योग समूह के भार के लिए समायोजित समग्र सूचकांक में हुए परिवर्तन की तुलना में संबंधित उद्योग समूह के सूचकांक में हुए परिवर्तन के अनुपात (प्रतिशत में) के रूप में किया गया है।

स्रोत : केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय।

परिशिष्ट सारणी

परिशिष्ट सारणी 8: थोक मूल्य सूचकांक में घट-बढ़
(आधार : 2004-05 = 100)

(प्रतिशत)

प्रमुख समूह / उप-समूह/ पण्य	भार	घट-बढ़					
		वर्ष-दर-वर्ष		औसत		वर्ष-दर-वर्ष	
		मार्च 2011	मार्च 2012	2010-11	2011-12	जुलाई 2011	जुलाई 2012 अ
1	2	3	4	5	6	7	8
सभी पण्य		100.0	9.7	7.7	9.6	8.9	9.4
I. प्राथमिक वस्तुएं		20.1	13.4	10.4	17.7	9.8	11.5
1. खाद्य वस्तुएं		14.3	9.4	10.1	15.6	7.3	8.2
क) अनाज		3.4	3.5	4.6	5.3	3.9	5.2
i) चावल		1.8	2.3	5.0	5.9	3.1	2.4
ii) गेहूं		1.1	0.2	-0.6	3.0	-1.8	1.8
ख) दालें		0.7	-4.0	10.1	3.2	2.5	-7.5
ग) फल और सब्जियाँ		3.8	18.9	10.0	16.4	6.5	11.6
घ) दूध		3.2	4.4	15.3	20.1	10.3	10.8
ड) आडे, मांस और मछली		2.4	13.5	17.4	25.5	12.7	9.6
च) मसाले		0.6	20.4	-13.2	33.6	-2.6	2.0
छ) चाय और कॉफी		0.2	4.7	12.6	-7.3	19.0	24.8
2. खाद्येतर वस्तुएं		4.3	27.3	-0.8	22.3	9.6	15.8
क) रेशे		0.9	87.7	-31.3	41.7	10.1	29.7
i) कच्चा कपास		0.7	103.0	-35.2	43.9	13.0	35.3
ख) तिलहन		1.8	10.9	13.4	4.7	12.3	13.9
ग) गन्ना		0.6	7.1	0.0	46.8	6.4	7.1
3. खनिज		1.5	15.2	34.5	24.8	26.6	25.8
क) खनिज अयस्क		0.2	40.2	2.2	78.8	10.4	5.0
ख) कच्चा पेट्रोलियम		0.9	6.3	59.9	11.8	45.2	45.1
II. ईंधन तथा उर्जा		14.9	12.5	12.8	12.3	14.0	12.0
1. कोयला		2.1	13.3	13.9	5.7	15.5	13.3
2. खनिज तेल		9.4	14.7	14.7	16.0	16.9	15.4
3. बिजली		3.5	3.6	4.0	5.4	1.6	-1.3
III. विनिर्मित उत्पाद		65.0	7.4	5.2	5.7	7.3	7.7
1. खाद्य उत्पाद		10.0	2.4	6.2	3.7	7.1	8.1
क) डेही उत्पाद		0.6	4.8	13.9	9.6	12.8	9.2
ख) अनाज मिल उत्पाद		1.3	0.7	-1.6	5.7	0.3	1.2
ग) चीनी, खांडसारी और गुड़		2.1	-7.8	3.2	-0.9	4.5	3.6
घ) खाद्य तेल		3.0	13.0	9.9	5.4	12.6	14.8
ड) खत्ती		0.5	1.5	6.3	0.8	4.0	6.4
2. पेय पदार्थ, तंबाकू और तंबाकू उत्पाद		1.8	8.8	8.9	7.4	11.7	12.6
3. टेक्स्टाइल		7.3	18.3	-3.4	12.1	7.5	11.4
क) सूती कपड़ा		2.6	33.1	-8.7	18.7	11.3	18.9
ख) कृत्रिम टेक्स्टाइल		2.2	12.6	-1.6	10.4	5.6	7.2
4. लकड़ी और लकड़ी के उत्पाद		0.6	3.6	8.6	4.0	8.1	9.6
5. कागज तथा उसके उत्पाद		2.0	8.4	2.5	5.3	5.4	6.4
6. चमड़ा तथा उसके उत्पाद		0.8	-1.5	4.9	-1.0	2.3	1.0
7. रबड़ तथा प्लास्टिक उत्पाद		3.0	10.6	1.2	6.7	6.0	7.8
8. रसायन तथा उसके उत्पाद		12.0	7.4	7.7	5.3	8.6	8.7
क) मूल अकार्बनिक रसायन		1.2	4.1	8.3	1.0	9.5	10.6
ख) मूल कार्बनिक रसायन		2.0	8.8	5.8	7.5	8.6	10.9
ग) उवरक		2.7	9.9	16.9	8.0	13.5	10.1
घ) कीटनाशक दवाएं		0.5	1.9	2.0	2.7	1.1	1.0
ड.) औषध तथा दवाएं		0.5	3.4	3.9	2.4	3.7	3.0
9. अध्यात्मिक खनिज उत्पाद		2.6	3.7	6.7	2.7	5.7	3.5
क) सीमेट और चूना		1.4	1.7	6.1	1.2	4.1	-0.3
10. मूल धातुएं, मिश्र धातु तथा धातु उत्पाद		10.7	11.7	10.1	8.7	11.1	10.6
क) लोह धातु		8.1	11.7	9.9	8.7	10.4	10.4
ख) लोह से इतर धातुएं		1.0	2.3	1.9	5.3	2.4	3.1
ग) धातु उत्पाद		1.7	17.0	15.0	10.7	18.5	16.2
11. मशीनरी और मशीन टूल्स		8.9	3.2	2.5	2.8	3.1	3.1
क) गैर-इलेक्ट्रिक मशीनरी		1.0	1.3	2.2	2.8	2.7	2.3
ख) इलेक्ट्रिक मशीनरी, उपकरण और बैटरी		2.3	3.2	3.6	1.5	4.7	4.4
12. परिवहन, उपकरण और कल-पुर्जे		5.2	3.6	3.3	3.0	3.5	3.2

अ : अर्थात्

स्रोत: आर्थिक सलाहकार का कार्यालय, वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार

परिशिष्ट सारणी

परिशिष्ट सारणी 9: आरक्षित मुद्रा में घट-बढ़

(राशि बिलियन ₹ में)

मद	31 मार्च 2012 को बकाया	घट-बढ़							
		वित्तीय वर्ष				वर्ष-दर-वर्ष			
		2010-11		2011-12		राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
आरक्षित मुद्रा (घ.1+घ.2+घ.3 = स्रो.1+ स्रो.2+ स्रो.3+ स्रो.4+ स्रो.5- स्रो.6)	14,271.7	2,211.7	19.1	503.5	3.7	1,928.7	16.4	924.5	6.8
घटक									
घ.1. संचलन में मुद्रा	10,680.6	1,501.1	18.8	1,184.0	12.5	1,316.6	15.3	1,248.6	12.6
घ.2. भा.रि.बैंक के पास बैंकों की जमाराशि जिसमें से :	3,562.9	712.1	20.2	-672.2	-15.9	643.2	20.5	-352.8	-9.3
अनुसूचित वाणिज्य बैंक	3,373.6	687.2	20.6	-653.0	-16.2	623.7	21.1	-334.7	-9.4
घ.3. भा.रि.बैंक के पास अन्य जमाराशि	28.2	-1.5	-4.0	-8.3	-22.7	-31.1	-74.1	28.7	264.1
स्रोत									
स्रो.1. सरकार को निवल बैंक ऋण (क+ख)	5,357.4	1,849.7	-	1,391.8	-	1,609.6	-	1,799.2	-
क) केंद्र सरकार को निवल भा.रि.बैंक ऋण (i-ii)	5,344.1	1,824.5	-	1,403.8	-	1,607.4	-	1,799.5	-
i) केंद्र सरकार पर दावे	5,528.3	1,714.6	-	1,587.0	-	1,607.4	-	1,799.5	-
ii) केंद्र सरकार की जमाराशियां	184.2	-109.9	-	183.2	-	0.0	-	0.1	-
ख) राज्य सरकारों को निवल भा.रि.बैंक ऋण (i-ii)	13.2	25.2	-	-12.0	-	2.2	-	-0.3	-
i) राज्य सरकारों पर दावे	13.7	28.7	-	-15.5	-	2.2	-	-0.3	-
ii) राज्य सरकारों की जमाराशियां	0.4	3.6	-	-3.6	-	0.0	-	0.0	-
स्रो.2. भा.रि.बैंक के वाणिज्य और सहकारी बैंकों पर ¹ दावे	48.5	39.9	-	-3.1	-	-0.1	-	66.9	-
जिसमें से:									
अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को ऋण तथा अग्रिम	48.5	39.5	-	-2.7	-	-0.2	-	65.6	-
स्रो.3. भा.रि.बैंक का वाणिज्यिक क्षेत्रों को ऋण	39.6	8.4	-	18.0	-	3.9	-	33.1	-
स्रो.4. भा.रि.बैंक की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	14,722.0	966.2	7.8	1,436.3	10.8	1,141.6	8.9	1,695.8	12.1
स्रो.5. जनता के प्रति सरकार की मुद्रा देयताएं	142.7	14.5	12.9	15.5	12.2	14.3	12.2	13.5	10.2
स्रो.6. भा.रि.बैंक की निवल मुद्रेतर देयताएं	6,038.4	667.1	22.1	2,354.9	63.9	840.6	25.2	2,684.0	64.3
स्रो.7. भा.रि.बैंक की निवल देशी आस्तियां (स्रो.1+ स्रो.2+ स्रो.3+ स्रो.5- स्रो.6)	-450.2	1,245.4	-	-932.7	-	787.1	-	-771.4	-

आंकड़े अनंतिम हैं।

परिशिष्ट सारणी

परिशिष्ट सारणी 10: मुद्रा स्टॉक में घट-बढ़

(राशि बिलियन ₹ में)

मद	31 मार्च 2012 को बकाया	घट-बढ़							
		वित्तीय वर्ष				वर्ष-दर-वर्ष			
		राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
संकोर्ण मुद्रा (एम ₁) [(घ.1+घ.2(क)+घ.3)]	17,342.3	1,490.8	10.0	958.9	5.9	698.4	4.6	1,522.1	9.6
व्यापक मुद्रा (एम ₃)	73,592.0	9,014.2	16.1	8,550.8	13.1	9,734.9	16.7	9,179.5	13.5
(घ.1+घ.2+घ.3 = स्रो.1+ स्रो.2+ स्रो.3+ स्रो.4- स्रो.5)									
घटक									
घ.1. जनता के पास मुद्रा	10,265.0	1,443.4	18.8	1,146.6	12.6	1,213.2	14.9	1,236.8	13.2
घ.2. बैंकों की कुल जमाराशि (क+ख)	63,298.8	7,572.3	15.7	7,412.5	13.3	8,552.4	17.0	7,916.7	13.5
क) मांग जमाराशि	7,049.1	48.9	0.7	-179.4	-2.5	-484.1	-7.0	259.3	4.0
ख) सावधि जमाराशि	56,249.7	7,523.4	18.3	7,591.9	15.6	9,036.5	20.9	7,657.4	14.6
घ.3. भा.रि.बैंक के पास ‘अन्य’ जमाराशि	28.2	-1.5	-4.0	-8.3	-22.7	-30.6	-69.0	26.0	188.6
स्रोत									
स्रो.1. सरकार को निवल बैंक ऋण (अ+आ)	23,695.5	3,147.1	18.9	3,856.5	19.4	3,891.8	22.1	4,143.4	19.3
अ. सरकार को निवल भा.रि.बैंक ऋण (क+ख)	5,357.4	1,849.7	—	1,391.8	—	1,495.0	—	1,750.1	—
क. केंद्र सरकार को निवल भा.रि.बैंक ऋण	5,344.1	1,824.5	—	1,403.8	—	1,494.8	—	1,742.4	—
ख. राज्य सरकारों को निवल भा.रि.बैंक ऋण	13.2	25.2	—	-12.0	—	0.2	—	7.8	—
आ. सरकार को ‘अन्य बैंक’ से ऋण	18,338.1	1,297.4	8.9	2,464.7	15.5	2,396.8	15.6	2,393.3	13.5
स्रो.2 वाणिज्यिक क्षेत्र को बैंक ऋण (अ+आ)	49,594.3	7,452.7	21.3	7,227.5	17.1	6,834.9	18.8	7,278.1	16.8
अ. वाणिज्यिक क्षेत्र को भा.रि.बैंक ऋण	39.6	8.4	—	18.0	—	4.7	—	29.7	—
आ. वाणिज्यिक क्षेत्र को अन्य बैंक ऋण	49,554.7	7,444.3	21.3	7,209.5	17.0	6,830.1	18.8	7,248.5	16.8
स्रो.3. बैंकिंग क्षेत्र की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां (अ+आ)	15,437.8	1,118.8	8.7	1,504.4	10.8	843.3	6.3	2,235.2	15.8
अ. भा.रि.बैंक की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	14,722.0	966.2	7.8	1,436.3	10.8	847.9	6.6	1,933.6	14.0
आ. ‘अन्य बैंक’ की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	715.8	152.5	30.8	68.1	10.5	-4.6	-1.1	301.7	72.8
स्रो.4. जनता के प्रति सरकार की मुद्रा देयताएं	142.7	14.5	12.9	15.5	12.2	14.3	12.2	13.5	10.2
स्रो.5. बैंकिंग क्षेत्र की निवल मुद्रेतर देयताएं (अ+आ)	15,278.3	2,718.9	32.0	4,053.0	36.1	1,849.4	20.5	4,490.8	41.3
अ. भा.रि.बैंक की निवल मुद्रेतर देयताएं	6,038.4	667.1	22.1	2,354.9	63.9	499.3	13.9	2,903.0	71.0
आ. अन्य बैंकों की निवल मुद्रेतर देयताएं (अवशिष्ट)	9,239.9	2,051.9	37.4	1,698.1	22.5	1,350.1	24.8	1,587.8	23.4

टिप्पणी : आंकड़े अनंतिम हैं।

परिशिष्ट सारणी

परिशिष्ट सारणी 11: सकल बैंक ऋण का क्षेत्रवार नियोजन

(राशि बिलियन ₹ में)

क्षेत्र	निम्नलिखित को बकाया			निम्नलिखित के दौरान घट-बढ़			
	26 मार्च 2010	25 मार्च 2011	23 मार्च 2012	2010-11		2011-12	
				राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8
I सकल बैंक ऋण (II + III)	30,885.7	37,314.7	43,713.5	6,429.0	20.8	6,398.9	17.1
II खाद्यान्न ऋण	485.6	641.1	816.1	155.5	32.0	175.0	27.3
III खाद्येतर ऋण (1 से 4)	30,400.1	36,673.5	42,897.4	6,273.5	20.6	6,223.9	17.0
1 कृषि और संबद्ध कार्यकलाप	4,161.3	4,603.3	5,225.3	442.0	10.6	622.0	13.5
2 उद्योग (सूक्ष्म तथा छोटे, मध्यम और बड़े)	13,114.5	16,208.5	19,659.8	3,094.0	23.6	3,451.3	21.3
3 सेवाएं	7,267.9	9,008.0	10,329.3	1,740.1	23.9	1,321.3	14.7
जिसमें से :							
3.1 परिवहन परिचालक	525.2	654.6	728.1	129.5	24.7	73.5	11.2
3.2 व्यावसायिक सेवाएं	434.0	602.7	638.9	168.7	38.9	36.1	6.0
3.3 व्यापार	1,645.0	1,862.9	2,208.8	217.9	13.2	345.9	18.6
3.4 वाणिज्यिक स्थावर संपदा	921.3	1,118.4	1,205.2	197.1	21.4	86.8	7.8
3.5 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां	1,134.4	1,755.8	2,218.1	621.4	54.8	462.4	26.3
4 व्यक्तिगत ऋण	5,856.3	6,853.7	7,683.1	997.4	17.0	829.4	12.1
जिसमें से :							
4.1 उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएं	82.9	101.6	88.0	18.6	22.4	-13.6	-13.4
4.2 आवास (प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के आवास सहित)	3,009.3	3,461.1	3,880.2	451.8	15.0	419.1	12.1
4.3 सावधि जमाराशियों की जमानत पर अग्रिम (एफसीएनआर (बी), एनआरएनआर जमाराशियों आदि सहित)	486.5	605.2	684.9	118.7	24.4	79.7	13.2
4.4 क्रेडिट कार्ड का बकाया	201.5	181.0	204.4	-20.5	-10.2	23.4	12.9
4.5 शिक्षा	368.6	437.1	501.9	68.5	18.6	64.8	14.8
ज्ञापन:							
5 प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र	10,921.8	12,393.9	13,992.5	1,472.1	13.5	1,598.6	12.9
जिसमें से :							
5.1 आवास	2,178.8	2,306.9	2,524.6	128.1	5.9	217.7	9.4

टिप्पणी: 1. आंकड़े अनंतिम हैं और उन चुनिदा बैंकों के हैं जिन्होंने सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा दिए गए कुल खाद्येतर ऋण का 95 प्रतिशत ऋण प्रदान किया।

2. सकल बैंक ऋण के आंकड़ों में रिजर्व बैंक, एक्जिम बैंक, अन्य वित्तीय संस्थाओं और अंतर बैंक सहभागिताओं के साथ पुनः भुनाए गए बिल शामिल हैं।

परिशिष्ट सारणी

परिशिष्ट सारणी 12 : पूँजी बाजार - प्राथमिक और द्वितीयक बाजार

(राशि बिलियन ₹ में)

मद	2010-11		2011-12	
	निर्गमों की संख्या	राशि	निर्गमों की संख्या	राशि
1	2	3	4	5
I. प्राथमिक बाजार				
अ. विवरणिका तथा राइट निर्गम *	77	376.2	51	128.6
1. निजी क्षेत्र (क+ख)	70	248.3	49	81.5
क) वित्तीय	6	43.3	10	37.9
ख) गैर-वित्तीय	64	205.0	39	43.6
2. सार्वजनिक क्षेत्र (क+ख+ग)	7	127.9	2	47.1
क) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	2	80.3	—	—
ख) सरकारी कंपनियां	—	—	1	1.3
ग) बैंक/वित्तीय संस्थाएं	5	47.6	1	45.8
3. कुल (1+2, i+ii, क+ख)	77	376.2	51	128.6
लिखत का स्वरूप				
(i) इक्विटी	77	376.2	51	128.6
(ii) ऋण	—	—	—	—
निर्गम का स्वरूप				
(क) आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव	51	170.5	34	59.1
(ख) सूचीबद्ध	26	205.7	17	69.5
आ. धूरो निर्गम (एडीआर और जीडीआर)	42	94.4	22	27.2
इ. निजी स्थानन				
1. निजी क्षेत्र (क+ख)	1,338	1,214.5	588	619.1
क) वित्तीय	878	719.8	527	387.1
ख) गैर-वित्तीय	460	494.8	61	232.0
2. सार्वजनिक क्षेत्र (क+ख)	250	1,169.4	266	1,560.7
क) वित्तीय	212	989.8	230	1,234.7
ख) गैर-वित्तीय	38	179.6	36	326.0
3. कुल (क+ख) (1+2, i+ii)	1,588	2,383.9	854	2,179.8
(i) इक्विटी	19	136.7	6	51.6
(ii) ऋण	1,569	2,247.2	848	2,128.2
ई. म्यूचुअल फंड द्वारा जुटाई गई राशि (निवल) #				
1. निजी क्षेत्र		-192.2		-154.5
2. सार्वजनिक क्षेत्र		-301.9		-65.8
II. द्वितीयक बाजार				
बोएससी सेन्सेक्स : अवधि के अंत में		19,445		17,404
अवधि औसत		18,605		17,423
अवधि-अर्जन अनुपात @		21.2		17.8
जीडीपी की तुलना में बाजार पूँजीकरण अनुपात (प्रतिशत)		89.1		70.1
टर्नओवर				
नकदी खंड		11,034.7		6,670.2
डेरिवेटिव खंड		1.5		8,084.8
एसएण्डपीसीएनएक्स निपटी : अवधि के अंत में		5,834		5,296
अवधि औसत		5,584		5,243
अवधि-अर्जन अनुपात @		22.1		18.7
जीडीपी की तुलना में बाजार पूँजीकरण अनुपात (प्रतिशत)		87.3		68.8
टर्नओवर				
नकदी खंड		35,774.1		28,108.9
डेरिवेटिव खंड		292,482.2		313,497.3

* : बिक्री प्रस्ताव को छोड़कर

- : शन्य/ नगण्य

@ : अवधि के अंत में

: चकौती को घटाकर

स्रोत : भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड, राष्ट्रीय शेयर बाजार, मुंबई शेयर बाजार और विभिन्न मर्चेट बैंकर्स।

परिशिष्ट सारणी

परिशिष्ट सारणी 13: भारत के डेरिवेटिव बाजार में टर्नओवर

(बिलियन ₹ में)

वर्ष / माह	इक्विटी डेरिवेटिव				करेसी डेरिवेटिव			ब्याज दर डेरिवेटिव
	इंडेक्स प्रैचर्स	इंडेक्स ऑफिस	स्टॉक प्रैचर्स	स्टॉक ऑफिस	वायदा	स्वैप	एक्सचेज में ट्रेड किये जाने वाले करेसी आषांस और प्रैचर्स	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2009-10	39,345	80,281	51,952	5,061	20,359	31,454	37,273	25,695
2010-11	43,569	172,694	54,958	10,303	28,902	41,125	84,153	47,464
2011-12	37,564	233,384	40,849	9,785	24,134	46,876	98,964	51,238
2010-11								
अप्रैल	2,796	9,055	4,098	767	1,743	2,646	7,193	2,448
मई	3,956	1,215	4,316	798	2,708	2,972	7,828	3,095
जून	3,723	11,699	4,218	715	2,324	3,104	7,525	5,326
जुलाई	2,894	10,434	4,234	737	1,951	3,170	5,334	5,501
अगस्त	2,991	11,575	4,963	1,009	2,227	3,450	4,923	5,135
सितंबर	3,839	16,885	5,556	1,085	2,494	3,206	8,685	3,123
अक्टूबर	4,025	17,055	6,088	1,077	3,125	4,281	9,058	3,464
नवंबर	4,248	19,029	5,399	982	2,724	3,895	6,770	2,772
दिसंबर	3,228	15,193	4,326	824	2,145	3,375	5,435	3,413
जनवरी	3,845	19,625	4,111	837	2,170	3,128	6,601	5,723
फरवरी	4,029	20,444	4,013	809	2,386	3,272	5,980	3,355
मार्च	3,996	20,486	3,634	663	2,905	4,626	8,732	4,109
2010-11								
अप्रैल	2,823	16,460	3,532	700	2,060	3,671	7,223	3,754
मई	3,057	18,929	3,367	701	2,172	4,749	10,005	4,789
जून	2,652	17,846	3,227	658	2,400	4,956	10,390	5,368
जुलाई	2,657	18,677	3,499	817	2,470	3,936	12,433	4,375
अगस्त	3,472	22,095	3,338	733	2,588	4,062	13,655	6,488
सितंबर	3,473	20,859	3,265	764	2,309	3,741	9,779	4,534
अक्टूबर	2,687	16,217	2,813	666	1,542	3,119	5,778	3,545
नवंबर	3,314	20,294	3,066	722	1,762	3,575	6,362	2,833
दिसंबर	3,447	21,157	2,821	730	1,584	3,458	6,084	2,993
जनवरी	2,974	15,631	3,528	1,074	1,476	3,940	6,113	4,999
फरवरी	3,252	21,758	4,536	1,216	1,333	3,720	5,179	3,531
मार्च	3,756	23,461	3,856	1,005	2,438	3,948	5,963	4,027
2012-13								
अप्रैल	2,606	19,120	3,039	1,006	4,386	3,599	4,590	3,129
मई	2,869	26,414	3,030	1,129	5,033	4,249	7,928	3,613
जून	2,851	26,752	3,048	1,081	4,544	4,169	..	5,437

स्रोत: भा.रि.बैंक, बीएसई, एनएसई, सीसीआईएल, यूएसई और सेबी।

.. : उपलब्ध नहीं।

परिशिष्ट सारणी

परिशिष्ट सारणी 14: भारतीय रूपये की वास्तविक प्रभावी विनिमय दर (रीर) और सांकेतिक प्रभावी विनिमय दर (नीर)

वर्ष / माह	36-मुद्रा व्यापार आधारित भारंक		6- मुद्रा व्यापार आधारित भारंक	
	(आधार 2004-05=100)		(आधार 2004-05=100)	
	रीर	नीर	रीर	नीर
1	2	3	4	5
2004-05	100.0	100.0	100.0	100.0
2005-06	103.1	102.2	105.2	103.0
2006-07	101.3	97.6	104.3	98.1
2007-08	108.5	104.8	112.8	104.6
2008-09	97.8	93.3	102.3	90.4
2009-10	94.7	90.9	102.0	87.1
2010-11(अ)	102.3	93.7	114.9	91.8
2011-12(अ)	99.2	87.6	111.9	84.9
2010-11 (अ)				
अप्रैल	103.9	96.4	115.5	94.4
मई	103.0	95.6	115.7	94.0
जून	102.4	94.8	114.7	93.3
जुलाई	100.1	92.1	112.2	90.8
अगस्त	99.7	92.1	112.3	90.8
सितंबर	100.9	93.0	113.6	91.2
अक्टूबर	102.8	94.6	114.8	92.2
नवंबर	101.8	93.4	114.6	91.4
दिसंबर	103.6	93.9	117.5	92.3
जनवरी	103.9	92.8	116.9	91.3
फरवरी	102.8	92.4	115.2	90.2
मार्च	103.4	92.7	116.0	90.3
2011-12 (अ)				
अप्रैल	104.4	93.1	117.4	90.4
मई	103.0	92.0	116.5	89.3
जून	103.3	92.0	116.1	89.3
जुलाई	104.4	92.6	117.7	90.3
अगस्त	102.4	90.6	115.7	88.1
सितंबर	99.4	87.9	112.5	85.1
अक्टूबर	96.8	85.5	108.9	82.4
नवंबर	94.5	83.0	106.3	80.0
दिसंबर	91.6	80.8	103.8	78.1
जनवरी	94.7	83.2	106.9	80.5
फरवरी	98.5	86.3	111.0	83.2
मार्च	96.9	84.2	109.6	81.6
2012-13(अ)				
अप्रैल	94.9	81.9	107.3	79.2
मई	91.5	78.7	104.1	76.1
जून	89.9	77.3	102.2	74.7

अ : अनंतिम

टिप्पणी : सूचकांक के संकलन की विस्तृत पद्धति के लिए भारतीय रिजर्व बैंक बुलेटिन के दिसंबर 2005 अंक में प्रकाशित लेख “ सांकेतिक प्रभावी विनिमय दर (नीर) और वास्तविक प्रभावी विनिमय दर (रीर) सूचकांक में संशोधन ” देखें।

परिशिष्ट सारणी

परिशिष्ट सारणी 15: प्रमुख राजकोषीय संकेतक

(जीडीपी के प्रतिशत के रूप में)

वर्ष	प्राथमिक घाटा	राजस्व घाटा	सकल राजकोषीय घाटा	बकाया देयताएं @	बकाया देयताएं \$
1	2	3	4	5	6
केंद्र					
1990-91	4.1	3.3	7.8	55.2	61.3
1995-96	0.9	2.5	5.1	50.9	59.0
2000-01	0.9	4.1	5.7	55.6	61.5
2007-08	-0.9	1.1	2.5	56.9	58.9
2008-09	2.6	4.5	6.0	56.1	58.6
2009-10	3.2	5.2	6.5	54.7	56.5
2010-11	1.8	3.3	4.9	51.3	52.8
2011-12 संअ	2.8 (2.7)	4.5 (4.3)	5.9 (5.8)	50.5	51.9
2012-13 बअ	1.9	3.4	5.1	49.5	—
राज्य*					
1990-91	1.8	0.9	3.3	22.5	22.5
1995-96	0.8	0.7	2.6	20.9	20.9
2000-01	1.8	2.6	4.2	28.3	28.3
2007-08	-0.5	-0.9	1.5	26.6	26.6
2008-09	0.6	-0.2	2.4	26.1	26.1
2009-10	1.2	0.5	2.9	25.5	25.5
2010-11	0.5	-0.1	2.1	23.4	23.4
2011-12 संअ	0.8	-0.1	2.3	22.5	22.5
2012-13 बअ	0.6	-0.4	2.1	21.8	21.8
संयुक्त *					
1990-91	5.0	4.2	9.4	64.7	70.9
1995-96	1.6	3.2	6.5	61.1	69.3
2000-01	3.6	6.6	9.5	70.4	76.5
2007-08	-1.2	0.2	4.0	69.5	71.4
2008-09	3.3	4.3	8.3	69.7	72.2
2009-10	4.5	5.7	9.4	69.0	70.8
2010-11	2.4	3.2	6.9	64.5	66.0
2011-12 संअ	3.6	4.4	8.2	64.1	65.6
2012-13 बअ	2.6	3.0	7.1	—	—

.. : उपलब्ध नहीं संअ : संशोधित अनुमान बअ : बजट अनुमान

* : 2010-11 से आगे के आंकड़े अनंतिम हैं और वे 28 राज्य सरकारों के बजेंटों के हैं।

@ : इसमें केंद्र की बाब्य देयताएं शामिल हैं जिनकी गणना ऐतिहासिक विनिमय दर पर की गई है।

\$: इसमें केंद्र की बाब्य देयताएं शामिल हैं जिनकी गणना चालु विनिमय दर पर की गई है।

टिप्पणी : (1) संयुक्त घाटा देयताएं संकेतक आंकड़े केंद्र और राज्य सरकार के बीच के अंतर सरकारी लेनदेनों को घटाकर है जैसे (क) राज्य सरकार की विशेष प्रतिभूतियों में एनएसएफ निवेश (ख) केंद्रों द्वारा राज्यों को ऋण अग्रिम (ग) केंद्र के खजाना बिलों में राज्य सरकार के निवेश।

(2) घाटा संकेतकों में ऋणात्मक चिह्न (-) अधिशेष दर्शाता है।

(3) कोष्ठकों के आंकड़े अनंतिम लेखा के हैं।

स्रोत : केंद्र और राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज़।

परिशिष्ट सारणी

परिशिष्ट सारणी 16: राज्य सरकारों के बजटीय परिचालन

अ : राज्य सरकारों के घाटे का मापन

(बिलियन ₹)

वर्ष	राजकोषीय घाटा		प्राथमिक घाटा		भा.रि.बैंक का निवल ऋण #	राजस्व घाटा
	सकल	निवल	सकल	निवल		
1	2	3	4	5	6	7
1990-91	187.9	145.3	101.3	82.8	4.2	53.1
1995-96	308.7	268.5	90.3	107.9	0.2	86.2
2000-01	879.2	855.8	369.4	455.5	-10.9	553.2
2007-08	754.6	689.6	-243.8	-182.3	11.4	-429.4
2008-09	1,345.9	1,296.9	316.3	430.9	-16.1	-126.7
2009-10	1,888.2	1,794.2	760.1	819.1	1.9	310.2
2010-11	1,602.2	1,464.0	355.8	373.9	25.2	-50.9
2011-12 (संअ.)	2,073.8	1,884.9	680.4	693.7	-15.3	-65.9
2012-13 (बअ.)	2,152.5	1,944.0	693.7	583.4	...	-425.9
चालू बाज़ार मूल्यों पर जीडीपी के प्रतिशत के स्तर में						
1990-91	3.3	2.6	1.8	1.5	0.1	0.9
1995-96	2.6	2.3	0.8	0.9	0.0	0.7
2000-01	4.2	4.1	1.8	2.2	-0.1	2.6
2007-08	1.5	1.4	-0.5	-0.4	0.0	-0.9
2008-09	2.4	2.3	0.6	0.8	0.0	-0.2
2009-10	2.9	2.8	1.2	1.3	0.0	0.5
2010-11	2.1	1.9	0.5	0.5	0.0	-0.1
2011-12 (संअ.)	2.3	2.1	0.8	0.8	0.0	-0.1
2012-13 (बअ.)	2.1	1.9	0.6	0.6	...	-0.4

आ : राज्य सरकारों के चुनिंदा बजटीय चर

(प्रतिशत)

मद	1990-2000 (औसत)	2010-11	2011-12 (संअ.)	2012-13 (बअ.)
		2	3	4
1. राजस्व घाटा / जीएफडी	36.2	-2.3	-2.9	-18.8
2. पूंजी परिव्यय / जीएफडी	49.2	95.3	94.2	110.2
3. विकासेतर राजस्व व्यय / राजस्व प्राप्तियां	39.8	37.4	35.0	34.7
4. ब्याज भुगतान / राजस्व प्राप्तियां	16.6	13.3	12.2	11.7
5. राज्यों के अपने राजस्व /जीडीपी	6.9	7.2	7.4	7.5
क) राज्यों के अपने कर राजस्व /जीडीपी	5.2	6.0	6.2	6.3
ख) राज्यों के अपने करेतर राजस्व /जीडीपी	1.7	1.2	1.2	1.2
6. चालू अंतरण/जीडीपी	4.4	5.0	5.5	5.6
क) केन्द्रीय करों में राज्यों का हिस्सा/जीडीपी	2.5	2.9	2.9	3.0
ख) केन्द्र से प्राप्त अनुदान/जीडीपी	1.9	2.1	2.5	2.6
7. विकासात्मक व्यय /जीडीपी	10.0	9.4	10.4	10.2
जिसमें से :				
सामाजिक क्षेत्र पर व्यय / जीडीपी	5.7	5.9	6.4	6.4
8. विकासेतर व्यय / जीडीपी	4.6	4.7	4.7	4.7
9. प्रतिबद्ध व्यय /जीडीपी	3.7	4.1	4.0	4.0
10. पूंजीगत परिव्यय/जीडीपी	1.4	2.0	2.2	2.3

संअ : संशोधित अनुमान बअ : बजट अनुमान जीएफडी : सकल राजकोषीय घाटा

... : उपलब्ध नहीं

: आंकड़े उन राज्य सरकारों के हैं जिनके खाते भारतीय रिजर्व बैंक के पास हैं।

टिप्पणी : 1. घाटा सकेतकों में ऋणात्मक चिह्न (-) अधिरेष सूचित करता है।

2. प्रतिबद्ध व्यय में ब्याज ,पेशन तथा प्रशासनिक सेवाओं पर किये गये व्यय शामिल हैं।

3. चालू अंतरण में केन्द्रीय करों में राज्यों का हिस्सा तथा केन्द्र से प्राप्त अनुदान शामिल है।

4. भा.रि.बैंक का राज्य सरकारों को निवल ऋण से तात्पर्य रिजर्व बैंक द्वारा उनको दिए गए ऋण तथा अग्रिम , रिजर्व बैंक के पास स्थित उनकी वृद्धिशील जमाराशि को घटाकर, में हुए परिवर्तन से है।

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज और रिजर्व बैंक के रिकार्ड।

परिशिष्ट सारणी

परिशिष्ट सारणी 17: भारत के निर्यात तथा आयात

(मिलियन अमरीकी डॉलर)

प्रमुख पद्धों के निर्यात		अप्रैल-मार्च			
पद्ध /समूह		2008-09	2009-10 सं	2010-11 सं	2011-12 अ
		1	2	3	4
I. प्राथमिक उत्पाद		25,335.4	26,396.5	32,844.7	45,574.0
अ. कृषि और संबद्ध उत्पाद		17,534.9	17,734.1	24,207.6	37,420.8
आ. अयस्क और खनिज		7,800.5	8,662.5	8,637.1	8,153.3
II. विनिर्मित वस्तुएं		123,148.9	115,180.7	157,993.9	186,784.2
क.. चमड़ा एवं विनिर्मित वस्तुएं		3,556.0	3,361.1	3,910.6	4788.5
ख. रसायन एवं संबद्ध उत्पाद		22,708.1	22,908.8	28,871.0	37,190.5
ग. इंजीनियरिंग वस्तुएं		47,285.6	38,271.3	58,137.4	6,7093.1
घ. वस्त्र और वस्त्र उत्पाद		20,016.4	19,853.0	24,225.0	27,998.0
ड. रत्न एवं आभूषण		27,955.2	28,996.3	40,476.1	46,900.8
च. हस्तशिल्प		301.0	224.8	256.9	233.5
III. पेट्रोलियम उत्पाद		27,547.0	28,192.0	41,480.0	55,603.5
IV. अन्य		9,263.7	8,982.2	18,817.7	16,661.7
कुल निर्यात (I+II+III+IV)		185,295.0	178,751.4	251,136.2	304,623.5
प्रमुख पद्धों के आयात					
I. थोक आयात		138,791.0	125,315.1	151,167.1	214,754.6
अ. पेट्रोलियम, पेट्रोलियम उत्पाद और संबद्ध सामग्री		93,671.7	87,135.9	105,964.4	154,905.9
आ. थोक उपभोक्ता वस्तुएं		4,975.3	9,012.7	8,854.8	11,614.4
इ. अन्य थोक मर्दे		40,144.0	29,166.5	36,347.9	48,234.3
II. थोक से इतर आयात		164,905.3	163,057.7	218,602.0	274,662.8
अ. पूंजीगत वस्तुएं		71,833.1	65,865.0	78,546.1	99,364.7
आ. मुख्यतः निर्यात संबंधी मर्दे		31,930.8	31,270.0	53,608.3	54,478.9
इ. अन्य		61,141.4	65,922.8	86,447.6	120,819.3
कुल आयात (I+II)		303,696.3	288,372.9	369,769.1	489,417.4

अ: अनंतिम सं. : संशोधित

स्रोत : वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय।

परिशिष्ट सारणी

परिशिष्ट सारणी 18: भारत का समग्र भुगतान संतुलन

मद	बिलियन ₹			मिलियन अमरीकी डॉलर		
	2009-10 सं	2010-11 आं.सं.	2011-12 अ	2009-10 सं	2010-11 आं.सं.	2011-12 अ
1	3	4	5	7	8	9
अ. चालू खाता						
1 नियात, एफ.ओ.बी.	8633	11395	14825	182,442	250,468	309774
2 आयात, सी.आई.एफ	14232	17351	23946	300,644	381,061	499533
3 व्यापार शेष	-5600	-5956	-9121	-118,203	-130,593	-189759
4 अदृश्य मर्दे, निवल	3803	3855	5362	80,022	84,647	111604
क) 'गैर-कारक' सेवाएं जिसमें से :	1700	2223	3078	36,016	48,816	64098
सॉफ्टवेयर सेवाएं	2352	2524	2992	49,705	55,460	62212
ख) आय	-380	-789	-768	-8,038	-17,309	-15988
ग) निजी अंतरण	2471	2420	3050	51,791	53,125	63469
घ) आधिकारिक अंतरण	12	1	2	254	16	25
5 चालू खाता शेष	-1797	-2101	-3760	-38,181	-45,945	-78155
आ. पूँजी खाता						
1 विदेशी निवेश, निवल (क+ख)	2400	1823	1887	50,362	39,652	39231
क) प्रत्यक्ष निवेश	860	429	1032	17,966	9,360	22061
जिसमें से :						
i) भारत में इक्विटी पुनर्निवेशित आय	1578	1181	1550	33,109	25,884	32952
अन्य पूँजी	1093	630	1068	22,905	13,791	22833
ii) विदेशों में इक्विटी पुनर्निवेशित आय	411	544	393	8,669	11,939	8205
अन्य पूँजी	74	7	89	1,535	154	1914
ख) संविधान निवेश	-718	-752	-518	-15,143	-16,524	-10892
भारत में	-469	-363	-183	-9,871	-7,975	-3874
विदेशों में	41	49	58	-1,084	-1,084	-1208
2 बाह्य सहायता, निवल	1540	1394	856	32,396	30,293	17170
संविधान	136	225	113	2,890	4,941	2296
ऋण परिशोधन	279	359	274	5,897	7,882	5646
3 वाणिज्यिक उद्धारियां, निवल	143	134	161	3,007	2,941	3350
संविधान	95	570	479	2,000	12,506	10344
ऋण परिशोधन	706	1098	1562	15,003	24,113	32590
4 अत्यावधि कर्ज, निवल	611	528	1083	13,003	11,606	22247
5 बैंकिंग पूँजी	349	502	306	7,558	10,990	6668
जिसमें से :	98	220	710	2,083	4,962	16226
अनिवासी जमाराशियां, निवल	142	148	582	2,922	3,238	11918
6 रुपया ऋण चुकौती	-5	-3	-4	-97	-68	-79
7 अन्य पूँजी, निवल @	-632	-503	-301	-13,162	-10,994	-6,929
8 कुल पूँजी खाता	2440	2833	3190	51,634	61,989	67,755
इ. भूल-चूक	-1	-137	-116	-12	-2993	-2432
इ. समग्र शेष (अ(5)+आ(8)+इ)	642	595	-685	13,441	13,050	-12831
उ. मौद्रिक गतिविधियां (ऊ+ए)	-642	-595	685	-13,441	-13,050	12831
ऊ. अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, निवल	0	0	0	0	0	0
ए. भंडार और मौद्रिक स्वर्ण (वृद्धि -, कमी +)	-642	-595	685	-13,441	-13,050	12831
जिसमें से : एसडीआर आबंटन	-250	-	-	-5,160	-	-

अ : अनंतिम आं.सं. : आंशिक रूप में संशोधित सं. : संशोधित

@ : इसमें देरी से प्राप्त नियात रसीदें, आयात के लिए अग्रिम भुगतान, विदेश में धारित निवल निधियां और प्राप्त ऐसा अग्रिम जिसके संबंध में एफडीआई के अंतर्गत शेयर जारी किये जाने हैं।

टिप्पणी : 1. वापस लौटने वाले भारतीयों द्वारा लाये गये सोना तथा चांदी को आयात के अंतर्गत शामिल किया गया है जिसकी प्रति प्रविष्टि निजी अंतरण प्राप्तियों में की गई है।

2. आयात और नियातों के आंकड़े वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय के आंकड़ों से भिन्न हो सकते हैं जिसका कारण व्याप्ति, मूल्यांकन और समय में अंतर होना है।

परिशिष्ट सारणी

परिशिष्ट सारणी 19 : भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश प्रवाह : देश-वार तथा उद्योग-वार

(मिलियन अमरीकी डॉलर)

स्रोत / उद्योग	2007-08	2008-09	2009-10 अ	2010-11 अ	2011-12 अ
1	2	3	4	5	6
कुल विदेशी प्रत्यक्ष निवेश	19,425	22,697	22,461	14,939	23,473
देश-वार अंतर्वाह					
मॉरीशस	9,518	10,165	9,801	5,616	8,142
सिंगापुर	2,827	3,360	2,218	1,540	3,306
अमरीका	950	1,236	2,212	1,071	994
साइप्रस	570	1,211	1,623	571	1568
जापान	457	266	971	1,256	2,089
नीदरलैंड	601	682	804	1,417	1,289
यूनाइटेड किंगडम	508	690	643	538	2760
जर्मनी	486	611	602	163	368
संयुक्त अरब अमीरात	226	234	373	188	346
फ्रांस	136	437	283	486	589
स्विट्जरलैंड	192	135	96	133	211
हांगकांग एसएआर	106	155	137	209	262
स्पेन	48	363	125	183	251
दक्षिण कोरिया	86	95	159	136	226
लक्जमबर्ग	15	23	40	248	89
अन्य	2,699	3,034	2,374	1,184	983
क्षेत्र-वार अंतर्वाह					
उत्पादन	3,726	4,777	5,143	4,793	9,337
निर्माण	2,551	2,237	3,516	1,599	2,634
वित्तीय सेवाएँ	3,850	4,430	2,206	1,353	2,603
स्थावर संपदा कार्यकलाप	1,336	1,886	2,191	444	340
विद्युत और अन्य ऊर्जा उत्पादन, वितरण और पारेषण	829	669	1,877	1,338	1,395
संचार सेवाएं	66	2,067	1,852	1,228	1,458
व्यापार सेवाएं	1,158	643	1,554	569	1590
विविध सेवाएं	1,901	1,458	888	509	801
कंप्यूटर सेवाएं	1,035	1,647	866	843	736
रेस्टराँ और होटल	280	343	671	218	870
खुदरा और थोक व्यापार	200	294	536	391	567
खनन	461	105	268	592	204
परिवहन	816	401	220	344	410
व्यापार	176	400	198	156	6
शिक्षा, अनुसंधान एवं विकास	156	243	91	56	103
अन्य	884	1,097	384	506	419

अ: अनंतिम

टिप्पणी : इसमें केवल एसआईए/एफआईपीबी और भारतीय रिजर्व बैंक के मार्ग से प्राप्त विदेशी प्रत्यक्ष निवेश ही शामिल हैं।

परिशिष्ट सारणी

परिशिष्ट सारणी 20 : भारत का विदेशी मुद्रा भंडार

माह के अंत में	विदेशी मुद्रा भंडार (बिलियन ₹ में)					विदेशी मुद्रा भंडार (मिलियन अमरीकी डॉलर)					कुल विदेशी मुद्रा भंडार (एसडीआर मिलियन में)	विदेशी मुद्रा भंडार में घट-बढ़ (एसडीआर मिलियन में)
	विशेष आहरण अधिकार	स्वर्ण #	विदेशी मुद्रा आस्तियां	अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष में रिजर्व अंश स्थिति	कुल (2+3+4+5)	विशेष आहरण अधिकार	स्वर्ण #	विदेशी मुद्रा आस्तियां	अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष में रिजर्व अंश स्थिति	कुल (7+8+9+10)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
मार्च -94	3.39	128	473	9	614	108	4,078	15,068	299	19,553	13,841	6,595
मार्च -95	0.23	138	660	11	808	7	4,370	20,809	331	25,517	16,352	2,511
मार्च -96	2.80	157	584	11	754	82	4,561	17,044	310	21,997	15,054	-1,298
मार्च -97	0.07	146	804	10	960	2	4,054	22,367	291	26,714	19,272	4,218
मार्च -98	0.04	134	1025	11	1170	1	3,391	25,975	283	29,650	22,200	2,929
मार्च -99	0.34	126	1254	28	1408	8	2,960	29,522	663	33,153	24,413	2,213
मार्च -00	0.16	130	1529	29	1688	4	2,974	35,058	658	38,694	28,728	4,315
मार्च -01	0.11	127	1845	29	2001	2	2,725	39,554	616	42,897	34,034	5,306
मार्च -02	0.50	149	2491	30	2670	10	3,047	51,049	610	54,716	43,876	9,842
मार्च -03	0.19	168	3415	32	3615	4	3,534	71,890	672	76,100	55,394	11,518
मार्च -04	0.10	182	4662	57	4901	2	4,198	107,448	1,311	112,959	76,298	20,904
मार्च -05	0.20	197	5931	63	6191	5	4,500	135,571	1,438	141,514	93,666	17,368
मार्च -06	0.12	257	6473	34	6764	3	5,755	145,108	756	151,622	105,231	11,565
जून -06	0.02	285	7187	35	7507	-	6,180	155,968	764	162,912	110,123	4,892
सितंबर -06	0.06	285	7277	35	7597	1	6,202	158,340	762	165,305	111,967	6,736
दिसंबर -06	0.04	288	7527	24	7840	1	6,517	170,187	546	177,251	117,822	12,591
मार्च -07	0.08	296	8366	20	8682	2	6,784	191,924	469	199,179	131,890	26,659
जून -07	0.06	277	8399	19	8694	1	6,787	206,114	460	213,362	140,780	8,890
सितंबर -07	0.08	293	9536	17	9846	2	7,367	239,955	438	247,762	159,164	27,274
दिसंबर -07	0.13	328	10505	17	10850	3	8,328	266,553	432	275,316	174,223	42,333
मार्च -08	0.74	401	11960	17	12380	18	10,039	299,230	436	309,723	188,339	56,449
जून -08	0.48	395	12986	23	13404	11	9,208	302,340	528	312,087	191,040	2,701
सितंबर -08	0.17	402	13016	22	13441	4	8,565	277,300	467	286,336	183,876	-4,463
दिसंबर -08	0.13	411	11948	42	12402	3	8,485	246,603	877	255,968	166,184	-22,155
मार्च -09	0.06	488	12301	50	12839	1	9,577	241,426	981	251,985	168,544	-19,795
जून -09	0.02	469	12163	60	12692	1	9,800	254,093	1,248	265,142	170,814	2,270
सितंबर -09	251	496	12700	66	13513	5,224	10,316	264,373	1,365	281,278	177,533	8,989
दिसंबर -09	241	854	12071	67	13232	5,169	18,292	258,583	1,426	283,470	180,820	12,276
मार्च -10	226	812	11497	62	12597	5,006	17,986	254,685	1,380	279,057	183,803	15,259
जून -10	227	927	11633	61	12848	4,875	19,894	249,628	1,313	275,710	186,429	2,626
सितंबर -10	230	922	11914	90	13156	5,130	20,516	265,231	1,993	292,870	188,197	4,394
दिसंबर -10	228	1007	12001	88	13324	5,078	22,470	267,814	1,972	297,334	193,070	9,267
मार्च -11	204	1026	12249	132	13610	4,569	22,972	274,330	2,947	304,818	192,254	8,451
जून -11	206	1103	12676	133	14119	4,614	24,668	283,458	2,975	315,715	197,266	5,012
सितंबर -11	220	1403	13490	128	15241	4,504	28,667	275,699	2,612	311,482	199,461	7,207
दिसंबर -11	236	1418	14006	144	15805	4,429	26,620	262,933	2,706	296,688	193,248	994
मार्च -12	229	1383	13305	145	15061	4,469	27,023	260,069	2,836	294,397	190,045	-2,209

- : नगण्य

: स्वर्ण के मूल्य का निर्धारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार के मूल्यों के आसपास किया गया है।

* : पिछले मार्च की तुलना में परिवर्तन।

- टिप्पणी:** 1. धारित स्वर्ण में 1991-92 के दौरान सरकार द्वारा प्राप्त किया गया 191 मिलियन अमरीकी डॉलर मूल्य का, 1992-93 के दौरान 29.4 मिलियन अमरीकी डॉलर मूल्य का, 1993-94 के दौरान 139.3 मिलियन अमरीकी डॉलर मूल्य का, 1994-95 के दौरान 315.0 मिलियन अमरीकी डॉलर मूल्य का, 1995-96 के दौरान 17.9 मिलियन अमरीकी डॉलर मूल्य का स्वर्ण शामिल है। दूसरी ओर केंद्र सरकार ने अपनी स्वर्ण बांद योजना के अंतर्गत राशि की चुकौती के लिए 13 नवंबर 1997 को 435.5 मिलियन (11.97 मिलियन अमरीकी डॉलर) का 1.27 टन स्वर्ण, 1 अप्रैल 1998 को 14.85 मिलियन (376.0 मिलियन अमरीकी डॉलर) का 38.9 टन स्वर्ण और 5 अक्टूबर 1998 को 21.3 मिलियन (0.5 मिलियन अमरीकी डॉलर) का 0.06 टन स्वर्ण की खरीद की।
2. विदेशी मुद्रा आस्तियों का अमरीकी डॉलर में परिवर्तन मार्च 1999 तक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से प्राप्त विनिमय दरों पर किया जाता था। 1 अप्रैल 1999 से यह परिवर्तन न्यूयार्क के बंद विनिमय दरों पर किया जाता है।
3. विदेशी मुद्रा आस्तियों में आईआईएफसी यूके द्वारा 20 मार्च 2009 से जारी 250.00 मिलियन अमरीकी डॉलर (उसके समतुल्य भारतीय रूपये सहित) का 16 सितंबर 2011 से जारी 380.00 मिलियन अमरीकी डॉलर का, 27 फरवरी 2012 को जारी 550.00 मिलियन अमरीकी डॉलर का तथा 30 मार्च 2012 को जारी 673.00 मिलियन अमरीकी डॉलर का विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गित निवेश शामिल नहीं है।

परिशिष्ट सारणी

परिशिष्ट सारणी 21 : भारत का बाह्य ऋण
(मार्च के अंत में)

मद	बिलियन ₹			मिलियन अमरीकी डॉलर		
	2010 सं.	2011 आं.सं.	2012 अ.	2010 सं.	2011 आं.सं.	2012 अ.
1	2	3	4	5	6	7
I. बहुपक्षीय	1,934	2,167	2,571	42,857	48,474	50,453
अ. सरकारी उधारियां	1,707	1,903	2,226	37,825	42,578	43,686
i) रियायती	1,160	1,207	1,387	25,711	26,991	27,221
ii) गैर-रियायती	547	697	839	12,114	15,587	16,465
आ. गैर-सरकारी उधारियां	227	263	345	5,032	5,896	6,768
i) रियायती	—	—	—	—	—	—
ii) गैर-रियायती	227	263	345	5,032	5,896	6,768
II. द्विपक्षीय	1,020	1,148	1,364	22,593	25,698	26,757
अ. सरकारी उधारियां	716	804	916	15,860	17,988	17,987
i) रियायती	716	804	916	15,860	17,988	17,987
ii) गैर-रियायती	—	—	—	—	—	—
आ. गैर-सरकारी उधारियां	304	344	448	6,733	7,710	8,771
i) रियायती	32	41	68	702	917	1,339
ii) गैर-रियायती	272	303	380	6,031	6,792	7,432
III. अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष	273	282	315	6,041	6,308	6,163
IV. व्यापार ऋण	760	831	1,018	16,841	18,613	19,908
i) क्रेता का क्रेडिट	668	733	882	14,811	16,411	17,244
ii) आपूर्तिकर्ता का क्रेडिट	29	28	56	651	637	1,100
iii) द्विपक्षीय क्रेडिट का नियात क्रेडिट घटक	62	70	80	1,379	1,564	1,564
iv) रक्षा हेतु नियात क्रेडिट	—	—	—	—	—	—
V. वाणिज्यिक उधारियां	3,192	3,954	5,341	70,726	88,565	1,04,397
i) वाणिज्यिक बैंक उधारियां	2,024	2,617	3,782	44,832	58,612	73,929
ii) प्रतिभूतिकर्ता उधारियां (एफसीसीबी सहित) \$	1,132	1,305	1,533	25,075	29,221	29,963
iii) ऋण / प्रतिभूतिकर्ता उधारियां आदि	37	33	26	819	732	504
iv) स्वतः चुकौती वाला ऋण	—	—	—	—	—	—
VI. एनआरआई और एफसी (बीएणडओ) जमाराशियां (एक वर्ष से अधिक की परिपक्वता वाली)	2,171	2,308	2,998	47,890	51,682	58,608
i) एफसीएनआर (बी)	646	697	626	14,258	15,597	14,968
ii) एनआर(ई)आरए	1,190	1,178	1,607	26,251	26,378	31,408
iii) एनआरओ	335	434	766	7,381	9,707	12,232
VII. रुपया ऋण *	75	71	69	1,658	1,601	1,354
i) रक्षा	67	64	62	1,487	1,437	1,216
ii) नागरिक +	8	7	7	171	164	138
VIII. कुल दीर्घवधि ऋण (I से VII)	9,425	10,761	13,677	2,08,606	2,40,941	2,67,640
IX. अन्यावधि ऋण	2,362	2,901	4,000	52,329	64,990	78,179
i) व्यापार संबंधी कर्ज	2,143	2,610	3,332	47,473	58,463	65,130
ii) सरकारी खजाना बिल और अन्य लिखतों में एफआईआई का निवेश	152	242	481	3,357	5,424	9,395
iii) विदेशी क्रेडीय बैंक और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं अदि द्वारा खजाना बिलों में निवेश	5	2	3	103	50	64
iv) क्रेडीय बैंक तथा वाणिज्यिक बैंकों की बाह्य ऋण देयताएं	63	47	184	1,396	1,053	3,590
X. समग्र जोड़	11,786	13,663	17,677	2,60,935	3,05,931	3,45,819
रियायती ऋण	1,983	2,123	2,441	43,930	47,497	47,900
कुल ऋण के प्रतिशत के रूप में	16.8	15.5	13.8	16.8	15.5	13.9
अन्यावधि ऋण	2,362	2,901	4,000	52,329	64,990	78,179
कुल ऋण के प्रतिशत के रूप में	20.0	21.2	22.6	20.0	21.2	22.6
जापन मदें :						
ऋण सकेतक :						
1. ऋण स्टॉक - जीडीपी अनुपात (प्रतिशत में)	18.3	17.8	20.0	18.3	17.8	20.0
2. ऋण चुकौती अनुपात (प्रतिशत में) (राजकोषीय वर्ष के लिए) (नागरिकों से इतर को दिए गए ऋण की चुकौती सहित)	5.8	4.3	6.0	5.8	4.3	6.0

सं. : संशोधित आं.सं. : अधिक रूप में संशोधित

\$: इसमें 100 प्रतिशत एफआईआई डेट फंड द्वारा किए गए निवल निवेश शामिल हैं।

* : रूस को देय ऋण रूपयों में पूल्यवर्गित है और इसका परिवर्तन चालू विनिमय दरों पर किया जाता है। इसका भुगतान निर्यात से किया जाना है।

+ : इसमें मार्च 1990 के अंत से रूपयों में दिया गया आपूर्तिकर्ता क्रेडिट शामिल है।

टिप्पणी : बहुपक्षीय उधारियों में आईबीआरडी की पूल्ड उधारियां और 1971 से पूर्व के ऋण के संबंध में आईडीए ऋणों के विनिमय दर समायोजन को शामिल नहीं किया गया है।

